

2017-18

वार्षिक रिपोर्ट



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

भारतीय व्यापारः प्रगति पथ पर



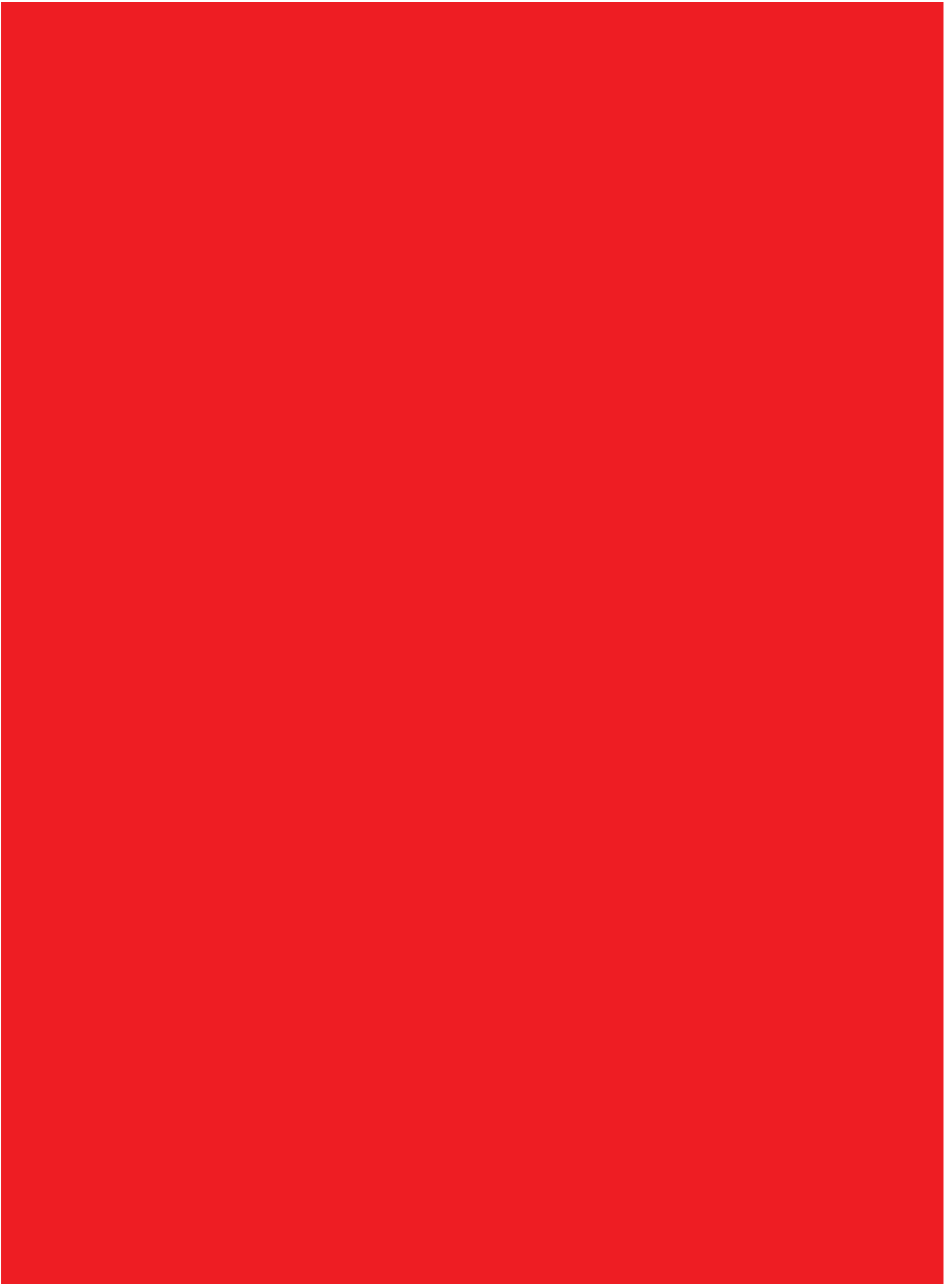
वार्षिक रिपोर्ट

2017-2018



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग



विषय वस्तु



सिंहावलोकन	6
संगठनात्मक संरचना तथा कार्य	13
विज्ञान एवं मिशन	14
नई वैश्विक आर्थिक सच्चाइयां और भारत	21
भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियां	27
विदेश व्यापार नीति तथा एग्जिम व्यापार	59
वाणिज्यिक संबंध, व्यापार करार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन	71
निर्यात संवर्धन तंत्र	97
निर्यात उत्पादन के केंद्र - विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा निर्यातोन्मुख यूनिटें	111
विशिष्ट एजेंसियां	116
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं विकलांगों के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम	146
पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता तथा संबद्ध गतिविधियां	166
लेखा परीक्षा पैरा - अनुबंध 2	170

सिंहावलोकन

वैश्विक परिदृश्य का सिंहावलोकन

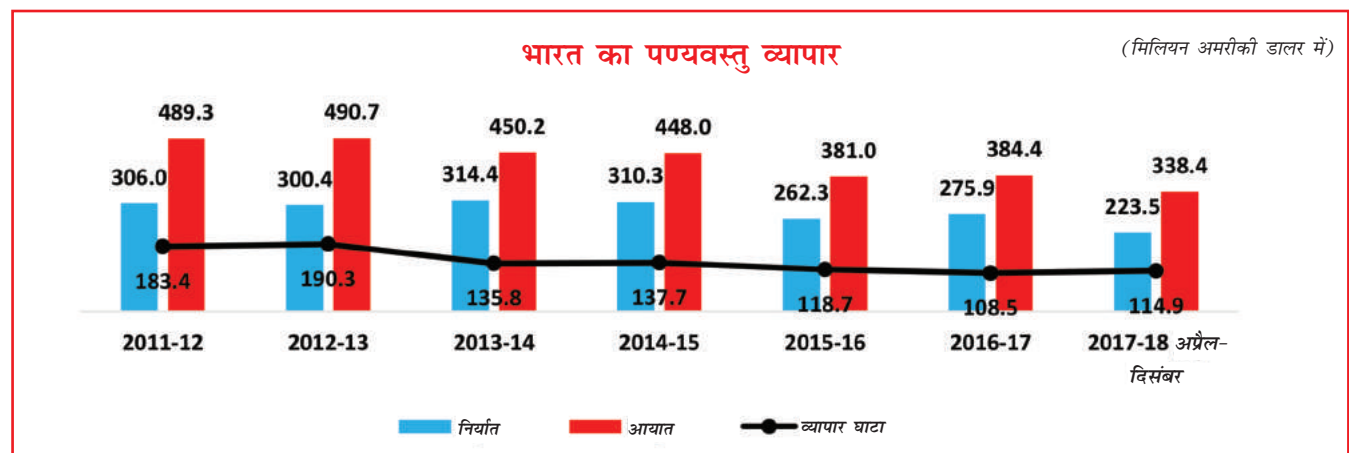
इस वैश्विक संकट से पूरी दुनिया में व्यापक किंतु अलग अलग प्रभाव उत्पन्न हुए हैं जिसमें आर्थिक मंदी और विश्व व्यापार का संकुचन शामिल है। तथापि, विश्व व्यापार संगठन का नवीनतम अंक अब वैश्विक व्यापार की स्वस्थ संभावनाओं की ओर इंगित करता है। 2017 में वैश्विक स्तर पर वस्तु व्यापार की मात्रा में वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 3.6 प्रतिशत किया गया। 2017 के लिए पिछला अनुमान 2.4 प्रतिशत था। 2017 के लिए व्यापार विकास की दर को 3.2 प्रतिशत से 3.9 प्रतिशत के बीच रखा गया है (विश्व व्यापार संगठन, 2017)।

विश्व व्यापार संगठन की सितंबर 2017 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एशिया और उत्तरी अमेरिका से अपेक्षा से अधिक मजबूत विकास चालित है जहां आयात के लिए मांग 2016 में कमजोर रहने के बाद सुधर रही है, व्यापार विकास दर 2018 में 3.2 प्रतिशत रहनी चाहिए, 1.4 प्रतिशत से 4.4 प्रतिशत के बीच, क्योंकि वैश्विक जीडीपी विकास दर स्थिर बनी हुई है। जीडीपी विकास दर के अनुपात में व्यापार विकास दर में 2017 में 1.3 बिंदु की वृद्धि होनी चाहिए। निर्यात आदेश सुदृढ़ हुए हैं जो 2017 की दूसरी छमाही में व्यापार में स्थायी गति का संकेत देते हैं। व्यापार नीति के उपायों,

मौद्रिक सख्ती, भू-राजनीतिक तनाव महंगी प्राकृतिक आपदाओं सहित डाउनसाइड के जोखिमों से रिकवरी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अनुमान व्यक्त किया गया है कि 2018 में भारत की विकास दर 7.4 प्रतिशत रहेगी जिससे यह विश्व में सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 2018)। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार (आईएमएफ, जनवरी 2018), वैश्विक आर्थिक गतिविधि में मजबूती जारी रहेगी। वैश्विक विकास दर जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से सबसे कम अर्थात् 3.2 प्रतिशत थी, 2018 और 2019 में 3.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। अनुमान है कि इस वर्ष की तुलना में विकास दर ऊपर उठेगी तथा उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे स्थान पर होगी तथा बाहरी कारकों - अनुकूल वैश्विक वित्तीय परिवेश तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी से समर्थन मिलेगा। चीन तथा एशिया के उभरते अन्य भागों में विकास दर मजबूत बनी रहेगी। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में संयुक्त राज्य एवं कनाडा, यूरो क्षेत्र तथा जापान में मजबूत गतिविधि के साथ 2017 की विकास में उल्लेखनीय वृद्धि का आधार विस्तृत है। इसी पृष्ठभूमि में भारत के विकास की वर्तमान कहानी विशेष रूप से उज्ज्वल प्रतीत होती है।

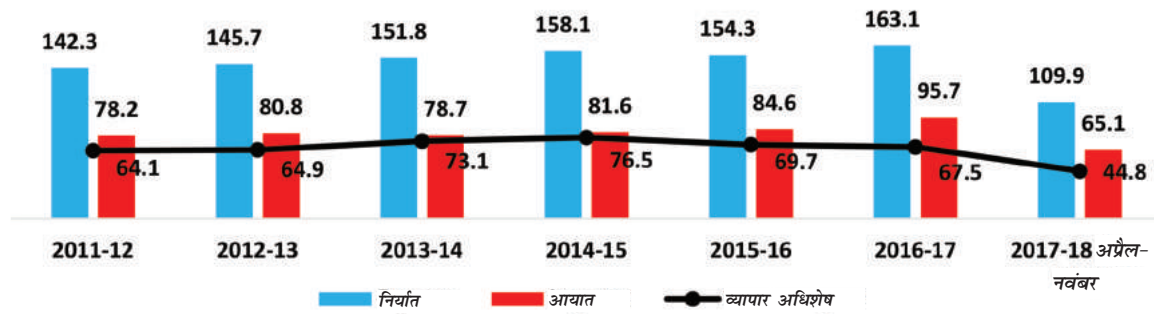
भारत के व्यापार की कहानी



स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

भारत सेवा व्यापार

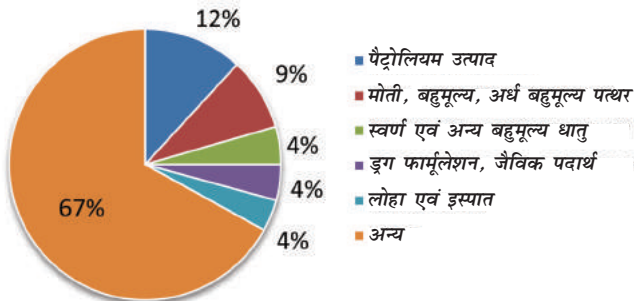
(मिलियन अमरीकी डालर में)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

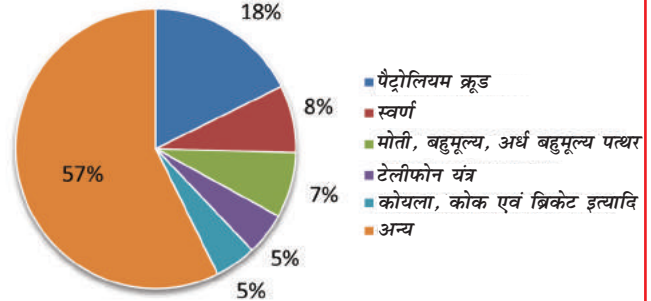
हमारे निर्यात की प्रोफाइल वस्तु एवं क्षेत्र

भारत के निर्यात में उच्च पांच वस्तुओं का भाग अप्रैल-नवम्बर 2017-18 (अ)



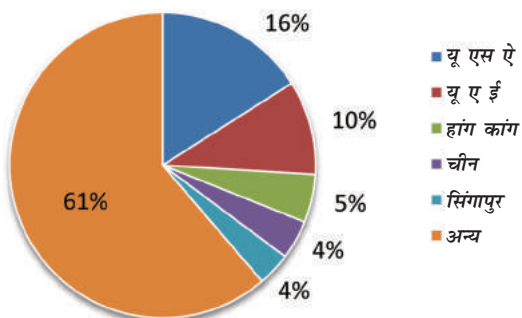
स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

भारत के आयात में उच्च पांच वस्तुओं का भाग अप्रैल-नवम्बर 2017-18 (अ)

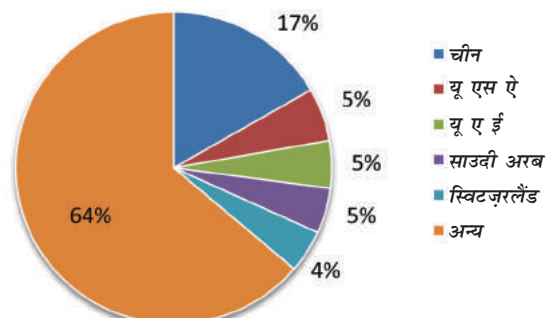


स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

5 उच्च देशों का निर्यात, भाग (%) अप्रैल-नवम्बर 2017-18



5 उच्च देशों का आयात, भाग (%) अप्रैल-नवम्बर 2017-18



फोकस के वर्तमान क्षेत्र

विकास के इस सकारात्मक पथ को देखते हुए जहां तक निर्यात क्षेत्र का संबंध है, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पर वाणिज्य विभाग बल दे रहा है। ये इस प्रकार हैं:

1. विदेश व्यापार नीति 2015-20 दिसंबर 2017 में अधिसूचित मध्यावधि समीक्षा

प्रमुख विशेषताएं:

क) एमएसएमई तथा श्रम सघन उद्योगों द्वारा निर्यात को प्रोत्साहित करना

- वस्त्र के दो उप क्षेत्रों अर्थात रेडीमेड गारमेंट और मेडअप के लिए भारत से वस्तु निर्यात योजना (एम ई आई एस) को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया जिसमें 2743 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन शामिल है।
- मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों / श्रम सघन उद्योगों द्वारा निर्यात के लिए भारत से वस्तु निर्यात योजना के मौजूदा प्रोत्साहन में 2 प्रतिशत की वृद्धि की राशि में 4567 करोड़ रुपए है का अतिरिक्त प्रोत्साहन शामिल है। शामिल किए गए प्रमुख क्षेत्रों में लेदर, कृषि, कारपेट, हैंड टूल्स, समुद्री उत्पाद, रबर के उत्पाद, मृदभांड, खेल के सामान तथा वैज्ञानिक

- एवं चिकित्सा उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक एवं दूरसंचार के उत्पाद आते हैं।
- सेवा व्यापार को गति प्रदान करने के लिए, अधिसूचित सेवाओं जैसे कि व्यवसाय, विधिक, लेखांकन, वास्तुशिल्पीय, इंजीनियरिंग, शैक्षिक, अस्पताल, होटल एवं रेस्टोरेंट के लिए भारत से सेवा निर्यात योजना के प्रोत्साहन में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सेवा क्षेत्र के लिए अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन 1140 करोड़ रुपए होगा।
- जीएसटी की रूपरेखा में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट की उपयोगिता बढ़ाने के लिए इनकी वैधता अवधि 18 माह से बढ़ाकर 24 माह कर दी गई।
- स्क्रिप्टों के अंतरण / बिक्री के लिए जीएसटी दर शून्य कर दी गई है जो पहले 12 प्रतिशत थी।

ख) कच्चे माल के ड्यूटी फ्री आयात के लिए नई न्यास आधारित स्वयं अनुसमर्थन योजना

- स्वयं घोषणा के साथ ड्यूटी छूट योजना के तहत निर्यात उत्पादन के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट को अनुमत करने के लिए नई न्यास आधारित स्वयं अनुसमर्थन योजना शुरू की गई।
- इस योजना के तहत, निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले इनपुट के लिए मानदंड समिति से अनुसमर्थन प्राप्त करने की बजाय निर्यातक ड्यूटी फ्री कच्चे माल / इनपुट की आवश्यकता को स्वयं प्रमाणित करेंगे और विदेश व्यापार महानिदेशालय से प्राधिकार प्राप्त करेंगे। यह योजना शुरू में अधिकृत आर्थिक प्रचालकों को उपलब्ध होगी।
- यह योजना विशेष रूप से फार्मा, रसायन, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग तथा उच्च प्रौद्योगिकी जिनमें कच्चे माल की आवश्यकता गतिशील है, जैसे क्षेत्रों में उत्पाद के टर्नएराउंड समय को कम करके नए उत्पादों के निर्यात को गति प्रदान करेगी।

2. जीएसटी के साथ संरेखण

इनपुट पर जीएसटी के अग्रिम भुगतान के कारण निर्यातकों की कार्यकारी पूंजी के अवरुद्ध हो जाने के मुद्दे का समाधान किया गया है। पूंजी माल के लिए निर्यात संवर्धन (ई पी सी जी) योजना के अग्रिम प्राधिकार के तहत 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख यूनिटों के निर्यातकों को जीएसटी के अग्रिम भुगतान के बगैर निर्यात के लिए विदेशों से तथा घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से भी इनपुट / पूंजी माल प्राप्त करने का लाभ प्रदान किया गया है। इसके अलावा, इन योजनाओं को 01 अप्रैल 2018 से लागू करने के लिए 01 अप्रैल 2018 से एक ई-वालेट भी शुरू किया जाएगा।

जीएसटी ने भारत के निर्यात के लिए एक नई विनियामक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया है। इसने घरेलू फर्मों तथा निर्यातकों के लिए अनेक सकारात्मक विशेषताओं को लागू किया है। अब फर्मों कम संख्या में करों (एक जीएसटी ने 17 करों को प्रतिस्थापित किया है), कर की कम राशि (औद्योगिक उत्पादों के लिए जीएसटी की औसत दर 18 प्रतिशत है जबकि जीएसटी से पहले कर का बोझ 25 से 28 प्रतिशत के बीच था) का भुगतान करती हैं तथा कर पर कर की कम घटनाओं का सामना करती हैं। सभी राज्यों में जीएसटी की एक समान दरों से कर का बोझ तथा अनुपालन की लागत और कम हो जाती है। इन परिवर्तनों से लागत घटती है तथा प्रतियोगितात्मकता में सुधार होता है और इस प्रकार निर्यात के लिए यह लाभप्रद होगा।

जीएसटी निर्यात को शून्य दर पर आपूर्ति मानता है। यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों के अनुरूप है। शुरू में जीएसटी कानून के तहत यह अपेक्षा थी कि निर्यात उत्पादन के लिए इनपुट मंगाते समय सभी शुल्कों का भुगतान किया जाना चाहिए तथा इनके लिए रिफंड निर्यात के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। तथापि, जैसा कि निर्यातकों ने कार्यकारी पूंजी के अवरुद्ध हो जाने की आशंका व्यक्त की, उनके अनुरोध पर 6 अक्टूबर 2017 को अपनी बैठक में जीएसटी परिषद ने अग्रिम प्राधिकार, ईपीसीजी तथा 100 प्रतिशत ईओयू योजनाओं का प्रयोग करके मंगाए गए इनपुट पर जीएसटी के भुगतान से छूट की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. व्यापार अवसंरचना तथा लाजिस्टिक्स

- 1) निर्यात क्षेत्र के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस) की शुरुआत
- निर्यात अवसंरचना तथा संबद्ध गतिविधियों के विकास के लिए राज्यों को सहायता (ए एस आई डी ई) : वाणिज्य विभाग ने अब तक एएसआईडीई के माध्यम से अवसंरचना के अंतरालों को पाटने के लिए

राज्यों के साथ काम किया है।

- 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्यों को कर अंतरण 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है जो केंद्र की सहायता से एएसआईडीई स्कीम को असंबद्ध करने में परिणत हुआ।
- अतः निर्यात अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए एक नई योजना अर्थात् टीआईईएस बनाई गई। सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद यह योजना 15 मार्च 2017 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा शुरू की गई है।
- केन्द्र सरकार का वित्त पोषण सहायता अनुदान के रूप में होगा, जो सामान्यतया कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निवेश की जा रही इक्विटी से अधिक नहीं होता है या परियोजना में कुल इक्विटी का 50 प्रतिशत होता है। (उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर सहित हिमालयन राज्यों में स्थित परियोजनाओं के मामले में यह अनुदान कुल इक्विटी के 80 प्रतिशत तक हो सकता है)।
- टीआईईएस योजना जबदस्त निर्यात संलग्नताओं के साथ अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना एवं उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करेगी जैसे कि:
 - ❖ बार्डर हाट
 - ❖ भूमि कस्टम स्टेशन
 - ❖ गुणवत्ता परीक्षण एवं प्रमाणन प्रयोगशालाएं
 - ❖ कोल्ड चेन
 - ❖ व्यापार संवर्धन केंद्र
 - ❖ ड्राई पोर्ट्स
 - ❖ निर्यात माल गोदाम और पैकिंग
 - ❖ विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा पोर्ट / एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल।

2) नया लाजिस्टिक्स प्रभाग

- नीति में परिवर्तनों, मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार, अड़चनों एवं अंतरालों की पहचान और इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के समावेशन के माध्यम से लाजिस्टिक्स क्षेत्र के समेकित विकास के लिए एक कार्य योजना का विकास एवं समन्वय करने के लिए वाणिज्य विभाग में नए लाजिस्टिक्स प्रभाग का गठन किया गया है।
- इस प्रभाग ने एक आईटी बैकबोन का सृजन करने तथा एक राष्ट्रीय लाजिस्टिक्स सूचना पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव किया है जो आनलाइन लाजिस्टिक्स बाजार स्थल होगा जो विभिन्न हितधारकों जैसे कि लाजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं, क्रेताओं तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों की एजेंसियों जैसे कि कस्टम, डीजीएफटी, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, कोस्टल शिपिंग आदि को एक मंच पर लाने का काम करेगा।
- इन कदमों से लाजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक (एलपीआई) में भारत की रैंकिंग में सुधार होगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा विकास दर बढ़ेगी।

4. सरकारी ई-मार्केट (जेम) एसपीवी

- आपूर्ति एवं निस्तारण महानिदेशालय ने सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा खरीदी / बेची गई विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एक समर्पित ई-मार्केट का सृजन किया जो सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं एजेंसियों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद को सुगम बनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी चालित प्लेटफार्म है। यह पोर्टल 9 अगस्त 2016 को लांच किया गया तथा अक्टूबर 2016 तक पूरी तरह काम करने लगा।
- आपूर्ति एवं निस्तारण महानिदेशालय को 31 अक्टूबर 2017 से बंद कर दिया गया है।
- जेम जो एक परिवर्धनीय सिस्टम है तथा पूरी तरह आनलाइन, पारदर्शी एवं सिस्टम चालित होने की वजह से यह माल एवं सेवाओं के प्रापण को सरल, दक्ष एवं त्वरित बनाता है। जेम के तहत प्रापण प्रक्रिया की पूरी श्रृंखला शामिल है जैसे कि वेंडरों का पंजीकरण, क्रेता द्वारा मद का चयन, आपूर्ति आदेश का सृजन, कंसाइनी (कंसाइनियों) द्वारा माल / सेवाओं की प्राप्ति तथा वेंडर को आनलाइन भुगतान आदि।
- आज तक की स्थिति के अनुसार 4.44 लाख से अधिक उत्पाद एवं सेवाएं, लगभग 71700 विक्रेता एवं सेवा प्रदाता, 16000 से अधिक क्रेता संगठन जेम का अंग हैं। 4000 करोड़ रुपए मूल्य के 2.36 लाख से अधिक आर्डर को जेम के माध्यम से प्रोसेस किया गया है।
- जेम अब लेनदेन में और सरलता तथा अपडेटेड फीचर्स के साथ जेम 3.0 के लांच के लिए तैयार हो रहा है।

5. पूर्व एवं पश्चात नौप्रेषण रुपया निर्यात क्रेडिट पर व्याज समतुल्यीकरण योजना

आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 1 अप्रैल 2015 से 5 साल की अवधि के लिए 18 नवंबर 2015 को व्याज समानीकरण योजना को अनुमोदित किया। इस योजना के प्रचालन दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्र संख्या 62 दिनांक 4 दिसंबर 2015 के जरिए जारी किए गए।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज समानीकरण की दर नौप्रेषण पूर्व रुपया निर्यात क्रेडिट और नौप्रेषण पश्चात रुपया निर्यात क्रेडिट पर उपलब्ध होगी।
- यह स्कीम 5 वर्षों के लिए 1 अप्रैल, 2015 से लागू होगी। तथापि, भारत सरकार किसी भी समय इस स्कीम को संशोधित / परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- यह स्कीम 416 निर्दिष्ट टैरिफ लाइनों (4 डिजिट के आई टी सी (एच एस) कोड पर) के तहत सभी निर्यातों तथा सभी आई टी सी (एच एस) कोडों के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम एस एम ई) द्वारा किए गए निर्यातों के लिए उपलब्ध होगी।
- स्कीम मर्चेन्ट निर्यातकों को उपलब्ध नहीं होगी।
- बैंकों से पात्र निर्यातकों को यथा लागू व्याज समानीकरण के लाभ अप्रकट रूप में पूरी तरह अंतरित करने तथा प्रतिपूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को दावा प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, जो बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित होने चाहिए।
- वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 में, इस स्कीम के तहत विभिन्न बैंकों के दावों के निस्तारण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को क्रमशः 1100 करोड़ रुपए और 1000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वर्ष 2017-18 के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है तथा पूरी राशि का पूरी तरह उपयोग किया जाएगा।

6. व्यापार सुगमता

- 1) भारत द्वारा व्यापार सुगमता करार (टीएफए) की पुष्टि के बाद मंत्रिमंडल सचिव के अधीन राष्ट्रीय व्यापार सुगमता समिति (एनटीएफसी) का गठन किया गया है। वाणिज्य सचिव एवं राजस्व सचिव की संयुक्त अध्यक्षता में गठित संचालन समिति की सहायता से राष्ट्रीय व्यापार सुगमता समिति पर्यवेक्षण एवं निगरानी की भूमिका निभाएगी।
- 2) (1) अवसररचना, (2) कानूनी मुद्दों, (3) आउटरीच, और (4) टाइम रिलीज स्टडी पर फोकस करने के लिए संचालन समिति द्वारा चार कार्य समूहों का गठन किया गया है।
- 3) इसके अलावा हितधारकों के परामर्श से कार्यान्वयन की समय सीमा के साथ व्यापार सुगमता के 76 उपायों जिसमें से 51 उपाय टीएफए प्लस गतिविधियां हैं, को चिह्नित करते हुए राष्ट्रीय व्यापार सुगमता कार्य योजना (एनटीएफएपी) तैयार की गई है। टीएफए श्रेणी 'बी' की मदों के तहत परिकल्पित 5 वर्षों के अग्रिम में तीन साल के अंदर इन उपायों के कार्यान्वयन को गति देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
- 4) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकल प्लेटफार्म के माध्यम से विभिन्न विवरणियों की सूचना देने के लिए माल एवं साफ्टवेयर के निर्यात के निगरानी के लिए तथा एडी बैंकों को सुगमता प्रदान करने के लिए निर्यात डाटा प्रोसेसिंग एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) नामक एक व्यापक आईटी आधारित प्रणाली विकसित की गई है।
- 5) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति तथा आयातक निर्यातक कोड से संबंधित डाटा को साझा करने के लिए माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इससे जी एस टी के तहत करदाताओं के निर्यात लेनदेन की प्रोसेसिंग सुदृढ़ होगी, पारदर्शिता में वृद्धि होगी और मानव इंटरफेस कम होगा।
- 6) 19 समुद्री बंदरगाहों और 17 एयर कार्गो परिसरों में सभी बिल ऑफ इंड्री के लिए 24x7 कस्टम क्लियरेंस की सुविधा प्रदान की गई है।

7. अधुनातन व्यापार विश्लेषण

- 1) डाटा आधारित नीतिगत कार्रवाइयों के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय में अधुनातन व्यापार विश्लेषण प्रभाग गठित किया गया है।
- 2) इस पहल में भारत के प्रमुख निर्यात बाजारों से संबंधित डीजीसीआईएस तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय डाटाबेसों से व्यापार सूचना को प्रोसेस करने तथा विभिन्न बाजारों एवं उत्पादों में निर्यात के हितों पर ध्यान देने

के लिए विशिष्ट कार्रवाइयों की पहचान करने की परिकल्पना है।

8. नए निर्यात बाजारों की तलाश करना

- 1) न केवल माल में व्यापार एवं निवेश को शामिल करने के लिए अपितु शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखरेख जैसी सेवाओं में क्षमता का निर्माण करने एवं तकनीकी सहायता के लिए भी अफ्रीका जैसे अधिक संभावना वाले क्षेत्रों में कम दोहन किए गए दोहन न किए गए बाजारों में भारत का निर्यात बढ़ाने पर फोकस। कार्गो प्रोसेसिंग, विनिर्माण, खनन, वस्त्र, उपभोक्ता माल, अवसररचना विकास तथा निर्माण जैसे क्षेत्र फोकस क्षेत्र होने चाहिए।
- 2) ऋण की सुविधाओं तक सरल पहुंच के माध्यम से परियोजनाओं को प्रोत्साहन सहित लैटिन अमेरिका और कैरीबियन क्षेत्र के साथ अधिक भागीदारी।
- 3) नए एवं जोखिमपूर्ण बाजारों को निर्यात करने वाले निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई निर्यातकों के लिए बीमा कवर का सुनिश्चय करने के लिए ईसीजीसी को सुदृढ़ किया जाएगा तथा पर्याप्त रूप से विस्तार किया जाएगा।

9. नए निर्यात उत्पादों की तलाश करना

- 1) इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि भारत के 70 प्रतिशत निर्यात में ऐसे उत्पाद शामिल होते हैं जिनका शेर कुल वैश्विक निर्यात में मात्र 30 प्रतिशत है, ऐसे उत्पादों का निर्यात बढ़ाने पर फोकस जो अब विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण हो गए हैं।
- 2) आशाजनक उत्पाद समूहों जैसे कि चिकित्सा डिवाइस / उपकरण, तकनीकी टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, परियोजना माल, रक्षा तथा हाइटेक उत्पाद के अलावा श्रम सघन तथा एमएसएमई के उत्पादों जैसे कि कृषि, मरीन, कारपेट, लेदर, आयुष एवं स्वास्थ्य, टेक्सटाइल एवं रेडीमेड गारमेंट, हथकरघा, हस्तशिल्प, क्वायर, जूट के उत्पाद, डायमंड, गोल्ड एवं ज्वेलरी पर फोकस।

10. किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात पर फोकस

- 1) निम्नलिखित घटकों के माध्यम से कृषि मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्यात बढ़ाने पर बल देने के लिए नई कृषि निर्यात नीति निर्माण के अधीन है:
 - लंबी अवधि के लिए स्थिर एवं खुली निर्यात नीति।
 - घरेलू एवं गंतव्य बाजारों में सेनेट्री एवं फाइटो सेनेट्री मानक (एसपीएस) तथा व्यापार से जुड़ी तकनीकी बाधा (टीबीटी) के मुद्दों को कारगर ढंग से हैंडल करना।
 - खेत से बंदरगाह और हवाई अड्डा तक कोल्ड चेन तथा परिवहन लाजिस्टिक्स की सुविधाएं सुजित करना।
 - उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से जैविक निर्यात को बढ़ावा देना।
 - विश्वसनीय तथा अपटूडेट जैविक निर्यात प्रमाणन एवं प्रत्यायन कार्यक्रम स्थापित करना।

11. वैश्विक एवं क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक भागीदारी

- 1) इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि जीवीसी के माध्यम से विनिर्मित उत्पादों के व्यापार का हिस्सा विनिर्मित माल के वैश्विक व्यापार में दो तिहाई है, भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए आरवीसी और जीवीसी के अधिक मूल्य वाले सेगमेंट में भागीदारी बढ़ाने पर फोकस।
- 2) बंदरगाहों और सीमा शुल्क प्रचालनों को स्वचालित बनाने, ग्रीन चैनल क्लियरेंस को अनुमत करने तथा सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के साथ पोतों के टर्नराउंड टाइम की बेंच मार्किंग पर फोकस के माध्यम से इसे सुगम बनाया जाएगा।

12. निर्यात बढ़ाने के लिए सेवाओं का उपयोग करना

- 1) सेवाओं के दृष्टिकोण से एग्रीजम नीतियों एवं प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय में नए सेवा प्रभाग का गठन किया गया है।
- 2) सेवाओं पर डाटा की उपलब्धता में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
- 3) एक अंतर्मंत्रालयी तंत्र के माध्यम से सेवाओं में सुधार के महत्वाकांक्षी एजेंडा पर काम चल रहा है।
- 4) महत्वपूर्ण बाजारों के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी करारों के माध्यम से विदेशी बाजारों तक कारगर पहुंच के लिए प्रयास।
- 5) सेवा क्षेत्र में भारत की ताकतों को प्रदर्शित करने के लिए सेवाओं पर बहुत सफल वैश्विक प्रदर्शनी को एक वार्षिक इवेंट के रूप में

संस्थानीकृत किया गया है।

13. भारतीय संदर्भ में व्यापार सुगमता

लेनदेन की लागत एवं समय को कम करने और इस प्रकार भारतीय निर्यात को अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए व्यापार सुगमता सरकार की एक प्राथमिकता है। व्यापार करने की सरलता तथा ई-अभिशासन की प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

- 1) **दस्तावेजों की संख्या घटाना:** आयात एवं निर्यात के लिए अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या निर्यात एवं आयात प्रत्येक के लिए घटाकर 3 कर दी गई है। इससे पहले निर्यात के लिए 7 और आयात के लिए 10 दस्तावेजों की जरूरत होती थी।
- 2) **योजनाओं की संख्या घटाना:** नई विदेश व्यापार नीति (2015-20) 1 अप्रैल 2015 को शुरू की गई जिसमें पण एवं सेवा दोनों निर्यातों की सहायता करने तथा 'कारोबार करने की सरलता' बढ़ाने पर बल दिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने पण निर्यात को पुरस्कृत करने के लिए पिछली नीति के तहत पांच अलग अलग प्रोत्साहन योजनाओं को एकल योजना अर्थात् भारत से पण निर्यात योजना में समेकित किया है। विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा भी पूरी हो गई है।
- 3) **आयातक - निर्यातक कोड:** 1 जुलाई 2017 से विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा आईईसी के रूप में फर्म का पैन जारी किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के माध्यम से अब आईईसी के लिए आवेदन एवं निर्गम का कार्य आनलाइन हो सकता है और यह सुरक्षित है। आयातक निर्यातक कोड को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के ई-बिज पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है। आयातक निर्यातक कोड तथा ई पी सी जी आवेदन को मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा स्थापित तथा पी एम जी सेटअप द्वारा कार्यान्वित ई-निवेश पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
- 4) **इलेक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाण पत्र (ई-बीआरसी)** प्रणाली के प्रयोग का विस्तार किया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय इलेक्ट्रॉनिक बैंक नकदीकरण प्रमाण पत्र (ईबीआरसी) द्वारा सृजित किए गए आंकड़ों को 17 एजेंसियों के साथ साझा करता है। ई-बीआरसी प्रणाली बैंकिंग चैनल के माध्यम से निर्यातकों द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा के व्यौरों को कैप्चर करती है। डाटा को साझा करने के लिए डी जी एफ टी ने 14 राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार की 2 एजेंसियों तथा जी एस टी एन के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य स्तर पर 14 राज्यों के वाणिज्यिक कर विभागों ने वैट के रिफंड के प्रयोजनों के लिए ई-बीआरसी डाटा प्राप्त करने के लिए डी जी एफ टी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इस प्रकार हैं : (1) महाराष्ट्र, (2) दिल्ली, (3) आंध्र प्रदेश, (4) ओडिशा, (5) छत्तीसगढ़, (6) हरियाणा, (7) तमिलनाडु, (8) कर्नाटक, (9) गुजरात, (10) उत्तर प्रदेश, (11) मध्य प्रदेश, (12) केरल, (13) गोवा (14) बिहार। इसके अलावा वित्त मंत्रालय, प्रवर्तन निदेशालय, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा जी एस टी एन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- 5) **रूपों का सरलीकरण-विदेश व्यापार महानिदेशालय** के पास आनलाइन आवेदन करने के लिए प्रयुक्त होने वाले 'निर्यात बंधु' के आवेदन पत्रों के विभिन्न प्रावधानों में स्पष्टता लाकर तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन में वृद्धि करके उनको सरल बनाया गया है।
- 6) **वेब पोर्टल**
 - विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अपडेटेड वेबसाइट शुरू की है तथा उसे अधिक प्रयोक्ता अनुकूल एवं नेविगेट करने में सरल बनाया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट में एक बड़ा डायनेमिक घटक है जिसके माध्यम से कारोबारी समुदाय आई ई सी तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय की विभिन्न अन्य स्कीमों के लिए आवेदन आनलाइन दाखिल कर सकता है।
 - वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू किया गया तथा एफ आई ई ओ द्वारा प्रबंधित भारतीय व्यापार पोर्टल आयात और निर्यात के लिए उपयोगी सूचना प्रदर्शित करता है। इसमें भारतीय व्यापार मिशनो द्वारा अपलोड की गई व्यापार पूछताछ, भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों का टैरिफ एवं व्यापार डाटा, निर्यात बाजार रिपोर्ट एवं व्यापार करार आदि होते हैं।
- 7) **क्षमता निर्माण**
 - निर्यात के लिए नए उद्यमियों को कौशल प्रदान करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।
 - पिछले दो वर्षों में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा कार्यान्वित निर्यात

बंधु कार्यक्रम के तहत 50000 से अधिक उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया गया है और इस प्रकार स्टार्ट अप इंडिया एवं स्किल इंडिया की पहलों को संपूरित किया जा रहा है।

- क्षमता निर्माण, निर्यात संवर्धन, अनुसंधान एवं विश्लेषण तथा दीर्घ अवधि की नीति निर्माण के लिए वाणिज्य विभाग में संस्थानिक ढांचा जैसे कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, भारतीय बागान संस्थान, निर्यात संवर्धन परिषदों, उत्कृष्टकता केन्द्र, बागान अनुसंधान संस्थान आदि का प्रयोग किया जा रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र
- भूमंडलीकरण की प्रक्रिया की बढ़ती जटिलता तथा घरेलू नीति निर्माण पर इसके स्पिल ओवर प्रभावों को देखते हुए अनुसंधान की विद्यमान क्षमताओं को काफी गहन करने तथा विस्तृत करने की आवश्यकता है ताकि नए एवं विशिष्ट क्षेत्रों को शामिल किया जा सके। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र (सीआरआईटी) नामक एक नई संस्थान का गठन किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र से इस अंतराल को भरने की अपेक्षा है तथा यह भारी संख्या में विकासशील देशों के साथ स्थायी गठबंधन का निर्माण करने में भी मदद करेगा, जिनके हितों का भारत के हितों के साथ अभिसरण हो सकता है तथा वैश्विक स्तर पर व्यापार के विभिन्न मुद्दों पर संभावित रूप से भारत के मित्र हो सकते हैं। सीआरआईटी में 5 केन्द्र होंगे अर्थात् व्यापार एवं निवेश कानून केन्द्र, क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र, व्यापार संवर्धन केन्द्र तथा डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र (यह पहले से ही अस्तित्व में है)। 2017 में दो नए केन्द्रों ने काम करना शुरू कर दिया है।
- निर्यात संवर्धन में राज्यों की भागीदारी - जुलाई 2015 में व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद का गठन किया गया। यह राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समर्थ बनाने वाला परिवेश प्रदान करने के उपायों पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ सतत वार्ता का सुनिश्चय करेगी और भारत के निर्यात को बढ़ाने में राज्यों को सक्रिय साझेदार बनाने के लिए एक रूपरेखा सृजित करेगी।
- राज्य सरकारों से अपनी स्वयं की निर्यात रणनीति विकसित करने, निर्यात आयुक्त नियुक्त करने, माल की आवाजाही को सीमित करने वाली अवसं. रचनात्मक अड़चनों को दूर करने, वैट / पथ कर / राज्य स्तरीय उप कर के प्रतिदाय को सुगम बनाने और विभिन्न क्लियरेंस आदि से संबंधित अन्य मुद्दों का समाधान करने तथा नए निर्यातकों की क्षमता का निर्माण करने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके। अब तक 17 राज्यों ने अपनी निर्यात रणनीति तैयार कर ली है। व्यापार एवं निवेश परिषद की तीसरी बैठक 8 जनवरी 2018 को हुई जिसके माध्यम से विभिन्न राज्यों में लाजिस्टिक्स सरलता (एलईएडीएस) पर रिपोर्ट लांच की गई।
- यह वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है जिसके माध्यम से वाणिज्य सचिव निर्यात के सरोकारों को दूर करने तथा दक्षता में सुग. मता प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार के अधिकारियों, निर्यातकों तथा अन्य हितधारकों के साथ संयुक्त बैठक बुलाते हैं।
- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर पूर्व, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब और हरियाणा जैसे प्रमुख निर्यातक राज्यों में बैठकें की गई हैं। अन्य प्रमुख निर्यात राज्यों का दौरा करने का कार्यक्रम है तथा अनुवर्ती दौरों का भी प्रस्ताव किया जा रहा है।

14. बेहतर व्यापार संबंधों को पोषित करना तथा नए बाजारों का पता लगाना

- भारत - कनाडा सीईपीए : 10वां दौर पूरा हो गया है।
- भारत - आस्ट्रेलिया सीईसीए : चल रहा है।
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आर सी ई पी) [आसियान + उनके 6 एफ टी ए साझेदार अर्थात् आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड] मनीला में 10 सितंबर 2017 को आरसीईपी की मंत्री स्तरीय बैठक; अगली (20वीं) बैठक कोरिया में अक्टूबर 2017 में हुई।
- भारत - श्रीलंका आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग करार : 5 दौर पूरे हो गए हैं
- भारत - पेरू वार्ता : 8 से 11 अगस्त 2017 के दौरान पहले दौर का आयोजन किया गया।
- भारत - ईएफटीए टीईपीए (आइसलैंड, नार्वे, लिचेस्टीन और

- स्विटजरलैंड) - 16वां दौर 18 सितंबर 2017 से आरंभ हो रहा है।
- द्वितीय भारत - इंडोनेशिया द्विवार्षिक व्यापार मंत्री मंच का आयोजन 21 सितंबर 2017 को हुआ।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने आसियान आर्थिक मंत्री बैठक में भी भाग लिया।
- भारत - यूरोपीय संघ शिखर बैठक जहां व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई, का आयोजन 6 अक्टूबर 2017 को हुआ।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा वाणिज्य सचिव और वाणिज्य विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, विदेश मंत्रालय आदि से वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने वाशिंगटन डीसी में 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2017 तक भारत - यूएस व्यापार नीति मंच की बैठक बैठकों एवं वाणिज्यिक वार्ता में भाग लिया।
- 10 से 14 दिसंबर 2017 के दौरान ब्यूनस आयर्स में विश्व व्यापार संगठन की बैठक हुई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा वाणिज्य सचिव दोनों ने भाग लिया।
- भारत - यूके जेटको की बैठक 11 जनवरी 2018 को हुई तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा यूके के व्यापार मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की।
- भारत - ईएईयू व्यापार वार्ता : 30 और 31 जनवरी 2018

15. एकीकृत प्रदर्शनी सह सम्मेलन केन्द्र (आईईसीसी)

सरकार ने 1.2 लाख वर्गमीटर का वातानुकूलित प्रदर्शनी स्थल तथा 7 हजार की पैक्स सिटिंग क्षमता वाले एक आयकानिक अधुनातन सम्मेलन केन्द्र का सृजन करने के लिए प्रगति मैदान में एक आधुनिक विश्व स्तरीय एकीकृत प्रदर्शनी सह सम्मेलन केन्द्र (आईईसीसी) के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। 4800 यात्री कार यूनिट (पीसीयू) के लिए भूमिगत पार्किंग स्पेस की भी योजना है।

परियोजना कार्य शुरू हो गया है तथा 24 माह के अंदर सितंबर 2019 तक पूरा हो जाएगा जिससे सभी प्रकार के प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए एक उपयुक्त स्थल का निर्माण होगा। यह नए भारत का एक अनोखा सिंबल होगा तथा एक वैश्विक महाशक्ति बनने की भारत की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा।

16. विश्व व्यापार संगठन का 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन तथा दोहा दौर का भविष्य (10 से 13 दिसंबर 2017)

विश्व व्यापार संगठन का 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 10 से 13 दिसंबर 2017 के दौरान ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में आयोजित किया गया।

इस सम्मेलन की पृष्ठ भूमि में खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनों तथा कृषि से जुड़े अन्य मुद्दों के लिए सरकारी भंडारण के मुद्दे पर स्थायी समाधान के लिए निर्णय होने की संभावना थी। विश्व व्यापार संगठन के कुछ सदस्य देश सेवाओं में घरेलू विनियमनों, मछली पालन में सब्सिडी पर अनुशासन, ई-कामर्स, निवेश सुगमता तथा सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमों (एमएसएमई) पर परिणामों की मांग कर रहे थे।

17. खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए सरकारी भंडारण पर स्थायी समाधान

बाली और नैरोबी में आयोजित मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में मंत्री स्तरीय निर्णयों द्वारा सदस्य देशों पर सौंपी गई बाध्यता के अनुसरण में प्रमुख प्रस्तावकों के रूप में भारत तथा जी-33 ने ब्यूनस आयर्स में 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में स्थायी समाधान की मांग की। यद्यपि प्रस्तावक स्वाभाविक रूप से किसी स्थायी समाधान की मांग कर रहे थे जो विद्यमान अंतरिम तंत्र में एक सुधार होगा, दूसरों ने अधिक मजबूत सुरक्षोपायों की मांग की। तथापि, सर्वसम्मति न हो पाने के कारण कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका।

तथापि, अंतरिम तंत्र जो शाश्वत रूप से उपलब्ध है, के कारण भारत के सरकारी प्रापण के कार्यक्रमों का संरक्षण आज भी जारी है।

18. मंत्री स्तरीय घोषणा

कुछ सदस्यों ने डब्ल्यूटीओ का मार्गदर्शन करने वाले प्रमुख अंतर्निहित सिद्धांतों तथा विभिन्न सहमत अधिदेशों की अभिस्वीकृति या पुनरावृत्ति का समर्थन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप सम्मेलन के अंत में मंत्री किसी सम्मत मंत्री स्तरीय घोषणा पर नहीं पहुंच सके।

तथापि, मंत्री स्तरीय घोषणा के अभाव में भी विद्यमान अधिदेश एवं निर्णय मान्य बने रहेंगे तथा उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कार्य आगे जारी रहेगा तथा विश्व व्यापार संगठन खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए सरकारी भंडारण, कृषि सब्सिडी तथा अन्य मुद्दों पर स्थायी समाधान जैसे मुद्दों पर काम करना जारी रखेगा।

19. सेवा व्यापार में डब्ल्यूटीओ वार्ता पर हाल की घटनाएं तथा भारत का दृष्टिकोण

क) घरेलू विनियमों पर चर्चा

सेवाओं में व्यापार पर सामान्य करार (जीएटीएस) तथा घरे विनियम पर निर्णय विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों से आवश्यक विषयों का विकास करने का आह्वान करते हैं ताकि सुनिश्चित हो कि अर्हता की अपेक्षाओं एवं प्रक्रियाओं, तकनीकी मानकों तथा लाइसेंस की आवश्यकताओं एवं प्रक्रियाओं से संबंधित उपाय सेवाओं में व्यापार के लिए अनावश्यक का निर्माण न करें।

घरेलू विनियमों पर विषयों के विकास पर चर्चा 2016 से घरेलू विनियमों पर कार्यकारी पक्ष (डब्ल्यू पी डी आर) में विश्व व्यापार संगठन में जारी है। समेकित पाठ में लगभग 10 प्रस्तावों का विलय किया गया, जिसे 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में चर्चा के लिए मंत्री स्तरीय दस्तावेज के रूप में रखा गया। भारत ने इस पाठ में सक्रियता से भागीदारी की तथा जीएटीएस के अधिदेश से संगत अर्हता की आवश्यकताओं एवं प्रक्रियाओं तथा विकास के मुद्दों सहित सेवाओं की आपूर्ति करने वाले प्राकृतिक व्यक्तियों की बाधाओं को दूर करने वाले वाणिज्यिक दृष्टि से सार्थक विषयों को शामिल करने का सुझाव दिया। आगे की राह के रूप में भारत ने सेवाओं में व्यापार सुगमता के लिए भारतीय प्रस्ताव के कुछ घटकों को शामिल करते हुए सेवाओं पर एक सुगठित एमसी 11 पश्चात कार्य योजना का प्रस्ताव किया जिसमें 2009 और 2011 के अध्यक्षाओं की रिपोर्टों के अनुसार मोड 4 से संबंधित घटक तथा डीआर विषय शामिल थे। चूंकि इन मुद्दों पर कोई सर्वसम्मति नहीं बन पायी इसलिए 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में घरेलू विनियमों पर किसी मंत्री स्तरीय निर्णय या कार्य योजना पर सहमति नहीं हो सकी।

ख) ई-कामर्स

11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ई-कामर्स में भागीदारी की विधियों को लेकर विचारों में बहुत भिन्नता थी। भारत तथा असंख्य विकासशील देशों की यह राय थी कि ई-कामर्स पर 1998 की मौजूदा कार्य योजना जारी रहनी चाहिए, जबकि अन्योंने ने महा परिषद के तहत कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा को औपचारिक रूप देकर एक फास्ट ट्रैक अप्रोच अपनाने की इच्छा जाहिर की। अंत में 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन ने ई-कामर्स पर नैरोबी मंत्री स्तरीय निर्णय का मोटे तौर पर समर्थन किया जो यह चाहता है कि 1998 की कार्य योजना के तहत कार्य जारी रहे (डब्ल्यूटीओ/एल/274); कार्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाए; जुलाई एवं दिसंबर 2018 और जुलाई 2019 के इसके सत्रों में आवधिक समीक्षा करने और मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अगली बैठक को रिपोर्ट करने के लिए महापरिषद को हिदायत दी जाए। सदस्य ट्रिप्स का उल्लंघन न करने वाले अनुपालकों पर शुल्क स्थगन को जारी रखने के साथ 2019 में अगली बैठक तक इलेक्ट्रॉनिक पारेषण पर कस्टम ड्यूटी न लगाने की वर्तमान प्रथा को बनाए रखने पर सहमत हुए।

20. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड)

- जीएसटी व्यवस्था में राजस्व विभाग द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों को शून्य दर पर आपूर्ति का सुनिश्चय किया गया है। जीएसटी के मुद्दों के संबंध में प्रक्रियागत कठिनाइयों को दूर करने / स्पष्ट करने के लिए स्थानीय जीएसटी प्रशासन / विकास आयुक्त के साथ मिलकर विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ओपन हाउस का आयोजन किया जा रहा है।
- केन्द्र सरकार ने का.आ. 968 (अ) दिनांक 8 अप्रैल 2015 के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की यूनिटों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी तथा आईआरडीए द्वारा निर्मित प्रचालन के नियमों को अधिसूचित किया है।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों से बंदरगाहों तक आयात और निर्यात के लिए माल के मूवमेंट के लिए कागज रहित लेनदेन को सुगम बनाने के उद्देश्य से एसईजेड आनलाइन प्रणाली को सीमा शुल्क की आइसगेट प्रणाली से जोड़ा गया है।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण को कारगर बनाने के लिए 16 फरवरी 2016 को विद्युत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

- शुरू में एसईजेड अधिनियम 2005 के तहत अधिकृत प्रचालन से संबंधित मामलों, लेनदेन तथा माल एवं सेवाओं के संबंध में लेखा परीक्षा, मांग, रिफंड, न्याय निर्णयन, समीक्षा और अपील के लिए कोई प्रावधान नहीं था। केन्द्र सरकार ने जीएसआर 772 (ई) दिनांक 5 अगस्त 2016 के माध्यम से इस संबंध में नियमावली अधिसूचित की है।

21. निर्यात ऋण से संबंधित मुद्दों पर फोकस

भारतीय एग्जिम बैंक तथा ईसीजीसी के माध्यम से विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशेष ऋणों तथा वाणिज्य विभाग की क्रेता ऋण योजना के माध्यम से विशेष रूप से अवसरचनना की अधिक मांग वाले उभरते बाजारों में परियोजना निर्यात को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह अन्य बातों के साथ भारतीय व्यवसायियों को दीर्घावधिक कारोबारी संबंध विकसित करने में समर्थ बनाना जारी रखेगा, भारत के निर्यातों की सरलता से स्वीकृति को सुगम बनाएगा और भारतीय उत्पादों की दृष्टिगोचरता का निर्माण करेगा। इसके अलावा एग्जिम बैंक नए बाजारों में, विशेष रूप से दक्षिण एशिया, अफ्रीका, सीआईएस और लैटिन अमेरिका में हमारे निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए 'रिवाल्विंग क्रेडिट' की संकल्पना पर अध्ययन करेगा। एग्जिम बैंक अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसियों जैसे कि अफ्रीकी विकास बैंक, इंटर अमेरिकन डवलपमेंट बैंक, कैरीबियन बैंक आदि के साथ मजबूत संबंधों का विकास करने की संभावना का भी पता लगाएगा। नए या कठिन बाजारों को निर्यात करने वाले निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई निर्यातकों को बीमा कवर बढ़ाने के लिए ईसीजीसी की सहायता की जाएगी।

ईसीजीसी: यह एक अग्रणी निर्यात क्रेडिट एजेंसी है तथा इसके पोर्टफोलियो में लगभग 20000 भिन्न निर्यातक हैं जिसमें से 85 प्रतिशत निर्यातक एमएसएमई हैं। ईसीजीसी को तीन वर्षों में 2000 करोड़ रुपए की नई पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी तथा 1000 करोड़ रुपए की पूंजी इसी साल प्रदान की जा रही है ताकि यह भारी संख्या में निर्यातकों की मदद कर सके। ईसीजीसी ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 7000 करोड़ रुपए के दावों का निस्तारण किया है जिसने निर्यातकों को सहायता बैंकिंग प्रणाली को राहत प्रदान की है।

22. डिजिटिकरण तथा पीएफएमएस

इस कार्यालय के सभी पीएओ (दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई) में पीएफएमएस का सफल कार्यान्वयन शुरू किया गया है। डिजिटिकरण के लिए ईड टू ईड आनलाइन भुगतान के लिए पीएफएमएस के ईएटी माड्यूल एवं डीबीटी माड्यूल का कार्यान्वयन किया गया है। पीएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए बिलों के लिए कुछ हद तक प्रीचेक और भुगतान का कार्य भी किया जाता है। मंत्री महोदय के अनुमोदन से एक कार्य योजना तैयार की गई है तथा सीजीए के निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2018 तक सभी एनसीडीडीओ में 100 प्रतिशत ईआईएस कार्यान्वित किया जाना है। वर्ष 2016-17 में मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुदेशों पर डीबीटी को वाणिज्य विभाग की 7 योजनाओं में सफलता के साथ लागू किया गया।

23. गुणवत्ता मानक

सरकार भारत को विनिर्माण एवं निर्यात केंद्र में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने पर बल देने की आवश्यकता होगी। कीटनाशकों, रोगाणुओं, गैर कानूनी डाई आदि की मौजूदगी के कारण अनेक भारतीय उत्पाद गुणवत्ता जांच में फेल हो जाते हैं। उच्चतर गुणवत्ता मानकों को अपनाने में फर्मों की सहायता करने तथा निम्न कोटि के आयात से भारतीय उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए भी गुणवत्ता एवं अवसरचनना का उन्नयन करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। अधिक मात्रा में वैश्विक स्तर पर प्रत्यायित परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, भारतीय

परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने तथा साझेदार देशों के साथ परस्पर मान्यता करारों (एमआरए) फोकस के क्षेत्र होंगे।

उपभोक्ताओं की रक्षा करने, उत्पादित माल की गुणवत्ता बढ़ाने तथा सर्वाधिक सूक्ष्म दर्शी बाजारों को भी निर्यात के लिए भारत की क्षमता बढ़ाने के लिए अपेक्षित उपायों पर एक रोड मैप विकसित किया गया है। देश में अच्छे उत्पादों का उत्पादन करने की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करने के लिए नई दिल्ली तथा विभिन्न क्षेत्रों में वार्षिक आधार पर मानक गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। एक दीर्घावधिक ब्रांड रणनीति तैयार की गई है तथा कार्यान्वयन के अधीन है ताकि भारत अपने दम पर अत्याधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक परिवेश में अपनी छाप छोड़ सके और यह सुनिश्चित हो कि इंडिया ब्रांड उच्च गुणवत्ता का पर्याय बन गया है। इसके अलावा भौगोलिक लक्षणों के रूप में पंजीकृत उत्पादों की ब्रांडिंग एवं वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देने तथा उनके निर्यात को सुगम बनाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है।

24. पाटनरोधी तथा डीजीटीआर

वाणिज्य विभाग के अधीन पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) की भूमिका देश के घरेलू उद्योग को विदेशी निर्यातकों के साथ समान अवसर प्रदान करना है ताकि वे घरेलू बाजार में प्रभावी ढंग से होड़ करने में समर्थ हो सकें। यह कदम डब्ल्यूटीओ करार के तहत उठाया गया है तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा इसके तहत बनाई गई नियमावली के अधीन आता है।

अगस्त 2017 में डीजीएडी की अन्वेषण प्रक्रियाएं आईएसओ 9001:2015 अनुपालक हो गई जिससे डीजीएडी के प्रचालनों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही उत्पन्न हुई है। विभाग ने अपने कार्यों एवं गतिविधियों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का विकास किया है। ये मानक प्रचालन प्रक्रियाएं गुणवत्ता मैनुअल तथा प्रक्रियाओं में कूटबद्ध हैं।

25. मध्यम अवधि व्यय रूपरेखा, सभी योजनाओं का मूल्यांकन किया गया

चूंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने वाली है, वाणिज्य विभाग की सभी मौजूदा एवं नई योजनाओं के लिए 14वें वित्त आयोग की मध्यम अवधि व्यय रूपरेखा (2017-18 से 2019-20) के लिए पूर्ण एवं गहन मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी की गई। वाणिज्य विभाग में केन्द्रीय क्षेत्र की 7 योजनाएं हैं अर्थात् बाजार पहुंच पहल, चाय विकास एवं संवर्धन, समेकित कॉफी विकास परियोजना, रबर क्षेत्र का संपोषणीय एवं समावेशी विकास, ईसीजीसी में पूंजी का निवेश, 500 करोड़ रुपए के प्रस्तावित परिव्यय के साथ एनईआईए न्यास तथा अपेडा में सहायता अनुदान (कारपस) का अंशदान जिसे 2019-20 तक जारी रखना है। सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति द्वारा सभी सात योजनाओं के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

मसाला बोर्ड, मपेडा, काजू निर्यात संवर्धन परिषद, सीआरआईटी, आईआईपी (अवसरचनना सुविधाओं का उन्नयन) निर्यात बंधु, विदेश व्यापार महानिदेशालय में आईटी की अवसरचनना का आधुनिकीकरण, रत्न एवं आभूषण उद्योग के लिए सीएफसी की स्थापना, एफडीडीआई के कैपस नेटवर्क केन्द्र तथा आईआईपी की स्थापना (बंगलौर में आईआईपी बंगलौर केन्द्र की स्थापना) जिसका परिव्यय 500 करोड़ रुपए से कम है, जैसी योजनाओं का मूल्यांकन किया गया है, स्थायी वित्त समिति द्वारा आकलन किया गया है तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। ■

संगठनात्मक संरचना तथा कार्य



विजन एवं मिशन

वाणिज्य विभाग का दीर्घकालिक विजन भारत को विश्व व्यापार में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाना और भारत के बढ़ते हुए महत्व के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों में नेतृत्व की भूमिका निभाने में देश को समर्थ बनाना है।

कार्य

विभाग विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी) तैयार करता है, कार्यान्वित करता है और निगरानी करता है, जो निर्यात एवं व्यापार के संवर्धन के लिए अपनाई जाने वाली नीति एवं रणनीति की बुनियादी रूपरेखा प्रदान करती है। घरेलू एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरते आर्थिक परिदृश्यों का ध्यान रखने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करने हेतु व्यापार नीति की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, विभाग को बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राज्य व्यापार, निर्यात संवर्धन एवं व्यापार सुगमता तथा कतिपय निर्यात उन्मुख उद्योगों एवं वस्तुओं के विकास एवं विनियमन से संबंधित जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। कार्य आवंटन नियमावली, 1961 के अनुसरण में विभाग को आवंटित किए गए कार्य का विवरण अनुबंध 1.1 में दिया गया है।

विभाग की अध्यक्षता सचिव द्वारा की जाती है जिनकी सहायता एक विशेष सचिव, एक अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, दो अपर सचिवों, 12 संयुक्त सचिवों तथा संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों एवं अनेक अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

कार्य की दृष्टि से विभाग को निम्नलिखित 9 प्रभागों में बांटा गया है:

1. अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति प्रभाग
2. विदेश व्यापार क्षेत्र प्रभाग
3. निर्यात उत्पाद प्रभाग
4. निर्यात उद्योग प्रभाग
5. निर्यात सेवा प्रभाग
6. आर्थिक प्रभाग
7. प्रशासन एवं सामान्य सेवा प्रभाग
8. वित्त प्रभाग
9. आपूर्ति प्रभाग

जो विभिन्न कार्यालय / संगठन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है: (क) दो संबद्ध कार्यालय, (ख) दस अधीनस्थ कार्यालय, (ग) दस स्वायत्त निकाय, (घ) पांच सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, (ङ) एक सलाहकार निकाय, (च) चौदह निर्यात संवर्धन परिषद, और (छ) पांच अन्य संगठन। पत्राचार के लिए पता सहित इन कार्यालयों/संगठनों की पूर्ण सूची अनुबंध 1 में दी गई है।

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालयों / संगठनों के विस्तृत संगठनात्मक ढांचे तथा प्रमुख भूमिकाओं एवं कार्यों पर यहां नीचे चर्चा की गई है:

(क) संबद्ध कार्यालय

(1) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी जी एफ टी)

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी जी एफ टी) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है तथा विदेश व्यापार महानिदेशक इसके अध्यक्ष हैं। 1991 में जब इसकी शुरुआत हुई है, जब सरकार की आर्थिक नीतियों में उदारीकरण शुरू हुआ, तब से यह निदेशालय विदेश व्यापार को विनियमित करने एवं बढ़ावा देने के काम में अनिवार्य रूप से लगा हुआ है। उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण तथा निर्यात बढ़ाने के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखकर तब से विदेश व्यापार महानिदेशालय को सूत्रधार की भूमिका सौंपी गई है। देश के हितों को ध्यान में रखकर आयात/निर्यात के नियंत्रण/निषेध के स्थान पर निर्यात/आयात के संवर्धन एवं सुगमता पर बल दिया गया।

संगठनात्मक ढांचा

नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ इस निदेशालय के मुखिया विदेश व्यापार महानिदेशक हैं। यह विदेश व्यापार नीति तैयार करने में सरकार की मदद करता है और भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति के तहत स्कीमों एवं विदेश व्यापार नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा यह विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 तथा इसके तहत अधिसूचित नियमों एवं विनियमों के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। डीजीएफटी निर्यातकों को अनुज्ञप्ति भी जारी करता है तथा 38 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा इंदौर में एक विस्तार काउंटर के नेटवर्क के माध्यम से उनकी तदनुसारी बाध्यताओं की निगरानी करता है।

सभी क्षेत्रीय कार्यालय अंतराष्ट्रीय व्यापार के घटनाक्रमों अर्थात् डब्ल्यू टी ओ करार, उत्पत्ति नियमावली तथा पाटनरोधी मुद्दों आदि पर निर्यातकों को सहायता एवं सूचना प्रदान करते हैं ताकि अंतराष्ट्रीय स्तर पर गतिशील परिवेश में निर्यात एवं आयात संबंधी उनके निर्णयों में उन्हें मदद मिल सके।

(2) सरकारी ई-मार्केट प्लेस - विशेष प्रयोजन वाहन (जीईएम एसपीवी)

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अप्रैल 2017 को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के संगठनों द्वारा अपेक्षित माल एवं सेवाओं के प्रापण के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी के रूप में राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल के रूप में एक विशेष प्रयोजन वाहन के गठन के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया जिसे सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम एसपीवी) कहा जाएगा। जीईएम एसपीवी के गठन को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 2017 तक आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय को बंद करने के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया। बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई तथा आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के पूरे भारत में स्थित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/निदेशालयों को बंद कर दिया गया। आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय की बंदी को 31 अक्टूबर 2017 को प्रभावी किया गया।

(3) पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी जी ए डी)

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय का गठन अप्रैल, 1998 में हुआ

तथा भारत सरकार में अपर सचिव के स्तर के नामोद्दिष्ट प्राधिकारी इसके अध्यक्ष हैं जिनको लागत निर्धारण के मुद्दों पर प्रधान सलाहकार (लागत) और संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी द्वारा सलाह प्रदान की जाती है। इसके अलावा पाटन रोधी, सब्सिडी रोधी, पाटन रोधी शुल्क जांच की तरकीब आदि जैसी विभिन्न जांचों के संचालन के लिए विविधतापूर्ण अनुभव वाले जांच एवं लागत अधिकारी हैं। यह निदेशालय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के तहत जांच करने तथा अपेक्षा के अनुसार अभिचिह्नित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क/प्रतिकार शुल्क की राशि के बारे में सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है, जो घरेलू उद्योग को नुकसान से बचाने के लिए पर्याप्त होगा।

(ख) अधीनस्थ कार्यालय

(1) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस)

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण के अधीन वाणिज्य विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है। कोलकाता में इसका कार्यालय स्थित है तथा इसके मुखिया महानिदेशक होते हैं। इसे नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, व्यापारियों और अंतराष्ट्रीय संगठनों द्वारा अपेक्षित व्यापार सांख्यिकी एवं विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक सूचना का संग्रहण करने, संकलन करने और प्रसार करने का कार्य सौंपा गया है। यह भारत की विदेश व्यापार सांख्यिकी के संकलन एवं प्रसार के लिए आई एस ओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश में पहला बड़ा डाटा प्रसंस्करण संगठन है जिसे इस वर्ष के दौरान आईएसओ 9001 : 2015 में अपग्रेड किया गया है।

(2) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड) विकास आयुक्त का कार्यालय

विशेष आर्थिक क्षेत्र नामक स्कीम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं - अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन, माल एवं सेवाओं के निर्यात का संवर्धन, घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश का संवर्धन, रोजगार के अवसरों का सृजन तथा आधारभूत सुविधाओं का विकास। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम/नियमावली के अनुसार जब तक विशिष्ट रूप से छूट न दी गई हो, भारत के सभी कानून विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर लागू होते हैं। प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र का अध्यक्ष एक विकास आयुक्त होता है तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2006 के अनुसार इसे अभिशासित किया जाता है। विनिर्माण, व्यापार या सेवा की गतिविधियों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिटें स्थापित की जा सकती हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिटों को निबल विदेशी मुद्रा अर्जक होना होता है परंतु वे पहले से निर्धारित किसी मूल्य अभिवृद्धि (रल एवं आभूषण यूनिटों को छोड़कर) या न्यूनतम निर्यात तरजीह जैसी अपेक्षाओं के अधीन नहीं होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिटों से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री को निर्यात की जाने वाली वस्तु के रूप में माना जाता है तथा वे लागू सीमा शुल्क के भुगतान के अधीन होते हैं।

(3) वेतन एवं लेखा कार्यालय (आपूर्ति)

डीजीएस एंड डी सहित आपूर्ति प्रभाग के भुगतान एवं लेखांकन का कार्य इसके नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई स्थित क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से विभागीय लेखांकन पद्धति के तहत मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय (आपूर्ति प्रभाग) द्वारा किया जाता है। 31 अक्टूबर 2017 से आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय को बंद करने के बारे में मंत्रिमंडल के निर्णय के फलस्वरूप सीसीए (प्रणाली) का कार्यालय बंद कर दिया गया है तथा अब नई दिल्ली एवं कोलकाता में मामूली स्टाफ तथा 3 पीएओ के साथ सीसीए (वाणिज्य) द्वारा शेष कार्य संभाला जा रहा है।

(4) वेतन एवं लेखा कार्यालय (वाणिज्य एवं वस्त्र)

वाणिज्य विभाग एवं कपड़ा मंत्रालय का वेतन एवं लेखा कार्यालय दिल्ली में चार, चेन्नई, मुंबई एवं कोलकाता में दो-दो विभागीय वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से दावों के भुगतान, लेन-देन के लेखांकन, लेखाओं के समेकन तथा अन्य संबद्ध मामलों जैसे कि पेंशन को अंतिम रूप देना एवं भुगतान करना तथा जीपीएफ के अंतिम मामलों का भुगतान, ऋण एवं अग्रिम, सहायता अनुदान का भुगतान, जीपीएफ / सीपीएफ, एनपीएस, एलएससी एवं पीसी आदि के अनुक्षण के लिए जिम्मेदार है। सीसीए कार्यालय सभी डीडीओ में पीएफएमएस (ईआईएस) के साथ सभी कार्यान्वयन एजेंसियों और सीडीडीओ में क्रमशः पीएफएमएस (आईएटी / डीबीट) तथा सीडीडीओ (पीएफएसएस) माड्यूल कार्यान्वित कर रहा है।

नई दिल्ली स्थित प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा इन विभागीय वेतन एवं लेखा कार्यालयों का नियंत्रण किया जाता है तथा मुख्य लेखा नियंत्रक विभाग के लेखा

प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक बजट निर्माण, व्यय की निगरानी एवं नियंत्रण में वित्तीय सलाहकार को सभी सहायता प्रदान करते हैं, वित्तीय सेवा प्रणाली के कामकाज, एफ आर बी एम अधिनियम के तहत अपेक्षा के अनुसार प्रकटन विवरण तैयार करने, वार्षिक वित्त रिपोर्ट एवं परिणाम बजट तथा प्रणाली रिपोर्ट तैयार करने, वार्षिक / पंचवर्षीय योजना, अनुमान एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियों का प्रवाह आदि तैयार करने में पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। निर्धारित प्रक्रिया के कार्यान्वयन एवं लेखांकन का अध्ययन करने के लिए सी सी ए के नियंत्रण में एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे सही, पर्याप्त/ एवं किसी दोष से मुक्त हों।

(ग) स्वायत्त निकाय

(1) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड कॉफी अधिनियम, 1942 के तहत गठित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक संगठन है। बोर्ड में कुल 33 सदस्य हैं। कॉफी बोर्ड का सचिव बोर्ड के सदस्यों में से एक है तथा इसके 31 अन्य सदस्य हैं जिसमें संसद सदस्य तथा कॉफी उद्योग के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल हैं। कॉफी बोर्ड अपनी गतिविधियों को अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार आसूचना, बाहरी एवं आंतरिक संवर्धन तथा कल्याण के उपायों पर संकेंद्रित करता है। कॉफी बोर्ड बंगलुरु में अपने प्रधान कार्यालय तथा केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्र अर्थात् बालेहोनूर, जिला चिकमगलूर, कर्नाटक में केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान (सी सी आर आई) और चेताली (कर्नाटक) में एक उप केन्द्र तथा चुंडाले (केरल), थांडीगुडी (तमिलनाडु), नसीपटनम (आंध्र प्रदेश) एवं डीफू (असम) में क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों तथा कॉफी का उत्पादन करने वाले परंपरागत क्षेत्रों (कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु), गैर परंपरागत क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश और ओडिशा) तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश) में फैली अपनी विस्तार यूनिटों के माध्यम से काम करता है।

(2) रबर बोर्ड

रबर अधिनियम, 1947 की धारा (4) के तहत गठित रबर बोर्ड एक सांविधिक संगठन है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष बोर्ड के मुखिया हैं तथा इसमें प्राकृतिक रबर उद्योग के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 27 सदस्य हैं। बोर्ड की निष्पादन संबंधी शक्तियां कार्यपालक निदेशक के पास हैं। बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम, केरल में स्थित है। भारतीय रबर उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से संबंधित विकासात्मक एवं विनियामक कार्यों का निर्वहन प्राकृतिक रबर (एन आर) से संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार और प्रशिक्षण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके और मदद प्रदान करके बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड के कार्यों में रबर की सांख्यिकी का अनुरक्षण, रबर के विपणन को प्रोत्साहित करना तथा श्रमिकों के कल्याण से संबंधित कार्य करना भी शामिल है। अर्थात् भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान (आर आर आई आई) कोट्टायम, केरल में स्थित है तथा इसके 10 क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र हैं जो रबर का उत्पादन करने वाले देश के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं।

(3) चाय बोर्ड

भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास के लिए अधिनियम में परिकल्पित विभिन्न कार्यों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए चाय बोर्ड चाय अधिनियम 1953 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। अध्यक्ष सहित चाय बोर्ड के सदस्यों की संख्या 31 है। बोर्ड का कार्यकाल तीन साल का होता है। उपाध्यक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है तथा दो कार्यपालक निदेशक हैं जिन्हें असम में गोवाहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय तथा कुन्नूर, तमिलनाडु में दक्षिण भारत के लिए क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात किया गया है। छोटे उत्पादकों सहित उत्पादकों के लिए अधिकतम प्रतिफल का सुनिश्चित करने, मजदूरों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने, व्यापार को सुगम बनाने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करके बोर्ड शीर्ष निकाय के रूप में काम करता है।

(4) तंबाकू बोर्ड

तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 के अंतर्गत 1 जनवरी 1976 को एक सांविधिक निकाय के रूप में तंबाकू बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर, आंध्र प्रदेश में है तथा इसके अध्यक्ष बोर्ड के मुखिया हैं और तंबाकू उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि बोर्ड का प्राथमिक कार्य सभी किस्म के तंबाकू एवं इसके संबद्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है,

इसके कार्य फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफ सी वी) तंबाकू के उत्पादन, वितरण (घरेलू उपभोग एवं निर्यात के लिए) और विनियमन से भी जुड़े हैं।

(5) मसाला बोर्ड

मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत 26 फरवरी 1987 को एक सांविधिक निकाय के रूप में मसाला बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड के मुखिया एक अध्यक्ष हैं और इसका प्रधान कार्यालय कोच्चि में है। मसाला बोर्ड इलायची उद्योग के विकास तथा मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की अनुसूची में निर्धारित 52 मसालों के निर्यात के संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड के प्राथमिक कार्यों में छोटी एवं बड़ी इलायची का विकास, मसालों के निर्यात का संवर्धन, विकास एवं विनियमन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मसालों एवं जैविक मसालों का विकास शामिल है। बोर्ड मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण है तथा इलायची के डीलरों एवं नीलामीकर्ताओं को प्रमाण पत्र जारी करता है। बोर्ड मसाला प्रसंस्करण में अवसंरचना सहायता सुधार जैसी परियोजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित करता है, मसालों के औषधीय गुणों, नए उत्पादों के विकास, प्रसंस्करण, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग में सुधार पर अध्ययन एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है, मसाला पार्कों की स्थापना करता है, निर्यात के लिए गुणवत्ता नियंत्रण एवं उन्नयन तथा मूल्यों में स्थिरता लाने का कार्य करता है। इलायची की ई-नीलामी के माध्यम से पंजीकृत / लाइसेंसी नीलामीकर्ता और डीलर घरेलू विपणन को सुगम बनाते हैं।

(6) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए)

संसद के एक अधिनियम (1972 की संख्या 13) के तहत 1972 में एक सांविधिक निकाय के रूप में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इस प्राधिकरण का मुखिया अध्यक्ष है तथा इसका मुख्यालय कोच्चि में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय भारत के सभी समुद्री राज्यों में हैं। यह प्राधिकरण समुद्री निर्यात पर विशेष बल के साथ समुद्री उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है।

(7) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए)

दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए) का गठन किया गया। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा अध्यक्ष इसके मुखिया हैं। अपेक्षा 30 वर्षों से कृषि निर्यात समुदाय की सेवा कर रहा है। देश के विभिन्न भागों में स्थित निर्यातकों तक पहुंचने के उद्देश्य से अपेक्षा ने मुंबई, बंगलौर, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में 5 क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया है।

(8) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ई आई सी)

गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार का स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने तथा इससे संबंधित मामलों के लिए निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत 1 जनवरी 1964 को निर्यात निरीक्षण परिषद (ई आई सी) का गठन किया गया। निर्यात निरीक्षण परिषद केन्द्र सरकार की एक सलाहकार संस्था है जिसका कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष इसका मुखिया होता है। निदेशक, निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण निर्यात निरीक्षण परिषद का कार्यपालक प्रमुख है जो निर्यात के लिए आशयित तथा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम 1963 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित विभिन्न वस्तुओं के लदान पूर्व अनिवार्य निरीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है।

आज निर्यात निरीक्षण परिषद निर्यातकों को अतृप्त बाजारों के लिए गेटवे की गारंटी देती है तथा आयातक देशों को यह आश्वासन देती है कि भारत से आयात किए गए खाद्य एवं संबद्ध उत्पाद मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हैं तथा वे कठोर अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं। निर्यात निरीक्षण परिषद नई दिल्ली में स्थित है जबकि निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम 1963 के तहत निर्यात के लिए अधिसूचित वस्तुओं के गुणवत्ता नियंत्रण, नियंत्रण एवं प्रमाणन का कार्य संपन्न करने के लिए जिम्मेदार पांच ईआईसी के मुख्यालय चेन्नई, दिल्ली, कोच्चि, कोलकाता और मुंबई में हैं तथा इनमें से प्रत्येक के अधीन उप कार्यालय (30 उप कार्यालयों का नेटवर्क) भी हैं। इन स्थानों पर निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में महत्वपूर्ण बंदरगाहों और औद्योगिक केन्द्रों में आईएसओ 17025 पर आधारित एनबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाएं हैं। इसकी प्रयोगशालाओं के नेटवर्क में संगठन द्वारा विश्वसनीय

तृतीय पक्षकार प्रमाणन हेतु सूक्ष्म जीवाणु जांच के लिए विभिन्न उप कार्यालयों से संबद्ध अनेक फील्ड प्रयोगशालाओं के अलावा चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता और मुंबई में मुख्य खाद्य प्रयोगशालाएं शामिल हैं जहां अधुनातन सुविधाएं उपलब्ध हैं।

प्रतियोगी विश्व व्यापी निर्यात बाजार स्थल उच्च गुणवत्ता आश्वासन समाधानों की मांग करता है जो आज की आवश्यकताओं को कारगर ढंग से पूरा करते हैं तथा कल की चुनौतियों का समाधान करते हैं। निर्यात निरीक्षण परिषद निर्यातकों तथा अन्य नामित प्राधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करके और पंजीकृत करके 1 जनवरी 2017 से कार्यान्वित पंजीकृत निर्यातक (आरईएक्स) प्रणाली के तहत यूरोपीय संघ की सामान्य तरजीह प्रणाली (जीएसपी) के लिए माल की उत्पत्ति के प्रमाणन के लिए नई प्रणाली के कार्यान्वयन में सहायक भागीदार रही है।

अंग्रेजी और हिंदी में माल के रखरखाव पर गाइड का विकास करके निर्यात निरीक्षण परिषद निर्यातकों की सक्रियता से सहायता कर रही है। परिष्कृत कौशल विकास प्रदान करने के लिए मुंबई में खाद्य सुरक्षा एवं अनुप्रयुक्त पोषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र का विकास करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद, एफएसएसएआई और जीएफएसपी के बीच सहयोग की व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा निर्यात निरीक्षण परिषद को भारत सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित करके यूरोपीय संघ को अंकुरित बीज के निर्यात तथा मेसिडोनिया को मूंगफली एवं मूंगफली के उत्पादों के निर्यात की अतिरिक्त नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(9) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई आई एफ टी)

विदेश व्यापार एवं संबद्ध अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर बल के साथ 2 मई, 1963 को भारत सरकार द्वारा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई आई एफ टी) का गठन किया गया। 53 वर्षों में संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए अपने अकादमिक गतिविधियों के दायरे और आयाम का विस्तार किया है। आज, भारत में एवं विदेशों में भी इसके ज्ञान एवं संसाधन आधार, समृद्ध विरासत तथा पुराने विद्यार्थियों के मजबूत नेटवर्क के लिए संस्थान को बड़े पैमाने पर पहचान प्राप्त है।

(10) भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आई आई पी)

भारतीय पैकेजिंग संस्थान पैकेजिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना प्रमुख पैकेजिंग एवं संबद्ध उद्योगों और वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में 14 मई, 1966 को की गई। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य नवाचारी पैकेज डिजाइन एवं विकास के रूप में निर्यात को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय स्तर पर पैकेजिंग के मानकों का उन्नयन करना भी है। संस्थान का प्रधान कार्यालय मुंबई में है और इसकी शाखाएं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद और अहमदाबाद में स्थित हैं। संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि विश्व पैकेजिंग संगठन (डब्ल्यू पी ओ) और एशियाई पैकेजिंग परिसंघ (ए पी एफ) के साथ उत्कृष्ट संबंध स्थापित किए हैं।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यू)

(1) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस टी सी)

मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार करने तथा देश से निर्यात को विकसित करने में निजी व्यापार एवं उद्योग के प्रयासों को संपूरित करने के लिए 18 मई, 1956 को एसटीसी का गठन किया गया। तब से एस टी सी ने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने व्यापक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं (जैसे कि गेहूँ, दलहन, चीनी, खाद्य तेल आदि) तथा औद्योगिक कच्चे माल का भारत में आयात करने की व्यवस्था की है तथा भारत से काफी संख्या में मर्दों के निर्यात को विकसित करने में भी काफी योगदान दिया है। थोक वस्तुओं के निर्यात / आयात को संभालना एसटीसी की प्रमुख ताकत है। पिछले कुछ वर्षों में एस टी सी ने इस्पात, लौह अयस्क, शीरे, रेड सैंडर्स के निर्यात तथा बुलियन, हाइड्रोकार्बन, खनिजों, धातुओं, अयस्कों, उर्वरकों, पेट्रो रसायनों आदि के आयात में भी कदम रखा है। हाल के वर्षों में, एस टी सी ने घरेलू मोर्चे पर तंबाकू उत्पादकों को उर्वरकों का वितरण करने, किसानों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इलायची की नीलामी का संचालन करने, एस टी सी ब्रांड के तहत सोने के सिक्कों / चांदी के प्राचीन तमगों तथा कम मात्रा में माल की बिक्री करने का काम भी शुरू किया है।

एसटीसीएल लिमिटेड जो एसटीसी की एक सहायक कंपनी है, बंद होने की प्रक्रिया में है तथा इसने 2014-15 से अपनी सभी कारोबारी गतिविधियों को बंद कर दिया है।

(2) एमएमटीसी लिमिटेड

मुख्य रूप से खनिजों एवं अयस्कों के निर्यात तथा अलौह धातुओं के आयात का काम करने के लिए 1963 में एक स्वतंत्र संस्था के रूप में एम एम टी सी लिमिटेड का गठन किया गया। पिछले कुछ वर्षों में, राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा विभिन्न वस्तुओं का आयात एवं निर्यात सहित कारोबार के नए अवसरों को ध्यान में रखते हुए एम एम टी सी ने व्यवसाय के अपने क्षेत्र का विस्तार किया है। उर्वरक, इस्पात, हीरा, बुलियन, कृषि आदि जैसी वस्तुओं को उत्तरोत्तर कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल किया गया।

लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क / कंसंट्रेट तथा यूरिया के आयात के लिए उत्प्रेरक एजेंसी के रूप में काम करने के अलावा एमएमटीसी सोना और चांदी के आयात, संप्रभु भारत के सोने के सिक्कों की बिक्री, दालों के आयात, कृषि उत्पादों, उर्वरकों, कोयला, इस्पात, अलौह धातुओं, पिंग आयन आदि जैसी अन्य वस्तुओं में व्यापार तथा एनआईएनएल, एमएमटीसी पीएएमपी, एफटीडब्ल्यूजेड आदि जैसे व्यापार संबद्ध संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए नामित एजेंसियों में से एक के रूप में काम करता है।

सहायक कंपनी

एम एम टी सी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (एम टी पी एल) एमएमटीसी की पूर्णतः स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है तथा इसे अक्टूबर 1994 में 1 मिलियन अमरीकी डालर की शेयर पूंजी के साथ सिंगापुर के कानूनों के तहत निगमित किया गया। शुरुआत से, यह कंपनी वस्तुओं का व्यापार करती है और इसने सिंगापुर में अपने आपको विश्वसनीय एवं प्रतिष्ठित व्यापार कंपनी के रूप में स्थापित किया है।

(3) पीईसी लिमिटेड

पी ई सी लिमिटेड को “दि प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड” के रूप में 1971 में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया। 25 नवंबर 1997 को कंपनी का नाम बदलकर पी ई सी लिमिटेड रखा गया। पीईसी लिमिटेड के मुख्य कार्यों में परियोजनाओं, इंजीनियरिंग उपकरण तथा रक्षा उपकरण का निर्यात, बुलियन का आयात तथा औद्योगिक कच्चा माल एवं कृषि वस्तुओं का व्यापार शामिल है।

(4) पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीजीसी लिमिटेड)

ईसीजीसी स्वयं संपोषणीय आधार पर निर्यातकों और बैंकों को निर्यात क्रेडिट बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम 1953 के तहत 1957 में गठित भारत सरकार की एक प्रमुख निर्यात क्रेडिट एजेंसी (ईसीए) है। लाभार्थियों - निर्यातकों और बैंकों दोनों को बीमा और क्षतिपूर्ति ने देश की समग्र निर्यात उपलब्धियों को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया है। ईसीजीसी निर्यातकों को क्रेडिट बीमा कवर (जो 'पॉलिसी' के नाम से विख्यात है) प्रदान करता है ताकि राजनीतिक और/या वाणिज्यिक जोखिमों के कारण विदेशी क्रेताओं द्वारा निर्यात की देय राशियों का भुगतान न होने के कारण क्षति के विरुद्ध उनकी रक्षा की जा सके। यह लदान पूर्व तथा लदान पश्चात दोनों चरणों पर निर्यातकों को पर्याप्त बैंक क्रेडिट के प्रवाह का सुनिश्चय करने / बढ़ाने के लिए बैंकों को बीमा (जो बैंकों के लिए निर्यात क्रेडिट बीमा - ईसीआईबी के नाम से विख्यात है) भी प्रदान करता है। उपर्युक्त (दोनों योजनाएं अल्पावधि (एसटी) आधार पर किए गए निर्यात अर्थात् अधिक से अधिक 180 दिन की वसूली / क्रेडिट अवधि वाले निर्यात तथा कुछ मामलों में अधिकतम 360 दिन की अवधि वाले निर्यात की क्रेडिट बीमा की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ईसीजीसी मध्यम एवं दीर्घ अवधि (एमएलटी) के निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए भी पॉलिसी एवं ईसीआईबी कवर प्रदान करता है जिसे अन्यथा परियोजना निर्यात कहा जाता है जो 360 दिन से अधिक अवधि के क्रेडिट पर होता है।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए)

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए) एक महत्वपूर्ण नीतिगत लिखत है जो राष्ट्रीय हित में परियोजना निर्यात की सहायता करने और इस प्रकार विदेशों में परियोजनाओं के निष्पादन में भारत की क्षमता पर स्पष्ट प्रभाव को बनाए रखने में भारत सरकार को समर्थ बनाता है। परियोजना निर्यात के लिए अपने कवर के माध्यम से एनईआईए भारतीय परियोजना निर्यातकों को अधिक प्रतियोगी बनने तथा सामरिक दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में मजबूत पकड़ प्राप्त करने में मदद करता है।

भारत से परियोजना निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने

2006 में एनईआईए न्यास का गठन किया जो सामरिक एवं राष्ट्रीय महत्व के हैं। ऐसी परियोजनाओं को क्रेडिट बीमा कवर निजी बाजार में उपलब्ध नहीं है तथा ईसीजीसी बीमांकन की अपनी क्षमता, एक्सपोजर के मानदंडों तथा जोखिम प्रबंधन से जुड़ी अड़चनों के कारण ऐसी परियोजनाओं को बीमा प्रदान करने की स्थिति में नहीं है।

(5) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ)

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ) भारत की एक प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी है जो व्यापार एवं उद्योग जगत को अनेक तरह की सेवाएं प्रदान करता है तथा भारत के व्यापार में वृद्धि के लिए प्रेरक के रूप में काम करता है। आईटीपीओ धारा 8 की कंपनी है तथा इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं : भारत में और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का आयोजन करके और उनमें भाग लेकर लागत प्रभावी ढंग से भारत के घरेलू एवं विदेशी व्यापार का संवर्धन करना; विदेशों में क्रेता - विक्रेता बैठकों एवं संपर्क संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन करना; कारोबारी शिष्टमंडलों के दौरों का आदान प्रदान एवं समन्वय करना तथा विशिष्ट सेक्टरों / बाजारों में व्यापार को सुगम बनाने के लिए आवश्यकता आधारित अनुसंधान करना; भारत में और विदेशों में भी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों की सहायता एवं मदद करना; कोटिपरक व्यापार सूचना का विकास करना और ई-वाणिज्य/ व्यापार को सुगम बनाना; भारत और विदेशों में मेला, प्रदर्शनी, सम्मेलन से संबंधित या उनके सिलसिले में माल एवं सेवाओं में व्यापार के संवर्धन को सुगम बनाना है।

(ड) निर्यात संवर्धन परिषदें (ई पी सी)

इस समय वाणिज्य विभाग के अधीन 14 निर्यात संवर्धन परिषदें हैं। इन परिषदों के नाम एवं पते अनुबंध 1.2 में दिए गए हैं। ये परिषदें कंपनी अधिनियम / सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत लाभ न कमाने वाले संगठन के रूप में पंजीकृत हैं। ये परिषदें सलाहकार और कार्यपालक दोनों तरह की भूमिकाएं निभाती हैं। इन परिषदों की भूमिका एवं कार्य विदेश व्यापार नीति 2015-20 द्वारा निर्दिष्ट हैं। ये परिषदें विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण भी हैं।

(1) भारतीय तिलहन एवं उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आई ओ पी ई पी सी)

भारतीय तिलहन एवं उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आई ओ पी ई पी सी) विभिन्न तिलहनों एवं तेलों के संवर्धन का काम करता है। आईओपीईए के नाम से औपचारिक रूप से विख्यात भारतीय तिलहन एवं उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद का गठन 1956 में हुआ तथा नवंबर 2006 में इसे निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

(2) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सी ई पी सी आई)

काजू उद्योग के सक्रिय सहयोग से वर्ष 1955 में भारत सरकार द्वारा भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) का गठन किया गया। परिषद का प्राथमिक उद्देश्य भारत से काजू की गिरी तथा काजू के शेल लिक्विड के निर्यात को बढ़ावा देना है।

(च) सलाहकार निकाय

(1) व्यापार बोर्ड (बी ओ टी)

विदेश व्यापार नीति विवरण 2015-2020 के पैरा 300 के तहत प्रदान किए गए अधिदेश के अनुसार व्यापार अधिसूचना संख्या 21 दिनांक 23 मार्च 2016 के माध्यम से व्यापार बोर्ड (बी ओ टी) का पुनर्गठन किया गया है। व्यापार बोर्ड का उद्देश्य व्यापार एवं उद्योग जगत के साथ निरंतर चर्चा एवं परामर्श करना है। भारत के व्यापार में तेजी लाने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापार बोर्ड अन्य बातों के साथ विदेश व्यापार नीति से संबंधित नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देगा।

(छ) अन्य संगठन

(1) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफ आई ई ओ)

निर्यात संवर्धन संगठनों के एक शीर्ष निकाय के रूप में 1965 में भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ का गठन किया गया। यह दिल्ली में मुख्यालय के साथ 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। इसे विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के परिशिष्ट 2टी के तहत निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में अभिचिह्नित किया गया है। सभी महानगरों तथा कानपुर, लुधियाना, गुवाहाटी, रांची, इंदौर आदि जैसे शहरों को शामिल करते हुए पूरे देश में इसके 17 कार्यालय हैं। भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ निर्यातकों तथा नीति निर्माताओं के बीच

अंतःक्रिया के लिए प्लेटफार्म के रूप में काम कर रहा है। शीर्ष निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं में भारतीय निर्यात समुदाय के प्रयासों को सुदृढ़ करने में सहायक है। यह आई एस ओ 9001 - 2008 प्रमाणित संगठन है।

निर्यात संवर्धन के लिए शीर्ष संगठन के रूप में भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ की प्रबंध समिति में निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों, अपेडा और मपेडा आदि के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। विदेश व्यापार नीति के अनुसरण में भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ को स्टेटस होल्डर निर्यातक फर्मों तथा अनेक उत्पादों में डील करने वाले निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। यह उत्पत्ति प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) भी प्रदान करता है, जो माल की उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में अपेक्षित होता है। यह 22,000 से अधिक सदस्यों को एकीकृत सहायता प्रदान करने के लिए एक सेवा एजेंसी के रूप में काम करता है, जिसमें सरकार द्वारा प्रदान किए गए मान्यता स्टेटस को धारण करने वाली निर्यात फर्मों, परामर्श फर्मों और सेवा प्रदाता शामिल हैं।

(2) भारतीय हीरा संस्थान (आई डी आई)

हीरा, रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने पर बल के साथ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत तथा बाम्बे सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1950 के तहत भी 1978 में भारतीय हीरा संस्थान (आई डी आई) स्थापित किया गया। आई डी आई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है तथा यह रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की एक परियोजना है। आई डी आई हीरा विनिर्माण, हीरा ग्रेडिंग, आभूषण डिजाइनिंग एवं आभूषण निर्माण के क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा स्तरीय कार्यक्रमों का संचालन करता है, इस प्रकार जेमोलोजी एक छत के नीचे रत्न एवं आभूषण शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल कर रहा है। जीजेईपीसी द्वारा पुनः कौशल प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए ज्ञान प्रदाता के रूप में संस्थान गुजरात के भीतरी भागों में 315 लघु / मध्यम डायमंड / ज्वेलरी विनिर्माताओं को कौशल प्रदान करता है / अपग्रेड करता है। आई डी आई को उद्योग आयुक्तालय, गुजरात सरकार द्वारा एंकर संस्थान - रत्न एवं आभूषण के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है।

(3) फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफ डी डी आई)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा 1986 में फुटवियर उद्योग को कुशल जनशक्ति तथा तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफ डी डी आई) का गठन किया गया। फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अधिनियम 2017 ने इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 5 अक्टूबर 2017 के माध्यम से 16 अक्टूबर 2017 से फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) को "राष्ट्रीय महत्व की संस्था" (आईएनआई) का दर्जा प्रदान किया है।

संस्थान फुटवियर डिजाइन एवं उत्पादन, रिटेल एवं फैशन पण, फैशन लेदर असेसरी डिजाइन एवं रचनात्मक डिजाइन तथा कैड/कैम के क्षेत्र में व्यापक श्रेणी के पेशेवर कार्यक्रमों का संचालन करता है।

(4) राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एन सी टी आई)

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत कंपनी के रूप में 31 मार्च 1995 को राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एन सी टी आई) का निगमन हुआ। कंपनी ने मार्च 1991 से काम करना शुरू किया। मार्च, 1996 : अपने कार्यों के प्रशासन के लिए इसका एक निदेशक मंडल है, जिसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी), भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई आई एफ टी), तथा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के प्रतिनिधि शामिल हैं। अन्य प्रतिनिधि भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ) तथा अन्य निर्यात संवर्धन परिषदों / शीर्ष निकायों से हैं।

(5) मूल्य स्थिरता निधि न्यास (पी एस एफ टी)

मूल्य स्थिरता निधि न्यास (पी एस एफ टी) मूल्य स्थिरता निधि की योजनाओं को संचालित करने के लिए 10 साल की अवधि के लिए 11 सितंबर 2003 को न्यास के रूप में पंजीकृत किया गया। यह न्यास बागान फसलों अर्थात् चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू के लघु उत्पादकों को उस समय वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए जब इन वस्तुओं की कीमत निर्धारित स्तर से नीचे गिर जाती है,

दो योजनाएं अर्थात् मूल्य स्थिरता निधि योजना (2003) और निजी दुर्घटना बीमा योजना (पीएआईएस) (2005) चला रहा था। मूल्य स्थिरता निधि स्कीम के तहत 500 करोड़ रुपए (भारत सरकार के अंशदान के रूप में 482.88 करोड़ रुपए और प्रवेश शुल्क के लिए उत्पादकों के अंशदान के रूप में 17.22 करोड़ रुपए) का एक कारपस सृजित किया जाना था तथा यह स्कीम कारपस निधि की ब्याज आय से लागू की जानी थी। तथापि कारपस में वाणिज्य विभाग तथा उत्पादकों द्वारा दिया गया वास्तविक अंशदान क्रमशः 432.88 करोड़ रुपए और 2.67 करोड़ रुपए (कुल : 435.55 करोड़ रुपए) था। ये दोनों योजनाएं 30 सितंबर 2013 को बंद हो गईं। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार पीएसएफ कारपस के पास उपलब्ध कुल निधियों की मात्रा 1187.67 करोड़ रुपए हो गई जिसका निवेश भारत सरकार के लोक लेखा में किया जाता है।

पीएसएफटी ने एक संशोधित मूल्य स्थिरकरण निधि योजना तैयार की जिस पर सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 4 जून 2014 को विचार किया गया। योजना पर एक विस्तृत पावर प्वाइंट प्रस्तुति तथा चर्चा के उपरान्त सचिव (व्यय) ने सलाह दी कि मूल्य स्थिरता निधि न्यास के पास उपलब्ध

कारपस का उपयोग वाणिज्य विभाग द्वारा उत्पादकों को बीमा प्रदान करने के लिए एक संशोधित बीमा प्रीमियम सहायता योजना लागू करने के लिए किया जा सकता है।

तदनुसार वाणिज्य विभाग ने 7 राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के 9 जिलों में एक फसल चक्र के दौरान प्रायोगिक योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान किया, जिसका विस्तार मौसम और मूल्य के जुड़वे जोखिमों से चाय, कॉफी, रबर और इलायची (छोटी एवं बड़ी) के छोटे उत्पादकों की रक्षा करने के लिए वर्ष 2016-17 से शुरू करके दो वर्षों में किया जा सकता है, जिससे मौसम के प्रतिकूल पैरामीटरों, कीटों के हमलों आदि के कारण उपज में क्षति या 168.77 करोड़ रुपए की संभावित अनुमानित लागत पर अंतर्राष्ट्रीय / घरेलू कीमतों में गिरावट के कारण आय की क्षति होती है, जिसे केन्द्र सरकार (वाणिज्य विभाग), संबंधित राज्य सरकारों तथा उत्पादकों द्वारा 75:15:10 के अनुपात में साझा करने का प्रस्ताव किया गया। पीएफसी कारपस में उपलब्ध निधियों से प्रीमियम के 75 प्रतिशत के केन्द्र सरकार के शेयर को वहन किया जाना है। ■

अनुबंध 1

वाणिज्य विभाग के अधीन संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/निर्यात संवर्धन परिषदें/अन्य संगठन

संबद्ध कार्यालय

- विदेश व्यापार महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110 107
- पाटन रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 फोन नंबर: 011-23348653, 23348654

अधीनस्थ कार्यालय

- वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, 565, आनंदपुर, वार्ड संख्या 108, सेक्टर 1, प्लॉट नंबर 22, ई सी ए डी पी कोलकाता-700 107 फोन : 91-33-24434055 (4 लाइनें) फैक्स : +91-33-24434051
- कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, कक्कानाड, कोच्चि-600 030, केरल
- फाल्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र, द्वितीय एम एस ओ बिल्डिंग, चौथा तल, कमरा नंबर 44, निजाम पैलेस कॉम्प्लेक्स, 234/4, ए आई सी बोस रोड, कोलकाता - 700 020, पश्चिम बंगाल
- एम ई पी जेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग 45, प्रशासनिक कार्यालय भवन, टम्बारम, चेन्नई - 600 045, तमिलनाडु
- कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीधाम, कच्छ - 370 230, गुजरात
- एस ई ई पी जेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096, महाराष्ट्र
- विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, दुआडा, विशाखापत्तनम - 530 046, आंध्र प्रदेश
- नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा डाबरी रोड, फेस-ए, नोएडा - 201 305, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
- वेतन एवं लेखा कार्यालय (वाणिज्य), उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 107
- वेतन एवं लेखा कार्यालय (आपूर्ति प्रभाग), 16-ए, अकबर रोड हटमेंट, नई दिल्ली-110 011

स्वायत्त निकाय

- कॉफी बोर्ड, 1, डा. बी आर अंबेडकर विथी, बंगलौर - 560 001, कर्नाटक
- रबर बोर्ड, उप जेल रोड, पी बी नंबर 1122, कोट्टायम - 686 002, केरल
- चाय बोर्ड, 14 बी टी एम सारानी, ब्राबोर्न रोड, पी बी नंबर 2172, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल
- तंबाकू बोर्ड, पी बी नंबर 322, गुंटूर - 522 004, आंध्र प्रदेश
- मसाला बोर्ड, सुगंधा भवन, एन एच बाईपास, पीबी-2277, पलारीवत्तम डाक घर कोच्चि - 682 025, केरल
- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एम पी ई डी ए हाउस, पनमपल्ली एवेन्यू, कोच्चि - 682 036, केरल
- कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एन सी यू आई भवन, सिरी संस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 016
- भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद, तीसरा तल, एन डी वार्ड एम सी ए सांस्कृतिक केंद्र भवन, 1, जय सिंह रोड, नई दिल्ली -110 001
- भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, बी-21, संस्थानिक क्षेत्र, आई आई टी के दक्षिणी ओर, नई दिल्ली - 110 016
- भारतीय पैकेजिंग संस्थान, बी-2, एम आई डी सी क्षेत्र, पी बी नंबर 9432, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096, महाराष्ट्र

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- भारतीय राज्य व्यापार निगम, जवाहर व्यापार भवन, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001

एस टी सी की सहायक कंपनी

1. एस टी सी एल लिमिटेड, नंबर 7ए, “एस टी सी व्यापार केंद्र”, तीसरा तल, नंदिनी लेआउट, बंगलुरु - 560 096, कर्नाटक
2. एम एम टी सी लिमिटेड, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, संस्थानिक क्षेत्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
3. पी ई सी लिमिटेड, “हंसालय”, 15, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110 001
4. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 10वां तल, एक्सप्रेस टावर, पोस्ट बाक्स नंबर 373, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021, महाराष्ट्र
5. भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, प्रगति मैदान, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110 001

निर्यात संवर्धन परिषदें

1. कैमिक्सिल, झांसी कैसल, चौथा तल, 7, कोपरेज रोड, मुंबई - 400 039 फोन नंबर 22021288, 2021330 फैक्स नंबर 022-2026684
2. काजू निर्यात संवर्धन परिषद, पोस्ट बाक्स नंबर 1709, चित्तूर रोड, एर्नाकुलम दक्षिण, कोचीन - 682 016 (फोन नंबर 0484-2376459, 2376080 फैक्स नंबर 0484-2377973)
3. कैपेक्सिल, “वाणिज्य भवन”, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता केंद्र, 1/1 वुड स्ट्रीट, तीसरा तल, कोलकाता - 700 016 (फोन नंबर 033-22890524/25 फैक्स नंबर 033-22891724)
4. चमड़ा निर्यात परिषद, नंबर 1, सी एम डी ए टावर 2, तीसरा तल, गांधी इर्विन रोड, एगमोर, चेन्नई - 600 008 (फोन नंबर 044-28594367 फैक्स नंबर 044-28594363)
5. ई ई पी सी “वाणिज्य भवन”, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता केंद्र, प्रथम तल, 1/1 वुड स्ट्रीट, तीसरा तल, कोलकाता - 700 016 (फोन नंबर 033-22890651/52 फैक्स नंबर 033 - 22890654)
6. ईओयू एवं एसईजेड यूनिटों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, 8-जी, “हंसालय”, 15, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली - 110 001
7. रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, डायमंड प्लाजा, 5वां तल, 391 ए, डा. डी बी मार्ग, मुंबई - 400 004 (फोन नंबर 022-23821801/23821806 फैक्स नंबर 022-23808752)
8. प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद, क्रिस्टल टावर, गुंडीवाली रोड नंबर 3, सर एम वी रोड के सामने, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400 069 (फोन नंबर 022-26833951 फैक्स नंबर 022-26833953)
9. खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, 1-ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055 (फोन नंबर 011-23516183 फैक्स नंबर 011-23632147)
10. लाख निर्यात संवर्धन परिषद, वाणिज्य भवन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता केंद्र, द्वितीय तल 1/1 वुड स्ट्रीट, तीसरा तल, कोलकाता - 700 016 (फोन नंबर 033-22834417/22834697 फैक्स नंबर 033-22834699)
11. फार्मेक्सिल, 101, आदित्यन व्यापार केंद्र, अमीरपेट, हैदराबाद - 500 038, आंध्र प्रदेश टेलीफोन नंबर : 23735462/66 फैक्स नंबर 23735464)
12. सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, 6 ए/6, तीसरा तल, एनसीएचएफ बिल्डिंग, सिरी फोर्ट संस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 040 (टेलीफोन नंबर 011-41046328)
13. परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद, 123, शंकर रोड मार्किट के पीछे, न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्ली - 110060 (टेलीफोन नंबर 011-45623100-01, फैक्स 91-11-45623110)
14. भारतीय तिलहन एवं उत्पाद निर्यातक संघ, 78-79, बजाज भवन, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400 021

अन्य संगठन

1. भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, निर्यात भवन, राव तुलाराम मार्ग, आर्मी हास्पिटल (अनुसंधान एवं रेफरल) के सामने, नई दिल्ली - 110 057
2. भारतीय हीरा संस्थान, कटरगाम, जी आई डी सी, सुमुल डेयरी रोड, पी बी नंबर 508, सूरत - 395 008, गुजरात
3. फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान, ए-10/ए, सेक्टर-24, नोएडा - 201 301, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
4. राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र, एन सी टी आई कॉम्प्लेक्स, प्रगति मैदान, नई दिल्ली - 110 001
5. मूल्य स्थिरता न्यास निधि, कमरा नंबर 2003, 20वां तल, जवाहर व्यापार भवन, टालस्टाय मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001



नई वैश्विक आर्थिक सच्चाइयां और भारत



वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में उछाल आ रहा है। वैश्विक विकास जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद 2016 में सबसे कम अर्थात् 3.2 प्रतिशत था, अब 2017 में बढ़कर 3.6 प्रतिशत हो जाने और 2018 में 3.7 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। 2017 और 2018 दोनों के लिए विकास की भविष्यवाणियाँ वर्ल्ड इकोनामिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) की अप्रैल 2017 की भविष्यवाणी की तुलना में .01 प्रतिशत अधिक हैं। यूरो क्षेत्र, जापान, उभरते एशिया, उभरते यूरोप और रूस में विस्तृत अपवाह संशोधन - जहाँ 2017 की पहली छमाही में विकास के परिणाम अपेक्षा से बेहतर थे - संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम और भारत के लिए ऑफशेट डाउनवार्ड संशोधन से अधिक।

व्यापार, निवेश एवं औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि तथा व्यवसायों एवं उपभोक्ताओं के आत्मविश्वास के सुदृढ़ होने से इस समुत्थान को समर्थन मिल रहा है।

वैश्विक गतिविधि में वृद्धि जो 2016 की दूसरी छमाही में शुरू हुई, ने 2017 की पहली छमाही में गति प्राप्त की जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं एवं चीन में घरेलू मांग में मजबूत वृद्धि तथा अन्य विशाल उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बेहतर निष्पादन में प्रतिबिंबित हुआ। चीन तथा अन्य उभरते एशिया में विकास की दर मजबूत बनी हुई है तथा लैटिन अमेरिका, राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र देशों तथा उप सहारा अफ्रीका में अनेक वस्तु निर्यातकों के समक्ष अभी भी मौजूद कठिन परिस्थितियों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में संयुक्त राज्य एवं कनाडा, यूरो क्षेत्र तथा जापान में मजबूत गतिविधि के साथ 2017 की विकास में उल्लेखनीय वृद्धि का आधार विस्तृत है। तथापि मध्यम अवधि विकास की संभावनाएं बुझी हुई हैं क्योंकि नकारात्मक आउटपुट के अंतरालों में संकुचन (जो चक्र्रीय सुधार की कम संभावना छोड़ रहा है) और जनांकिक कारक एवं कमजोर उत्पादकता संभावित विकास पर भारी पड़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में निराशाजनक विकास दर के बाद वैश्विक आर्थिक गतिविधि में स्वागत योग्य चक्र्रीय उछाल संभावित आउटपुट बढ़ाने के लिए अभिकल्पित प्रमुख सुधार करने के लिए अवसर की एक आदर्श खिड़की प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि इसके लाभों को बड़े पैमाने पर साझा किया जाए तथा मंदी के जोखिमों के विरुद्ध लोच का निर्माण किया जाए। चक्र्रीय परिस्थितियों में अभी भी अंतरों का सामना करने वाले देशों के साथ मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति में अलग अलग अवस्थिति उपयुक्त बनी हुई है। राजकोषीय संपोषणीयता सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक समुत्थान को पूरा करने और रणनीतियाँ अपनाते अनेक अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण लक्ष्य बना हुआ है। वैश्विक निवेश में सतत समुत्थान ने मजबूत विनिर्माण गतिविधि को प्रेरित किया। पहली तिमाही में तेजी से बढ़ने के बाद दूसरी तिमाही में वैश्विक व्यापार वृद्धि दर मंद पड़ गई।

मजबूत व्यापार विकास दर मजबूत आर्थिक विकास का संकेत है क्योंकि व्यापार विकासशील एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए तेजी से विकास करने का मार्ग प्रदान करता है तथा मजबूत आयात विकास दर विकसित देशों में तीव्र विकास से संबद्ध है। अनेक प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में तथा उत्तरी अमेरिका में भी आयात के लिए मांग घटने तथा जीडीपी विकास दर धीमी पड़ने के कारण विश्व व्यापार विकास दर 2015 में 2.6 प्रतिशत की तुलना में 2016 में कमजोर थी (2016 में यह 1.3 प्रतिशत है) (डब्ल्यूटीओ प्रेस विज्ञप्ति 2017)। तथापि, 2017 में व्यापार में मजबूती से उछाल आया है (विश्व व्यापार विकास दर 2017 में 3.6 प्रतिशत है (अनंतिम), डब्ल्यूटीओ प्रेस विज्ञप्ति, सितंबर 2017) और इसका श्रेय एशियाई व्यापार प्रवाह में उछाल को जाता है क्योंकि अंतः क्षेत्रीय नौप्रेषण में वृद्धि हुई है और 2016 में अटकने के बाद उत्तरी अमेरिका में आयात के लिए मांग में रिकवरी हुई है।

उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, चीन में अधिक घरेलू मांग तथा प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सतत रिकवरी से 2017 की पहली छमाही में व्यापार विकास को समर्थन मिला। भारत में विकास की गति धीमी हो गई है जो मुद्रा विनिमय की इसकी पहल के अटल प्रभाव तथा देशव्यापी वस्तु एवं सेवा कर के वर्ष के मद में लागू किए जाने से संबंधित अनिश्चितता को प्रतिबिंबित करता है।

2017 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को संशोधित करके 6.7 प्रतिशत किया गया है (अप्रैल में यह 7.2 प्रतिशत था), जो यह दर्शाता है कि 8 नवंबर 2016 को शुरू की गई मुद्रा विनिमय की पहल तथा जुलाई 2017 से राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर के लागू किए जाने से संबंधित पारगमन लागत से संबद्ध अटल व्यवधान अभी भी मौजूद हैं। राष्ट्रीय माल एवं सेवा कर का

प्रस्ताव जो भारत के विशाल घरेलू बाजार के एकीकरण का वायदा करता है, कार्यान्वयन के अधीन ऐसे अनेक प्रमुख संरचनात्मक सुधारों में शामिल है जिनसे मध्यम अवधि में विकास दर को 8 प्रतिशत से ऊपर ले जाने में मदद करने की अपेक्षा है।

वैश्विक व्यापार विकास

वस्तुओं की कम कीमतों, विशेष रूप से खनिजों एवं पेट्रोलियम उत्पादों की कम कीमतों के कारण वैश्विक व्यापार में सुस्ती बनी हुई है। हालांकि वैश्विक आर्थिक रिकवरी के साधारण होने की उम्मीद है, वैश्विक आर्थिक विकास में अधिकांश योगदान विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से प्राप्त होने की उम्मीद है। यह इस तथ्य का द्योतक है कि वैश्विक आर्थिक गतिविधि का संपूर्ण आकर्षण भारत - प्रशांत क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो रहा है जहाँ मजबूत आर्थिक गतिविधि के लिए स्थितियाँ अधिक अनुकूल हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था बढ़ते संरक्षणवाद के रूप में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है जो इस तथ्य से प्रतिबिंबित होता है कि देश व्यापार / आर्थिक साझेदारी करारों का विरोध कर रहे हैं एवं उनसे बाहर निकल रहे हैं, बहुपक्षीय संस्थाओं के कामकाज पर उंगली उठा रहे हैं, टैरिफ से भिन्न उपायों एवं प्रथाओं जैसे कि लाइसेंस एवं कोटा का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। स्पष्ट है कि बाजार पहुंच प्रदान न करने के लिए विकसित देशों द्वारा इन उपकरणों का उत्तरोत्तर प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि ये घटनाएं मुक्त व्यापार की संकल्पना को क्षीण करेंगी तथा वैश्विक व्यापार में विकासशील तथा सबसे कम विकसित देशों की भागीदारी के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न करेंगी जिससे वे विकास के अपने सरोकारों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे।

भूमंडलीकरण के विरुद्ध उठती लहर वैश्विक व्यापार के लिए एक अन्य प्रमुख चुनौती है। इसमें नियमों पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को अस्त व्यस्त करने की क्षमता है, जिसने सहयोग एवं परस्पर सामंजस्य की भावना से व्यापार से जुड़े मामलों पर मतभेदों का समाधान करने में अब तक वैश्विक समुदाय की अच्छी तरह से मदद की है। जबकि विकासशील देश लंबे समय से देशों के बीच विषमताओं को दूर करने में उनकी दक्षता के मुद्दे पर वैश्विक व्यापार व्यवस्थाओं पर प्रश्नचिह्न लगाते आ रहे हैं, कुछ विकासशील देशों का हाल ही का मोहभंग इन देशों के अंदर अभूतपूर्व असमानता तथा आर्थिक दृष्टि से निम्न वर्ग की देन है, भले ही प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊंची हो, जिसका गलती से श्रेय भूमंडलीकरण को दिया जा रहा है, जबकि घरेलू सामाजिक - आर्थिक नीतियों के समावेशी न होने से इसका अधिक संबंध है। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों के लिए समता तथा समान अवसर का सुनिश्चय करता है। विकासशील एवं सबसे कम विकसित देशों के लिए इसकी प्रासंगिकता को बनाए रखना एवं सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है। विश्व व्यापार संगठन की प्रक्रियाओं में 'विकास' की केन्द्रीय भूमिका को बनाए रखने से इसकी प्रासंगिकता का सुनिश्चय होगा। तथापि, विश्व व्यापार संगठन के एजेंडा में विकसित देशों द्वारा नए मुद्दों को शामिल किए जाने से विकास के मुद्दों के संभावित रूप से कमजोर होने तथा इसके कामकाज के गंभीर रूप से बाधित होने की संभावना है।

प्रौद्योगिकी में तेजी से परिवर्तन का वैश्विक व्यापार पर ऐसा प्रभाव पड़ रहा है जो पहले कभी देखने को नहीं मिला। विनिर्माण की गतिविधि में आटोमेशन, कृत्रिम आसूचना तथा रोबोटिक इंजीनियरिंग का बढ़ता प्रयोग तथा वस्तु एवं सेवाओं के बीच समाप्त हो रहे भेद के साथ विनिर्माण की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सर्विसीकरण जो औद्योगिक क्रांति 4.0 के नाम से विख्यात है, पूरी दुनिया में उद्यमों की प्रतियोगितात्मकता का निर्धारण करेगा और जो इससे सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते हैं वे पीछे छूट सकते हैं।

आर्थिक गतिविधि अधिक मात्रा में इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित होगी जिसमें ईकामर्स, डिजिटल व्यापार, डिजिटल आसूचना तथा डाटा संग्रहण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये प्रौद्योगिकियाँ परंपरागत 'ईट और मोटार्' वाले उद्यमों को अस्त व्यस्त कर सकती हैं तथा रोजगार के अवसरों को गंभीर रूप से पंगु कर सकती हैं। यह प्रतियोगी बने रहने के लिए कौशलों को उन्नत बनाने की मांग करता है। जबकि कुछ मौजूदा उद्यम परिवर्तन के अनुरूप अपने आपको ढालने में अपनी असमर्थता के फलस्वरूप समाप्त हो जाएंगे, नए उद्यम, विशेष रूप से स्टार्टअप उभरेंगे। ये रुझानें बड़े पैमाने पर वैश्विक मूल्य एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करेंगी क्योंकि उद्यम बाजार तक पहुंचने और दूर के लोकेशन से भी प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपने उत्पादों को उपलब्ध करने के

लिए इंटरनेट के प्लेटफार्मों का प्रयोग करने में समर्थ होंगे। अतः उच्च स्तर के कौशल प्रदान करना, पूंजी और प्रौद्योगिकी तक पहुंच आदि जैसी पहलें राष्ट्रों की प्रतियोगितात्मकता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होंगी।

भारत के बारे में सकारात्मक तथ्य :

(क) निवेश रेटिंग

मूडी ने भारत सरकार की स्थानीय एवं विदेशी मुद्रा निगमकर्ता रेटिंग को बीएए3 से बढ़ाकर बीएए2 कर दिया है तथा रेटिंग पर आउटलुक को सकारात्मक से परिवर्तित करके स्थिर कर दिया है। मूडी ने भारत की दीर्घावधिक विदेशी मुद्रा बांड सीलिंग को बीएए2 से बढ़ाकर बीएए1 तथा दीर्घावधिक विदेशी मुद्रा बैंक जमा सीलिंग को बीएए3 से बढ़ाकर बीएए2 भी कर दिया है। अल्पावधिक विदेशी मुद्रा बांड सीलिंग पी2 पर अपरिवर्तित बनी हुई है तथा अल्पावधिक विदेशी मुद्रा बैंक जमा सीलिंग को पी3 से बढ़ाकर पी2 कर दिया है। दीर्घावधिक स्थानीय मुद्रा जमा तथा बांड सीलिंग ए1 पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

रेटिंग को अपग्रेड करने का निर्णय मूडी की इस अपेक्षा के अनुसार लिया गया है कि आर्थिक एवं संस्थानिक सुधारों पर सतत प्रगति आगे चलकर अधिक विकास दर तथा सरकारी ऋण के लिए इसके विशाल एवं स्थिर वित्त पोषण आधार की भारत की संभावना में वृद्धि करेगी और संभावित रूप से मध्यम अवधि में सरकारी ऋण के सामान्य बोझ को क्रमिक रूप से कम करने में योगदान करेगी।

(ख) व्यवसाय करने में सुगमता

पिछले कुछ वर्षों से व्यवसाय करने में सुगमता पर रैंकिंग में भारत का निष्पादन घटिया था। 2017 के लिए पिछली रैंकिंग में भारत 130वें स्थान पर था। हाल ही में विश्व बैंक ने 2018 के लिए व्यवसाय करने की सरलता पर रिपोर्ट जारी की है जिसमें 190 देशों में भारत को 100वें स्थान पर रखा गया है। भारत 3 श्रेणियों अर्थात् बिजली प्राप्त करने, ऋणों को सुरक्षित करने और अल्पमत निवेशकों के संरक्षण में शीर्ष 30 राष्ट्रों में शामिल है। भारत ने 10

से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) में समेकित किया है। प्रतिस्थापित स्कीमों के नाम इस प्रकार हैं : फोकस उत्पाद स्कीम (एफ पी एस), फोकस बाजार स्कीम (एफ एम एस), बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्क्रिप (एम एल एफ पी एस), विदेश कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वी के जी यू वाई), कृषि अवसंरचना प्रोत्साहन स्क्रिप।

1 जुलाई 2017 से विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा आईईसी के रूप में फर्म का पैन नंबर जारी किया जा रहा है। आवेदन करने तथा आईईसी जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और सुरक्षित है। आयातक निर्यातक कोड को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के ई-बिज पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है। आयातक निर्यातक कोड तथा ई पी सी जी आवेदन को मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा स्थापित तथा पी एम जी सेटअप द्वारा कार्यान्वित ई-निवेश पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

इलेक्ट्रानिक बैंक वसूली प्रमाण पत्र (ई-बीआरसी) प्रणाली के प्रयोग का विस्तार किया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय इलेक्ट्रानिक बैंक नकदीकरण प्रमाण पत्र (ईबीआरसी) द्वारा सृजित किए गए आंकड़ों को 17 एजेंसियों के साथ साझा करता है। ई-बीआरसी प्रणाली बैंकिंग चैनल के माध्यम से निर्यातकों द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा के ब्यौरों को कैप्चर करती है। डाटा को साझा करने के लिए डी जी एफ टी ने 14 राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार की 2 एजेंसियों तथा जी एस टी एन के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य स्तर पर 14 राज्यों के वाणिज्यिक कर विभागों ने वैट के रिफंड के प्रयोजनों के लिए ई-बीआरसी डाटा प्राप्त करने के लिए डी जी एफ टी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इस प्रकार हैं : (1) महाराष्ट्र, (2) दिल्ली, (3) आंध्र प्रदेश, (4) ओडिशा, (5) छत्तीसगढ़, (6) हरियाणा, (7) तमिलनाडु, (8) कर्नाटक, (9) गुजरात, (10) उत्तर प्रदेश, (11) मध्य प्रदेश, (12) केरल, (13) गोवा (14) बिहार।

विदेश व्यापार महानिदेशालय के पास आनलाइन आवेदन करने के लिए प्रयुक्त होने वाले 'आयात निर्यात' के आवेदन पत्रों के विभिन्न प्रावधानों में स्पष्टता लाकर तथा इलेक्ट्रानिक अभिशासन में वृद्धि करके उनको सरल बनाया गया है।

वेब पोर्टल

- विदेश व्यापार महानिदेशालय ने नए लुक की वेबसाइट शुरू की है तथा उसे अधिक प्रयोक्ता अनुकूल एवं नेविगेट करने में सरल बनाया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट में एक बड़ा डायनेमिक घटक है जिसके माध्यम से कारोबारी समुदाय आई ई सी तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय की विभिन्न अन्य स्कीमों के लिए आवेदन आनलाइन दाखिल कर सकता है। निर्यातक लगभग रियल टाइम में इलेक्ट्रानिक बैंक वसूली के अपने प्रमाण पत्रों की स्थिति भी देख सकते हैं। एक अनुक्रियाशील आनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली के साथ वेबसाइट अंतर्वस्तु की दृष्टि से विदेश व्यापार नीति से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ समृद्ध है।
- वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू किया गया तथा एफ आई ई ओ द्वारा प्रबंधित भारतीय व्यापार पोर्टल आयात निर्यात के लिए उपयोगी सूचना प्रदर्शित करता है। इसमें भारतीय व्यापार मिशन द्वारा अपलोड की गई व्यापार पूछताछ, भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों का टैरिफ एवं व्यापार डाटा, निर्यात बाजार रिपोर्ट एवं व्यापार करार आदि होते हैं।
- एग्जिम डैशबोर्ड commerce.gov.in वेबसाइट पर लांच किया गया। यह प्रयोक्ताओं को उत्पाद, देश और पत्तन स्तर पर भारत के निर्यात और आयात की आरेखीय समझ प्रदान करता है। यह सरल ढंग से प्रस्तुत किए गए उपयोगी आंकड़ों की वजह से निर्यातकों में लोकप्रिय है।

(ग) विदेश व्यापार महानिदेशालय: शिकायत समाधान के लिए सुविधाएं

- विदेश व्यापार से जुड़े सभी मुद्दों के समाधान के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट (www.dgft.gov.in) पर विदेश व्यापार महानिदेशालय से संपर्क करने की प्रणाली एकल संपर्क बिंदु के रूप में सक्रिय की गई है। निर्यातक / आयातक सीधे संबंधित विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय) से संपर्क करके या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियों से संपर्क करके विदेश व्यापार से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए इस सुविधा का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक अनुरोध के लिए एक संदर्भ संख्या जारी की जाती है ताकि की



पैरामीटरों में से 6 पैरामीटरों पर अपनी रैंकिंग में सुधार की है और ऐसा करने वाली एक मात्र बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तथापि, विश्व बैंक ने नोट किया कि भारत व्यवसाय शुरू करने, संविदाओं को लागू करने तथा निर्माण परमिटों से निपटने जैसे क्षेत्रों में पीछे चल रहा है।

भारतीय संदर्भ में व्यापार सुगमता

दस्तावेजों की संख्या घटाना: आयात एवं निर्यात के लिए अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या निर्यात (7 से) एवं आयात (10 से) घटाकर प्रत्येक के लिए 3 कर दी गई है।

योजनाओं की संख्या घटाना: नई विदेश व्यापार नीति (2015-20) 1 अप्रैल 2015 को शुरू की गई जिसमें पण एवं सेवा दोनों निर्यातों की सहायता करने तथा 'कारोबार करने की सरलता' बढ़ाने पर बल दिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने पण निर्यात को पुरस्कृत करने के लिए पिछली नीति के तहत पांच अलग अलग प्रोत्साहन योजनाओं को एकल योजना अर्थात् भारत

गई कार्रवाई की स्थिति का पता लगाया जा सके। कारगर निगरानी की व्यवस्थाएं की गई हैं।

- डी जी एफ टी का एक सक्रिय ट्विटर हैंडल (#DGFTINDIA) है जिसके 27500 से अधिक फालोवर हैं। सी आई एम के एकाउंट तथा डी जी एफ टी हैंडल को भेजे गए ट्विट के रिस्पांस का प्रबंधन ट्विटर सेवा के माध्यम से किया जाता है तथा जवाब देने के लिए 12 घंटे से कम औसत समय के साथ अप्रैल 2016 से 7500 से अधिक ट्विटों के जवाब दिए गए हैं।
- प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग के जन शिकायत पोर्टल पर नीति, प्रक्रिया तथा कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर दर्ज की गई शिकायतों का निस्तारण शीघ्रता से किया जाता है।

(घ) निर्यात संवर्धन में राज्यों की भागीदारी

जुलाई 2015 में व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद का गठन किया गया। यह राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समर्थ बनाने वाला परिवेश प्रदान करने के उपायों पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ सतत वार्ता का सुनिश्चय करेगी और भारत के निर्यात को बढ़ाने में राज्यों को सक्रिय साझेदार बनाने के लिए एक रूपरेखा सृजित करेगी। अब तक परिषद की दो बैठकें हो चुकी हैं। इसकी दूसरी बैठक 5 जनवरी 2017 को हुई थी।

राज्य सरकारों से अपनी स्वयं की निर्यात रणनीति विकसित करने, निर्यात आयुक्त नियुक्त करने, माल की आवाजाही को सीमित करने वाली अवसंरचनात्मक अड़चनों को दूर करने, वैट / पथ कर / राज्य स्तरीय उप कर के प्रतिदाय को सुगम बनाने और विभिन्न क्लियरेंस आदि से संबंधित अन्य मुद्दों का समाधान करने तथा नए निर्यातकों की क्षमता का निर्माण करने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके। अब तक 17 राज्यों ने अपनी निर्यात रणनीति तैयार कर ली है।

व्यापार इको सिस्टम:

(क) जीएसटी से संबंधित सुधार

तैयार उत्पादों के निर्यात पर, भुगतान किए गए जीएसटी का रिफंड प्राप्त करने या बचन पत्र / बांड प्रस्तुत करने पर जीएसटी के भुगतान से छूट प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया गया है। इनपुट पर जीएसटी के अग्रिम भुगतान के कारण निर्यातकों की कार्यकारी पूंजी के अवरुद्ध हो जाने के मुद्दे का समाधान किया गया है। आईजीएसटी के भुगतान के बगैर गोल्ड का आयात करने के लिए निर्दिष्ट नामित एजेंसी को अनुमति प्रदान करके निर्यातकों के लिए गोल्ड की उपलब्धता के मुद्दे का समाधान किया गया। सौदागर निर्यातकों को निर्यात के लिए घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से माल का प्रापण करने के लिए 0.1 प्रतिशत की मामूली जीएसटी का भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई है।

(ख) क्षमता निर्माण

पिछले 2 वर्षों में निर्यात बंधु के आउटरीच कार्यक्रमों के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 50000 नए और संभावित निर्यातकों को प्रशिक्षण दिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने निर्यात बंधु के अंग के रूप में 34 क्लस्टरों में आउटरीच गतिविधियों का संचालन किया। इसके अलावा पहली बार उद्यमियों के लिए आईआईएफटी के साथ एक आनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ग) निर्यात बढ़ाने में सेवाओं की भूमिका

सेवाओं के दृष्टिकोण से एग्जिम नीतियों एवं प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय में एक नया सेवा प्रभार गठित किया गया है। सेवा क्षेत्र में भारत की ताकतों को प्रदर्शित करने के लिए सेवाओं पर बहुत सफल वैश्विक प्रदर्शनी को एक वार्षिक इवेंट के रूप में संस्थानीकृत किया गया है।

(घ) नए बाजार और नए उत्पाद

न केवल माल में व्यापार एवं निवेश को शामिल करने के लिए अपितु शिक्षा एवं स्वास्थ्य देख रेख जैसी सेवाओं में क्षमता का निर्माण करने के लिए भी अफ्रीका जैसे अधिक संभावना वाले क्षेत्रों में कम दोहन किए गए दोहन न किए गए बाजारों में भारत का निर्यात बढ़ाने पर फोकस। मजबूत घरेलू विनिर्माण आधार के साथ उच्च मूल्य अभिवृद्धि तथा रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों से निर्यात के विकास को बढ़ावा देना जो यह भारत की समग्र निर्यात विकास रणनीति की नींव होगा।

(ङ) व्यापार अवसंरचना तथा लाजिस्टिक्स

भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियमावली 1961 की दूसरी अनुसूची में संशोधन के परिणामस्वरूप 7 जुलाई 2017 को वाणिज्य विभाग में लाजिस्टिक्स प्रभाग का गठन किया गया, जिसने “लाजिस्टिक्स क्षेत्र का समेकित विकास” का कार्य वाणिज्य विभाग को आवंटित किया। भारत सरकार के एक विशेष सचिव इस प्रभाग के अध्यक्ष हैं तथा इसे नीति में परिवर्तनों, मौजूद प्रक्रियाओं में सुधार, अड़चनों एवं अंतरालों की पहचान तथा इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की शुरुआत के माध्यम से देश में लाजिस्टिक्स क्षेत्र के समेकित विकास के लिए कार्य योजना विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

लाजिस्टिक्स प्रभाग ने एक आईटी बैकबोन का सृजन करने तथा एक राष्ट्रीय लाजिस्टिक्स सूचना पोर्टल विकसित करने की भी योजना बनाई है जो आनलाइन लाजिस्टिक्स बाजार स्थल भी होगा जो विभिन्न हितधारकों जैसे कि लाजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं, क्रेताओं तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों की एजेंसियों जैसे कि कस्टम, डीजीएफटी, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, कोस्टल शिपिंग आदि को एक मंच पर लाने का काम करेगा।

लाजिस्टिक्स प्रभाग की नियोजित गतिविधियां माल के मूवमेंट की समग्र लागत को कम करके और उसकी गति एवं सरलता में वृद्धि करके न केवल माल के घरेलू मूवमेंट को प्रभावित करेंगी अपितु वैश्विक बाजार में भारतीय माल को अधिक प्रतियोगी बनाने की दिशा में भी योगदान करेंगी। लाजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक (एलपीआई) में भारत की रैंकिंग में सुधार से भारतीय निर्यात अपने आप अधिक वृद्धि देखने में समर्थ होगा।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला

वैश्विक मूल्य श्रृंखला का महत्व: उभरते राष्ट्रों के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होना उनके आर्थिक विकास की कुंजी है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भागीदारी और जीडीपी के प्रति व्यक्ति विकास



दर के बीच एक सकारात्मक संबंध है (संयुक्त राष्ट्र)। वैश्विक मूल्य श्रृंखला ऐसे देशों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद है जो उत्पादन श्रृंखला के उच्च मूल्य अभिवृद्धि के सेगमेंट में योगदान करते हैं। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भागीदारी से विकासशील देशों में नौकरी सृजन का मार्ग प्रशस्त होता है, बशर्ते यह उच्च कौशल पर आधारित मूल्य अभिवृद्धि के साथ घटित हो।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला भारत से निर्यात बढ़ाने का एक निश्चित तरीका है। तथापि, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में विनिर्मित इनपुटों एवं उत्पादों का विश्व व्यापार में योगदान दो तिहाई है। परिवहन की लागतों में भारी कटौती, सूचना एवं संचार प्रगति में उन्नति तथा व्यापार एवं निवेश के क्षेत्र में उदारीकरण ने अनेक देशों ने उत्पादन की प्रक्रिया के विखंडीकरण को सुगम बनाया है। इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला के महत्व में वृद्धि हुई है। मूल्य अभिवृद्धि डाटाबेस में ओईसीडी तथा डब्ल्यूटीओ व्यापार के आधार पर ओईसीडी का यह निष्कर्ष है कि भारत ने वैश्विक मूल्य श्रृंखला के अपने एकीकरण में तेजी देखी है। जैसा कि स्पष्ट है, ओईसीडी यह उल्लेख कर रहा है कि पिछले दो दशकों में भारत

के निर्यात का विदेशी अंतर्वस्तु 1995 में 10 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 24 प्रतिशत हो गया है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला तथा भारत पर सेक्टर विशिष्ट अध्ययन यह दर्शाते हैं कि आटोमोबाइल उद्योग को अक्सर वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक सफलता गाथा के रूप में देखा जाता है। भारत के आटोमोबाइल उद्योग में एक ग्लोबल फुटप्रिंट प्राप्त किया है। यदि परिधान क्षेत्र की बात की जाए तो अधिकांश भारतीय फर्मे जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत हैं, कुछ वैश्विक ब्रांडों की फुल पैकेज आपूर्तिकर्ता हैं।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला का महत्व पिछले दशकों में लगातार बढ़ रहा है। वैश्विक बाजार में इंटरमीडिएट माल एवं सेवाओं में व्यापार का अनुपात 60 प्रतिशत है जिनको फिर उत्पादन के विभिन्न चरणों में शामिल किया जाता है (अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2013)। वैश्विक मूल्य श्रृंखला का विकास में योगदान उल्लेखनीय हो सकता है। विकासशील देशों में मूल्यवर्धित बाजार औसतन इन देशों के जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान करता है जबकि विकसित देशों में इसका योगदान 18 प्रतिशत है। और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भागीदारी और प्रति व्यक्ति जीडीपी की विकास दर के बीच एक सकारात्मक संबंध है। मूल्यवर्धन, नौकरियों तथा आय पर वैश्विक मूल्य श्रृंखला का सीधा आर्थिक प्रभाव पड़ता है। वे उत्पादन की क्षमता का निर्माण करने के लिए विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी हो सकते हैं जिसमें प्रौद्योगिकी का प्रसार एवं कौशल निर्माण शामिल है जिससे दीर्घ अवधि के औद्योगिक उन्नयन के लिए अवसरों के द्वार खुलेंगे।

अब यह प्रश्न उठता है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भागीदारी के संबंध में भारत का शेयर कम क्यों है?

वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की सक्रिय भागीदारी में रुकावट पैदा करने वाले कुछ कारकों में भारत के व्यापार के बास्केट का छोटा होना और कम वैश्विक शेयर शामिल है।

लघु बास्केट: घटिया व्यापार अवसंरचना से निर्यात प्रचालन की लागत एवं समय में वृद्धि होती है जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भाग लेने से देश को वर्जित करता है। भारत के निर्यात आयात का 70 प्रतिशत लघु बास्केट के उत्पादों से आता है। लघु बास्केट में ऐसे उत्पाद होते हैं जिनका विश्व व्यापार में हिस्सा 30 प्रतिशत है। शेष 70 प्रतिशत पर विशाल बास्केट की पकड़ है। लघु बास्केट की इन मदों में डायमंड, ज्वेलरी, चावल, भैंस का मांस, श्रिंप, पेट्रोलियम, कॉटन, यार्न आदि शामिल हैं। वैश्विक बाजार का छोटा आकार भावी विकास की संभावना को सीमित करता है। इसके अलावा अधिकांश उत्पाद बांग्ला देश और वियतनाम जैसे कम लागत वाले देशों से घोर प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं।

कमजोर वैश्विक हिस्सेदारी: इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और हाई इंड इंजीनियरिंग उत्पाद विशाल बास्केट की मदें हैं। इन वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का अनुपात कम है। विशाल बास्केट के ऐसे उत्पादों में भारत की उपस्थिति नगण्य है जो विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण बन गए हैं। विशाल बास्केट के अधिकांश उत्पाद महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जिनके पुर्जों का विनिर्माण अनेक देशों में होता है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और मलेशिया व्यापार अवसंरचना की अच्छी गुणवत्ता के माध्यम से वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन गए हैं।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत को क्या करना चाहिए?

वैश्विक व्यापार में अपनी रैंक को ऊपर उठाने के लिए भारत को संपर्क अवसंरचना तथा औद्योगिक कानूनों में सुधार करना होगा। नीतिगत पहलों में वैश्विक मूल्य श्रृंखला के जीवन चक्र के सभी भागों अर्थात् संकल्पना, प्रोटोटाइप का विकास, विनिर्माण, बिक्री पश्चात सेवा आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आयात और निर्यात से संबंधित सभी अनुपालन को आनलाइन संभव बनाने के लिए भारत को एक राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क (एनटीएन) का गठन करना होगा। राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क निर्यातकों को एक स्थान पर सभी दस्तावेजों को आनलाइन फाइल करने की अनुमति प्रदान करेगा; कस्टम, शिपिंग कंपनियों, बंदरगाहों एवं विमान पत्तनों तथा बैंकों से अलग से निपटने की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्ट एवं कस्टम के प्रचालनों को स्वचालित बनाना तथा अधिकांश कंसाइनमेंट के लिए ग्रीन चैनल क्लियरेंस (माल की नेमी जांच के बगैर माल की क्लियरेंस) की अनुमति प्रदान करना। भारत को वैश्विक सर्वोत्तम पैरामीटरों के साथ शिप के टर्नराउंड टाइम को मैच कराना होगा। इससे तेजी से लेनदेन

का सुनिश्चय होगा तथा अवसंरचना का बेहतर उपयोग हो सकेगा। वैश्विक मूल्य श्रृंखला की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय फर्मा को उत्पादन की प्रक्रियाओं तथा उत्पादों की गुणवत्ता को अपग्रेड करना होगा। भारत को मानकों का विकास करने के लिए एक संस्था का गठन करने, वैश्विक स्तर पर प्रत्यायित परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने तथा साझेदार देशों के साथ परस्पर मान्यता करारों (एमआरए) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। हमें तेजी से निर्यात सफलता हासिल करने के लिए वैश्विक बाजारों में अधिक मूल्य वर्धन तथा इंड्री की कम बाधाओं वाले सेक्टरों की पहचान करने की आवश्यकता है।

इन कदमों से निर्यात की लागत एवं समय में कटौती होगी तथा प्रतियोगितात्मकता में वृद्धि होगी। मध्यम अवधि में इससे इलेक्ट्रॉनिक एवं दूरसंचार के सामानों के आयात पर भारत की निर्भरता घटेगी तथा भारत से समग्र निर्यात में वृद्धि होगी।

सेक्टर के विभिन्न आयामों में मानकों एवं कीर्तिमानों का विकास करने की एक योजना है।

अधिक अनुकूल परिवेश का सृजन करने के उद्देश्य से बाजार विनियमों में सुधार करना

अक्टूबर 2017 में अपनी समीक्षा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने भारत में संरचनात्मक सुधार के लिए तीन स्तरीय दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया है जिसमें कारपोरेट एवं बैंकिंग क्षेत्र की कमजोरियों को दूर करना, राजस्व के उपायों के माध्यम से सतत राजकोषीय सुदृढ़ीकरण तथा श्रम एवं उत्पाद बाजारों की दक्षता में सुधार लाना शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने यह महसूस किया कि एशिया के लिए अनुकूल परिदृश्य कठिन सुधारों को आगे बढ़ाने हेतु भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने निर्धारित किया है:

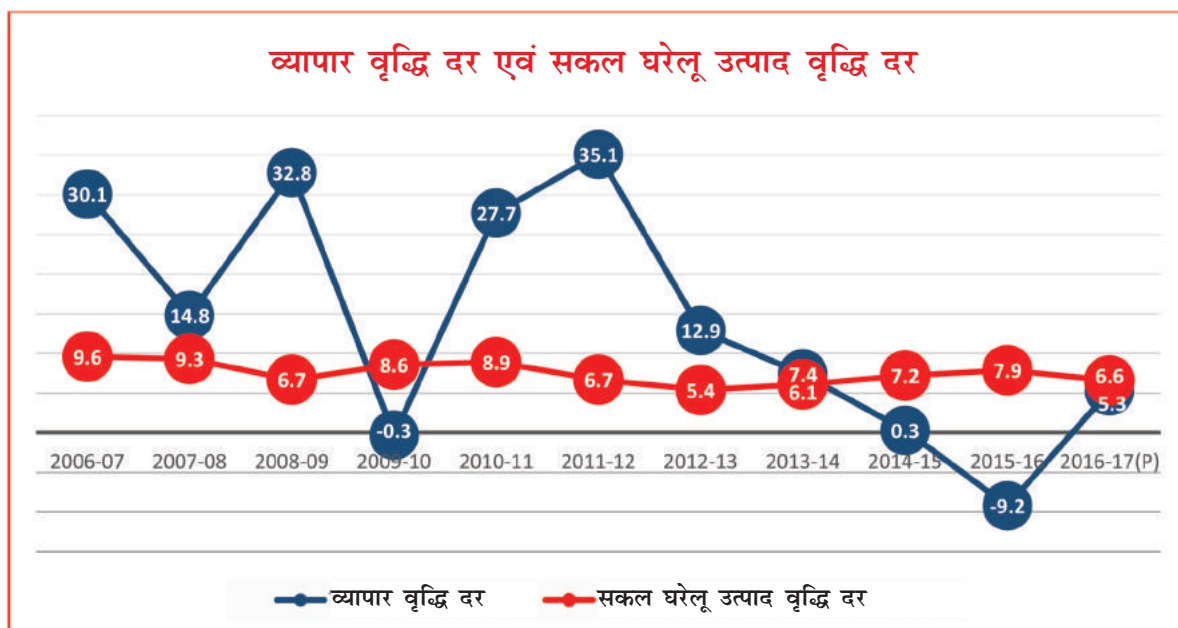
- गैर निष्पादक ऋणों के समाधान की गति तेज करके, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पूंजी बफर का फिर से निर्माण करके और बैंक के कर्ज के वसूली तंत्रों में वृद्धि करके कारपोरेट एवं बैंकिंग क्षेत्र की कमजोरियों को दूर करना।
- राजस्व के उपायों तथा सब्सिडी में और कटौती के माध्यम से भारत को राजकोषीय समेकन का कार्य जारी रखना चाहिए।
- अवसंरचना के अंतरालों को दूर करने, श्रम एवं उत्पाद बाजारों की दक्षता बढ़ाने और कृषि सुधारों को आगे बढ़ाने में संरचनात्मक सुधारों की मजबूत गति को बनाए रखना।
- निवेश और रोजगार के लिए अधिक अनुकूल परिवेश का सृजन करने के उद्देश्य से बाजार के विनियमों में सुधार लाने हेतु श्रम कानूनों की संख्या घटाने की आवश्यकता है, जिनकी संख्या इस समय केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर 250 के आसपास है।
- भारत को लैंगिक अंतराल को पाटने पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है।

अवसंरचना में सुधार श्रम बल में महिलाओं को शामिल करने के कार्य को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। परंतु इसके अलावा विशिष्ट लैंगिक विनियमों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने तथा जेंडर विशिष्ट प्रशिक्षण एवं शिक्षा में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार

ऋण विकास तथा नौकरी सृजन में मदद करने के उद्देश्य से सबसे आगे चलने वाले दस्ते के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उपयोग करने हेतु सरकार द्वारा एक विशाल कदम उठाया गया है। यह 18139 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधानों के माध्यम से अगले दो वर्षों में लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपये की राशि तक वर्तमान वर्ष में अधिकतम आवंटन के साथ पूंजी जुटाने, 1.35 लाख करोड़ रुपये के बांडों का फिर से पूंजीकरण करने तथा गैर सरकारी इक्विटी (अनुमानित क्षमता 58000 करोड़ रुपये) को तनुकृत करते समय शेष राशि बाजार से बैंकों द्वारा पूंजी एकत्र करके जुटाने की आवश्यकता उत्पन्न करता है।

बड़े पैमाने पर चर्चित पुनः पूंजीकरण बांडों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण का दृष्टांत न केवल भारत में अपितु अनेक अन्य



Source: DGCIS and RBI

वर्ष	व्यापार वृद्धि दर	जीडीपी विकास दर (2011-12 आधार वर्ष)
2006-07	30.1	9.6*
2007-08	14.8	9.3*
2008-09	32.8	6.7*
2009-10	-0.3	8.6*
2010-11	27.7	8.9*
2011-12	35.1	6.7
2012-13	12.9	5.4
2013-14	7.4	6.1
2014-15	0.3	7.2
2015-16	-9.2	7.9
2016-17(पी)	5.3	6.6

*2004-05 से आधार वर्ष 2011-12 में परिवर्तित

देशों (उदाहरण के लिए कोरिया एवं मलेशिया) में मौजूद है। ऐसे बांडों के स्पष्ट लाभ ये हैं कि वे राजकोषीय गणित को परिवर्तित नहीं करते हैं क्योंकि सरकार बैंक शेयर पर लाभांश और बाजार प्रतिफल दोनों अर्जित करती है। सरकार को तत्काल कर राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है तथा बाजारों की बजाय बैंकिंग प्रणाली से सीधे ऋण लेकर केन्द्र निजी ऋणों की भीड़-भाड़ या विकृतकारी बाजार लब्धि से बच सकता है।

निर्यात पर जीएसटी का प्रभाव

जीएसटी ने भारत के निर्यात के लिए एक नई विनियामक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया है। इसने घरेलू फर्मों तथा निर्यातकों के लिए अनेक सकारात्मक विशेषताओं को लागू किया है। अब फर्मों कम संख्या में करें (एक जीएसटी ने 17 करें को प्रतिस्थापित किया है), कर की कम राशि (औद्योगिक उत्पादों के लिए जीएसटी की औसत दर 18 प्रतिशत है जबकि जीएसटी से पहले कर का बोझ 25 से 28 प्रतिशत के बीच था) का भुगतान करती हैं तथा कर पर कर की कम घटनाओं का सामना करती हैं। सभी राज्यों में जीएसटी की एक समान दरों से कर का बोझ तथा अनुपालन की लागत और कम हो जाती है। इन परिवर्तनों से लागत घटती है तथा प्रतियोगितात्मकता में सुधार

होता है और इस प्रकार निर्यात के लिए यह लाभप्रद होगा।

जीएसटी निर्यात को शून्य दर पर आपूर्ति मानता है। यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों के अनुरूप है। शुरू में जीएसटी कानून के तहत यह अपेक्षा थी कि निर्यात उत्पादन के लिए इनपुट मंगाते समय सभी शुल्कों का भुगतान किया जाना चाहिए तथा इनके लिए रिफंड निर्यात के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। तथापि, जैसा कि निर्यातकों ने कार्यकारी पूंजी के अवरुद्ध हो जाने की आशंका व्यक्त की, उनके अनुरोध पर 6 अक्टूबर 2017 को अपनी बैठक में जीएसटी परिषद ने अग्रिम प्राधिकार, ईपीसीजी तथा 100 प्रतिशत ईओयू योजनाओं का प्रयोग करके मंगाए गए इनपुट पर जीएसटी के भुगतान से छूट की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। इन छूटों को प्रतिस्थापित करने तथा छूटों / रिफंड का इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल 2018 से एक ई-वालेट योजना की घोषणा की गई है।

निर्यात पर जीएसटी के प्रभाव का आकलन करने के लिए हमारे पास भारत के निर्यात के 5 माह (जुलाई से नवंबर 2017) के आंकड़ें हैं। पांच माह का समय बहुत कम समय है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में जुलाई से नवंबर 2017 की अवधि के निर्यात के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य की दृष्टि से निर्यात में 13.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। जुलाई से नवंबर 2017-18 की अवधि के लिए निर्यातों का संचयी मूल्य 124.27 बिलियन अमरीकी डालर था, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान इसका संचयी मूल्य 109.48 बिलियन अमरीकी डालर दर्ज किया गया था, जो डालर की दृष्टि से पिछले वर्ष की तुलना में 13.5 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

निष्कर्ष तथा आगे की राह

किसी देश का व्यापार निष्पादन उस देश के समग्र आर्थिक निष्पादन से बहुत घनिष्ठ और अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। वैश्विक व्यापार में रिकवरी, भारत के सबसे बड़े कर सुधार जैसे कि जीएसटी तथा व्यवसाय करने की सरलता जैसे संकेतकों तथा निवेश की रेटिंग में सुधार की पृष्ठ भूमि में भारत के व्यापार परिदृश्य के संबंध में हम आशावादी हो सकते हैं। यह भविष्य में अंतरस्थ निवेशों को आकर्षित करने के एक मजबूत कारक के साथ मजबूत विकास दर की भविष्यवाणी को सुदृढ़ करेगा। कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय अच्छी हालत में है इस लिए इन सुधारों का दीर्घ अवधि में सकारात्मक प्रभाव होगा। बाहरी समस्याओं को बहुत कारगर ढंग से दूर करने के लिए भारत को सभी घरेलू अपर्याप्ताओं से बहुत ध्यान से निपटना होगा, निःसंदेह दीर्घ अवधि के उपायों की आवश्यकता है परंतु अल्प एवं मध्यम अवधि के अनेक उपाय जैसे कि क्षेत्र विशिष्ट आर्थिक नीतियां देश के व्यापार इको सिस्टम में सुधार ला सकती हैं। ■

भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियां



भारत का निर्यात निष्पादन

मार्च से अप्रैल 2016-17 के दौरान भारत का वस्तु निर्यात पिछले वर्ष के दौरान 15.48 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में 5.17 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करते हुए 275.85 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया। वैश्विक मंदी के कारण भारत के निर्यात क्षेत्र को हुए नुकसान के बावजूद वस्तु निर्यात में मार्च से अप्रैल 2007-08 से लेकर मार्च से अप्रैल 2016-17 तक 6.01 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई।

विश्व व्यापार का परिदृश्य

अक्टूबर, 2016 में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) अपडेट नामक अपनी रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा की गई नवीनतम भविष्यवाणी में यह कहा गया है कि वर्ष 2017 और 2018 में भारत की विकास दर 6.7 प्रतिशत और 7.4 प्रतिशत रहेगी। 2017 और 2018 के लिए वैश्विक उत्पाद विकास दर को क्रमशः 3.6 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि वर्ष 2017 और 2018 में क्रमशः 2.0 में 2.2 प्रतिशत की दर से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विकास की उम्मीद व्यक्त की गई है, उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर 2017 और 2018 के लिए क्रमशः 4.6 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत दर्शाई गई है।

2015 में 2.8 प्रतिशत की तुलना में 2016 में विश्व व्यापार की मात्रा 2.4 प्रतिशत घटी है; उम्मीद है कि इसमें 2017 में 4.2 प्रतिशत तथा 2018 में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2017 के अनुसार, वर्ष 2016 में वस्तु व्यापार में भारत 1.7 प्रतिशत शेयर के साथ विश्व में 20वां सबसे बड़ा निर्यातक और 2.2 प्रतिशत शेयर के साथ 14वां सबसे बड़ा आयातक देश है।

निर्यात

अमरीकी डालर की दृष्टि से पिछले साल की तदनुसूची अवधि की तुलना में अप्रैल से नवंबर 2017-18 (अनंतिम) के दौरान निर्यात में 11.15 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल से नवंबर 2017-18 (अनंतिम) में वस्तु निर्यात 194.97 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया है।

आयात

अप्रैल से नवंबर 2017-18 के दौरान (अनंतिम) आयात का संचयी मूल्य पूर्ववर्ती वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान 243.30 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 297.82 बिलियन अमरीकी डालर था जो अमरीकी डॉलर में मूल्य की दृष्टि से 22.41 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। अप्रैल से नवंबर 2017-18 के दौरान (अनंतिम) तेल के आयात का मूल्य 52.66 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो पूर्ववर्ती वर्ष की तदनुसूची अवधि में 43.34 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के तेल आयात की तुलना में 21.51 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल से नवंबर 2017-18 के दौरान (अनंतिम) तेल से इतर मर्चों के आयात का मूल्य 245.16 बिलियन अमरीकी था जो पूर्ववर्ती वर्ष में 199.96 बिलियन अमरीकी डालर के तेल से इतर मर्चों के आयात से 22.61 प्रतिशत अधिक है।

व्यापार संतुलन

अप्रैल से नवंबर 2017-18 (अनंतिम) में व्यापार घाटा अनुमानित तौर पर 102.85 बिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान 67.89 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापार घाटे से अधिक है। 2007-08 से 2017-18 (अप्रैल से नवंबर) (अनंतिम) के दौरान रुपए और अमरीकी डालर दोनों दृष्टि से निर्यात एवं आयात के निष्पादन और व्यापार संतुलन का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:

सारणी-क: 2007-08 से 2017-18 (अनंतिम) की अवधि के लिए व्यापार के आंकड़े (मूल्य करोड़ रुपए में)						
क्र. सं.	वर्ष	निर्यात	वृद्धि का प्रतिशत	आयात	वृद्धि का प्रतिशत	व्यापार संतुलन
1	2007-2008	655864	14.71	1012312	20.44	-356448
2	2008-2009	840755	28.19	1374436	35.77	-533680
3	2009-2010	845534	0.57	1363736	-0.78	-518202
4	2010-2011	1136964	34.47	1683467	23.45	-546503
5	2011-2012	1465959	28.94	2345463	39.32	-879504
6	2012-2013	1634318	11.48	2669162	13.8	-1034844
7	2013-2014	1905011	16.56	2715434	1.73	-810423
8	2014-2015	1896348	-0.45	2737087	0.8	-840738
9	2015-2016	1716378	-9.49	2490298	-9.02	-773920
10	2016-2017	1849429	7.75	2577666	3.51	-728237
	अप्रैल से नवम्बर 2016-17	1174997		1630200		-455203
	अप्रैल से नवम्बर 2017-18 (अनंतिम)	1258014	7.07	1921823	17.89	-663809

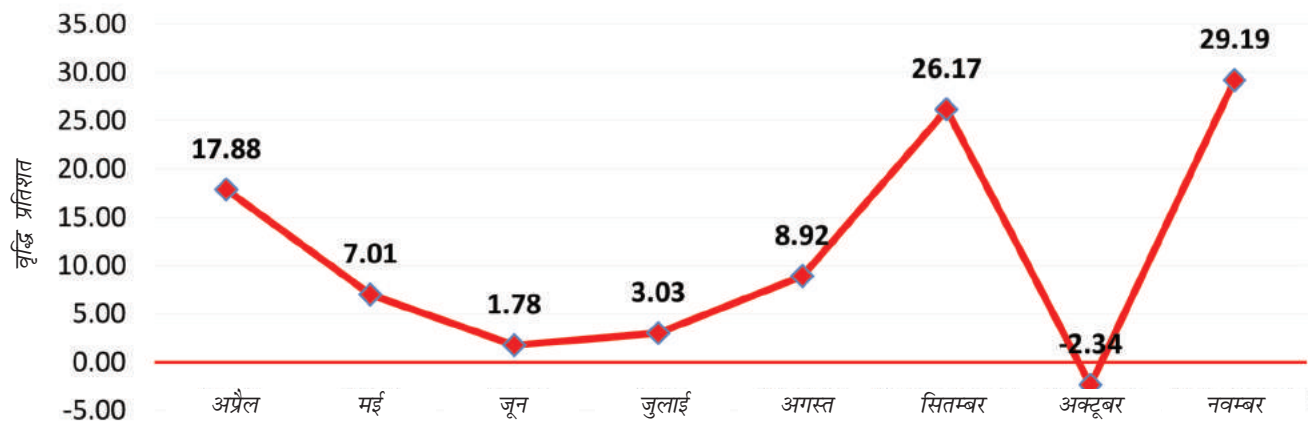
डाटा का स्रोत: डी जी सी आई एस, कोलकाता

सारणी-ख: 2007-08 से 2017-18 (अनंतिम) की अवधि के लिए व्यापार के आंकड़े (मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)						
क्रम संख्या	वर्ष	निर्यात	वृद्धि का प्रतिशत	आयात	वृद्धि का प्रतिशत	व्यापार संतुलन
1	2007-2008	163132	29.05	251654	35.49	-88522
2	2008-2009	185295	13.59	303696	20.68	-118401
3	2009-2010	178751	-3.53	288373	-5.05	-109621
4	2010-2011	249816	39.76	369769	28.23	-119954
5	2011-2012	305964	22.48	489319	32.33	-183356
6	2012-2013	300401	-1.82	490737	0.29	-190336
7	2013-2014	314405	4.66	450200	-8.26	-135794
8	2014-2015	310338	-1.29	448033	-0.48	-137695
9	2015-2016	262290	-15.48	381007	-14.96	-118717
10	2016-2017	275852	5.17	384356	0.88	-108504
	अप्रैल से नवम्बर 2016-17	175411		243297		-67886
	अप्रैल से नवम्बर 2017-18 (अनंतिम)	194971	11.15	297822	22.41	-102852

डाटा का स्रोत: डी जी सी आई एस, कोलकाता

चार्ट 3.1
2017-18 के दौरान वार्षिक निर्यात वृद्धि (अप्रैल-नवम्बर) (अ)

डालर में



डाटा का स्रोत: डी जी सी आई एस, कोलकाता

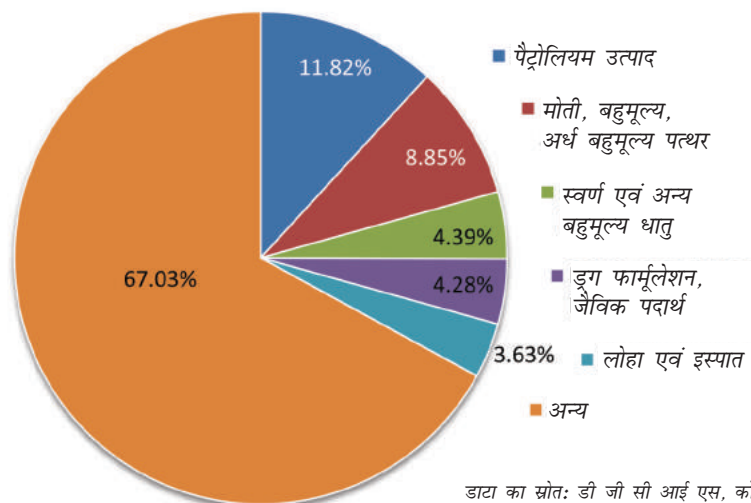
प्रमुख वस्तुओं का निर्यात:

अप्रैल से अक्टूबर 2016-17 की तुलना में अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) की अवधि के लिए रुपए और डालर दोनों में मूल्य की दृष्टि से प्रधान वस्तुओं के निर्यात के अलग-अलग आंकड़े क्रमशः सारणी 3.1 और सारणी 3.2 में दिए गए हैं। अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) की अवधि के दौरान शीर्ष पांच वस्तुओं के निर्यात ने 32.97 प्रतिशत का शेयर दर्ज किया जिसका मुख्य कारण यह है कि पेट्रोलियम उत्पादों; मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों; गोल्ड एवं अन्य बहुमूल्य मेटल ज्वेलरी; ड्रग फार्मूलेशन, जैविक पदार्थों; तथा लोहा एवं इस्पात निर्यात का महत्वपूर्ण योगदान है।

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) के दौरान भारत के कुल निर्यात में शीर्ष पांच वस्तुओं का शेयर नीचे चार्ट 3.2 में दिया गया है:

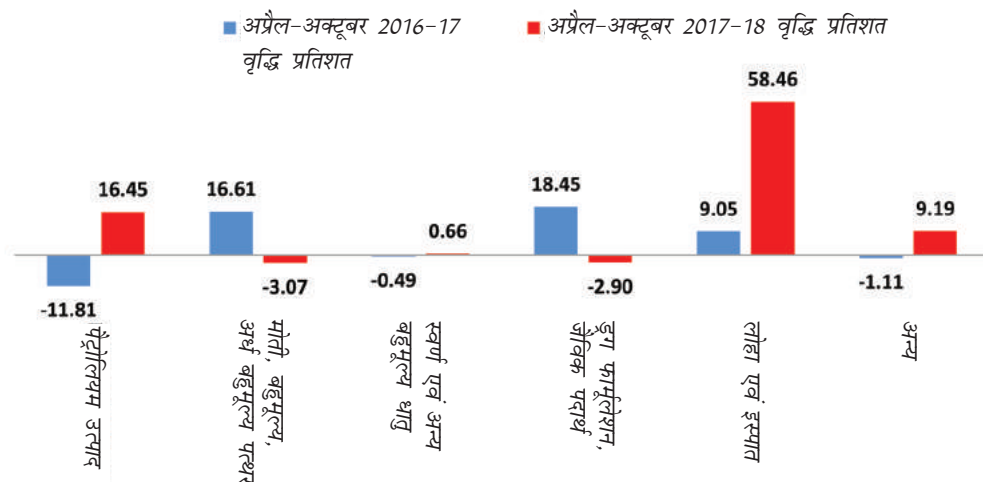
पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) के दौरान शीर्ष पांच वस्तुओं का निर्यात निष्पादन (वृद्धि की दृष्टि से) चार्ट 3.3 में दर्शाया गया है:

चार्ट 3.2
भारत के निर्यात में प्रमुख पांच वस्तुओं का भाग अप्रैल-अक्टूबर 2017-18 (अ)



डाटा का स्रोत: डी जी सी आई एस, कोलकाता

चार्ट 3.3
2016-17 (अप्रैल-अक्टूबर) और 2017-18 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान प्रमुख पांच निर्यातकों की वृद्धि (अ)



डाटा का स्रोत: डी जी सी आई एस, कोलकाता

बागान फसलें

पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) के दौरान बागान फसलों के निर्यात में अमरीकी डालर में मूल्य की दृष्टि से 16.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह मुख्य रूप से अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) में चाय एवं कॉफी में दो डिजिट में वृद्धि तथा प्राकृतिक रबर में 300 प्रतिशत वृद्धि के कारण है।

कृषि तथा संबद्ध उत्पाद

समूह के रूप में कृषि तथा संबद्ध उत्पादों में चावल - बासमती; गैर बासमती; अन्य अनाज; दलहन; तंबाकू; मसाले; काजू; मांस; ताजे फल एवं सब्जियां आदि शामिल हैं। अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) के दौरान निर्यात पिछले वर्ष में 13,559.89 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में बढ़कर 15,353.04 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो 13.22 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उक्त अवधि के दौरान इस वस्तु समूह के तहत शामिल 40 वस्तुओं में से 23 ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

समुद्री उत्पाद

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात का मूल्य 4,479.12 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 3,470.04 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 29.08 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

अयस्क एवं खनिज

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) के दौरान अयस्क एवं खनिजों के निर्यात का मूल्य बढ़कर 1,681.98 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 1,440.52 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 16.76 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से लौह अयस्क के निर्यात में 41.53 प्रतिशत और कोयला, कोक एवं ब्रिकेट के निर्यात में 25.17 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि के कारण है।

चर्म एवं चर्म विनिर्माण

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) के दौरान चर्म एवं चर्म विनिर्माण के निर्यात ने 0.79 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है क्योंकि निर्यात का मूल्य पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 3,153.92 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 3,178.84 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

रत्न तथा आभूषण

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) की अवधि के दौरान रत्न एवं आभूषण का निर्यात पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 26,602.43 मिलियन अमरीकी डालर से घटकर 24,655.45 मिलियन अमरीकी डालर रह गया जो 7.32 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों तथा गोल्ड के निर्यात के मूल्य में क्रमशः 3.07 प्रतिशत और 43.83 प्रतिशत की गिरावट के कारण है।

खेलों के सामान

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) की अवधि के दौरान खेलों के सामान के निर्यात का मूल्य 145.66 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 144.09 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 1.09 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

रसायन और संबद्ध उत्पाद

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) की अवधि के दौरान रसायनों एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात का मूल्य 20,377.31 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 18,724.01 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 8.83 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से डाई के निर्यात में 5.23 प्रतिशत, कृषि रसायनों के निर्यात में 15.05 प्रतिशत, अजैविक रसायनों के निर्यात में 35.77 प्रतिशत, जैविक रसायनों के निर्यात में 38.23 प्रतिशत और अवशिष्ट रसायनों एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात में 12.01 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि के कारण है।

प्लास्टिक एवं रबर की वस्तुएं

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) की अवधि के दौरान प्लास्टिक एवं रबर की वस्तुओं के निर्यात का मूल्य 4,101.49 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 3,655.37 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के

निर्यात की तुलना में 12.20 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से फुटवियर को छोड़कर रबर के अन्य उत्पादों के निर्यात में 17.87 प्रतिशत, प्लास्टिक के कच्चे माल के निर्यात में 17.67 प्रतिशत और प्लास्टिक की शीट, फिल्म, प्लेट आदि के निर्यात में 17.82 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि के कारण है।

पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एसबेस्टस, अभ्रक या समान सामग्रियों की वस्तुएं, मिट्टी के उत्पाद, ग्लास एवं ग्लासवेयर

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) की अवधि के दौरान इस श्रेणी के माल के निर्यात का मूल्य बढ़कर 2,575.19 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 2,390.53 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 7.72 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। उक्त अवधि के दौरान इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

कागज एवं संबद्ध उत्पाद

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) की अवधि के दौरान कागज एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात का मूल्य सीमांत वृद्धि के साथ 1,452.53 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 1,421.74 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 2.17 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इस वस्तु समूह के तहत, पुस्तकों, प्रकाशनों तथा मुद्रण एवं अन्य लुदी व कागज अपशिष्ट को छोड़कर इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि का प्रदर्शन किया है।

बेस मेटल

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) की अवधि के दौरान बेस मेटल के निर्यात का मूल्य बढ़कर 15,436.23 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 10,777.27 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 43.23 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से इसलिए है कि गिल्ट और गिल्ट के बने उत्पाद को छोड़कर इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

आप्टिकल, मेडिकल एवं सर्जिकल इंस्ट्रुमेंट्स

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) की अवधि के दौरान आप्टिकल, मेडिकल एवं सर्जिकल इंस्ट्रुमेंट्स के निर्यात का मूल्य बढ़कर 1,247.00 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 1,069.47 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 16.60 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। उक्त अवधि में इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

इलेक्ट्रॉनिक मर्चे

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मर्चे के निर्यात का मूल्य बढ़कर 3,350.08 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 3,283.40 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 2.03 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़कर इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

मशीनरी

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) की अवधि के दौरान मशीनरी के निर्यात का मूल्य बढ़कर 13,268.78 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 11,582.17 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 14.56 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। वस्तुओं के इस समूह के तहत 15 में से 12 वस्तुओं ने इस अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

कार्यालय उपकरण

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) की अवधि के दौरान कार्यालय उपकरणों के निर्यात का मूल्य घटकर 52.67 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 63.77 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 17.41 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

परिवहन उपकरण

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) की अवधि के दौरान परिवहन उपकरणों के निर्यात का मूल्य बढ़कर 13,341.62 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 12,789.09 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 4.32 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से इसलिए है कि एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और पाटर्स को छोड़कर इस समूह की सभी

वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

परियोजना माल

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) की अवधि के दौरान परियोजना माल के निर्यात का मूल्य घटकर 3.31 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 17.05 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 80.58 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

कपड़ा एवं संबद्ध उत्पाद

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) की अवधि के दौरान कपड़ा एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात का मूल्य 20,411.65 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 19,625.18 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 4.01 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इस अवधि के दौरान, इस समूह की 25 में से 15 वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

पेट्रोलियम (कच्चा एवं उत्पाद)

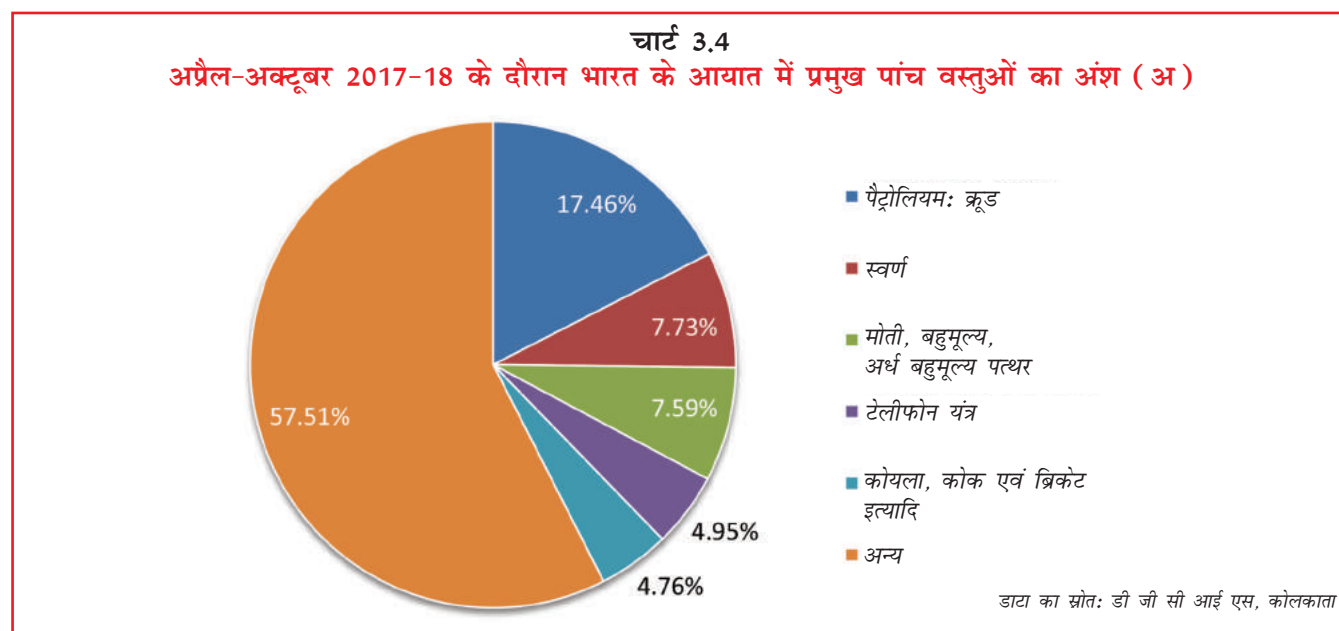
अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) के दौरान पेट्रोलियम (कच्चा एवं

उत्पाद) का निर्यात पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 17,185.66 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 20,012.44 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो 16.45 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

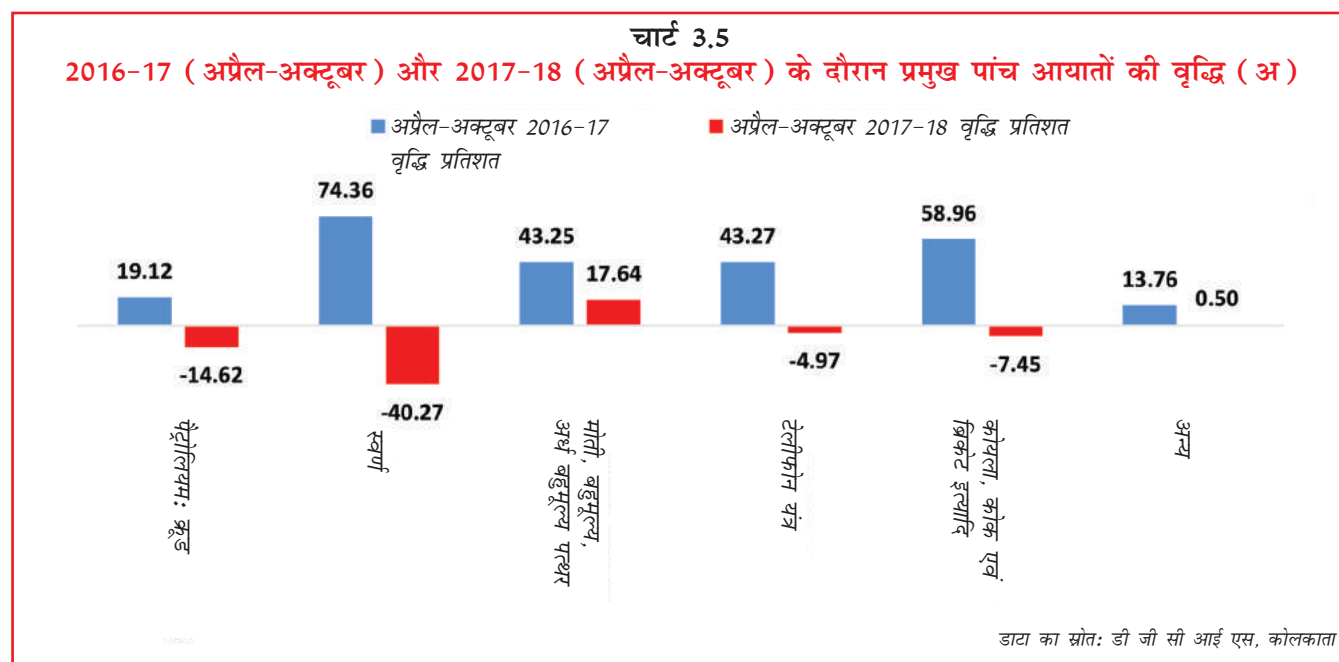
प्रधान वस्तुओं का आयात:

अप्रैल से अक्टूबर 2016-17 की तुलना में अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) की अवधि के लिए रुपए और डालर दोनों में मूल्य की दृष्टि से प्रधान वस्तुओं के आयात के अलग - अलग आंकड़े क्रमशः सारणी 3.3 और सारणी 3.4 में दिए गए हैं। अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) की अवधि के दौरान शीर्ष पांच वस्तुओं के आयात ने मुख्य रूप से पेट्रोलियम कूड; गोल्ड; मोती, बहुमूल्य एवं अर्ध बहुमूल्य पत्थरों; टेलीकॉम इंस्ट्रुमेंट; तथा कोयला, कोक एवं ब्रिकेट के काफी आयात के कारण 42.49 प्रतिशत का शेयर दर्ज किया।

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) के दौरान भारत के कुल आयात में शीर्ष पांच वस्तुओं का शेयर नीचे चार्ट 3.4 में दिया गया है:



पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) के दौरान शीर्ष पांच प्रमुख वस्तुओं का आयात निष्पादन (वृद्धि की दृष्टि से) चार्ट 3.5 में दर्शाया गया है :



बागान फसलें

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) के दौरान बागान फसलों के आयात में अमरीकी डालर में मूल्य की दृष्टि से 19.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आयात का मूल्य अप्रैल से अक्टूबर 2016-17 में 525.91 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) के दौरान 628.28 मिलियन अमरीकी डालर हो गया। इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि का प्रदर्शन किया है।

कृषि तथा संबद्ध उत्पाद

पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) के दौरान कृषि एवं संबद्ध उत्पादों के आयात में 15.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयात का मूल्य अप्रैल से अक्टूबर 2016-17 में 12,201.53 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) के दौरान 14,047.85 मिलियन अमरीकी डालर हो गया। इस समूह के तहत 39 में से 10 वस्तुओं ने इस अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

समुद्री उत्पाद

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) के दौरान समुद्र उत्पादों के आयात का मूल्य घटकर 55.15 मिलियन अमरीकी डालर रह गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 56.81 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 2.92 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

अयस्क एवं खनिज

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) के दौरान अयस्कों एवं खनिजों के निर्यात का मूल्य बढ़कर 16,925.31 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 10,845.77 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 56.05 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। सल्फर, अनरोस्टेड आयरन पाइराइट, जिसने 14.83 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, को छोड़कर इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि का प्रदर्शन किया है।

चर्म एवं चर्म विनिर्माण

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) के दौरान चर्म एवं चर्म विनिर्माण के आयात ने 3.16 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है क्योंकि आयात का मूल्य पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 594.17 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 612.94 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है। यह मुख्य रूप से चमड़े के फुटवियर तथा तैयार लेदर की वृद्धि दर में उत्थान के कारण है जिनके आयात में क्रमशः 2.48 प्रतिशत और 14.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

रत्न तथा आभूषण

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) के दौरान रत्न तथा आभूषण के निर्यात का मूल्य बढ़कर 43,671.70 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 26,451.21 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 65.10 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

खेलों के सामान

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) की अवधि के दौरान खेलों के सामान के आयात का मूल्य बढ़कर 164.41 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 128.81 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 27.64 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

रसायन और संबद्ध उत्पाद

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) की अवधि के दौरान रसायनों एवं संबद्ध उत्पादों के आयात का मूल्य बढ़कर 22,960.92 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 20,369.57 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 12.72 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इस समूह के तहत 15 में से 11 वस्तुओं ने इस अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

प्लास्टिक एवं रबर की वस्तुएं

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) की अवधि के दौरान प्लास्टिक एवं रबर की वस्तुओं के आयात का मूल्य बढ़कर 9,854.17 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 8,334.77 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 18.23 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

इस अवधि के दौरान इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एसबेस्टस, अभ्रक या समान सामग्रियों की वस्तुएं, मिट्टी के उत्पाद, ग्लास एवं ग्लासवेयर

अप्रैल से दिसंबर 2017-18 (अन्तिम) की अवधि के दौरान इस श्रेणी के माल के आयात का मूल्य बढ़कर 1,575.96 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 1,355.69 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 16.25 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर एवं उत्पाद को छोड़कर इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

कागज एवं संबद्ध उत्पाद

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) की अवधि के दौरान कागज एवं संबद्ध उत्पादों के आयात का मूल्य बढ़कर 4,912.21 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 4,119.39 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 19.25 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इस अवधि के दौरान इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

बेस मेटल

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) की अवधि के दौरान बेस मेटल के आयात का मूल्य बढ़कर 15,483.56 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 12,413.78 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 24.73 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। जिंक एवं जिंक से बने उत्पादों को छोड़कर इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

आप्टिकल, मेडिकल एवं सर्जिकल इंस्ट्रुमेंट्स

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) की अवधि के दौरान आप्टिकल, मेडिकल एवं सर्जिकल इंस्ट्रुमेंट्स के आयात का मूल्य 3,022.14 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 2,471.41 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 22.28 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि इस अवधि के दौरान इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

इलेक्ट्रॉनिक मवें

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मवें के आयात का मूल्य 29,787.41 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 22,806.10 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 30.61 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इस अवधि के दौरान इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

मशीनरी

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) की अवधि के दौरान मशीनरी के आयात का मूल्य 21,544.20 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 18,541.30 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 16.20 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। बॉयलर, पार्ट्स सहित परमाणु रिएक्टर को छोड़कर इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

कार्यालय उपकरण

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) की अवधि के दौरान कार्यालय उपकरणों के आयात का मूल्य घटकर 29.59 मिलियन अमरीकी डालर रह गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 46.23 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 36.00 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

परिवहन उपकरण

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) की अवधि के दौरान परिवहन उपकरणों के आयात का मूल्य 8,133.37 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 10,145.37 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 19.83 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट एवं पार्ट्स और शिप, बोट एवं फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के आयात में क्रमशः 41.21 प्रतिशत और 25.75 प्रतिशत की गिरावट के कारण है।

परियोजना माल

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम) के दौरान परियोजना माल का आयात

पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 1,132.13 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 1,251.53 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो 10.55 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

कपड़ा एवं संबद्ध उत्पाद

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) की अवधि के दौरान कपड़ा एवं संबद्ध उत्पादों के आयात का मूल्य 3,873.79 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 3,490.14 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 10.99 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इस समूह के तहत 25 में से 19 वस्तुओं ने इस अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

पेट्रोलियम कच्चा एवं उत्पाद

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) के दौरान पेट्रोलियम (कच्चा एवं उत्पाद) का आयात पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 46,788.46 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 55,786.90 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो 19.23 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। यह इस अवधि के दौरान पेट्रोलियम कूड के आयात के मूल्य में 19.12 प्रतिशत और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के मूल्य में 19.69 प्रतिशत की वृद्धि के कारण है।

भारत के विदेश व्यापार की दिशा:

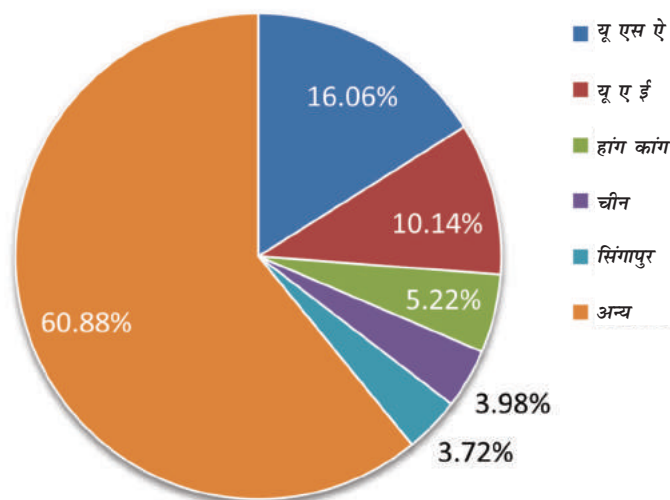
रुपए और डालर दोनों में मूल्य की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्रों / देशों से भारत के

आयात एवं निर्यात का मूल्य क्रमशः सारणी 3.5, 3.6, 3.7 और 3.8 में दिया गया है। अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) के दौरान भारत के निर्यात के प्रमुख गंतव्यों तथा आयात के प्रमुख स्रोतों का शेयर क्रमशः चार्ट 3.6 और 3.7 में दिया गया है।

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) की अवधि के दौरान भारत के कुल निर्यात में एशिया (जिसमें पूर्वी एशिया, आसियान, पश्चिम एशिया, अन्य पश्चिम एशिया, उत्तर पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के देश शामिल हैं) का शेयर 49.39 प्रतिशत है। भारत के निर्यात में यूरोप और अमरीका का शेयर क्रमशः 21.09 प्रतिशत और 19.24 प्रतिशत है जिसमें से यूरोपीय संघ के देशों (27) का शेयर 17.07 प्रतिशत है। इस अवधि के दौरान, संयुक्त राज्य अमरीका (16.06 प्रतिशत) निर्यात गंतव्य का सबसे महत्वपूर्ण देश रहा है, जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (10.14 प्रतिशत), हांगकांग (5.22 प्रतिशत), चीन जनवादी गणराज्य (3.98 प्रतिशत) और सिंगापुर (3.72 प्रतिशत) का स्थान है।

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अर्न्तम) की अवधि के दौरान भारत के कुल आयात में एशिया का शेयर 60.49 प्रतिशत था, जिसके बाद यूरोप (14.78 प्रतिशत) और अमरीका (11.81 प्रतिशत) का स्थान है। व्यक्तिगत देशों में चीन का शेयर सर्वाधिक (16.86 प्रतिशत) रहा है, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमरीका (5.47 प्रतिशत), संयुक्त अरब अमीरात (5.01 प्रतिशत), सऊदी अरब (4.65 प्रतिशत) और स्विट्जरलैंड (4.38 प्रतिशत) का स्थान है।

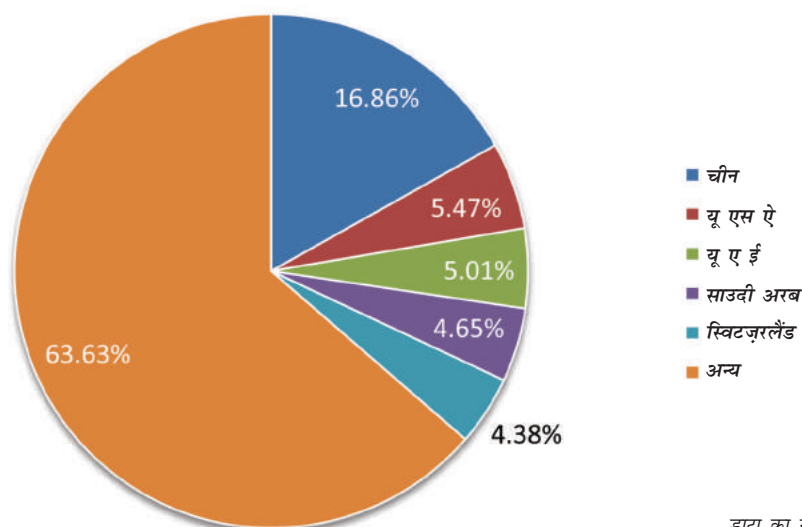
चार्ट 3.6
अमेरिकी डालर में अप्रैल-अक्टूबर 2017-18 के लिए भारत के निर्यात के प्रमुख गंतव्य



डाटा का स्रोत: डी जी सी आई एस, कोलकाता

चार्ट 3.7
अप्रैल-अक्टूबर 2017-18 के लिए भारत के आयात के प्रमुख स्रोत (पी)

अमेरिकी डालर में



डाटा का स्रोत: डी जी सी आई एस, कोलकाता

अनुबंध सारणी
घटक 3.1
प्रमुख वस्तुओं का निर्यात

मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वस्तु	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
1. बागान	1,562.60	1,611.74	895.02	1,045.25	16.78	0.62
चाय	720.03	731.26	410.7	462.56	12.63	0.27
कॉफी	783.87	842.84	481.81	572.25	18.77	0.34
प्राकृतिक रबर	58.7	37.65	2.51	10.44	315.37	0.01
2. कृषि एवं संबद्ध उत्पाद	24,521.93	24,549.19	13,559.89	15,353.04	13.22	9.07
चावल - बासमती	3,477.98	3,208.60	1,817.08	2,355.79	29.65	1.39
चावल (बासमती से भिन्न)	2,368.64	2,525.19	1,414.15	1,993.98	41	1.18
गेहूँ	164.22	66.85	52.02	43	-17.34	0.03
अन्य अनाज	261.18	212.3	120.85	117.33	-2.91	0.07
दालें	252.11	191.05	116.76	122.67	5.06	0.07
तम्बाकू (अनिर्मित)	665.33	634.38	361.86	337.6	-6.71	0.2
तम्बाकू (निर्मित)	316.68	324.31	194.09	187.23	-3.54	0.11
मसाले	2,541.46	2,851.95	1,644.38	1,743.40	6.02	1.03
काजू	768.55	786.93	396.61	568.96	43.46	0.34
काजू गिरी शेल लिक्विड	8.83	6.56	4.14	2.91	-29.74	0
तिल	459.77	402.17	244.02	238.55	-2.24	0.14
नाइजर के बीज	18.99	17.46	9.47	5.58	-41.08	0
मूंगफली	620.36	809.6	315.75	234.03	-25.88	0.14
अन्य तिलहन	147.77	126	46.99	93.81	99.64	0.06
वनस्पति तेल	79.93	116.29	62.46	49.51	-20.73	0.03
खली	553.01	805.45	267.65	526.94	96.88	0.31
ग्वार गम मील	496.57	463.35	216.2	352.07	62.85	0.21
अरंडी का तेल	705.2	674.73	388.64	627.57	61.48	0.37
लाख	30.9	33.6	16.33	25.22	54.41	0.01
चीनी	1,490.52	1,290.71	734.32	556.88	-24.16	0.33
शीरा	101	47.06	41.62	8	-80.79	0
फलों / सब्जियों के बीज	80.89	78.16	46.23	64.9	40.4	0.04
ताजे फल	635.49	743.23	321.53	311.48	-3.12	0.18
ताजी सब्जियां	799.93	863.12	498.95	410.66	-17.69	0.24
प्रसंस्कृत सब्जियां	258.92	263.57	152.82	156.11	2.15	0.09
प्रसंस्कृत फल एवं जूस	574.46	584.79	330.91	351.7	6.28	0.21
अनाज से बनी वस्तुएं	513.03	531.7	316.07	312.56	-1.11	0.18
कोको उत्पाद	193.31	162.18	102.14	95.47	-6.53	0.06
मिल उत्पाद	169.12	121.37	74.8	75.01	0.29	0.04
विविध प्रसंस्कृत मर्दे	444.28	455.59	274.56	312.09	13.67	0.18
पशु आवरण	2.61	2.06	1.34	20.15	1,399.28	0.01
भैंस का मांस	4,069.08	3,903.49	2,264.05	2,291.07	1.19	1.35
भेड़ / बकरी का मांस	128.38	129.69	78.15	83.91	7.37	0.05
अन्य मांस		0.03	0.03	0.99	3,119.09	0
प्रसंस्कृत मांस	0.96	0.69	0.25	0.52	110.14	0

अनुबंध सारणी
घटक 3.1
प्रमुख वस्तुओं का निर्यात

मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वस्तु	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
डेयरी उत्पाद	256.93	253.73	134.73	155.12	15.14	0.09
पोल्ट्री उत्पाद	117.42	79.11	44.63	44.23	-0.89	0.03
फूलों की खेती के उत्पाद	73.8	81.55	48.76	46.35	-4.95	0.03
अल्कोहलिक पेय	310.31	298.9	169.99	186.96	9.98	0.11
आयुष एवं हर्बल उत्पाद	364	401.68	234.57	242.73	3.48	0.14
3. समुद्री उत्पाद	4,767.50	5,903.06	3,470.04	4,479.12	29.08	2.64
समुद्री उत्पाद	4,767.50	5,903.06	3,470.04	4,479.12	29.08	2.64
4. अयस्क एवं खनिज	2,014.92	3,255.61	1,440.52	1,681.98	16.76	0.99
लौह अयस्क	191.46	1,533.53	557.12	788.5	41.53	0.47
अभ्रक	52.72	55.83	31.36	36.65	16.87	0.02
कोयला, कोक और ब्रिकेट आदि	160.45	164.57	48.37	60.55	25.17	0.04
थोक खनिज एवं अयस्क	550.51	419.21	211.23	219.18	3.76	0.13
प्रसंस्कृत खनिज	872.82	898.51	491.18	477	-2.89	0.28
सल्फर, अनरोस्टेड आयरन पाइराइट	78.93	52.13	29.86	33.7	12.88	0.02
अन्य कच्चे खनिज	108.02	131.84	71.41	66.4	-7.01	0.04
5. चर्म एवं चर्म विनिर्माण	5,554.34	5,308.30	3,153.92	3,178.84	0.79	1.88
कच्ची खाल एवं त्वचा	0.28	0.33	0.08	0.16	104.29	0
फिनिश लेदर	1,049.26	887.03	535.71	526.12	-1.79	0.31
चमड़े की वस्तुएं	1,370.84	1,316.59	778.11	790.4	1.58	0.47
लेदर गारमेंट	553.98	535.37	331.59	319.09	-3.77	0.19
चमड़े के फुटवियर	2,148.41	2,127.90	1,247.28	1,259.58	0.99	0.74
लेदर फुटवियर कंपोनेंट	285.1	298.71	175.68	192.77	9.72	0.11
काठी एवं साज	146.47	142.37	85.45	90.72	6.16	0.05
6. रत्न तथा आभूषण	39,283.46	43,412.76	26,602.43	24,655.45	-7.32	14.56
मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थर	22,297.26	24,923.77	15,465.96	14,991.24	-3.07	8.85
सोना	5,573.54	6,121.43	3,551.76	1,994.94	-43.83	1.18
चांदी	7.35	11.29	6.62	5.38	-18.68	0
अन्य बहुमूल्य एवं बेस मेटल	447.29	421.66	195.91	232.88	18.87	0.14
सोना एवं अन्य बहुमूल्य मेटल के आभूषण	10,958.01	11,934.61	7,382.19	7,431.01	0.66	4.39
7. खेलों के सामान	227.7	224.83	144.09	145.66	1.09	0.09
खेलों के सामान	227.7	224.83	144.09	145.66	1.09	0.09
8. रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	32,169.23	32,779.30	18,724.01	20,377.31	8.83	12.03
उर्वरक, कच्चा	11.83	9.17	5.12	7.13	39.23	0
उर्वरक, विनिर्मित	91.7	60.33	27.51	33.45	21.56	0.02
थोक औषधियां, औषधि मध्यवर्ती	3,597.28	3,383.52	1,952.37	1,941.29	-0.57	1.15
डाई मध्यवर्ती	181.14	185.08	108.4	114.6	5.72	0.07
डाई	1,873.95	1,923.12	1,142.56	1,202.29	5.23	0.71
ड्रग फार्मुलेशन, जैविक	12,647.84	12,666.44	7,465.91	7,249.75	-2.9	4.28
कृषि रसायन	1,965.71	2,140.73	1,130.93	1,301.16	15.05	0.77
अजैविक रसायन	628.2	727.63	381.32	517.73	35.77	0.31

अनुबंध सारणी
घटक 3.1
प्रमुख वस्तुओं का निर्यात

मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वस्तु	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
जैविक रसायन	4,859.52	4,844.39	2,648.26	3,660.78	38.23	2.16
अन्य विविध रसायन	673.64	640.2	354.16	404.44	14.2	0.24
कास्मेटिक्स एवं शौचालय के सामान	1,356.58	1,454.15	833.39	941.68	12.99	0.56
गंध तेल	115.44	112.45	61.81	84.96	37.45	0.05
अवशिष्ट रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद	3,505.17	3,894.92	2,175.79	2,437.02	12.01	1.44
पेंट, वार्निश एवं संबद्ध उत्पाद	594.73	662.39	391.47	430.48	9.97	0.25
ग्रेफाइट, विस्फोटक एवं साजो-सामान	66.49	74.78	45.01	50.57	12.35	0.03
9. प्लास्टिक एवं रबर की वस्तुएं	6,415.86	6,438.39	3,655.37	4,101.49	12.2	2.42
फुटवियर को छोड़कर रबर के अन्य उत्पाद	922.3	961.33	536.03	631.81	17.87	0.37
रबर / कैनवस आदि के फुटवियर	308.15	338.55	204	195.28	-4.27	0.12
माउल्टेड एवं एक्सट्रूडेड गुड्स	1,049.22	1,032.33	585.15	609.6	4.18	0.36
प्लास्टिक की कच्ची सामग्री	2,491.33	2,508.93	1,391.77	1,637.77	17.67	0.97
प्लास्टिक की शीट, फिल्म, प्लेट आदि	1,030.51	1,020.56	591.88	697.37	17.82	0.41
लेखन सामग्री / कार्यालय, स्कूल आपूर्ति	244.09	231.37	145.01	129.82	-10.47	0.08
प्लास्टिक की अन्य मदें	370.27	345.31	201.53	199.83	-0.84	0.12
10. पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एसबेस्टस, अभ्रक या समान सामग्रियों की वस्तुएं; मिट्टी के उत्पाद; ग्लास एवं ग्लासवेयर	3,879.36	4,087.58	2,390.53	2,575.19	7.72	1.52
ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर एवं उत्पाद	1,832.35	1,856.08	1,073.18	1,130.82	5.37	0.67
सीमेंट, क्लीकर एवं एसबेस्टस सीमेंट	335.62	374.87	217.91	232.22	6.57	0.14
मृद भांड तथा संबद्ध उत्पाद	990.21	1,175.13	683.01	792.19	15.99	0.47
ग्लास एवं ग्लासवेयर	721.19	681.5	416.44	419.96	0.85	0.25
11. कागज एवं संबद्ध उत्पाद	2,347.60	2,335.17	1,421.74	1,452.53	2.17	0.86
पुस्तक, प्रकाशन एवं मुद्रण	285.48	280.97	170.96	150.5	-11.97	0.09
न्यूजप्रिंट	2.67	2.42	1.65	2.2	33.84	0
कागज, कागज के बोर्ड एवं उत्पाद	1,184.56	1,217.89	759.49	784.54	3.3	0.46
प्लाइवुड तथा संबद्ध उत्पाद	777.69	781.52	473.93	490.77	3.55	0.29
अन्य लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद	85.88	45.35	10.02	23.86	138.07	0.01
लुग्दी एवं अपशिष्ट कागज	11.32	7.01	5.7	0.66	-88.48	0
12. बेस मेटल	18,497.79	21,890.32	10,777.27	15,436.23	43.23	9.12
लोहा एवं इस्पात	5,492.75	8,683.01	3,882.19	6,151.88	58.46	3.63
लोहा एवं इस्पात के उत्पाद	6,134.95	5,895.44	3,320.87	3,800.23	14.43	2.24
एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद	2,639.77	3,244.69	1,686.45	2,559.56	51.77	1.51
कॉपर तथा कॉपर से बने उत्पाद	2,539.74	2,672.94	1,294.50	1,968.44	52.06	1.16
लीड तथा लीड से बने उत्पाद	181.53	236.89	79.91	191.07	139.11	0.11
गिल्ट, गिल्ट से बने उत्पाद	492.88	92.65	65.05	27.61	-57.56	0.02
टिन तथा टिन से बने उत्पाद	57.22	8.84	3.33	6.53	95.78	0
जिंक तथा जिंक से बने उत्पाद	527.07	609.71	187.79	445.96	137.48	0.26
अन्य अलौह धातुएं एवं उनसे बने उत्पाद	431.88	446.17	257.18	284.96	10.8	0.17
13. आण्टिकल, मेडिकल एवं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स	1,635.07	1,889.58	1,069.47	1,247.00	16.6	0.74

अनुबंध सारणी
घटक 3.1
प्रमुख वस्तुओं का निर्यात

मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वस्तु	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स	302.88	333.36	193.84	211.68	9.21	0.12
ऑप्टिकल मर्दे (लेंस आदि सहित)	342.96	379.53	214.82	262.3	22.1	0.15
चिकित्सा तथा वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट	989.24	1,176.69	660.81	773.02	16.98	0.46
14. इलेक्ट्रॉनिक्स की मर्दे	5,690.23	5,689.18	3,283.40	3,350.08	2.03	1.98
कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफरल	358.18	262.38	149.05	152.95	2.62	0.09
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	651.48	583.85	353.26	214.01	-39.42	0.13
इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट	1,842.05	1,789.41	1,060.67	1,169.21	10.23	0.69
इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट	1,962.80	2,009.94	1,128.94	1,158.39	2.61	0.68
दूरसंचार के इंस्ट्रूमेंट	875.72	1,043.60	591.48	655.52	10.83	0.39
15. मशीनरी	18,922.31	20,151.74	11,582.17	13,268.78	14.56	7.84
इलेक्ट्रोड्स	42.53	40.68	24.25	24.89	2.64	0.01
एक्युमुलेटर और बैटरी	203.3	233.07	131.13	144.04	9.85	0.09
हैंड टूल, मेटल के कटिंग टूल	640.6	638.95	379.24	401.95	5.99	0.24
मशीन टूल	392.35	452.01	271.19	269.79	-0.51	0.16
एसी, रेफ्रिजेशन मशीनरी आदि	1,048.09	983.59	570.15	626.03	9.8	0.37
क्रैन, लिफ्ट एवं घिरनी	423.63	386.28	248.68	185.25	-25.51	0.11
इलेक्ट्रिक मशीनरी एवं उपकरण	3,689.51	4,742.25	2,690.75	3,338.52	24.07	1.97
आईसी इंजन एवं पुर्जे	2,106.23	2,115.14	1,262.11	1,467.57	16.28	0.87
इंडस्ट्रियल डेयरी आदि के लिए मशीनरी सहित	4,641.95	4,640.98	2,613.40	2,874.68	10	1.7
एटीएम, इंजेक्टिंग मेल्लिंग मशीनरी आदि	1,262.83	1,268.77	715.72	851.06	18.91	0.5
परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, पुर्जे	680.77	669.96	411.98	330.69	-19.73	0.2
अन्य निर्माण मशीनरी	1,077.86	1,067.42	575.57	737.91	28.21	0.44
अन्य विविध इंजीनियरिंग मर्दे	1,988.33	2,132.95	1,261.74	1,460.60	15.76	0.86
प्राइम अश्रक तथा अश्रक के उत्पाद	17.15	18.17	10.18	12.57	23.43	0.01
सभी प्रकार के पंप	707.18	761.5	416.07	543.22	30.56	0.32
16. कार्यालय उपकरण	89.49	117.92	63.77	52.67	-17.41	0.03
कार्यालय उपकरण	89.49	117.92	63.77	52.67	-17.41	0.03
17. परिवहन उपकरण	21,336.08	23,163.13	12,789.09	13,341.62	4.32	7.88
आटो टायर एवं ट्यूब	1,387.25	1,494.25	848.15	984.6	16.09	0.58
आटो कंपोनेंट / पुर्जे	4,217.37	4,205.38	2,465.19	2,817.97	14.31	1.66
साइकल एवं पुर्जे	298.44	293.68	169.16	179.42	6.07	0.11
एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट एवं पुर्जे	3,729.36	3,381.66	1,900.21	1,302.20	-31.47	0.77
मोटर वाहन / कार	6,727.44	7,547.45	4,319.86	4,326.72	0.16	2.55
रेलवे परिवहन उपकरण, पुर्जे	109.93	231.92	113.49	179.84	58.46	0.11
पोत, नाव एवं फ्लोटिंग स्ट्रक्चर	3,088.46	4,370.60	2,024.15	2,420.26	19.57	1.43
दुपहिया एवं तिपहिया वाहन	1,777.84	1,638.19	948.88	1,130.61	19.15	0.67
18. परियोजना माल	25.13	28.74	17.05	3.31	-80.58	0
परियोजना माल	25.13	28.74	17.05	3.31	-80.58	0
19. कपड़ा एवं संबद्ध उत्पाद	35,952.65	35,766.63	19,625.18	20,411.65	4.01	12.05
मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	540.41	594.24	322.73	368.84	14.29	0.22

अनुबंध सारणी
घटक 3.1
प्रमुख वस्तुओं का निर्यात

मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वस्तु	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
कॉटन यार्न	3,608.12	3,337.49	1,702.29	1,784.80	4.85	1.05
कॉटन फेब्रिक, मेडअप आदि	5,266.17	5,212.53	3,041.82	3,113.64	2.36	1.84
टेक्सटाइल यार्न, फेब्रिक, मेडअप से बनी अन्य वस्तुएं	335.69	358.21	205.45	227.16	10.57	0.13
कच्चा रेशम	0.22	0.07	0.02	0	-97.96	0
प्राकृतिक रेशम के धागे, फेब्रिक, मेडअप	84.05	61.81	39.24	31.82	-18.92	0.02
मानव निर्मित धागा, फेब्रिक, मेडअप	4,621.63	4,557.08	2,637.34	2,756.00	4.5	1.63
कच्चा ऊन	0.44	0.22	0.14	0.33	141.99	0
मानव निर्मित धागा, फेब्रिक, मेडअप आदि	196.44	174.87	98.79	97.7	-1.11	0.06
साजो-सामान सहित कॉटन के रेडिमेड गारमेंट	9,091.55	8,513.22	4,837.67	4,745.32	-1.91	2.8
रेशम के रेडिमेड गारमेंट	244.06	141.71	67.22	90.8	35.08	0.05
मानव निर्मित फाइबर के रेडिमेड गारमेंट	4,181.71	5,035.94	2,726.61	3,116.83	14.31	1.84
ऊन के रेडिमेड गारमेंट	262.37	214.5	146.87	108.3	-26.26	0.06
वस्त्र निर्माण की अन्य सामग्री के रेडिमेड गारमेंट	3,184.54	3,462.79	2,042.37	1,943.56	-4.84	1.15
कॉयर एवं कॉयर के विनिर्माण	261.59	294.96	167.05	191.47	14.62	0.11
हथकरघा के उत्पाद	368.52	359.73	210.91	214.88	1.88	0.13
रेशम के अपशिष्ट	13.74	14.58	9.28	8.05	-13.21	0
कच्चा जूट	17.18	11.44	6.95	6.42	-7.6	0
जूट के धागे	18.34	10.65	4.61	11.03	139.38	0.01
जूट के टाट	125.54	138.23	78.19	84.78	8.43	0.05
जूट के फ्लोर केयरिंग	34	37.75	22.19	25.93	16.85	0.02
जूट के अन्य विनिर्माण	117.47	123.31	66.2	77.45	16.99	0.05
हाथ से निर्मित कालीन (रेशम को छोड़कर)	1,437.60	1,480.69	854.9	838.19	-1.96	0.49
रेशम के कालीन	2.6	9.5	3.9	0.92	-76.43	0
अपशिष्ट सहित कच्चा कॉटन	1,938.66	1,621.11	332.43	567.43	70.7	0.34
20. पेट्रोलियम (कच्चा एवं उत्पाद)	30,582.72	31,545.26	17,185.66	20,012.44	16.45	11.82
पेट्रोलियम: क्रूड						
पेट्रोलियम उत्पाद	30,582.72	31,545.26	17,185.66	20,012.44	16.45	11.82
21. अन्य	6,814.13	5,703.27	3,493.78	3,179.77	-8.99	1.88
अन्य वस्तुएं	4,303.28	2,823.01	1,725.47	1,566.32	-9.22	0.92
मानव केश, उनके उत्पाद	301.15	295.55	166.2	149.71	-9.92	0.09
पैकेजिंग की सामग्रियां	572.04	657.96	385.97	411.31	6.56	0.24
हाथ से निर्मित कार्पेट को छोड़कर हस्तशिल्प	1,637.67	1,926.75	1,216.13	1,052.43	-13.46	0.62
कुल	2,62,290.12	2,75,851.71	1,55,344.40	1,69,349.39	9.02	100

डेटा का स्रोत: डी जी सी आई एस, कोलकाता

अनुबंध सारणी
घटक 3.2
प्रमुख वस्तुओं का आयात

मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वस्तु	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अनंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
1. बागान	895.75	841.22	525.91	628.28	19.46	0.24
चाय	58.04	50.45	32.56	32.73	0.52	0.01
कॉफी	122.59	138.2	73.28	93.95	28.2	0.04
प्राकृतिक रबर	715.12	652.57	420.07	501.6	19.41	0.19
2. कृषि एवं संबद्ध उत्पाद	20,673.58	23,210.67	12,201.53	14,047.85	15.13	5.45
चावल - बासमती						
चावल (बासमती से भिन्न)	0.91	1.08	0.58	0.98	69.85	0
गेहूँ	135.45	1,268.64	170.07	255.04	49.97	0.1
अन्य अनाज	51.84	73.3	29.87	50.66	69.58	0.02
दालें	3,902.22	4,244.13	1,906.55	2,084.84	9.35	0.81
तम्बाकू (अनिर्मित)	20.54	11.47	0.95	3.2	237.81	0
तम्बाकू (निर्मित)	29.74	34.07	19.94	16.44	-17.57	0.01
मसाले	823.79	858.95	478.47	554.52	15.9	0.22
काजू	1,339.34	1,346.58	920.75	1,030.16	11.88	0.4
काजू गिरी शेल लिक्विड	0.87	0.55	0.5	0.17	-65.46	0
तिल	27.59	65.88	24.83	15.99	-35.59	0.01
नाइजर के बीज	6.76	12.38	8.77	2.87	-67.3	0
मूंगफली	0.05	0.21	0.04	1.61	4,273.84	0
अन्य तिलहन	32.99	58.55	28.66	29.79	3.93	0.01
वनस्पति तेल	10,492.08	10,892.75	6,210.82	7,234.16	16.48	2.81
खली	65.26	145.3	92.13	75.52	-18.02	0.03
ग्वार गम मील	2.07	0.36	0.18	0.29	59.15	0
अरंडी का तेल	0.17	0.22	0.15	0.17	10.64	0
लाख	2.99	2.01	0.81	1.47	81.95	0
चीनी	612.24	1,021.81	504.18	631.16	25.19	0.24
शीरा	1.16	1.35	0.62	9.57	1,449.41	0
फलों / सब्जियों के बीज	107.57	97.42	66.93	82.1	22.67	0.03
ताजे फल	1,694.84	1,682.88	925.45	1,075.54	16.22	0.42
ताजी सब्जियां	59.78	1.66	1.19	2.85	139.8	0
प्रसंस्कृत सब्जियां	18.4	17.16	9.87	10.52	6.55	0
प्रसंस्कृत फल एवं जूस	80.31	81.73	46.36	69.46	49.83	0.03
अनाज से बनी वस्तुएं	87.81	86.33	50.73	53.53	5.53	0.02
कोको उत्पाद	212.96	229.67	127.99	125.26	-2.13	0.05
मिल उत्पाद	3.26	2.42	1.47	1.29	-12.32	0
विविध प्रसंस्कृत मर्दे	277.2	315.61	182.86	202.64	10.82	0.08
पशु आवरण						
भेड़ / बकरी का मांस	0.73	1.27	0.63	1.15	82.43	0
अन्य मांस	2.64	2.84	1.48	2.25	52.32	0
प्रसंस्कृत मांस	0.42	0.67	0.43	0.23	-47.06	0
डेयरी उत्पाद	56.64	38.02	25.58	29.17	14.03	0.01

अनुबंध सारणी
घटक 3.2
प्रमुख वस्तुओं का आयात

मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वस्तु	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अनंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
पोल्ट्री उत्पाद	4.04	4.41	3.26	2.17	-33.36	0
फूलों की खेती के उत्पाद	17.43	19.96	12.34	12.19	-1.21	0
अल्कोहलिक पेय	447.38	535.56	315.25	346.29	9.85	0.13
आयुष एवं हर्बल उत्पाद	54.13	53.5	30.84	32.58	5.65	0.01
3. समुद्री उत्पाद	97.23	94.37	56.81	55.15	-2.92	0.02
समुद्री उत्पाद	97.23	94.37	56.81	55.15	-2.92	0.02
4. अयस्क एवं खनिज	20,684.17	21,636.83	10,845.77	16,925.31	56.05	6.57
लौह अयस्क	494.25	322.25	203.76	292	43.3	0.11
अभ्रक	0.86	1.28	0.62	1.06	69.74	0
कोयला, कोक और ब्रिकेट आदि	13,667.59	15,759.93	7,713.37	12,261.18	58.96	4.76
थोक खनिज एवं अयस्क	5,256.25	4,286.96	2,205.60	3,367.23	52.67	1.31
प्रसंस्कृत खनिज	714.85	862.37	477.6	759.49	59.02	0.29
सल्फर, अनरोस्टेड आयरन पाइराइट	217.1	131.19	83.95	71.5	-14.83	0.03
अन्य कच्चे खनिज	333.28	272.84	160.86	172.85	7.46	0.07
5. चर्म एवं चर्म विनिर्माण	1,031.28	992.81	594.17	612.94	3.16	0.24
कच्ची खाल एवं त्वचा	62.96	57.15	33.53	28.92	-13.75	0.01
फिनिश लेदर	596.45	552.18	334.67	342.96	2.48	0.13
चमड़े की वस्तुएं	82.84	68.28	43.21	36.27	-16.08	0.01
लेदर गारमेंट	7.99	1.67	1.14	2.16	88.56	0
चमड़े के फुटवियर	253.18	290.07	166.51	190.27	14.27	0.07
लेदर फुटवियर कंपोनेंट	27.62	23.13	14.88	12.11	-18.59	0
काठी एवं साज	0.25	0.32	0.21	0.25	16.74	0
6. रत्न तथा आभूषण	56,508.62	53,738.63	26,451.21	43,671.70	65.1	16.94
मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थर	20,069.95	23,808.59	13,662.18	19,570.83	43.25	7.59
सोना	31,770.74	27,518.03	11,427.72	19,925.50	74.36	7.73
चांदी	3,742.74	1,839.17	1,013.79	2,081.62	105.33	0.81
अन्य बहुमूल्य एवं बेस मेटल	218.82	191.2	100.33	201.83	101.16	0.08
सोना एवं अन्य बहुमूल्य मेटल के आभूषण	706.37	381.63	247.19	1,891.92	665.38	0.73
7. खेलों के सामान	221.01	224.19	128.81	164.41	27.64	0.06
खेलों के सामान	221.01	224.19	128.81	164.41	27.64	0.06
8. रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	36,888.21	33,680.84	20,369.57	22,960.92	12.72	8.91
उर्वरक, कच्चा	1,013.87	758.21	469.82	437.29	-6.92	0.17
उर्वरक, विनिर्मित	7,057.65	4,265.75	3,308.96	3,075.63	-7.05	1.19
थोक औषधियां, औषधि मध्यवर्ती	3,248.36	2,738.47	1,596.28	1,663.80	4.23	0.65
डाई मध्यवर्ती	607.41	607.91	322.34	459.03	42.4	0.18
डाई	319.62	304.86	183.24	193.71	5.71	0.08
ड्रग फार्मुलेशन, जैविक	1,582.60	1,662.18	1,001.81	988.25	-1.35	0.38
कृषि रसायन	843.94	1,049.21	704.18	859.1	22	0.33
अजैविक रसायन	4,447.11	3,947.29	2,453.88	2,645.30	7.8	1.03
जैविक रसायन	9,623.24	9,879.06	5,562.20	6,792.05	22.11	2.63

अनुबंध सारणी
घटक 3.2
प्रमुख वस्तुओं का आयात

मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वस्तु	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
अन्य विविध रसायन	596.74	528.42	304.24	360.62	18.53	0.14
कास्मेटिक्स एवं शौचालय के सामान	941.25	1,051.61	619.62	745.56	20.33	0.29
गंध तेल	134.1	142.85	80.18	79.73	-0.56	0.03
अवशिष्ट रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद	5,087.35	5,298.35	2,973.35	3,588.43	20.69	1.39
पेंट, वार्निश एवं संबद्ध उत्पाद	1,320.49	1,369.92	749.66	992.78	32.43	0.39
ग्रेफाइट, विस्फोटक एवं साजो-सामान	64.48	76.77	39.81	79.65	100.06	0.03
9. प्लास्टिक एवं रबर की वस्तुएं	13,760.68	14,019.63	8,334.77	9,854.17	18.23	3.82
फुटवियर को छोड़कर रबर के अन्य उत्पाद	1,685.60	1,747.61	1,028.70	1,213.90	18	0.47
रबर / कैनवस आदि के फुटवियर	192.2	221.98	132.73	181.75	36.93	0.07
माउलडेड एवं एक्सट्रूडेड गुड्स	1,190.02	1,246.59	746.71	794.05	6.34	0.31
प्लास्टिक की कच्ची सामग्री	8,821.51	8,810.00	5,246.30	6,232.64	18.8	2.42
प्लास्टिक की शीट, फिल्म, प्लेट आदि	1,066.82	1,144.28	665.91	801.82	20.41	0.31
लेखन सामग्री / कार्यालय, स्कूल आपूर्ति	88.32	86.07	52.65	58.15	10.45	0.02
प्लास्टिक की अन्य मदें	716.2	763.1	461.77	571.85	23.84	0.22
10. पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एसबेस्टस, अभ्रक या समान सामग्रियों की वस्तुएं; मिट्टी के उत्पाद; ग्लास एवं ग्लासवेयर	2,438.51	2,271.48	1,355.69	1,575.96	16.25	0.61
ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर एवं उत्पाद	500.15	449.78	285.29	262.69	-7.92	0.1
सीमेंट, क्लींकर एवं एसबेस्टस सीमेंट	104.19	139.81	86.72	92.03	गोवा	0.04
मृद भांड तथा संबद्ध उत्पाद	866.43	628.32	368.71	465.06	26.13	0.18
ग्लास एवं ग्लासवेयर	967.74	1,053.56	614.97	756.18	22.96	0.29
11. कागज एवं संबद्ध उत्पाद	7,157.27	6,993.65	4,119.39	4,912.21	19.25	1.91
पुस्तक, प्रकाशन एवं मुद्रण	348.02	276.86	159.09	180.26	13.31	0.07
न्यूजप्रींट	805.41	849.88	489.96	506.04	3.28	0.2
कागज, कागज के बोर्ड एवं उत्पाद	2,407.64	2,601.94	1,474.31	1,906.97	29.35	0.74
प्लाइवुड तथा संबद्ध उत्पाद	1,082.55	1,087.77	658.86	809.74	22.9	0.31
अन्य लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद	1,557.93	1,202.07	756.26	807.42	6.76	0.31
लुग्दी एवं अपशिष्ट कागज	955.72	975.14	580.9	701.77	20.81	0.27
12. बेस मेटल	24,703.54	21,551.87	12,413.78	15,483.56	24.73	6.01
लोहा एवं इस्पात	11,251.89	8,238.88	4,653.46	6,207.95	33.41	2.41
लोहा एवं इस्पात के उत्पाद	3,725.66	3,444.17	1,985.19	2,120.21	6.8	0.82
एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद	3,507.21	3,557.04	2,080.19	2,520.01	21.14	0.98
कॉपर तथा कॉपर से बने उत्पाद	3,358.76	3,449.40	1,984.80	2,660.07	34.02	1.03
लीड तथा लीड से बने उत्पाद	491.9	597.09	326.66	426.22	30.48	0.17
गिल्ट, गिल्ट से बने उत्पाद	901.86	554.94	354.65	358.04	0.95	0.14
टिन तथा टिन से बने उत्पाद	192.53	173.32	97.14	134.11	38.06	0.05
जिंक तथा जिंक से बने उत्पाद	460.49	701.65	462.21	442.78	-4.2	0.17
अन्य अलौह धातुएं एवं उनसे बने उत्पाद	813.24	835.39	469.49	614.17	30.82	0.24
13. आण्टिकल, मेडिकल एवं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स	4,176.62	4,398.06	2,471.41	3,022.14	22.28	1.17
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स	554.89	540.82	311.34	329.59	5.86	0.13

अनुबंध सारणी
घटक 3.2
प्रमुख वस्तुओं का आयात

मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वस्तु	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
ऑप्टिकल मर्दे (लेंस आदि सहित)	332.79	311.51	172.93	395.53	128.73	0.15
चिकित्सा तथा वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट	3,288.94	3,545.73	1,987.14	2,297.02	15.59	0.89
14. इलेक्ट्रानिक्स की मर्दे	40,021.93	41,930.39	22,806.10	29,787.41	30.61	11.55
कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफरल	7,508.87	6,894.35	3,996.68	4,645.45	16.23	1.8
उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स	4,106.49	3,992.18	2,420.15	2,690.12	11.15	1.04
इलेक्ट्रानिक्स के कंपोनेंट	7,115.42	8,407.68	4,145.85	5,674.83	36.88	2.2
इलेक्ट्रानिक्स के इंस्ट्रूमेंट	5,888.50	6,064.61	3,339.26	4,019.70	20.38	1.56
दूरसंचार के इंस्ट्रूमेंट	15,402.65	16,571.57	8,904.15	12,757.31	43.27	4.95
15. मशीनरी	33,217.30	32,768.63	18,541.30	21,544.20	16.2	8.36
इलेक्ट्रोड्स	81.38	83.17	50.07	51.56	2.97	0.02
एक्यूमुलेटर और बैटरी	836.51	865.32	480.3	692.65	44.21	0.27
हैंड टूल, मेटल के कटिंग टूल	845.52	777.72	454.73	539.76	18.7	0.21
मशीन टूल	1,911.93	2,256.85	1,260.96	1,323.16	4.93	0.51
एसी, रेफ्रिजरेशन मशीनरी आदि	4,042.86	2,898.60	1,610.55	1,761.79	9.39	0.68
क्रेन, लिफ्ट एवं धरनी	1,147.97	1,379.85	816.49	892.95	9.37	0.35
इलेक्ट्रिक मशीनरी एवं उपकरण	6,040.66	6,315.78	3,598.83	4,586.82	27.45	1.78
आईसी इंजन एवं पुर्जे	2,080.68	1,925.17	1,088.94	1,367.92	25.62	0.53
(जिसमें डेयरी आदि के लिए मशीनरी सहित	9,669.28	9,375.97	5,262.12	5,868.13	11.52	2.28
एटीएम, इंजेक्टिंग मेल्लिंग मशीनरी आदि	771.01	817.21	483.47	520.63	7.69	0.2
परमाणु रिएक्टर, जिसमें बायलर, पुर्जे शामिल हैं	562.17	354.98	208.86	136.36	-34.71	0.05
अन्य निर्माण मशीनरी	1,456.28	1,666.07	890.84	1,111.94	24.82	0.43
अन्य विविध इंजीनियरिंग मर्दे	2,756.23	2,997.88	1,720.07	1,970.84	14.58	0.76
प्राइम अंशक तथा अंशक के उत्पाद	203.29	208.42	123.62	138.78	12.27	0.05
सभी प्रकार के पंप	811.52	845.65	491.46	580.91	18.2	0.23
16. कार्यालय उपकरण	124.22	91.56	46.23	29.59	-36	0.01
कार्यालय उपकरण	124.22	91.56	46.23	29.59	-36	0.01
17. परिवहन उपकरण	15,394.27	19,560.20	10,145.37	8,133.37	-19.83	3.15
आटो टायर एवं ट्यूब	515.28	507.99	328.29	297.98	-9.23	0.12
आटो कंपोनेंट / पुर्जे	4,370.13	4,063.06	2,381.60	2,856.83	19.95	1.11
साइकल एवं पुर्जे	184.85	226.48	137.67	140.8	2.28	0.05
एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट एवं पुर्जे	4,983.82	8,372.38	4,468.24	2,627.01	-41.21	1.02
मोटर वाहन / कार	288.59	328.51	175.15	165.55	-5.48	0.06
रेलवे परिवहन उपकरण, पुर्जे	500.14	369.29	239.98	244.32	1.81	0.09
पोत, नाव एवं फ्लोटिंग स्ट्रक्चर	4,503.37	5,652.13	2,391.45	1,775.66	-25.75	0.69
दुपहिया एवं तिपहिया वाहन	48.09	40.38	23	25.22	9.69	0.01
18. परियोजना माल	2,761.07	2,074.44	1,132.13	1,251.53	10.55	0.49
परियोजना माल	2,761.07	2,074.44	1,132.13	1,251.53	10.55	0.49
19. कपड़ा एवं संबद्ध उत्पाद	5,332.57	5,516.64	3,490.14	3,873.79	10.99	1.5
मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	402.59	365.94	215.3	204.33	-5.1	0.08
कॉटन यार्न	41.69	52.25	31.82	19.79	-37.81	0.01

अनुबंध सारणी
घटक 3.2
प्रमुख वस्तुओं का आयात

मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वस्तु	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अनंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
कॉटन फेब्रिक, मेडअप आदि	504.34	372.73	229.97	275.62	19.85	0.11
टेक्सटाइल यार्न, फेब्रिक, मेडअप से बनी अन्य वस्तुएं	766.52	711.58	424.78	556.16	30.93	0.22
कच्चा रेशम	153.71	162.88	95	114.37	20.39	0.04
प्राकृतिक रेशम के धागे, फेब्रिक, मेडअप	46.55	44.76	26.66	31.59	18.47	0.01
मानव निर्मित धागा, फेब्रिक, मेडअप	1,727.44	1,606.85	970.27	1,071.91	10.48	0.42
कच्चा ऊन	308.47	282.42	166.7	181.33	8.77	0.07
मानव निर्मित धागा, फेब्रिक, मेडअप आदि	58.74	44.11	28.48	39.98	40.39	0.02
साजो-सामान सहित कॉटन के रेडिमेड गारमेंट	269.27	288.6	173.71	179.93	3.58	0.07
रेशम के रेडिमेड गारमेंट	4.83	3.91	2.39	2.67	12.1	0
मानव निर्मित फाइबर के रेडिमेड गारमेंट	167.81	175.95	110.38	138.19	25.2	0.05
ऊन के रेडिमेड गारमेंट	14.17	11.2	7.24	7.78	7.44	0
वस्त्र निर्माण की अन्य सामग्री के रेडिमेड गारमेंट	124.5	116.34	68.27	87.69	28.45	0.03
कॉयर एवं कॉयर के विनिर्माण	4.7	7.25	4.06	5.11	25.93	0
हथकरघा के उत्पाद	10.43	5.35	2.82	5.41	92.04	0
रेशम के अपशिष्ट	5.53	2.24	1.67	0.8	-52.46	0
कच्चा जूट	55.68	104.96	80.75	23.57	-70.81	0.01
जूट के धागे	77.57	74.95	52.38	27.57	-47.36	0.01
जूट के टाट	27.79	8.6	2.83	8.4	197.26	0
जूट की फ्लोर कवरिंग	1.23	0.89	0.75	0.85	13.29	0
जूट के अन्य विनिर्माण	85.54	54.57	32.11	31.9	-0.66	0.01
कालीन (रेशम को छोड़कर) हस्तनिर्मित	79.35	71.42	40.9	53.26	30.21	0.02
रेशम के कालीन	0.01	0.02		0		0
अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	394.1	946.88	720.91	805.59	11.75	0.31
20. पेट्रोलियम (कच्चा एवं उत्पाद)	82,944.47	86,963.84	46,788.46	55,786.90	19.23	21.64
पेट्रोलियम: कूड	65,922.98	70,705.39	37,791.57	45,018.25	19.12	17.46
पेट्रोलियम उत्पाद	17,021.49	16,258.45	8,996.89	10,768.65	19.69	4.18
21. अन्य	11,974.33	11,795.59	7,016.42	3,478.99	-50.42	1.35
अन्य वस्तुएं	11,017.77	10,747.05	6,356.73	2,891.30	-54.52	1.12
मानव केश, उनके उत्पाद	8.29	5.93	3.38	3.37	-0.49	0
पैकेजिंग की सामग्रियां	255.48	258.82	147.64	168.94	14.43	0.07
हाथ से निर्मित कारपेट को छोड़कर हस्तशिल्प	692.79	783.79	508.66	415.38	-18.34	0.16
कुल	3,81,006.62	3,84,355.56	2,09,834.97	2,57,800.38	22.86	100

डेटा का स्रोत: डी जी सी आई एस, कोलकाता

अनुबंध सारणी घटक 3.3 प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात						
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)						
क्षेत्र / देश	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
1) यूरोप	50343.68	53241.06	30035.29	32580.99	8.48	19.24
1.1 यूरोपीय संघ के देश	44496.26	47195.06	26483.67	28904.64	9.14	17.07
1) यूनाइटेड किंगडम	8858.00	8551.14	5111.81	5263.03	2.96	3.11
2) जर्मनी	7094.57	7183.86	4092.86	4780.59	16.80	2.82
3) बेल्जियम	5027.65	5656.92	3132.43	3284.67	4.86	1.94
4) फ्रांस	4633.73	5250.27	2682.65	2724.83	1.57	1.61
5) नीदरलैंड	4727.38	5071.22	2775.57	3084.97	11.15	1.82
6) इटली	4218.20	4902.70	2590.42	3114.66	20.24	1.84
7) स्पेन	3237.46	3426.13	1922.78	2204.54	14.65	1.30
8) पोलैंड	1025.30	1197.81	676.19	863.45	27.69	0.51
9) स्वीडन	683.64	708.93	418.64	435.18	3.95	0.26
10) डेनमार्क	688.85	693.00	391.27	431.58	10.30	0.25
11) पुर्तगाल	589.64	669.66	366.60	411.23	12.17	0.24
12) चेक गणराज्य	488.53	533.14	383.35	224.39	-41.47	0.13
13) आयरलैंड	526.12	485.42	274.20	295.37	7.72	0.17
14) हंगरी	345.13	406.29	231.37	228.68	-1.16	0.14
15) आस्ट्रिया	339.83	383.16	225.58	258.51	14.60	0.15
16) यूनान	335.72	381.07	200.02	210.29	5.14	0.12
17) फिनलैंड	248.57	269.90	150.50	166.59	10.69	0.10
18) रोमानिया	255.74	257.57	153.75	198.08	28.84	0.12
19) स्लोवेनिया	265.00	251.63	154.25	163.52	6.01	0.10
20) बुल्गारिया	145.53	239.53	174.87	92.85	-46.90	0.05
21) स्लोवाक गणराज्य	137.51	146.15	86.34	86.58	0.28	0.05
22) माल्टा	325.03	137.23	66.54	130.61	96.29	0.08
23) लातविया	79.50	115.60	56.86	61.69	8.50	0.04
24) एस्टोनिया	63.68	97.50	54.34	48.37	-11.00	0.03
25) लिथुआनिया	88.09	95.99	50.89	60.42	18.72	0.04
26) साइप्रस	59.80	71.77	52.61	74.01	40.68	0.04
27) लक्समबर्ग	8.07	11.48	6.99	5.97	-14.60	0.00
1.2 यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ई एफ टी ए)	1538.21	1240.69	709.82	674.60	-4.96	0.40
1) स्विट्जरलैंड	977.21	978.34	554.27	524.29	-5.41	0.31
2) नॉर्वे	541.63	244.89	141.69	145.67	2.81	0.09
3) आइसलैंड	18.55	16.72	13.52	3.51	-74.03	0.00
4) लिक्टेनस्टीन	0.82	0.73	0.34	1.14	233.18	0.00
1.3 अन्य यूरोपीय देश	4309.21	4805.31	2841.81	3001.74	5.63	1.77
1) तुर्की	4140.01	4626.59	2738.31	2870.12	4.81	1.69
2) क्रोएशिया	112.44	124.13	70.12	101.17	44.27	0.06
3) अल्बानिया	24.04	26.45	17.43	14.55	-16.52	0.01
4) मैसेडोनिया	12.87	14.88	8.47	8.97	5.90	0.01
5) बोस्निया-हर्जेगोविना	19.70	13.10	7.32	6.93	-5.38	0.00

अनुबंध सारणी
घटक 3.3
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात

मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

क्षेत्र / देश	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
6) सर्बिया और मोंटेनेग्रो संघ	0.15	0.15	0.15	0.00	-99.42	0.00
2) अफ्रीका	25026.78	23129.39	13379.22	14182.00	6.00	8.37
2.1 दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (एसएससीयू)	3804.70	3785.71	2044.79	2472.51	20.92	1.46
1) दक्षिण अफ्रीका	3588.75	3545.97	1921.71	2353.88	22.49	1.39
2) नामीबिया	73.62	89.88	42.63	25.44	-40.32	0.02
3) बोत्सवाना	52.38	77.12	43.39	62.15	43.24	0.04
4) स्वाज़िलैंड	59.90	39.56	18.32	15.22	-16.89	0.01
5) लेसोथो	30.06	33.18	18.76	15.82	-15.64	0.01
2.2 अन्य दक्षिण अफ्रीकी देश	1968.37	1510.90	847.69	769.87	-9.18	0.45
1) मोजाम्बिक	1241.99	1009.97	551.07	408.55	-25.86	0.24
2) जाम्बिया	298.11	237.21	154.67	150.45	-2.73	0.09
3) अंगोला	223.19	154.63	72.00	143.57	99.40	0.08
4) जिम्बाब्वे	205.08	109.08	69.94	67.30	-3.78	0.04
2.3 पश्चिम अफ्रीका	6095.39	5651.72	3301.65	3916.06	18.61	2.31
1) नाइजीरिया	2221.90	1764.11	1003.92	1167.95	16.34	0.69
2) घाना	623.73	681.03	437.49	386.93	-11.56	0.23
3) सेनेगल	545.84	634.10	366.76	427.99	16.69	0.25
4) बेनिन	427.30	447.89	309.52	337.54	9.05	0.20
5) कोटे डि आइवरी	397.04	418.66	186.12	316.74	70.18	0.19
6) गीनिया	278.57	354.95	207.82	209.77	0.94	0.12
7) टोगो	532.19	315.70	211.19	279.77	32.47	0.17
8) कैमरून	190.99	148.79	74.60	129.11	73.07	0.08
9) लाइबेरिया	133.88	146.30	88.07	186.04	111.23	0.11
10) कांगो जनवादी गणराज्य	166.66	135.82	91.54	64.30	-29.75	0.04
11) बुर्किना फासो	108.79	114.94	64.23	74.56	16.09	0.04
12) माले	107.93	107.70	55.96	67.25	20.16	0.04
13) सियरा लियोन	91.17	93.71	43.46	44.29	1.90	0.03
14) नाइजर	80.16	81.24	43.37	73.87	70.32	0.04
15) मॉरिटानिया	58.35	65.98	41.05	40.62	-1.06	0.02
16) गैम्बिया	59.54	62.38	29.51	68.27	131.34	0.04
17) गैबॉन	36.82	43.34	26.11	25.89	-0.82	0.02
18) गीनिया बिसाऊ	14.47	21.66	12.04	7.22	-40.02	0.00
19) एक्वेटोरियन गीनिया	17.53	11.24	7.64	6.48	-15.11	0.00
20) केप वर्डे द्वीप	1.43	1.25	0.65	0.85	31.82	0.00
21) साओ टोम	0.93	0.92	0.59	0.62	5.62	0.00
22) सेंट हेलेना	0.16	0.02	0.02	0.00	-95.19	0.00
2.4 मध्य अफ्रीका	1251.50	1044.92	615.03	653.25	6.22	0.39
1) युगांडा	569.94	494.48	289.97	279.88	-3.48	0.17
2) कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	317.63	199.19	122.69	126.13	2.80	0.07
3) मालावी	176.13	178.42	96.38	150.01	55.64	0.09

अनुबंध सारणी घटक 3.3 प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात						
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)						
क्षेत्र / देश	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
4) रवांडा	106.08	88.05	55.96	51.37	-8.19	0.03
5) चाड	43.49	38.52	24.97	13.00	-47.94	0.01
6) बुरुंडी	29.06	35.98	18.85	25.71	36.39	0.02
7) मध्य अफ्रीकी गणराज्य	9.17	10.29	6.19	7.14	15.33	0.00
2.5 पूर्वी अफ्रीका	7311.87	6728.81	3986.37	3526.60	-11.53	2.08
1) केन्या	3025.85	2194.29	1259.24	1090.46	-13.40	0.64
2) तंजानिया गणराज्य	1654.64	1783.57	1125.97	798.58	-29.08	0.47
3) मॉरीशस	855.73	881.38	469.53	544.66	16.00	0.32
4) इथियोपिया	793.62	773.50	500.70	457.65	-8.60	0.27
5) सोमालिया	486.60	504.04	290.61	298.80	2.82	0.18
6) जिबूटी	204.55	280.41	195.29	159.21	-18.47	0.09
7) मेडागास्कर	197.04	213.70	88.38	115.63	30.83	0.07
8) रीयूनियन	42.70	41.16	22.96	27.44	19.50	0.02
9) सेशेल्स	34.14	35.96	21.54	22.47	4.32	0.01
10) कोमोरोस	17.01	20.78	12.16	11.71	-3.72	0.01
2.6 उत्तरी अफ्रीका	4594.95	4407.33	2583.69	2843.70	10.06	1.68
1) मिस्र ए गणतंत्र	2337.65	2067.35	1233.96	1471.51	19.25	0.87
2) अल्जीरिया	787.81	841.89	478.34	383.72	-19.78	0.23
3) सूडान	782.35	748.71	442.56	527.73	19.24	0.31
4) मोरक्को	342.19	373.91	208.09	243.08	16.81	0.14
5) ट्यूनीशिया	222.37	255.42	142.65	146.17	2.47	0.09
6) लीबिया	122.58	120.05	78.08	71.49	-8.44	0.04
7) कैनरी द्वीप						
3) अमेरिका	52754.27	54912.56	32425.42	35711.18	10.13	21.09
3.1 उत्तरी अमेरिका	45223.42	47681.59	28242.55	30748.48	8.87	18.16
1) संयुक्त राज्य अमेरिका	40339.85	42216.48	25120.22	27203.59	8.29	16.06
2) मेक्सिको	2865.16	3460.98	1968.76	2224.28	12.98	1.31
3) कनाडा	2018.42	2004.13	1153.57	1320.60	14.48	0.78
3.2 लैटिन अमेरिका	7530.85	7230.97	4182.87	4962.70	18.64	2.93
1) ब्राजील	2650.34	2400.48	1398.71	1752.56	25.30	1.03
2) कोलंबिया	888.11	784.51	449.53	532.24	18.40	0.31
3) पेरू	703.12	696.42	412.54	434.67	5.36	0.26
4) चिली	679.32	674.34	377.85	421.38	11.52	0.25
5) अर्जेंटीना	536.50	510.73	299.81	422.95	41.07	0.25
6) ग्वाटेमाला	255.97	241.23	138.42	173.25	25.16	0.10
7) डॉमिनिक गणराज्य	175.11	224.98	135.40	111.12	-17.93	0.07
8) पनामा गणराज्य	201.41	220.21	133.96	150.71	12.51	0.09
9) इक्वाडोर	153.20	197.73	101.10	165.93	64.13	0.10
10) उरुग्वे	152.81	187.80	89.62	89.96	0.38	0.05
11) कोस्टा रिका	134.76	159.31	90.24	70.69	-21.67	0.04

अनुबंध सारणी घटक 3.3 प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)						
क्षेत्र / देश	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अनंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
12) होंडुरास	155.05	134.97	82.78	85.95	3.82	0.05
13) पराग्वे	98.22	125.03	71.98	90.90	26.28	0.05
14) निकारागुआ	82.54	86.33	56.74	48.01	-15.38	0.03
15) ट्रिनिडाड	92.88	84.53	47.68	55.86	17.17	0.03
16) बोलीविया	74.43	79.52	43.95	56.93	29.53	0.03
17) हैती	62.27	71.44	40.02	55.69	39.15	0.03
18) वेनेजुएला	130.66	62.22	40.84	57.83	41.59	0.03
19) अल साल्वाडोर	68.54	60.45	35.38	35.96	1.65	0.02
20) जमैका	40.21	43.01	25.48	30.87	21.14	0.02
21) क्यूबा	54.31	41.79	23.99	22.80	-4.96	0.01
22) नीदरलैंड एंटीक	37.25	38.12	25.43	26.84	5.57	0.02
23) गुयाना	21.87	20.07	10.70	12.56	17.39	0.01
24) बेलीज	14.51	15.23	8.06	8.92	10.68	0.01
25) बारबाडोस	10.50	12.35	7.31	9.22	26.13	0.01
26) सूरीनाम	12.86	10.50	6.41	11.26	75.69	0.01
27) बहामास	11.96	5.93	3.26	4.52	38.88	0.00
28) यूएस वर्जिन द्वीप	4.23	5.33	2.01	1.18	-41.30	0.00
29) कैमन द्वीप	3.54	4.74	3.01	2.63	-12.64	0.00
30) ग्वाडेलूप	2.87	4.39	2.73	4.08	49.12	0.00
31) सेंट लूसिया	2.67	4.32	2.07	1.73	-16.30	0.00
32) बरमूडा	2.59	4.20	2.35	2.42	2.87	0.00
33) मार्टीनिक	4.44	4.13	3.16	2.61	-17.47	0.00
34) सेंट किट्स और नेविस महासंघ	2.20	3.09	2.07	1.75	-15.52	0.00
35) ग्रेनेडा	1.87	3.02	2.13	1.85	-12.94	0.00
36) डोमिनिका	1.47	2.46	1.94	0.93	-52.00	0.00
37) एंटीगुआ	2.56	1.97	1.32	1.60	21.76	0.00
38) फ्रेंच गीनिया	1.17	1.47	1.15	1.35	17.47	0.00
39) तुर्क्स और कैकोज द्वीप	0.16	0.78	0.43	0.10	-77.75	0.00
40) सेंट विनसेंट	0.55	0.78	0.58	0.45	-22.72	0.00
41) मोंटेसेराट	0.96	0.62	0.38	0.01	-96.48	0.00
42) ब्रिटिश वर्जिन द्वीप	0.84	0.41	0.36	0.43	20.85	0.00
43) फॉकलैंड द्वीप	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4) एशिया	1,27,846.80	137747.64	75320.23	83649.74	11.06	49.39
4.1 पूर्वी एशिया (ओशिनिया)	3667.24	3369.00	1989.78	2670.47	34.21	1.58
1) ऑस्ट्रेलिया	3263.11	2957.79	1743.83	2414.01	38.43	1.43
2) न्यूजीलैंड	308.04	309.66	180.97	193.43	6.88	0.11
3) फिजी द्वीप	44.15	52.52	35.36	31.98	-9.55	0.02
4) पापुआ न्यू गिनी	39.45	36.28	23.93	23.70	-0.97	0.01
5) नौरु गणराज्य	0.01	2.53	0.00	1.34	31172.09	0.00
6) तिमोर लेस्ते	3.42	2.31	0.72	1.90	164.25	0.00

अनुबंध सारणी घटक 3.3 प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात						
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)						
क्षेत्र / देश	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
7) सोलोमन द्वीप	2.71	2.31	1.71	0.76	-55.62	0.00
8) वानुअतु गणराज्य	2.01	2.08	1.21	1.20	-1.33	0.00
9) समोया	2.22	1.77	0.98	1.14	17.34	0.00
10) टोंगा	1.12	1.21	0.57	0.50	-13.23	0.00
11) किरिबाटी गणराज्य	0.94	0.47	0.42	0.44	4.69	0.00
12) तुवालु	0.06	0.08	0.08	0.06	-20.05	0.00
4.2 आसियान	25154.71	30961.78	15597.96	19192.82	23.05	11.33
1) सिंगापुर	7719.97	9564.67	4777.96	6298.54	31.82	3.72
2) वियतनाम समाजवादी गणराज्य	5266.15	6786.56	3409.74	4242.25	24.42	2.51
3) मलेशिया	3706.91	5224.88	2462.84	3055.16	24.05	1.80
4) इंडोनेशिया	2819.55	3488.16	1794.13	2083.06	16.10	1.23
5) थाईलैंड	2987.86	3133.44	1661.55	1990.36	19.79	1.18
6) फिलीपींस	1374.23	1482.52	865.03	906.95	4.85	0.54
7) म्यांमार	1070.65	1107.89	528.47	511.24	-3.26	0.30
8) कंबोडिया	143.01	105.06	55.77	64.15	15.02	0.04
9) ब्रुनेई	28.45	42.88	25.63	29.88	16.61	0.02
10) लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य	37.94	25.72	16.84	11.24	-33.26	0.01
4.3 पश्चिम एशिया - जी सी सी	41678.97	41768.35	24571.25	23362.99	-4.92	13.80
1) संयुक्त अरब अमीरात	30290.01	31175.50	18566.18	17165.36	-7.54	10.14
2) सऊदी अरब	6394.48	5110.28	3003.17	2926.58	-2.55	1.73
3) ओमान	2190.79	2728.30	1407.51	1497.40	6.39	0.88
4) कुवैत	1247.51	1497.99	861.73	761.95	-11.58	0.45
5) कतर	902.04	784.56	443.69	699.12	57.57	0.41
6) बहरीन द्वीप	654.14	471.71	288.97	312.58	8.17	0.18
4.4 अन्य पश्चिम एशिया	7883.08	7879.16	4480.33	4986.73	11.30	2.94
1) इजराइल	2821.23	3087.18	1753.85	1741.90	-0.68	1.03
2) ईरान	2781.52	2379.62	1396.41	1685.29	20.69	1.00
3) इराक	1004.39	1111.45	641.76	801.44	24.88	0.47
4) जोर्डन	499.76	522.41	256.81	253.90	-1.13	0.15
5) यमन गणराज्य	399.79	446.13	249.20	280.16	12.43	0.17
6) लेबनान	239.55	210.65	119.54	140.66	17.67	0.08
7) सीरिया	136.83	121.74	62.77	83.38	32.83	0.05
4.5 उत्तर पूर्व एशिया	30842.48	34547.17	18311.27	21889.09	19.54	12.93
1) हांगकांग	12092.21	14047.24	8210.90	8846.95	7.75	5.22
2) चीन जनवादी गणराज्य	9013.54	10171.69	4678.83	6736.15	43.97	3.98
3) कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य	3523.72	4242.56	2200.67	2491.35	13.21	1.47
4) जापान	4662.91	3845.82	2181.19	2609.96	19.66	1.54
5) ताइवान	1428.81	2183.74	1003.88	1150.61	14.62	0.68
6) कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य	110.88	44.84	28.80	39.20	36.13	0.02
7) मंगोलिया	8.44	9.78	5.93	7.79	31.40	0.00

अनुबंध सारणी
घटक 3.3
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात

मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

क्षेत्र / देश	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
8) मकाओ	1.97	1.51	1.09	7.08	551.96	0.00
4.6 दक्षिण एशिया	18620.32	19222.18	10369.64	11547.64	11.36	6.82
1) बांग्लादेश जनवादी गणराज्य	6034.95	6820.13	3534.08	4206.70	19.03	2.48
2) नेपाल	3930.09	5453.59	3050.91	3305.98	8.36	1.95
3) श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य	5309.53	3913.15	2183.22	2413.28	10.54	1.43
4) पाकिस्तान आईआर	2171.16	1821.88	887.87	850.08	-4.26	0.50
5) भूटान	468.95	509.28	313.94	260.58	-17.00	0.15
6) अफगानिस्तान टीस	526.60	506.34	293.95	397.43	35.20	0.23
7) मालदीव	179.04	197.79	105.67	113.60	7.50	0.07
5) सी आई एस और बाल्टिक्स	2391.64	2793.94	1562.51	1756.18	12.39	1.04
5.1 सी ए आर देश	362.46	338.32	181.43	203.64	12.24	0.12
1) कजाकिस्तान	151.91	120.88	65.49	65.89	0.60	0.04
2) उज्बेकिस्तान	94.64	108.97	50.59	64.81	28.12	0.04
3) तुर्कमेनिस्तान	68.53	57.60	36.57	40.64	11.13	0.02
4) किर्गिस्तान	25.11	30.44	17.63	17.84	1.18	0.01
5) ताजिकिस्तान	22.26	20.44	11.15	14.46	29.69	0.01
5.2 अन्य सी आई एस देश	2029.18	2455.62	1381.08	1552.54	12.41	0.92
1) रूस	1587.81	1937.06	1088.33	1259.17	15.70	0.74
2) यूक्रेन	259.12	310.16	170.43	179.44	5.29	0.11
3) जॉर्जिया	82.57	90.93	59.71	39.76	-33.40	0.02
4) अजरबैजान	33.38	40.27	15.77	24.11	52.86	0.01
5) बेलारूस	35.70	40.16	21.20	24.72	16.57	0.01
6) अर्मेनिया	22.78	30.33	21.82	21.18	-2.93	0.01
7) मोल्दोवा	7.81	6.71	3.82	4.16	8.95	0.00
6) गैर निर्दिष्ट क्षेत्र	3926.95	4027.12	2621.72	1469.30	-43.96	0.87
1) निर्दिष्ट क्षेत्र	2414.29	2436.40	1478.79	1207.05	-18.38	0.71
2) जिब्राल्टर	1182.88	1286.88	955.69	96.06	-89.95	0.06
3) प्यूर्टो रिको	115.00	105.87	74.29	34.18	-53.99	0.02
4) अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में प्रतिष्ठान	7.11	79.66	45.23	34.74	-23.18	0.02
5) सर्बिया	43.34	50.07	29.53	34.17	15.73	0.02
6) मोंटेनेग्रो	26.19	36.37	19.93	34.45	72.87	0.02
7) न्यू केलडोनिया	4.68	8.09	4.32	7.99	85.10	0.00
8) अरूबा	6.92	7.91	4.50	3.99	-11.33	0.00
9) फ्रेंच पोलिनेशिया	3.81	4.13	2.40	4.52	88.47	0.00
10) दक्षिण सूडान		3.24	1.70	3.71	118.76	0.00
11) एरिट्रिया	6.45	3.22	1.79	4.93	174.58	0.00
12) मोनाको	1.05	1.53	0.92	1.30	41.69	0.00
13) अमेरिका से दूर पड़े हुए लघु द्वीप	0.17	1.08	0.74	0.37	-50.14	0.00
14) फरो द्वीप	1.75	0.59	0.57	0.01	-97.75	0.00
15) गुआम	0.38	0.49	0.25	0.48	88.93	0.00

अनुबंध सारणी घटक 3.3 प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात						
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)						
क्षेत्र / देश	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अनंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
16) नोर्फॉल्क द्वीप	0.33	0.28	0.28	0.14	-51.62	0.00
17) सैन मैरीनो	0.26	0.23	0.08	0.10	23.42	0.00
18) मैयट		0.17	0.07	0.04	-48.30	0.00
19) कुक द्वीप	0.05	0.15	0.14	0.16	18.40	0.00
20) अंडोरा	0.12	0.14	0.10	0.26	159.07	0.00
21) मार्शल द्वीप	101.91	0.14	0.07	0.03	-49.16	0.00
22) माइक्रोनेशिया	0.36	0.14	0.11	0.24	123.96	0.00
23) अमेरी समोया	0.16	0.08	0.05	0.18	262.25	0.00
24) पिटकैर्न द्वीप		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
25) एंगुइला	0.02	0.04	0.02	0.01	-35.78	0.00
26) वैटिकन सिटी	0.05	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00
27) पलाऊ	0.02	0.04	0.02	0.03	35.05	0.00
28) टोकेलाऊ द्वीप		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
29) कोकोस द्वीप		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
30) उत्तरी मरियाना द्वीप	0.56	0.01	0.01	0.04	182.31	0.00
31) पनामा सी जेड	0.16	0.01	0.01	0.01	64.41	0.00
32) वालिस एफ द्वीप		0.01	0.01	0.05	772.22	0.00
33) शहारवी अरब लोकतांत्रिक गणराज्य	0.00	0.00	0.00	0.01	950.00	0.00
34) सिंट मार्टेन (डच पार्ट)		0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
35) ग्रीनलैंड	8.81		0.00	0.01	0.00	0.00
36) फ्रेंच एस एंट टीआर	0.06		0.00	0.00	0.00	0.00
37) अंटार्कटिका	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
38) चैनल द्वीप						
39) क्रिसमस द्वीप	0.03					
40) नीयू द्वीप	0.04		0.00	0.00	0.00	0.00
41) हेरड मैक डोनाल्ड						
42) सेंट पियरे			0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	2,62,290.13	275851.71	155344.41	169349.40	9.02	100.00

डाटा का स्रोत: डी जी सी आई एस, कोलकाता

अनुबंध सारणी
घटक 3.4
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात

मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

क्षेत्र / देश	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
1) यूरोप	64632.91	61446.85	33106.63	38113.91	15.12	14.78
1.1 यूरोपीय संघ के देश	43898.10	42359.23	24214.82	25589.31	5.68	9.93
1) जर्मनी	12088.37	11583.67	6626.42	7418.67	11.96	2.88
2) बेल्जियम	8256.06	6624.63	4335.73	3367.59	-22.33	1.31
3) फ्रांस	3730.31	5707.77	2995.11	2914.73	-2.68	1.13
4) इटली	4072.22	3895.01	2262.60	2578.30	13.95	1.00
5) यूनाइटेड किंगडम	5192.54	3664.96	2150.13	2698.01	25.48	1.05
6) स्पेन	1646.02	1968.77	906.84	948.93	4.64	0.37
7) नीदरलैंड	1859.90	1895.71	1016.71	1288.70	26.75	0.50
8) स्वीडन	1484.85	1161.12	670.48	846.63	26.27	0.33
9) फिनलैंड	1002.37	1011.67	532.49	684.04	28.46	0.27
10) आस्ट्रिया	827.11	908.34	551.26	518.89	-5.87	0.20
11) पोलैंड	569.66	690.98	372.49	421.95	13.28	0.16
12) चेक गणराज्य	507.89	539.25	315.06	379.49	20.45	0.15
13) आयरलैंड	551.51	525.82	276.27	309.55	12.05	0.12
14) डेनमार्क	428.54	481.55	279.82	289.83	3.58	0.11
15) रोमानिया	309.30	317.36	183.62	216.19	17.74	0.08
16) लिथुआनिया	214.35	271.16	124.27	95.71	-22.98	0.04
17) हंगरी	242.64	218.78	113.54	148.97	31.21	0.06
18) बुल्गारिया	93.72	182.22	69.90	78.52	12.33	0.03
19) पुर्तगाल	102.54	141.16	85.17	112.81	32.46	0.04
20) यूनान	111.03	121.95	60.43	48.46	-19.82	0.02
21) एस्टोनिया	142.04	102.47	61.52	35.83	-41.76	0.01
22) स्लोवेनिया	88.60	101.68	64.26	62.82	-2.24	0.02
23) स्लोवाक गणराज्य	64.64	68.53	42.81	46.72	9.14	0.02
24) साइप्रस	48.18	66.59	51.43	7.78	-84.87	0.00
25) लक्समबर्ग	175.72	46.08	23.15	27.00	16.63	0.01
26) लातविया	61.57	39.65	28.15	36.61	30.07	0.01
27) माल्टा	26.43	22.37	15.20	6.59	-56.63	0.00
1.2 यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ई एफ टी ए)	19890.28	17821.01	8138.65	11792.96	44.90	4.57
1) स्विट्जरलैंड	19299.49	17248.68	7924.60	11302.20	42.62	4.38
2) नॉर्वे	585.37	566.79	211.97	487.17	129.83	0.19
3) आइसलैंड	4.25	4.68	1.53	2.95	92.27	0.00
4) लिक्टेनस्टीन	1.18	0.86	0.55	0.65	17.23	0.00
1.3 अन्य यूरोपीय देश	844.53	1266.62	753.15	731.64	-2.86	0.28
1) तुर्की	776.94	1207.31	727.03	653.32	-10.14	0.25
2) क्रोएशिया	36.00	25.36	7.70	21.60	180.49	0.01
3) मैसेडोनिया	7.08	24.13	14.62	20.06	37.19	0.01
4) अल्बानिया	17.20	6.50	1.43	31.49	2104.70	0.01
5) बोस्निया-हर्जेगोविना	4.40	3.32	2.38	5.17	117.51	0.00

अनुबंध सारणी घटक 3.4 प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)						
क्षेत्र / देश	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अन्तिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
6) सर्बिया और मोंटेनेग्रो संघ	2.90		0.00	0.00	0.00	0.00
2) अफ्रीका	31667.23	28844.72	15186.64	20470.34	34.79	7.94
2.1 दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (एसएसीयू)	6546.83	7255.61	3443.64	4881.23	41.75	1.89
1) दक्षिण अफ्रीका	5948.42	5833.75	2816.49	3864.75	37.22	1.50
2) बोत्सवाना	542.23	1307.39	592.40	938.90	58.49	0.36
3) नामीबिया	10.42	50.31	19.82	32.04	61.69	0.01
4) स्वाजिलैंड	40.82	39.24	8.74	5.12	-41.40	0.00
5) लेसोथो	4.94	24.91	6.19	40.41	552.61	0.02
2.2 अन्य दक्षिण अफ्रीकी देश	3629.51	3947.14	1859.85	3113.40	67.40	1.21
1) अंगोला	2766.81	2596.49	1184.88	1950.50	64.62	0.76
2) जाम्बिया	475.38	743.90	445.33	565.93	27.08	0.22
3) मोजाम्बिक	362.88	546.29	210.27	565.07	168.73	0.22
4) जिम्बाब्वे	24.45	60.46	19.36	31.90	64.78	0.01
2.3 पश्चिम अफ्रीका	16740.61	13024.96	7313.90	9322.31	27.46	3.62
1) नाइजीरिया	9949.17	7659.48	4180.72	5026.04	20.22	1.95
2) घाना	2981.27	1938.54	523.80	1385.49	164.51	0.54
3) एक्वेरटोरियन गीनिया	457.30	797.85	716.89	380.79	-46.88	0.15
4) कोटे डि आइवरी	572.48	455.81	392.50	374.46	-4.60	0.15
5) कैमरून	557.54	359.11	258.62	145.36	-43.79	0.06
6) सेनेगल	263.95	315.85	208.76	224.19	7.39	0.09
7) गीनिया	370.05	279.20	156.32	366.55	134.49	0.14
8) बुर्किना फासो	238.11	256.42	92.19	424.97	360.96	0.16
9) गिनी बिसाऊ	198.17	215.67	201.65	231.35	14.73	0.09
10) बेनिन	275.66	207.40	179.50	182.23	1.52	0.07
11) कांगो जनवादी गणराज्य	201.64	156.52	123.50	93.25	-24.49	0.04
12) टोगो	225.09	138.42	95.82	100.07	4.43	0.04
13) माले	242.78	99.23	78.55	106.73	35.88	0.04
14) गैबॉन	105.63	69.46	47.66	161.95	239.79	0.06
15) गैम्बिया	31.35	43.20	38.18	49.20	28.85	0.02
16) सियरा लियोन	16.56	12.23	7.73	15.94	106.26	0.01
17) मॉरिटानिया	18.56	10.95	6.94	1.84	-73.52	0.00
18) लाइबेरिया	32.20	7.65	3.64	30.55	740.42	0.01
19) कप वर्डे द्वीप	2.77	1.90	0.93	1.60	71.95	0.00
20) नाइजर	0.32	0.03	0.01	19.76	142023.74	0.01
21) साओ टोम	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22) सेंट हेलेना		0.00				
2.4 मध्य अफ्रीका	530.75	368.70	250.11	262.74	5.05	0.10
1) चाड	320.88	169.36	139.72	56.57	-59.51	0.02
2) कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	97.76	85.92	43.93	151.73	245.44	0.06
3) युगांडा	45.52	68.93	43.08	35.89	-16.70	0.01

अनुबंध सारणी घटक 3.4 प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात						
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)						
क्षेत्र / देश	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
4) मालावी	64.31	41.33	21.39	11.54	-46.04	0.00
5) बुरुंडी	0.11	1.60	1.06	3.21	201.65	0.00
6) रवांडा	1.35	1.18	0.62	2.78	347.28	0.00
7) मध्य अफ्रीकी गणराज्य	0.83	0.38	0.31	1.03	232.71	0.00
2.5 पूर्वी अफ्रीका	1326.79	1319.11	503.10	671.32	33.44	0.26
1) तंजानिया गणराज्य	924.79	948.49	283.00	502.68	77.63	0.19
2) मेडागास्कर	141.74	119.82	55.70	63.25	13.56	0.02
3) केन्या	127.55	104.36	69.96	41.39	-40.83	0.02
4) इथियोपिया	60.99	67.07	47.52	25.28	-46.79	0.01
5) कोमोरोस	15.10	25.65	8.08	12.22	51.22	0.00
6) मॉरीशस	20.36	18.37	12.65	11.29	-10.71	0.00
7) सोमालिया	15.58	17.70	15.56	2.38	-84.67	0.00
8) रीयूनियन	18.78	13.90	8.34	9.46	13.40	0.00
9) जिबूटी	1.23	2.82	1.77	2.71	52.76	0.00
10) सेशेल्स	0.67	0.93	0.52	0.63	22.36	0.00
2.6 उत्तरी अफ्रीका	2892.76	2929.21	1816.04	2219.34	22.21	0.86
1) मिस्र ए गणतंत्र	1221.20	1163.77	689.78	680.10	-1.40	0.26
2) मोरक्को	1077.58	792.93	514.33	463.09	-9.96	0.18
3) अल्जीरिया	299.44	605.12	404.92	687.51	69.79	0.27
4) सूडान	149.20	245.15	114.24	283.77	148.41	0.11
5) ट्यूनीशिया	136.49	114.80	88.88	86.48	-2.71	0.03
6) लीबिया	8.86	7.45	3.89	18.39	373.20	0.01
3) अमेरिका	45990.40	46674.11	25311.59	30451.50	20.31	11.81
3.1 उत्तरी अमेरिका	28298.61	29383.48	15741.45	18390.79	16.83	7.13
1) संयुक्त राज्य अमेरिका	21781.39	22307.44	12439.44	14096.84	13.32	5.47
2) कनाडा	4234.03	4131.52	1890.86	2704.29	43.02	1.05
3) मेक्सिको	2283.19	2944.52	1411.16	1589.67	12.65	0.62
3.2 लैटिन अमेरिका	17691.79	17290.63	9570.14	12060.71	26.02	4.68
1) वेनेजुएला	5701.81	5512.06	3100.54	3660.85	18.07	1.42
2) ब्राजील	4040.09	4114.69	2014.01	2880.76	43.04	1.12
3) अर्जेंटीना	2471.52	2500.75	1614.70	1640.19	1.58	0.64
4) चिली	1960.67	1226.34	735.49	1127.07	53.24	0.44
5) पेरू	820.22	1076.69	501.45	1296.15	158.48	0.50
6) डोमिनिक गणराज्य	478.62	674.86	482.88	307.37	-36.35	0.12
7) कोलंबिया	807.79	593.96	289.61	319.97	10.48	0.12
8) इक्वाडोर	563.77	355.99	150.39	134.75	-10.40	0.05
9) बहामास	77.23	258.82	258.14	5.88	-97.72	0.00
10) पनामा गणराज्य	72.49	201.83	23.95	34.74	45.05	0.01
11) बोलीविया	240.25	173.54	29.71	366.79	1134.62	0.14
12) ट्रिनिडाड	91.94	173.54	73.35	24.39	-66.74	0.01

अनुबंध सारणी घटक 3.4 प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात						
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)						
क्षेत्र / देश	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अनंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
13) पराग्वे	112.26	155.28	113.31	88.63	-21.78	0.03
14) नीदरलैंड एंटिक	59.24	66.70	62.81	5.22	-91.70	0.00
15) कोस्टा रिका	62.21	58.83	42.59	51.98	22.04	0.02
16) सूरीनाम	43.33	45.92	15.67	47.78	204.87	0.02
17) होंडुरास	15.91	22.16	16.55	9.45	-42.89	0.00
18) ग्वाटेमाला	12.52	21.70	12.88	10.25	-20.44	0.00
19) गुयाना	18.48	14.48	9.06	4.23	-53.34	0.00
20) उरुग्वे	17.71	13.45	7.24	18.87	160.77	0.01
21) ब्रिटिश वर्जिन द्वीप	1.55	6.72	6.65	0.26	-96.06	0.00
22) अल साल्वाडोर	6.18	5.77	2.82	गोवा	116.78	0.00
23) यूएस वर्जिन द्वीप	1.08	4.53	0.08	0.15	84.85	0.00
24) हैती	3.28	3.61	2.43	4.12	69.73	0.00
25) निकारागुआ	3.85	2.62	1.76	2.94	66.74	0.00
26) फ्रेंच गीनिया	1.16	1.45	0.26	0.12	-53.28	0.00
27) क्यूबा	1.33	1.31	0.77	1.29	68.05	0.00
28) जमैका	1.55	1.17	0.47	3.28	594.79	0.00
29) डोमिनिका	0.10	0.77	0.01	0.14	1260.38	0.00
30) बेलीज	1.01	0.52	0.29	1.17	306.50	0.00
31) सेंट लूसिया	0.45	0.24	0.13	0.27	111.11	0.00
32) बारबाडोस	0.17	0.18	0.10	0.07	-27.00	0.00
33) ग्रेनेडा		0.06	0.00	0.14	0.00	0.00
34) तुर्क्स और कैकोज द्वीप	0.02	0.03	0.00	0.02	358.33	0.00
35) कैमन द्वीप		0.02	0.02	5.26	28048.66	0.00
36) बरमूडा	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
37) सेंट किट्स और नेविस महासंघ	0.16	0.01	0.00	0.00	-50.00	0.00
38) एंटीगुआ	0.01	0.00	0.00	0.01	735.71	0.00
39) फॉकलैंड द्वीप	1.75		0.00	0.00	0.00	0.00
40) सेंट विनसेंट	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
41) ग्वाडेलूप	0.06		0.00	0.01	0.00	0.00
42) मार्टीनिक						
43) मोंटेसेराट						
4) एशिया	2,22,627.92	230569.05	127070.66	155938.00	22.72	60.49
4.1 पूर्वी एशिया (ओशिनिया)	9702.58	11828.22	5176.07	8142.97	57.32	3.16
1) ऑस्ट्रेलिया	8898.78	11154.48	4771.07	7640.73	60.15	2.96
2) न्यूजीलैंड	547.61	504.44	309.83	391.61	26.39	0.15
3) पापुआ न्यू गिनी	179.59	108.06	67.41	70.92	5.21	0.03
4) सोलोमन द्वीप	67.67	53.96	21.05	39.21	86.25	0.02
5) समोया	2.46	6.30	6.24	0.18	-97.11	0.00
6) फिजी द्वीप	0.37	0.60	0.28	0.24	-13.21	0.00
7) तिमोर लेस्ते	0.03	0.17	0.03	0.07	127.16	0.00

अनुबंध सारणी घटक 3.4 प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात						
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)						
क्षेत्र / देश	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
8) तुवालु	0.01	0.13	0.08	0.00	-98.44	0.00
9) टोंगा	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
10) नौरु गणराज्य	5.76	0.04	0.03	0.01	-62.54	0.00
11) वानुअतु गणराज्य	0.29		0.00	0.00	0.00	0.00
12) किरिबाटी गणराज्य						
4.2 आसियान	39909.60	40617.31	22609.22	26596.18	17.63	10.32
1) इंडोनेशिया	13131.93	13427.99	6881.75	9405.01	36.67	3.65
2) मलेशिया	9083.83	8933.59	5211.21	5211.81	0.01	2.02
3) सिंगापुर	7308.38	7086.57	3919.58	4040.60	3.09	1.57
4) थाईलैंड	5510.16	5415.40	3168.97	3917.69	23.63	1.52
5) वियतनाम समाजवादी गणराज्य	2560.39	3320.56	1952.30	2573.65	31.83	1.00
6) म्यांमार	984.27	1067.25	804.43	540.76	-32.78	0.21
7) ब्रुनेई	554.02	627.85	289.07	286.56	-0.87	0.11
8) फिलीपींस	542.16	494.62	282.04	465.15	64.93	0.18
9) लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य	180.03	207.38	79.10	125.27	58.38	0.05
10) कंबोडिया	54.43	36.10	20.78	29.68	42.79	0.01
4.3 पश्चिम एशिया - जी सी सी	55790.47	55171.91	30388.94	35116.87	15.56	13.62
1) संयुक्त अरब अमीरात	19445.68	21509.83	11600.17	12927.84	11.45	5.01
2) सऊदी अरब	20321.33	19972.40	11048.48	11975.94	8.39	4.65
3) कतर	9022.16	7646.22	4237.72	4493.76	6.04	1.74
4) कुवैत	4969.69	4462.28	2513.86	3272.45	30.18	1.27
5) ओमान	1674.71	1290.50	800.14	2238.88	179.81	0.87
6) बहरीन द्वीप	356.90	290.69	188.58	208.00	10.30	0.08
4.4 अन्य पश्चिम एशिया	20139.82	25071.08	13395.16	16187.23	20.84	6.28
1) इराक	10837.58	11707.94	6215.61	8744.51	40.69	3.39
2) ईरान	6278.75	10506.51	5461.84	5637.03	3.21	2.19
3) इजराइल	2095.33	1961.12	1158.51	1161.31	0.24	0.45
4) जोर्डन	853.12	828.24	517.51	598.86	15.72	0.23
5) सीरिया	40.54	32.25	18.01	18.72	3.98	0.01
6) लेबनान	27.61	30.21	20.57	21.32	3.65	0.01
7) यमन गणराज्य	6.88	4.81	3.11	5.46	75.76	0.00
4.5 उत्तर पूर्व एशिया	94110.44	95067.13	53798.26	68196.00	26.76	26.45
1) चीन जनवादी गणराज्य	61706.83	61281.57	34988.93	43465.09	24.23	16.86
2) कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य	13047.12	12585.35	6793.74	9904.20	45.78	3.84
3) जापान	9850.22	9754.64	5678.88	6172.34	8.69	2.39
4) हांगकांग	6051.66	8204.18	4417.90	6419.08	45.30	2.49
5) ताइवान	3354.28	3142.89	1838.08	2203.58	19.89	0.85
6) कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य	87.90	88.59	74.02	25.94	-64.95	0.01
7) मकाओ	8.29	7.91	5.14	4.42	-14.00	0.00
8) मंगोलिया	4.14	1.99	1.57	1.34	-14.80	0.00

अनुबंध सारणी
घटक 3.4
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात

मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

क्षेत्र / देश	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अनंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
4.6 दक्षिण एशिया	2975.01	2813.40	1703.01	1698.76	-0.25	0.66
1) बांग्लादेश जनवादी गणराज्य	727.15	701.68	434.09	319.67	-26.36	0.12
2) श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य	742.79	602.20	343.74	407.32	18.50	0.16
3) पाकिस्तान आईआर	441.03	454.49	292.88	298.70	1.99	0.12
4) नेपाल	470.59	445.13	250.01	233.24	-6.71	0.09
5) भूटान	281.27	307.82	225.99	201.07	-11.03	0.08
6) अफगानिस्तान टीस	307.90	292.90	151.05	235.31	55.79	0.09
7) मालदीव	4.29	9.17	5.25	3.45	-34.18	0.00
5) सी आई एस और बाल्टिक्स	7078.38	9322.77	4531.00	7325.84	61.68	2.84
5.1 सी ए आर देश	456.91	612.45	305.96	738.52	141.38	0.29
1) कजाकिस्तान	352.93	521.29	248.90	642.52	158.15	0.25
2) उज्बेकिस्तान	45.26	46.54	28.42	22.78	-19.84	0.01
3) ताजिकिस्तान	9.98	21.82	11.22	32.32	187.96	0.01
4) तुर्कमेनिस्तान	46.97	21.32	16.99	10.22	-39.84	0.00
5) किर्गिस्तान	1.79	1.48	0.42	30.68	7159.96	0.01
5.2 अन्य सी आई एस देश	6621.47	8710.32	4225.04	6587.31	55.91	2.56
1) रूस	4584.98	5552.30	2935.94	4913.68	67.36	1.91
2) यूक्रेन	1751.10	2481.47	997.14	1275.35	27.90	0.49
3) अजरबैजान	77.09	461.67	174.26	286.25	64.27	0.11
4) बेलारूस	164.90	170.57	99.06	89.09	-10.06	0.03
5) जॉर्जिया	24.47	31.52	16.30	21.74	33.39	0.01
6) मोल्दोवा	4.89	11.73	1.41	0.87	-38.71	0.00
7) अर्मेनिया	14.04	1.05	0.93	0.33	-64.26	0.00
6) गैर निर्दिष्ट क्षेत्र	9009.78	7498.04	4628.45	5500.79	18.85	2.13
1) निर्दिष्ट क्षेत्र	8709.59	7343.64	4518.40	5397.19	19.45	2.09
2) प्यूर्टो रिको	50.17	49.99	25.18	49.64	97.13	0.02
3) एरिट्रिया	167.45	36.41	35.04	1.96	-94.41	0.00
4) सर्बिया	22.34	27.24	17.30	15.39	-11.03	0.01
5) न्यू केलडोनिया	50.35	23.98	17.35	5.62	-67.60	0.00
6) मार्शल द्वीप	0.41	8.71	8.65	0.10	-98.80	0.00
7) अरूबा	0.30	4.27	4.16	0.29	-93.06	0.00
8) मोनाको	1.53	1.11	0.86	0.87	1.79	0.00
9) अमेरिका से दूर पड़े हुए लघु द्वीप	0.36	0.56	0.42	0.68	63.12	0.00
10) अंटार्कटिका	1.11	0.50	0.50	0.01	-97.46	0.00
11) पनामा सी जेड		0.45				
12) सैन मैरीनो	0.52	0.39	0.23	0.20	-15.55	0.00
13) दक्षिण सूडान		0.18	0.12	27.04	22989.92	0.01
14) अमेरी समोया	1.13	0.14	0.08	0.27	246.18	0.00
15) ग्वेर्नसे		0.11	0.00	0.23	0.00	0.00
16) ग्रीनलैंड	0.10	0.10	0.00	0.01	0.00	0.00

अनुबंध सारणी घटक 3.4 प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)						
क्षेत्र / देश	अप्रैल से मार्च 2015-16	अप्रैल से मार्च 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2016-17	अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 (अनंतिम)	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
17) अंडोरा	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00
18) मोंटेनेग्रो	0.05	0.05	0.00	0.01	2375.00	0.00
19) उत्तरी मरियाना द्वीप	0.23	0.03	0.03	0.01	-72.01	0.00
20) वैटिकन सिटी	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21) क्रिसमस द्वीप	0.00	0.02	0.02	0.05	184.66	0.00
22) फ्रेंच पोलिनेशिया	0.02	0.01	0.00	0.02	293.02	0.00
23) नोरफॉल्क द्वीप	0.07	0.01	0.01	0.15	1985.71	0.00
24) टोकैलाऊ द्वीप	0.00	0.01	0.01	0.05	416.98	0.00
25) फरो द्वीप	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
26) पलाऊ	3.70	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
27) पिटकैर्न द्वीप	0.01	0.00	0.00	0.22	7932.14	0.00
28) एंगुइला	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29) हेरड मैक डोनाल्ड		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30) गुआम						
31) कुक द्वीप			0.00	0.01	0.00	0.00
32) फ्रेंच एस एंट टीआर	0.03		0.00	0.00	0.00	0.00
33) जिब्राल्टर			0.00	0.01	0.00	0.00
34) नीयू द्वीप	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
35) सेंट पियरे	0.02		0.00	0.00	0.00	0.00
36) वालिस एफ द्वीप	0.24		0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	3,81,006.63	384355.56	209834.98	257800.39	22.86	100

डेटा का स्रोत: डी जी सी आई एस, कोलकाता



विदेश व्यापार नीति तथा एग्जिम व्यापार



1 अप्रैल 2015 को जारी की गई पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी), 2015-20 माल एवं सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी), 2015-20 के साथ ही 1 अप्रैल 2015 को एफ टी पी वक्तव्य), प्रक्रियाओं के लिए हैंडबुक, परिशिष्ट तथा आयात-निर्यात फार्म भी जारी किए गए। प्रक्रियाओं का हैंडबुक विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, आदेशों तथा विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजनार्थ किसी निर्यातक या आयातक अथवा किसी लाइसेंसिंग / क्षेत्रीय प्राधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अधिसूचित करता है। इस प्रक्रिया के तहत निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं:

- (क) प्रक्रिया हैंडबुक
- (ख) परिशिष्ट तथा आयात - निर्यात फार्म और
- (ग) मानक इनपुट - आउटपुट मानदंड (एस आई ओ एन)

2015-2020 के लिए विदेश व्यापार नीति वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता हासिल करने हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मदद करके भारत के निर्यात बास्केट में विविधता को प्रोत्साहन देने के लिए पण एवं सेवा व्यापार में विदेश व्यापार के लिए स्थिर एवं स्थायी नीति परिवेश प्रदान करने; निर्यात एवं आयात के लिए नियमों, प्रक्रियाओं और प्रोत्साहनों को अन्य पहलों जैसे कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया तथा कारोबार करने की सरलता से जोड़ने का प्रयास करती है। अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से विदेश व्यापार नीति ड्यूटी को नगण्य करने, प्रौद्योगिकीय उन्नयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्यों को पूरा करती है तथा अवसरानात्मक अदक्षताओं तथा निर्यातकों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निर्यात से जुड़ी संबद्ध लागतों को प्रतिसंतुलित करने के उद्देश्य से भारत के निर्यात में तेजी लाने के लिए

संवर्धनात्मक उपायों का प्रावधान करती है।

विदेश व्यापार नीति को जीएसटी के संगत प्रावधानों को शामिल करने के लिए उपयुक्त ढंग से संशोधित किया गया है।

विदेश व्यापार नीति 2015-20

विदेश व्यापार नीति वक्तव्य

विदेश व्यापार नीति वक्तव्य में 2015 से 2020 की अवधि के लिए विजन, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन किया गया है जो विदेश व्यापार नीति की नींव हैं। इसमें न केवल निर्यात संवर्धन के लिए अपितु व्यापार के संपूर्ण ईको सिस्टम में वृद्धि के लिए भी परिकल्पित बाजार एवं उत्पाद रणनीति तथा अपेक्षित उपायों का वर्णन किया गया है।

यह विदेश व्यापार के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं पर पहला व्यापक वक्तव्य है। विदेश व्यापार के निष्पादन में सुधार के लिए एक विस्तृत रूपरेखा विकसित करना आवश्यक है जो अनेक प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समन्वय की संभावना प्रदान करे। एफ टी पी वक्तव्य के माध्यम से विदेशी क्षेत्र पर समग्र सोच को व्यक्त किया गया है, सबसे पहले इसमें कुछ संरचनात्मक एवं संस्थानिक संस्थानों पर ध्यान देने के लिए सरकारी रणनीति का वर्णन किया गया है, जो विदेश व्यापार क्षेत्र के निष्पादन में सुधार के लिए प्रासंगिक हैं। दूसरा, इसमें बताया गया है कि किस तरह सरकार व्यापार साझेदारों के साथ व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण करार करेगी तथा भारतीय उद्यमों के लिए बेहतर कार्य करेगी। विदेश व्यापार नीति में 'समग्र सरकार का दृष्टिकोण' अपनाया गया है। एफ टी पी के माध्यम से सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया में एक प्रमुख पथभंजक पहल शुरू की है जिसे विभाग को मुख्य धारा के राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों में ले जाना है।

विदेश व्यापार नीति 2015-2020 की मध्यावधि समीक्षा

विदेश व्यापार नीति 2015-2020 की मध्यावधि समीक्षा का विमोचन 05 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने किया। मध्यावधि समीक्षा के मुख्य अंश तथा परवर्ती व्यापार संबद्ध नीतियां इस प्रकार हैं:

- वस्त्र के दो उप क्षेत्रों अर्थात रेडीमेड गारमेंट और मेडअप के लिए भारत से वस्तु निर्यात योजना (एम ई आई एस) को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया जिसमें 2,743 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन शामिल है।
- मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों / श्रम सघन उद्योगों द्वारा निर्यात के लिए भारत से वस्तु निर्यात योजना के मौजूदा प्रोत्साहन में 2 प्रतिशत की वृद्धि की राशि 4,576 करोड़ रुपए है।
- सेवा व्यापार को गति प्रदान करने के लिए, अधिसूचित सेवाओं जैसे कि व्यवसाय, विधिक, लेखांकन, वास्तुशिल्पीय, इंजीनियरिंग, शैक्षिक, अस्पताल, होटल एवं रेस्टोरेंट के लिए भारत से सेवा निर्यात योजना के (एस ई आई एस) प्रोत्साहन में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जिसमें 1,140 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।
- जीएसटी की रूपरेखा में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट की उपयोगिता बढ़ाने के लिए इनकी वैधता अवधि 18 माह से बढ़ाकर 24 माह कर दी गई है। स्क्रिप्टों के अंतरण / बिक्री के लिए जीएसटी दर शून्य कर दी गई है जो पहले 12 प्रतिशत थी।
- स्वयं घोषणा के साथ ड्यूटी छूट योजना के तहत निर्यात उत्पादन के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट को अनुमत करने के लिए नई न्यास आधारित स्वयं अनुसमर्थन योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत, निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले इनपुट के लिए मानदंड समिति से अनुसमर्थन प्राप्त करने की बजाय निर्यातक ड्यूटी फ्री कच्चे माल / इनपुट की आवश्यकता को स्वयं प्रमाणित करेंगे और विदेश व्यापार महानिदेशालय से प्राधिकार प्राप्त करेंगे। यह योजना शुरू में अधिकृत आर्थिक प्रचालकों (ए ई ओ) को उपलब्ध होगी।
- शिकायतों के समाधान के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट (www.dgft-gov-in) पर विदेश व्यापार से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान के लिए निर्यातकों एवं आयातकों के लिए एकल खिड़की संपर्क बिंदु के रूप में Contact@DGFT सेवा शुरू की गई है।
- निर्यातकों एवं आयातकों के लिए सीमापारीय व्यापार करने की सुगमता में सुधार पर बल देने के लिए, निर्यात से संबंधित उनकी समस्याओं को दूर करने, निर्यात बाजारों का आकलन करने और विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने में निर्यातकों को सहायता एवं मदद प्रदान करने के लिए एक व्यावसायिक टीम की परिकल्पना की गई है।
- नीति में परिवर्तनों, मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार, अड़चनों एवं अंतरालों की पहचान और इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के समावेशन के माध्यम से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के समेकित विकास के लिए एक कार्य योजना का विकास एवं समन्वय करने के लिए वाणिज्य विभाग में नए लॉजिस्टिक्स प्रभाग का गठन किया गया है।
- स्पष्टता के लिए, ऐसे पूंजी माल की नकारात्मक सूची अधिसूचित की गई है जो पूंजी माल पर निर्यात संवर्धन (ई पी सी जी) योजना के तहत अनुमत नहीं हैं।
- रियायती एवं पूर्ण ड्यूटी पर निर्यात उन्मुख यूनिटों (ई ओ यू) से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए) बिक्री की संकल्पना हटा दी गई है और इस प्रकार डीटीए बिक्री की पात्रता संबंधी लिमिट भी हटा दी गई है। परिणामतः मोटर कार, मादक मदिरा, पुस्तकों एवं चाय की डीटीए बिक्री पर प्रतिबंध हटा दिया गया है।
- रिपेयर / रिफर्बिशिंग / रिफ्रीजिंग या रिइंजीनियरिंग के प्रयोजन के लिए आयात किए सेकंड हैंड माल को ड्यूटी फ्री कर दिया गया है और इस प्रकार मरम्मत सेवा क्षेत्र में रोजगार के सृजन को सुगम बनाया गया है।
- इनपुट पर जीएसटी के अग्रिम भुगतान के कारण निर्यातकों की कार्यकारी पूंजी के अवरूद्ध हो जाने के मुद्दे का समाधान किया गया है। पूंजी माल के लिए निर्यात संवर्धन (ई पी सी जी) योजना के अग्रिम प्राधिकार के तहत 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख यूनिटों के निर्यातकों को जीएसटी के अग्रिम भुगतान के बगैर निर्यात के लिए विदेशों से तथा घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से भी इनपुट / पूंजी माल प्राप्त करने का लाभ प्रदान किया गया है। इसके अलावा, इन योजनाओं को 01 अप्रैल 2018 से लागू करने के लिए 01 अप्रैल 2018 से एक ई-वालेट भी शुरू किया जाएगा।
- 15 दिसंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने रोजगार सृजन के लिए लेदर एवं फुटवियर क्षेत्र में विशेष पैकेज को अनुमोदन प्रदान किया है। इस पैकेज में 2017-18 से 2019-20 तक तीन साल की अवधि में 2,600 करोड़ रुपए के अनुमोदित व्यय से केंद्रीय क्षेत्र योजना "भारतीय फुटवियर, लेदर एवं साजोसामान विकास कार्यक्रम" का कार्यान्वयन शामिल है। यह योजना चमड़ा क्षेत्र के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, चमड़ा क्षेत्र से जुड़े पर्यावरणीय सरोकारों का समाधान करेगी, अतिरिक्त निवेश, रोजगार सृजन तथा उत्पादन में वृद्धि को सुगम बनाएगी। विशेष पैकेज में फुटवियर, लेदर एवं साजोसामान क्षेत्र में संचयी प्रभाव के रूप में 3 वर्षों में 3.24 लाख नए जॉब उत्पन्न करने तथा 2 लाख जॉब को निश्चित रूप देने में मदद करने की क्षमता है।

विदेश व्यापार नीति में दो नई स्कीमें शुरू की गई हैं अर्थात् विनिर्दिष्ट बाजारों को विनिर्दिष्ट माल के निर्यात के लिए “भारत से पण निर्यात स्कीम (एम ई आई एस)” और अधिसूचित सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए “भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एस ई आई एस)”।

भारत से पण निर्यात स्कीम (एम ई आई एस)

भारत में अधिसूचित विनिर्मित / अधिप्राप्ति माल के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के तहत 1 अप्रैल 2015 को भारत से पण निर्यात स्कीम शुरू की गई। लागू होने के समय एम ई आई एस के तहत 8 डिजिट पर 4914 टैरिफ लाइनें शामिल थीं। वैश्विक आर्थिक मंदी तथा निर्यातकों के समक्ष मौजूद प्रतिकूल परिवेश को ध्यान में रखकर अतिरिक्त लाइनों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया तथा इस समय इसके तहत 8013 लाइनें शामिल हैं तथा इन सभी का कवरेज वैश्विक है।

वित्त वर्ष 2017-18 में एमईआईएस अनुसूची के तहत टैरिफ लाइनों को आईटीसी एचएस 2017 के साथ संरेखित किया गया, जो 1 जनवरी 2017 से प्रभावी हुआ है। 18,000 करोड़ रुपए का आरंभिक परिकल्पित वार्षिक राजस्व परित्याग अब बढ़कर 23,500 करोड़ रुपए हो गया है। निर्यातों के वसूले गए एफ ओ बी मूल्य के 2, 3 और 5 प्रतिशत पर भारत से पण निर्यात स्कीम के प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। ड्यूटी स्क्रिप के रूप में प्रोत्साहन जारी किए जाते हैं, जिनका प्रयोग जीएसटी व्यावस्था के तहत बुनियादी कस्टम ड्यूटी के भुगतान के लिए किया जा सकता है तथा इनका अबाध रूप से हस्तांतरण किया जा सकता है। एमईआईएस के तहत स्क्रिप की वैधता, जो 18 माह थी, बढ़ाकर 24 माह कर दी गई है, ताकि स्क्रिप की उपयोगिता बढ़ाई जा सके।

भारत से पण निर्यात स्कीम के तहत शामिल प्रमुख उत्पाद समूह इस प्रकार हैं: कृषि उत्पाद, फल, फूल, सब्जियां, चाय, कॉफी, मसाले, मूल्यवर्धित एवं पै. केजबंद उत्पाद, हस्तशिल्प, हथकरघा, जूट उत्पाद, टेक्सटाइल एवं गारमेंट,

फर्मास्युटिकल्स, सर्जिकल, हर्बल, परियोजना माल, आटो कंपोनेंट, दूर संचार, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, रेलवे, परिवहन उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, आई सी इंजन, मशीन टूल्स, पाटर्स, हैंड टूल्स, सभी प्रकार के पंप, आटोमोबाइल, ट्रू वीलर, साइकिल, शिप, प्लेन, रसायन, प्लास्टिक, रबर, सिरेमिक एवं ग्लास, लेदर गारमेंट्स, सैडलरी की वस्तुएं, फुटवियर, स्टील फर्नीचर, प्रोफ़ैब, लाइटर बुड, पेपर, लेखन सामग्री, लोहा, इस्पात तथा बेस मेटल उत्पाद।

भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एस ई आई एस)

भारत से सेवा निर्यात स्कीम पात्र सेवा निर्यात के लिए एक प्रोत्साहन स्कीम है तथा भारत से सेवित स्कीम (एस एफ आई एस) को प्रतिस्थापित करते हुए विदेश व्यापार नीति (2015-20) में इसे शुरू किया गया। भारत से सेवा निर्यात स्कीम अर्जित निवल विदेशी मुद्रा के 3 प्रतिशत या 5 प्रतिशत की दर से ईनाम की पेशकश करती है। केवल मोड 1 एवं मोड 2 की सेवाएं पात्र हैं। इस स्कीम के तहत पिछली नीति में लागू ‘भारतीय सेवाप्रदाता’ के स्थान पर ‘भारत में स्थित सेवा प्रदाता’ शामिल हैं। नई स्कीम के तहत जारी की गई प्रोत्साहन स्क्रिप्स हस्तांतरणीय हैं। एसईआईएस के तहत स्क्रिप की वैधता, जो 18 माह थी, बढ़ाकर 24 माह कर दी गई है, ताकि स्क्रिप की उपयोगिता बढ़ाई जा सके।

भारत से सेवा निर्यात स्कीम के तहत शामिल कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं इस प्रकार हैं:

- 5 प्रतिशत की दर से विधिक, लेखांकन, वास्तुशिल्पीय, इंजीनियरिंग, शैक्षिक, अस्पताली सेवाएं
- 3 प्रतिशत की दर से होटल एवं रेस्टोरेंट, ट्रेवल एजेंसियां तथा टूर आ. परेटर, अन्य व्यवसाय सेवाएं।

निम्नलिखित सारणी 2016-17 तथा अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान स्क्रिप के मूल्यों तथा निर्यात के एफओबी मूल्य के साथ एमईआईएस और एसईआईएस के तहत जारी किए गए स्क्रिप का ब्यौरा दर्शाती है :

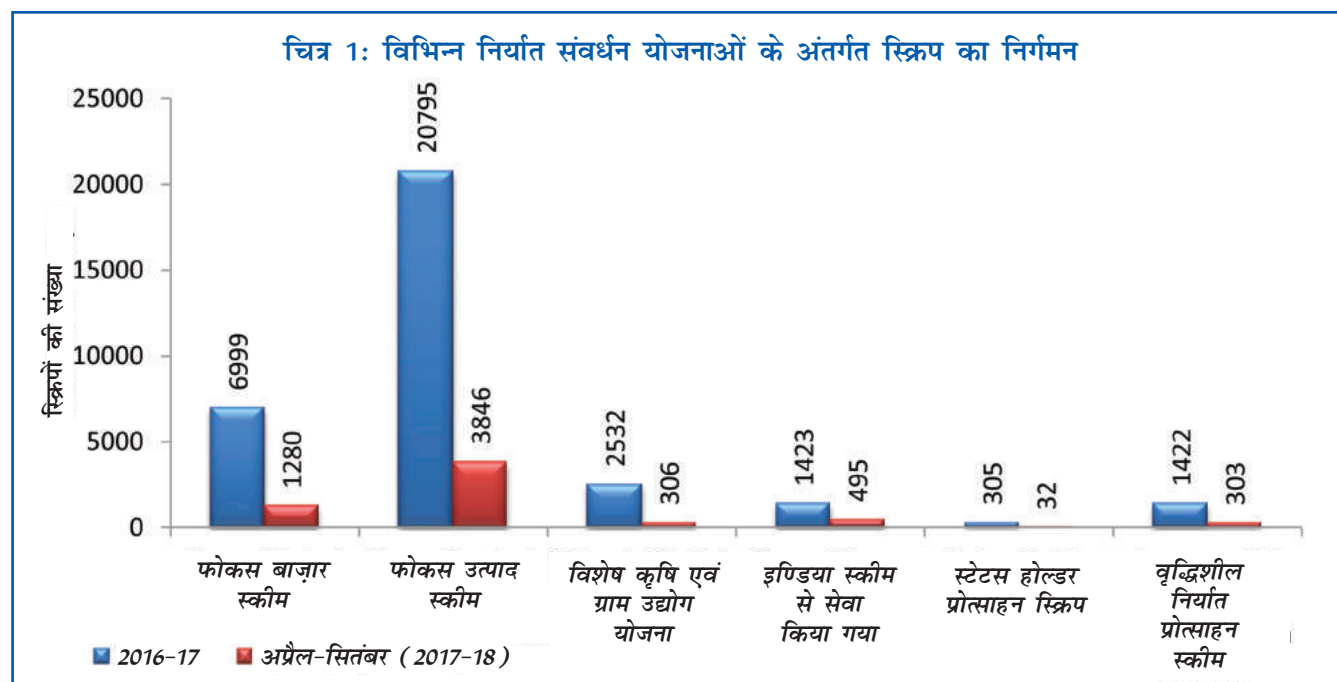
निर्यात संवर्धन की स्कीमें		2016-17	अप्रैल - सितंबर 2017
भारत से पण निर्यात स्कीम (एम ई आई एस)	स्क्रिप की संख्या	159446	90333
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	18116.80	10581.53
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	688473.22	420296.97
भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एस ई आई एस)	स्क्रिप की संख्या	1368	2173
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	561.03	1440.70
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	167172.47	773818.65

पिछली विदेश व्यापार नीतियों के तहत निर्यात संवर्धन की अन्य स्कीमें

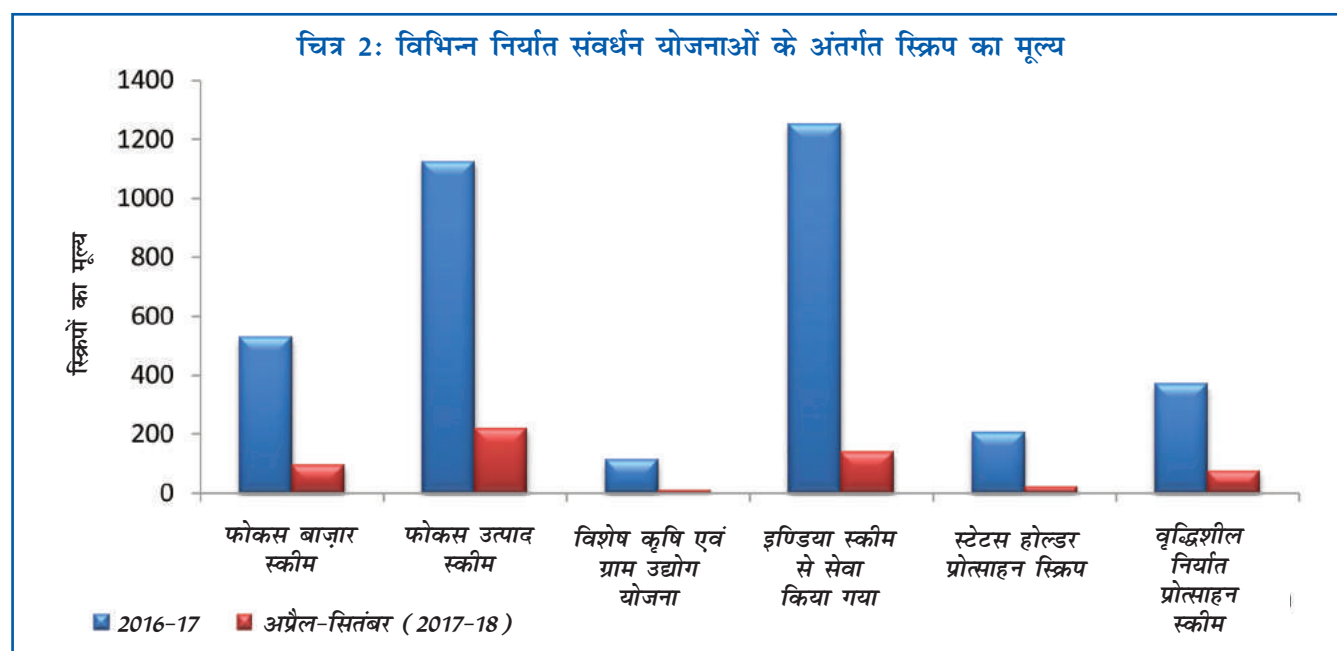
स्क्रिप विभिन्न स्कीमों जैसे कि (1) फोकस उत्पाद स्कीम (एफपीएस), (2) फोकस बाजार स्कीम (एफएमएस), (3) विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), (4) वृद्धिमूलक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम, (5) भारत से सेवित स्कीम और (6) स्टेटस होल्डर प्रोत्साहन स्क्रिप (एसएचआईएस) के तहत भी जारी की जाती है। निम्नलिखित सारणी में 2016-17 तथा अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान स्क्रिप के मूल्यों तथा निर्यात के एफओबी मूल्य के साथ विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जारी किए गए स्क्रिप का ब्यौरा दिया गया है:

निर्यात संवर्धन की स्कीमें		2016-17	अप्रैल - सितंबर 2017
फोकस मार्केट स्कीम (एफ एम एस)	स्क्रिप की संख्या	6999	1280
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	527.85	95.52
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	15104.03	2829.84
फोकस प्रोडक्ट्स स्कीम (एफ पी एस)	स्क्रिप की संख्या	20795	3846
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	1124.67	219.85
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	47213.93	9356.32
विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वी के जी यू वाई)	स्क्रिप की संख्या	2532	306
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	111.70	9.81
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	2369.40	214.50
भारत स्कीम से सेवित (एस एफ आई एस)	स्क्रिप की संख्या	1423	495
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	1251.76	138.32
स्टेटस होल्डर प्रोत्साहन स्क्रिप (सी एच आई एस)	स्क्रिप की संख्या	305	32
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	204.32	20.87
वृद्धिपरक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम (आई ई आई एस)	स्क्रिप की संख्या	1422	303
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	368.32	74.83

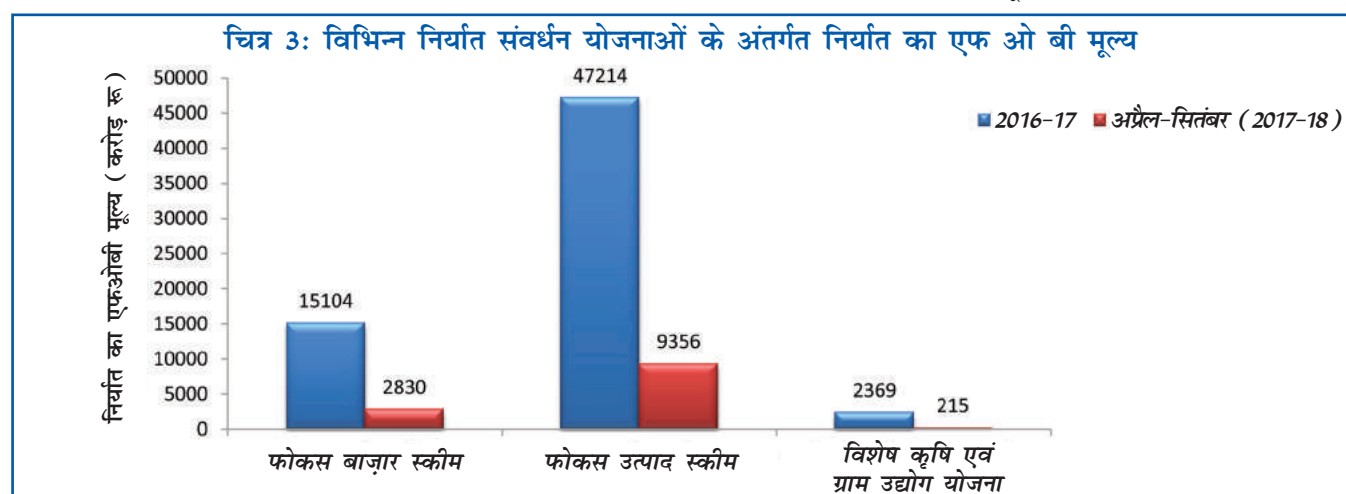
चित्र 1 में 2016-17 तथा अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जारी किए गए स्क्रिप की संख्या को दर्शाया गया है।



चित्र 2 2016-17 तथा अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जारी किए गए स्क्रिप के मूल्य को दर्शाता है।



चित्र 3 2016-17 तथा अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात के एफओबी मूल्य को दर्शाता है।



शुल्क माफी की स्कीमें

शुल्ल निष्प्रभाव / माफी की स्कीमें सरकार के इस सिद्धांत और प्रतिबद्धता पर आधारित हैं कि "सामानों और सेवाओं का निर्यात किया जाना है न कि कर्तों और उगाहियों का"। इसका प्रयोजन यह है कि इनपुट्स के शुल्क मुक्त आयात / प्रापण की अनुमति दी जाए अथवा या तो प्रयुक्त इनपुट्स के लिए या प्रयुक्त इनपुट्स पर शुल्क घटक के लिए पुनःपूर्ति की अनुमति दी जाए। इन योजनाओं का संक्षिप्त नीचे दिया गया है।

अग्रिम प्राधिकार स्कीम

स्कीम के अंतर्गत निर्यात उत्पादों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित ईंधन, ऑयल, और कैटेलिस्ट आदि के साथ इनपुट्स के ड्यूटी मुक्त निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है। इनपुट्स की या तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मानकों (एस आई ओ एन) के अनुसार या वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अंतर्गत तदर्थ मानक आधार पर अनुमति दी जाती है। मानक तकनीकी समिति यानि मानक समिति द्वारा नियत किए जाते हैं। यह सुविधा वास्तविक निर्यातों (जिनमें एस ई जेड इकाईयों एवं एस ई जेड विकासकों को की जाने वाली आपूर्तियां भी शामिल हैं) और मध्यवर्ती आपूर्तियों सहित डीमड एक्सपोर्ट्स के लिए उपलब्ध है। कतिपय मंदों के सिवाय विहित न्यूनतम मूल्य वृद्धि 15 प्रतिशत है। निर्यातकों को एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, मात्रावार एवं मूल्यवार दोनों दृष्टियों से निर्यात बाध्यताएं पूरी करनी होती हैं। प्राधिकारों को इक्कठा करने की सुविधाएं सरलीकृत की गईं और शक्तियां क्षेत्रीय प्राधिकरणों को विकेंद्रित की गईं। विनिर्धारित शर्तों के पूरे होने की शर्त के अधीन कतिपय मंदों, जो निर्यात किए जाने के लिए प्रतिबंधित थी, के निर्यात की अनुमति, अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत, प्रदान की गई है।

विदेश व्यापार नीति (2015-2020) में (1) अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत सामान्य 18 माह के स्थान पर रक्षा, सैन्य स्टोर, एयरोस्पेस एवं परमाणु ऊर्जा की श्रेणी में आने वाली निर्यात की मंदों के लिए 24 माह की लंबी निर्यात बाध्यता (ईओ) अवधि प्रदान की गई है। ऐसे सैन्य सामानों की सूची अलग से अधिसूचित की गई है जिनके लिए रक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। (2) अग्रिम प्राधिकार के विरुद्ध आयात भी ट्रांजिशनल उत्पाद विशिष्ट सुरक्षोपाय ड्यूटी से छूट के लिए पात्र होंगे। विदेश व्यापार नीति 2002-07 और विदेश व्यापार नीति 2004-09 के दौरान जारी किए गए अग्रिम प्राधिकारों को क्लब करने के लिए एकबारगी छूट दी जाती है। विदेश व्यापार नीति 2002-07, विदेश व्यापार नीति 2004-09 के तहत जारी किए गए अग्रिम प्राधिकारों तथा विदेश व्यापार नीति 2009-14 के तहत 5 जून 2012 से पूर्व जारी किए गए अग्रिम प्राधिकारों की निर्यात बाध्यता अवधि बढ़ाने के लिए एकबारगी

छूट प्रदान की जाती है। 31 मार्च 2018 को या इससे पहले संबंधित आरए में निर्यात बाध्यता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध दाखिल किया जाएगा।

ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार (डी एफ आई ए)

1 मई, 2006 से क्रियाशील ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम के तहत ऐसे उत्पादों के लिए निर्यात पश्चात आधार पर ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार जारी किए जाएंगे जिनके लिए मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एस आई ओ एन) अधिसूचित किए गए हैं, जब निर्यात पूरा हो जाएगा। ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य निर्यात के पूरा हो जाने के बाद एस आई ओ एन के अनुसार प्राधिकार या आयातित इनपुट्स के अंतरण को सुगम बनाना है। ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम के उपबंध अग्रिम प्राधिकार स्कीम के सदृश हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 20 प्रतिशत की न्यूनतम मूल्य वृद्धि अपेक्षित है। जिन मंदों के लिए परिशिष्ट में अग्रिम प्राधिकार के तहत अधिक मूल्य वृद्धि निर्धारित की गई है, उनके लिए भी वही मूल्य वृद्धि लागू होगी जो ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार के लिए लागू है। विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में निर्यात पूर्व ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार को बंद कर दिया गया है।

रत्नों एवं आभूषण क्षेत्र के लिए स्कीमें

हमारे कुल वस्तु निर्यात में रत्न एवं आभूषण के निर्यात का हिस्सा बहुत बड़ा है। यह एक रोजगार उन्मुख क्षेत्र है। वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से इस क्षेत्र से होने वाले निर्यातों में काफी गिरावट आई है।

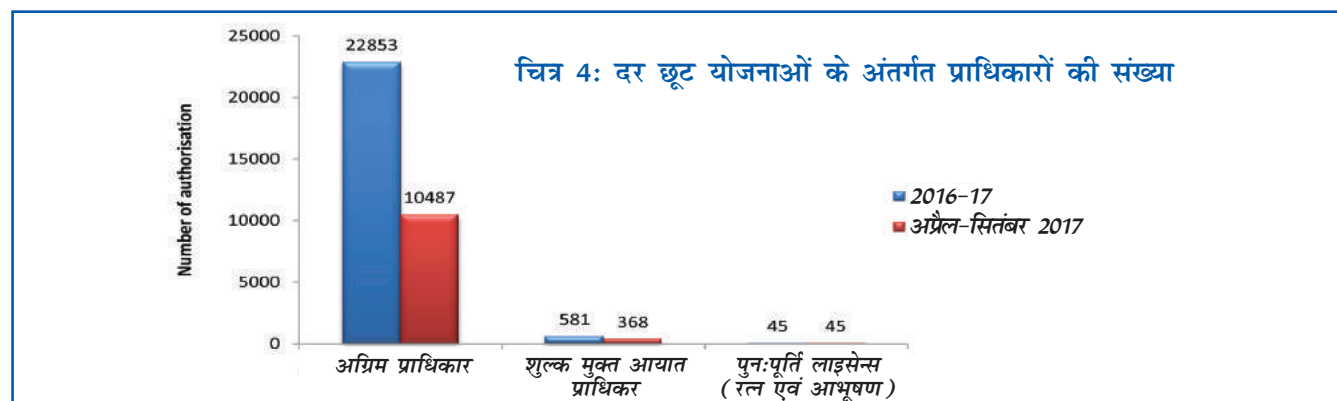
नामित एजेंसियों से या तो अग्रिम में या पुनःपूर्ति के रूप में बहुमूल्य धातु (सोना / चांदी / प्लेटिनम) के ड्यूटी मुक्त आयात / प्रापण की अनुमति दी गई है। ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए उपलब्ध नहीं होगी। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए लागू स्कीमें इस प्रकार हैं :

- नामित एजेंसियों से बहुमूल्य धातुओं का अग्रिम प्रापण भराई
- रत्नों के लिए भराई प्राधिकार
- उपभोज्य वस्तुओं के लिए भराई प्राधिकार
- बहुमूल्य धातुओं के लिए अग्रिम प्राधिकार

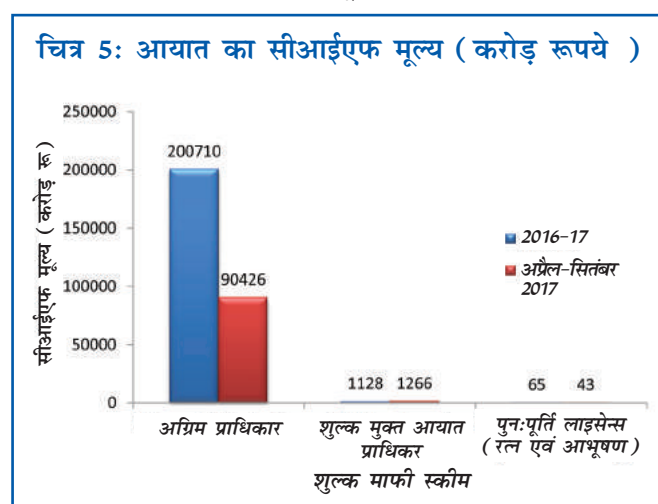
शुल्क माफी की स्कीमों के तहत प्राधिकार जारी किया जाना

विभिन्न स्कीमों अर्थात् अग्रिम प्राधिकार, ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार (डी एफ आई ए) तथा भराई लाइसेंस (रत्न एवं आभूषण) के तहत प्राधिकार जारी किए जाते हैं। 2016-17 तथा अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत जारी किए गए प्राधिकारों की संख्या, आयातों के सी आई एफ मूल्य तथा निर्यातों के एफ ओ बी मूल्य का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

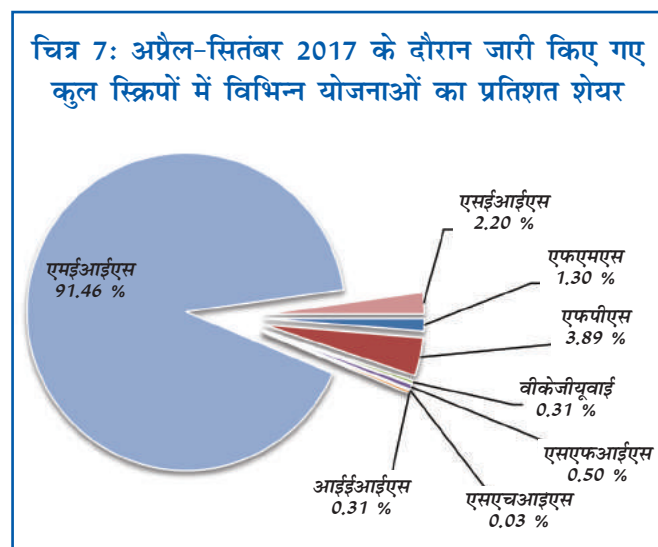
शुल्क माफी की स्कीमें		2016-17	अप्रैल - सितंबर 2017
अग्रिम प्राधिकार	प्राधिकारों की संख्या	22853	10487
	आयातों का सी आई एफ मूल्य (करोड़ रुपए में)	200709.69	90426.36
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	312159.59	143921.18
ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार (डी एफ आई ए)	प्राधिकारों की संख्या	581	368
	आयातों का सी आई एफ मूल्य (करोड़ रुपए में)	1127.65	1266.34
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	1941.12	1714.39
पुनः पूर्ति लाइसेंस (रत्न एवं आभूषण)	प्राधिकारों की संख्या	45	45
	आयातों का सी आई एफ मूल्य (करोड़ रुपए में)	64.80	42.57
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	748.34	491.94



चित्र 5 2016-17 तथा अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत आयात के सीआईएफ मूल्य को दर्शाता है।



चित्र 7 अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान जारी किए गए स्क्रिपों की कुल संख्या में विभिन्न स्कीमों के शेयर को प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। यह दर्शाता है कि अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान जारी किए गए कुल स्क्रिप में एमईआईएस के तहत जारी किए गए स्क्रिप का शेयर सबसे अधिक अर्थात् 91.46 प्रतिशत था।



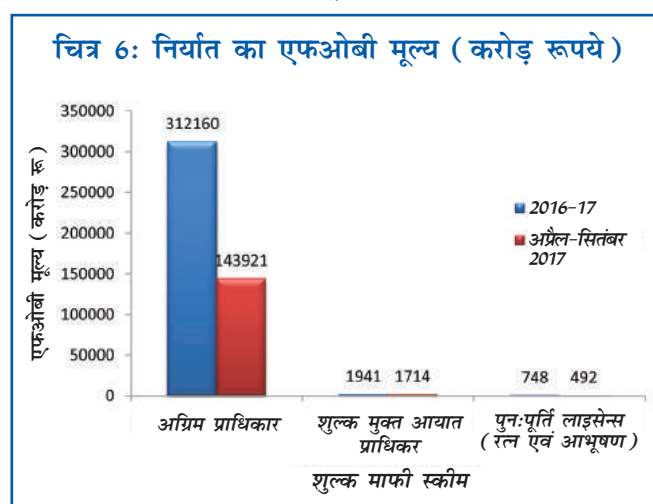
पूँजी माल निर्यात संवर्धन (ई पी सी जी) स्कीम

पूँजी माल निर्यात संवर्धन स्कीम का उद्देश्य भारत की निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए कोटिपरक माल एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए पूँजी माल के आयात को सुगम बनाना है। ईपीसीजी स्कीम जीरो कस्टम ड्यूटी पर पूँजी माल के आयात की अनुमति प्रदान करती है परंतु प्राधिकार के जारी होने की तिथि से परिगणित 6 साल की अवधि में पूँजी माल पर बचाए गए शुल्क, कर और उपकर के 6 गुने के समतुल्य निर्यात करने की शर्त को पूरा करना होगा। पूँजी माल निर्यात संवर्धन स्कीम के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

- क) पूँजी माल निर्यात संवर्धन स्कीम शून्य सीमा शुल्क पर उत्पादन पूर्व, उत्पादन और उत्पादन पश्चात के लिए पूँजी माल के आयात को अनुमति प्रदान करती है। भौतिक निर्यात के लिए ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित पूँजी माल को कस्टम टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा 7 और उपधारा 9 के तहत उस पर लगाए जाने वाले क्रमशः समेकित कर क्षतिपूर्ति उपकर से पूर्णरूपेण छूट प्राप्त है, जैसा कि राजस्व विभाग के तहत जारी की गई अधिसूचना में प्रावधान किया जा सकता है। विकल्प के तौर पर, प्राधिकार धारक विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.07 के प्रावधानों के अनुसरण में देशज स्रोतों से भी पूँजी माल का प्रापण कर सकते हैं। पूँजी माल निर्यात संवर्धन स्कीम के प्रयोजन के लिए पूँजी माल में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (1) अध्याय 9 तथा इसकी सी के डी / एस के डी शर्त में यथा परिभाषित पूँजी माल;

चित्र 6 2016-17 तथा अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात के एफओबी मूल्य को दर्शाता है।



- (2) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम;
- (3) आरंभिक लाइनिंग के लिए स्पेयर, माउल्ट, डाइ, जिग, फिक्सचर, टूल्स एवं रिफ्रकट्री तथा स्पेयर रिफ्रकट्री; और
- (4) आरंभिक चार्ज के लिए कैटेलिस्ट प्लस एक परवर्ती चार्ज।

- ख) पूँजी माल निर्यात संवर्धन स्कीम के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा परियोजना आयात के लिए पूँजी माल का आयात भी अनुमत है।
- ग) प्राधिकार जारी होने की तिथि से 18 माह के लिए आयात के लिए मान्य है। ई पी सी जी प्राधिकार की पुनः वैधता अनुमत नहीं होगी।
- घ) पूँजी माल निर्यात संवर्धन स्कीम के अंतर्गत सेकंड हैंड पूँजी माल के आयात की अनुमति नहीं है।
- ङ) ई पी सी जी स्कीम के तहत प्राधिकार विद्युत के उत्पादन / पारेषण के लिए किसी पूँजी माल के आयात के लिए जारी नहीं किया जाता है (जिसमें कैप्टिव प्लांट तथा किसी प्रकार का पावर जेनरेटर सेट शामिल है) :

- (1) विद्युत ऊर्जा (विद्युत) का निर्यात
- (2) समवत निर्यात के तहत विद्युत ऊर्जा (विद्युत) की आपूर्ति
- (3) अपनी स्वयं की यूनिट में विद्युत (ऊर्जा) की आपूर्ति / प्रयोग, और
- (4) विद्युत पारेषण सेवाओं की आपूर्ति / निर्यात

इस स्कीम में प्रक्रिया हस्त पुस्तिका के पैरा 5.13 के अनुसार कतिपय वि. निर्दिष्ट सेक्टरों/उत्पादों के सिवाय समग्र निर्यात बाध्यता अवधि, जिसमें विस्तारित अवधि भी शामिल है, के भीतर उसी और सदृश उत्पादों के लिए पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में निर्यातक द्वारा हासिल किए गए निर्यात के औसत स्तर को बनाए रखना भी अपेक्षित है।

- ज) ई पी सी जी स्कीम के कार्य क्षेत्र को ऐसे सेवा प्रदाताओं पर भी लागू किया गया है जो डी जी एफ टी, वाणिज्य विभाग या राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम द्वारा निर्यात उत्कृष्टता के किसी टाउन में सामान्य सेवा प्रदाता (सी एस पी) के रूप में नामित / प्रमाणित है, बशर्ते विदेश व्यापार नीति 2015-20 / प्रक्रिया हैंडबुक (2015-20) की निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन हो :

- (1) सामान्य सेवा प्रदाता की निर्यात बाध्यता की पूर्ति के लिए गणना की जाने वाली सामान्य सेवा के प्रयोक्ताओं द्वारा निर्यात के तहत संबंधित लदान बिल में सामान्य सेवा प्रदाता के ई पी सी जी प्राधिकार के ब्यौरे होंगे तथा आरए को ऐसे निर्यात से पूर्व प्रयोक्ताओं के ब्यौरे के बारे में सूचित किया जाना चाहिए;
- (2) ऐसे निर्यात को सी एस पी / प्रयोक्ताओं के ई पी सी जी के अन्य प्राधिकारों के संबंध में विशिष्ट निर्यात बाध्यता की पूर्ति के लिए नहीं गिना जाएगा; और
- (3) प्राधिकार धारक से बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी जो बचाई गई ड्यूटी के समतुल्य होगी। बैंक गारंटी सामान्य सेवा प्रदाता द्वारा या सामान्य सेवा प्रदाता के विकल्प पर किसी भी प्रयोक्ता या उनके संयोजन द्वारा प्रदान की जा सकती है।

- (4) विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 5.02 (ख) में निर्यात उत्कृष्टता के टाउन में विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग या राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम द्वारा सामान्य सेवा प्रदाता (सी एस पी) नामित / प्रमाणित करने के लिए दिशानिर्देश।
- झ) ई पी सी जी लाइसेंस का धारण करने वाला व्यक्ति किसी घरेलू विनिर्माता से पूंजी माल प्राप्त कर सकता है। ऐसे घरेलू विनिर्माता विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03 के तहत समवत निर्यात लाभ के लिए तथा ऐसे लाभों के लिए पात्र होंगे जो समवत निर्यात की श्रेणी के अंतर्गत जीएसटी नियमावली के तहत प्रदान किया जा सकता है। ऐसा घरेलू स्रोत निर्यात उन्मुख यूनियनों से भी अनुमत होगा तथा इन आपूर्तियों को विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.09 (क) के प्रावधानों के अनुसार उक्त निर्यात उन्मुख यूनियन द्वारा सकारात्मक एन एफ ई की पूर्ति के नियोजन के लिए गिना जाएगा।
- ञ) प्राधिकार धारक आयात के पूरा होने की तिथि से 6 माह के अंदर संबंधित आरए को प्राधिकार धारक के विकल्प पर क्षेत्राधिकारीय केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी अथवा किसी स्वतंत्र सनदी इंजीनियर से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें इस बात की पुष्टि होगी कि प्राधिकार धारक या उसके सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के कारखाने / परिसर में पूंजी माल को संस्थापित किया गया है। आरए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की उक्त अवधि को अगले 12 माह की अधिकतम अवधि तक आगे बढ़ा सकता है। जहां केंद्रीय उत्पाद शुल्क के यहां पंजीकृत कोई यूनियन स्वतंत्र सनदी इंजीनियर के प्रमाण पत्र का विकल्प चुनती है, तो प्राधिकार धारक सूचना / रिकार्ड के रूप में क्षेत्राधिकारीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को प्रमाण पत्र की प्रति भेजेगा।
- ट) स्पेयर के आयात के मामले में प्राधिकार धारक द्वारा आयात की तिथि से तीन साल के अंदर संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- ठ) आयात के लिए एच बी पी के पैरा 4.37 के अनुसार ई पी सी जी प्राधिकार पंजीकरण के एकल बंदरगाह के साथ जारी किया जाता है। तथापि, निर्यात एच बी पी के पैरा 4.37 में निर्दिष्ट किसी भी बंदरगाह से किया जा सकता है।
- ड) ग्रीन टेक्नोलॉजी उत्पादों के निर्यात के संदर्भ में विनिर्दिष्ट निर्यात बाध्यता सामान्य निर्यात बाध्यता का 75 प्रतिशत होगी, जैसा कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.10 में उल्लिखित है। ग्रीन टेक्नोलॉजी उत्पादों की सूची एचबीपी 2015-20 के पैरा 5.29 में दी गई है।

जम्मू और कश्मीर, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित इकाईयों के लिए विनिर्दिष्ट ईओ, ईओ का 25 प्रतिशत होगा जैसा कि एफ टी पी के पैरा 5.01 में विनिर्धारित है।

ई पी सी जी स्कीम के अंतर्गत निर्यात बाध्यता (ई ओ) की शर्तें

- आवेदक द्वारा विनिर्मित सामानों / प्रदान की गई सेवा (ओं) के निर्यात के माध्यम से निर्यात बाध्यता पूरी की जानी है।
- निर्यात भौतिक निर्यात होंगे। निर्यात बाध्यता की पूर्ति के लिए कतिपय डीमड एक्सपोर्ट्स को भी शामिल किया जाता है।

- इस स्कीम के अंतर्गत निर्यात बाध्यता, इस प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त श्रेणियों से इतर, समग्र निर्यात बाध्यता अवधि, जिसमें विस्तारित अवधि भी शामिल है, के भीतर उसी और सदृश उत्पादों के लिए पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में ई पी सी जी प्राधिकार धारक द्वारा हासिल किए गए निर्यात के औसत स्तर के अतिरिक्त होगी।
- कतिपय सेक्टरों जैसे हस्तशिल्प, हथकरघा, कुटीर उद्योग, अत्यन्त लघु क्षेत्र, कृषि, एक्वात-कल्चर (मात्स्यिकी सहित), पशुपालन, पुष्प उत्पादन, उद्यानिकी, मछली पालन, अंगूर की खेती, मुर्गीपालन, रेशम उत्पादन, दरियों, नारियल-जटा और जूट के लिए औसत निर्यात बाध्यता बनाए रखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है।
- निर्यात बाध्यता अवधि में 2 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार किया जा सकता है बशर्ते एच बी पी के पैरा 5.17 में विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तें पूरी होती हों।
- पूंजी माल का आयात निर्यात बाध्यता के पूरे हो जाने तक वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन होता है।

निर्यात उपरांत ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिपस)

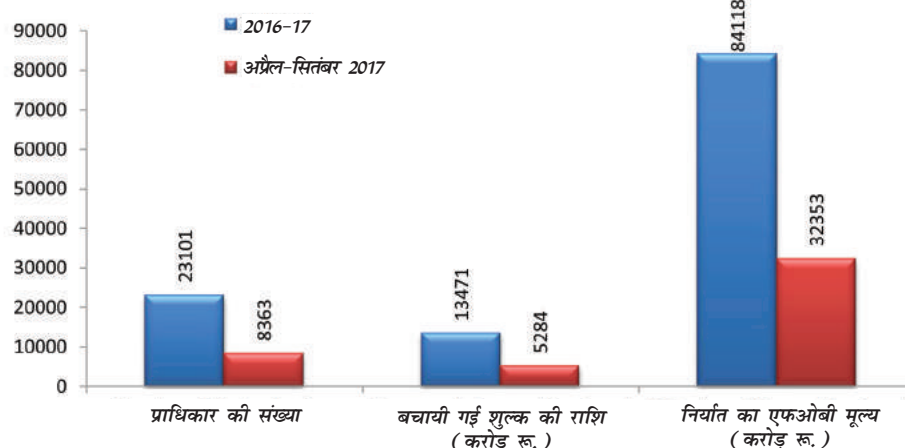
ई पी सी जी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिपस) ऐसे निर्यातकों के लिए उपलब्ध होगी जो लागू ड्यूटियों के पूर्ण भुगतान पर पूंजी माल के आयात का इरादा रखते हैं और इस स्कीम के विकल्प का वरण करते हैं। पूंजी माल पर संदल बुनियादी सीमा शुल्क को विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत जारी किए गए स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की तरह स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में माफ किया जाता है। विशिष्ट निर्यात बाध्यता ई पी सी जी स्कीम के तहत लागू विशिष्ट निर्यात बाध्यता का 85 प्रतिशत है। तथापि, औसत निर्यात बाध्यता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ड्यूटी माफी पूरी की गई निर्यात बाध्यता के अनुपात में होगी। विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत जारी किए गए स्क्रिप के प्रयोग के लिए सभी प्रावधान निर्यात पश्चात ई पी सी जी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप पर लागू होंगे। मौजूदा ई पी सी जी स्कीम के सभी प्रावधान तब तक लागू होंगे जब तक कि वे इस स्कीम के साथ असंगत न हों।

ई पी सी जी प्राधिकारों का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :

पूंजी माल निर्यात संवर्धन योजना के तहत जारी किए गए प्राधिकार		
ई पी सी जी स्कीम	2016-17	अप्रैल-सितंबर 2017
प्राधिकारों की संख्या	23,101	8,363
ड्यूटी के रूप में बचाई गई राशि (करोड़ रु)	13,470.53	5,283.81
निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	84,118.01	32,353.44

चित्र 8 2016-17 तथा अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान बचाई गई ड्यूटी की राशि तथा निर्यात के एफओबी मूल्य के साथ विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जारी किए गए प्राधिकारों की संख्या को दर्शाता है।

चित्र 8: निर्यात संवर्धन पूंजी तथा वस्तु योजना के अंतर्गत प्रतिशत का निर्गमन



पूर्व एवं पश्चात नौप्रेषण रूपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना

आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 1 अप्रैल 2015 से 5 साल की अवधि के लिए 18 नवंबर 2015 को ब्याज समानीकरण योजना को अनुमोदित किया। इस योजना को प्रचालन दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्र संख्या 62 दिनांक 4 दिसंबर 2015 के जरिए जारी किए गए। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- क) 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज समानीकरण की दर नौप्रेषण पूर्व रूपया निर्यात क्रेडिट और नौप्रेषण पश्चात रूपया निर्यात क्रेडिट पर उपलब्ध होगी।
- ख) यह स्कीम 5 वर्षों के लिए 1 अप्रैल, 2015 से लागू होगी। तथापि, भारत सरकार किसी भी समय इस स्कीम को संशोधित / परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- ग) यह स्कीम 416 निर्दिष्ट टैरिफ लाइनों (4 डिजिट के आई टी सी (एच एस कोड पर) के तहत सभी निर्यातों तथा सभी आई टी सी (एच एस) कोडों के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम एस एम ई) द्वारा किए गए निर्यातों के लिए उपलब्ध होगी।
- घ) स्कीम मर्चेन्ट निर्यातकों को उपलब्ध नहीं होगी।
- ङ) बैंकों से पात्र निर्यातकों को यथा लागू ब्याज समानीकरण के लाभ अप्रफ्रंट रूप में पूरी तरह अंतरित करने तथा प्रतिपूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को दावा प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, जो बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित होने चाहिए।
- च) इस स्कीम के तहत सभी पात्र निर्यातों को भारत से उद्गम के रूप में कहे जाने वाले माल के लिए प्रसस्करण की न्यूनतम कसौटी को पूरा करना होगा तथा यह विदेश व्यापार नीति 2015-2020 की प्रक्रिया हैड बुक के उत्पत्ति के नियम (गैर तरजीही) के पैरा 2.108 (क) के प्रावधान द्वारा अभिशासित होगा।

वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 के बजट अनुमान में क्रमशः 1100 करोड़ रुपए और 1000 करोड़ रुपए की निधियों का प्रावधान किया गया था। वित्त वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में क्रमशः 1100 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है तथा अक्टूबर 2017 की स्थिति के अनुसार संपूर्ण राशि भारतीय रिजर्व बैंक को फरवरी 2017 तक (अंशतः) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा मई 2017 तक शहरी सहकारी बैंकों के दावे के विरुद्ध जारी कर दी गई है।

परिधान तथा कपड़ों के साजोसामान के लिए वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष अग्रिम प्राधिकार स्कीम

फैब्रिक के आयात तथा ड्यूटी ड्राबैक की सभी उद्योगों पर लागू दर का दावा करने के लिए एक नई स्कीम 1 सितंबर 2016 से शुरू की गई। नई स्कीम का नाम 'परिधान तथा कपड़ों के साजोसामान की वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष अग्रिम प्राधिकार स्कीम' है। निर्यातक पूर्व निर्यात आधार पर इंटर लाइनिंग तथा निर्यात पर गैर फैब्रिक इनपुट के लिए सभी उद्योगों पर लागू ड्यूटी ड्राबैक की दर सहित फैब्रिक के लिए प्राधिकार के लिए हकदार हैं।

निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन यह स्कीम ऐसी मदों के निर्यात को अनुमति प्रदान करती है जो आई टी सी (एच एस) निर्यात एवं आयात वर्गीकरण के अध्याय 61 और 62 के तहत शामिल हैं:

- क) प्राधिकार मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एस आई ओ एन) या मानक समिति द्वारा मानदंडों के पूर्व नियतन के आधार पर जारी किए जाएंगे।
- ख) प्राधिकार केवल इनपुट के रूप में इंटरलाइनिंग सहित संगत फैब्रिक के आयात के लिए जारी किए जाएंगे। इस प्राधिकार के तहत किसी अन्य इनपुट, पैकिंग सामग्री, ईंधन, तेल तथा कैटलिस्ट के आयात की अनुमति नहीं होगी।
- ग) निर्यातक इस स्कीम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारण के अनुसार गैर फैब्रिक इनपुट के लिए सभी उद्योगों पर लागू ड्यूटी ड्राबैक की दर के लिए पात्र होंगे। विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.08 के मूल्य वृद्धि संबंधी मानदंड के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कोई अन्य यूनिट जिस पर ड्राबैक के लाभ का दावा किया गया है या दावा करने का इरादा है, का मूल्य प्राप्त किए गए निर्यात के एफ ओ बी मूल्य के 22 प्रतिशत के समान होगा। न्यूनतम मूल्य वृद्धि विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.09 के अनुसार होगी।
- घ) जहां निर्यातक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा निर्धारित एवं नियत

ड्राबैक (ब्रांड रेट) का दावा करना चाहता है, वह प्राधिकार के लिए आवेदन में की जाने वाली घोषणाओं के संबंध में विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.15 का अनुसरण करेगा और ब्रांड रेट के लिए दावा के तहत निर्यात करेगा। ऐसे मामलों में मूल्य वृद्धि विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.08 के अनुसार होगी। न्यूनतम मूल्य वृद्धि विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.09 के अनुसार होगी।

- ङ) प्राधिकार तथा आयात किया गया फैब्रिक वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन होंगे। निर्यात बाध्यता पूरी हो जाने के बाद भी यह गैर हस्तांतरणीय होगा। तथापि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा अनुमति के अनुसार (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से क्षेत्र आधारित छूट के लिए पात्र क्षेत्रों में स्थित यूनिटों को छोड़कर) जॉब वर्क के लिए आयात किए गए फैब्रिक का हस्तांतरण किया जा सकता है। प्राधिकार को निरस्त करने की अनुमति नहीं होगी।
- च) आयात किया गया फैब्रिक पूर्व आयात के अधीन होगा तथा इसे निर्यात के उत्पाद में (वेस्टेज के लिए सामान्य अनुमति प्रदान करते हुए) भौतिक रूप से शामिल किया जाएगा। भौतिक निर्यात ही निर्यात बाध्यता को पूरा करेंगे।

जीएसटी नियमावली के साथ विदेश व्यापार नीति का संरेखण

विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 4 के तहत नीतिगत प्रावधानों और प्रक्रियाओं को जीएसटी नियमावली के अनुसार संरेखित किया गया है। ए / ईपीसीजी तथा ईओयू के धारकों को आयात पर आईजीएसटी, उपकर आदि का भुगतान नहीं करना होगा। इसके अलावा, ए / ईपीसीजी तथा ईओयू के धारकों को की जाने वाली आपूर्तियों को केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी की धारा 147 के तहत समवत निर्यात समझा जाएगा और ऐसी आपूर्तियों पर भुगतान किए गए कर का रिफंड आपूर्तिकर्ता को दिया जाएगा।

स्टेटस होल्डर की मान्यता

माल, सेवाओं तथा प्रौद्योगिकी के सभी निर्यातक जिनके पास आयातक - निर्यातक कोड (आईसी) नंबर है, स्टेटस होल्डर के रूप में मान्यता के लिए पात्र हैं, जो रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को छोड़कर वर्तमान वर्ष तथा पिछले तीन वर्षों के निर्यात निष्पादन पर निर्भर होता है। वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस प्राप्त करने के लिए पार की जाने वाली दहलीज की वर्तमान सीमा चालू वर्ष तथा पिछले तीन वर्षों में तीन मिलियन अमरीकी डालर है। नई विदेश व्यापार नीति 2015-20 में संबंधित एजेंसियों द्वारा स्टेटस होल्डर के कंसाइनमेंट की हैडलिंग में कतिपय विशेषाधिकारों एवं तरजीही व्यवहार तथा प्राथमिकता का प्रावधान है। इसके अलावा, स्टेटस धारकों को अग्रिम प्राधिकार जारी करने तथा बाद में इसके किसी संशोधन के लिए 4 एवं 5 स्टार स्टेटस धारकों के लिए एक दिन और 1, 2 एवं 3 स्टार स्टेटस धारकों के लिए दो दिन की संक्षिप्त समय सीमा क्षेत्रीय प्राधिकारियों के लिए निर्धारित की गई है।

जो विनिर्माता स्टेटस धारक भी हैं उनको भारत से उद्गम के रूप में अपने विनिर्मित माल को स्वयं प्रमाणित करने के लिए समर्थ बनाया गया है जिसका उद्देश्य विभिन्न तरजीही व्यापार करारों (पी टी ए), मुक्त व्यापार करारों (एफ टी ए), व्यापक आर्थिक सहयोग करारों (सी ई सी ए) और व्यापक आर्थिक साझेदारी करारों (सी ई पी ए), जो प्रचालन में हैं, के तहत तरजीही व्यवहार के लिए अर्हक होना है। 65000 से अधिक आईईसी धारक हैं जिनको विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत वन स्टार तथा इससे अधिक स्टार वाले स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं।

निर्यातोन्मुख इकाईयां (ईओयू), इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी), साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) और जैव-प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी)

सामानों और सेवाओं के अपने संपूर्ण उत्पादन का निर्यात करने वाली इकाईयां (डीटीए में अनुमेय बिक्री के सिवाय) सामानों के विनिर्माण, जिनमें रिपेयर, रि-मेकिंग, रिक्डीशनिंग, रिज्जीनियरिंग और सेवाएं प्रदान करना शामिल हैं, के लिए निर्यातोन्मुख इकाईयां (ईओयू) स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) स्कीम, साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) स्कीम या जैव-प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी) के अंतर्गत स्थापित की जा सकती हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत ट्रेडिंग इकाईयां नहीं कवर की गई हैं।

निर्यात उन्मुख यूनिट / ई एच टी / एस टी पी बी टी पी यूनिट सभी प्रकार की सेवाओं एवं माल का निर्यात कर सकती है, सिवाय ऐसी मदों को छोड़कर जो आई टी सी (एच एस) में निषिद्ध हैं तथा अपनी गतिविधियों के लिए

अपेक्षित पूंजी माल सहित सभी प्रकार का माल ड्यूटी के भुगतान के बगैर भारत में आयोजित डी टी ए / अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में बांडेड मालगोदाम या डी टी ए से आयात कर सकती है या प्रापण कर सकती है बशर्ते वे आई टी सी (एच एस) में आयात की निषिद्ध मर्च न हों। यूनियों को यथास्थिति यथालागू जीएसटी करों के भुगतान पर अथवा उत्पाद शुल्क के भुगतान के बगैर डीटीए से जीएसटी माल अथवा उत्पाद शुल्क माल खरीदने की भी अनुमति है। ये सभी यूनियनें सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जक होंगी, एच बी पी खंड 1 के परिशिष्ट 6 ख के क्षेत्र विशिष्ट प्रावधान को छोड़कर, जहां अधिक मूल्य वृद्धि अपेक्षित होगी।

मानित निर्यात

“मानित निर्यात” ऐसे अंतरण के द्योतक हैं जिनमें आपूरित सामान देश से बाहर नहीं जाते हैं, और ऐसे सप्लाई के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपए में या मुक्त विदेशी मुद्रा में किया जाता है। डीमंड एक्सपोर्ट्स स्कीम आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करने के लिए है और मुख्यतया सामानों की ऐसी आपूर्ति को कवर करती है जो अन्यथा जीरो कस्टम ड्यूटी पर अनुमत्य हैं। समवत निर्यात की आपूर्तियों के लिए अग्रिम प्राधिकार, इनपुट्स पर प्रदत्त सीमा शुल्क के ड्यूटी ड्राबैक और अंतिम सामान / छूट, जैसा कि विदेश व्यापार नीति के अनुसार अनुप्रयोज्य हो, पर प्रदत्त टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी के रिफंड के लाभ उपलब्ध हैं।

निर्यात बंधु स्कीम

भारत सरकार ने अपनी विदेश व्यापार नीति के अंग के रूप में 13 अक्टूबर 2011 को निर्यात बंधु स्कीम की संकल्पना तैयार की थी जिसे पहली पीढ़ी के उद्यमियों को सलाह देने के लिए एक नई योजना के रूप में विदेश व्यापार नीति 2009-14 में शामिल किया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य नए एवं संभावित निर्यातकों तक पहुंचना और प्रबोधन कार्यक्रमों, परामर्श सत्रों तथा व्यक्तिगत सुगमता के माध्यम से उनको परामर्श प्रदान करना है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कदम रख सकें और डी जी एफ टी अधिकारियों के समय से एवं उपयुक्त मार्गदर्शन के माध्यम से भारत से निर्यात को प्रोत्साहित कर सकें।

विदेश व्यापार महानिदेशालय के पूरे देश में फैले विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकरणों (फील्ड कार्यालयों) के माध्यम से स्कीम के तहत आउटरीच जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जो निर्यातक - आयातक कोड (आई ई सी), प्राधिकार, प्रोत्साहन, स्क्रिप आदि जारी करते समय सीधे नए एवं संभावित निर्यातकों के साथ चर्चा में शामिल होते हैं।

विनिर्माण क्षेत्र तथा रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्व को ध्यान में रखते हुए आउटरीच कार्यक्रमों के तहत इस क्षेत्र से नए निर्यातकों को शामिल करने और विशिष्ट उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशिष्ट रूप से एम एस एम ई क्लस्टरों के निर्यातकों पर बल दिया जाता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय पूरे देश में कार्यान्वयन के लिए अपने आउटरीच कार्यक्रमों हेतु एम एस एम ई क्लस्टरों की पहचान करता है। ये क्लस्टर अधिकांशतः छोटे शहरों में हैं तथा इन आउटरीच कार्यक्रमों का उद्देश्य इन शहरों से संभावित उद्यमियों एवं निर्यातकों को प्रशिक्षण देना है। डी जी एफ टी ने उत्पादों के निर्यात के लिए संसाधन इनपुट प्रदान करने के लिए औद्योगिक साझेदारों जैसे कि निर्यात संवर्धन परिषदों तथा ज्ञान साझेदारों जैसे कि विद्वत जगत, कस्टम, बैंक आदि की पहचान की है जो उस उत्पाद के निर्यात के लिए प्रक्रियागत पहलुओं पर संसाधन इनपुट प्रदान करेंगे।

अब तक के आवंटन और व्यय तथा लाभार्थी निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	वर्ष	आवंटन (लाख रुपए में)	व्यय (लाख रुपए में)	लाभार्थी
1.	2013-14	2.00	0.12	1277
2.	2014-15	100.00	81.07	18283
3.	2015-16	250.00	245.78	28000
4.	2016-17	100.00	98.44	15849
	कुल	452.00	Rs. 435.41	63409

पिछले कुछ वर्षों में लगभग 63409 नए और संभावित निर्यातक पूरे भारत में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संचालित निर्यात बंधु आउटरीच कार्यक्रमों तथा आईआईएफटी द्वारा संचालित आनलाइन पाठ्यक्रमों में शामिल हुए हैं।

2017-18 के लिए निधियों का आवंटन मात्र 100 लाख रुपए था तथा अब तक संचालित कार्यक्रम / लाभार्थी इस प्रकार हैं:

- 1) अब तक सी1 (नए आईईसी होल्डर), सी2 (उत्कृष्टता का कस्बा / औद्योगिक क्लस्टर) और सी3 (व्यवसाय विद्यालयों / विश्वविद्यालयों में सेमिनार) के तहत संचालित कार्यक्रमों में 1366 व्यक्तियों ने भाग लिया है।
- 2) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। 2017-18 में 11 कार्यक्रम संस्वीकृत किए गए हैं तथा अब तक 5 कार्यक्रमों का आयोजन हो चुका है। कुल 192 प्रतिभागी (162 पुरुष + 30 महिलाएं) थे।
- 3) यहां यह उल्लेखनीय है कि निर्यात - आयात व्यवसाय में आनलाइन प्रमाण पत्र कार्यक्रम सितंबर 2015 में आरंभ हुआ। 2015-16 में 6 कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा लाभार्थियों की संख्या 303 थी जिसमें 35 महिलाएं थीं। 2016-17 में 9 कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा लाभार्थियों की संख्या 353 थी जिसमें 76 महिलाएं थीं।
- 4) जहां तक 2017-18 से 2021-22 के बाद निर्यात बंधु योजना को जारी रखने का संबंध है, 12.37 करोड़ रुपए के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है।

व्यापार बोर्ड (बी ओ टी)

व्यापार बोर्ड (बी ओ टी) को व्यापार नोटिस संख्या 21 के माध्यम से 23 मार्च 2016 को पुनर्गठित किया गया। व्यापार बोर्ड का उद्देश्य व्यापार एवं उद्योग जगत के साथ निरंतर चर्चा एवं परामर्श करना है। भारत के व्यापार में तेजी लाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यापार बोर्ड अन्य बातों के साथ विदेश व्यापार नीति से संबंधित नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देगा।

पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक 6 अप्रैल, 2016 को हुई थी। 13 मंत्रालयों / विभागों तथा 34 व्यापार संघों / संगठनों ने भाग लिया। सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू की गई। विदेश व्यापार नीति 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा पर सदस्यों के सुझाव प्राप्त करने के लिए 19 जून 2017 को दूसरी बैठक हुई।

निर्यात से संबंधित मामले

निर्यात प्राधिकार

निर्यात प्रकोष्ठ मुक्त / प्रतिबंधित या निषिद्ध के रूप में वर्गीकृत निर्यात एवं आयात के लिए आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के तहत विभिन्न मदों की निर्यात नीति से संबंधित काम देखता है। वाणिज्य विभाग के संबंधित वस्तु प्रभाग तथा संबंधित मंत्रालय / विभाग के परामर्श से मदों की निर्यात नीति की समय समय पर समीक्षा की जाती है तथा निर्यात नीति अधिसूचित की जाती है। तदनुसार निर्यात प्रकोष्ठ मदों की निर्यात नीति पर स्पष्टीकरण / व्याख्यान प्रदान करता है, जब भी संबंधित व्यक्तियों / फर्मों / कंपनियों या मंत्रालय / विभाग / संगठन द्वारा इसकी मांग की जाती है। निर्यात के लिए आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 में प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत मदों का निर्यात लाइसेंस के अधीन है।

प्रतिबंधित मदों (एस सी ओ एम ई टी मदों से भिन्न) उदाहरण के लिए मांट्रियल प्रोटोकाल आदि के तहत प्याज के बीज, जिंदा पशु, सीवीड, गैर बासमती चावल, धान (भूसी) सीड क्वालिटी से भिन्न, चारा सामग्री, उर्वरक (एन पी के, एस एस पी, यूरिया आदि), रसायन के लिए निर्यात प्राधिकार जारी करने के लिए आवेदनों को निर्यात प्रकोष्ठ में प्रोसेस किया जाता है तथा प्रभारी अपर विदेश व्यापार महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित एग्जिम सुगमता समिति (ई एफ सी) द्वारा उन पर विचार किया जाता है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि होते हैं। एग्जिम सुगमता समिति की बैठक सामान्यतया माह में एक बार होती है तथा वाणिज्य विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के प्रश्नगत वस्तु विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र / टिप्पणियों के आधार पर मामलों का निर्णय किया जाता है और निर्यात प्राधिकार / लाइसेंस जारी करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरणों को अनुमति जारी की जाती है। वर्ष 2017-18 (30 सितंबर 2017 तक) के दौरान निर्यात अनुमति के लिए प्राप्त कुल 220 आवेदनों (जिसमें वर्ष 2016-17 से

अग्रणीत 27 मामले शामिल हैं) में से 170 आवेदनों के संबंध में निर्यात अनुमति प्रदान की गई है (जो कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 77 प्रतिशत है), 10 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया, आवेदकों से स्पष्टीकरण / सहायक दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण आवेदनों को एजेंडा से हटा दिया गया और शेष 35 आवेदन उनके इनपुट / अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में संबंधित मंत्रालय / विभाग के पास लंबित हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान (31 मार्च 2017 तक), निर्यात अनुमति के लिए कुल 350 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 294 आवेदनों को अनुमोदित किया गया (जो कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 84 प्रतिशत है), 29 आवेदनों (10 प्रतिशत) को अस्वीकार कर दिया गया / छोड़ दिया गया और शेष 27 आवेदन संबंधित मंत्रालय / विभाग से इनपुट / अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में अगले वर्ष के लिए आस्थगित कर दिए गए।

एस सी ओ एम ई टी

विशेष केमिकल्स, जीव, सामग्रियां, उपस्कर और प्रौद्योगिकियां (स्कोमेट) वस्तुएं दोहरे-उपयोग की वस्तुएं हैं जिनमें नागरिक और डब्ल्यू एमडी (जन संहार के अस्त्र) दोनों अनुप्रयोगों की संभावना होती है। ऐसी वस्तुओं का निर्यात या तो सीमित है, उनके निर्यात के लिए प्राधिकार अपेक्षित है, या प्रतिबंधित है। एस सी ओ एम ई टी वस्तुओं से संबंधित निर्यात नीति विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया हस्तपुस्तिका के पैरा 2.73 में दी गई है और ऐसी वस्तुओं की सूची निर्यात एवं आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में दी गई है। ऐसी वस्तुओं की आठ श्रेणियां हैं।

एस सी ओ एम ई टी वस्तुओं के निर्यात के सभी आवेदनों के साथ-साथ ऑनसाइट सत्यापन के आवेदनों पर प्रक्रिया हस्तपुस्तिका के पैरा 2.74 में निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय में विदेश व्यापार के अपर महानिदेशक की अध्यक्षता वाले अंतर्मंत्रालयी कार्यबल द्वारा उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। इसके सदस्यों में अन्य लोगों के साथ-साथ, विदेश मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, एनएसीडब्ल्यूसी सी, डी आर डी ओ, इसरो, डी ए ई और रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं।

स्कोमेट मदों की डी टी ए से विशेष आर्थिक क्षेत्र में आपूर्ति करने के लिए कोई भी निर्यात अनुमति की जरूरत नहीं है। हालांकि, यदि स्कोमेट वस्तुएं विशेष आर्थिक क्षेत्र से देश के बाहर भौतिक रूप से निर्यात की जानी हों तो निर्यात अनुमति अपेक्षित होता है। एस सी ओ एम ई टी वस्तुओं की सूची का परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एन एस जी) और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एम टी सी आर) की सूचियों के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया जिसकी वजह से जून 2016 में भारत एम टी सी आर का सदस्य बनने में समर्थ हुआ। वासेनार करार (डब्ल्यूए) तथा आस्ट्रेलिया समूह (एजी) की नियंत्रण सूचियों के साथ निर्यात नियंत्रण सूची का सामंजस्य स्थापित किया गया है तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना संख्या 05/2015-20 दिनांक 24 अप्रैल 2017 के जरिए अधिसूचित की गई है, जो 1 मई 2017 से प्रभावी हुई है। इस अधिसूचना के माध्यम से एससीओएमईटी मदों की अद्यतन निर्यात नियंत्रण सूची को अनुसूची 2 के विद्यमान परिशिष्ट 3 से प्रतिस्थापित किया गया है। इसके अलावा एससीओएमईटी की विभिन्न श्रेणियों के लिए लाइसेंसिंग के क्षेत्राधिकार को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

2017-18 के दौरान (30 सितंबर 2017 तक) निर्यात अनुमति के लिए प्राप्त कुल 196 आवेदनों (जिसमें पिछले वर्ष से अग्रणीत 18 आस्थगित मामले शामिल हैं) में से 150 आवेदनों के संबंध में निर्यात अनुमति प्रदान की गई है (जो प्राप्त कुल आवेदनों का लगभग 84 प्रतिशत है), 03 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया 03 आवेदन छोड़ दिए गए (रक्षा उत्पादन विभाग के पास भेज दिए गए) और शेष 43 आवेदन उनके इनपुट / अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में संबंधित आईएमडब्ल्यूजी सदस्य एजेंसियों के पास लंबित थे। वर्ष 2016-17 के दौरान (31 मार्च 2017 तक), निर्यात अनुमति के लिए कुल 268 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 244 आवेदनों को अनुमोदित किया गया (जो कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 84 प्रतिशत है), 06 आवेदनों (10 प्रतिशत) को अस्वीकार कर दिया गया / छोड़ दिया गया और शेष 18 आवेदन संबंधित मंत्रालय / विभाग से इनपुट / अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में अगले वर्ष के लिए आस्थगित कर दिए गए।

एस सी ओ एम ई टी वस्तुओं के निर्यात के लिए प्राधिकारों का कुल मूल्य 2016-17 के दौरान 54.93 मिलियन अमरीकी डालर और 2017-18 (दिसंबर

2017 तक) के दौरान 98.18 मिलियन अमरीकी डालर था।

आयात से संबंधित मामला

आयात प्राधिकार

आयात प्रकोष्ठ ऐसी वस्तुओं के आयात के आवेदनों पर विचार करता है जो आयात किए जाने के लिए प्रतिबंधित हैं। ऐसी प्रतिबंधित मदों (जैसे सजीव प्राणी, रबड़ का स्क्रेप, प्रशीतक गैसों और हथियार और गोला-बारूद आदि) के आयात के लिए आयात प्राधिकार जारी करने के आवेदन पर निर्यात-आयात फैसिलिटेशन समिति (ई एफ सी) द्वारा विचार किया जाता है। यह समिति की अध्यक्षता वाले विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों से बनी होती है। ऐसे मामलों पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के लिखित तकनीकी इनपुट्स/टिप्पणियों के प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, यह ऐसी मदों (जैसे तेल, चावल, गेहूं आदि) के लिए डी जी एफ टी के अनुमोदन के साथ एफटीपी के पैरा 2.20 के अंतर्गत अनुमति प्रदान करता है जिनके आयात की अनुमति राज्यप ट्रेडिंग उद्यमों के माध्यम से दी जाती है।

2017-18 के दौरान (अक्टूबर, 2017 तक) प्राप्त कुल 449 आवेदनों में से 251 आवेदनों को आयात की अनुमति प्रदान की गई।

लदान पूर्व निरीक्षण एजेंसी (पी एस आई ए)

एचबीपी 2015-16 के पैरा 2.57 के अनुसार धात्विक अपशिष्ट या स्क्रेप के किसी रूप का आयात इस शर्त के अधीन होगा कि इसमें किसी भी रूप में या तो प्रयुक्त या अन्यथा जोखिमी, विषाक्त अपशिष्ट, रेडियोसक्रिय संदूषित अपशिष्ट / रेडियो सक्रिय सामग्री वाला स्क्रेप, किसी भी प्रकार का हथियार, गोला-बारूद, माइन्स, शेल्स, जिंदा या प्रयुक्त काट्टिज या कोई भी अन्य विस्फोटक सामग्री अंतर्विष्ट नहीं होगा। धात्विक अपशिष्ट और स्क्रेप के आयात की केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब आयातक क्लियरेन्स के समय अनुबंध 2एच में दिए गए फार्मेट के अनुसार डी जी एफ टी द्वारा 2 जी परिशिष्ट के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी पी एस आई ए से इस आशय का प्री-शिपमेंट निरीक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए कि परेषण की, विकिरण स्तर देखने की दृष्टि से जांच की गई और स्क्रेप में प्राकृतिक पृष्ठ भूमि से अधिक मात्रा में विकिरण स्तर नहीं है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय में नई पहलें

ई-कामर्स निर्यात

हथकरघा उत्पाद, पुस्तकें / पत्रिकाएं, लेदर फुटवियर, खिलौने तथा अनुकूलित फैशन गारमेंट की श्रेणी में आने वाले माल, जिनका एफ ओ बी मूल्य प्रति कंसाइनमेंट 25 हजार रूपए तक है (जिसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्म का प्रयोग करके अंतिम रूप दिया गया है), विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। ऐसे माल का निर्यात नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में विदेशी डाकघरों के माध्यम से मैनुअल कोड में किया जा सकता है।

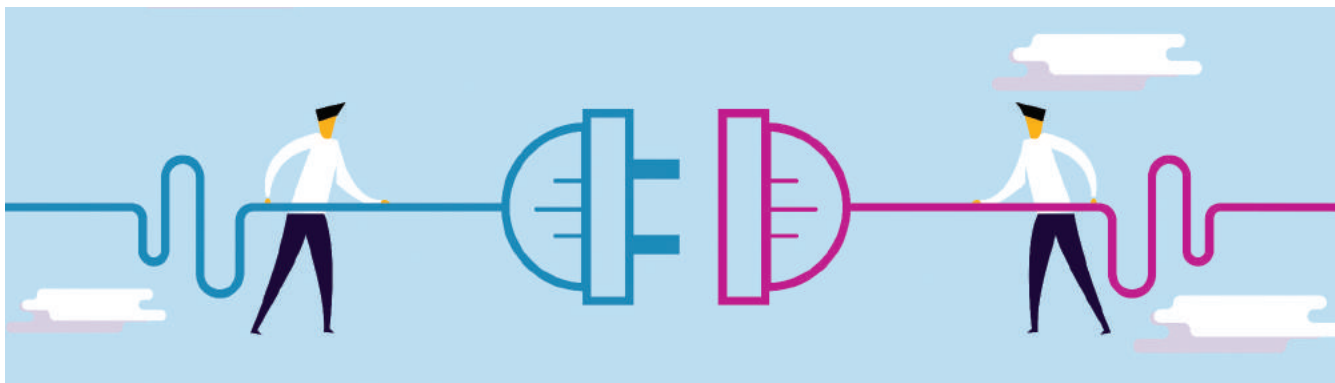
राजस्व विभाग द्वारा विनियमों में किए जाने वाले उपयुक्त संशोधनों के अनुसार कूरियर के विनियमों के तहत ऐसे माल के निर्यात की अनुमति दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में हवाई अड्डों के माध्यम से प्रायोगिक आधार पर मैनुअल रूप में होगी। राजस्व विभाग कूरियर टर्मिनल पर ई डी आई मोड के कार्यान्वयन की गति तेज करेगा।

व्यापार सुगमता

लेनदेन की लागत एवं समय घटाने के लिए और इस प्रकार भारतीय निर्यातों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए व्यापार सुगमता सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। ई-ट्रेड एक ऐसी पहल है जो व्यापार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो का निर्माण कर रही है तथा प्रयोक्ता को विदेश व्यापार, विनियामक एवं अन्य अनुपालन से संबंधित सभी मुद्दों को आनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान कर रही है।

व्यापार करने की सरलता तथा ई-अभिशासन की प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

- 1) **दस्तावेजों की संख्या घटाना:** आयात एवं निर्यात के लिए अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या निर्यात एवं आयात प्रत्येक के लिए घटाकर 3 कर दी गई है। इससे पहले निर्यात के लिए 7 और आयात के लिए 10 दस्तावेजों की जरूरत होती थी। जनवरी 2016 में डी जी एफ टी ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि इस संबंध में किसी भी उल्लंघन को उसके नोटिस में लाया जाना चाहिए।
- 2) **योजनाओं की संख्या घटाना:** नई विदेश व्यापार नीति (2015-20) 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई जिसमें पण एवं सेवा दोनों निर्यातों की



- सहायता करने तथा 'कारोबार करने की सरलता' बढ़ाने पर बल दिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने पण निर्यात को पुरस्कृत करने के लिए पिछली नीति के तहत पांच अलग अलग प्रोत्साहन योजनाओं को एकल योजना अर्थात् भारत से पण निर्यात योजना में समेकित किया है। प्रतिस्थापित स्कीमों के नाम इस प्रकार हैं : फोकस उत्पाद स्कीम (एफ पी एस), फोकस बाजार स्कीम (एफ एम एस), बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्क्रिप (एम एल एफ पी एस), विदेश कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वी के जी यू वाई), कृषि अवसंरचना प्रोत्साहन स्क्रिप।
- 3) 1 जुलाई 2017 से विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा आईईसी के रूप में फर्म का पैन नंबर जारी किया जा रहा है। आवेदन करने तथा आईईसी जारी करने की प्रक्रिया आनलाइन और सुरक्षित है। आयातक निर्यातक कोड को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के ई-बिज पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है। आयातक निर्यातक कोड तथा ई पी सी भी आवेदन को मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा स्थापित तथा पी एम जी सेटअप द्वारा कार्यान्वित ई-निवेश पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
 - 4) इलेक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाण पत्र (ई-बीआरसी) प्रणाली के प्रयोग का विस्तार किया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय इलेक्ट्रॉनिक बैंक नकदीकरण प्रमाण पत्र (ईबीआरसी) द्वारा सुजित किए गए आंकड़ों को 17 एजेंसियों के साथ साझा करता है। ई-बीआरसी प्रणाली बैंकिंग चैनल के माध्यम से निर्यातकों द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा के ब्यौरों को कैप्चर करती है। डाटा को साझा करने के लिए डी जी एफ टी ने 14 राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार की 2 एजेंसियों तथा जी एस टी एन के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य स्तर पर 14 राज्यों के वाणिज्यिक कर विभागों ने वैट के रिफंड के प्रयोजनों के लिए ई-बीआरसी डाटा प्राप्त करने के लिए डी जी एफ टी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इस प्रकार हैं: (1) महाराष्ट्र, (2) दिल्ली, (3) आंध्र प्रदेश, (4) ओडिशा, (5) छत्तीसगढ़, (6) हरियाणा, (7) तमिलनाडु, (8) कर्नाटक, (9) गुजरात, (10) उत्तर प्रदेश, (11) मध्य प्रदेश, (12) केरल, (13) गोवा (14) बिहार। इसके अलावा वित्त मंत्रालय, प्रवर्तन निदेशालय, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा जी एस टी एन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
 - 5) विदेश व्यापार महानिदेशालय के पास आनलाइन आवेदन करने के लिए प्रयुक्त होने वाले 'निर्यात बंधु' के आवेदन पत्रों के विभिन्न प्रावधानों में स्पष्टता लाकर तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन में वृद्धि करके उनको सरल बनाया गया है।
 - 6) वेब पोर्टल
 - विदेश व्यापार महानिदेशालय ने नए लुक की वेबसाइट शुरू की है तथा उसे अधिक प्रयोक्ता अनुकूल एवं नेविगेट करने में सरल बनाया है। डी जी एफ टी की वेबसाइट में एक बड़ा डायनेमिक घटक है जिसके माध्यम से कारोबारी समुदाय आई ई सी तथा डी जी एफ टी की विभिन्न अन्य स्कीमों के लिए आवेदन आनलाइन दाखिल कर सकता है। निर्यातक लगभग रियल टाइम में इलेक्ट्रॉनिक बैंक वसूली के अपने प्रमाण पत्रों की स्थिति भी देख सकते हैं। एक अनुक्रियाशील आनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली के साथ वेबसाइट अंतर्वस्तु की दृष्टि से विदेश व्यापार नीति से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ समृद्ध है।
 - वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू किया गया तथा एफ आई ई ओ द्वारा प्रबंधित भारतीय व्यापार पोर्टल आयात निर्यात के लिए उपयोगी सूचना प्रदर्शित करता है। इसमें भारतीय व्यापार मिशनों द्वारा अपलोड की गई व्यापार

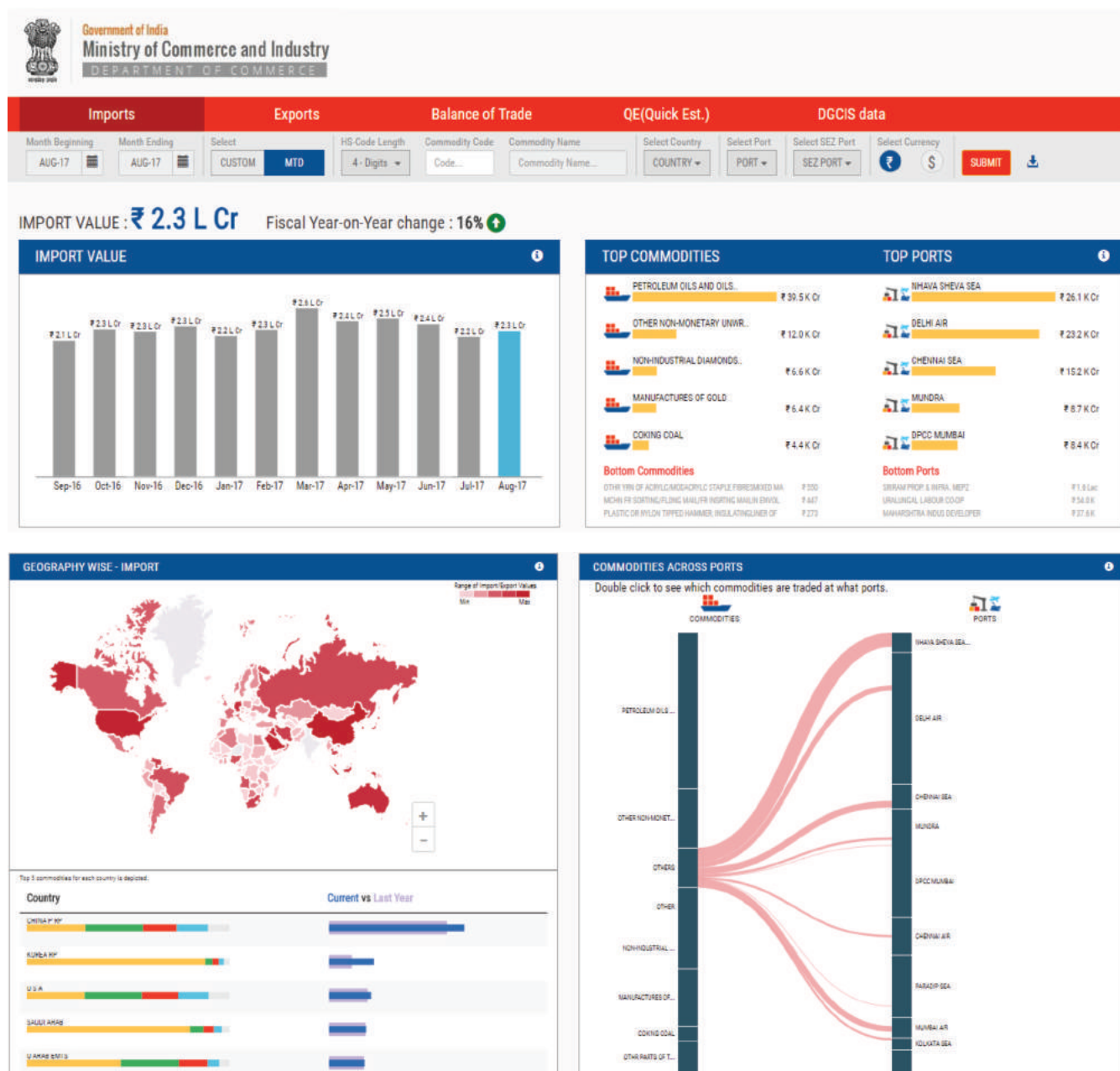
पूछताछ, भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों का टैरिफ एवं व्यापार डाटा, निर्यात बाजार रिपोर्ट एवं व्यापार करार आदि होते हैं।

- एग्जिम डैशबोर्ड commerce.gov.in वेबसाइट पर लांच किया गया। यह प्रयोक्ताओं को उत्पाद, देश और पल्लन स्तर पर भारत के निर्यात और आयात की आरेखीय समझ प्रदान करता है। यह सरल ढंग से प्रस्तुत किए गए उपयोगी आंकड़ों की वजह से निर्यातकों में लोकप्रिय है।
- 7) शिकायत समाधान के लिए सुविधाएं
 - विदेश व्यापार से जुड़े सभी मुद्दों के समाधान के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट (www.dgft.gov.in) पर विदेश व्यापार महानिदेशालय से संपर्क करने की प्रणाली एकल संपर्क बिंदु के रूप में सक्रिय की गई है। निर्यातक / आयातक सीधे संबंधित विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय) से संपर्क करके या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियों से संपर्क करके विदेश व्यापार से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए इस सुविधा का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक अनुरोध के लिए एक संदर्भ संख्या जारी की जाती है ताकि की गई कार्रवाई की स्थिति का पता लगाया जा सके। कारगर निगरानी की व्यवस्थाएं की गई हैं।
 - विदेश व्यापार महानिदेशालय का एक सक्रिय ट्विटर हैंडल (@DGFTINDIA) है जिसके 27500 से अधिक फालोवर हैं। सी आई एम के एकाउंट तथा डी जी एफ टी हैंडल को भेजे गए ट्विट के रिस्पांस का प्रबंधन ट्विटर सेवा के माध्यम से किया जाता है तथा जवाब देने के लिए 12 घंटे से कम औसत समय के साथ अप्रैल 2016 से 7500 से अधिक ट्विट के जवाब दिए गए हैं।
 - प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग के जन शिकायत पोर्टल पर नीति, प्रक्रिया तथा कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर दर्ज की गई शिकायतों का निस्तारण शीघ्रता से किया जाता है।
 - आउटरीच तथा निर्यात बंधु स्कीम: पिछले 2 वर्षों में विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 50000 नए और संभावित निर्यातकों ने निर्यात बंधु आउटरीच कार्यक्रमों में भाग लिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने निर्यात बंधु के अंग के रूप में 34 क्लस्टरों में आउटरीच गतिविधियों का संचालन किया। इसके अलावा पहली बार उद्यमियों के लिए आईआईएफटी के साथ एक आनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

परिवर्धित विदेश व्यापार डाटा डैशबोर्ड - व्यापार विश्लेषण से संबंधित

त्वरित एवं कारगर साक्ष्य आधारित आयोजना एवं नीतिगत हस्तक्षेप के लिए सरकारी अभिलेखों का डिजिटिकरण तथा डाटा विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कारगर एवं पारदर्शी अभिशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

डैशबोर्ड भारत के निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन का अनुमान प्रदान करता है। इस पोर्टल में निर्यात, आयात, व्यापार संतुलन, त्वरित अनुमान तथा स्रोत एजेंसी अर्थात् डीजीसीआई एण्ड एस के डाटा से लिंक पर 5 मुख्य मेन्यू हैं। इनमें से प्रत्येक व्यू प्रयोक्ता को भारत तथा किसी खास देश के बीच हुए व्यापार का निरीक्षण करने, किसी खास पोर्ट की गतिविधियों को जूम करने तथा प्रयोक्ता की पसंद के किसी माह में व्यापार पैटर्न को प्रदर्शित करने की विशेषता प्रदान करता है। डैशबोर्ड विश्वसनीय तथा अद्यतन सूचना के आधार पर वैश्विक व्यापार के अवसरों का पता लगाने तथा अक्सेस करने के लिए निर्यातकों और आयातकों को अनुकूल परिवेश प्रदान करता है तथा यह सरकारी स्रोतों के माध्यम से आम जनता के लिए सीधे सुगम्य है। डैशबोर्ड में एक्सल फॉर्मेट में देशवार डाटा को डाउनलोड करने का प्रावधान है। डैशबोर्ड निम्नानुसार दिखाता है :



निर्यात संवर्धन स्कीमों की निगरानी

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की कारगर निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के सांख्यिकी प्रभाग द्वारा निर्यात संवर्धन स्कीम 2017 पर एक व्यापक प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसे सांख्यिकी दिवस के अवसर पर 29 जून 2017 को वाणिज्य सचिव द्वारा लांच किया गया। क्षेत्रीय प्राधिकरणों से एमआईएस विवरणियों के आधार पर, पिछले तीन वर्षों के लिए डाटा विश्लेषण से युक्त रिपोर्ट का सूचित निर्णय लेने तथा वर्तमान विदेश व्यापार नीति (2015-20) की मध्यावधि समीक्षा करने के लिए उत्तरोत्तर प्रयोग हो रहा है। इसकी उपयोगिता तथा प्रयोक्ताओं की मांग को देखते हुए अब अगस्त 2017 से मासिक आधार पर एमआईएस रिपोर्ट संकलित की जा रही है। इसके अलावा सितंबर 2017 से विदेश व्यापार सांख्यिकी का एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित करने की पहल भी शुरू की गई है, जो प्रमुख वस्तुओं तथा प्रमुख देशों पर भारत के आयात और निर्यात डाटा पर रेडो रेफरेंस प्रदान करती है। ट्रेड डेटा तथा स्टेटिक्स मेन्यू के तहत सांख्यिकी रिपोर्ट में निदेशालय की वेबसाइट पर इन सभी रिपोर्टों का साफ्ट फार्म उपलब्ध है।

निर्यात संवर्धन में राज्यों की भागीदारी

जुलाई 2015 में व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद का गठन किया गया। यह राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समर्थ बनाने वाला परिवेश प्रदान करने के उपायों पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ सतत वार्ता का सुनिश्चय करेगी और भारत के निर्यात को बढ़ाने में राज्यों को सक्रिय साझेदार बनाने के लिए एक रूपरेखा सृजित करेगी। अब तक परिषद की दो बैठकें हो चुकी हैं। इसकी दूसरी बैठक 5 जनवरी 2017 को हुई थी।

राज्य सरकारों से अपनी स्वयं की निर्यात रणनीति विकसित करने, निर्यात आयुक्त नियुक्त करने, माल की आवाजाही को सीमित करने वाली अवसंरचनात्मक अड़चनों को दूर करने, वैट / पथ कर / राज्य स्तरीय उप कर के प्रतिदाय को सुगम बनाने और विभिन्न क्लियरेंस आदि से संबंधित अन्य मुद्दों का समाधान करने तथा नए निर्यातकों की क्षमता का निर्माण करने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके। अब तक 17 राज्यों ने अपनी निर्यात रणनीति तैयार कर ली है।

वाणिज्यिक संबंध, व्यापार करार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन



1. एशिया के साथ व्यापार

आसियान क्षेत्र

भारत ने पूर्वी एशियाई देशों के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध कायम करने की दृष्टि से 1991 में अपनी पूरब की ओर देखो नीति की घोषणा की थी। पूरब की ओर देखो नीति के आर्थिक पहलू की ओर ध्यान देने को मद्देनजर रखते हुए आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन) देशों नामतः ब्रूनेई, दारुस्सेलम, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पी डी आर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन्स, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ निरंतर वार्ताएं की जाती हैं। पूरब की ओर देखो नीति के एजेंडा को पूरा करने के उद्देश्य से शिखर बैठक स्तरीय कार्यक्रमों, मंत्री स्तरीय बैठकों तथा अधिकारियों के स्तर पर चर्चाओं का आयोजन किया जाता है।

व्यापार रूपरेखा

आसियान के साथ करार

भारत और आसियान ने 13 अगस्त 2009 को भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी ई सी ए) की विस्तृत रूपरेखा के तहत माल व्यापार के लिए करार पर हस्ताक्षर किया है। यह करार आसियान के सभी सदस्य देशों तथा भारत के बीच 1 जनवरी, 2010 को पूर्णतः क्रियाशील हो गया है।

भारत और आसियान के सदस्य देशों ने सेवाओं में व्यापार तथा निवेश संबंधी करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ये करार 1 जुलाई, 2015 से प्रभावी हो गए हैं।

भारत - सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए)

सिंगापुर के साथ प्रथम व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी ई सी ए) पर 29 जून, 2005 को हस्ताक्षर किए गए थे जो 1 अगस्त, 2005 से क्रियाशील हुआ था। भारत - सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार की प्रथम समीक्षा 1 अक्टूबर, 2007 को पूरी हुई थी। इस समय भारत - सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार की दूसरी समीक्षा चल रही है।

भारत - मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार

मलेशिया के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी ई सी ए) पर 18 फरवरी, 2011 को हस्ताक्षर किए गए थे जो 1 जुलाई 2011 से क्रियाशील हुआ था। व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत भारत और मलेशिया ने वस्तु व्यापार के संबंध में आसियान-भारत करार के अंतर्गत उनके द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के अलावा भी प्रतिबद्धताओं की पेशकश की है।

भारत - थाईलैंड मुक्त व्यापार करार

भारत और थाईलैंड ने भारत - थाईलैंड मुक्त व्यापार करार स्थापित करने के लिए 9 अक्टूबर 2003 को एक रूपरेखा करार पर हस्ताक्षर किए। इस रूपरेखा करार के तहत एक शीघ्र लुनाई योजना है जिसमें आपसी हित की 83 मदें शामिल हैं जिसके लिए दोनों पक्ष चरणबद्ध ढंग से 01 सितंबर, 2006 तक 100 प्रतिशत टैरिफ रियायत प्रदान करने के लिए राजी हुए हैं।

म्यांमार

मंत्री स्तर पर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की देखभाल करने के लिए भारत और म्यांमार की एक संयुक्त व्यापार समिति (जे टी सी) है। अभी तक भारत - म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की छः बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। संयुक्त व्यापार समिति की पिछली बैठक 27 जून, 2017 को नई दिल्ली में हुई थी। एक भारत - म्यांमार सीमा व्यापार समिति, सीमा हॉट समिति और एक संयुक्त व्यापार और निवेश मंच भी हैं।

माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री द्वारा 25 मार्च 2015 को मिजोरम में जोखावथार में भूमि सीमा शुल्क केन्द्र का उद्घाटन किया गया। मणिपुर में मोरेह में व्यापार के दो मुख्य बिंदु हैं। 1 दिसंबर 2015 से वस्तु व्यापार के स्थान पर सामान्य व्यापार को अपनाकर भारत - म्यांमार सीमा व्यापार ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अब सीमा पर सभी वस्तुओं में व्यापार की अनुमति है, जबकि पहले केवल 62 मदों के व्यापार की अनुमति थी।

फिलीपींस एवं वियतनाम

भारत और फिलीपीन्स का व्यापार और निवेश के संबंध में एक संयुक्त कार्य समूह है। अब तक 12 बैठकें हो चुकी हैं। संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक 31 मार्च 2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत और वियतनाम

ने एक संयुक्त व्यापार उप आयोग का गठन किया है तथा अब तक इसकी तीन बैठकें हुई हैं। संयुक्त व्यापार उप आयोग की तीसरी बैठक 15 मार्च 2016 को नई दिल्ली में हुई थी।

कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम क्षेत्र के लिए परियोजना विकास निधि

कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम क्षेत्र में भारतीय निजी क्षेत्र से निवेश को प्रेरित करने के उद्देश्य से एक परियोजना विकास निधि स्थापित करने के प्रस्ताव को 31 अगस्त 2016 को अनुमोदित किया गया जो अलग विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के माध्यम से कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में विनिर्माण केन्द्रों की स्थापना करेगी। इस समय यह वाणिज्य विभाग में कार्यान्वयन के अधीन है।

आसियान व्यापार

आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार वर्ष 2016-17 के दौरान 71.69 बिलियन अमरीकी डालर था और वर्ष 2017-18 (अप्रैल-अगस्त) के दौरान 30.74 बिलियन अमरीकी डालर का था। इस क्षेत्र में भारत के निर्यात और आयात के लिए प्रमुख गंतव्य- सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड हैं।

निर्यात एवं आयात की प्रमुख वस्तुएं - आसियान

निर्यात की प्रधान वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, भैंस का मांस, पोत, नाव और प्लेवमान संरचनाएं, समुद्री उत्पादों, मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थर, कॉपर तथा कॉपर के बने उत्पाद, लोहा एवं इस्पात, मसाले, जैविक रसायन, ड्रग फार्मूलेशन, डेयरी आदि के लिए जैविक, औद्योगिक मशीनरी, मूंगफली, विद्युत मशीनरी तथा उपकरण, आटो कंपोनेंट / पार्ट्स, मोटर वाहन / कार शामिल हैं।

आयात की प्रधान वस्तुओं में वनस्पति तेल, कोयला, कोक एवं ब्रिकेट आदि, पेट्रोलियम : कच्चा, कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफरल, जैविक रसायन, प्लास्टिक की कच्ची सामग्रियां, दूरसंचार के इंस्ट्रुमेंट, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दालें, पेट्रोलियम उत्पाद, कॉपर तथा कॉपर के बने उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, लोहा एवं इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रुमेंट्स तथा प्राकृतिक रबर शामिल हैं।

2 दक्षिण एशिया के देशों तथा ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंध

दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। दक्षिण एशिया के साथ भारत का व्यापार 2016-17 में 22.08 बिलियन अमरीकी डालर था जबकि 2015-16 में यह 21.59 बिलियन अमरीकी डालर था जो 2.26 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। 2016-17 के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्र के अंदर भारत के कुल निर्यात का मूल्य 19.22 बिलियन अमरीकी डालर था तथा दक्षिण एशिया के अन्य देशों से कुल आयात का मूल्य 2.81 बिलियन अमरीकी डालर था। नेपाल और भूटान के लिए भारत सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है जबकि भारत के लिए दक्षिण एशिया में बांग्लादेश सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है जिसके बाद नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव का स्थान है। दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में काफी झुका है।

दक्षिण एशिया को भारत द्वारा किए जाने वाले निर्यात की वस्तुओं में काफी विविधता है। 2016-17 में निर्यात में इंजीनियरिंग उत्पादों का हिस्सा सबसे अधिक था जिसने दक्षिण एशिया को कुल निर्यात में लगभग 33 प्रतिशत का योगदान किया - मुख्य रूप से परिवहन उत्पाद - वाहन, एयरक्राफ्ट आदि, मशीनरी (निर्यात का 10 प्रतिशत) और बेस मेटल (निर्यात का 9.5 प्रतिशत) योगदान है। इसके बाद टेक्सटाइल एवं टेक्स्टाइल की वस्तुओं का स्थान है जिसने दक्षिण एशिया को कुल निर्यात में 20 प्रतिशत का योगदान किया - मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के देशों के टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए अग्रतर विनिर्माण हेतु कच्ची सामग्री जिनको विकसित देशों को जीरो ड्यूटी निर्यात से लाभ प्राप्त हुआ। कुल निर्यात में कृषि उत्पादों जैसे कि वानस्पतिक उत्पादों, पशु उत्पादों, पशु एवं वानस्पतिक वसा तथा तैयार खाद्य सामग्री का योगदान 13 प्रतिशत था।

दक्षिण एशिया से आयात में कृषि उत्पादों का प्रमुख हिस्सा था जिसने 2016-17 में कुल आयात में 31.8 प्रतिशत का योगदान किया जिसमें वानस्पतिक उत्पादों का शेयर सबसे अधिक था जिसमें मुख्य रूप से खाद्य फल एवं गिरी, कॉफी, चाय एवं मसाले शामिल हैं। आयात के अन्य प्रमुख क्षेत्र टेक्सटाइल एवं

टेक्सटाइल उत्पाद (आयात का 21 प्रतिशत), खनिज (आयात का 16 प्रतिशत) और इंजीनियरिंग उत्पाद (आयात का 13 प्रतिशत) – मुख्य रूप से बेस मेटल हैं। टेक्सटाइल निर्यात से भिन्न, टेक्सटाइल आयात में काफी विविधता है जिसमें कच्ची सामग्री तथा तैयार उत्पाद दोनों शामिल हैं।

अफगानिस्तान

दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अफगानिस्तान और भारत के बीच सामरिक साझेदारी करार के तहत वाणिज्य सचिव के स्तर पर दोनों देशों के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयों के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं निवेश पर एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यू जी) काम कर रहा है। संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक 29 और 30 मार्च 2017 को नई दिल्ली में हुई जिसमें अन्य मुद्दों के अलावा संपर्क से जुड़े अनेक मुद्दों जैसे कि पाकिस्तान से होते हुए माल के पारगमन, एयरफ्रेट कोरिडोर की स्थापना तथा द्विपक्षीय मोटर वाहन करार पर चर्चा हुई।

जून 2017 से एयरफ्रेट कोरिडोर चालू हो गया है जिसने द्विपक्षीय व्यापार को सुगम बनाने में मदद की है। सीडब्ल्यूटीओएस ने अफगानिस्तान के व्यापार अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया है ताकि उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विनियमों तथा विश्व व्यापार प्रणाली से अवगत कराया जा सके और प्रशासन एवं सरकार में अपने अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए उनको लैस किया जा सके।

बांग्लादेश

भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार करार में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के विस्तार का प्रावधान है परंतु यह एक देश से दूसरे देश में उत्पादों के आयात के लिए कोई तरजीही टैरिफ निर्धारित नहीं करता है। शराब और तंबाकू से संबंधित 25 टैरिफ लाइनों को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों के लिए भारत ने साफ्टा के एलडीसी सदस्यों को जीरो ड्यूटी पहुंच प्रदान की है। एक एलडीसी देश होने के कारण बांग्लादेश को साफ्टा के तहत भारतीय बाजारों में तरजीही पहुंच का लाभ प्राप्त है।

व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सचिव के स्तर पर व्यापार के लिए एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) काम कर रहा है। संयुक्त कार्य समूह की 10वीं बैठक 8 और 9 जून 2016 को नई दिल्ली में हुई थी तथा इसकी 11वीं बैठक 13 और 14 सितंबर 2017 को ढाका में हुई थी। संयुक्त सचिव के स्तर पर संयुक्त कार्य समूह के अलावा वाणिज्य सचिव के स्तर पर भी बैठकों का आयोजन किया जाता है। वाणिज्य सचिव के स्तर पर पिछली बैठक 15 और 16 नवंबर 2016

को नई दिल्ली में हुई थी जिसमें व्यापार से संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। वाणिज्य सचिव के स्तर अगली बैठक फरवरी – मार्च 2018 में होने वाली है।

निर्यात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दों की पहचान करके और उनका समाधान करके बांग्लादेश को निर्यात में सुगमता प्रदान की गई है। संपर्क में सुधार के लिए प्रयास किए गए जिसके फलस्वरूप 1 अगस्त 2017 से पेट्रोल – बेंगापोल समेकित चेकपोस्ट 24x7 काम कर रहा है जो भूमि सीमा पार करने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अन्य देशों की तुलना में न्यूनतम आयात मूल्य आरोपित करने में विसंगतियों को दूर करने, वार्षिक विस्तार की आवश्यकता के बगैर साफ्टा की रियायतें स्वाभाविक रूप से प्रदान करने के लिए संगत अधिसूचना को संशोधित करने के लिए बांग्लादेश से आग्रह किया गया है तथा पल्लन प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया गया है जिस पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

स्थानीय बाजारों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के विपणन की परंपरागत प्रणाली स्थापित करके दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भारत और बांग्लादेश ने बार्डर हाट स्थापित किए हैं। इस समय क्रियाशील 4 बार्डर हाट के अलावा बार्डर हाट स्थापित करने के लिए नवीकृत समझौता ज्ञापन पर अप्रैल 2017 में हस्ताक्षर किए गए जो बार्डर हाट के अग्रेतर विकास को सुगम बनाएगा। 6 और बार्डर हाट स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं जिन पर पहले ही दोनों देशों के बीच सहमति हो चुकी है।

भूटान

10 साल की अवधि के लिए 12 नवंबर 2016 को थिंपू में भारत और भूटान के बीच संशोधित व्यापार करार अर्थात व्यापार, वाणिज्य एवं पारगमन पर करार पर हस्ताक्षर किए गए तथा यह 29 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया है। इस करार के अनुसार दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार है तथा भूटान से किसी उत्पाद के आयात या भूटान को किसी उत्पाद के निर्यात पर कोई बुनियादी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। इसके अलावा व्यापार भारतीय रुपए तथा भूटानी मुद्रा (नगुलट्रम्स) में होता है। तीसरे देशों के साथ इसके व्यापार तथा भूटान के एक भाग से दूसरे भाग में भारतीय सीमा के माध्यम से माल की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए करार में भूआबद्ध भूटान के लिए पारगमन की सुविधाओं का भी प्रावधान है।

वाणिज्य सचिव के स्तर पर व्यापार एवं पारगमन पर आयोजित होने वाली द्विपक्षीय बैठक में भारत और भूटान के बीच व्यापार एवं पारगमन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होती है। पिछली बैठक 18 और 19 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली में हुई थी।

आसियान क्षेत्र के लिए व्यापार के देशवार आंकड़े

क्र. देश	2016-17			2017-18 (अप्रैल-अगस्त)		
	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
1 ब्रुनेई	42.88	627.85	670.73	22.39	219.12	241.51
2 कम्बोडिया	105.06	36.10	141.16	43.68	20.36	64.04
3 इंडोनेशिया	3488.12	13427.99	16916.11	1384.30	6473.40	7857.70
4 लाओ पीडीआर	25.72	207.38	233.10	7.90	101.99	109.89
5 मलेशिया	5224.86	8933.59	14158.45	1984.01	3732.91	5716.92
6 म्यांमार	1107.89	1067.25	2175.14	345.50	464.71	810.21
7 फिलीपीन्स	1482.52	494.62	1977.14	522.58	339.49	862.07
8 सिंगापुर	9564.58	7086.57	16651.15	3640.35	2886.21	6526.56
9 थाईलैंड	3133.44	5415.40	8548.84	1368.12	2710.04	4078.16
10 वियतनाम सामाजवादी गणराज्य कोलंबिया गणराज्य	6786.56	3320.56	10107.12	2744.15	1737.64	4481.79
कुल	30961.62	40617.31	71578.93	12062.98	18685.87	30748.85
भारत का कुल	275851.71	384355.55	660207.26	114949.41	182304.15	297253.56
शेयर (प्रतिशत में)	11.22	10.57	10.84	10.49	10.25	10.34

द्विपक्षीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए तथा भूटान के अनुरोध पर नए भूमि कस्टम केन्द्र (एलसीएस) अधिसूचित किए गए तथा तीन मौजूदा भूमि कस्टम केन्द्र को मौसमी भूमि कस्टम केन्द्रों से स्थायी भूमि कस्टम केन्द्रों में स्तरोन्नत किया गया। जीएसटी के लागू होने के कारण द्विपक्षीय व्यापार एवं पारगमन को प्रभावित करने वाले मुद्दों, जिन्हें भूटान द्वारा चिह्नित किया गया, का विश्लेषण एवं समाधान करने के प्रयास किए गए हैं। पारगमन व्यापार पर तथा भूटान को सेवाओं की आपूर्ति जिसमें भारतीय रुपए में भुगतान शामिल होता है, पर जीएसटी की छूट को सुगम बनाने के लिए संबंधित एजेंसियों की सहायता से संगत कदम उठाए गए हैं।

नेपाल

भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार भारत - नेपाल व्यापार संधि द्वारा अभिशासित होता है जिसे पिछली बार 27 अक्टूबर 2016 को 7 साल की अगली अवधि के लिए नवीकृत किया गया। इस संधि के तहत भारत ने तंबाकू, पफ़रूम तथा कार्मेस्टिक्स एवं अल्कोहल से संबंधित नए उत्पादों को छोड़कर नेपाल से आयात किए जाने वाले लगभग सभी उत्पादों के लिए ड्यूटी फ्री अक्सेस प्रदान की है।

तथापि, नेपाल से चार उत्पादों अर्थात वानस्पतिक वसा, एक्रिलिक यार्न, कॉपर के उत्पादों तथा जिंक आक्साइड के आयात पर भारत ने टैरिफ रेट कोटा लागू किया है।

भारत अपने भूभाग से तीसरे देश के नेपाल को भेजे जाने वाले माल तथा तीसरे देश को नेपाली माल के निर्यात के पारगमन की भी अनुमति प्रदान करता है। पारगमन भारत- नेपाल पारगमन संधि द्वारा अभिशासित होता है। इस संधि के तहत एक निश्चित प्रक्रिया के तहत निर्धारित मार्गों के माध्यम से माल का पारगमन होता है। भारत ने कोलकाता / हल्दिया पत्तन के अतिरिक्त नेपाल के लिए पारगमन में यातायात के लिए विशाखापत्तनम बंदरगाह के प्रयोग की अनुमति प्रदान की है।

द्विपक्षीय व्यापार, पारगमन से संबंधित मुद्दों तथा अनधिकृत व्यापार से संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र के रूप में दोनों देशों के बीच वाणिज्य सचिवों के स्तर पर एक अंतर्संस्कारी समिति (आईजीसी) काम करती है। अंतर्संस्कारी समिति के अलावा संयुक्त सचिव के स्तर पर एक एक अंतर्संस्कारी उप समिति (आईजीएससी) भी काम करती है। अंतर्संस्कारी समिति की पिछली बैठक 28 और 29 जून 2016 को नई दिल्ली में हुई जिसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अंतर्संस्कारी समिति तथा अंतर्संस्कारी उप समिति की अगली बैठकें फरवरी - मार्च 2018 में होने वाली हैं।

दोनों पक्ष व्यापार अवसंरचना एवं संपर्क में सुधार के लिए अनेक परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं जिसमें रक्सौल, जोगबनी, सुनौली, पानीटंकी, रुपईडिहा, गौरी पंथा तथा भिटा मोर में भारत - नेपाल सीमा पर सात समेकित चेक पोस्ट (आईसीपी) का विकास शामिल है। रक्सौल और जोगबनी के समेकित चेक पोस्ट (केवल कार्गो के लिए) पहले से ही क्रियाशील हैं।

द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए गए। जूट के उत्पादों पर प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) लगाने से छूट तथा नए इट्री प्वाइंट निर्धारित करके पशुधन उत्पादों को बाजार पहुंच प्रदान करने से संबंधित नेपाल के अनुरोधों को पूरा किया जा चुका है। समाधान के लिए अन्यो के अलावा भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों जैसे कि मानकों में सामंजस्य, लाइसेंस की आवश्यकता की पहचान की गई तथा उन पर नेपाल द्वारा विचार किया जा रहा है।

जीएसटी के लागू होने के कारण द्विपक्षीय व्यापार एवं पारगमन को प्रभावित करने वाले मुद्दों, जिन्हें नेपाल द्वारा चिह्नित किया गया, का विश्लेषण एवं समाधान करने के प्रयास किए गए हैं। पारगमन व्यापार पर तथा नेपाल को सेवाओं की आपूर्ति जिसमें भारतीय रुपए में भुगतान शामिल होता है, पर जीएसटी की छूट को सुगम बनाने के लिए संबंधित एजेंसियों की सहायता से संगत कदम उठाए गए हैं।

श्रीलंका

भारत - श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएफटीए) 1 मार्च 2000 से प्रचालन में है। इस करार के तहत दोनों देश एक दूसरे की नकारात्मक सूची में शामिल मर्दों को छोड़कर एक निर्धारित समय सीमा के अंदर एक दूसरे के लिए व्यापार टैरिफों को धीरे धीरे समाप्त करने के लिए सहमत हैं। भारत ने कुछ

टैरिफ लाइनों जिन पर 25 प्रतिशत ड्यूटी रियायत प्रदान की जाती है, को छोड़कर लगभग सभी टैरिफ लाइनों के लिए ड्यूटी फ्री अक्सेस प्रदान की है तथा लगभग 417 उत्पाद ऐसे हैं जिन पर कोई रियायत नहीं दी जाती है। श्रीलंका से परिधान, चाय, काली मिर्च, नारियल बूरा तथा वनस्पति, बेकरी शार्टनिंग एवं मार्जरीन के आयात पर भारत द्वारा टैरिफ रेट कोटा निर्धारित किया गया है। भारत - श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के तहत श्रीलंका ने कुछ टैरिफ लाइनों जिन पर कुछ टैरिफ निर्धारित किया गया है, को छोड़कर लगभग सभी उत्पादों के लिए ड्यूटी फ्री अक्सेस प्रदान की है।

इसके अलावा श्रीलंका लगभग 1220 उत्पादों की एक सूची का अनुरक्षण करता है जिन पर भारत - श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के तहत कोई टैरिफ रियायत प्रदान नहीं की जाती है।

वाणिज्य सचिव के स्तर पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होती है। वाणिज्य सचिव के स्तर पर चौथी वार्ता का आयोजन 21 दिसंबर 2015 को नई दिल्ली में हुआ था। बैठक के दौरान श्रीलंका ने प्रस्तावित आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग करार (ईटीसीए) के माध्यम से दोनों देशों के बीच सीमा आर्थिक भागीदारी का प्रस्ताव किया।

प्रस्तावित आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग करार पर छः दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है।

प्रस्तावित आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग करार में माल में व्यापार के अलावा सेवाओं में व्यापार, निवेश तथा आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग शामिल हैं। माल में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, निवेश तथा आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को शामिल करने वाले अध्यायों पर पाठ आधारित वार्ता की जा रही है।

ईरान

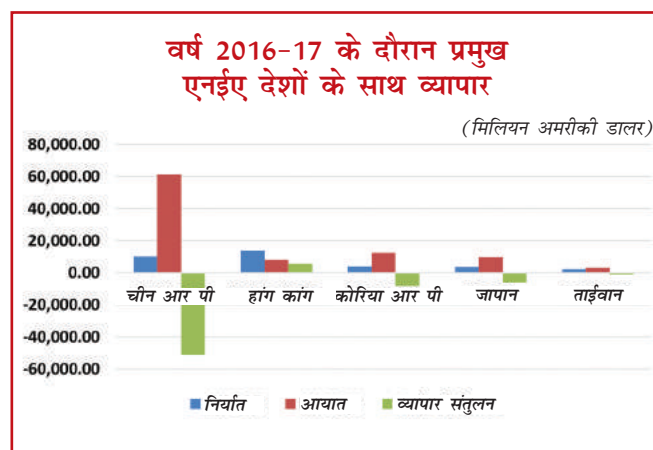
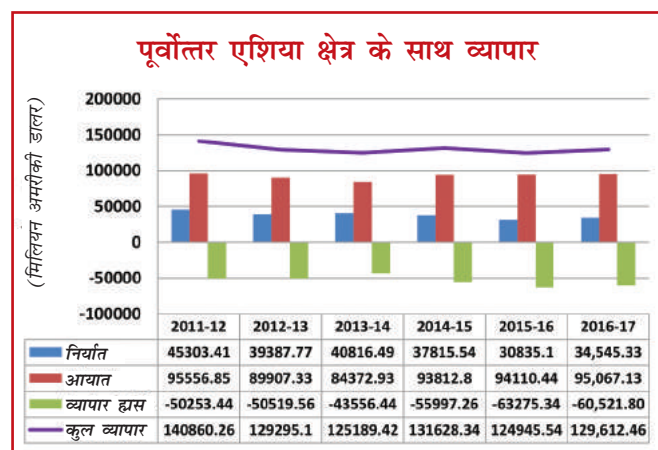
इस समय ईरान के साथ कोई द्विपक्षीय / बहुपक्षीय व्यापार करार नहीं है। तथापि, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य सचिव के स्तर पर भारत में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा ईरान के उद्योग, खान एवं व्यापार मंत्रालय के बीच एक संयुक्त कार्य समूह काम कर रहा है। संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक तेहरान में 6 से 8 अप्रैल 2015 के दौरान हुई थी तथा दूसरी बैठक नई दिल्ली में 18 और 19 नवंबर 2015 को हुई।

संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भारत और ईरान एक तरजीही व्यापार करार (पीटीए) करने के लिए प्रारंभिक परामर्श शुरू करने के लिए राजी हुए थे। मई 2016 में माननीय प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा के दौरान जल्दी से जल्दी तरजीही व्यापार करार करने पर सहमति हुई थी। पाठ आधारित वार्ता शुरू करने से पूर्व तरजीही व्यापार करार के विस्तृत सिद्धांत तैयार किए जा रहे हैं।

वर्ष के दौरान मई 2016 में तेहरान में भारत - ईरान - अफगानिस्तान त्रिपक्षीय करार (चाबहार करार) पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार का मुख्य उद्देश्य भारत, ईरान और अफगानिस्तान के लिए चाबहार बंदरगाह के माध्यम से माल के परिवहन एवं पारगमन के लिए परिवहन कोरिडोर प्रदान करना है। हाल ही में चाबहार बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है जो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया को भेजे जाने वाले भारतीय निर्यात के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा।

3 उत्तर - पूर्व एशिया के साथ व्यापार

चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य, हांगकांग चीन, ताईवान, कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया), कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (उत्तर कोरिया), मंगोलिया तथा मकाऊ से बने उत्तर पूर्वी एशिया क्षेत्र (इसके बाद यहां आगे एन ई ए कहा गया है) के साथ भारत का व्यापार वर्ष 2016-17 के दौरान 129.6 बिलियन अमरीकी डालर था जो विगत वर्ष की तुलना में 3.74 प्रतिशत अधिक है। 2016-17 के दौरान एन ई ए क्षेत्र को निर्यात का मूल्य 34.55 बिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। 2016-17 के दौरान इस क्षेत्र से आयात में 95.06 मिलियन अमरीकी डालर अर्थात 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2016-17 के दौरान एनईए देशों के साथ व्यापार घाटा 2015-16 में 63.28 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर 60.52 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। 2011-12 से 2016-17 के दौरान उत्तर पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार को नीचे ग्राफ के रूप में दर्शाया गया है :



2016-17 के लिए उत्तर पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार के आंकड़े

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र. देश	निर्यात	वृद्धि (प्रतिशत में)	आयात	वृद्धि (प्रतिशत में)	कुल व्यापार	वृद्धि (प्रतिशत में)	व्यापार संतुलन
1 चीन	10171.18	12.88	61281.57	-0.69	71452.75	1.04	-51110.39
2 हांगकांग	14047.24	16.17	8204.18	35.57	22251.42	22.64	5843.06
3 कोरिया गणराज्य	4241.42	20.40	12585.35	-3.54	16826.78	1.55	-8343.93
4 जापान	3845.73	-17.52	9754.64	-0.97	13600.37	-6.29	-5908.91
5 ताइवान	2183.64	53.14	3142.89	-6.30	5326.52	11.43	-959.25
6 कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य	44.84	-59.56	88.59	0.78	133.43	-32.88	-43.75
7 मंगोलिया	9.78	15.88	1.99	-51.93	11.77	-6.36	7.79
8 मकाओ	1.51	-23.35	7.91	-4.58	9.42	-8.19	-6.40
कुल - उत्तर पूर्व एशिया	34545.34	12.03	95067.12	1.02	129612.46	3.74	-60521.78
भारत के कुल व्यापार में हिस्सा (प्रतिशत में)	12.52		24.73		19.63		55.78

एन ई ए क्षेत्र के साथ वस्तु संरचना

एन ई ए क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार की वस्तु संरचना में कई परिवर्तन हुए हैं तथा यह व्यापार नीति, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हलचल तथा घरेलू मांग में बदलते पैटर्न से प्रभावित है। इस क्षेत्र को निर्यात की जाने वाली प्रमुख मर्चों में डायमंड (काटे गए या अन्यथा तराशे गए), सोना एवं चांदी के आभूषण, खनिज तेल (क्रूड से भिन्न), लौह अयस्क, सूती धागे, रिफाईंड कॉपर, अताइय एल्युमिनियम, फेरो एलॉय, ग्रेनाइट, फ्रोजेन थ्रिप एवं प्रान आदि शामिल हैं। इस क्षेत्र से आयात की जाने वाली प्रमुख मर्चों में मोबाइल फोन तथा उनके पार्ट्स, सोलर सेल, लैपटॉप, डायमंड, डायमंड से भिन्न अन्य बहुमूल्य पत्थर, शोधित मोती, मोटर वाहन के पार्ट्स, विनायल क्लोराइड के पॉलिमर, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट, अताइय चांदी, विद्युत परियोजनाओं के लिए मशीनरी आदि शामिल हैं।

व्यापार करार

भारत - कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी करार

7 अगस्त 2009 को भारत और कोरिया गणराज्य के बीच एक व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सी ई पी ए) पर हस्ताक्षर किए गए, जो 1 जनवरी 2010 से प्रभावी हुआ। दोनों पक्षों ने 2016 में व्यापार आर्थिक साझेदारी करार को स्तरोन्त करने के लिए वार्ता शुरू की। वार्ता के तीसरे दौर का आयोजन 21 और 22 सितंबर, 2017 को सियोल में हुआ था। व्यापक आर्थिक साझेदारी करार के संस्थानिक तंत्र के तहत मंत्री स्तर पर संयुक्त समिति की तीसरी बैठक 23 सितंबर 2017 को सियोल में हुई थी। संयुक्त समिति की बैठक के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने किया।

भारत - जापान व्यापार आर्थिक साझेदारी करार

16 फरवरी 2011 को भारत और जापान के बीच एक व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सी ई पी ए) पर हस्ताक्षर किए गए, जो 1 अगस्त 2011 से

प्रभावी हुआ। व्यापक आर्थिक साझेदारी करार के संस्थानिक तंत्र के तहत सचिव स्तर पर संयुक्त समिति की चौथी बैठक 4 अगस्त 2017 को टोकियो में हुई थी। संयुक्त समिति की बैठक के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव सुश्री रीता तेवतिया ने किया। 2017-18 के दौरान उत्पत्ति के नियमों पर उप समिति, टीबीटी / एसपीएस के उपायों पर उप समिति, सेवाओं में व्यापार पर उप समिति, व्यावसाय के परिवेश में सुधार पर उप समिति तथा प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही पर उप समिति की बैठकें भी आयोजित की गईं।

व्यापार से संबंधित हाल की गतिविधियां

दोनों देशों के बीच विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी के तहत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करने के लिए जापान के प्रधानमंत्री महामहिम शिंजो आबे ने 13 और 14 सितंबर 2017 को भारत का आधिकारिक दौरा किया। इस यात्रा के दौरान 15 करारों / एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें अन्य के अलावा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग तथा एमईटीआई के बीच भारत - जापान निवेश संवर्धन रोड मैप, नागर विमानन सहयोग पर आरओडी का आदान प्रदान (खुला आकाश), भारत में जापानी भाषा की शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन शामिल हैं।

4 उत्तरी अमरीकी मुक्त व्यापार करार व्यापार (नाफ्टा) के साथ व्यापार

1994 में उत्तरी अमरीकी मुक्त व्यापार करार व्यापार (नाफ्टा) प्रभावी हुआ जिससे विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक का सृजन हुआ जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका (यू एस ए), कनाडा और मैक्सिको शामिल हैं। नाफ्टा के देशों के साथ भारत की मजबूत सामरिक साझेदारी है तथा द्विपक्षीय संबंध हमेशा घनिष्ठ, गर्मजोशीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रहे हैं। इन देशों के साथ नियमित रूप से उच्च स्तर पर दौरे हो रहे हैं तथा दोनों पक्षों के नेताओं ने सामरिक साझेदारी का विस्तार करने एवं गहन करने तथा मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार बढ़ाने का संकल्प

पिछले 5 वर्षों के लिए माल में भारत के द्विपक्षीय व्यापार (निर्यात और आयात) के संबंध में आंकड़े:

(मिलियन अमरीकी डालर में)

देश		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कनाडा	निर्यात	2,036.58	2,037.01	2,196.00	2,018.42	2,004.12
	आयात	2,800.22	3,148.25	3,749.42	4,234.03	4,131.52
	कुल व्यापार	4,836.80	5,185.26	5,945.42	6,252.45	6,135.64
मेक्सिको	निर्यात	1,628.24	2,227.44	2,861.55	2,865.16	3,460.98
	आयात	4,037.62	3,672.43	3,393.15	2,283.19	2,944.52
	कुल व्यापार	5,665.86	5,899.87	6,254.70	5,148.35	6,405.50
यू एस ए	निर्यात	36,155.22	39,142.10	42,448.66	40,335.82	42,212.27
	आयात	25,204.73	22,505.08	21,814.60	21,781.39	22,307.44
	कुल व्यापार	61,359.95	61,647.19	64,263.26	62,117.21	64,519.71
नाफ्टा के तीन देशों के साथ कुल व्यापार		71,862.61	72,732.32	76,463.38	73,518.01	77,060.85
कुल विश्व व्यापार में नाफ्टा के देशों के साथ भारत के व्यापार का शेयर		9.08 प्रतिशत	9.51 प्रतिशत	10.08 प्रतिशत	11.43 प्रतिशत	11.67 प्रतिशत

किया है। पिछले कुछ वर्षों में माल एवं सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार ने उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के साथ माल में व्यापार में व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है, जबकि जहां तक कनाडा का संबंध है, व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में नहीं है।

नाफ्टा के देशों के साथ सेवाओं में विस्तार में भी व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। नाफ्टा के तीन देशों के साथ व्यापार से जुड़े सरोकार के मदों को हल करने के उद्देश्य से निम्नलिखित संस्थानिक तंत्र स्थापित किए गए हैं:

यू एस ए

भारत और यू एस ए के बीच व्यापार एवं निवेश के संवर्धन के लिए मुख्य रूप से दो संस्थानिक तंत्र हैं।

भारत - यू एस वाणिज्यिक वार्ता: व्यापक श्रेणी के आर्थिक क्षेत्रों में व्यापार को सुगम बनाने और निवेश के अवसरों को अधिकतम करने के लिए यू एस ए के वाणिज्य विभाग तथा भारत के वाणिज्य विभाग के बीच एक संस्थानिक करार के रूप में 23 मार्च 2000 को भारत- यू एस ए वाणिज्यिक वार्ता (सी डी) पर हस्ताक्षर किए गए। 2015 में वाणिज्यिक वार्ता तथा सामरिक वार्ता का विलय करके सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता (एस एण्ड सीडी) का निर्माण किया गया है तथा भारत और संयुक्त राज्य के बीच पहली सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता सितंबर 2015 में वाशिंगटन डीसी में हुई तथा भारत और संयुक्त राज्य के बीच दूसरी सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता अगस्त 2016 में नई

दिल्ली में हुई। भारत- यू एस मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी ई ओ) फोरम एक जैविक कड़ी है जो सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता के एजेंडा का मार्गदर्शन करता है। व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों पर अधिक फोकस को सुगम बनाने के लिए वाणिज्यिक वार्ता को अब सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता से अलग कर दिया गया है तथा व्यापार नीति मंच एवं वाणिज्यिक वार्ता के तहत देखे जाने वाले विषयों की द्विरावृत्ति एवं ओवरलैपिंग से बचने के लिए इसका पुनर्गठन किया गया है।

वाणिज्यिक वार्ता के पहले सत्र का आयोजन अक्टूबर 2017 में वाशिंगटन डी सी में हुआ। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य मंत्री श्री विलबर रोस ने अमेरिकी शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। 2005 से भारत और यूएस के द्विपक्षीय व्यापार में आकर्षक तीन गुना वृद्धि को देखते हुए दोनों पक्षों ने संयुक्त आर्थिक विकास, नौकरी सृजन तथा समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत- यू एस संबंध के महत्वपूर्ण सामरिक एवं आर्थिक महत्व की पुष्टि की।

प्रगति के अनेक क्षेत्रों पर रोशनी डालते हुए दोनों पक्षों ने भारत और यूएस के व्यवसायों के लिए व्यापार एवं निवेश के अवसरों को खोलने हेतु सार्थक प्रगति करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और यू एस ने दोनों देशों के बीच बढ़ते वाणिज्य संबंध को नोट किया जिसने मानकों के क्षेत्र में सहयोग, कारोबार करने की सरलता तथा यात्रा एवं पर्यटन शामिल हैं। राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएसटी), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) तथा भारत की



राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल) के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान से प्राप्त सकारात्मक परिणामों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यू एस ने एक दूसरे के बाजारों में यूएस एवं भारतीय कंपनियों को वाणिज्यिक अवसर प्रदान करने के लिए कारोबार करने की सरलता के वेबिनार की चल रही श्रृंखला के कार्यान्वयन को नोट किया और प्रशंसा की। यात्रा एवं पर्यटन के क्षेत्र में भारत- यू एस यात्रा एवं पर्यटन साझेदारी वर्ष के सफल परिणामों को नोट किया गया जिसमें पिछली फरवरी में आयोजित एक विमानन संपर्क गोल्मेज शामिल है। भारत और यू एस दोनों ने 2018 में भारत - यू एस सीईओ फोरम की अगली बैठक आयोजित करने की प्रतिबद्धता दोहराई जो वर्तमान वर्ष में आयोजित नहीं हो सकी।

भारत - यू एस व्यापार नीति मंच: जुलाई 2005 में घोषित भारत - यू एस व्यापार नीति मंच (टी पी एफ) का उद्देश्य भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों का विस्तार करना है। यह मंच दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से व्यापार से जुड़े अनेक मुद्दों के समाधान के लिए एक संस्थानिक तंत्र के सृजन में सहायक रहा है। इसने एक दूसरे की वस्तुओं को बाजार पहुंच प्रदान करने पर वार्ता, प्रक्रिया से जुड़ी अड़चनों को दूर करने, निवेश के अवसरों पर चर्चा करने तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म प्रदान किया है।

व्यापार एवं बाजार पहुंच तथा बौद्धिक संपदा पर इसके कार्यकारी समूहों के साथ टीपीएफ की 11वीं बैठक अक्टूबर 2017 में वाशिंगटन डी सी में हुई। फोकस को अधिक धारदार बनाने तथा वाणिज्यिक वार्ता के साथ द्विरावृत्ति से बचने के लिए स्पष्ट प्रदेयताओं के साथ मुद्दों पर बल देते हुए वर्तमान चक्र के लिए उपयुक्त पुनर्गठन किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया तथा यूएस की ओर से श्री राबर्ट ई लाइटहाइजर, यूएसटीआर ने शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े मुद्दों तथा परस्पर सहयोग के क्षेत्रों और कृषि एवं गैर कृषि माल, सेवा में बाजार पहुंच के मुद्दों तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने साझेदारी से परस्पर लाभों को साकार करने के लिए मजबूत व्यापार एवं निवेश संबंधों का निर्माण करने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया।

कनाडा

भारत- कनाडा व्यापार नीति परामर्श: अक्टूबर 2003 में वार्षिक व्यापार नीति परामर्श (टी पी सी) को औपचारिक रूप दिया गया जो व्यापार से जुड़ी बाधाओं को दूर करने तथा आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक कारगर प्लेटफार्म प्रदान करता है। भारत- कनाडा व्यापार नीति परामर्श की 7वीं बैठक भारत के वाणिज्य सचिव और कनाडा के उप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री के स्तर पर अक्टूबर 2010 में नई दिल्ली में हुई। इसके बाद कोई और बैठक नहीं हुई है।

भारत - कनाडा वार्षिक मंत्री स्तरीय वार्ता: जून 2010 में प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा के दौरान कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री तथा भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के बीच व्यापार एवं निवेश पर एक वार्षिक मंत्री स्तरीय वार्ता (ए एम डी) के लिए सहमति हुई थी तथा वार्षिक मंत्री स्तरीय वार्ता की पहली बैठक सितंबर 2010 में ओटावा में हुई थी। भारत - कनाडा वार्षिक मंत्री स्तरीय वार्ता की चौथी बैठक 13 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में हुई। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री सुरेश प्रभु, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किया, जबकि कनाडा के शिष्टमंडल का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री फ्रैंकोइस फिलिपे चंपागने ने किया।

व्यापार एवं निवेश से संबंधित बकाया मुद्दों पर चर्चा हुई तथा अन्य बातों के अलावा द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने, कनाडा द्वारा सी ई ओ फोरम के गठन के साथ अधिक व्यावसायिक दूर व्यवसाय संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया। 6.1 बिलियन डालर के परस्पर व्यापार के साथ कनाडा नाफ्टा क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है जो विशाल संभावना के बावजूद दो मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के बीच क्षमता से काफी कम है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई जैसे कि दालों की विकृति पर कनाडा के सरोकार, जैविक समतुल्यता के लिए भारत का लंबित अनुरोध, विदेश निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार (एफआईपीए) और व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सीईपीए) की प्रगति,



सहायक एजेंसियों के बीच सहयोग की संभावना का पता लगाना आदि।

भारत - कनाडा व्यापक आर्थिक नीति करार (सी ई पी ए): सियोल में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा घोषित भारत - कनाडा सी ई पी ए वार्ता की शुरुआत तथा सितंबर 2010 में भारत- कनाडा संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट के विमोचन के बाद नवंबर 2010 में नई दिल्ली में औपचारिक रूप से शुरुआत। करार के तहत वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, उद्गम के नियम, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय, व्यापार से जुड़ी तकनीकी बाधाएं तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

आज तक की तिथि के अनुसार वार्ता के 10 दौरों का आयोजन हो चुका है तथा पिछले चक्र का आयोजन अगस्त 2017 में नई दिल्ली, भारत में हुआ था। 10वें के दौरान 5 अध्यायों पर चर्चा हुई तथा दोनों पक्षों ने वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की ताकि जल्दी से निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।

मैक्सिको

भारत - मैक्सिको बी एच एल जी: व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर एक द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह (बी एच एल जी) के गठन के लिए भारत के तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा मैक्सिको के वित्त मंत्री द्वारा नई दिल्ली में 21 मई 2007 को भारत और मैक्सिको के बीच एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस द्विपक्षीय उच्चस्तरीय समूह के कार्यों में मुख्य रूप से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना, वाणिज्यिक, आर्थिक, तकनीकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्र में संपर्क बनाए रखना तथा सूचना का आदान-प्रदान करना शामिल है। बीएचएलजी के तहत 6 कार्य समूहों का गठन किया गया है- (1) व्यापार संवर्धन (2) निवेश संवर्धन (अवसररचना सहित) (3) सीमा शुल्क सहयोग (4) सेवा संवर्धन (5) पर्यटन संवर्धन और (6) निजी क्षेत्र (रासायनिक-फार्मा, वस्त्र एवं जैव ईंधन क्षेत्र) की सहभागिता से औद्योगिक संवाद।

बीएचएलजी ने दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्युटिकल, पर्यटन आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने में साझेदारियों के लिए संभावनाओं एवं व्यापार से संबंधित अनेक मुद्दों पर भागीदारी में मदद की। जून 2017 में आयोजित संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने 2016 में आयोजित चौथे भारत - मैक्सिको बीएचएलजी के अनुवर्तन के रूप में आर्थिक एवं व्यापार के मुद्दों पर उप आयोग के तहत व्यापार एवं वाणिज्य के मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने, द्विपक्षीय व्यवसाय संवर्धन, एसएमई सहयोग तथा व्यापार सांख्यिकी एवं सेवाओं के क्षेत्रों में सूचना के आदान प्रदान के लिए इनवेस्ट इंडिया प्रो मैक्सिको के बीच घनिष्ठ सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता को दोहराया।

5 यूरोप के साथ व्यापार

यूरोप के तहत निम्नलिखित देश आते हैं:

1) यूरोपीय संघ (ईयू) जिसमें 28 देश शामिल हैं;¹

1 (आस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, इस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लात्विया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम)

- 2) यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए)² जिसमें 4 देश शामिल हैं; और
- 3) अल्बानिया, बोस्निया हर्जोगोविना, मैसेडोनिया, सर्बिया संघ तथा मोंटेनेग्रो एवं तुर्की नामक अन्य यूरोपीय देश।

2016-17 के दौरान यूरोपीय देशों को निर्यात का मूल्य 53.24 बिलियन अमरीकी डालर था, जो भारत के कुल निर्यात का 19.30 प्रतिशत है तथा यूरोपीय देशों से आयात का मूल्य 61.45 बिलियन अमरीकी डालर था जो भारत के कुल आयात का 15.99 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान यूरोप के साथ भारत के व्यापार में पिछले वर्ष 2015-16 की तुलना में 0.25 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की तथा यह 114.69 बिलियन अमरीकी डालर रह गया और निर्यात में 5.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह 53.24 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया परंतु आयात घटकर 61.45 बिलियन अमरीकी डालर रह गया जो 4.93 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। अप्रैल से सितंबर 2017 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष 2015-16 की समतुल्य अवधि की तुलना में 14.20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यूरोप के साथ भारत का व्यापार 61.16 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया तथा 8.96 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निर्यात 28.15 बिलियन अमरीकी डालर हो गया तथा 19.08 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आयात 33.02 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया।

यूरोपीय संघ (ईयू)

यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान यूरोपीय संघ के साथ कुल व्यापार का मूल्य 89.55 बिलियन अमरीकी डालर था जिसमें आयात का मूल्य 47.20 बिलियन अमरीकी डालर और आयात का मूल्य 42.36 बिलियन अमरीकी डालर था। 2016-17 के दौरान भारत के कुल व्यापार में यूरोपीय संघ का शेयर 13.56 प्रतिशत के आसपास है। पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 की अवधि के दौरान यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार में 1.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि यूरोपीय संघ को निर्यात में 6.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई परंतु आयात में 3.51 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में अप्रैल से सितंबर 2017 की अवधि के दौरान यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार में 7.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई तथा निर्यात में 8.73 प्रतिशत की वृद्धि और आयात में 6.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार में सेनेटरी एवं फाइटो सेनेटरी मानकों, तकनीकी बाधाओं, कोटा / टैरिफ को जटिल प्रणाली, भारतीय उत्पादों के विरुद्ध पाटनरोधी / सब्सिडी रोधी उपायों आदि प्रमुख मुद्दे हैं। इन मुद्दों का यूरोपीय संघ को भारत के निर्यात के लिए बाजार पहुंच से संबंध है। इन मुद्दों को नियमित रूप से संयुक्त कार्यों समूहों एवं व्यापार पर उप आयोग में उठाया जाता है। यूरोप के व्यक्तिगत देशों के साथ व्यापार को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संयुक्त आयोग के रूप में द्विपक्षीय मंचों में भी उठाया जाता है।

भारत - यूरोपीय संघ संयुक्त आयोग द्वारा आधिकारिक स्तर पर भारत - यूरोपीय संघ द्विपक्षीय संबंधों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है।

भारत - यूरोपीय संघ संयुक्त आयोग बैठक के 24वें सत्र का आयोजन 14 जुलाई 2017 को ब्रुसेल्स में हुआ। इसके अलावा व्यापार, आर्थिक सहयोग तथा विकास सहयोग पर तीन उप आयोग तथा कृषि एवं समुद्री उत्पादों, वस्त्र इस्पात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग औषधीय पदार्थों तथा जैव प्रौद्योगिकी, सीमा शुल्क सहयोग एवं व्यापार से जुड़ी तकनीकी बाधाओं (टी बी टी) / स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी (एस पी एस) से संबंधित मुद्दों पर काम कर रहे हैं। व्यापार पर भारत - यूरोपीय संघ उप आयोग की पिछली बैठक 12 जुलाई 2017 को ब्रुसेल्स में हुई।

भारत - यूरोपीय संघ बीटीआईए वार्ता

नई दिल्ली में सितंबर 2005 में आयोजित 6वीं भारत - यूरोपीय संघ शिखर बैठक ने आर्थिक संबंध को व्यापक एवं विस्तृत करने के तरीकों का पता लगाने तथा व्यापार एवं निवेश करार अर्थात विस्तृत द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश करार (बीटीआईए) की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय व्यापार समूह (एच एल टी जी) का गठन करने का निर्णय लिया था। करार के लिए वार्ता करने हेतु एचएलटीजी की सिफारिशों के अनुसरण में 2007 से 2013 तक भारत और यूरोपीय संघ के बीच 16 दौर की वार्ता हो चुकी है, जब यूरोपीय संघ वार्ता से पीछे हट गया। 2016 में यूरोपीय संघ द्वारा रुचि प्रदर्शित किए जाने के बाद जायजा लेने वाली बैठकों के चार दौर का आयोजन हो चुका है। 13 जुलाई 2017 को ब्रुसेल्स में आयोजित मुख्य वार्ताकारों की एक अन्य बैठक हुई जिसमें दोनों पक्षों के बीच वार्ता के संभावित परिणामों को समझने के लिए एक रूपरेखा पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया।

भारत - ईएफटीए टीईपीए वार्ता

ईएफटीए व्यापार ब्लाक में स्विटजरलैंड, नार्वे, आइसलैंड और लिचेस्टीन शामिल हैं। भारत और ईएफटीए ने अक्टूबर 2008 में व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी करार (टीईपीए) पर वार्ता शुरू की थी। 14 ट्रेडों / अध्यायों अर्थात सरकारी प्रापण, विवाद समाधान, प्रतियोगिता, व्यापार सुगमता, निवेश, तथा संपोषणीय विकास, एसपीएस, टीबीटी, व्यापार निदान, माल में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, विधिक एवं क्षेत्रीय प्रावधान तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों में वार्ता हुई जिन्हें दोनों पक्षों ने समयबद्ध ढंग से हल करने का संकल्प, किया। अब तक 17 दौर की वार्ता हो चुकी है। पिछले दौर की वार्ता 18 से 21 सितंबर, 2017 के दौरान नई दिल्ली में हुई।

संस्थागत तंत्र

अनेक यूरोपीय देशों अर्थात यू के, फ्रांस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, बेल्जियम - लज्जमबर्ग, स्विटजरलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाक गणराज्य, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, आस्ट्रिया, बुल्गारिया, बोस्निया एवं हर्जोगोविना, साइप्रस, फिनलैंड, ग्रीक, रोमानिया, तुर्की और यूरोपीय संघ के साथ भारत ने संस्थानिक तंत्र स्थापित किए हैं।

संयुक्त आयोग की बैठकें

संयुक्त आयोग की बैठकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

2 आइसलैंड, लेचिस्टीन, नार्वे और स्विटजरलैंड

संयुक्त आयोग	सह अध्यक्ष	स्थान, तिथि
आर्थिक सहयोग पर भारत - स्विटजरलैंड संयुक्त आयोग की 15वीं बैठक	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, तथा राजदूत, द्विपक्षीय आर्थिक संबंध प्रभाग प्रमुख और राज्य आर्थिक कार्य सचिवालय (एसईसीओ), संघीय आर्थिक कार्य विभाग (एफडीईए), स्विटजरलैंड सरकार	बर्न, 25 अक्टूबर 2016
भारत - यूके संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की 11वीं बैठक	श्रीमती निर्मला सीतारमन, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा माननीय लियाम फॉक्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री, यू के	नई दिल्ली, 7 नवंबर, 2016
भारत - यूनान संयुक्त आर्थिक समिति की 7वीं बैठक	सुश्री रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव और श्री जार्ज कात्रोगालोस, यूनान की ओर से यूनान गणराज्य के वैकल्पिक विदेश मंत्री	नई दिल्ली, 23 नवंबर, 2016
भारत - सर्बिया संयुक्त आर्थिक समिति की तीसरी बैठक	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग तथा सर्बिया गणराज्य के विदेश मंत्रालय में राज्य सचिव	नई दिल्ली और बेलग्रेड के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस, 10 मार्च 2017
भारत - रोमानिया संयुक्त आर्थिक सहयोग समिति की 18वीं बैठक	सुश्री रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव तथा श्री क्रिस्टियन डीमा, राज्य सचिव, व्यवसाय परिवेश, वाणिज्य एवं उद्यमिता मंत्रालय, रोमानिया सरकार	नई दिल्ली, 7 अप्रैल 2017
भारत - फिनलैंड संयुक्त आर्थिक समिति की 18वीं बैठक	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग तथा महानिदेशक, अमरीका और एशिया विभाग, विदेश मंत्रालय, फिनलैंड	हेलसिंकी, 20 अप्रैल 2017
भारत - स्लोवाक संयुक्त आर्थिक समिति की 9वीं बैठक	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग तथा महानिदेशक, रणनीति अनुभाग, अर्थव्यवस्था मंत्रालय, स्लोवाक गणराज्य	ब्राटिसलावा, 21 अप्रैल 2017
भारत - इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग समिति की 19वीं बैठक	माननीय वाणिज्य मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमन और कार्लो कलेंडा, आर्थिक विकास मंत्री	रोम, 11 और 12 मई, 2017
भारत तथा बेल्जियम लग्जमबर्ग आर्थिक संघ (बीएलईयू) के बीच संयुक्त आर्थिक आयोग की 15वीं बैठक	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग; यूरोपीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कार्य निदेशक, विदेश एवं यूरोपीय कार्य मंत्रालय, लग्जमबर्ग ग्रैंड डच तथा उप महानिदेशक, द्विपक्षीय संबंध, संघीय सार्वजनिक सेवा विदेश कार्य, किंगडम ऑफ बेल्जियम	लग्जमबर्ग, 29 मई 2017
भारत - पुर्तगाल संयुक्त आर्थिक आयोग की चौथी बैठक	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग तथा पुर्तगाल के विदेश मंत्रालय के उपराजनीतिक निदेशक	लिस्बन, 30 मई 2017
यूरोपीय संघ - भारत संयुक्त आयोग की 24वीं बैठक	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग और एशिया प्रशांत के लिए प्रबंध निदेशक, यूरोपीय विदेश कार्य सेवा	ब्रुसेल्स, 14 जुलाई 2017
भारत - आस्ट्रिया संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग की 15वीं बैठक	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग तथा उप मंत्री, संघीय विज्ञान, अनुसंधान एवं अर्थव्यवस्था मंत्रालय, आस्ट्रिया गणराज्य	नई दिल्ली, 20 जुलाई 2017
भारत - क्रोएशिया संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग की 10वीं बैठक	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग तथा अर्थव्यवस्था, उद्यमिता एवं शिल्प मंत्री के मुख्य सलाहकार, क्रोएशिया सरकार	नई दिल्ली, 8 नवंबर, 2017

द्विपक्षीय बैठकें:

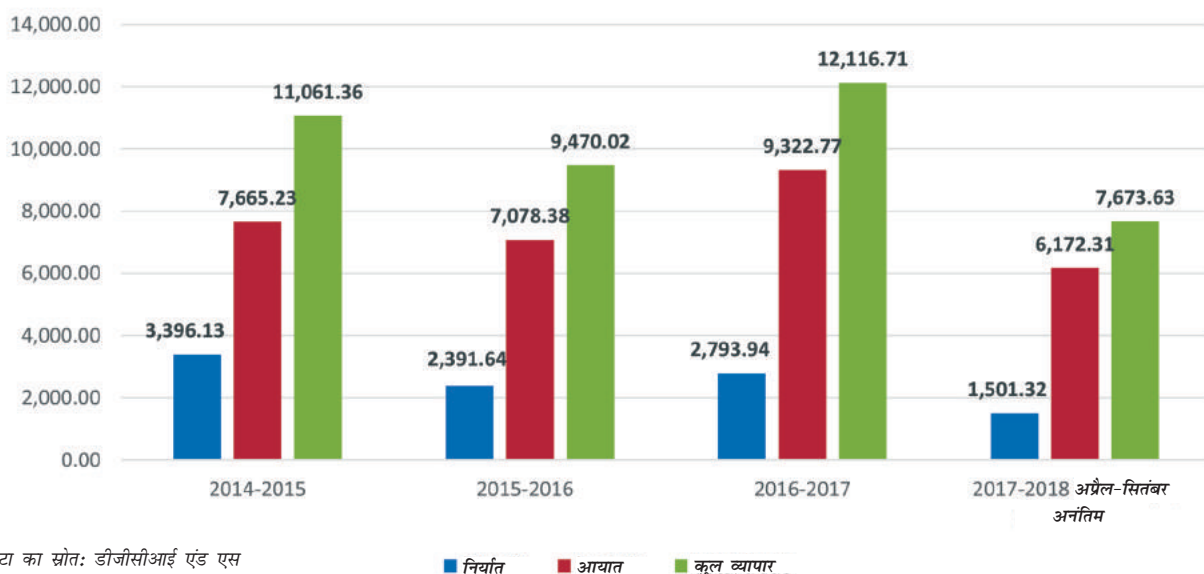
- माननीय प्रधानमंत्री ने 31 अगस्त 2017 और 1 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में स्विस् परिसंघ के राष्ट्रपति सुश्री डोरिस लिथार्ड के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
- माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 7 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में भारत में चेक गणराज्य के राजदूत श्री मिलन होवोरका के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
- तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुश्री निर्मला सीतारमन ने निम्नलिखित के साथ द्विपक्षीय बैठक की :
 - क) 11 जनवरी 2017 को स्वीडन के उच्च माध्यमिक स्कूल और प्रौढ़ शिक्षा तथा प्रशिक्षण मंत्री सुश्री अन्ना एक्सट्रोम
 - ख) जगरेब, क्रोएशिया में 14 फरवरी 2017 को सुश्री मार्टिना डालिक, उप प्रधानमंत्री तथा अर्थव्यवस्था, उद्योगिता एवं शिल्प मंत्री, क्रोएशिया सरकार
 - ग) क्रोएशिया में 14 फरवरी 2017 को श्री प्रेडरग स्ट्रोमर, वराजडीन, क्रोएशिया के राज्यपाल
 - घ) क्रोएशिया में 14 फरवरी 2017 को लुडब्रेग, क्रोएशिया के मेयर

श्री डुबरावको बिलिक

- माननीय राज्य मंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग) श्री सी आर चौधरी ने निम्न लिखित के साथ द्विपक्षीय बैठक की :
 - क) 9 अक्टूबर 2017 को चेक गणराज्य के राष्ट्रपति श्री मिलोस जेमां
 - ख) 10 अक्टूबर 2017 को चेक गणराज्य के उद्योग एवं व्यापार मंत्री श्री जिरी हैवलीसेक (जेएचएल)
 - ग) 10 अक्टूबर 2017 को स्लोवाक गणराज्य के अर्थव्यवस्था मंत्री श्री पीटर जिगा
 - घ) 11 अक्टूबर 2017 को संसद की सीनेट के अध्यक्ष श्री मिलन स्टेच

6 स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल (सी आई एस) के साथ व्यापार

स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल (सी आई एस) में रूसी परिसंघ, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जार्जिया, मालदोवा, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गीस्तान, ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान एवं उजबेकिस्तान शामिल हैं (आखिरी 5 देशों को संयुक्त रूप से मध्य एशियाई गणराज्य कहा जाता है)। इन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार को नीचे ग्राफ के रूप में दर्शाया गया है :

सी आई एस क्षेत्र के साथ द्विपक्षीय वस्तु व्यापार (मिलियन अमरीकी डालर में)**सी आई एस के साथ व्यापार**

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	कुल व्यापार की विकास दर (प्रतिशत में)
2014-2015	3,396.13	7,665.23	11,061.36	(-) 1.37
2015 -2016	2,391.64	7,078.38	9,470.02	(-) 14.39
2016-2017	2,793.94	9,322.77	12,116.71	27.95
2017-2018 (अप्रैल - सितंबर) (अन्तिम)	1,501.32	6,172.31	7,673.63	-

डाटा का स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

2016-17 के दौरान सीआईएस क्षेत्र का भारत के निर्यात में हिस्सा 1.01 प्रतिशत और आयात में इसका हिस्सा 2.43 प्रतिशत था। इस क्षेत्र को निर्यात की जाने वाली प्रधान वस्तुओं में ड्रग, फार्मास्युटिकल एवं बारीक रसायन; आईसी इंजन एवं पार्ट्स; चाय; एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट एवं पार्ट्स; कॉफी; लोहा एवं इस्पात; आटो कंपोनेंट / पार्ट्स; समुद्री उत्पाद; विनिर्मित तंबाकू; साजो सामान सहित कॉटन के रेडीमेड गारमेंट शामिल हैं। इस क्षेत्र से भारत में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थर; वनस्पति तेल, पेट्रोलियम : क्रूड; गेहूं; विनिर्मित उर्वरक; कोयला, कोक तथा ब्रिकेट आदि; लोहा एवं इस्पात; दलहन; अजैविक रसायन; और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं।

रूसी परिसंघ: रूसी परिसंघ, जिसमें पूर्व यू एस एस आर का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, इस क्षेत्र में भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार बना हुआ है तथा 2016-17 में सी आई एस क्षेत्र के साथ भारत के कुल व्यापार में इसका हिस्सा 61.81 प्रतिशत के आसपास था। वर्ष 2017-18 के दौरान द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने हेतु निम्नलिखित बैठकें आयोजित हुई थी :

- व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय एवं सांस्कृतिक सहयोग पर भारत - रूस अंतर-सरकारी आयोग के 22वें सत्र का आयोजन 13 सितंबर 2016 के नई दिल्ली में हुआ। भारत की ओर से माननीय सुश्री सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री ने और रूस की ओर से रूसी परिसंघ की सरकार के उप प्रधान मंत्री श्री दमित्री रोगोजिन ने इसकी सह अध्यक्षता की।
- व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी एवं सांस्कृतिक सहयोग पर भारत - रूस अंतरसरकारी आयोग के तत्वावधान में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर भारत - रूस कार्य समूह की 22वीं बैठक 9 सितंबर 2016 को नई दिल्ली, भारत में हुई। भारत की ओर से श्री सुनील कुमार, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग और रूस की ओर से श्री एवगेनी पोपोव, निदेशक, एशिया, अफ्रीका लैटिन अमेरिका विभाग, आर्थिक विकास मंत्रालय, रूसी परिसंघ ने बैठक की सह अध्यक्षता की।
- बैंकिंग तथा वित्तीय मामलों पर भारत - रूस उप समूह की 23वीं बैठक 01 से 3 मई 2017 के दौरान उदयपुर, भारत में हुई। इस बैठक के दौरान इंटरबैंक सहयोग में सुधार लाने तथा प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं स्पष्ट बनाने पर सहमति हुई। भारत और रूस के बैंकों के माध्यम से व्यवसाय की संभावनाओं का पता लगाने का भी निर्णय लिया गया।

मध्य एशियाई गणराज्य

सीआईएस क्षेत्र में कजाकिस्तान, किर्गीस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान पांच मध्य एशियाई गणराज्य का निर्माण करते हैं। वाणिज्य विभाग किर्गीस्तान, ताजिकिस्तान तथा उजबेकिस्तान के साथ अंतः सरकारी आयोग (आई जी सी) के लिए नोडल विभाग है। वर्ष 2017-18 के दौरान द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने हेतु निम्नलिखित बैठकें आयोजित हुई थी :

- व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग पर भारत - तजाकिस्तान संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक वाणिज्य सचिव की सह अध्यक्षता में नई दिल्ली में 16 जून 2017 को हुई।
- व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर तुर्कमेनिस्तान - भारत संयुक्त आयोग की 6वीं बैठक भारत के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली, भारत में 14 अगस्त 2017 को हुई।

अन्य सी आई एस देश

अन्य 6 सी आई एस देश अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जार्जिया, मालदोवा और यूक्रेन हैं। यूक्रेन सी आई एस क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है तथा 2016-17 में सी आई एस क्षेत्र के साथ भारत के कुल व्यापार में इसका हिस्सा तकरीबन 23.04 प्रतिशत है। वाणिज्य विभाग अजरबैजान के साथ अंतर सरकारी आयोग (आई जी सी) के लिए नोडल विभाग है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग भारत - बेलारूस अंतर सरकारी आयोग (आई जी सी) के लिए नोडल विभाग है।

सी आई एस क्षेत्र में प्रमुख पहलें

12 सितंबर 2000 को सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में भूतल परिवहन मंत्रालय (अब जहाजरानी मंत्रालय), भारत सरकार, ईरान गणराज्य (सड़क एवं परिवहन मंत्रालय) और रूसी परिसंघ (परिवहन एवं रेल मंत्रालय) द्वारा उत्तर - दक्षिण परिवहन कोरिडोर पर एक अंतराष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए गए। अब इसे विदेश मंत्रालय की सलाह पर वाणिज्य विभाग द्वारा संभाला जा रहा है।

करार में प्रस्तावित मार्ग भारत से समुद्री मार्ग से होते हुए और ईरान होते हुए कैस्पियन सागर तथा रूसी परिसंघ तथा इससे आगे के क्षेत्र तक जाता है और वापस आता है। उम्मीद है कि इससे ट्रांजिट मूवमेंट बेहतर और त्वरित तथा सस्ता भी होगा और समय कम लगेगा।

निम्नलिखित रूट पर 24 जुलाई 2014 को ड्राई रन अध्ययन आरंभ हुआ:

- न्हावा शेवा (मुंबई) - बंदार अब्बास (ईरान) - तेहरान - बंदार अंजाली (ईरान) - आस्ट्राखान (रूस);
- न्हावा शेवा (मुंबई) - बंदार अब्बास (ईरान) - तेहरान - बाकू (अजरबैजान)।

वाणिज्य विभाग की एम ए आई स्कीम के तहत फंडरेशन आफ फ्रेट फारवर्डर्स एसोसिएशन इन इंडिया (एफ एफ एफ ए आई) द्वारा ड्राई अध्ययन पूरा किया गया है। इस विभाग द्वारा ड्राई रन की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है। इसे तेहरान में आई एन एस टी सी मुख्यालय के परिषद सचिवालय को इस अनुरोध के साथ भेजा गया है कि परिषद इस रिपोर्ट को सभी सदस्य देशों के साथ साझा करे। ड्राई रन के परिणाम से संकेत मिलता है कि आई एन एस टी सी रूट पर ट्रांजिट परंपरागत रूट की तुलना में त्वरित और सस्ता हो सकता है।

आई एन एस टी सी की समन्वय परिषद की 6वीं बैठक और विशेषज्ञ समूह की 7वीं बैठक 19 से 21 अगस्त, 2015 के दौरान नई दिल्ली, भारत में हुई। इस बैठक के दौरान आई एन एस टी सी के प्रचालन से संबंधित विभिन्न मुद्दों अर्थात् सीमा शुल्क से संबंधित मामलों, जहाजरानी से संबंधित मामलों / बंदरगाह, रेलवे, टैरिफ, आई एन एस टी सी कार्गो के लिए सामान्य प्रलेखन, बीमा, बैंकिंग, वीजा एवं अन्य मुद्दों, आई टी मुद्दों तथा आई एन टी सी वेबसाइट का सामान्य अपडेशन, फोकल प्वाइंट आदि पर चर्चा हुई।

आई एन एस टी सी के सदस्य देशों, विशेष रूप से भारत, ईरान और रूस को आई एन टी सी रूट पर पर्याप्त मात्रा में कार्गो की आवाजाही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस नए रूट पर कार्गो की वास्तविक आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए रूस और ईरान की सरकारों को परिवहन टैरिफ (रेल प्रभार) तथा पत्तन हैंडलिंग प्रभार में उपयुक्त ढंग से संशोधन करना होगा और शुरुआती अवधि में आकर्षक डिस्काउंट की पेशकश करनी होगी ताकि नए रूट को लागत की दृष्टि से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

रूस, अजरबैजान, भारत, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के सीमा शुल्क प्राधिकरणों के विशेषज्ञों की पहली बैठक 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2015 के दौरान अस्ट्राखान में आयोजित हो चुकी है तथा सीमा शुल्क एवं पारगमन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।

सीमा शुल्क सहयोग करार पर निर्णय लेने के लिए 22 सितंबर 2016 को मुंबई में सीमा शुल्क प्राधिकरणों के विशेषज्ञों की प्रारंभिक बैठक हुई। समन्वय परिषद की अगली बैठक ईरान में होगी।

आई एन एस टी सी रूट पर व्यापार को लोकप्रिय बनाने के लिए अड्डचनों तथा विभिन्न देशों के साथ उठाए जाने वाले सुगमता के उपायों पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में 2 मई 2016 को एक बैठक हुई।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने टीआईआर कार्नेट (टीआईआर अभिसमय) के कवर के तहत माल के अंतराष्ट्रीय परिवहन पर सीमा शुल्क अभिसमय की भारत द्वारा सदस्यता ग्रहण करने तथा अभिपुष्टि के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए 6 मार्च 2017 को अपनी मंजूरी प्रदान की है। टीआईआर अभिसमय दिसंबर 2017 तक प्रभावी हो जाएगा। यह भारत से रूस को कंटेनर कार्गो के अबाध मूवमेंट को सुगम बनाएगा जिससे पारगमन के समय तथा परिवहन की लागत में और कटौती होगी।

ईईईयू के साथ मुक्त व्यापार करार (एफ टी ए) : भारत ने मुफ्त व्यापार करार पर औपचारिक वार्ता शुरू करने के लिए अपेक्षित सभी प्रक्रियागत औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है तथा यूरोशियाई आर्थिक संघ के सदस्य देशों अर्थात् रूसी परिसंघ, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और अर्मेनिया के साथ मुक्त व्यापार करार पर वार्ता का पहला चक्र शुरू करने के लिए तैयार है।

- यूरोशियाई आर्थिक संघ के साथ संयुक्त संभाव्यता अध्ययन समूह (जे एफ

एस जी) की पहली बैठक संयुक्त सचिव, एफ टी (सी आई एस), वाणिज्य विभाग की सह अध्यक्षता में मास्को में 31 जुलाई 2015 को हुई। ई ए ई यू - भारतीय मुक्त व्यापार करार (एफ टी ए) पर संयुक्त संभाव्यता अध्ययन समूह (जे एफ एस जी) की दूसरी बैठक 19 सितंबर 2016 को मास्को, रूस में हुई। इस बैठक के दौरान जे एफ एस जी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया तथा अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया। ई ए ई यू तथा इसके सदस्य देशों के बीच एफ टी ए वार्ता शुरू करने पर सहमत हुई।

- मुक्त व्यापार करार के लिए वार्ता शुरू करने हेतु ईएईयू तथा भारत गणराज्य के बीच संयुक्त वक्तव्य पर 3 जून 2017 को हस्ताक्षर किए गए।

जार्जिया के साथ मुक्त व्यापार करार के लिए संयुक्त संभाव्यता अध्ययन समूह: जार्जिया के साथ मुक्त व्यापार करार के कार्यक्षेत्र के अध्ययन के लिए एक संयुक्त संभाव्यता अध्ययन समूह (जे एफ एस जी) के गठन का प्रस्ताव रखा गया।

- दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार करार करने की संभावना का पता लगाने के लिए संयुक्त संभाव्यता अध्ययन आरंभ करने हेतु भारत और जार्जिया के बीच संयुक्त वक्तव्य पर 11 अप्रैल 2017 को हस्ताक्षर किए गए हैं।
- जार्जिया के साथ संयुक्त संभाव्यता अध्ययन समूह की पहली बैठक संयुक्त सचिव, एफ टी (सी आई एस), वाणिज्य विभाग की सह अध्यक्षता में 1 मई 2017 को वीडियो कन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। इस बैठक के दौरान रिपोर्ट की प्रारूप संरचना (अध्यायीकरण), अध्याय की अंतर्वस्तुओं, अध्यायों के लिए नोडल बिंदुओं, विभिन्न अध्यायों के लिए समय सीमा आदि पर चर्चा हुई।
- भारत और जार्जिया के बीच संयुक्त संभाव्यता अध्ययन समूह (जेएफएसजी) की दूसरी बैठक 13 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में दोनों पक्ष रिपोर्ट तथा उसकी सिफारिशों को अंतिम रूप देने तथा 11 अप्रैल 2017 को हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य में उल्लेख के अनुसार सहमत समय सीमा के अंदर संयुक्त संभाव्यता अध्ययन पूरा करने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए।

रूस को निर्यात की पहलें:

आफिस इंटरनेशनल डेस एपीजूटी (ओ आई ई) तथा रूसी परिसंघ द्वारा जिन मानदंडों पर जोर दिया जा रहा है उनको ध्यान में रखते हुए भारत लंबे समय से गोमांस उत्पादों का निर्यात करने में सफल नहीं हुआ है। भारतीय पक्ष ने रूसी पक्ष से उत्तर प्रदेश के तीन प्लांटों से गोमांस के आयात पर अस्थायी प्रतिबंधों को हटाने का अनुरोध किया क्योंकि यह एफएमडी से मुक्त है और साइट पर अपलोड करने के लिए इसे डीएचडीएफ से ओआईई को प्रस्तुत किया गया है।

इस समय रूस को गोमांस के निर्यात के लिए एफएसवीपीएस द्वारा केवल एक स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। रूसी पक्ष से 6 और प्लांटों (उत्तर प्रदेश में 4 और पंजाब में 2) के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

भारत सरकार ने तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र को भी एफएमडी मुक्त क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है तथा रूस के प्राधिकारी इन क्षेत्रों में स्थित स्थापनाओं को मंजूरी प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम के स्थल पर सत्यापन के लिए तथा मांस प्रसंस्करण की इन स्थापनाओं के पुनः निरीक्षण के लिए एफएसवीपीएस से एक शिफ्टमंडल भी भारत का दौरा कर सकता है।

दो अनुमोदित डेयरी स्थापनाओं के नाम अभी भी एफएसवीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर “प्रमाण पत्र का निलंबन” के नोट के साथ प्रदर्शित हो रहे हैं जो रूस को डेयरी / दुग्ध उत्पादों के निर्यात को प्रतिबंधित कर रहा है। रूसी पक्ष से निलंबन नोट को हटाने के लिए अपनी वेबसाइट को अपडेट करने का अनुरोध किया गया है।

सी आई एस देशों के साथ अंतर सरकारी आयोग / संयुक्त आयोग

- वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री की सह अध्यक्षता में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत - अरजबैजान अंतर सरकारी आयोग
- वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री की सह अध्यक्षता में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत - किरगिज़ अंतर सरकारी आयोग
- वाणिज्य सचिव की सह अध्यक्षता में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग पर भारत - ताजिकिस्तान अंतर सरकारी आयोग (आई जी सी)।

- वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री की सह अध्यक्षता में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत - उज़्बेकिस्तान अंतर सरकारी आयोग

7 लैटिन अमरीकी एवं कैरेबियन देशों के साथ व्यापार

हालांकि भारत और लैटिन अमरीकी तथा कैरेबियन (एल ए सी) क्षेत्र ग्लोब के विपरीत छोरों पर स्थित हैं, फिर भी उनके संबंध सदैव घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण एवं गर्मजोशीपूर्ण रहे हैं। इस क्षेत्र के तहत 43 देश आते हैं जिसमें से 33 देश संप्रभु देश हैं और 7 देश विदेशी भूभाग हैं, इस क्षेत्र में ताजा पानी, खनिज तथा कृषि योग्य भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधन बहुतायत में उपलब्ध हैं। उपनिवेशवाद तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की दृष्टि से भारत और इस क्षेत्र के इतिहास में समानता है। कैरेबियन क्षेत्र के कुछ देशों के साथ भारतीय मूल के लोगों के रूप में भारत का एक विशेष रिश्ता है जो दोनों क्षेत्रों के बीच मैत्री एवं सूझबूझ की बहुमूल्य कड़ी के रूप में काम करते हैं।

तेजी से तथा बढ़ता हुआ वाणिज्यिक संबंध इस बात का प्रमाण है कि भारत - एल ए सी संबंध में भौगोलिक दूरी कोई बाधा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में लैटिन अमरीका के साथ भारत के संबंधों का विस्तार व्यापार एवं निवेश के क्षेत्र में सहयोग के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी हुआ है जैसे कि ऊर्जा, ज्ञान की साझेदारी तथा बहुपक्षीय मंच जैसे कि जी-20, ब्रिक्स, डब्ल्यूटीओ और इबसा (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका)।

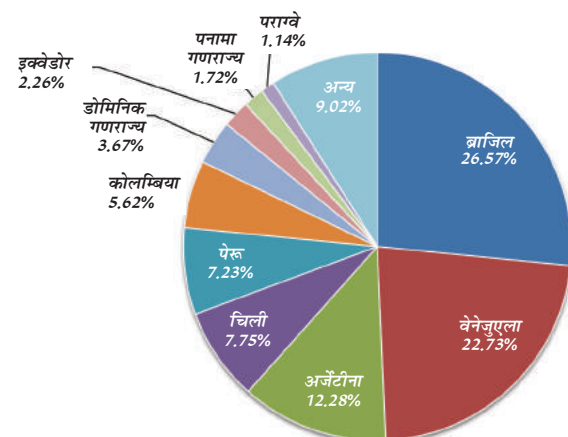
लैटिन अमरीकी एवं कैरेबियन देशों के साथ व्यापार एवं निवेश

एलएसी क्षेत्र के साथ भारत के संबंध मजबूत व्यापार एवं निवेश के संबंधों पर टिके हैं जिससे अल्प अवधि में संबंध सुदृढ़ और गहन हुए हैं। दोनों क्षेत्रों ने परस्पर लाभप्रद द्विपक्षीय साझेदारियों जो दक्षिण - दक्षिण सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, का निर्माण करने के लिए भौगोलिक दूरी से उत्पन्न बाधाओं को कड़ी मेहनत से दूर किया है। भविष्य में व्यापार की मात्रा में वृद्धि की प्रचुर गुंजाइश है क्योंकि दोनों ही क्षेत्र उर्जा एवं प्राकृतिक संसाधनों, फार्मास्यूटिकल, आटो तथा सेवा क्षेत्रों में बहुत अधिक संपूरक हैं। व्यापार में विविधता तथा नए बाजारों तक पहुंच भी भारत और एल ए सी दोनों देशों की प्राथमिकता है।

मैक्सिको (क्योंकि मैक्सिको को नाफ्टा के भाग के रूप में लिया जाता है) को छोड़कर इस क्षेत्र के साथ कुल द्विपक्षीय पण व्यापार जो 2006-07 में 9.07 बिलियन अमरीकी डॉलर का था अब बढ़कर 2016-17 में 24.52 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया जो 170.34 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान 2.62 प्रतिशत निर्यात और 4.50 प्रतिशत आयात के साथ एल ए सी क्षेत्र के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 3.71 प्रतिशत था। एलएसी के परिप्रेक्ष्य से भारत के साथ व्यापार का अंश 2016 के दौरान एलएसी क्षेत्र के वैश्विक व्यापार के केवल 2.74 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

एलएसी देशों में ब्राजील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, डोमिनिक गणराज्य, एक्वाडोर, पनामा और पराग्वे हमारे प्रमुख व्यापार साझेदार हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

देश वार कुल व्यापार 2016-17: लैक क्षेत्र के 10 प्रमुख व्यापारिक भागीदार



पिछले 10 वर्षों के दौरान एल ए सी देशों के साथ भारत के व्यापार, वर्तमान रुझानों तथा निर्यात / आयात की शीर्ष 10 वस्तुओं (पिछले 2 वर्षों के लिए) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)						
वर्ष	एलएसी को भारत का निर्यात	निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत	एलएसी क्षेत्र से भारत का आयात	आयात में वृद्धि का प्रतिशत	व्यापार संतुलन	कुल व्यापार
2007 -08	5081.66	36.24	5368.62	0.53	-286.95	10450.28
2008-09	5513.04	8.49	8240.44	53.49	-2727.40	13753.48
2009-10	5614.40	1.84	9356.30	13.54	-3741.90	14970.70
2010-11	9324.48	66.08	13042.5	39.40	-3718.03	22367.00
2011-12	12276.85	31.66	16178.56	24.04	-3901.70	28455.41
2012-13	13518.03	10.11	27497.09	69.96	-13979.07	41015.12
2013 -14	10791.60	-20.17	28128.07	2.29	-17336.47	38919.68
2014-15	11528.43	6.83	26951.76	-4.18	-15423.33	38480.19
2015-16	7530.85	-34.68	17691.79	-34.36	-10160.94	25222.63
2016-17	7230.97	-3.98	17290.63	-2.27	-10059.67	24521.60

(स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता)

मौजूदा प्रवृत्ति अप्रैल - अगस्त, 2017								
2016 -17				2017-18 (अ)				वृद्धि (प्रतिशत में)
निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार संतुलन	निर्यात आयात
2899.16	6263.11	9162.27	-3363.96	3455.93	8675.62	12131.55	-5219.68	19.20 38.52

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता)

2015-16 और 2016-17 के दौरान एल ए सी क्षेत्र को भारत से निर्यात की शीर्ष 10 वस्तुएं				
(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)				
क्र.	वस्तु	2015 -16	2016 -17	वृद्धि (प्रतिशत में)
1	मोटर वाहन / कार	691.67	852.96	23.32
2	ड्रग फार्मूलेशन, जैविक	652.32	605.55	-7.17
3	कृषि रसायन	390.48	493.19	26.3
4	मानव निर्मित धागा, कपड़े, मेडअप	375	481.3	28.35
5	दुपहिया एवं तिपहिया वाहन	433.12	351.73	-18.79
6	लोहा एवं इस्पात	241.56	299.98	24.19
7	आटो कंपोनेंट / पुर्जे	280.78	264.3	-5.87
8	थोक औषधियां, औषधि मध्यवर्ती	234.12	236.83	1.16
9	कॉटन यार्न	217.44	231.8	6.6
10	डाई	195.94	198.43	1.27
शीर्ष 10 मदों का योग		3712.43	4016.07	8.18
सभी मदों का योग		7530.69	7230.81	-3.98

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता)

2015-16 एवं 2016-17 के दौरान एल ए सी क्षेत्र से भारत द्वारा आयात की शीर्ष 10 वस्तुएं

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र.	वस्तु	2015 -16	2016 -17	वृद्धि (प्रतिशत में)	2016-17 का शेयर
1	पेट्रोलियम: क्रूड	7771.78	7226.66	-7.01	41.80
2	वनस्पति तेल	2920.55	2846.65	-2.53	16.46
3	सोना	1778.26	1634.19	-8.1	9.45
4	थोक खनिज एवं अयस्क	2176.90	1541.63	-29.18	8.92
5	चीनी	604.71	1015.38	67.91	5.87
6	पोत, नाव एवं फ्लोटिंग स्ट्रक्चर	126.44	435.7	244.59	2.52
7	लोहा एवं इस्पात	335.9	278.36	-17.13	1.61
8	अन्य लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद	256.16	267.87	4.57	1.55
9	पेट्रोलियम उत्पाद	112.95	230.48	104.05	1.33
10	कोयला, कोक और कोयले की ईंट आदि	45.65	198.9	335.75	1.15
शीर्ष 10 मर्चों का योग		16129.3	15675.82	-2.81	90.66
सभी मर्चों का योग		17691.74	17290.59	-2.27	100

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता)

एल ए सी क्षेत्र में भारत का निवेश प्राकृतिक संसाधन, फार्मास्युटिकल, आटोमोबाइल पार्ट्स, खनन, हाइड्रोकार्बन तथा आई टी / आई टी ई एस जैसे क्षेत्रों में संकेन्द्रित है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में एल ए सी क्षेत्र में भारत के निवेश में धीरे धीरे वृद्धि हुई है, परंतु भारत में एल ए सी क्षेत्र से निवेश अभी भी कम है। जैसा कि हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं, हमारे बीच मौजूद अवसरों का भरपूर उपयोग करने की दिशा में प्रयास चल रहे हैं।

फोकस: एल ए सी कार्यक्रम

एल ए सी क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को और गहन करने के उद्देश्य से शुरू में 5 साल की अवधि के लिए नवंबर, 1997 में एक एकीकृत कार्यक्रम 'फोकस एल ए सी' शुरू किया गया था। इसकी समय - समय पर अवधि बढ़ाई गई है। पिछली बार मार्च 2019 तक इसकी अवधि बढ़ाई गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापार संवर्धन के प्रयासों में लगे संगठनों अर्थात् निर्यात संवर्धन परिषद, वाणिज्य एवं उद्योग चैंबरों, आयात निर्यात बैंक, ई सी जी सी आदि को संवेदनशील बनाना, भारतीय निर्यातकों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करना तथा इस क्षेत्र के प्रमुख व्यापार साझेदारों पर अधिक बल के साथ लैटिन अमरीकी क्षेत्र पर बल देते हुए, लैटिन अमरीकी क्षेत्र में भारत के निर्यातों को बढ़ाने के लिए प्रमुख उत्पाद समूहों जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स, कारपेट तथा हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग उत्पाद एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, औषधियां एवं भेषज पदार्थों सहित रासायनिक उत्पाद शामिल हैं, पर बल देते हुए निर्यात संवर्धन के उपायों को शुरू करना है।

इस कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन तथा निर्यात संवर्धन के उपाय तैयार किए गए हैं। 2015-2020 की विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी) हमारे व्यापार बास्केट में विविधता लाने की हमारी दीर्घावधिक रणनीति के अंग के रूप में एल ए सी क्षेत्र पर विशेष बल दे रही है।

संस्थागत तंत्र

द्विपक्षीय स्तर पर व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा करने के लिए एलएसी देशों के साथ भारत के 12 संस्थागत तंत्र हैं। विदेश मंत्री के स्तर पर ब्राजील और ब्राजील के साथ द्विपक्षीय संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठकें आयोजित की जाती हैं। भारत तथा एल ए सी क्षेत्र के देशों के बीच संस्थानिक तंत्रों की सूची नीचे दी गई है:

- भारत - अर्जेंटीना संयुक्त आयोग
- भारत - अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति
- भारत - मैक्सिको संयुक्त आयोग
- भारत - ब्राजील वाणिज्यिक परिषद
- भारत - क्यूबा संयुक्त आयोग

- भारत - क्यूबा व्यापार बहाली समिति
- भारत - सूरीनाम संयुक्त आयोग
- भारत - गुआना संयुक्त आयोग
- भारत - वेनेजुएला संयुक्त आयोग
- भारत - ट्रिनिडाड संयुक्त आयोग
- भारत - ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र (टी एम एम)
- भारत - एक्वाडोर संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जे ई टी सी ओ)
- भारत - कोलंबिया संयुक्त व्यवसाय विकास सहयोग समिति (जेबीसीडीसी)

भारत के दूतावासों में वाणिज्यिक कर्मचारी

मैक्सिको को छोड़कर एल ए सी क्षेत्र में 13 पूर्ण विकसित भारतीय दूतावास हैं और एक वाणिज्य दूतावास साओ पाउलो, ब्राजील में है। वाणिज्य विभाग ने पूर्णतया व्यापार संबंधी मामलों के लिए और इस क्षेत्र से हितबद्ध भारतीय निर्यातकों और आयातकों की सहायता के लिए ब्राजील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, पेरू, पनामा और कोस्टा रिका में वाणिज्यिक पद स्वीकृत किए हैं। ये पद एलएसी क्षेत्र में विपणन सहायक मौजूदा 9 पदों से अलावा हैं।

व्यापार शिष्ट मंडलों को प्रायोजित करना / सेमिनारों / सम्मेलनों / व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

व्यापार संवर्धन के कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में शीर्ष निकायों तथा उद्योग चैंबरों की सहायता से एल ए सी क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें से कुछ कार्यक्रमों में एफआईईई ब्राजील 2017, आईफेक्स : पेरू, एफआईएचएवी, क्यूबा, हॉस्पिटलर, ब्राजील, फेडप्लास्टिक, ब्राजील, अपैरल सोर्सिंग शो, ग्वाटेमाला तथा चिली, एक्वाडोर और पेरू में क्रेंता - विक्रेता बैठकें शामिल हैं।

एलएसी क्षेत्र के साथ भागीदारी - संस्थानिक तंत्र

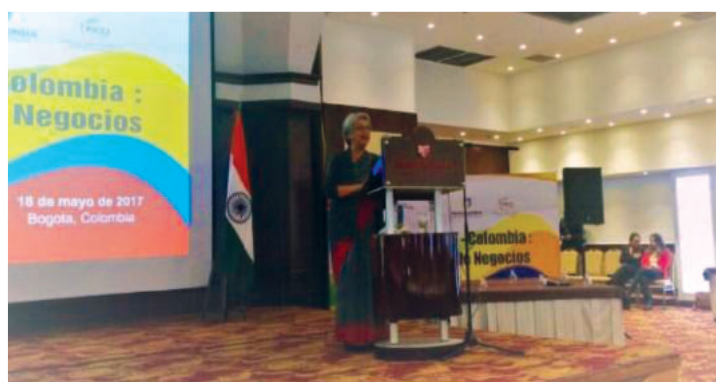
भारत - ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र (टी एम एम): भारत और ब्राजील के बीच यह तंत्र व्यापार एवं निवेश से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने और समाधान करने के लिए मंच के रूप में काम करता है। ब्रासीलिया, ब्राजील में 30 सितंबर 2016 को आयोजित भारत - ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र (टीएमएम) की चौथी बैठक के दौरान सहमति के अनुसार दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा करार को अंतिम रूप दिया है तथा शीघ्र ही इस करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा इसे कार्यान्वित किया जाएगा। आटो, खाद्य प्रसंस्करण, लेदर तथा नागरिक विमानन जैसे क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित अन्य मुद्दों को भी उठाया जा रहा है।

भारत - एक्वाडोर संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जेटको):



फिक्की तथा प्रो एक्वाडोर द्वारा ग्वयाकिल, एक्वाडोर में व्यवसाय आयोजित बैठक

19 अप्रैल 2013 को क्योटो में भारत और एक्वाडोर के बीच आर्थिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित रूपरेखा के अंदर भारत और एक्वाडोर ने परस्पर लाभ के आधार पर व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 अक्टूबर 2015 को संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जे ई टी सी ओ) की स्थापना की है। जेटको की पहली बैठक 17 मई 2017 को ग्वयाकिल, एक्वाडोर में हुई। दोनों पक्षों ने व्यापार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की तथा वे एक तरजीही व्यापार करार करने की संभावना का पता लगाने के लिए भी सहमत हुए।



कोलंबिया में व्यवसाय सभा को संबोधित करते हुए वाणिज्य सचिव

भारत - कोलंबिया संयुक्त व्यवसाय विकास सहयोग समिति (जेसीबीडीसी): भारत और कोलंबिया ने 30 अप्रैल 2010 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसने भारत की ओर से वाणिज्य सचिव और कोलंबिया की ओर से उद्यमिता विकास उप मंत्री के नेतृत्व में संयुक्त व्यवसाय विकास सहयोग समिति (जेसीबीडीसी) का गठन किया। अब तक जेसीबीडीसी की तीन बैठकें हो चुकी हैं। तीसरी बैठक 19 मई, 2017 को बगोटा, कोलंबिया में हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश के मुद्दों तथा द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों पक्ष तरजीही व्यापार करार करने की संभावना का पता लगाने के लिए भी सहमत हुए।



फिहाव 2017, हवाना, क्यूबा में भारतीय मंडप का उद्घाटन

यात्राएं

माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की क्यूबा एवं पनामा यात्रा : माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2017 के दौरान क्यूबा का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने क्यूबा और पनामा में अपने समकक्षों के साथ अनेक द्विपक्षीय बैठकें की। उन्होंने क्यूबा में हैती और बारबडोस के अपने समकक्ष व्यापार मंत्रियों के साथ अलग से द्विपक्षीय बैठकें भी की जिनके साथ उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने क्यूबा के ऊर्जा मंत्री तथा प्रथम विदेश व्यापार एवं निवेश उप मंत्री श्री एंटोनियो कैरीकार्टे कोरोना के साथ फिहाव 2017 में 30 अक्टूबर 2017 को भारतीय मंडप का उद्घाटन भी किया। सेक्टरल बैठकों के अलावा एफआईआईओ के व्यवसाय शिष्टमंडल ने क्यूबा और पनामा में व्यवसाय दर व्यवसाय बैठकें भी की जिसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने व्यवसाय सभा को संबोधित किया।

भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (एफआईआईओ) तथा इन देशों के संबंधित चैंबरों के बीच क्यूबा, बारबडोस, गुआना और पनामा के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए अलग से समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।



पनामा के राष्ट्रपति जुआन कार्लोस वारेला के साथ माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री



हैती गणराज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री डॉ. पियरे मैरी डु मेनी के साथ माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

हैती गणराज्य के वर्तमान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री डॉ. पियरे मैरी डु मेनी एक प्रशिक्षित डाक्टर हैं जिन्होंने हैती के राजकीय विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है।

फोकस: एल ए सी कार्यक्रम

एल ए सी क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को और गहन करने के उद्देश्य से शुरू में 5 साल की अवधि के लिए नवंबर, 1997 में एक एकीकृत कार्यक्रम 'फोकस एल ए सी' शुरू किया गया था। इसकी समय - समय पर अवधि बढ़ाई गई है। पिछली बार मार्च 2019 तक इसकी अवधि बढ़ाई गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापार संवर्धन के प्रयासों में लगे संगठनों अर्थात निर्यात संवर्धन परिषद, वाणिज्य एवं उद्योग चैंबरों, आयात निर्यात बैंक, ई सी जी सी आदि को संवेदनशील बनाना, भारतीय निर्यातकों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करना तथा इस क्षेत्र के प्रमुख व्यापार साझेदारों पर अधिक बल के साथ लैटिन अमरीकी क्षेत्र पर बल देते हुए, लैटिन अमरीकी क्षेत्र में भारत के निर्यातों को बढ़ाने के

लिए प्रमुख उत्पाद समूहों जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स, कारपेट तथा हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग उत्पाद एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर, औषधियों एवं भेषज पदार्थों सहित रासायनिक उत्पाद शामिल हैं, पर बल देते हुए निर्यात संवर्धन के उपायों को शुरू करना है।

इस कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन तथा निर्यात संवर्धन के उपाय तैयार किए गए हैं। 2015-2020 की विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी) हमारे व्यापार बास्केट में विविधता लाने की हमारी दीर्घावधिक रणनीति के अंग के रूप में एल ए सी क्षेत्र पर विशेष बल दे रही है।

भारत - मर्कोसुर पी टी ए

भारत ने 25 जनवरी 2004 को 4 मूल सदस्यों (अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे) के साथ एक तरजीही व्यापार करार (पी टी ए) पर 5 अनुबंधों के साथ हस्ताक्षर किए, जो 1 जून 2009 से प्रभावी हुआ। विद्यमान तरजीही व्यापार करार में भारत ने 450 टैरिफ लाइनों पर मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस (एम ओ पी) की पेशकश की है तथा मर्कोसुर ने 452 टैरिफ लाइनों पर एम ओ पी की पेशकश की है। संपूरकताओं का पता लगाने तथा द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि से लाभ उठाने के लिए भारत और मर्कोसुर के लिए मौजूद प्रचुर संभावना के रूप में विद्यमान भारत - मर्कोसुर तरजीही व्यापार करार का विस्तार किया जा रहा है।

भारत - चिली पी टी ए का विस्तार:

20 जनवरी 2005 को हस्ताक्षरित रूपरेखा करार के अनुवर्तन के रूप में 8 मार्च 2006 को भारत - चिली तरजीही व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए जो चिली में 17 अगस्त 2007 से और भारत में 11 सितंबर 2007 को प्रभावी हुआ। इस तरजीही व्यापार करार के तहत भारत और चिली ने 8 डिजिट स्तर पर क्रमशः 178 और 296 टैरिफ लाइनों पर मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस (एम ओ पी) की पेशकश की है। विद्यमान भारत - चिली तरजीही व्यापार करार का विस्तार किया गया है। भारत - चिली तरजीही व्यापार करार के विस्तार पर करार पर 6 सितंबर 2016 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए तथा यह 16 मई 2017 से प्रभावी हुआ है।



विस्तारित भारत - चिली तरजीही व्यापार करार का आदान प्रदान

प्रशांत गठबंधन के साथ भागीदारी

वर्ष 2013 में गठित प्रशांत गठबंधन एक महत्वपूर्ण एवं उभरता व्यापार ब्लाक है जिसमें मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू और चिली शामिल हैं। प्रशांत गठबंधन ने फरवरी, 2014 में भारत को 'प्रेक्षक का दर्जा' प्रदान किया। प्रशांत गठबंधन के प्रेक्षक सदस्य के रूप में भारत ने पराकास, पेरू में 2 जुलाई 2015 को आयोजित मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया जहां भारत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, अवसरंचना, पर्यावरण तथा एस एम ई के क्षेत्रों में वार्ता शुरू करके प्रशांत गठबंधन के साथ भागीदारी के लिए अपनी रुचि प्रदर्शित की। प्रशांत गठबंधन की पिछली मंत्री स्तरीय बैठक कैली, कोलंबिया में 26 से 30 जून, 2017 के दौरान हुई। बगोटा, कोलंबिया में हमारे राजदूत ने बैठक में भाग लिया।

चल रही पहलें

भारत - पेरू व्यापार करार: व्यापार करार करने की संभावना का पता लगाने के लिए भारत और पेरू के बीच गठित संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) पर दोनों पक्षों द्वारा 20 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर किए गए। 18 जनवरी 2017

को मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद पेरू के साथ माल, सेवाओं में व्यापार तथा निवेश पर करार करने के लिए वार्ता आरंभ हुई। 8 मार्च 2017 को व्यापार करार के लिए विचारार्थ विषयों (टीओआर) को अंतिम रूप दिया गया। वार्ता के पहले चक्र का आयोजन 8 से 11 अगस्त, 2017 के दौरान नई दिल्ली में हुआ था।

भारत - मर्कासुर तरजीही व्यापार करार का विस्तार: 25 जनवरी 2004 को हस्ताक्षरित तथा 1 जून 2009 को प्रभावी मौजूदा तरजीही व्यापार करार का विस्तार किया जा रहा है क्योंकि द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि से संपूरकताओं एवं लाभों का पता लगाने के लिए भारत और मर्कासुर के लिए पर्याप्त संभावना मौजूद है।

भारत - एक्वाडोर व्यापार करार: 17 मई 2017 को एक्वाडोर में वाणिज्य सचिव की सह अध्यक्षता में आयोजित संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की पहली बैठक के अनुवर्तन के रूप में दोनों पक्ष संयुक्त अध्ययन के माध्यम से एक तरजीही व्यापार करार करने की संभावना का पता लगाने के लिए सहमत हुए।

भारत - कोलंबिया व्यापार करार: 19 मई 2017 को बगोटा, कोलंबिया में आयोजित भारत - कोलंबिया संयुक्त व्यवसाय विकास सहयोग समिति की तीसरी बैठक के दौरान दोनों पक्ष व्यापार करार के लिए अपनाई जाने वाली संभावित रूपरेखा का पता लगाने के लिए सहमत हुए। 8 नवंबर 2017 को कोलंबिया के वाणिज्य, उद्योग एवं पर्यटन मंत्री के नेतृत्व में एक शिफ्टिमंडल तथा माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के आयोजित बैठक में दोनों पक्षों ने संयुक्त अध्ययन के माध्यम से माल एवं सेवाओं में तरजीही व्यापार करार की संभावना का पता लगाने का निर्णय लिया है।

एलएसी के लिए रणनीति: एलएसी क्षेत्र में व्यापार और निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना अनुसंधान प्रणाली (आरआईएस) को वाणिज्य विभाग की एमएआई योजना के तहत 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से एक अध्ययन सौंपा गया है।

ऋण सहायता

एग्जिम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों तथा अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण सहायता (एल ओ सी) प्रदान करता है ताकि उन देशों के क्रेता ऋण की आस्थितिगत शर्तों पर भारत से माल एवं सेवाओं का आयात कर सकें। वित्त पोषण का यह तंत्र भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से एस एम ई को गैर अवलंब वित्त पोषण का एक सुरक्षित तरीका प्रदान करता है और बाजार में प्रवेश करने के एक कारगर साधन के रूप में काम करता है।

एग्जिम बैंक के अनुसार, 2016-17 के दौरान एल ए सी क्षेत्र में बैंकों / सरकारों के लिए प्रचालन की 21 क्रेडिट लाइनें हैं।

ई सी जी सी सुरक्षा कवर

भारत निर्यात ऋण गारंटी निगम (ई सी जी सी) जोखिम के लिए अंक प्रदान करने की विधि के आधार पर इन देशों की ग्रेडिंग की आवधिक आधार पर व्यापक समीक्षा करता है। एल ए सी क्षेत्र पर ई सी जी सी देश जोखिम और बीमा पॉलिसी (जिसकी समीक्षा 30 सितंबर, 2017 को की गई) के अनुसार लैटिन अमरीका के (17) देशों को ए 1 और ए 2 की कम जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है। एलएसी क्षेत्र के 18 देशों को 'बी1' और 'बी2' की साधारण जोखिम श्रेणियों में रखा गया है। एलएसी क्षेत्र के दो देशों को अधिक जोखिम की 'सी1' श्रेणी में रखा गया है। केवल वेनेजुएला को बहुत अधिक जोखिम वाली श्रेणी (घ) में रखा गया है। कवर का ब्यौरा ई सी जी सी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

8 उप सहारा अफ्रीका (एसएसए) क्षेत्र में देशों के साथ व्यापार

आजादी के समय से ही उप सहारा अफ्रीका (एस एस ए) क्षेत्र जिसमें पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी अफ्रीका के देश शामिल हैं, के देशों के साथ भारत के सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण व्यापार संबंध रहे हैं। वर्ष 2012-2013 से एसएसए क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है।

2015-16 एवं 2016-17 के दौरान एल ए सी क्षेत्र से भारत द्वारा आयात की शीर्ष 10 वस्तुएं

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	वार्षिक विकास दर - कुल व्यापार (प्रतिशत में)
2012-2013	23,461	34,387	57,848	2.15
2013-2014	25,785	31,518	57,303	-0.94
2014-2015	27,130	34,569	61,699	7.67
2015-2016	20,431.83	28,774.49	49,206.30	-20.25
2016-2017	18,722.06	25,915.52	44,637.57	-9.28
अप्रैल - नवंबर 2016-17	12,113.65	15,901.79	28,015.44	-
अप्रैल - नवंबर 2017-18	12,902.96	21,526.58	34,429.54	22.89

स्रोत, डीजीएफटी

2017-18 (अप्रैल - नवंबर) के दौरान एस एस ए क्षेत्र के देशों के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 34,429.54 मिलियन अमरीकी डालर था, जिसमें निर्यात का हिस्सा 12,902.96 मिलियन अमरीकी डालर है और आयात 21,526.58 मिलियन अमरीकी डालर है।

2016-17 (अप्रैल - नवंबर) के दौरान 12008.45 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2017-18 (अप्रैल - नवंबर) के दौरान पश्चिम अफ्रीका के देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 15,328.27 मिलियन अमरीकी डालर था। 2017-18 (अप्रैल- नवम्बर) के दौरान चावल (बासमती से भिन्न), ड्रग फार्मूलेशन, बायोलाजिकल, कॉटन फैब्रिक, मेडअप आदि, मोटर वाहन / कार, पेट्रोलियम उत्पाद, डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी, दुपहिया एवं तिपहिया वाहन, मानव निर्मित धागे, फैब्रिक, मेडअप, पोत, नाव एवं प्लावन संरचनाएं निर्यात की प्रमुख मर्दे थीं।

2017-18 (अप्रैल - नवंबर) के दौरान क्रूड पेट्रोलियम, गोल्ड, पेट्रोलियम उत्पाद, काजू, अजैविक रसायन, अपशिष्ट सहित कच्ची कपास, बल्क मिनरल एवं अयस्क, अन्य, लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद, लोहा एवं इस्पात, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद आयात की प्रमुख मर्दे थी।

2016-17 (अप्रैल - नवम्बर) के दौरान 9827.72 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2017-18 (अप्रैल - अक्टूबर) के दौरान दक्षिण अफ्रीका के देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार 13319.32 मिलियन अमरीकी डालर था।

2017-18 (अप्रैल - नवंबर) के दौरान पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर वाहन / कार, ड्रग फार्मूलेशन, बायोलाजिकल, मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थर, असेसरीज सहित रेडीमेड कॉटन, आटो कंपोनेंट / पार्ट्स, ड्रग इंटरमीडिएट, डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी, लोहा एवं इस्पात के उत्पाद, चावल (बासमती से भिन्न) निर्यात की प्रमुख मर्दे थी। 2017-18 (अप्रैल - नवंबर) के दौरान कोयला, कोक एवं ब्रिकेट आदि, पेट्रोलियम (क्रूड), मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थर, कॉपर तथा कॉपर के बने उत्पाद, गोल्ड, बल्क मिनरल एवं अयस्क, लुग्दी तथा अपशिष्ट कागज, पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा एवं इस्पात, लौह अयस्क, आईसी इंजन एवं पुर्जे, अन्य कीमती तथा बेस मेटल आयात की प्रमुख मर्दे थी।

2016-17 (अप्रैल - नवम्बर) के दौरान 5,223.73 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2017-18 (अप्रैल - नवंबर) के दौरान पूर्वी अफ्रीका के देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार 4739.89 मिलियन अमरीकी डालर था। 2017-18 (अप्रैल- नवंबर) के दौरान पेट्रोलियम उत्पाद, ड्रग फार्मूलेशन, बायोलाजिकल, चावल (बासमती से भिन्न), लोहा एवं इस्पात, चीनी, डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी, मोटर वाहन / कार, पेपर, पेपर बोर्ड एवं उत्पाद, दुपहिया एवं तिपहिया वाहन निर्यात की प्रमुख मर्दे थी। 2017-18 (अप्रैल - नवंबर) के दौरान गोल्ड, दालें, मसाले, प्लाईवुड तथा संबद्ध उत्पाद, मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थर, अजैविक रसायन, अन्य वस्तुएं, कॉपर तथा कॉपर के बने उत्पाद, काजू आयात की प्रमुख मर्दे थी।

2016-17 (अप्रैल - नवम्बर) के दौरान 955.54 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2017-18 (अप्रैल - नवंबर) के दौरान मध्य अफ्रीका के देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार 1042.07 मिलियन अमरीकी डालर था। 2017-18 (अप्रैल

- नवंबर) के दौरान ड्रग फार्मूलेशन, बायोलाजिकल, दुपहिया एवं तिपहिया वाहन, डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी, कॉटन फैब्रिक, मेडअप आदि, इलेक्ट्रिक मशीनरी एवं उपकरण, लोहा एवं इस्पात के उत्पाद, प्लास्टिक शीट, फिल्म, प्लेट आदि निर्यात की प्रमुख मर्दे थी। 2017-18 (अप्रैल - नवंबर) के दौरान बल्क मिनरल एवं अयस्क, मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थर, कॉफी, अपशिष्ट सहित कच्ची कपास, कोको उत्पाद, अन्य वस्तुएं, दालें, लीड तथा लीड से बने उत्पाद, अन्य, लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद आयात की प्रमुख मर्दे थी।

भारत और एसएससीयू (दक्षिण अफ्रीकी की सीमा शुल्क संघ) तरजीही व्यापार करार (पीटीए)

दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (एस ए सी) में 5 देश नामतः बोत्सवाना, लेसोथो, नामिबिया, स्वाजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। भारत और एस ए सी यू (दक्षिण अफ्रीकी की सीमा शुल्क संघ) तरजीही व्यापार करार (पी टी ए) के लिए वार्ता कर रहे हैं। आज तक पी टी ए के लिए 5 चक्र की वार्ता हो चुकी है।

पी टी ए पर बातचीत करने के लिए निम्नलिखित दो कार्य समूह गठित किए गए हैं:

- क) बाजार पहुंच पर कार्य समूह जिसके तहत दो उप समूह शामिल हैं अर्थातः
- उप समूह 1 माल में व्यापार के लिए बाजार पहुंच के लिए जिम्मेदार है
 - उप समूह 2 उद्गम के नियमों तथा सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है।
- ख) कानूनी एवं संस्थानिक मुद्दों पर कार्य समूह जो पी टी ए के पाठ की कानूनी विविक्षा, विवाद निस्तारण, एस पी एस एवं टी बी टी उपायों तथा सुरक्षायां एवं व्यापार निदानों के लिए जिम्मेदार है।

द्विपक्षीय सहयोग

भारत - तंजानिया संयुक्त व्यापार समिति की चौथी बैठक 29 अगस्त 2017 को नई दिल्ली, भारत में हुई थी। माननीय सुश्री निर्मला सीतारमन, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। तंजानिया संयुक्त गणराज्य की सरकार में उद्योग, व्यापार और निवेश मंत्री श्री चार्ल्स जॉन मवीजाजे ने तंजानिया के शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा मणि एवं आभूषण, तेल एवं प्राकृतिक गैस, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास, खनन, सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी, रेलवे, समद्री सहयोग, कृषि आदि पर सेक्टरल सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति हुई।

भारत गणराज्य की सरकार तथा इथोपिया संघीय गणराज्य की सरकार के बीच व्यापार करार पर हस्ताक्षर 5 अक्टूबर 2017 को किए गए हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1 नवंबर 2017 को इस करार पर कार्यान्तर मंजूरी प्रदान की है।

9 और 10 मार्च 2017 को नई दिल्ली में भारत - अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर आयोजित 12वीं सीआईआई - एग्जिम बैंक गोष्ठी के दौरान युगांडा के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. रुहकाना रुगांडा ने माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से युगांडा में इसी तरह की गोष्ठी आयोजित करने का अनुरोध किया था।

गोष्ठी आयोजित करने के लिए युगांडा के प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अनुरोध पर माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने प्रतिबद्धता की थी। तदनुसार कंपाला, युगांडा में 20 और 21 नवंबर 2017 को भारत और पूर्वी अफ्रीका “विकास में साझेदार” पर सीआईआई – एग्जिम बैंक की क्षेत्रीय गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।

2 जुलाई 2009 को भारत सरकार ने भारत – मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी करार (सी ई सी पी ए) वार्ता पर तब तक औपचारिक रूप से रोक लगाने का निर्णय लिया जब तक कि मॉरीशस भारत – मॉरीशस दोहरा कराधान परिहार अभिसमय (डी टी ए सी) पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं हो जाता है। 10 मई 2016 को दोहरा कराधान परिहार अभिसमय पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मॉरीशस के प्राधिकारियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने तथा भारत – मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी करार (सी ई सी पी ए) को आगे बढ़ाने पर विचार करने के उद्देश्य से एक भारतीय शिष्टमंडल ने सितंबर 2016 में मॉरीशस का दौरा किया। संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 27 और 28 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में भारत – मारीशस सीईसीपीए की दूसरी बैठक हुई। भारत – मारीशस सीईसीपीए की तीसरी बैठक पोर्टलुइस, मारीशस में 22 से 24 जनवरी 2018 के दौरान आयोजित की जानी है।

9 पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका (वाना) क्षेत्र के साथ व्यापार

पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका (वाना) क्षेत्र के अंतर्गत 19 देश आते हैं। ये इस प्रकार हैं:

- खाड़ी सहयोग परिषद (जी सी सी) के 6 देश (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात)
- पश्चिम एशिया के 6 देश (इराक, इजरायल, जार्डन, लेबनान, यमन एवं सीरिया), और
- उत्तरी अफ्रीका के 7 देश (अल्जीरिया, मिस्र, लिबिया, मोरक्को, सूडान, दक्षिणी सूडान एवं ट्यूनिशिया)।

2016-17 के दौरान वाना देशों के साथ भारत का कुल व्यापार 124.34 बिलियन अमरीकी डॉलर (विश्व के साथ भारत के कुल व्यापार का 18.83 प्रतिशत) था, जबकि 2015-16 में यह 123.92 बिलियन अमरीकी डॉलर (विश्व के साथ भारत के कुल व्यापार का 19.26 प्रतिशत) था। यद्यपि 2016-17 में वाना देशों को भारत का कुल निर्यात 51.68 बिलियन अमरीकी डॉलर था और इस अवधि के दौरान भारत का आयात 72.67 बिलियन अमरीकी डॉलर था अर्थात् वाना देशों के साथ भारत का व्यापार संतुलन घाटे में है।

विश्व को भारत के कुल निर्यात के प्रतिशत के रूप में वाना देशों को भारत के निर्यात का हिस्सा 2016-17 में लगभग 18.73 प्रतिशत था। विश्व से भारत के कुल आयात में वाना क्षेत्र का हिस्सा 2016-17 में 18.91 प्रतिशत था। वर्ष 2016-17 के दौरान वाना देशों को हमारे निर्यात में 0.59 प्रतिशत की वृद्धि और आयात में 0.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2017-18 (अंतिम) में अप्रैल से अगस्त की अवधि के दौरान वाना क्षेत्र के साथ भारत के कुल व्यापार में अप्रैल – अगस्त (2016-17) की समतुल्य अवधि की तुलना में 7.78 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान निर्यात में 1.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि आयात में 15.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वाना क्षेत्र में भारत निर्यात के लिए स्थानों में से जीईसी के देशों में से संयुक्त अरब अमीरात प्रथम स्थान की श्रेणी आता है। वाना क्षेत्र में अन्य मुख्य गंतव्यों में सऊदी अरब, इजरायल, मिस्र और ओमान शामिल हैं।

2016-17 के दौरान वाना क्षेत्र को निर्यात के लिए भारत की शीर्ष 10 वस्तुएं

- 1) **पश्चिम एशिया – जी सी सी क्षेत्र:** इस क्षेत्र को भारत से निर्यात की शीर्ष 10 वस्तुओं में गोल्ड (14.24 प्रतिशत), पेट्रोलियम उत्पाद (13.45 प्रतिशत), गोल्ड तथा अन्य बहुमूल्य मेटल ज्वैलरी (12.93 प्रतिशत), मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थर (5.45 प्रतिशत), मानव निर्मित फाइबर के रेडीमेड गा. रमेंट (4.80 प्रतिशत), बासमती चावल (3.50 प्रतिशत), पोत, नाव तथा तैरने वाली संरचनाएं (3.32 प्रतिशत), असेसरीज सहित कॉटन के रेडीमेड गारमेंट (3.19 प्रतिशत), लोहा एवं इस्पात के उत्पाद (2.97 प्रतिशत), अन्य टेक्सटाइल सामग्री के रेडीमेड गारमेंट (2.71 प्रतिशत) शामिल हैं। 2016-17 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों (-11.72 प्रतिशत), बासमती चावल (-12.23 प्रतिशत), असेसरीज सहित कॉटन के रेडीमेड गारमेंट (8.67 प्रतिशत) के निर्यात ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।
- 2) **पश्चिम एशिया के अन्य क्षेत्र:** इस क्षेत्र को भारत से निर्यात की जाने

वाली शीर्ष 10 वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद (16.80 प्रतिशत), बासमती चावल (13.94 प्रतिशत), मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थर (12.83 प्रतिशत), ड्रग फार्मुलेशन, बायोलाजिकल (3.13 प्रतिशत), भैंस का मांस (2.53 प्रतिशत), ब्लक (ड्रग, ड्रग इंटरमीडिएट (2.50 प्रतिशत), मानव निर्मित धागे, फैब्रिक, मेडअप (2.35 प्रतिशत), चावल (बासमती से भिन्न) (2.30 प्रतिशत), अवशिष्ट रसायन एवं संबद्ध उत्पाद (2.10 प्रतिशत), लोहा एवं इस्पात के उत्पाद (1.86 प्रतिशत) शामिल हैं।

2016-17 के दौरान बासमती चावल (-0.17 प्रतिशत), मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थर (-0.53 प्रतिशत), भैंस का मांस (-10.25 प्रतिशत) ब्लक, ड्रग, ड्रग इंटरमीडिएट (-30.02 प्रतिशत), लोहा एवं इस्पात के उत्पाद (-37.03 प्रतिशत) के निर्यात ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

- 3) **उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र:** इस क्षेत्र को भारत की ओर से निर्यात की जाने वाली शीर्ष 10 वस्तुएं तथा उनका शेयर इस प्रकार है : भैंस का मांस (9.3 प्रतिशत), मोटर वाहन / कार (7.80 प्रतिशत), मानव निर्मित यार्न, फै. ब्रिक, मेडअप (5.50 प्रतिशत), ड्रग फार्मुलेशन, बायोलाजिकल (4.22 प्रतिशत), डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी (4.12 प्रतिशत), सूती धागे (3.86 प्रतिशत), प्लास्टिक की कच्ची सामग्री (3.76 प्रतिशत), चीनी (3.50 प्रतिशत), ब्लक ड्रग, ड्रग इंटरमीडिएट (3.38 प्रतिशत), इलेक्ट्रिक मशीनरी एवं उपकरण (3.27 प्रतिशत)।

2016-17 के दौरान भैंस का मांस (-13.29 प्रतिशत), मोटर वाहन / कार (-6.41 प्रतिशत), मानव निर्मित धागे, फैब्रिक, मेडअप (-6.13 प्रतिशत), ड्रग फार्मुलेशन (-9.30 प्रतिशत), डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी (-0.17 प्रतिशत), कॉटन यार्न (-15.68 प्रतिशत), चीनी (-10.10 प्रतिशत), ब्लक (ड्रग, ड्रग इंटरमीडिएट (-10.81 प्रतिशत) के निर्यात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।

मध्य पूर्व के देशों के लिए भारत से निर्यात की 5 शीर्ष संभावित वस्तुएं

- 1) **जोसीसी देश:** इस क्षेत्र के लिए भारत से निर्यात की 5 शीर्ष संभावित वस्तुएं इस प्रकार हैं : पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं ज्वैलरी की मर्दें (ज्वैलरी, गोल्ड, डायमंड आदि की वस्तुएं), इंजीनियरिंग उत्पाद (वाहन, एयरक्राफ्ट, वेजल तथा संबद्ध परिवहन उपकरण, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, टग तथा पुशर क्राफ्ट आदि), फार्मास्युटिकल उत्पाद (रोगहर या प्रोफीलेक्टिक प्रयोजन के लिए मिश्रित या गैर मिश्रित उत्पादों से युक्त मेडिकामेंट) और चावल (अर्ध कुटे या पूर्णतः कुटे चावल)।
- 2) **मध्य पूर्व के अन्य देश:** इस क्षेत्र के लिए भारत से निर्यात की 5 शीर्ष संभावित वस्तुएं इस प्रकार हैं : पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं ज्वैलरी की मर्दें (ज्वैलरी की वस्तुएं, गोल्ड, डायमंड, तराशे गए परंतु माउंट या सेट किए गए न हों), फार्मास्युटिकल उत्पाद (रोगहर या प्रोफीलेक्टिक प्रयोजनों के लिए मिश्रित या गैर मिश्रित उत्पादों से युक्त मेडिकामेंट), और चावल (अर्ध कुटे या पूर्णतः कुटे चावल), केन या बीट शुगर और इंजीनियरिंग उत्पाद (वाहन, एयरक्राफ्ट, वेजल तथा संबद्ध परिवहन उपकरण, पाटर्स तथा असेसरीज, ट्रैक्टर, मोटर वाहन आदि के लिए)।

2016-17 के दौरान वाना क्षेत्र से भारत के आयात की शीर्ष 10 वस्तुएं

- 1) **पश्चिम एशिया – जी सी सी क्षेत्र:** इस क्षेत्र से भारत द्वारा आयात की जाने वाली शीर्ष 10 वस्तुएं तथा उनका शेयर इस प्रकार है: पेट्रोलियम क्रूड (45.78 प्रतिशत), पेट्रोलियम उत्पाद (18.78 प्रतिशत), मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थर (10.23 प्रतिशत), सोना (5.91 प्रतिशत), जैविक रसायन (4.65 प्रतिशत), प्लास्टिक कच्चा माल (3.50 प्रतिशत), एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद (1.74 प्रतिशत), विनिर्मित उर्वरक (1.64 प्रतिशत), कॉपर तथा कॉपर से बने उत्पाद (1.18 प्रतिशत), ब्लक मिनरल एवं अयस्क (0.70 प्रतिशत)। 2015-16 के दौरान पेट्रोलियम उत्पाद (-10.48 प्रतिशत), गोल्ड (-3.95 प्रतिशत), प्लास्टिक की कच्ची सामग्री (-0.42 प्रतिशत), विनिर्मित उर्वरक (-20.44 प्रतिशत), कॉपर तथा कॉपर से बने उत्पाद (-10.50 प्रतिशत) के आयात ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।
- 2) **पश्चिम एशिया के अन्य क्षेत्र:** इस क्षेत्र से भारत द्वारा आयात की जाने वाली शीर्ष 10 वस्तुएं तथा उनका शेयर इस प्रकार है : कच्चा पेट्रोलियम (81.89 प्रतिशत), मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थर (4.44 प्रतिशत), विनिर्मित उर्वरक (2.70 प्रतिशत), अजैविक रसायन (2.27 प्रतिशत), कच्चा उर्वरक (1.19 प्रतिशत), डाई इंटरमीडिएट (1.14 प्रतिशत), जैविक रसायन (0.96 प्रतिशत), ताजे फल (0.83 प्रतिशत), प्लास्टिक की कच्ची सामग्री (0.46 प्रतिशत)। 2016-17 के दौरान विनिर्मित उर्वरक (-17.95 प्रतिशत), अजैविक रसायन

2015-16 और 2016-17 के दौरान भारत तथा वाना क्षेत्र के देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार

मिलियन अमरीकी डालर में

क्र. सं. देश	2015 -2016			2016 -2017			वृद्धि (प्रतिशत में)	
	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	निर्यात
1 अल्जीरिया	787.8	299.4	1087.2	488.4	841.9	605.1	236.8	6.9
2 बहरीन	654.1	356.9	1011.0	297.2	471.7	290.7	181.0	-27.9
3 मिस्र	2337.7	1221.2	3558.9	1116.5	2067.4	1163.8	903.6	-11.6
4 इराक	1004.4	10837.6	11842.0	-9833.2	1111.5	11707.9	-10596.5	10.7
5 इजरायल	2821.2	2095.3	4916.6	725.9	3087.2	1961.1	1126.1	9.4
6 जॉर्डन	499.8	853.1	1352.9	-353.4	522.4	828.2	-305.8	4.5
7 कुवैत	1247.5	4969.7	6217.2	-3722.2	1498.0	4462.3	-2964.3	20.1
8 लेबनान	239.6	27.6	267.2	211.9	210.7	30.2	180.4	-12.1
9 लीबिया	122.6	8.9	131.4	113.7	120.1	7.5	112.6	-2.1
10 मोरक्को	342.2	1077.6	1419.8	-735.4	373.9	792.9	-419.0	9.3
11 ओमान	2190.8	1674.7	3865.5	516.1	2728.3	1290.5	1437.8	24.5
12 कतर	902.0	9022.2	9924.2	-8120.1	784.6	7646.2	-6861.7	-13.0
13 सऊदी अरब	6394.5	20321.3	26715.8	-13926.9	5110.3	19972.4	-14862.1	-20.1
14 सूडान	782.4	149.2	931.6	633.2	748.7	245.2	503.6	-4.3
15 दक्षिण सूडान			0.0	0.0	3.2	0.2	3.1	
16 सीरिया	136.8	40.5	177.4	96.3	121.7	32.3	89.5	-11.0
17 ट्यूनीशिया	222.4	136.5	358.9	85.9	255.4	114.8	140.6	14.9
18 यूएई	30290.0	19445.7	49735.7	10844.3	31175.5	21509.8	9665.7	2.9
19 यमन	399.8	6.9	406.7	392.9	446.1	4.8	441.3	11.6
कुल-भारत का शेयर (प्रतिशत में) 51375.5	72544.3	123919.8	-21168.8	51678.5	72665.9	124344.3	-20987.4	0.6
0.2								

(-14.52 प्रतिशत), कच्चा उर्वरक (-28.08 प्रतिशत), डाई इंटरमीडिएट (-13.28 प्रतिशत), दूरसंचार के उपकरण (-20.96 प्रतिशत), प्लास्टिक की कच्ची सामग्री (-35.76 प्रतिशत) के आयात ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

- 3) **उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र:** इस क्षेत्र से भारत द्वारा आयात की जाने वाली शीर्ष 10 वस्तुएं तथा उनका शेयर इस प्रकार है: कच्चा पेट्रोलियम (44.42 प्रतिशत), अजैविक रसायन (22.47 प्रतिशत), कच्चा उर्वरक (10.18 प्रतिशत), पेट्रोलियम उत्पाद (2.97 प्रतिशत), दलहन (2.45 प्रतिशत), अपशिष्ट सहित कच्चा कपास (2.05 प्रतिशत), अन्य वस्तुएं (1.78 प्रतिशत), तिल (1.28 प्रतिशत), ताजे फल (1.05 प्रतिशत)। 2016-17 के दौरान जैविक रसायन (-29.18 प्रतिशत), कच्चा उर्वरक (-24.08 प्रतिशत), पेट्रोलियम उत्पाद (-47.25 प्रतिशत), अन्य वस्तुओं (-19.29 प्रतिशत) के आयात ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

संस्थानिक व्यवस्थाएं

द्विपक्षीय बैठकों, संयुक्त आयोग की बैठकों या संयुक्त व्यापार एवं आर्थिक समिति की बैठकों में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

सी आई आई, फिक्की, एफ आई ई ओ, एसोचैम आदि जैसे शीर्ष व्यापार निकाय संयुक्त व्यवसाय परिषद (जे बी सी) के तंत्र के माध्यम से व्यापार में सहायता के लिए व्यावसायिक शिष्टमंडलों को प्रायोजित करते हैं।

वाणिज्य विभाग द्वारा जिन संयुक्त आयोगों का संचालन किया जा रहा है उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

शुरू करने के लिए व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति (टी ई आर सी) से अधिदेश प्राप्त करने के बाद जी सी सी के साथ वार्ता शुरू हुई। अब तक 2006 और 2008 में वार्ता के दो दौर पूरे हो चुके हैं। चूंकि खाड़ी सहयोग परिषद ने सभी देशों एवं आर्थिक समूहों के साथ अपनी वार्ता आस्थगित कर दी है, इसलिए पिछले 9 वर्षों में वार्ता के किसी और दौर का आयोजन नहीं हुआ है तथा इस समय सभी देशों एवं आर्थिक समूहों के साथ यह अपनी वार्ता की समीक्षा कर रही है।

पहलें:

वर्ल्ड एक्सपो 2020, दुबई

दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 20 अक्टूबर 2020 से 10 अप्रैल 2021 तक आयोजित होने वाले वर्ल्ड एक्सपो 2020 में भारत की भागीदारी से संबंधित प्रस्ताव पर विभाग में सक्रियता से विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव में निम्नलिखित शामिल हैं:

- उक्त वर्ल्ड एक्सपो 2020 में भारत की कारगर भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यों तथा विभिन्न प्रमुख मंत्रालयों / विभागों को शामिल करते हुए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन।
- भारत की भागीदारी के लिए फोकस वाले क्षेत्रों तथा विषयों का चयन / अंतिम रूप देना
- भारत की भागीदारी के स्तर तथा तदनुसार निर्मित किए जाने वाले भारतीय मंडप के आकार को अंतिम रूप देना
- एक्सपो में भागीदारी के लिए राज्यों तथा अन्य हितधारकों की भागीदारी
- कार्यक्रम के प्रमुख प्रदर्शों, रोडमैप तथा निगरानी को मंजूरी प्रदान करना
- भारत के महायुक्त के रूप में विशेष सचिव / अपर सचिव स्तर के किसी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित जे सी एम / जे टी ई सी की सूची

क्र. सं.	देश का नाम	समिति	अध्यक्षता	पिछली बैठक की तिथि	अगली बैठक
1	अल्जीरिया	संयुक्त आयोग:	सी एंड आई एम	25 - 26 मई 2015, अल्जीयर्स	निर्धारित होनी है
2	सीरिया	संयुक्त आयोग:	सी एंड आई एम	10 जून 2010, दमिश्क	निर्धारित होनी है
3	इजरायल	संयुक्त व्यापार एवं आर्थिक समिति	सी एंड आई एम	13 - 14 जून 2004, तेल अवीव	इजरायल के साथ एफ टी ए पर चल रही वार्ता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित नहीं की गई है।
4	ओमान	संयुक्त आयोग:	सी एंड आई एम	28-29, अक्टूबर, नई दिल्ली	निर्धारित होनी है
5	मोरक्को	संयुक्त आयोग:	सी एंड आई एम	25 और 26 मई 2017, रबाट	-
6	जॉर्डन	व्यापार एवं आर्थिक संयुक्त समिति	सी एंड आई एम	4 और 5 जुलाई 2017, नई दिल्ली	-

डब्ल्यू ए एन ए प्रभाग में दो एफ टी ए पर वार्ता चल रही है

क) इजराइल के साथ मुक्त व्यापार करार (एफ टी ए):

भारत और इजराइल के बीच 8वें दौर की वार्ता 24 से 26 नवंबर 2013 के दौरान इजराइल में हुई। वस्तु व्यापार, उत्पत्ति के नियम, सीमा शुल्क प्रक्रिया तथा प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही पर भी वार्ता हुई। पहले सितंबर 2013 में दोनों पक्षों द्वारा वस्तु एवं सेवा में व्यापार के जिन प्रस्तावों का आदान प्रदान किया गया था उन पर चर्चा की गई। वस्तु के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करार का लाभ प्रधान रूप से इजरायल के पक्ष में है। अतः संतुलित मुक्त व्यापार करार के लिए भारत इजरायल से सेवाओं के क्षेत्र में तर्कसंगत रियायतें प्राप्त करने की फ़िराक में है।

ख) जी सी सी (खाड़ी सहयोग परिषद) के देशों साथ मुक्त व्यापार करार (एफ टी ए):

खाड़ी सहयोग परिषद (जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं) के साथ मुक्त व्यापार करार पर वार्ता

अधिकारी को नामित करना

- भारत की भागीदारी के लिए वित्त पोषण

भारत - ओमान जेसीएम

भारत - ओमान जेसीएम की 8वीं बैठक 2018 में मस्कट, ओमान में होनी है। 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा की जाएगी। बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है उनमें से कुछ प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं :

वित्त वर्ष 2016-17 में ओमान के साथ भारत के कुल व्यापार का मूल्य 4018.79 मिलियन अमरीकी डालर था। भारत ओमान को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में विविधता लाने के पक्ष में है। इसके लिए वाणिज्य विभाग ने ओमान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए संभावित वस्तुओं को चिह्नित किया है।

विशेष रूप में रासायनिक एवं फार्मा उत्पादों के मामले में ओमान को निर्यात

किए जाने वाले भारतीय उत्पादों पर कस्टम टैरिफ अधिक है। भारत तेल और प्राकृतिक गैस तथा सामरिक तेल भंडार के निर्माण में परस्पर भागीदारी के क्षेत्र में सहयोग करने का इच्छुक है। पेट्रो रसायन की परियोजनाओं जो संकल्पना के चरण पर हैं तथा संयुक्त उद्यम के रूप में भागीदारी के लिए उपलब्ध हैं, पर सूचना को साझा करने के लिए ओमान की ओर से अनुरोध किया गया है।

10 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन

डब्ल्यूटीओ वार्ताएं

विश्व व्यापार संगठन

भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के संस्थापक सदस्यों में से एक है तथा यह विश्वास करता है कि सर्वसम्मति, समावेशन और पारदर्शिता के अपने सिद्धांतों के माध्यम से बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली विकासशील देशों के हितों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।

वर्ष 2001 से विश्व व्यापार संगठन में व्यापार वार्ता का दोहा दौर जारी है। अनेक वर्षों की वार्ता के बाद 2013 में बाली में विश्व व्यापार संगठन की 9वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कृषि, विकास तथा व्यापार सुगमता पर कुछ परिणाम हासिल हो सके।

बहुपक्षता के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप भारत ने व्यापार वार्ता के दोहा दौर, जिसकी शुरुआत 2001 में हुई, के तहत मुद्दों, विशेष रूप से 2013 में बाली में और 2015 में नैरोबी में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलनों से उत्पन्न सहमत मंत्री स्तरीय निर्णयों को आगे बढ़ाने का मजबूती से समर्थन किया है। विकास पर अपने फोकस के साथ दोहा विकास एजेंडा विकासशील देशों के सरोकारों को दूर करने के लिए था तथा वैश्विक व्यापार प्रणाली में इन देशों का अधिक एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था।

विश्व व्यापार संगठन का 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन

विश्व व्यापार संगठन का 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 10 से 13 दिसंबर 2017 के दौरान ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि में खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनों तथा कृषि से जुड़े अन्य मुद्दों के लिए सरकारी भंडारण के मुद्दे पर स्थायी समाधान के लिए निर्णय होने की संभावना थी। विश्व व्यापार संगठन के कुछ सदस्य देश सेवाओं में घरेलू विनियमनों, मछली पालन में सब्सिडी पर अनुशासन, ई-कामर्स, निवेश सुगमता तथा सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमों (एमएसएमई) पर परिणामों की मांग कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए सरकारी भंडारण पर स्थायी समाधान

खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए सरकारी भंडारण पर बाली मंत्री स्तरीय निर्णय ने विकासशील देशों को अंतरिम तंत्र (जो शांति खंड के नाम से विख्यात है) प्रदान करके उनके सरोकारों को दूर करने की मांग की जिसके अनुसार विश्व व्यापार संगठन के सदस्य खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए सरकारी भंडारण के कार्यक्रमों के संबंध में कृषि पर डब्ल्यूटीओ करार के संगत प्रावधानों के तहत विवाद खड़ा करने में समुचित संयम बरतेंगे भले ही देश अपनी अनुमत सब्सिडी सीमा को पार करें। बाली मंत्री स्तरीय निर्णय ने 2017 तक कोई स्थायी समाधान ढूँढ़ने की प्रतिबद्धता को भी शामिल किया। आगे चलकर भारत के प्रयासों के फलस्वरूप विश्व व्यापार संगठन की महा परिषद (जीसी) ने 27 नवंबर 2014 को यह सुनिश्चित करते हुए एक निर्णय को अंगीकार किया कि अंतरिम तंत्र तब तक लगातार उपलब्ध रहेगा जब तक कि किसी स्थायी समाधान पर सहमति नहीं हो जाती है तथा अंगीकृत नहीं कर लिया जाता है। दिसंबर 2015 में नैरोबी मंत्री स्तरीय सम्मेलन में मंत्री स्तरीय घोषणा ने बाली तथा इसके बाद महा परिषद के निर्णयों को नोट किया तथा उनका स्वागत किया।

बाली और नैरोबी में आयोजित मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में मंत्री स्तरीय निर्णयों द्वारा सदस्य देशों पर सौंपी गई बाध्यता के अनुसरण में प्रमुख प्रस्तावकों के रूप में भारत तथा जी-33 ने ब्यूनस आयर्स में 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में स्थायी समाधान की मांग की। यद्यपि प्रस्तावक स्वाभाविक रूप से किसी स्थायी समाधान की मांग कर रहे थे जो विद्यमान अंतरिम तंत्र में एक सुधार होगा, अन्यो ने अधिक मजबूत सुरक्षापायों की मांग की। सर्वसम्मति न हो पाने के कारण कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। तथापि, अंतरिम तंत्र जो शाश्वत रूप से उपलब्ध है, के कारण भारत के सरकारी प्रापण के कार्यक्रमों का संरक्षण आज भी जारी है।

कृषि से जुड़े अन्य मुद्दे

विश्व व्यापार संगठन की चल रही वार्ता के कृषि एजेंडा में अन्य बातों के

साथ अन्य मुद्दे शामिल हैं जैसे कि कृषि सब्सिडी, एक कृषि विशेष सुरक्षापाय तंत्र (जो विकासशील देशों को आयात में वृद्धि तथा कीमतों में गिरावट के विरुद्ध सुरक्षा के लिए टैरिफ बढ़ाने की अनुमति प्रदान करे), कृषि उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी तथा कृषि निर्यात के प्रतिबंध / निषेध। अनेक विकसित देश विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान अधिदेशों एवं नियमों के आधार पर इन क्षेत्रों में कृषि सुधार के खिलाफ हैं। हाल के वर्षों में विकासशील देशों को प्रति किसान प्रतिवर्ष 60000 अमरीकी डालर की कृषि सब्सिडी के साथ विकसित देशों की समान कटौती प्रतिबद्धता के अनुसार प्रति किसान प्रतिवर्ष 260 अमरीकी डालर की कृषि सब्सिडी के अधीन लाने के लिए समवेत प्रयास किए गए हैं।

भारत कृषि सब्सिडी के मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन में सक्रियता से भाग लेता रहा है तथा विश्व व्यापार संगठन के मुख्य रूप से विकसित देश की श्रेणी के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त कृषि सहायता जिसे सकल सहायता उपाय (एसएमएस) कहा जाता है, के व्यापार को सबसे अधिक विकृत करने वाले रूप से निपटने के लिए चीन के साथ संयुक्त रूप से निवेदन किया था। इसके विपरीत विकासशील देश की श्रेणी के अधिकांश सदस्यों को केवल न्यूनतम पात्रता की सुविधा प्राप्त है जो कृषि व्यापार पर नियमों से असंगत उपाय है।

विकासशील देशों के लिए विशेष एवं विभेदीकृत (एस एण्ड डी) व्यवहार विश्व व्यापार संगठन के अधिदेश तथा दोहा विकास एजेंडा (डीडीए) का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। कुछ देश यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि भारत, चीन, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे विकासशील देशों को विशेष एवं विभेदीकृत व्यवहार के प्रावधानों के दायरे से बाहर कर दिया जाए, जो अन्य बातों के साथ विकासशील देशों को कृषि सब्सिडी में रियायतों का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है और खेती में बिजली, सिंचाई और उर्वरक जैसे इनपुट पर सब्सिडी प्रदान करने में उनको समर्थ बनाता है। विकसित देश यह कहते हैं कि ऐसा व्यवहार केवल सबसे कम विकसित देशों तक सीमित होना चाहिए। 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की पृष्ठभूमि में इस दिशा में अधिक मजबूत एवं समवेत प्रयास किए गए।

अगले दो वर्षों के लिए कृषि पर प्रस्तावित कार्य योजना पर सर्वसम्मति न हो पाने के कारण 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कृषि पर कोई परिणाम नहीं निकल सका।

मछली पालन पर सब्सिडी

नवंबर 2001 की दोहा मंत्री स्तरीय घोषणा मछली पालन पर सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन के अनुशासनों को स्पष्ट करने एवं सुधार लाने के उद्देश्य से वार्ता करने का अधिदेश देती है। इन वार्ताओं के लिए शुरुआती बिंदु प्राथमिक रूप से मछली पालन क्षेत्र के लिए सब्सिडी में कटौती करना था जो समुद्री मछली पालन के संसाधनों की विकृति का मार्ग प्रशस्त करती है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में मछली पकड़ने वाले प्रमुख राष्ट्रों द्वारा मछली पकड़ने के अपने बेड़ों को प्रदान की गई बेलगाम सहायता के फलस्वरूप समुद्री मत्स्य भंडार खाली हो गया है।

इस मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव 2020 तक संपोषणीय विकास लक्ष्य के यूएन टार्गेट 14.6 को हासिल करने के उद्देश्य से मछली पालन सब्सिडी के विषयों पर अग्रतर चर्चा की मांग करते हैं, जो मछली पालन सब्सिडी के कतिपय रूपों पर निषेध लगाने की मांग करता है जो अत्यधिक क्षमता, अत्यधिक फिशिंग में योगदान करते हैं, ऐसी सब्सिडी को समाप्त करने की मांग करता है जो गैर कानूनी, गैर सूचित और गैर विनियमित (आईयूयू) फिशिंग में योगदान करते हैं और 2020 तक नई सब्सिडी लागू करने से बचने की मांग करता है। लक्ष्य 14.6 यह भी स्वीकार करता है कि विकासशील देश तथा सबसे कम विकसित देश की श्रेणी के सदस्यों के लिए उपयुक्त एवं प्रभावी विशेष एवं विभेदीकृत (एस एण्ड डी) व्यवहार विश्व व्यापार संगठन की मछली पालन सब्सिडी वार्ता का अभिन्न अंग होना चाहिए। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए जहां परंपरागत तथा कम संसाधनों वाले गरीब मछुआरे आजीविका के अपने स्रोत के रूप में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर आश्रित हैं, अनुशासनों का निर्माण करते समय विशेष एवं विभेदीकृत व्यवहार के उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करने की आवश्यकता होगी।

ब्यूनस आयर्स में 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत मछली पालन सब्सिडी पर वार्ता में रचनात्मक रूप से शामिल हुआ जहां इसने 2019 तक व्यापक रूप से मछली पालन के विषयों को विकसित करने का समर्थन किया। सदस्य देशों द्वारा इस सुझाव का बड़े पैमाने पर समर्थन किया गया तथा यह 11वें मंत्री

स्तरीय सम्मेलन में एक परिणाम के रूप में उभरा।

घरेलू विनियमों पर चर्चा

सेवाओं में व्यापार पर सामान्य करार (जीएटीएस) तथा घरेलू विनियम पर निर्णय विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों से आवश्यक विषयों का विकास करने का आह्वान करते हैं ताकि सुनिश्चित हो कि अर्हता की अपेक्षाओं एवं प्रक्रियाओं, तकनीकी मानकों तथा लाइसेंस की आवश्यकताओं एवं प्रक्रियाओं से संबंधित उपाय सेवाओं में व्यापार के लिए अनावश्यक का निर्माण न करें।

घरेलू विनियमों पर विषयों के विकास पर चर्चा 2016 से घरेलू विनियमों पर कार्यकारी पक्ष (डब्ल्यू पी डी आर) में विश्व व्यापार संगठन में जारी है। समेकित पाठ में लगभग 10 प्रस्तावों का विलय किया गया, जिसे 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में चर्चा के लिए मंत्री स्तरीय दस्तावेज के रूप में रखा गया। भारत ने इस पाठ में सक्रियता से भागीदारी की तथा जीएटीएस के अधिदेश से संगत अर्हता की आवश्यकताओं एवं प्रक्रियाओं तथा विकास के मुद्दों सहित सेवाओं की आपूर्ति करने वाले प्राकृतिक व्यक्तियों की बाधाओं को दूर करने वाले वाणिज्यिक दृष्टि से सार्थक विषयों को शामिल करने का सुझाव दिया। आगे की राह के रूप में भारत ने सेवाओं में व्यापार सुगमता के लिए भारतीय प्रस्ताव के कुछ घटकों को शामिल करते हुए सेवाओं पर एक सुगठित एमसी 11 पश्चात कार्य योजना का प्रस्ताव किया जिसमें 2009 और 2011 के अध्यक्षाओं की रिपोर्टों के अनुसार मोड 4 से संबंधित घटक तथा डीआर विषय शामिल थे। चूंकि इन मुद्दों पर कोई सर्वसम्मति नहीं बन पायी इसलिए 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में घरेलू विनियमों पर किसी मंत्री स्तरीय निर्णय या कार्य योजना पर सहमति नहीं हो सकी।

नए मुद्दे

ई-कामर्स

11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ई-कामर्स में भागीदारी की विधियों को लेकर विचारों में बहुत भिन्नता थी। भारत तथा असंख्य विकासशील देशों की यह राय थी कि ई-कामर्स पर 1998 की मौजूदा कार्य योजना जारी रहनी चाहिए, जबकि अन्योंने महा परिषद के तहत कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा को औपचारिक रूप देकर एक फास्ट ट्रेक अप्रोच अपनाने की इच्छा जाहिर की। अंत में 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन ने ई-कामर्स पर नैरोबी मंत्री स्तरीय निर्णय का मोटे तौर पर समर्थन किया जो यह चाहता है कि 1998 की कार्य योजना के तहत कार्य जारी रहे (डब्ल्यूटी/एल/274); कार्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाए; जुलाई एवं दिसंबर 2018 और जुलाई 2019 के इसके सत्रों में आवधिक समीक्षा करने और मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अगली बैठक को रिपोर्ट करने के लिए महा परिषद को हिदायत दी जाए। सदस्य ट्रिप्स का उल्लंघन न करने वाले अनुपालकों पर शुल्क स्थगन को जारी रखने के साथ 2019 में अगली बैठक तक इलेक्ट्रॉनिक पारेषण पर कस्टम ड्यूटी न लगाने की वर्तमान प्रथा को बनाए रखने पर सहमत हुए।

अन्य मुद्दे

निवेश सुगमता, एमएसएमई, जेंडर एवं व्यापार जिनके लिए कोई अधिदेश या सर्वसम्मति नहीं है, जैसे नए मुद्दों पर प्रस्तावकों द्वारा प्रारूप मंत्री स्तरीय निर्णयों को आगे नहीं बढ़ाया गया।

तथापि, जैसा कि ई-कामर्स तथा सेवाओं में घरेलू विनियम के मामले में हुआ, प्रस्तावक देशों के इच्छुक समूहों ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया है जिसमें व्यापार सुगमता पर एक बहुपक्षीय रूपरेखा विकसित करने तथा विश्व व्यापार संगठन में एमएसएमई पर एक व्यापक एवं सामरिक चर्चा के उद्देश्य से सुगठित चर्चा का प्रस्ताव किया गया।

यद्यपि विभिन्न मुद्दों पर प्रस्तावकों द्वारा ऐसे समूहों का गठन किया गया है, उनको विश्व व्यापार संगठन में लाने से पूर्व व्यापार के साथ इनमें से कुछ मुद्दों की सहलग्नता की पहचान करनी होगी। इसके अलावा बहुपक्षीय स्तर पर ऐसे मुद्दों पर वार्ता शुरू करने के किसी निर्णय पर नैरोबी मंत्री स्तरीय घोषणा के अनुसार सभी सदस्यों को सहमत होना होगा।

मंत्री स्तरीय घोषणा

कुछ सदस्यों ने डब्ल्यूटीओ का मार्गदर्शन करने वाले प्रमुख अंतर्निहित

सिद्धांतों तथा विभिन्न सहमत अधिदेशों की अभिस्वीकृति या पुनरावृत्ति का समर्थन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप सम्मेलन के अंत में मंत्री किसी सहमत मंत्री स्तरीय घोषणा पर नहीं पहुंच सके।

तथापि, मंत्री स्तरीय घोषणा के अभाव में भी विद्यमान अधिदेश एवं निर्णय मान्य बने रहेंगे तथा उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कार्य आगे जारी रहेगा तथा विश्व व्यापार संगठन खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए सरकारी भंडारण, कृषि सब्सिडी तथा अन्य मुद्दों पर स्थायी समाधान जैसे मुद्दों पर काम करना जारी रखेगा।

विश्व व्यापार संगठन में बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का दोहा चक्र 2001 में शुरू हुआ तथा अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। इसका उद्देश्य विकास को केन्द्र में रखकर व्यापार से जुड़ी बाधाओं को कम करके तथा व्यापार के नियमों में संशोधन करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में सुधार लाना है। दोहा विकास एजेंडा (डी डी ए) में कृषि, औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार पहुंच, सेवा व्यापार से संबंधित बाजार पहुंच एवं विनियम, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंध पहलू, पाटनरोधी तथा सब्सिडी से संबंधित नियम, व्यापार सुगमता जैसे लगभग 20 क्षेत्र शामिल हैं।

विश्व व्यापार संगठन के अन्य मुद्दे

सबसे कम विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ तरजीह (डी एफ टी पी) स्कीम

भारत पहला विकासशील देश है जिसने वर्ष 2008 में सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) को ड्यूटी फ्री कोटा फ्री (डीएफक्यूएफ)³ अवसेस प्रदान किया और इसके माध्यम से दिसंबर 2005 में विश्व व्यापार संगठन की हांगकांग मंत्री स्तरीय घोषणा के एक प्रमुख घटक की पूर्ति की। भारत की डीएफक्यूएफ योजना का नाम ड्यूटी फ्री टैरिफ तरजीह (डीएफटीपी) योजना है।

इस योजना का कारगर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा भारत के बाजार में सबसे कम विकसित देशों के निर्यात को इष्टतम पहुंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार में 1 अप्रैल 2014 से डीएफटीपी योजना के उत्पादों के कवरेज का विस्तार किया है तथा मार्च 2015 में उत्पत्ति के नियमों से संबंधित प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया है। कस्टम टैरिफ अधिसूचना संख्या 8/2014 दिनांक 1 अप्रैल 2014 के अनुसार भारत अपनी कुल 5205 टैरिफ लाइनों (वर्गीकरण के एचएस 6 डिजिट स्तर पर) के 98.2 प्रतिशत पर ड्यूटी फ्री / तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करता है। वास्तव में केवल 97 टैरिफ लाइनें भारत की बहिष्कार सूची में हैं जबकि 114 टैरिफ लाइनें तरजीह के मार्जिन पर हैं। शेष टैरिफ लाइनों पर भारत के बाजार में ड्यूटी फ्री निर्यात की अनुमति है।

इसके अलावा कस्टम गैर टैरिफ अधिसूचना 29/2015-कस्टम (एनटी) दिनांक 10 मार्च 2015 के माध्यम से डीएफटीपी योजना के उत्पत्ति के नियमों में कतिपय प्रक्रियात्मक संशोधन किए गए।

27 जुलाई 2017 को दो सबसे कम विकसित देशों (नाइजर और गुआना) को डीएफटीपी योजना⁴ के लाभार्थियों के रूप में अधिसूचित किया गया, जिससे लाभार्थियों की कुल संख्या 34 हो गई है। अर्थात् अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्निन, बुर्किना फासो, बुरुंडी, कंबोडिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कोमोरोस, इरिट्रिया, इथोपिया, गाबिया, गुआना, गुआना बिसाऊ, हैती, लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, लेसोथो, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मालावी, माले, मोजांबिक, म्यांमार, नाइजर, रवांडा, सेनेगल, सोमालिया, सूडान, तिमोर लेस्तेल, टोगो, युगांडा, तंजानिया संयुक्त गणराज्य, यमन और जाम्बिया।

विवाद

2017-18 के दौरान विश्व व्यापार संगठन में निम्नलिखित तीन विवाद जारी हैं:

डीएस 436: संयुक्त राज्य - भारत से कतिपय हाट रोल्ड कार्बन स्टील फ्लैट प्रोडक्ट पर प्रतिकारी उपाय

संयुक्त राज्य ने 2000 में किसी समय इस्पात उत्पादों के भारत के निर्यात के विरुद्ध सब्सिडी रोधी शुल्क (प्रतिकारी शुल्क) लगाया था। भारत ने शुल्क लगाए जाने के आधार और ढंग के आधार पर मनमाने सब्सिडी रोधी शुल्क को

3 (टिप्पणी : भारत की डीएफटीपी योजना के संबंध में संगत सूचना http://commerce.gov.in/writereaddata/UploadedFile/MOC_636434_269763910839_international_tpp_DFTP.pdf पर प्राप्त की जा सकती है।)

4 कस्टम अधिसूचना संख्या 68/2017 दिनांक 27 जुलाई, 2017 के माध्यम से

चुनौती दी क्योंकि इसे डब्ल्यूटीओ के कानून से असंगत महसूस किया गया।

विश्व व्यापार संगठन की विवाद निस्तारण संस्था (डीएसबी) ने भारत के पक्ष में कुछ मुद्दों का निर्णय किया जिन पर संयुक्त राष्ट्र से सुधारात्मक कदम उठाने की अपेक्षा थी। तथापि, इस विवाद में घोषित निर्णय के अनुपालन के लिए प्रदान की गई समय सीमा के बाद भी भारत यह मानता है कि संयुक्त राष्ट्र का अनुपालन उपाय (जो अन्य कदमों के अलावा मनमाने सब्सिडी रोधी शुल्क की समीक्षा करने के लिए कानूनी कार्यवाही करने के लिए था) भी विश्व व्यापार संगठन के कानून का अनुपालन नहीं करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राज्य ने अपने कानून के ऐसे प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों से संगत नहीं थे, जो विश्व व्यापार संगठन के कानून के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण हैं। अतः भारत ने संयुक्त राज्य के विरुद्ध अनुपालन की कार्यवाही शुरू की। जुलाई 2017 के महीने में डिजिटल वीडियो कान्फ्रेंस (डीवीसी) के माध्यम से परामर्शों का आयोजन किया गया।

डीएस 430: भारत - कतिपय कृषि उत्पादों के आयात से संबंधित उपाय
संयुक्त राज्य ने संयुक्त राज्य से उत्पन्न होने वाले पोल्ट्री तथा पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर भारत के प्रतिबंध को चुनौती दी जिसने घोषणा की थी कि उनमें एवियन एनफ्लुएंजा के हाई / लो - हाई पाथोजेनिक स्ट्रेन मौजूद हैं। विवाद निस्तारण संस्था के पैनल और अपील निकाय ने निर्धारण किया कि भारत का प्रतिबंध संगत नहीं है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के कानून के अनुसार संयुक्त राज्य में एवियन एनफ्लुएंजा मुक्त क्षेत्रों से आयात की अनुमति होनी चाहिए।

भारत ने अपने अनुपालन को लागू किया परंतु संयुक्त राज्य ने यह आरोप लगाते हुए मामले को आगे बढ़ाने के लिए विवाद निस्तारण संस्था से संपर्क करने का विकल्प चुना कि भारत का अनुपालन विश्व व्यापार संगठन के कानून से कम है। संयुक्त राज्य ने अनुपालन के स्तर का आकलन करने का प्रयास नहीं किया और इसकी बजाय विश्व व्यापार संगठन से भारत के गैर अनुपालन के लिए 478 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के लिए प्रतिकार हेतु विश्व व्यापार संगठन से अनुरोध किया।

इसके बाद भारत ने अनुपालन के स्तर का निर्धारण करने के लिए पैनल गठित करने की मांग की क्योंकि भारत का मत यह है कि अनुपालन के बाद प्रतिकार की गणना तभी की जानी चाहिए जब यह सत्यापित हो जाए कि अनुपालन का उपाय विश्व व्यापार संगठन के कानून का अनुपालन करता है या नहीं। विश्व व्यापार संगठन की विवाद निस्तारण प्रक्रिया में मुद्दों की क्रमबद्धता के बावजूद भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की है कि समुचित प्रक्रिया का यथासंभव पालन हो तथा इसके लिए यह सुनिश्चित किया है कि अनुपालन का निर्धारण यथाशीघ्र हो और इस प्रकार अनावश्यक प्रतिकारी उपायों को रोका जा सके।

इस समय भारत और संयुक्त राज्य विश्व व्यापार संगठन में अपने अपने मतों का बचाव कर रहे हैं क्योंकि यह दोनों कार्यवाही जारी हैं।

डीएस 518: भारत - लोहा एवं इस्पात के उत्पादों के आयात पर कतिपय उपाय

जापान ने सुरक्षोपाय शुल्क जो मार्च 2016 में इस्पात के कतिपय उत्पादों पर अधिसूचित किया गया, पर भारत के साथ विवाद शुरू करने की मांग की। फरवरी 2017 में परामर्शों के बाद जापान ने इस बात का उल्लेख करते हुए मार्च 2017 में विश्व व्यापार संगठन के विवाद निस्तारण तंत्र के पास जाने की मांग की कि सुरक्षोपाय शुल्क लगाने में भारत द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं विश्व व्यापार संगठन के कानून के अनुरूप नहीं हैं।

इस समय भारत विश्व व्यापार संगठन के विवाद निस्तारण तंत्र के पैनल के समक्ष जापान द्वारा किए गए दावे का जवाब देने पर काम कर रहा है।

व्यापार सुगमता:

विश्व व्यापार संगठन के एक तिहाई सदस्य देशों द्वारा पुष्टि के बाद फरवरी 2017 में विश्व व्यापार संगठन का व्यापार सुगमता करार प्रभावी हो गया है। भारत फरवरी 2016 में व्यापार सुगमता करार की पहले ही पुष्टि कर चुका है। व्यापार सुगमता करार के घरेलू समन्वय एवं कार्यान्वयन के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में अगस्त 2016 में व्यापार सुगमता पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। एनसीटीएफ एक तीन स्तरीय संस्था है - शीर्ष संस्था के रूप में एनसीटीएफ, मध्यम स्तर पर सचिव, राजस्व और सचिव, वाणिज्य की संयुक्त अध्यक्षता में संचालन समिति और निम्नतर स्तर पर तदर्थ कार्य समूह। अक्टूबर 2016 में एनसीटीएफ की

तीसरी बैठक हुई तथा इसके बाद संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें आउटरीच, विधायी परिवर्तन, टाइम रिलीज स्टडी और अवसंरचना उन्नयन के लिए चार कार्य समूहों का गठन करने का निर्णय लिया गया।

तब से इन सभी कार्य समूहों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं और इन रिपोर्टों तथा उद्योग एवं निजी हितधारकों से अग्रतर इनपुट के आधार पर 20 जुलाई 2017 को वाणिज्य मंत्री द्वारा राष्ट्रीय व्यापार सुगमता कार्य योजना (एनटीएफएपी) का अनावरण किया गया है। राष्ट्रीय व्यापार सुगमता कार्य योजना का उद्देश्य श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' की अपनी प्रतिबद्धताओं का अबाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय व्यापार सुगमता कार्य योजना हमारे नीतिगत उद्देश्यों तथा संबंधित टीएफए के मानचित्रण के साथ समय सीमा और लीड एजेंसी (एजेंसियों) सहित 76 कार्य बिंदुओं को सूचीबद्ध करती है। इस कार्य योजना को तैयार करने के लिए हमारा विजन यह है कि कारोबार करने की लागत एवं समय में कटौती करके व्यापार के इको सिस्टम को परिवर्तित किया जाए। वास्तव में कार्य योजना में शामिल 76 बिंदुओं में से 51 बिंदु टीएफए से संबंधित हैं जो विश्व व्यापार संगठन में हमारी प्रतिबद्धता से अधिक हैं।

अन्य मुद्दे / पहलें

मानक एवं तकनीकी विनियम

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैरिफ घट रहा है, औद्योगिक मांग पर समग्र वैश्विक औसत आयात भारित टैरिफ घटकर लगभग 4 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है। चूंकि काफी संख्या में देशों के बीच मुक्त व्यापार करार पर वार्ता चल रही है, औसत वैश्विक टैरिफ दरें और घटेंगी जिससे बाजार पहुंच में टैरिफ की भूमिका कम होगी। साथ ही अनुरूपता आकलन की विविधता प्रक्रियाओं के विकास के साथ पूरी दुनिया में तकनीकी विनियम (अनिवार्य मानक) बढ़ गये हैं, जिसका बाजार पहुंच एवं वैश्विक व्यापार पर काफी असर हो रहा है।

व्यापार के साथ मानकों और तकनीकी विनियमों का सहक्रियाशील संबंध है।

मानकों और तकनीकी विनियमों से व्यापार बढ़ता है क्योंकि मानक सूचनाओं की असममिति, उपभोक्ताओं को सिग्नल की गुणवत्ता कम करते हैं और संभावित व्यापार साझेदारों के लिए एक जैसी भाषा का सृजन करते हैं और इस प्रकार लेनदेन की समग्र लागत को कम करते हैं। तथापि साथ ही वैश्विक व्यापार में गैर टैरिफ बाधाओं (एन टी बी) के रूप में मानकों और तकनीकी विनियमों के प्रभाव पर चिंताएं भी अच्छी तरह से प्रलेखित हैं।

उत्पादों पर मानकों को अनिवार्य करने तथा तकनीकी विनियमों, मानकों, मौसम विज्ञान, अनुरूपता आकलन एवं प्रत्यायन से संबंधित समुचित इको सिस्टम स्थापित करने से घरेलू बाजार को असुरक्षित आयात से पाटने से बचाने में मदद मिलेगी, जो उपभोक्ताओं के साथ साथ घरेलू उद्योग को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

विश्व व्यापार संगठन के सृजन के बाद भूमंडलीकृत बाजार स्थल में विकासशील देशों के समक्ष प्रमुख चुनौती व्यापार से जुड़ी तकनीकी बाधाओं से निजात पाने और सेनिट्री एवं फाइटो सेनिट्री स्थितियों पर करारों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए घरेलू क्षमता का अभाव है, जो आज वैश्विक व्यापार प्रणाली के तहत बाजार पहुंच के लिए बुनियादी पूर्वापेक्षाएं हैं। व्यापार से जुड़ी तकनीकी बाधाओं पर डब्ल्यू टी ओ करार (टी बी टी) और सेनेट्री एवं फाइटोसेनेट्री उपायों (एस पी एस) पर करार इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण करार हैं।

भारतीय उद्योग को जिंदा रहने तथा कामयाब होने के लिए, इसे वैश्विक मानकों को अपनाना होगा। मंत्रालयों / विनियामकों / राज्य सरकारों को भी यह समझना होगा कि उनकी पहलें और स्क्रीमें वैश्विक मानकों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि वे अपने उद्देश्यों में सफल हो सकें। इसके अलावा मानकों तथा अनुरूपता आकलन प्रक्रियाओं के अनुरूप बनने से मात्रा एवं मूल्य दोनों ही दृष्टि से निर्यात में भी वृद्धि हो सकती है।

इसलिए केन्द्र सरकार के मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के परिप्रेक्ष्य से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मानकों के प्रभावों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है।

परीक्षण, प्रमाणन, ट्रेस बैक, पैकेजिंग एवं लेबलिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उन्नयन, मानकों को अनिवार्य बनाना, अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं सृजित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए स्क्रीमें भारी संख्या में एस पी एस एवं टी बी टी उपायों की चुनौतियों का सामना करने में काफी मददगार हो सकती हैं।

मानक गोष्ठी

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और राष्ट्रीय प्रमाणन संस्था प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) तथा अन्य ज्ञान साझेदारों के साथ मिलकर वाणिज्य विभाग, भारत सरकार ने 1 और 2 मई 2017 को नई दिल्ली में चौथी राष्ट्रीय मानक गोष्ठी का आयोजन किया।

दोतरफा गोष्ठी का उद्देश्य वैश्विक व्यापार के बदलते परिदृश्य में मानकों के महत्व के बारे में उद्योग, संबंधित मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों, विनियामक / मानक निर्धारण एवं अनुरूपता आकलन निकायों में जागरूकता पैदा करना था। इसने देश में ऐसे क्षेत्रों में बढ़ती विनियामक खामी को उजागर किया जो अन्यथा पूरी दुनिया में सख्ती से विनियमित हैं, जैसे कि औद्योगिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित पिछली गोष्ठियों से अनुभव प्राप्त करके इस बार देश में विनियामक खामी के लिए विजन तथा सरोकार को दूर करने के लिए देश के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयुक्त समय था और इस प्रकार गोष्ठी में प्रारूप भारतीय राष्ट्रीय रणनीति (आईएनएस) पर भी चर्चा हुई।

प्रारूप एस पी एस / टी बी टी अधिसूचनाओं की निगरानी के लिए परियोजना

मानक गोष्ठी की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह थी कि आयात करने वाले देशों के विनियमों को पूरा करने की तत्परता में सुधार लाना था।

आयात करने वाले देशों की एस पी एस - टी बी टी अधिसूचनाओं का विभिन्न पहलुओं से विश्लेषण करने की जरूरत है अर्थात् इस बात का आकलन करना कि क्या ये अंतराष्ट्रीय मानकों पर आधारित हैं; व्यापार प्रभाव आकलन और क्या व्यापार पर कम प्रतिबंध लगाने वाले विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। इस संबंध में, वाणिज्य विभाग 2014 से टीबीटी के लिए भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ई आई सी) तथा 2010 से एसपीएस के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) के माध्यम से अन्य देशों की एस पी एस / टी बी टी अधिसूचनाओं की निगरानी के लिए एक परियोजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप भारत कारगर ढंग से अपने सरोकारों एवं जवाबों को भेजने में सफल हुआ है, जैसा कि नीचे दी गई सारणी से देखा जा सकता है :

में 17 से 20 अप्रैल 2017 के दौरान सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी (जी ई एस) के तीसरे संस्करण का आयोजन किया।

जीईएस-2017 के दौरान 5000 से अधिक व्यवसाय दर व्यवसाय बैठकों का संचालन किया गया। जीईएस-2017 में 73 देशों तथा 24 राज्यों ने भाग लिया। भारत ने मेगा इवेंट के इस साल के संस्करण में सेवाओं में तेजी से उभरते कुछ क्षेत्रों पर प्रकाश डालने के लिए इस अवसर का उपयोग किया।

जीईएस-2017 के फोकस क्षेत्रों में शामिल थे - सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, पर्यटन एवं अतिथि सत्कार, मीडिया एवं मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, लाजिस्टिक्स, पर्यावरणीय सेवाएं, सुविधा प्रबंधन, प्रदर्शनी एवं इवेंट सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं, शिक्षा, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, कौशल, अगली पीढ़ी के शहर, ऊर्जा सेवाएं, अंतरिक्ष, सेवाओं में स्टार्टअप / एसएमई तथा स्वस्थता और इसके अलावा नए क्षेत्र जैसे कि रिटेल एवं ई-कामर्स, रेलवे एवं स्पोर्ट्स सेवाएं।

जीईएस भारत के सेवा क्षेत्र की ताकत को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने, भागीदारी करने एवं सहयोग करने के लिए एक प्रमुख प्लेटफार्म के रूप में उभरा है। बांबे प्रदर्शनी केन्द्र, मुंबई में 15 से 18 मई 2018 के दौरान जीईएस 2018 के चौथे संस्करण का आयोजन होना है।

‘भारतीय स्वास्थ्य देखरेख का लाभ’ (एचसीआई)

2015 में उद्घाटन सत्र के सफल श्रीगणेश के बाद, एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2017 जो चिकित्सा के लिए यात्रा पर एक अंतराष्ट्रीय शिखर बैठक है, के तीसरे संस्करण का आयोजन वाणिज्य विभाग, फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री तथा सेवा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा संयुक्त रूप से बेंगलुरु अंतराष्ट्रीय प्रदर्शनी केन्द्र, बेंगलुरु, कर्नाटक में 12 से 14 अक्टूबर 2016 के दौरान किया गया। इस अंतराष्ट्रीय शिखर बैठक का उद्देश्य एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य देखरेख गंतव्य के रूप में भारत को प्रमोट करना तथा भारत से सरल एवं कारगर चिकित्सा सेवा निर्यात को संभव बनाना था।

ए एच सी आई - 2017 में 73 देशों के हितधारक एक मंच पर आए। शिखर बैठक ने आयोजित किए गए क्रोता कार्यक्रम, प्रदर्शनी, सम्मेलन, क्षेत्रीय

वर्ष	जारी की गई एसपीएस अधिसूचनाएं जो भारत के लिए संगत हैं	एसपीएस अधिसूचनाएं जहां भारत द्वारा जवाब भेजे गए	जारी की गई टीबीटी अधिसूचनाएं	टीबीटी अधिसूचनाएं जहां भारत द्वारा जवाब भेजे गए
जनवरी से दिसंबर 2010	1029	14	-	-
जनवरी से दिसंबर 2011	746	144	-	-
जनवरी से दिसंबर 2012	898	99	-	-
जनवरी से दिसंबर 2013	1012	128	-	-
जनवरी से दिसंबर 2014	1182	85	2242	30
जनवरी से दिसंबर 2015	1289	115	1990	30
जनवरी से दिसंबर 2016	1051	80	2319	51

भारतीय मानक पोर्टल

चौथी राष्ट्रीय मानक गोष्ठी के दौरान भारतीय मानक पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मानक पोर्टल भारत की गुणवत्ता अवसररचना पर अद्यतन सूचना प्रदान करने के लिए एक आनलाइन संसाधन है जिसमें मानकीकरण के लिए मौजूदा प्रणालियां, तकनीकी विनियम, अनुरूपता आकलन तथा सहायता की गतिविधियां शामिल हैं। संगत क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न संगठनों को पोर्टल के वेब पेज पर तथा लिंक के माध्यम से भी सूचना प्राप्त करने में सुगमता प्रदान करने के लिए इस पोर्टल पर सूचना को सुगठित किया गया है।

सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी (जी ई एस)

सेवाओं में व्यापार बढ़ाने, व्यवसाय के नए अवसरों का पता लगाने के लिए सभी हितधारकों के बीच सामरिक सहयोग बढ़ाने तथा बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एस ई पी सी) के साथ मिलकर इंडिया एक्सपो सेंटर एण्ड मार्ट, ग्रेटर नोएडा

फोरम तथा दिल्ली एवं एन सी आर के कुछ विश्व स्तरीय अस्पतालों के दौरे के माध्यम से बातचीत करने, नेटवर्क स्थापित करने और साझेदारी करने का अवसर प्रस्तुत किया। इस प्रदर्शनी में भारत में सभी प्रमुख हास्पिटल चेन द्वारा भागीदारी की गई। कर्नाटक सरकार ने मेजबान राज्य के रूप में भाग लिया। शिखर बैठक ने चिकित्सा डिवाइसों एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल कंपनियों, फार्मा मशीनरी एवं पैकेजिंग तथा संबद्ध अवसररचना - चिकित्सा पर्यटन सुविधा प्रदाताओं, होटलों, एयरलाइनों, टूर एण्ड ट्रैवल कंपनियों को भी प्रदर्शित किया।

उच्च शिक्षा शिखर बैठक (एचईएस)

फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (फिक्की) और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के साथ संयुक्त रूप से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 10 से 12 नवंबर 2016 के दौरान विज्ञान भवन, नई दिल्ली में फिक्की की 12वीं उच्च शिक्षा शिखर बैठक जो एक वैश्विक सम्मेलन है, का आयोजन किया। इस शिखर बैठक की थीम “कल के लिए शिक्षा: भारत में सीखें - विश्व के लिए सीखें” था जो विश्व में शिक्षा के सर्वाधिक मनपसंद गंतव्य के रूप में भारत को प्रस्तुत करने के प्रस्ताव के अनुरूप है। इस मेगा इवेंट को

आयोजित करने का उद्देश्य शिक्षा केन्द्रों के रूप में भारत को प्रस्तुत करना है। इवेंट के फार्मेट में उद्योग गोलमेज तथा रिवर्स क्रैता - विक्रेता बैठक (आरबीएसएम) के साथ विशाल प्रदर्शनी एवं सम्मेलन शामिल है।

सरकार के फोकस के अनुरूप शिखर बैठक ने नई शिक्षा नीति, भारत में उच्च शिक्षा के लिए विजन जो न केवल भारत के लिए अपितु पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है, तथा शिक्षा के एक वैश्विक केन्द्र के रूप में भारत को प्रमोट करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करने पर मंथन किया। सम्मेलन के अलावा वहाँ अग्रिम पंक्ति के भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों / उच्च शिक्षा संस्थाओं से लगभग 180 प्रदर्शक भी थे जिन्होंने अपने उत्पादों एवं कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया। एचईएस-2016 ने 55 से अधिक देशों से हितधारकों तथा लगभग 1100 प्रतिनिधियों को शिखर बैठक के लिए एक मंच पर इकट्ठा किया।

19 अगला संस्करण अर्थात् उच्च शिक्षा शिखर बैठक 2017

नोएडा एक्सपो सेंटर एण्ड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में 9 से 11 नवंबर 2017 के दौरान आयोजित होनी है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय शिखर बैठक: उत्तर पूर्व (भारत) सीएलएमवी (आसियान)

यह सम्मेलन 24 और 25 मार्च 2017 को गुवाहाटी, असम में इंटरनेशनल चैंबर ऑफ सर्विस इंडस्ट्री (आईसीएसआई) और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) के साथ संयुक्त रूप से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया। शिखर बैठक का फोकस मेगा इवेंट “कंपटीटिव एडवांटेज आफ नार्थ ईस्ट इंडिया” के अनुवर्तन सम्मेलन के रूप में “उच्च शिक्षा तथा हर्बल स्वास्थ्य क्षेत्र” था। सत्र के लिए मंत्रालयों, कोलंबिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम (सीएलएमवी) के दूतावासों, उत्तर पूर्व क्षेत्र भारत शिक्षा, कौशल, हर्बल स्वास्थ्य तथा अन्य संबद्ध विभागों के विभिन्न प्रतिनिधि मौजूद थे।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन : उत्तर पूर्व भारत तथा आसियान सिनेमेटिक टूरिज्म के लिए मीडिया मनोरंजन उद्योग की मांग कर रहे हैं

यह वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार तथा इंटरनेशनल चैंबर ऑफ सर्विस इंडस्ट्री (आईसीएसआई) की एक संयुक्त पहल है। सम्मेलन 30 जून 2017 को मुंबई में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम ने उनके जन संपर्क एवं पर्यटन विभागों, एनईआर उत्पादन घरानों, कलाकारों, आसियान के प्रतिनिधियों के साथ एनईआर राज्यों के लिए प्रमुखों के साथ व्यवसाय के अवसरों पर वार्ता करने और संभावना की तलाश करने के लिए फिल्म निर्माण घरानों, फिल्म निर्माताओं, रेडियो और टी वी ऐड फिल्म एनिमेशन उद्योग, इवेंट कंपनियों सहित संपूर्ण मीडिया मनोरंजन उद्योग के लिए एक मंच का सृजन किया।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन : उत्तर पूर्वी क्षेत्र (भारतीय) तथा बीसीएलएमवी देशों के बीच विमानन नेटवर्क : सेवा निर्यात के लिए गेटवे को सुदृढ़ करना

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार तथा नागर विमानन मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय की भरपूर सहायता एवं पहल के माध्यम से इंटरनेशनल चैंबर ऑफ सर्विस इंडस्ट्री (आईसीएसआई) द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। सभी वर्गों- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों, ट्रेवल कंपनियों, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियों, विमानन प्रशिक्षण एवं विकास संगठनों तथा फ्रेट एण्ड लाजिस्टिक्स फर्मों, एयरलाइनों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, राजदूतों, राजनयिकों तथा एयरलाइंस से अन्य वरिष्ठ विमानन उद्योग अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ सभी वर्गों द्वारा इस इवेंट को काफी सराहा गया।

“बदलता भारत - विधिक पेशा के लिए अवसर एवं चुनौतियाँ” पर 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता से इंडियन कारपोरेट काउंसिल एसोसिएशन (आईसीसीए) जो इनहाउस काउंसिल वर्ल्डवाइड (आईसीडब्ल्यू) का सदस्य है, ने 5 और 6 अक्टूबर 2006 को नई दिल्ली में “बदलता भारत - विधिक पेशा के लिए अवसर एवं चुनौतियाँ” पर 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने उन अवसरों एवं चुनौतियों पर फोकस किया जो विधिक सेवाओं के भूमंडलीकरण से भारतीय विधिक क्षेत्र के लिए उत्पन्न हो रहे हैं। सम्मेलन ने प्रस्तावित विनियामक रूपरेखा तथा विदेशी विधिक पेशेवरों एवं विधि फर्मों के लिए इसके वित्ते पोषण, व्यावसायिकों के मूवमेंट से जुड़े

वाणिज्यिक मुद्दों आदि पर भी बल दिया।

व्यापार करार: सेवाओं पर अद्यतन स्थिति

भारत ने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान और मलेशिया की सरकारों के साथ सेवाओं में व्यापार सहित व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

सितंबर 2014 में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन (आसियान) के साथ सेवा एवं निवेश में मुक्त व्यापार करार (एफ टी ए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह 1 जुलाई 2015 से प्रभावी हुआ।

भारत अब क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आर सी ई पी) बहुपक्षीय वार्ता में शामिल हो गया है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (एफ टी ए) है जिसमें आसियान के 10 देश तथा इसके छः एफ टी ए साझेदार अर्थात् आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। आर सी ई पी एक मात्र मेगा क्षेत्रीय एफ टी ए है जिसका भारत भी हिस्सा है। भारत कनाडा, इजराइल, थाईलैंड, यूरोपीय संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ई एफ टी ए), आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि के साथ सेवाओं में व्यापार सहित द्विपक्षीय एफ टी ए वार्ता में भी शामिल है।

भारत श्रीलंका, कनाडा, पेरू, थाईलैंड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजरायल, यूरोपीय संघ और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ सेवाओं में व्यापार सहित द्विपक्षीय एफटीए वार्ता भी कर रहा है।

भारत ने मारीशस के साथ सेवाओं में व्यापार सहित सीईसीपीए वार्ता फिर से शुरू की है। जेएफएसजी की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्षों की बैठक हुई। भारत - यूरेशिया आर्थिक संघ (ईईयू) की जेएफएसजी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा वार्ता शुरू होने वाली है।

भारत - यू एस व्यापार नीति मंच (टी पी एफ) के तहत यू एस के साथ, भारत - आस्ट्रेलिया संयुक्त, मंत्री स्तरीय आयोग (जे एम सी) के तहत आस्ट्रेलिया के साथ, भारत - चीन सेवा कार्य समूह के तहत चीन के साथ और भारत - ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र (टी एम एम) के तहत ब्राजील के साथ भी भारत द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में शामिल है।

एशिया एवं प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ई एस सी ए पी)

भारत ई एस सी ए पी के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो संयुक्त राष्ट्र का क्षेत्रीय विकास प्रकोष्ठ है, जो एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के लिए मुख्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास केन्द्र के रूप में काम करता है। 62 सरकारों, जिसमें से 58 इस क्षेत्र में हैं, की सदस्यता तथा पश्चिम में तुर्की से लेकर पूरब में किरबाती के प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र और उत्तर में रूसी परिसंघ से लेकर दक्षिण में न्यूजीलैंड तक भौगोलिक विस्तार के साथ ई एस सी ए पी संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोगों में से सबसे व्यापक आयोग है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा निकाय भी है।

ईएससीएपी क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियों में से कुछ को दूर करने का प्रयास कर रहा है। यह विकास, व्यापार एवं निवेश, परिवहन, पर्यावरण एवं संपोषणीय विकास, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा आपदा जोखिम कटौती और सामाजिक विकास के लिए स्थल आर्थिक नीति एवं विकास, सांख्यिकी, उप क्षेत्रीय गतिविधियों के क्षेत्र में काम करता है।

ई एस सी ए पी ऐसे मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करता है जिनका क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से सबसे कारगर ढंग से समाधान होता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- ऐसे मुद्दे जिनसे क्षेत्र के सभी देश या देशों का एक समूह जूझ रहा है, जिसके लिए एक दूसरे से सबक लेना आवश्यक है;
- ऐसे मुद्दे जिनमें क्षेत्रीय या बहुदेशीय भागीदारी से लाभ होगा;
- ऐसे मुद्दे जो सीमापारीय स्वरूप के हैं अथवा जिनमें सहयोगात्मक अंतर्देशीय दृष्टिकोणों से लाभ होगा;
- ऐसे मुद्दे जो संवेदनशील या नए स्वरूप के हैं तथा और हिमायत एवं वार्ता की जरूरत है।

ई एस सी ए पी का वार्षिक सत्र

इस क्षेत्र के समावेशी एवं संपोषणीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास से

संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और निर्णय लेने, अपने सहायक निकायों तथा कार्यपालक सचिव की सिफारिशों पर निर्णय लेने, कार्य की प्रस्तावित रूपरेखा एवं कार्यक्रम की समीक्षा करने और पृष्ठांकित करने तथा अपने विचारार्थ विषयों के अनुरूप कोई अन्य अपेक्षित निर्णय लेने के लिए मंत्री स्तर पर आयोग की हर साल बैठक होती है।

ईएससीएपी के 73वें सत्र का आयोजन बैंकाक, थाईलैंड में हुआ। पहले चरण का आयोजन 15 से 17 मई 2017 के दौरान और दूसरे चरण का आयोजन 17 से 19 मई 2017 के दौरान हुआ। “संपोषणीय ऊर्जा के लिए क्षेत्रीय सहयोग” इस सत्र का विषय था।

ई एस सी ए पी में भारत का अंशदान

ई एस सी ए पी के कार्यक्रमों को क्षेत्रीय संस्थान और उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अपना समर्थन दिया जाता है। भारत ने वर्ष के दौरान ई एस सी ए पी के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम किया है। भारत ने ई एस सी ए पी की निम्नलिखित क्षेत्रीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी रखने की भी प्रतिबद्धता की है:

- एशिया एंड पैसिफिक सेंटर फार ट्रांसफर आफ टेक्नालाजी (ए पी सी टी टी), नई दिल्ली, भारत;
- एशिया एंड पैसिफिक ट्रेनिंग सेंटर फार इन्फार्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नालाजी फार डेवलपमेंट (ए पी सी आई सी टी) इन्वियान, कोरिया गणराज्य;
- स्टैटिस्टिकल इन्स्टीट्यूट फार एशिया एंड पैसिफिक (एस आई पी); चीबा, जापान;

भारत में उप क्षेत्रीय कार्यालय:

दिसंबर 2011 में भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई 1,54,000 अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता से नई दिल्ली में दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उप क्षेत्रीय कार्यालय (एस आर ओ) की स्थापना से यू एन - ई एस सी ए पी के साथ भारत की साझेदारी में एक नया आयाम जुड़ गया है। इसमें से 75,000/- अमेरिकी डालर एकबारगी अनुदान के रूप में थे और 79,000/- अमेरिकी डालर कार्यालय के लिए भारत के अंशदान के रूप में प्रतिवर्ष आवर्ती अनुदान है।

उप क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

- उप क्षेत्र तथा आयोग के मुख्यालय के बीच कड़ी के रूप में काम करके उप क्षेत्रीय स्तर पर आयोग के एजेंडा को लागू करना;
- उप क्षेत्र के अंदर सदस्य देशों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उप क्षेत्र विशिष्ट प्राथमिकताओं एवं कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना एवं सहायता प्रदान करना;

- ज्ञान प्रबंधन एवं नेटवर्किंग के लिए उप क्षेत्रीय नोड के रूप में प्रचालन करना;
- तकनीकी सहायता सेवाओं की प्रदायगी का नेतृत्व करना और उप क्षेत्र में आयोग के कार्यान्वयन प्रकोष्ठ के रूप में काम करना;
- उप क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के साथ घनिष्ठ कार्यसाधक संबंध स्थापित करना और उप क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों में समन्वय को प्रोत्साहित करना।
- अन्य उप क्षेत्रीय अंतर सरकारी निकायों सहित उप क्षेत्र में अन्य संगत कर्ताओं के साथ मजबूत साझेदारी एवं नेटवर्क स्थापित करना, क्षेत्रीय रूपरेखा के साथ उप क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

किंबर्ली प्रक्रिया प्रमाणन स्कीम

किंबर्ली प्रक्रिया (केपी) कॉफ्लिक्ट डायमंड (वैध सरकारों के विरुद्ध युद्ध के वित्त पोषण के लिए विद्रोही गुटों द्वारा प्रयुक्त रफ डायमंड) के प्रवाह पर अंकुश लगाने के लिए सरकार, उद्योग एवं सभ्य समाज की एक संयुक्त पहल है। किंबर्ली प्रक्रिया प्रमाणन स्कीम (के पी सी एस) एक यू एन अधिदेशित (यू एन जी ए संकल्प संख्या 2000 का 55/56 का तथा यू एन एस सी संकल्प संख्या 2003 का 1459) अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन स्कीम है। इसके तहत अपेक्षित है कि प्रत्येक प्रतिभागी रफ डायमंड के उत्पादन एवं व्यापार पर आंतरिक नियंत्रण लगाए। किसी गैर प्रतिभागी के साथ रफ डायमंड में व्यापार की अनुमति नहीं है। रफ डायमंड के सभी निर्यात के साथ एक वैध के पी प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि डायमंड संघर्ष मुक्त है।

भारत के पी सी एस के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इस समय के पी सी एस के 54 सदस्य हैं जिसमें यूरोपीय समुदाय भी शामिल है जो 81 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके एक सदस्य राज्य को एक भागीदार माना जाता है। हीरे का उत्पादन करने वाले व्यापार तथा पालिश करने वाले सभी बड़े केन्द्र इस के पी के सदस्य हैं। सिविल सोसाइटी और उद्योग समूह इस के पी में सक्रियता से भाग लेते हैं। के पी का अध्यक्ष पद वार्षिक आधार पर बदलता रहता है। उपाध्यक्ष का चयन वार्षिक पूर्ण बैठक में होता है तथा अगले साल वह अपने आप अध्यक्ष बन जाता है। के पी सी एस अध्यक्ष के पी सी एस के कार्यान्वयन, कार्य समूहों एवं समितियों के प्रचालनों तथा सामान्य प्रशासन पर नजर रखते हैं। आस्ट्रेलिया वर्ष 2017 के लिए इसका अध्यक्ष बना है और वर्ष 2018 में इसका अध्यक्ष यूरोपीय संघ होगा। 2008 में भारत केपी का अध्यक्ष था। 2018 में भारत केपी का उपाध्यक्ष बनेगा और 2019 में इसका अध्यक्ष होगा। ■

निर्यात संवर्धन तंत्र

वाणिज्य विभाग द्वारा विदेशी क्षेत्र से संबंधित व्यापार एवं उद्योग जगत के समक्ष मौजूद अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक समस्याओं को दूर करने के लिए निर्यात संवर्धन के अनेक उपाय एवं स्कीमें शुरू की गई हैं। इस अध्याय में इस विभाग की पहलों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रमुख स्कीमें, निर्यात संवर्धन परिषदों (ई पी सी) एवं अन्य प्रमुख संस्थाओं के माध्यम से सुगमता शामिल है।

प्रमुख स्कीमें

अवसंरचना सहायता

विभाग को विदेश व्यापार नीति तैयार करने और लागू करने की जिम्मेदारी के अलावा बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, राज्य व्यापार, निर्यात संवर्धन के उपायों तथा कतिपय निर्यात उन्मुख उद्योगों एवं वस्तुओं के विकास एवं विनियमन की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कूरियर, समुद्र, हवाई, रेल, सड़क मार्ग से माल की ढुलाई में व्यापारिक समुदाय द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं के समाधान एवं समन्वय के माध्यम से वाणिज्य विभाग भारत के विदेश व्यापार के लिए संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों के साथ परिवहन/ संधार तंत्रीय सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है। यह अधिक डिब्बाकरण, कार्गो क्लियरेंस के कंप्यूटीकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, माल गोदाम, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आई सी डी), कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सी एफ एस) आदि की स्थापना को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है ताकि उसके गंतव्य तक कार्गो की डिलीवरी में लगने वाला समय कम हो सके।

वाणिज्य विभाग सरकार / व्यक्तियों द्वारा अंतर्देशीय कंटेनर डिपो / कंटेनर फ्रेट स्टेशन (आई सी डी / सी एफ एस / ए एफ एस) से संबंधित आधारभूत सुविधाओं के विकास को संभव बनाने के लिए नोडल विभाग तथा अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए समन्वय स्थापित करता है। विशेष / अपर सचिव (अवसंरचना प्रभाग), वाणिज्य विभाग के अधीन अंतर मंत्रालयी समिति (आई एम सी) अंतर्देशीय कंटेनर डिपो / कंटेनर फ्रेट स्टेशन / एयर फ्रेट स्टेशन (आई सी डी / सी एफ एस / ए एफ एस) की स्थापना के प्रस्तावों के लिए एकल खिड़की क्लियरेंस है।

अब तक 326 मंशा पत्र (एलओआई) जारी किए गए हैं जिनमें से 236 परियोजनाएं (आईसीडी - 67 और सीएफएस - 169) क्रियाशील हैं, 54 परियोजनाएं (आईसीडी- 23, सीएफएस - 29 और एएफएस - 2) कार्यान्वयन चरण के अधीन हैं। 17 नवंबर 2016 से 31 नवंबर 2017 की अवधि के दौरान अंतर मंत्रालयी समिति की चार बैठकें हुईं जिसमें मंशा पत्र (एल ओ आई) जारी करने के लिए 07 प्रस्तावों तथा एल ओ आई की अवधि बढ़ाने के लिए 25 मामलों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अवसंरचना प्रभाग ने आईसीडी / सीएफएस / एएफएस की स्थापना के लिए आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने तथा उसकी परवर्ती प्रोसेसिंग के लिए एक पोर्टल का निर्माण किया है। संशोधित प्रक्रिया अधिक त्वरित एवं पारदर्शी अनुमोदन प्रक्रिया का सुनिश्चय करती है। एक अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के माध्यम से आईसीडी / सीएफएस / ए एफएस की स्थापना के लिए अनुमोदन को सुगम बनाया जाता है, जिसमें वाणिज्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, राजस्व विभाग तथा नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों को शामिल किया जाता है।

राज्यों में लाजिस्टिक्स निष्पादन में सुधार के लिए इस विभाग ने विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित लाजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक की तर्ज पर राज्य स्तरीय लाजिस्टिक्स निष्पादन संकेतकों के विकास की परिकल्पना की है। इस संबंध में प्रारंभिक राज्य स्तरीय निर्यात लाजिस्टिक्स निष्पादन संकेतकों का विकास करने के लिए कार्य आदेश पहले ही मैसर्स डेलाइट टच तोहमात्सू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा जा चुका है।

अवसंरचना प्रभाग, वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में दो उच्च स्तरीय समितियां अर्थात् समुद्री मार्ग से निर्यात संवर्धन पर स्थायी समिति (स्कोप-जहाजरानी) तथा हवाई मार्ग से निर्यात संवर्धन पर स्थायी समिति (स्कोप - हवाई) काम कर रही हैं। इन समितियों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कार्गो की अबाध आवाजाही से जुड़ी संभावित अड़चनों को दूर करना तथा सीमा शुल्क, डिब्बाकरण, हवाई, जहाजरानी एवं रेलवे सहित निर्यात से संबंधित विभिन्न विभागों से जुड़ी निर्यातकों की समस्याओं को दूर करना है। इन दो समितियों की बैठकें सामान्य तौर पर हर साल होती हैं। वर्ष 2004 से इन समितियों की दस बैठकें हुई हैं। 2016-17 में स्कोप (जहाजरानी) की 47वीं बैठक और स्कोप (हवाई) की 55वीं बैठक 18 अप्रैल 2017 को हुई। उनसे हितधारकों से संबंधित मुद्दों पर कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया है।

उपयुक्त के अलावा, कंसाइनमेंट के आयात / निर्यात के दौरान निर्यातकों / शिपर द्वारा सूचित कठिनाइयों के बारे में बचे हुए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों जिनकी वजह से शिपिंग लाइन, कंसोलिडेटर्स, फ्रेट फारवर्डर्स तथा अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा मनमाने एवं असाधारण प्रभारों के मद में लेनदेन की लागत

बढ़ जाती है, जैसे कि बंदरगाहों / हवाई अड्डों पर सेवा प्रदाताओं द्वारा कपटपूर्ण मूल्य नियतन तथा शिपिंग लाइनर की गुटबंदी जिसकी वजह से लागत काफी बढ़ जाती है, विभिन्न बंदरगाहों पर भीड़-भाड़ हो जाती है, उपयुक्त अवसंरचना का अभाव हो जाता है, बंदरगाहों पर आयोजना की स्थिति बदतर हो जाती है, को समय समय पर वाणिज्य विभाग द्वारा उपयुक्त स्तर पर उठाया गया है।

निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस)

वित्त वर्ष 2017-18 से तीन साल की अवधि के लिए टीआईईएस योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य निर्यात अवसंरचना में अंतरालों को पाटकर, संकेन्द्रित निर्यात अवसंरचना का सृजन करके, निर्यात उन्मुख परियोजनाओं के लिए पहले मील और आखिरी मील तक संपर्क का निर्माण करके और गुणवत्ता एवं प्रमाण पत्र के उपायों पर ध्यान देकर निर्यात की प्रतियोगितात्मकता बढ़ाना है। केन्द्रीय / राज्य एजेंसियों को सहायता प्रदान करके उनकी भागीदारी के माध्यम से निर्यात के विकास और प्रगति के लिए उपयुक्त अवसंरचना का सृजन करने पर मुख्य बल दिया जा रहा है। अवसंरचना के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के रूप में केन्द्र सरकार की सहायता प्रदान की जाती है जो सामान्यतया कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निवेश की जा रही इक्विटी से अधिक नहीं होती है या परियोजना में कुल इक्विटी का 50 प्रतिशत होती है। (उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर सहित हिमालयन राज्यों में स्थित परियोजनाओं के मामले में यह अनुदान कुल इक्विटी के 80 प्रतिशत तक हो सकता है)।

इस योजना का कुल परिव्यय 200 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय के साथ 600 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। 30 अक्टूबर 2017 तक की स्थिति के अनुसार 100 करोड़ रुपए में से 43.28 करोड़ रुपए की राशि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में स्थित 8 परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली विभिन्न एजेंसियों को संस्वीकृत / आवंटित की गई है।

निर्यात संवर्धन के लिए राज्यों की भागीदारी

व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद

केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद अधिसूचित की गई है जिसमें अवसंरचना एवं वित्त का काम देखने वाले केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों के सचिवों तथा शीर्ष उद्योग संघों के अलावा सभी राज्यों के व्यापार एवं उद्योग मंत्री सदस्य हैं। परिषद की पहली और दूसरी बैठक क्रमशः 08 जनवरी 2016 और 05 जनवरी 2017 को बुलाई गई तथा परिषद की तीसरी बैठक दिसंबर 04 जनवरी 2018 को आयोजित करने का प्रस्ताव है जिसमें सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र भाग लेंगे।

पहली और दूसरी बैठक के दौरान राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबंधितों के साथ उठाया गया तथा उनके समाधान के लिए प्रयास किए गए। परिषद राष्ट्रीय व्यापार नीति पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए को मंच प्रदान करती है।

राज्य सरकारों तथा निर्यातकों के साथ संयुक्त बैठकों की नई पहल

इस पहल के तहत वाणिज्य सचिव व्यापार से संबंधित आधारभूत सुविधाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता तथा अन्य मुद्दों पर राज्यों को संवेदनशील बनाने के लिए वाणिज्य विभाग, डी जी एफ टी, सीमा शुल्क, कंकोर तथा संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों की टीम का नेतृत्व करते हैं। वाणिज्य सचिव तथा राज्यों के मुख्य सचिव की संयुक्त अध्यक्षता में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य से निर्यात पर डी जी सी आई एस डाटा, स्थानीय निर्यातकों / सी एच ए द्वारा उल्लिखित स्थानीय कराधान / लेवी से संबंधित मुद्दों, बिजली की उपलब्धता, रोड / रेल संपर्क आदि पर विचार विमर्श होता है। राज्य के निर्यात बासकेट पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय करारों के संभावित प्रभावों पर भी चर्चा होती है ताकि राज्य उद्योग के विकास की योजना बना सकें। चर्चा के दौरान राज्य विभिन्न अड़चनों को दूर करने के लिए अपनी कार्य योजना के बारे में उल्लेख करते हैं।

सामान्य तौर पर राज्य सरकार के साथ इस बैठक से पहले या इसके बाद राज्य के निर्यातकों / फ्रेड फारवर्डर्स / सी एच ए के साथ बैठक होती है। खुले सत्र में संधार तंत्रीय अड़चनों सहित निर्यातकों के समक्ष मौजूद अड़चनों पर चर्चा होती है। यह निर्यातक बिरादरी के एक बड़े वर्ग को वाणिज्य सचिव तथा

स्थानीय विनियामक विभागों के प्रमुखों के साथ सीधे चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करती है ताकि वे अपने विस्तार की योजना बना सकें। वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की यह पहल निर्यातकों को केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तर पर विभिन्न विनियामक एजेंसियों के साथ अपनी वर्तमान समस्याओं को व्यक्त करने के लिए एक अंतःक्रियात्मक मंच प्रदान करती है। अंतःक्रियात्मक सत्रों में भागीदारी बहुत अधिक होती है क्योंकि राज्यों के निर्यातक विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस अनन्य मंच का प्रयोग करते हैं।

इसके अंग के रूप में वाणिज्य सचिव ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान में ऐसी संयुक्त बैठकें, सभी पूर्वोत्तर राज्यों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की सम्मिलित बैठक बुलाई है।

राज्य विशिष्ट निर्यात रणनीतियां

निर्यात की क्षमता वाली मर्चों का विकास करने और शिनाख्त करने तथा उनके संवर्धन के लिए राज्य विशिष्ट निर्यात रणनीतियां तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी निर्यात रणनीति के अभिन्न अंग के रूप में जैविक खेती के संवर्धन, मानकों एवं प्रमाणन के संवर्धन, सेवा निर्यात के संवर्धन तथा निर्यात अवसंरचना एवं लाजिस्टिक्स में सुधार को शामिल करें।

राज्य सरकारों द्वारा निर्यात रणनीति के विकास की स्थिति

अब तक 17 राज्यों अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी और उत्तराखंड ने अपनी निर्यात रणनीति भेजी है। इस विभाग की एमएआई योजना के तहत एफआईआईओ द्वारा 6 और राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, ओडिशा (संशोधन), मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और छत्तीसगढ़ की निर्यात रणनीति तैयार की जा रही है। शेष राज्यों में से कुछ राज्यों ने निर्यात रणनीति तैयार करने के लिए आईआईएफटी आदि जैसे संगठनों की सेवाएं ली हैं।

निर्यात आयुक्त की नियुक्ति की स्थिति

राज्य सरकारों द्वारा निर्यात से संबंधित सभी गतिविधियों के समन्वय के लिए: 28 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर, पंजाब, पुडुचेरी, कर्नाटक, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान ने सूचित किया है कि उन्होंने विकास आयुक्तों की नियुक्ति कर ली है।

भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफ आई ई ओ)

निर्यात संवर्धन संगठनों के एक शीर्ष निकाय के रूप में 1965 में भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ का गठन किया गया। यह दिल्ली में मुख्यालय के साथ 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। इसे विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के परिशिष्ट 2टी के तहत निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में अभिचिन्हित किया गया है। सभी महानगरों तथा कानपुर, लुधियाना, गुवाहाटी, रांची, इंदौर आदि जैसे शहरों को शामिल करते हुए पूरे देश में इसके 17 कार्यालय हैं। भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ निर्यातकों तथा नीति निर्माताओं के बीच अंतःक्रिया के लिए प्लेटफार्म के रूप में काम कर रहा है। शीर्ष निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं में भारतीय निर्यात समुदाय के प्रयासों को सुदृढ़ करने में सहायक है। यह आई एस ओ 9001-2008 प्रमाणित संगठन है।

निर्यात संवर्धन के लिए शीर्ष संगठन के रूप में भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ की प्रबंध समिति में निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों, एपिडा और मपेडा आदि के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। विदेश व्यापार नीति के अनुसरण में भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ को स्टेटस होल्डर निर्यातक फर्मों तथा अनेक उत्पादों में डील करने वाले निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। यह उत्पत्ति प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) भी प्रदान करता है, जो माल की उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में अपेक्षित है। यह 22,000 से अधिक सदस्यों को एकीकृत सहायता प्रदान करने के लिए एक सेवा एजेंसी के रूप में काम करता है, जिसमें सरकार द्वारा प्रदान किए गए मान्यता स्टेटस को धारण करने वाली निर्यात फर्मों, परामर्श फर्मों और सेवा प्रदाता शामिल हैं।

भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से क्रेताओं/विक्रेताओं को एक ई-प्लेटफार्म प्रदान करता है। यह पूरी दुनिया में और विशेष रूप से दोहन न किए गए देशों में व्यापार मेला और प्रदर्शनी का भी आयोजन करता है / भाग लेता है। एफ आई ई ओ ने अपने सदस्यों को वाणिज्यिक सूचना एवं विपणन सहायता प्रदान करने के लिए पूरे विश्व के अग्रणी चैंबर्स के साथ 90 एम ओ यू पर हस्ताक्षर किया है।

बाजार पहुंच पहल (एम ए आई) स्कीम

बाजार पहुंच पहल (एम ए आई) स्कीम एक योजनागत स्कीम है जिसे स्थाई आधार पर भारत के निर्यात का संवर्धन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया है। इस योजना के तहत निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों तथा शीर्ष व्यापार निकायों को सहायता प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत निर्यातकों की सहायता करने के लिए प्रावधान हैं (उत्पाद पंजीकरण तथा विदेश में इंजीनियरिंग / फार्मास्यूटिकल उत्पादों के परीक्षण प्रभागों के लिए)। अगस्त 2014 में स्कीम को आखिरी बार संशोधित किया गया। एम ए आई स्कीम के तहत ऐसे वित्त पोषण के विस्तृत उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- विश्व स्तरीय माल एवं सेवाओं के प्रदाता के रूप में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करना एवं प्रोत्साहित करना।
- भारत को निवेश / स्रोत के एक आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना।
- भारत के लिए एक मजबूत ब्रांड इमेज सृजित करना।
- भारतीय माल एवं सेवाओं का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभिचिन्हित बाजारों में विदेशों में प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निर्यातकों / उद्योग निकायों को सुगमता प्रदान करना।
- नए / संभावित बाजारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा वैश्विक व्यापार पर सूचना तक पहुंच प्राप्त करने में निर्यातकों को सुगमता प्रदान करना।

स्कीम के तहत शामिल विभिन्न गतिविधियों के लिए नामित व्यापार संगठन के माध्यम से एम ए आई स्कीम के तहत सहायता मंजूर की जाती है। प्रस्तावों के अनुमोदन की प्रक्रिया में स्कीम के तहत अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से प्रस्तावों की जांच शामिल है।

वर्ष 2017-18 के दौरान स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए 246 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

एम ए आई आवंटन / निर्मुक्ति का वर्षवार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	परिव्यय	व्यय@
2007-08	45.00	44.99
2008-09	50.00	49.99
2009-10	64.00	64.99
2010-11	110.00	110.00
2011-12	150.00	150.00
2012-13	125.00	125.00
2013-14	179.99	179.99
2014-15	199.99	199.99
2015-16	224.99	224.99
2016-17	220.51	200.51
2017-18	203.49	144.20 (14 नवंबर 2017 तक की स्थिति के अनुसार)

/ व्यय पिछले वर्ष (वर्षों) में अनुमोदित कार्यक्रमों / अध्ययनों के लिए जारी की गई कुल निधियों के अलावा अगले वर्ष ऐसे प्रस्तावों / अध्ययनों के लिए जारी किए गए अग्रिम को भी दर्शाता है।

प्रमुख कार्यक्रम जिनको 2017-18 के दौरान एम ए आई स्कीम के तहत सहायता प्रदान की गई

क्र. सं.	क्षेत्र	परिषद	तिथि
1	टेक्स्टाइल इंडिया, गुजरात	सभी टेक्स्टाइल ईपीसी	30 जून 2017 - 3 जुलाई, 2017
2	सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी	एस ई पी सी / सी आई आई	अप्रैल, 2017
3	अस्ताना एक्सपो, 2017, कजाकिस्तान	आईटीपीओ	10 जून, 2017 - 10 सितंबर, 2017
4	'बेंगलुरु स्वास्थ्य देखरेख का लाभ'	फिक्की / ईईपीसी / एसईपीसी	अक्टूबर, 2017
5	इफेक्स, 2016, हैदराबाद	फार्मेक्सिल	26 से 28 अप्रैल, 2017
6	इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो, मुंबई	जीजेईपीसी	जुलाई 2017

प्रमुख कार्यक्रम जिनको 2017-18 के दौरान एम ए आई स्कीम के तहत सहायता प्रदान की गई

परामर्शी निकाय

व्यापार बोर्ड (बी ओ टी)

विदेश व्यापार नीति विवरण 2015-2020 के पैरा 300 के तहत प्रदान किए गए अधिदेश के अनुसार व्यापार अधिसूचना संख्या 21 दिनांक 23 मार्च 2016 के माध्यम से व्यापार बोर्ड (बी ओ टी) का पुनर्गठन किया गया है। व्यापार बोर्ड का उद्देश्य व्यापार एवं उद्योग जगत के साथ निरंतर चर्चा एवं परामर्श करना है। भारत के व्यापार में तेजी लाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यापार बोर्ड अन्य बातों के साथ विदेश व्यापार नीति से संबंधित नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देगा।

व्यापार बोर्ड के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

- 1) उभरते राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्यों के आलोक में निर्यात बढ़ाने के लिए अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक दोनों प्रकार की योजनाओं को तैयार करने एवं लागू करने के लिए नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देना;
- 2) विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा करना, अड़चनों की पहचान करना और निर्यात आय को इष्टतम करने के लिए उद्योग विशिष्ट उपायों का सुझाव देना;
- 3) आयात एवं निर्यात के लिए विद्यमान संस्थानिक रूपरेखा की जांच करना और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसे और सरल एवं कारगर बनाने के लिए व्यावहारिक उपायों का सुझाव देना;
- 4) आयात एवं निर्यात के लिए नीतिगत लिखतों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा इष्टतम उपयोग के लिए उनको तर्कसंगत बनाने हेतु कदमों का सुझाव देना; और
- 5) ऐसे मुद्दों की जांच करना जिन्हें भारत के व्यापार के संवर्धन तथा भारतीय माल एवं सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए संगत समझा जाता है।

पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की दूसरी बैठक 20 जून, 2017 को हुई थी। बैठक के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने रेखांकित किया है कि निर्यात परिदृश्य अब बदल गया है तथा वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू की गई अनेक पहलों के फलस्वरूप पिछले 8 महीनों के दौरान सकारात्मक विकास का प्रदर्शन किया है; व्यापार सुगमता के उत्पादक परिणाम जहां भारत निर्यातों को प्रभावित करने वाली अनेक व्यापार बाधाओं को सरल बनाने में समर्थ हुआ है; वाणिज्य विभाग जीएसटी के संबंध में निर्यातकों के अनेक मुद्दों को समाधान करने के लिए राजस्व विभाग के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है।

बैठक के दौरान निर्यातकों और संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा हुई। आवश्यक कार्रवाई के लिए चर्चा का रिकार्ड (आरओडी) संबंधित मंत्रालय / विभागों / संगठनों को परिचालित किया गया।

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आई बी ई एफ)

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक न्यास है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य विदेशी बाजारों में ब्रांड इंडिया' लेबल के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करना तथा भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में जानकारी के प्रसार को सुगम बनाना है। इस प्रयोजन के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन सरकार एवं उद्योग जगत के

हितधारकों के साथ निकटता से काम करता है।

2017 में समुद्रपारीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में निर्यात के प्रमुख क्षेत्रों की सहायता के लिए उसकी ब्रांडिंग की गतिविधियों पर भी आईबीईएफ का विस्तार किया गया है। सभी क्षेत्रों में प्रमुख गतिविधियों के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

चमड़ा: सेंटियागो, चिली में एक्सपो पेरू, 2 से 4 अगस्त, 2017 और क्रोता - विक्रेता बैठक, 7 और 8 अगस्त 2017 : आईबीईएफ तथा चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) ने लीमा - पेरू में 2 से 4 अगस्त 2017 तक एक्सपो पेरू में भाग लेकर और सेंटियागो - चिली में 7 और 8 अगस्त 2017 को क्रोता - विक्रेता बैठक का आयोजन करके लैटिन अमेरिका के बाजार में अपना ब्रांड इंडिया लेदर अभियान लांच किया। पेरू और सेंटियागो में क्रमशः 3 और 7 अगस्त 2017 को भारतीय चमड़ा क्षेत्र पर दो प्रेस कांफ्रेंस का भी आयोजन किया गया। दोनों देशों में गेस्टियन, अल कामर्सियो, ला रिपब्लिका, कैरो, एक्सप्रेसो, लास अल्टीमास, ला एस्ट्रेला जैसे अग्रणी प्रकाशनों में 10 दिन तक मीडिया कवरेज प्रदान किया गया।

वस्त्र: इंडिया ट्रेड फेयर, टोकियो, 27 से 29 सितंबर, 2017 : आईबीईएफ ने बेल्ले साले शिवूया गार्डन में 27 से 29 सितंबर 2017 के दौरान भारत-जापान उद्योग संवर्धन संगठन (जेआईपीपीए) द्वारा आयोजित इंडिया ट्रेड फेयर, टोकियो, जापान में सहायता प्रदान करके जापान में टेक्स(टाइल क्षेत्र की ब्रांडिंग शुरू की। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) और हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) से 80 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया। आईबीईएफ ने एक प्रेस कान्फ्रेंस तथा एक फैशन शो का आयोजन किया जिसमें जापानी परिधान एवं वस्त्र के लिए शामिल किए जा रहे भारतीय टेक्सटाइल एवं फैब्रिक को प्रदर्शित करते हुए भारतीय कंपनियों के नवाचारी क्रिएशन को प्रदर्शित किया गया। सेन 1 न्यूज, शेकें शिंबुन, एशिया टेक्सटाइल बिजनेस न्यूज तथा अनेक अन्य प्रकाशकों द्वारा इवेंट को कवर किया गया।

खाद्य: अनुगा, कोलोन (जर्मनी), 5 से 9 अक्टूबर, 2017: अनुगा, कोलोन, 2017 में भारत के लिए आईबीईएफ ब्रांड पार्टनर था जहां भारत साझेदार देश था। 'विश्व की सबसे तेजी से विकास करने वाली खाद्य अर्थव्यवस्थाओं में से एक' की टैग लाइन के साथ आईबीईएफ की ब्रांडिंग जिसमें वेन्यू तथा आउटडोर विज्ञापन, ज्ञान किट एवं डिजिटल अभियान शामिल थे, ने उन अवसरों को उजागर किया जिन्हें भारत ने खाद्य क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में प्रस्तुत किया है। अनुगा के लिए डिजिटल विपणन अभियान ने 17,955,585 इंप्रेशन का सृजन किया तथा आईबीईएफ द्वारा सृजित अनुगा वेब पेज के लिए 62,588 विजिट का सृजन किया।

इंजीनियरिंग: एमएसवी ब्रनो, चेक गणराज्य, 9 से 13 अक्टूबर 2017 : अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग मेला (एमएसवी) मध्य यूरोप में अग्रणी औद्योगिक व्यापार मेला है जिसमें वार्षिक आधार पर पूरी दुनिया से 59 देशों के 1500 से अधिक प्रदर्शक और 75000 विजिटर भाग लेते हैं। भारत ने एमएसवी ब्रनो 2017 में साझेदार देश के रूप में भाग लिया। लगभग 100 निजी कंपनियों, पीएसयू, विभिन्न राज्यों (झारखंड, कर्नाटक) और अन्य सरकारी विभागों एवं निकायों (इस्पात मंत्रालय, राष्ट्रीय डिजाइन संस्था न) वाले भारतीय शिष्ट) मंडल का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सी आर चौधरी ने किया। आईबीईएफ ने वेन्यू, शहर, अखबारों में विज्ञापन, डिजिटल ब्रांडिंग और पीआर सहित भारत की भागीदारी के लिए ब्रांडिंग एवं प्रचार योजना की जिम्मेदारी निभाई। 'इंडिया: इंजीनियर्ड टू एक्सेल' नामक अंब्रेला थीम के अंग के रूप में डिजाइन किए गए ब्रांडिंग अभियान को घरेलू एवं विदेशी आगंतुकों दोनों द्वारा समान रूप से सराहा गया।

फार्मा: सीपीएचएल वर्ल्ड वाइड, फ्रैंकफर्ट 24 से 26 अक्टूबर, 2017 : वाणिज्य मंत्रालय की सहायता से तथा फार्मेक्सिल के साथ मिलकर आईबीईएफ यूरोपीय बाजार में ब्रांड इंडिया फार्मा अभियान चला रहा है जिसके लिए वेन्यू ब्रांडिंग, थॉट लीडरशिप प्रोग्राम, मीडिया भागीदारी तथा डिजिटल मीडिया अभियान के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में सीपीएचएल वर्ल्ड वाइड के प्लेटफार्म का प्रयोग किया जा रहा है। सीपीएचएल वर्ल्डवाइड 2017 में इस साल भागीदारी का रोचक पहलू यह था कि इसमें थॉट लीडरशिप प्रोग्राम शामिल किया गया जिसने 'विश्व विरासत: संवहनीयता, सुगम्यता एवं दक्षता पर एक संदर्श में भारत का योगदान' पर सेमिनार पर ध्यान केंद्रित किया।

इसने भारतीय फार्मा क्षेत्र के अग्रणी विश्लेषकों को शामिल किया जिन्होंने भारतीय फार्मा क्षेत्र की हाल की रुझानों एवं उपलब्धियों पर चर्चा की। इसे प्रतिदिन इवेंट के शो में व्यापक पैमाने पर कवर किया गया।

आईबीईएफ ज्ञान केन्द्र: आईबीईएफ की वेबसाइट www.ibef.org भारतीय व्यवसाय एवं अर्थव्यवस्था पर सूचना के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में उभरी है। 2017 में वेबसाइट को विजिट करने वाले लोगों की संख्या प्रतिमाह 400,000 को पार कर गई।

चाय, कॉफी और मसालों के लिए आनलाइन ब्रांड अभियान : वाणिज्य विभाग के मार्गदर्शन में आईबीईएफ ने चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड और मसाला बोर्ड के साथ मिलकर क्रमशः चाय, कॉफी और मसालों के लिए 6 माह के एक आनलाइन अभियान का संचालन किया। सोशल मीडिया पर तीनों क्षेत्रों के लिए विशाल टैक्शन आकर्षित करने में यह अभियान सफल रहा - कुल भागीदारी 1.85 करोड़ पर पहुंच गई। क्षेत्रवार उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

क्षेत्र	पहुंच	भागीदारी
चाय	18.4 करोड़ रुपए	63.6 लाख रुपए
कॉफी	10.5 करोड़ रुपए	48.72 लाख रुपए
मसाले	13.68 करोड़ रुपए	72.99 लाख रुपए

निर्यात संवर्धन परिषद (ई पी सी)

निर्यात संवर्धन परिषद (ई पी सी) निर्यात संवर्धन परिषद कंपनी अधिनियम, 1956 की तत्कालीन धारा 25 के तहत सामान्यतया सृजित व्यापार संवर्धन औद्योगिक निकाय (लाभ न कमाने के लिए कंपनी) हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा इनका संवर्धन किया जाता है। वाणिज्य ई पी सी विशिष्ट रूप से सरकार द्वारा उनको आवंटित उत्पाद श्रेणी के निर्यातकों की जरूरतें पूरी करती है। इनमें से कुछ जैसे कि सेवा ई पी सी सोसाइटी अधिनियम से अपना कानूनी स्तर प्राप्त करती हैं।

निर्यात संवर्धन परिषद अपने अधिदेश के अनुसार विदेशी क्रेताओं को भारत से माल के उनके प्रापण को सुगम बनाने के लिए अनेक सेवाएं प्रदान करती हैं। निर्यात संवर्धन परिषदें भारतीय निर्यातकों एवं विदेशी क्रेताओं के बीच कड़ी के रूप में काम करती हैं तथा कई तरह की गतिविधियों में सुगमता प्रदान करती हैं जैसे कि उपयुक्त भारतीय आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करना, क्रेता की आवश्यकताओं की पुष्टि करना, विदेशी क्रेताओं के दौरों की व्यवस्था करना, भारत में निर्यात मिशनों एवं शिष्टमंडलों को सहायता प्रदान करना, आपूर्तिकर्ताओं की प्रोफाइल प्रदान करना, तीसरे देश को निर्यात के लिए साझेदारी स्थापित करने में मदद करना, भारत की तकनीकी विशेषज्ञता तथा आपूर्ति की क्षमता पर विदेशी क्रेताओं में जागरूकता पैदा करना, विदेशी क्रेताओं को भारत में कारोबार संबंधी नीतियों एवं परिवेश से अवगत कराना, व्यापार से जुड़े विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान में मदद करना, प्रचालन संबंधी अड़चनों को दूर करना आदि। इस प्रयोजन के लिए भारत में एवं विदेश में स्थित सरकारी एजेंसियों के साथ नियमित अंतःक्रिया ई पी सी की भूमिका का अंग है।

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी जे ई पी सी)

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), जो भारतीय रत्न एवं आभूषण उद्योग की शीर्ष व्यापार संस्थान है, इस साल अपने गठन के 51 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रही है। 26 अक्टूबर 2017 की स्थिति के अनुसार इसके सदस्यों की संख्या 6380 के आसपास है। रत्न एवं आभूषण विनिर्माण क्षेत्र भारत का अग्रणी विदेशी मुद्रा अर्जक क्षेत्र है। राजकोषीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारत से रत्न एवं आभूषण के निर्यात ने 43,412.76 मिलियन अमरीकी डालर

का निष्पादन दर्ज किया जो 10.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। देश के कुल पण निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान 15.74 प्रतिशत के आसपास है। इसके तहत भारी संख्या में एस एम ई यूनिटें शामिल हैं जो कुशल एवं अर्धकुशल मजदूरों को रोजगार देती हैं, जिनमें से लगभग सभी यूनिटें असंगठित क्षेत्र में हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी जे ई पी सी) ने भारत एवं विदेशों में निम्नलिखित कार्यक्रमों / प्रदर्शनियों में भाग लिया:

- विसेंजा, इटली में 20 से 25 जनवरी, 2017 तक विसेंजा ओरो विंटर, 2017
- बेलजियम में 29 से 31 जनवरी 2017 तक एंटवर्प इंटरनेशनल डायमंड फेयर, 2017
- ग्वांगझू, चीन में 20 से 22 फरवरी 2017 तक इंडिया डायमंड वीक 2017
- 28 फरवरी से 4 माह 2017 तक हांगकांग इंटरनेशनल डायमंड, जेम एंड पर्ल शो 2017
- हांगकांग में 2 से 6 मार्च 2017 तक हांगकांग इंटरनेशनल ज्वेलरी शो 2017
- बासेल, स्विटजरलैंड में 23 से 30 मार्च 2017 तक बासेल वर्ल्ड 2017
- एंटवर्प, बेलजियम में 7 से 9 मई 2017 तक काराट्स + 2017
- नई दिल्ली, भारत में 14 से 16 मई 2017 तक इंडिया सार्क मिडिल ईस्टत बीएसएम 2017
- लास वेगास, यूएसए में 5 से 8 जून, 2017 तक जेसीके लास वेगास शो
- सिंगापुर में 13 से 16 जुलाई 2017 तक सिंगापुर इंटरनेशनल ज्वेलरी एक्सपो 2017
- सिडनी, आस्ट्रेलिया में 26 से 28 अगस्त 2017 तक इंटरनेशनल ज्वेलरी फेयर
- विसेंजा, इटली में 23 से 27 सितंबर 2017 तक विसेंजा ओरो फाल 2017
- उपर्युक्त के अलावा, जीजेईपीसी ने 2017-18 में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया:
- मुंबई में 6 से 9 फरवरी 2017 तक सिग्नेचर आईआईजेएस और आईजीजेएमई 2017
- मुंबई में 6 फरवरी 2017 को 'डायमंड का वित्त पोषण नए अवसर, नई सच्चाइयां 2017' पर बैंकिंग सेमिनार
- 19 मार्च 2017 को इसकी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ समारोह जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को संबोधित किया।
- मुंबई में 18 मार्च 2017 को 43वां भारतीय रत्न एवं आभूषण पुरस्कार 2016 (आईजीजेए 2016)
- 19 और 20 मार्च 2017 को अंतर्राष्ट्रीय डायमंड सम्मेलन-खदान से बाजार तक
- सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एसपीआईईएफ 2017 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री तथा रूस के माननीय राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति में 1 जून 2017 को जीजेईपीसी तथा अलरोसा के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- मुंबई में 27 से 31 जुलाई 2017 तक इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो (आई आई जे एस 2017) का 34वां संस्करण

रफ डायमंड के कंसाइनमेंट के आयात के लिए विशेष अधिसूचित क्षेत्र:

भारतीय हीरा उद्योग अधिकतर आयात पर निर्भर है तथा विदेशी हीरा खनन कंपनियों से अपनी प्राथमिक कच्ची सामग्री - रफ डायमंड का प्रापण करने की निरंतर आवश्यकता होती है। रफ डायमंड की निरंतर आपूर्ति को सुगम बनाने तथा भारत को डायमंड व्यापार का एक अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र बनाने के उद्देश्य से भारत

डायमंड बर्स, मुंबई में भारतीय हीरा व्यापार केन्द्र - विशेष अधिसूचित क्षेत्र (आई डी टी सी - एस एन जेड) सृजित किया गया है। सरकार द्वारा एसएनजेड के प्रचालन के लिए अपेक्षित नीतिगत रूपरेखा स्थापित की गई है तथा एसएनजेड में विदेशी खनन कंपनियों द्वारा प्रचालनों पर नजर रखने का कार्य शुरू हो गया है। इसके अस्तित्व में आने के बाद से लेकर सितंबर 2017 तक आईडीटीसी में की गई कुल व्यूविंग 49 (359 दिन) थी तथा 5527606 कैरट अर्थात 925.61 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के डायमंड प्रदर्शित किए गए।

चमड़ा निर्यात परिषद (सी एल ई)

भारतीय अर्थव्यवस्था में चमड़ा उद्योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यह देश के लिए शीर्ष 10 विदेशी मुद्रा अर्जकों में से एक है। 12 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के वार्षिक कारोबार के साथ पिछले दशकों में चमड़ा और चमड़े के उत्पादों के निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है तथा 2016-17 में इसमें 5.67 बिलियन अमरीकी डालर के आंकड़े को छू लिया जो लगभग 3.09 प्रतिशत की संचयी वार्षिक वृद्धि दर (5 वर्ष) को दर्शाता है। चमड़ा उद्योग एक रोजगार गहन क्षेत्र है जो लगभग 3.09 मिलियन लोगों को रोजगार दे रहा है, जिसमें से अधिकतम समाज के कमजोर वर्गों से हैं। चमड़ा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों में महिलाओं का अनुपात 30 प्रतिशत है। भारतीय चमड़ा क्षेत्र की अनेक विशेषताएं हैं जैसे कि (क) पूरी दुनिया में भारत फुटवियर तथा लेदर गारमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, (ख) लेदर गारमेंट का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, (ग) लेदर गुड्स का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है, (घ) विश्व के चमड़ा उत्पादन में भारत का योगदान 12.95 प्रतिशत है।

निर्यात निष्पादन

भारत के चमड़ा और चर्म उत्पादों का निर्यात 2012-13 में 5015.41 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2016-17 के दौरान 5665.91 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो लगभग 3.09 प्रतिशत की संचयी वार्षिक वृद्धि दर (5 वर्ष) को दर्शाता है।

5 वर्षों के लिए भारत के चमड़ा और चर्म उत्पादों के निर्यात को प्रदर्शित करने वाला विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	कार्यक्रम
01	10 से 13 जून, 2017 तक 88वां एक्सपो रीवा सच, गार्डा फेयर इटली
02	चिली और पेरू में क्रेता - विक्रेता बैठक, पेरू में 2 से 4 अगस्त 2017 तक चिली में 7 और 8 अगस्त 2017 को
03	हो ची मिन्ह शहर, वियतनाम में 12 से 14 जुलाई 2017 तक 19वां शूज एण्ड लेदर फेयर
04	मैजिक शो, लास वेगास, यू एस ए, 13 से 16 अगस्त, 2017
05	स्पोगा हार्स फेयर, कोलोन, जर्मनी, 3 से 5 सितंबर 2017
06	फैशन वर्ल्ड, टोकियो, जापान, 11 से 13 नवंबर 2017
07	भारतीय चमड़ा दिवस (जर्मनी), 08-09 नवम्बर, 2017
08	13 से 16 जनवरी 2018 तक 89वां एक्सपो रीवा सच, गार्डा फेयर इटली
09	1 से 3 फरवरी 2018 तक चेन्नई में डिजाइनर्स फेयर
10	मैजिक शो, लास वेगास, यू एस ए, 14 से 16 फरवरी, 2018
11	दक्षिण अफ्रीका में क्रेता-विक्रेता बैठक, 12 - 13 मार्च 2018
12	हांगकांग में फैशन अक्सेस, 14-16 मार्च 2018
13	स्पेन में 20-21 मार्च, 2018 को भारतीय चमड़ा शो
14	हांगकांग में 14 से 16 मार्च 2018 तक एमएम एण्ड टी - सामग्री विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी मेला
15	दुबई में बी एस एम, दिसंबर 2017
16	मास्को, रूस में मार्च 2018 में एमओएस शूज

मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)					
श्रेणी	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
फिनिश लेदर	1093.73	1284.71	1329.05	1046.45	888.89
फुटवियर	2066.91	2557.66	2945.58	2739.06	2775.77
लेदर गारमेंट	563.54	596.15	604.25	553.11	536.57
चमड़े की वस्तुएं	1180.82	1353.91	1453.26	1370.04	1321.61
काठी एवं साज	110.41	145.54	162.70	146.38	143.08
कुल	5015.41	5937.97	6494.84	5855.06	5665.91
वृद्धि (प्रतिशत में)	2.91	18.39	9.37	-9.84	-3.23
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

निर्यात की वर्तमान रुझानें:

अप्रैल से अगस्त 2016-17 के मुकाबले में अप्रैल से अगस्त 2017-18 की अवधि के दौरान भारत के चमड़ा और चर्म उत्पादों का निर्यात 2456.28 मिलियन अमरीकी डालर से घटकर 2452.92 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो -0.14 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

तथापि, परिषद ने विदेशों में निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसकी वजह से नकारात्मक वृद्धि 2015-16 में -9.84 प्रतिशत से घटक 2016-17 में -3.23 प्रतिशत हो गई और पुनः अप्रैल से अगस्त 2017-18 के दौरान घटकर -0.14 प्रतिशत हो गई।

अप्रैल से अगस्त 2017-18 के दौरान जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों तथा रूस, चीन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका जैसे बाजारों को निर्यात ने सकारात्मक वृद्धि का प्रदर्शन किया है।

आयात

चमड़ा और चर्म उत्पादों का आयात अप्रैल से अगस्त 2016-17 में 531.

02 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल से अगस्त 2017-18 के दौरान 573.95 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है। आयात की प्रमुख मदों में कच्ची खाल / त्वचा तथा तैयार लेदर शामिल थे जिनका आयात में 50 प्रतिशत योगदान था, जिनका प्रयोग लेदर के मूल्यवर्धित उत्पादों एवं फुटवियर के विनिर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में होता है।

नीतिगत सहायता के उपाय:

ग्रीन टैनिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संघ बजट 2017-18 ने वानस्पतिक टैनिंग सत्त अर्थात वाटले सत्त (3201 20 00) और माइरोबलान फ्रूट सत्त (3201 90 20) पर बुनियादी सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने की घोषणा की।

एमएआईएस 2017-18 के तहत विपणन सहायता:

1220.32 लाख रुपए की वित्त पोषण सहायता से एमएआईएस 2017-18 के तहत तालिका में दिए गए 16 कार्यक्रमों को अनुमोदित किया गया है।

ए एस आई डी ई स्कीम के तहत निर्यात क्लस्टर्स में अवसंरचना परियोजनाएं

चमड़ा निर्यात परिषद को तत्कालीन ए एस आई डी ई स्कीम के तहत वाणिज्य विभाग से तथा राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ पूरे देश में चमड़ा क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। परिषद ने विभिन्न चमड़ा क्लस्टरों में एएसआईडीई योजना के तहत अनेक परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है।

चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है जो इस समय कार्यान्वयन के अधीन हैं :

- 2173.83 लाख रुपए के वित्तीय परिव्यय से व्यापार केन्द्र, आगरा, उत्तर प्रदेश पूरा होने के करीब पहुँच रहा है।
- 1314.65 लाख रुपए के वित्तीय परिव्यय से टेस्टिंग लैब और डिजाइन स्टूडियो, आगरा (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित राज्य एएसआईडीई)
- 2468.07 लाख रुपए के वित्तीय परिव्यय से मेलविश्रम, तमिलनाडु में सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी)
- 1773.15 लाख रुपए के वित्तीय परिव्यय से रानीटेक सीईटीपी, तमिलनाडु में जेडएलडी प्रणाली की 1 एमएलडी की अतिरिक्त क्षमता का सृजन
- 1308.12 लाख रुपए के वित्तीय परिव्यय से माधवराम सीईटीपी, तमिलनाडु में 596 केएलडी की अतिरिक्त प्रणाली का सृजन
- 1864 लाख रुपए के वित्तीय परिव्यय से विशटेक सीईटीपी, तमिलनाडु में जेडएलडी प्रणाली की 750 केएलडी की अतिरिक्त क्षमता का सृजन

बुनियादी रसायन, कास्मेटिक्स और डाई निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल)

बुनियादी रसायन एवं कास्मेटिक्स निर्यात संवर्धन परिषद जो केमेक्सिल के नाम से विख्यात है, का गठन वर्ष 1963 में मुंबई में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य भारत से विभिन्न विदेशी राष्ट्रों में डाई एवं डाई इंटरमीडिएट, बुनियादी जैविक एवं अजैविक रसायनों, कृषि रसायन सहित, कास्मेटिक्स, साबुन, डिटर्जेंट, प्रसाधन सामग्री एवं आवश्यक तेल तथा अरंडी के तेल के निर्यात को प्रोत्साहित करना है।

केमेक्सिल की प्रमुख भूमिकाएं इस प्रकार हैं :

- रसायन उद्योग / निर्यातकों की आवश्यकताओं से अवगत कराने के लिए सरकारी प्राधिकारियों से संपर्क बनाए रखना और निर्यात में तेजी लाने के लिए उपयुक्त विदेश व्यापार नीति रूपरेखा एवं बजटीय सहायता का सुनिश्चय करना।
- निर्यात की अड़चनों तथा प्रचालन से जुड़ी बाधाओं को दूर करना।
- निर्यात संवर्धन के सीधे कार्य करना जैसे कि विभिन्न देशों में व्यापार शिष्टमंडल भेजना और किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेना।
- रीवर्स क्रेता - विक्रेता बैठकों का आयोजन करना तथा विदेशी शिष्टमंडलों की मेजबानी करना।
- बाजार सूचना तथा सांख्यिकीय सहायता प्रदान करना।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क, ड्यूटी ड्राबैक, बैंकिंग, ईसीजीसी आदि के संबंध में सदस्य निर्यातकों के मुद्दों का प्रतिनिधित्व करना।
- निर्यात नीतियों एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को समझने में निर्यातकों की मदद करना।
- क्षमता निर्माण पहल के रूप में, निर्यात क्रेडिट जोखिम बिंधन, नीति / क्रियात्मक मामलों, सरकारी योजनाओं आदि में नवीनतम परिवर्तनों से निर्यातकों को अवगत कराने के लिए सेमिनारों / कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- सदस्य निर्यातकों को बीजा के लिए सिफारिशें, उत्पत्ति प्रमाण पत्र, उत्पाद शुल्क बांड के नवीकरण के लिए पत्र आदि जारी करना।

निर्यात निष्पादन:

वर्ष 2016-17 के दौरान केमेक्सिल का निर्यात 12151 मिलियन अमरीकी डालर था। अप्रैल से अगस्त 2017 की अवधि के लिए केमेक्सिल का निर्यात निष्पादन 5779 मिलियन अमरीकी डालर है जो अप्रैल से अगस्त 2016 की अवधि के लिए निर्यात की तुलना में 22 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

निर्यात संवर्धन की गतिविधियां:

निर्यात संवर्धन की गतिविधियों / कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिनमें केमेक्सिल ने अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2017 के दौरान भाग लिया है /

आयोजित किया है

क्र. सं.	विदेशी कार्यक्रम
1	शंघाई, चीन में 12 से 14 अप्रैल 2017 तक 17वीं चीन अंतर्राष्ट्रीय डाई उद्योग, पिग्मेंट तथा टेक्सटाइल रसायन प्रदर्शनी में भारतीय मंडप।
2	31 मई 2017 से 1 जून 2017 तक म्यूनिख, जर्मनी में आयोजित 7वें केम्सपेक यूरोप 2017 में भारतीय मंडप।
3	8 से 10 अगस्त 2017 तक यूएसए में आयोजित द्वितीय कृषि व्यवसाय वैश्विक व्यापार शिखर बैठक 2017
4	8 और 9 अक्टूबर 2017 को बंगलादेश में आयोजित भारतीय रसायन एवं कास्मेटिक्स प्रदर्शनी

क्र. सं.	राष्ट्रीय कार्यक्रम
1	9 मई 2017 को मुंबई में सेवा कर विभाग के साथ मिलकर “जीएसटी व्यापार जागरूकता” पर सेमिनार
2	9 जून 2017 को अहमदाबाद में सेवा कर विभाग के साथ मिलकर “जीएसटी व्यापार जागरूकता” पर सेमिनार
3	14 जुलाई 2017 को बेंगलुरु में “जीएसटी व्यवस्था के तहत निर्यात / आयात” पर सेमिनार
4	25 जुलाई 2017 को अहमदाबाद में “जीएसटी व्यवस्था के तहत निर्यात / आयात” पर सेमिनार
5	26 जुलाई 2017 को मुंबई में “जीएसटी व्यवस्था के तहत निर्यात / आयात” पर सेमिनार
6	3 अगस्त 2017 को नई दिल्ली में जीएसटी क्षेत्र पर सेमिनार

रीच:

रीच (रसायनों का पंजीकरण, मूल्यांकन, प्राधिकार और प्रतिबंध) रसायनों का सुरक्षित प्रयोग सुरक्षित करने के लिए यूरोपीय संघ का कानून है। रीच यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) में स्थापित कानूनी संस्थाओं, कुल 31 देशों (यूरोपीय संघ (28) + नार्वे, आइसलैंड और लिचेस्टिन) पर लागू होता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा रीच (रसायनों का पंजीकरण, मूल्यांकन, प्राधिकार और प्रतिबंध) के अनुपालन के लिए केमेक्सिल को नोडल एजेंसी तथा वन स्टाप सेंटर के रूप में नियुक्त किया गया।

केवल प्रतिनिधियों तथा यूरोपीय रसायन एजेंसी (ईसीएचए) के सदस्यों द्वारा रीच से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए केमेक्सिल ने रीच समिति का गठन किया है। केमेक्सिल ने यूरोपीय संघ में सदस्यों के पदार्थों के रीच पूर्व पंजीकरण और पंजीकरण के अनुपालन के लिए अपने सदस्यों के लाभ के लिए दो “केवल प्रतिनिधि” की नियुक्ति की है अर्थात् संपोषणीयता सहायता सेवाएं - स्वीडन / नागपुर में रीच सहायता तथा रीच कानून - फिनलैंड (डायनामिक आर्बिट नई दिल्ली में)।

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (प्लेक्सकोसिल)

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (जो प्लेक्सकोसिल के नाम से विख्यात है) का गठन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा 1955 में भारत से प्लास्टिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया।

प्लेक्सकोसिल प्लास्टिक की कच्ची, सामग्री / पॉलिमर से लेकर अर्ध निर्मित / निर्मित माल जैसे प्लास्टिक की मदों के व्यापक क्षेत्र में विनिर्माण / व्यापार करने वाले भारतीय प्लास्टिक निर्यातक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है तथा विभिन्न प्रयोक्ता संघटकों जैसे कि प्लास्टिक संस्करण क्षेत्र,

पैकेजिंग क्षेत्र, इंजीनियरिंग क्षेत्र, औद्योगिक प्रयोक्ताओं (हवाई गुड्स, आटोमोटिव, कृषि आदि) की सेवा करता है। इसके अलावा मानव केश तथा उनके उत्पाद भी परिषद के अधिदेश के तहत आते हैं। इस परिषद का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके साथ क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में हैं। 31 मार्च 2017 तक की स्थिति के अनुसार प्लेक्सकोसिल के सदस्यों की कुल संख्या 2,489 है। प्रशासन समिति में 29 सदस्य हैं (पश्चिमी क्षेत्र से 12, दक्षिणी क्षेत्र से 7, पूर्वी क्षेत्र से 5 और उत्तरी क्षेत्र से 5)।

परिषद अपने सदस्यों तथा सरकार / अन्य एजेंसियों के बीच कड़ी के रूप में काम करती है। यह सदस्यों के लिए भारत / विदेशों में व्यापार मेलों, क्रैता - विक्रेता बैठकों तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करता है / सेमिनारों / कार्यशालाओं आदि की व्यवस्था करता है।

निर्यात निष्पादन:

पिछले साल की तुलना में 2016-17 के दौरान निर्यात का मूल्य 7557.68 मिलियन अमरीकी डालर था जो 1.04 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। तथापि, भारत से प्लास्टिक उत्पादों एवं मानव बाल का निर्यात पिछले साल की समतुल्य अवधि (अप्रैल से अगस्त 2016) में 2648.62 मिलियन अमरीकी डालर के विरुद्ध अप्रैल से अगस्त 2017 के दौरान 2857.99 मिलियन अमरीकी डालर था जो 2017-18 की पहली तिमाही में 8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

निर्यात संवर्धन के उपाय:

प्लेक्सकोसिल ने बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना के तहत अप्रैल से अगस्त 2017 की अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लिया / आयोजित किया :

क्र. सं.	कार्यक्रम - प्रदर्शनी / बी एस एम का नाम
1	3 से 7 अप्रैल 2017 के बीच साओ पाउलो, ब्राजील में आयोजित फीप्लाओस्टिक 2017 प्रदर्शनी
2	27 से 29 अप्रैल 2017 के बीच यंगून, म्यांमार में आयोजित कंप्लास्ट म्यांमार 2017 प्रदर्शनी
3	8 से 10 जून 2017 के बीच नैरोबी, कीनिया में आयोजित कंप्लास्ट कीनिया 2017 प्रदर्शनी

उपर्युक्त के अलावा प्लेक्सकोसिल वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के प्रभावों पर तथा निर्यात रुचि के अन्य विषयों पर भारत के विभिन्न शहरों में सेमिनारों का भी आयोजन किया।

रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (कैपेक्सिल)

कैपेक्सिल जो एक अग्रणी निर्यात संवर्धन परिषद तथा भारत में आई एस ओ 9001:2008 प्रमाणित संगठन है, की स्थापना 1958 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रसायन आधारित एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए की गई। इस विशाल संगठन के आज पूरे भारत में 4000 के करीब सदस्य हैं जो 16 विस्तृत उत्पाद श्रेणियों के निर्यातक हैं तथा अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोत्तम का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कैपेक्सिल निम्नलिखित के माध्यम से सेवाओं की पूरी रेंज प्रदान करने का प्रयास करता है:

- निर्यातक हब : निर्यातकों के लिए सूचना गेटवे तथा हेल्पिंग हैंड।
- व्यापार से संबंधित पूछताछ का प्रसार : कैपेक्सिल विश्व में कहीं भी किसी आयातक की सोर्सिंग संबंधी आवश्यकताओं में मदद कर सकता है तथा भारतीय निर्यातकों की बिक्री संबंधी आवश्यकताओं में भी मदद कर सकता है।
- गुणवत्ता सेवा : गुणवत्ता सेवा के लिए समर्पित सबसे दक्ष अधिकारियों तक पहुंच
- व्यापार तथा नीति से संबंधित मामलों के लिए इंटरफेस : व्यापार तथा नीति से संबंधित मामलों के संबंध में सरकार और सदस्यों के बीच कड़ी के रूप में काम करता है

- व्यापार से संबंधित मुद्दों के लिए फोरम : व्यापार से संबंधित मुद्दों के प्रतिनिधित्व के लिए फोरम के रूप में काम करता है तथा निर्यातक समुदाय और सरकार, नीति निर्माताओं, अर्ध सरकारी संगठनों के बीच संपर्क बिंदु के रूप में काम करता है
- राजनयिक मिशनों के साथ संपर्क : व्यवसाय कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों के संवर्धन के लिए विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों तथा भारत में स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों के साथ संपर्क स्थापित करता है। कैपेक्सिल सरकार के लिए निर्यातकों का एक उत्कट अधिवक्ता है तथा इसका प्राथमिक फोकस अपने सदस्य निर्यातकों को निर्यात सहायता प्रदान करना है।
- बाजार रिपोर्टें तथा रुझानों का विश्लेषण तैयार करना : विभिन्न देशों में संगत बाजार रिपोर्ट तैयार करना, भारतीय निर्यात की रुझानों का विश्लेषण करना, उत्पाद या अन्य पैरामीटर तथा वैश्विक व्यापार डाटा का बहुमूल्य संसाधन तैयार करना।

निर्यात निष्पादन

- वर्ष 2016-17 के दौरान कैपेक्सिल का समग्र निर्यात 14712.59 मिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया है जो 2015-16 की समतुल्य अवधि की तुलना में 12.46 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
- अप्रैल से सितंबर 2017 की अवधि के लिए कैपेक्सिल का निर्यात निष्पादन 8381.58 मिलियन अमरीकी डालर है जो अप्रैल से अगस्त 2016 की अवधि के लिए निर्यात की तुलना में 19.13 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
- कैपेक्सिल के सभी पणों के निर्यात के लिए शीर्ष 10 गंतव्य चीन, यूएसए, कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, यूके, बंगलादेश, सऊदी अरब, मलेशिया और श्रीलंका हैं।

निर्यात संवर्धन के उपाय:

परिषद द्वारा निर्यात संवर्धन के उपाय के रूप में विदेशों में निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है / भागीदारी की गई है :

- स्वयं वित्त पोषण के आधार पर 26 अप्रैल से 2 मई 2017 के दौरान आबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर, आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
- स्वयं वित्त पोषण के आधार पर 14 प्रतिभागियों के साथ 23 अगस्त से 28 अगस्त 2017 के दौरान बीजिंग इंटरनेशनल बुक फेयर, बीजिंग, चीन।
- वर्ष 2017-18 के लिए अनुमोदित एमएआई योजना के तहत 29 प्रतिभागी कंपनियों के साथ 17 से 22 नवंबर 2017 के दौरान हैरोगेट में फ्लोरिंग शो 2017 और यूके तथा नीदरलैंड में व्यवसाय दर व्यवसाय बैठकें।

निर्यात संवर्धन की अन्य गतिविधियां: वर्ष 2016-17 के दौरान कैपेक्सिल ने अपने सदस्यों के लिए निर्यात सुगमता की कवायद के अंग के रूप में विभिन्न प्रमाण पत्र जारी किए :

मालदीव को नदी रेत एवं बजरी के निर्यात के लिए	258 अनापत्ति प्रमाण पत्र
पशु उप उत्पादों तथा ओसिन एवं गेलाटिन के निर्यात के लिए	380 स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 7 वेटेनरी प्रमाण पत्र
	59 पादप अनुमोदन प्रमाण पत्र (नवीकरण आदि सहित)
	330 लदान क्लिपयरेस प्रमाण पत्र
स्वैन टिंबर के निर्यात के लिए	248 स्वैन टिंबर सविदा प्रमाण पत्र
अन्य	विभिन्न दूतावासों को वीजा के लिए 19 सिफारिश पत्र

पहलें

डिजिटल इंडिया के लिए भारत सरकार की पहल को ध्यान में रखते हुए तथा निर्यातकों द्वारा महसूस की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कैपेक्सिल ने एक आनलाइन सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया है:

पशु मूल के उत्पादों के लिए पादप अनुमोदन प्रमाण पत्र, लदान क्लियरेंस प्रमाण पत्र तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि जारी करने के लिए

कैपेक्सिल द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों तथा सभी अनुमोदित पादपों का ब्यौरा इस वेबसाइट <https://www.capexilcertifications.in> पर प्रदर्शित किया जाता है जिसे अनुमोदित पादपों के स्टेटस के सत्यापन तथा हस्ताक्षर से पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के ब्यौरों के लिए पशु संगरोध तथा प्रमाणन सेवा (ए क्यूव सी एस) तथा भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ई आई सी) के अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है। भारतीय सीमा शुल्क द्वारा आनलाइन ब्यौरों का प्रयोग भारतीय बंदरगाहों पर कैपेक्सिल द्वारा जारी किए गए लदान क्लियरेंस प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए भी किया जा सकता है। गंतव्य बंदरगाहों पर बंदरगाह के स्वास्थ्य प्राधिकारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता का सत्यापन एवं पुष्टि भी कर सकते हैं।

सदस्यता से संबंधित सेवाओं के लिए

हमारे सदस्यता आटोमेशन वेब अप्लीकेशन के बेटा लांच को हमारे असली सदस्यों को बेहतर सेवाओं के लिए <https://membership.capexil.org> पर देखा जा सकता है।

कैपेक्सिल ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की सलाह के अनुसार आई बी ई एफ की तरह एक नई वेबसाइट के विकास का कार्य शुरू किया है जिसे <http://capexil.org> पर देखा जा सकता है।

लाख एवं वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल)

शेफेक्सिल को पहले लाख निर्यात संवर्धन परिषद के नाम से जाना जाता था, जो लाख तथा लाख आधारित उत्पादों के दीर्घावधिक विकास एवं निर्यात संवर्धन के लिए उत्प्रेरक एजेंसी के रूप में 1957 से उद्योग की भागीदारी में काम कर रहा था। इस परिषद का उद्देश्य सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से भारत के गैर इमारती वन उत्पादों (एनटीएफपी) के निर्यात की पूर्ण क्षमता को साकार करना, भारतीय एनटीएफपी के लिए ग्लोबल ब्रांड का निर्माण करना आदि है। लाख निर्यात संवर्धन परिषद गैर इमारती वन उत्पाद के लिए नोडल निर्यात संवर्धन परिषद है। शेफेक्सिल के तहत गैर इमारती वन उत्पाद (एनटीएफपी) तथा उनके शामिल किए गए रूपांतर और ग्वार गम मुख्य उत्पाद समूह हैं।

शेफेक्सिल की प्रमुख भूमिकाएं इस प्रकार हैं:

- अपने उत्पादों का विकास करने और वृद्धि करने में सदस्यों को वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोगी सूचना एवं सहायता प्रदान करना
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता तथा डिजाइन सुधार, मानक एवं विनिर्देशन, उत्पाद विकास, नवाचार आदि जैसे क्षेत्रों में अपने सदस्यों को पेशेवर सलाह प्रदान करना
- विदेशी बाजारों में अवसरों की तलाश करने तथा विदेशों में निर्यातकों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए अपने सदस्यों के शिफ्टमंडल के विदेशी दौरों की व्यवस्था करना।
- भारत में और विदेशों में व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों तथा क्रेता - विक्रेता बैठकों में भागीदारी की व्यवस्था करना
- केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर सरकार तथा निर्यातक समुदाय के बीच अंतःक्रिया को बढ़ावा देना
- एक सांख्यिकीय आधार का निर्माण करना और देश के निर्यात एवं आयात, अपने सदस्यों के निर्यात एवं आयात पर डाटा तथा अन्य संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डाटा प्रदान करना

निर्यात निष्पादन:

- 2016-17 के दौरान शेफेक्सिल के निर्यात का मूल्य 571.91 मिलियन अमरीकी डालर था। अप्रैल से जुलाई 2017 की अवधि के लिए शेफेक्सिल का निर्यात निष्पादन 615.95 मिलियन अमरीकी डालर है जो अप्रैल से जुलाई 2016 की अवधि के लिए निर्यात की तुलना में 26.04 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
- वैश्विक मंदी तथा वैश्विक स्तर पर कम मांग से शेफेक्सिल का निर्यात भी प्रभावित हुआ है, हालांकि मात्रा की दृष्टि से इसने वृद्धि की रुझान का प्रदर्शन किया है। 2017-18 की पहली तिमाही में निर्यात की रुझानों को देखते हुए परिषद का निर्यात निष्पादन सकारात्मक गति के साथ तालमेल स्थापित करेगा।

निर्यात संवर्धन के उपाय:

यूरोपीय संघ क्षेत्र को निर्यात के लिए खाद्य ग्रेड लाख (ई 904) पर विषाक्तता अध्ययन के संचालन के लिए उपयुक्त अनुसंधान संगठन के चयन की प्रक्रिया को अबाध रूप से संचालित करने के लिए कदम उठाया गया। शेफेक्सिल अध्ययन करने के लिए किसी उपयुक्त सक्षम एजेंसी की पहचान करने की प्रक्रिया में है। जब एम ए आई प्रस्ताव के तहत विषाक्तता अध्ययन के लिए अंतिम अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा, तो अभिचिह्नित प्रयोगशाला को अध्ययन सौंपा जाएगा।

आहारिय फाइबर के रूप में प्रयोग के लिए हाइड्रोलाइज्ड ग्वार, निजी देख में प्रयोग के लिए कैटियानिक ग्वोर, निर्माण, निजी देखरेख, ऑयल फील्ड के प्रयोक्ताओं के लिए हाइड्रोक्सिलप्रोपिल ग्वार, भोजन में प्रयोग के लिए स्वादहीन एवं गंधहीन ग्वार, भोजन से ग्वार की गंध हटाने और मानव उपभोग के लिए प्रोटीन के संपूरक के रूप में इसके प्रयोग आदि पर अनुसंधान एवं उत्पाद विकास किया जा रहा है। इसके लिए परिषद ग्वार गम पर अध्ययन संचालित करने हेतु किसी उपयुक्त एजेंसी की पहचान करने की प्रक्रिया में है।

वाणिज्य विभाग ने ऐसे लघु वन उत्पादों की पहचान करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है जिन पर उत्पादन की प्रक्रियाओं, उत्पादकता, पैकेजिंग एवं विपणन आदि की दृष्टि से संवर्धनात्मक गतिविधियों तथा बैकइंड सहायता दोनों के रूप में बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मूल्य वृद्धि तथा संवर्धन के माध्यम से ऐसे उत्पाद काफी हद तक निर्यात को प्रोत्साहित कर सकते हैं तथा भारत ऐसे उत्पादों के निर्यात में एक ब्रांड नाम का सृजन कर सकता है। शेफेक्सिल ने भारत में तथा समुद्रपारीय बाजार में औषधीय पादपों की 25 मदों का विस्तृत विश्लेषण किया है जिनमें निर्यात की संभावना है तथा राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), नई दिल्ली के परामर्श से इनकी पहचान की गई है। अभिचिह्नित 25 औषधीय पादपों के उत्पादन, प्रोसेसिंग और मूल्यक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की गई है तथा छांटी गई 7 औषधीय जड़ी बूटियों के संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है : सेन्ना (सेन्ना अलेक्जेंड्रीना), गैलंगल रिजोम्स (मैफेरिया गैलंगल), पेरिविकल (विंका रोसिया), स्टेसविया (स्टेनविया रिबौडियाना), नीम (अजैडिराचता इंडिका), इसबगोल (पलांटगो ओवाटे), स्वीट फ्लैग रिजोम (अकोरस कलैमस)। निर्णय लिया गया कि शेफेक्सिल जल्दी से जल्दी अभिचिह्नित औषधीय पादपों का निर्यात बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगा जिसकी इस कार्यबल द्वारा जांच की जाएगी, जो प्रगति पर है।

शेफेक्सिल द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले अन्य कदम इस प्रकार होंगे:

- फोकस बाजार वाले देशों के बाजार में वांछित शेयर प्राप्त करना
- उत्पादकता बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने आदि के लिए वर्टिकल लिंकेज स्थापित करना
- मूल्य वृद्धि पर बल देना
- संपोषणीय बाजार प्रभाव के लिए ब्रांड इंडिया का विकास करना

खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद (एस जी ई पी सी)

खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद (एस जी ई पी सी) भारत के खेल सामानों एवं खिलौनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद भारत से स्थिक गति से खेल के सामानों एवं खिलौनों के निर्यात में वृद्धि दर्ज करने में समर्थ रही है। इस साल खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद के सदस्यों ने 140 देशों को वस्तुओं का निर्यात किया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान खेल के सामानों और खिलौनों का निर्यात पिछले वर्ष में 1024.56 करोड़ रुपए से बढ़कर 1095.33 करोड़ रुपए हो गया है जो

पिछले वर्ष की तुलना में 6.91 प्रतिशत की समग्र वृद्धि को दर्शाता है। खेल के सामानों और खेलौनों के निर्यात के लिए शीर्ष 10 गंतव्य यूके, आस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, न्यू जीलैंड, कनाडा, नीदरलैंड और मलेशिया हैं। इस क्षेत्र द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 10 मर्चों में इनफ्लेटेबल बाल एवं असेसरीज, नेट, व्यायाम के सामान्य उपकरण, मुक्केबाजी के उपकरण, खेलौने और गेम्स, संरक्षी उपकरण, क्रिकेट उपकरण, स्पोर्ट्स वियर, कैमरा बोर्ड तथा हैमक शामिल हैं।

2017-18 के लिए निर्यात संवर्धन की गतिविधियां

- किड्स इंडिया मुंबई में रिवर्स क्रेता - विक्रेता बैठक (20 से 22 सितंबर 2017)
- आईएसपीओ म्यूनिख 2018 (28 से 31 जनवरी 2018)
- स्पिलबारेनमेसे इंटरनेशनल टॉय फेयर 2018 (31 जनवरी से 4 फरवरी 2018)

दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (टीईपीसी)

भारत से दूरसंचार उपकरण एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (टीईपीसी) का गठन किया गया है। परिषद संपूर्ण दूर संचार ईको सिस्टम की जरूरतें पूरा करती है, जिसमें दूर संचार हार्डवेयर विनिर्माता, दूर संचार सेवा प्रदाता, दूर संचार साफ्टवेयर वेंडर तथा परामर्शदाता शामिल हैं।

टीईपीसी का विजन

- टी ई पी सी भारत से दूरसंचार उपकरण के निर्यात को प्रोत्साहित करना जारी रखेगी
- भारत से दूरसंचार उपकरण के निर्यात को प्रोत्साहित एवं तेज करना
- भारत में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र सहित टेलीकाम इको सिस्टम के विकास के लिए स्वस्थ माहौल सृजित करना।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तहत भारत में निजी और विदेशी दोनों निवेशों को प्रोत्साहित करना।
- व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए सामरिक गठबंधनों, एम ओ यू तथा तकनीकी / वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- डिजाइन इन इंडिया तथा विश्व स्तरीय दूरसंचार उत्पादों के निर्माण के लिए स्थानीय आई पी आर तथा अनुसंधान तथा विकास की गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करना।

कार्यक्रमों में टीईपीसी की भागीदारी

भारतीय दूरसंचार निर्यात की क्षमता पर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से टीईपीसी नियमित आधार पर निर्यात संवर्धन के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। नियमित आधार पर संचालित की गई संवर्धन की अनेक गतिविधियों में चुनिंदा देशों में उत्पाद एवं सेवा विशिष्ट शिष्टमंडल भोजना, अनन्य भारतीय टी ई पी सी प्रदर्शनियां, विशिष्ट व्यापार मेलों, रोड शो में देश की भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकें, उत्पाद विशिष्ट सेमिनार एवं सम्मेलन - भारत एवं विदेश दोनों में शामिल हैं।

टीईपीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम

इंडो अफ्रीका आई सी टी एक्सपो, 2017 : 6 और 7 सितंबर : लागोस : नाइजीरिया

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2017 : 27 से 29 सितंबर, 2017 : नई दिल्ली
गिटेक्स टेक्नोलॉजी वीक 2017 : 8 से 12 अक्टूबर 2017 : दुबई

टीईपीसी का लक्ष्य

- टीईपीसी ने निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की परिकल्पना की है :
- अगले 5 वर्षों में मोबाइल हैंडसेट सहित निर्यात के 20 बिलियन डालर से ऊपर पहुंचने की संभावना है।
- अगले पांच वर्षों में 20 प्रतिशत से अधिक सी ए जी आर पर घरेलू दूरसंचार उत्पाद में वृद्धि की संभावना है।
- 5 मिलियन रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष एवं परोक्ष)
- आने वाले वर्षों में भारत में विनिर्मित उत्पादों के माध्यम से घरेलू दूरसंचार की प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- वैश्विक सफलता वाली कम से कम कुछ आईपीआर चालित भारतीय उत्पाद कंपनियां 2020 तक बिलियन डालर वाली कंपनी बन जाएंगी।

परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी)

परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति

की रूपरेखा के अंदर तथा उनके ज्ञापन पी ई एम (परियोजना निर्यात मैनुअल) में यथा उल्लिखित विदेशी परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसरण में विदेशों में परियोजनाएं प्राप्त करने एवं निष्पादित करने के लिए भारतीय परियोजना निर्यातकों के लिए शीर्ष समन्वय एजेंसी के रूप में काम करती है।

इसका उद्देश्य सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके तथा भारतीय परियोजना निर्माण की मर्चों का उपयोग करके विदेशों में परियोजनाएं निष्पादित करने के लिए निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के परियोजना निर्यातकों की मदद करके पूरी दुनिया के आर्थिक विकास में योगदान देना है।

इसके अलावा परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद बड़ी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए बोली प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम के गठन में सहायता प्रदान करके और विशेष रूप से परिष्कृत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अंतरण को बढ़ावा देकर भारतीय परियोजना निर्यातकों तथा विदेशी कंपनियों के बीच आर्थिक सहयोग के संवर्धन का समन्वय करती है जिससे भारतीय कंपनियां मेगा परियोजनाओं के लिए संयुक्त रूप से बोली लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगी। यह विनियामक रूपरेखा में नीतियों या प्रक्रियाओं में आवश्यक सुधार के लिए सरकार के साथ समन्वय भी स्थापित करती है जिससे न केवल विदेशी परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए भारतीय परियोजना निर्यातक प्रोत्साहित होंगे अपितु अपनी बोलियों को अधिक प्रतिस्पर्धी एवं सफल भी बनाएंगे। परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद ने न केवल भारत एवं विदेशों में विभिन्न व्यापार निकायों के साथ सामरिक गठबंधन किया है (विदेश स्थित भारतीय मिशनों तथा भारत में विदेशी मिशनों सहित) अपितु परियोजना निर्यात बढ़ाने तथा परियोजना निर्माण की मर्चों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से भी ऐसे गठबंधनों के अपने दायरे का लगातार विस्तार भी कर रही है।

परिषद का सकल प्रबंधन कार्यकारी समिति के अधीन है जिसमें सदस्य के रूप में वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम, भारतीय रिजर्व बैंक तथा निर्माण उद्योग के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान परियोजना निर्यात क्षेत्र का निष्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (अप्रैल-सितंबर)
मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)	1856.57	4436.19	5493.04	5014.898	8226.9	1900.82

अमरीकी डालर की दृष्टि से 2016-17 में 64.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ई एस सी)

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ई एस सी) का अधिदेश इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, कंप्यूटर कंप्यूटर तथा आई टी समर्थित सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना है। निर्यात संवर्धन परिषद निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्यों को कई तरह की सेवाओं की पेशकश करती है। निर्यात संवर्धन परिषद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटीआई) के अधीन एक स्वायत्त सोसाइटी है।

ईएससी की कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं इस प्रकार हैं:

- वैश्विक ट्रेड शो / प्रदर्शनी एवं सम्मेलनों में भागीदारी को सुगम बनाना।
- विदेशी बाजारों में बाजार अनुसंधान / अध्ययन तथा प्रचार अभियान संचालित करना।
- क्रेता - विक्रेता बैठकों के माध्यम से ई एस सी भारतीय और विदेशी कंपनियों के बीच कारोबारी इंटरफेस को सुगम बनाती है तथा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साफ्टवेयर एवं आई टी कंपनियों के लिए नए कारोबारी साझेदारों की तलाश करती है।
- विदेश व्यापार को सुगम बनाने के लिए ई एस सी डाटा सर्वे के लिए आनलाइन सुविधा प्रदान करती है।

अप्रैल 2016-2017 की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात के 5686 मिलियन अमरीकी डालर पर पहुंचने का अनुमान है तथा साफ्टवेयर निर्यात के 1110 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। अप्रैल से सितंबर 2017 की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात के 2917 मिलियन

अमरीकी डालर पर पहुंचने का अनुमान है और साफ्टवेयर निर्यात 56.50 बिलियन अमरीकी डालर के अनुमानित मूल्य पर पहुंच गया है।

वैश्विक प्रदर्शनियों में भागीदारी:

- आई सी टी एक्सपो, 13 से 16 अप्रैल 2017, हांगकांग
- इंटरनेशनल एसएमई इनोवेशन एण्ड, टेक्नोलॉजी फेयर 2017, 10 से 16 मई 2017, मारीशस
- चाइना नानजिंग इंटरनेशनल साफ्टवेयर प्रोडक्ट एण्ड इनफार्मेशन सर्विस ट्रेड फेयर, 7 से 10 सितंबर 2017, नानजिंग, चीन
- मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, 12 से 14 सितंबर 2017, यूएसए
- साफ्टवेयर 2017, 14 से 16 सितंबर 2017, सियोल, दक्षिण कोरिया
- बिजनेस एलायंस मीट, 25 और 26 सितंबर 2017, बुल्गरिया
- गिटेक्स - दुबई, 8 से 12 अक्टूबर 2017, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात

आयोजित होने वाले कार्यक्रम:

- मेसे नगोया, 8 से 11 नवंबर 2017, नगोया, जापान
- जापान आईटी सप्ताह 2017, 08 से 10 नवंबर 2017, टोकियो, जापान
- इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड साफ्टवेयर एक्सपो 2018 (इंडियासाफ्ट - इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपो और ग्लोबल साफ्ट) 24 और 25 जनवरी 2018, कर्नाटक, भारत
- सोर्स इंडिया ईरान, फरवरी 2018, ईरान
- मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, 27 फरवरी से 2 मार्च 2018, बार्सिलोना, स्पेन
- सोर्स इंडिया अर्जेंटीना, मार्च 2018
- सोर्स इंडिया नाइजीरिया, मार्च 2018

ई ई पी सी इंडिया लिमिटेड

ई ई पी सी इंडिया भारत में प्रमुख व्यापार एवं निवेश संवर्धन संगठन है। यह वाणिज्य, एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है तथा भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करता है। सलाहकार संस्था के रूप में यह भारत सरकार की नीतियों में सक्रियता से योगदान होता है तथा इंजीनियरिंग उद्योग एवं सरकार के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। 1955 में स्थापित ई ई पी सी इंडिया के सदस्यों की संख्या 13000 के आसपास है जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत एस एम ई हैं। ई ई पी सी इंडिया भारत से स्रोत को सुगम बनाता है तथा एस एम ई को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप अपने मानकों को ऊपर उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह वैश्विक मूल्य श्रृंखला से अपने व्यवसाय को एकीकृत करने के लिए भी एस एम ई को प्रोत्साहित करता है। भविष्य को अभियांत्रिक करना को अपने ध्येय के रूप में रखते हुए ई ई पी सी इंडिया भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समुदाय के लिए भविष्य में भारत को इंजीनियरिंग के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में उनके प्रयासों में संदर्भ बिंदु के रूप में काम करता है।

ई ई पी सी इंडिया की निर्यात संवर्धन से जुड़ी पहलें

ई ई पी सी इंडिया भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की क्षमता को प्रदर्शित करने तथा ब्रांड इंडिया के प्रचार के अनुसार विदेशी क्रेताओं को सही मूल्य प्रदान करने के लिए भारत में और विदेशों में भी भारी संख्या में संवर्धनात्मक गतिविधियों का आयोजन करता है जैसे कि क्रेता - विक्रेता बैठक (बी एस एम) - विदेशी व्यापार मेला / प्रदर्शनी तथा चुनिंदा विदेशी प्रदर्शनियों में भारतीय मंडप / सूचना बूथ। भारतीय इंजीनियरिंग प्रदर्शनी (आई एन डी ई ई) ई ई पी सी इंडिया का अपना ब्रांड है तथा यह विश्व में इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी प्रदर्शनियों में से एक है। यह प्रदर्शनी पिछले कई दशकों से आयोजित की जा रही है तथा भारतीय इंजीनियरिंग के लिए सबसे बड़े एवं सबसे महत्वपूर्ण शोकेस के रूप में स्थापित है। भारत के साथ वैश्विक साझेदारियों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए ई ई पी सी इंडिया हर साल अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो (आई ई एस एस) का आयोजन करता है जो इंजीनियरिंग उत्पादों एवं सेवाओं की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। इसे भारत में इंजीनियरिंग के स्रोत के एक मात्र कार्यक्रम के रूप में माना जाता है जो वैश्विक क्रेताओं एवं विक्रेताओं के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करता है तथा उनके लिए एक मनपसंद मिलन बिंदु है। यह शो भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए मेक इन इंडिया अभियान के अनुरूप विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपने नियमित एजेंडा का विस्तार करने के लिए ई ई पी सी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय रुझानों एवं अवसरों के बारे में अपने सदस्यों को जानकारी प्रदान करने के लिए अनेक रिपोर्टें / अध्ययनों को प्रकाशित करता है ताकि वैश्विक स्तर पर उनकी उपस्थिति में वृद्धि हो सके।

इंजीनियरिंग निर्यात का परिदृश्य

इंजीनियरिंग निर्यात ने 2011-12 से 2016-17 तक 2.01 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सी ए जी आर) प्राप्त की है। 2016-17 में भारत से इंजीनियरिंग निर्यात ने 11.3 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की तथा पिछले राजकोषीय वर्ष के दौरान 58.59 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 65.23 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया। वृद्धि की रुझानों के जारी रहने के साथ वर्तमान वित्त वर्ष ने न केवल इंजीनियरिंग निर्यात में वृद्धि को बनाए रखने में मजबूत मोमेंटम का प्रदर्शन किया अपितु इसने अक्टूबर 2017 के महीने में सरकार द्वारा लागू किए गए संरचनात्मक सुधारों अर्थात् माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की बाधाओं को भी अबाध ढंग से पार किया।

वास्तव में सितंबर 2017 में 44.55 प्रतिशत और अगस्त 2017 में 19.09 प्रतिशत की वृद्धि के विरुद्ध 11.60 प्रतिशत की धीमी वर्ष दर वर्ष वृद्धि के बावजूद अक्टूबर 2017 तक सीधे 15वें माह के लिए भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात ने अपनी वृद्धि को जारी रखा।

पिछले साल इसी माह में 5133.58 मिलियन अमरीकी डालर के विरुद्ध अक्टूबर 2017 के दौरान भारत के इंजीनियरिंग उत्पादों के समुद्रपारीय शिपमेंट का मूल्य 5728.95 मिलियन अमरीकी डालर के रूप में दर्ज किया गया।

अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 के दौरान भारत के इंजीनियरिंग निर्यात की संवर्धनी वृद्धि भी अप्रैल से सितंबर 2017-18 के दौरान 20.75 प्रतिशत से वर्ष दर वर्ष आधार पर घटकर 19.42 प्रतिशत हो गई। पिछले राजकोषीय वर्ष की समान अवधि के दौरान 35166.67 मिलियन अमरीकी डालर के विरुद्ध अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 के दौरान इंजीनियरिंग निर्यात का मूल्य 41,994.64 मिलियन अमरीकी डालर दर्ज किया गया।

इंजीनियरिंग के 33 पैनेलों में से 20 पैनेलों ने पिछले साल इसी माह की तुलना में अक्टूबर 2017 में निर्यात में वृद्धि दर्ज की। अप्रैल से अक्टूबर 2016-17 की तुलना में अप्रैल से अक्टूबर 2017-18 के दौरान निर्यात में ऊंची वृद्धि दर दर्ज करने वाले पैनेलों में लीड एवं उत्पाद (139.11 प्रतिशत), जिक एवं उत्पाद (137.48 प्रतिशत), लोहा एवं इस्पात (58.33 प्रतिशत), कॉपर एवं उत्पाद (52.06 प्रतिशत), एल्युमिनियम एवं उत्पाद (51.77 प्रतिशत), रेलवे एवं परिवहन उपकरण (49.7 प्रतिशत), पंप (30.5 प्रतिशत), अन्य निर्माण मशीनरी (28.2 प्रतिशत) और विद्युत मशीनरी एवं उपकरण (23.9 प्रतिशत) शामिल हैं।

इंजीनियरिंग निर्यात बढ़ाने की प्रमुख पहलें

विभिन्न पहलों के तहत इंजीनियरिंग निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा प्रमुख इंजीनियरिंग पैनेलों के निर्यात में गिरावट / गत्यावरोध को दूर करने के उद्देश्य से ई ई पी सी इंडिया विभिन्न हितधारकों जैसे कि भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, खान मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि तथा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं क्षेत्र विशिष्ट उद्योग संघों और अन्य व्यापार संवर्धन निकायों के साथ सक्रिय रूप से राय मशविरा कर रहा है।

भारतीय इंजीनियरिंग माल के वैश्व ब्रांड को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग की पहल

मेक इन इंडिया की ब्रांड इमेज, इंजीनियरिंग गुणवत्ता तथा भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों एवं सेवाओं की क्षमता में वृद्धि करके निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में ई ई पी सी इंडिया ने 2014 से ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग की पहल शुरू की है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड (आई बी ई एफ) की सहायता से कार्यान्वित इस पहल ने अग्रेतर विस्तार के लिए पंप एवं वाल्व, विद्युत मशीनरी, उपकरण एवं कंपोनेंट, उपकरण तथा विद्युत उत्पाद, मेडिकल डिवाइस एवं फार्मास्युटिकल मशीनरी की पहचान की है। भविष्य में परिषद ने टेक्सटाइल मशीनरी एवं उपकरण, मशीन टूल्स तथा रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र में इस पहल का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है।

इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नति की पहल

कम मूल्य अभिवृद्धि तथा न्यून गुणवत्ता को ऐसे प्रमुख कारणों के रूप में चिह्नित किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों को बहुत ही गैर प्रतिस्पर्धी बनाने में योगदान दे रहे हैं और निर्यात में बहुत ही अस्थिर विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उपर्युक्त के आलोक में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य

एवं उद्योग मंत्रालय ने इंजीनियरिंग निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन की पहल शुरू की है।

इस पहल का उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं तथा सरकार के साथ साझेदारी एवं सहयोग के माध्यम से ऐसे उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकियों के उन्नयन को सुगमता प्रदान करना है, जिनके निर्यात की संभावना बहुत अधिक है। ई ई पी सी इंडिया से परामर्श करके वाणिज्य विभाग ने 98 फोकस उत्पादों की पहचान की है जिन्होंने वैश्विक बाजार में भारत के निर्यात का प्रतिशत बढ़ाने की महत्वपूर्ण संभावना प्रदर्शित की है। पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी स्कीमों के बारे में उद्योग जगत को संवेदनशील बनाना तथा क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के अनुरूप उद्योग जगत की आवश्यकताओं के आधार पर प्रौद्योगिकी विकास की पहलों को लागू करना है।

ईईपीसी इंडिया ने बंगलौर में अपने पहले प्रौद्योगिकीय केन्द्र का उद्घाटन किया। उम्मीद है कि कोलकाता में इसके द्वितीय प्रौद्योगिकी केन्द्र का उद्घाटन निकट भविष्य में होगा। इसके अलावा इसने नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद और जालंधर में अपने सभी प्रमुख कार्यालयों में ऐसे केन्द्र खोलने की योजना बनाई है। परिषद के सदस्यों को मूल्य अभिवृद्धि की सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी संसाधनों के डिजिटिकरण का प्रयास चल रहा है। उम्मीद है कि वर्तमान वित्त वर्ष के अंदर प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए भारत सरकार की योजनाओं का डिजिटल संग्रह तथा शैक्षिक संस्थाओं की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं द्वारा उपलब्ध प्रौद्योगिकियों की डायरेक्टरी तैयार हो जाएगी।

लक्षित फोकस उत्पादों के साथ वर्ष 2016-17 से आयोजित प्रौद्योगिकी बैठकों की सूची

- कोलकाता, 26 अप्रैल 2016 (फाउंड्री, कास्टिंग, फोर्जिंग, इंजीनियरिंग उपकरण)
- राजकोट, 3 जून 2016 (कास्टिंग, फोर्जिंग, मशीन टूल, इलेक्ट्रिक मोटर, डीजल इंजन)
- रायपुर, 17 जून 2016 (स्टील री-रोलिंग, कास्टिंग एवं मेटल फ़ैब्रिकेशन)
- औरंगाबाद, 4 जुलाई 2016 (इलेक्ट्रिकल मशीनरी एवं ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट)
- हुबली, 29 जुलाई 2016 (16 जुलाई 2016 को हुबली में आयोजित प्रा. रंभिक बैठक)
- बंगलौर 12 अगस्त 2016 (इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट)
- जालंधर, 26 अगस्त 2016 (हैंड टूल्स, फास्टनर्स, एग्रीकल्चर एवं फार्म इंप्लीमेंट, आटो पार्ट्स एवं सामान्य अभियांत्रिक उपकरण)
- औरंगाबाद, 18 नवंबर 2016 (फार्जिंग, आटोमोबाइल एवं आटोमोटिव कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान)
- भिलाई, 15 दिसंबर 2016 (17 जून 2016 की रायपुर बैठक के लिए अनुवर्तन)
- बंगलौर (भारतीय विज्ञान संस्थान में), 10 जनवरी 2017 (वाल्व सेक्टर)
- भिलाई, 4 फरवरी 2017 (मेटल फ़ैब्रिकेशन एवं कास्टिंग)
- गाजियाबाद, 17 फरवरी 2017 (यांत्रिक इंजीनियरिंग के उपकरण)
- बेलगाम, 23 फरवरी 2017 (फाउंडरी)
- बंगलौर, 24 फरवरी 2017 (मशीन टूल्स एवं असेसरीज)
- वडोदरा, 2 मार्च 2017 (इलेक्ट्रिक मोटर, अनुवर्तन बैठक)
- राजकोट, 3 मार्च 2017 (वाल्व, डीजल इंजन)
- गाजियाबाद, 7 मार्च 2017 (अनुसंधान एवं विकास बैठक, गाजियाबाद की अनुवर्तन बैठक)
- वडोदरा, 24 जुलाई 2017 (इलेक्ट्रिक मोटर के लिए अनुवर्तन बैठक)
- चेन्नई, 25 जुलाई 2017 (फोर्जिंग प्रोसेस प्रौद्योगिकी)
- कोयंबटूर, 2 अगस्त 2017 (औद्योगिक वाल्व)
- भोपाल, 22 सितंबर 2017 (इलेक्ट्रिकल एण्ड मशीनिंग प्रौद्योगिकी)

भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए गुणवत्ता (मानकों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायनों के महत्व पर उद्योग को सुग्राही बनाने की पहल)

ई ई पी सी इंडिया ने गुणवत्ता मानकों एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायनों की अहमियत के बारे में उद्योग जगत को संवेदनशील बनाने के लिए प्रत्यायन निकायों के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी सी बी) के साथ मिलकर जागरूकता अभियान शुरू किया है। यह पहल विभिन्न इंजीनियरिंग क्लस्टरों में अभियानों की श्रृंखला के तहत शुरू की जा रही है।

संवर्धनात्मक कार्यक्रम

ई ई पी सी इंडिया एमएसवी ब्रानो 2017 में साझेदार देश भारत के लिए लीड एजेंसी था - जो 09 से 13 अक्टूबर 2017 के दौरान ब्रानो में आयोजित चेक गणराज्य का सबसे बड़ा व्यापार एवं औद्योगिक मेला है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रतिष्ठित सभी इंजीनियरिंग शो में परिषद की उपस्थिति ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग की विदेशों में मार्केटिंग में ईईपीसी इंडिया की सफलता का प्रमाण है जिसमें शामिल हैं : ईएमओ - अग्रणी इंटरनेशनल मेटल वर्किंग ट्रेड शो; सबकॉन - औद्योगिक मशीनरी एवं उपकरण के लिए विश्व का अग्रणी सबकट्टीकिंग ट्रेड शो, आटोमेकानिका, मध्य पूर्व - आटोमोटिव एवं आफ्टर मार्केट टेक्नोलॉजी के लिए अग्रणी शो, हनोवर मेसे 2017, इनोप्रोम 2017 और आला क्षेत्रों पर अनेक शो जैसे कि टेक्नोसालुड 2017, पैरू, हांगकांग इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस फेयर आदि।

इंडिया इंजीनियरिंग एग्जीबिशन (इंडी) शो जिसने 37 संस्करणों का आयोजन किया है, में तीन दशकों में 26 देश और 5 महाद्वीप शामिल हुए, वर्तमान वित्त वर्ष में इंडी बंगलादेश की तरह विश्व में इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी प्रदर्शनियों में से एक है। 2018 में आई ई एस एस अपने 7वें संस्करण में प्रवेश कर रहा है - जो हर साल इंजीनियरिंग उत्पादों एवं सेवाओं की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है तथा बहुत अधिक लोकप्रियता हासिल की है और घरेलू एवं विदेशी दोनों प्रतिभागियों को इसकी प्रतीक्षा रहती है।

भारत चिकित्सा डिवाइसों, उपकरणों तथा फार्मा मशीनरी के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है। भारत में चिकित्सा डिवाइस एक उदीयमान उद्योग है जिसने 15 प्रतिशत का सी ए जी आर दर्ज किया है। चिकित्सा डिवाइस सेक्टर में चिकित्सा पर्यटन एक अन्य आला सेगमेंट है जो भारत को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में ई ई पी सी इंडिया ने विदेशी प्रायोजित क्रेताओं एवं संभावित घरेलू इंजीनियरिंग निर्यातकों के साथ आर बी एस एम का आयोजन किया।

भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार के साथ ई ई पी सी इंडिया ने ब्रानो, चेक गणराज्य में 3 से 6 अक्टूबर 2016 के दौरान उन्नत विनिर्माण एवं भारी इंजीनियरिंग पर भारत - चेक संयुक्त कार्यसमूह की चौथी बैठक का आयोजन किया। शिफ्टमंडल ने भारी इंजीनियरिंग तथा उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों, विशेष रूप से खनन मशीनरी में कारोबारी सहयोग, सामग्री हैंडलिंग सेगमेंट, स्टील प्लांट उपकरण, मशीन टूल एवं रेलवे के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की।

कार्य योजना:

इंजीनियरिंग क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने की रणनीति के अंग के रूप में इस विभाग में कार्य बिंदुओं की पहचान की गई है तथा ई ई पी सी इंडिया को समय सीमा के साथ उनमें से प्रत्येक को कार्यान्वित करने की कार्य योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया। ई ई पी सी इंडिया तथा अन्य हितधारक एजेंसियों एवं विभागों के समन्वय में अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक दोनों कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा पहलें की जा रही हैं।

भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद

भारत से काजू करनेल, काजू की गिरी शेल लिक्विड तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से काजू प्रसंस्करण उद्योग के सक्रिय सहयोग से वर्ष 1955 में भारत सरकार द्वारा भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई। अपने सेटअप के माध्यम से परिषद विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक संस्थानिक रूपरेखा प्रदान करती है जो काजू की गिरी, काजू शेल लिक्विड तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित एवं तेज करते हैं।

परिषद विस्तृत अध्ययन करती है और काजू के संभावित बाजारों से संबंधित व्यापार सूचना तथा अन्य ब्यौरे एकत्र करती है और उनको निर्यातकों को उपलब्ध कराती है। यह विभिन्न पक्षों से प्राप्त व्यापारिक पृष्ठताछ का भी जवाब देती है तथा उनको अपने सदस्यों को अंतरित करती है। काजू एवं काजू उत्पादों पर वैश्विक व्यापार सूचना को नियमित आधार पर अपडेट किया जाता है।

परिषद समय समय पर विदेशों में विभिन्न बाजारों का आन स्पार्ट अध्ययन करने के लिए व्यापार प्रतिनिधियों एवं अध्ययन टीमों को प्रायोजित करती है। ये टीमें वापस आने पर विजिट किए गए बाजारों, उसकी संभावना तथा रुझानों पर अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करती हैं जो संदर्भ सामग्री के रूप में काम करती है

तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए आधार भी प्रदान करती है। इन टीमों / प्रतिनिधियों द्वारा बाजार के संबंध में एकत्र की गई सूचना व्यापार / उद्योग को प्रदान की जाती है।

परिषद सीधे तथा भारत सरकार के व्यापार संवर्धन सदस्यों के माध्यम से भी विदेशों में आयोजित विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय फूड फेयर एवं प्रदर्शनी तथा सामान्य मेलों में भाग लेती है। चूंकि परिषद पूरे उद्योग का प्रतिनिधित्व करती है, यह सदस्यों से प्राप्त उत्पादों को प्रदर्शित करने की व्यवस्था करती है। जो पृष्ठताछ प्राप्त होते हैं उन्हें सदस्यों को परिचालित किया जाता है ताकि वे कारोबारी वार्ता के लिए विदेशी पक्षकारों से संपर्क कर सकें।

उपयुक्त के अलावा परिषद 'प्रॉडक्ट इमेज' को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से विदेश में प्रचार प्रसार का भी काम करती है जिसके तहत भारतीय काजू की श्रेष्ठता एवं ऊंची गुणवत्ता पर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

परिषद ने भारतीय पैकेजिंग संस्थान, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं आदि जैसी प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं के साथ मिलकर पैकेजिंग में सुधार, काजू के नए उत्पादों के विकास आदि के लिए अनेक शोध परियोजनाओं को प्रायोजित किया है।

कोल्लम में सी ई पी सी प्रयोगशाला एवं तकनीकी प्रभाग सामान्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और विशेष रूप से काजू संस्करण उद्योग के लिए तकनीकी मामलों पर सलाह प्रदान करने, विश्लेषण करने, परीक्षण करने और प्रशिक्षण प्रदान करने का काम करता है।

काजू की गिरी का निर्यात निष्पादन:

वर्ष 2016-17 के दौरान काजू तथा संबद्ध उत्पादों से निर्यात आय 5213.00 करोड़ रुपए (778 मिलियन अमरीकी डालर) थी। 2016-17 के दौरान भारतीय काजू की गिरी के लिए संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए, सऊदी अरब, जापान और नीदरलैंड 5 शीर्ष बाजार थे। क्षेत्रीय आधार पर भारत के कुल निर्यात में मध्य पूर्व को निर्यात का अनुपात 39 प्रतिशत, अमेरिकी क्षेत्र में 22 प्रतिशत, यूरोपीय क्षेत्र में 22 प्रतिशत और दक्षिण पूर्व तथा सुदूर पूर्व क्षेत्र में 15 प्रतिशत था।

2016-17 के दौरान भारत से काजू की गिरी का कुल 82000 मीट्रिक टन निर्यात किया गया जिसका मूल्य 5169 करोड़ रुपए था। 11000 मीट्रिक टन काजू की गिरी के शेल लिक्विड (सीएसएनएल) / कार्डिनोल का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 44 करोड़ रुपए था।

काजू की कच्ची गिरी का घरेलू उत्पादन एवं आयात

भारत काजू की कच्ची गिरी का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। 2015-16 के दौरान 670300 मीट्रिक टन के अनुमानित उत्पादन के विरुद्ध 2016-17 के दौरान भारत में काजू की कच्ची गिरी का उत्पादन 780000 मीट्रिक टन था।

2015-16 के दौरान 958339 मीट्रिक टन के आयात की तुलना में 2016-17 के दौरान भारत में काजू की कच्ची- गिरी का कुल आयात 770000 मीट्रिक टन था।

भारतीय तिलहन तथा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आई ओ पी ई पी सी)

भारतीय तिलहन तथा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आई ओ पी ई पी सी) का अधिदेश तिलहन, तेल और खली के निर्यात का विकास एवं संवर्धन करना है। भारतीय तिलहन तथा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, जो पहले आई ओ पी ई ए के नाम से विख्यात था, पिछले 6 दशकों से निर्यातकों की आवश्यकताएं पूरी कर रही है। निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा परिषद भारत में तिलहनों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसानों, शेलर, प्रोसेसर, सर्वेयर एवं निर्यातकों को प्रोत्साहित करके घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने की दिशा में भी काम कर रही है। परिषद का अध्यक्ष इसका मुखिया है।

परिषद तिलहनों, खाद्य तेलों, खली तथा अपने क्षेत्राधिकार के अधीन अन्य उत्पादों पर अधिक जोर देती है। परिषद भारत में पैदा होने वाले तिलहनों की गुणवत्ता एवं उत्पादन में सुधार लाने की दिशा में काम करती है ताकि वैश्विक बाजारों की आवश्यकताओं से तालमेल स्थापित किया जा सके।

परिषद तिलहनों, खाद्य तेलों, खली तथा अपने क्षेत्राधिकार के अधीन अन्य उत्पादों पर अधिक जोर देती है। परिषद भारत में पैदा होने वाले तिलहनों की गुणवत्ता एवं उत्पादन में सुधार लाने की दिशा में काम करती है ताकि वैश्विक बाजारों की आवश्यकताओं से तालमेल स्थापित किया जा सके।

परिषद भारतीय किसानों में अच्छी कृषि प्रथाओं (जी ए पी) को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित करती है तथा एच ए सी सी पी एवं अच्छी विनिर्माण प्रथाएं (जी एम पी) अपनाने के लिए प्रसंस्करण यूनियों के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करती है।

आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने तथा व्यापार एवं उद्योग के हितधारकों जैसे कि निर्यातकों, प्रोसेसर, व्यापारियों, दलालों तथा तिलहन एवं तेल क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं में गुणवत्ता, के मुद्दों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

निर्यात संवर्धन के उपाय (2017-18):

(क) क्षेत्रीय बैठक:

भारत से तिल के निर्यात के विकास एवं संवर्धन के उद्देश्य से परिषद ने यूरोपीय संघ के देशों तथा यूरोपीय संघ से भिन्न देशों को तिल के निर्यात, गुणवत्ता के मुद्दों, व्यापार के मुद्दों, अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएपी), कोटिनाशकों के मुद्दों तथा जीएसटी के बारे में निर्यातकों, प्रोसेसर, व्यापारियों तथा दलालों जैसे विभिन्न, हितधारकों को अवगत कराने के उद्देश्य से 27 अगस्त 2017 को ग्वालियर में क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर कार्यशाला का आयोजन किया।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं सम्मेलनों में भागीदारी:

परिषद ने निम्न लिखित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं सम्मेलनों में सयिता से भाग लिया है :

- तिल सम्मेलन, चीन (1):
- मूंगफली तथा तिल सम्मेलन, झेंगझाउ, चीन (2):
- क्रैता - विक्रेता बैठक (बी एस एम), चीन:
- वर्ल्ड फूड मास्को 2017 (डब्ल्यू, एफ एम 2017):

महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में वार्षिक व्यापार बैठक 2017:

परिषद 10 से 12 नवंबर 2017 के दौरान महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में होटल ड्रीमलैंड में आयोजित होने वाली अपनी वार्षिक व्यापार बैठक तथा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन करने की तैयारी में जुटी है। इस अवसर पर परिषद अपने सोवनियर 2017 का अनावरण करेगी जिसमें विज्ञान, सदस्यों के संपर्क ब्यौरे, सूचनापरक लेख आदि होंगे।

दालों, तिलहनों तथा मसालों पर सम्मेलन, इथोपिया:

अदिस अबाबा, इथोपिया में 22 और 23 नवंबर 2017 के दौरान दालों, तिलहनों और मसालों पर आयोजित होने वाले 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान विशिष्ट वक्ता के रूप में भाग लेने के लिए इथोपियाई दाल, तिलहन और मसाला प्रसंस्करण निर्यातक संघ (ईपीओएसपीईए) द्वारा परिषद को आमंत्रित किया गया है। परिषद एक उत्कृष्ट प्रस्तुति देगी जिसका उद्देश्य भारत से तिल के निर्यात को बढ़ावा देना होगा।

तिलहन की फसलों का फील्ड आधारित सर्वेक्षण:

आईओपीईपीसी खरीफ 2017 के दौरान मूंगफली एवं तिल की फसलों का फील्ड आधारित वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है। यह सर्वेक्षण संबंधित राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों से कृषि वैज्ञानिकों के पर्यवेक्षण में संचालित किया जा रहा है, जिनको तिलहन की फसलों का गहन ज्ञान एवं समझ है। फसल सर्वेक्षण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण फसल के उत्पादन और गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से फसल का पक्षपात रहित एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रदान करता है और इस प्रकार काफी भरोसेमंद आंकड़े प्रदान करता है।

फसल के विश्वसनीय अनुमानों से आपूर्ति सविदाओं के लिए उपयुक्त रणनीतियां तैयार करने एवं मूल्य उद्धृत करने में निर्यातकों को मदद मिलती है। यह सर्वेक्षण मूंगफली का उत्पादन करने वाले 6 प्रमुख राज्यों अर्थात् गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र तथा तिल का उत्पादन करने वाले 4 प्रमुख राज्यों अर्थात् गुजरात, राजस्थान, मध्य, प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है।

फार्मास्युटिकल निर्यात संवर्धन परिषद (फार्मेक्सिल)

भारतीय फार्मा, जो अत्यधिक ज्ञान आधारित उद्योग है, निरंतर बढ़ रहा है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। 2016-17 के दौरान भारतीय फार्मा निर्यात ने 112915 करोड़ रुपए का योगदान किया। भारतीय फार्मा भारत में ऐसे कुछ क्षेत्रों में से एक है जिसने वैश्विक आर्थिक मंदी की रुझान के बावजूद लगातार सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। हमारा 55 प्रतिशत से अधिक फार्मा निर्यात अत्यधिक विनियमित बाजारों को होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एफडीए के यहां पंजीकृत ड्रग मास्टर फाइलों में भारत का हिस्सा 37 प्रतिशत के आसपास है (3980 डीएमएफ और 3600 एनडीए) जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर सर्वाधिक है। भारत को तकरीबन 1300 सीईपी, 1300 से अधिक टीजीए अनुमोदनों के साथ प्रत्यायित किया गया है तथा यूएस एफडीए द्वारा 600 साइटों को अनुमोदित किया गया है।

घरेलू विनिर्माण क्षेत्र का समर्थन करने वाली सरकार की अनेक औषधि नीतियों को लागू करने के फलस्वरूप 1970 के दशक में भारत के फार्मास्युटिकल विनिर्माण ने जोर पकड़ा जहां देशज प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया। देश शीघ्र ही न केवल आत्मनिर्भर बन गया बल्कि फार्मा उत्पादों का निर्यातक भी हो गया। भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग बहुत ही विकसित है तथा चीन से कुछ आयात को छोड़कर अपने अधिकांश फार्मलेशन के लिए अपने स्वयं के बल्क ड्रग एवं इंटरमीडिएट का स्रोत है।

जेनरिक दवाओं के लिए भारत को विश्व की फार्मेसी' के रूप में माना जाता है तथा सस्ती लागत पर कोटिपरक स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने में इसे उत्कृष्टता प्राप्त है। भारत के पास प्रमाणित अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक क्षमता है जिन्हें अनेक ए एन डी ए अनुमोदनों, डी एम एफ फाइलिंग, यू एस एफ डी ए / यू के एम एच आर ए अनुमोदित विनिर्माण सुविधाओं / जैव समतुल्य केन्द्रों द्वारा आंका गया है। इनको किसी राष्ट्रीय फार्मा सेक्टर की क्षमता आंकने के लिए मुख्य संकेतक के रूप में माना जाता है। भारत विश्व के लगभग सभी देशों को ए पी आई, इंटरमीडिएट, फार्मास्युटिकल फार्मलेशन, जैव फार्मास्युटिकल, क्लीनिकल सेवाओं, चिकित्सा डिवाइसों, सर्जिकल, हर्बल, न्यूट्रस्युटिकल, आयुर्वेदिक, होमियो, यूनानी उत्पादों, वेटेनरी दवाओं आदि का निर्यात करता है।

निर्यात की प्रवृत्तियों की प्रमुख विशेषताएं:

- उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान
- थोक सक्रिय एवं डोज फार्म के निर्यात मूल्य की दृष्टि से 17वां स्थान
- भारत का 55 प्रतिशत से अधिक निर्यात अत्यधिक विनियमित बाजारों को होता है।
- यूएसए (27 प्रतिशत) के बाद यूरोपीय संघ (18 प्रतिशत) सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
- फार्मलेशन के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है।

भारतीय विनिर्माताओं के लिए विपणन के विशाल अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। इसके अलावा सी आर ए एम एस, नैदानिक अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव सूचना विज्ञान आदि के लिए आउटसोर्सिंग गंतव्य के रूप में भारत की संभावनाएं कौशल, लागत एवं प्रदायगी संबंधी लाभों के कारण प्रबल होती जा रही हैं।

फार्मा निर्यात के संवर्धन के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू की गई पहल (क) ब्रांड इंडिया फार्मा परियोजना:

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय फार्मा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 2012 में शुरू की गई ब्रांड इंडिया फार्मा परियोजना 2016-17 में भी जारी है। आईबीईएफ की सहायता से फार्मेक्सिल ने दुबई में आयोजित अरब हेल्थ, इथोपिया में आयोजित इफेक्स अफ्रीका, जापान में आयोजित सीपीएचआई वर्ल्ड वाइड में ब्रांड संवर्धन की गतिविधियां संपन्न की है। अरब हेल्थ तथा इफेक्स, अफ्रीका में ब्रांडिंग की गतिविधियों से सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ है।

(ख) ए पी आई के आयात पर निर्भरता घटाना:

एपीआई के आयात पर निर्भरता कम करने तथा भारतीय एपीआई उद्योग

को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को जारी रखते हुए वाणिज्य विभाग ने नीतियों / रोडमैप का निर्माण करने के लिए हितधारकों के साथ अनेक परामर्शों का आयोजन किया। फार्मेक्सिल ने इस विषय पर अनेक परामर्शों बैठकों का भी आयोजन किया। राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल नीति के अंग के रूप में एपीआई क्षेत्र के लिए नीति को फार्मास्युटिकल विभाग में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) निर्यात के लिए ट्रैक और ट्रेस प्रणाली:

फार्मा निर्यात के लिए ट्रैक और ट्रेस प्रणाली सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है। लघु निर्यातकों के जायज सरोकारों को ध्यान में रखते हुए एसएमई को 31 मार्च 2017 तक अभिभावक - बच्चा संबंध का अनुरक्षण करने तथा डीएवीए पोर्टल पर डाटा अपलोड करने से छूट प्रदान की गई। 1 अप्रैल 2017 से लघु निर्यातकों सहित सभी निर्यातकों के लिए अभिभावक - बच्चा संबंध अनुरक्षित करने और डीएवीए पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के लिए द्वितीयक, तृतीयक पैकिंग पर एक विशिष्ट बारकोडिंग करना अनिवार्य है। निर्यातकों की शंकाओं को दूर करने तथा प्रणाली के अबाध कामकाज का सुनिश्चय करने के लिए आवधिक आधार पर एनआईसी, जीएस1 और फार्मेक्सिल द्वारा सेमिनारों / कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

2016-17 में फार्मेक्सिल द्वारा आयोजित की गई निर्यात संवर्धन की प्रमुख गतिविधियां:

इफेक्स 2016:

27 से 29 अप्रैल 2016 के दौरान फार्मेक्सिल द्वारा इफेक्स के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 350 से अधिक भारतीय प्रदर्शकों तथा 550 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तकरीबन 7000 भारतीय आगंतुकों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की तथा प्रदर्शकों के साथ बातचीत की।

इफेक्स लातम

फार्मेक्सिल ने अगस्त 2016 में पेरू में अपने ब्रांड इफेक्स लातम के साथ लैटिन अमेरिका क्षेत्र में अपने स्वयं के एक्सपो का आयोजन किया। लगभग 40 भारतीय कंपनियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। फार्मा संघों तथा दूतावासों की मदद से स्थानीय फार्मा कंपनियों को कार्यक्रम में आने तथा प्रदर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया।

एपीआई के लिए संकेन्द्रित आरबीएसएम

भारतीय एपीआई के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एपीआई निर्यातकों के लिए संकेन्द्रित एक आरबीएसएम का आयोजन हैदराबाद में 23 से 25 सितंबर 2016 के दौरान किया गया। लगभग 90 विदेशी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया तथा व्यवसाय दर व्यवसाय बैठकों का आयोजन किया गया। 250 से अधिक भारतीय प्रतिनिधियों से भाग लिया तथा समुद्रपारीय प्रतिनिधियों के साथ व्यवसाय बैठकों की।

सीपीएचआई इंडिया

परिषद ने 10वीं बार 21 से 23 नवंबर 2016 के दौरान सीपीएचआई इंडिया में फार्मेक्सिल मंडप का आयोजन किया। मंडप में 89 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया।

अरब हेल्थ:

लगातार 11वीं बार फार्मेक्सिल ने जनवरी 2017 में दुबई में अरब हेल्थ में भारतीय मंडप का आयोजन किया। इस मंडप में फार्मास्युटिकल, न्यूमेट्रास्युटिकल, सर्जिकल उत्पादों आदि में व्यापार करने वाली 54 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया।

इफेक्स अफ्रीका:

20 और 21 फरवरी 2017 के दौरान इथोपिया में इफेक्स अफ्रीका के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। वाणिज्य विभाग तथा आईबीईएफ की सहायता से इस कार्यक्रम में ब्रांड इंडिया फार्मा परियोजना को प्रमोट किया गया। 40 से अधिक भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। ■

निर्यात उत्पादन के केंद्र - विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा निर्यातोन्मुख यूनिटें



विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड)

एकल खिड़की क्लियरेंस के साथ केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर अच्छी अवसररचना तथा आकर्षक राजकोषीय पैकेज की सहायता से विशेष आर्थिक क्षेत्रों को आर्थिक विकास का इंजन बनाने के उद्देश्य से अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई। विशेष आर्थिक क्षेत्र की संकल्पना समग्र आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों को स्वीकार करती है तथा आत्मनिर्भर औद्योगिक टाउनशिप के विकास का प्रावधान करती है ताकि आर्थिक गतिविधि में वृद्धि से विद्यमान अवसररचना पर दबाव न उत्पन्न हो।

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2006

एशिया का पहला ई पी जेड 1965 में कांडला में स्थापित हुआ। इसके बाद 7 और क्षेत्र स्थापित किए गए। तथापि, ये क्षेत्र नियंत्रणों एवं क्लियरेंस की बहुलता, विश्व स्तरीय अवसररचना का अभाव तथा अस्थिर राजकोषीय व्यवस्था आदि के कारण निर्यात संवर्धन के लिए कारगर साधन के रूप में उभरने में समर्थ नहीं हो पाए। ई पी जेड मॉडल की कमियों को दूर करते हुए, अप्रैल 2000 में घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड) नीति में कुछ नई विशेषताएं शामिल की गईं।

निवेशकों में विश्वास जगाने तथा स्थिर एस ई जेड नीति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत देने के लिए और एस ई जेड व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने एवं इस विकास एस ई जेड की स्थापना के मध्यम से अधिक आर्थिक गतिविधि तथा रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से मई 2005 में संसद द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 पारित किया गया। इस अधिनियम को 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। 10 फरवरी, 2006 से विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली द्वारा समर्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 लागू हुआ जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों से संबंधित मामलों पर एकल खिड़की क्लियरेंस तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण का प्रावधान है। इस अधिनियम तथा नियमावली के लागू होने के फलस्वरूप, यह परिकल्पना थी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अवसररचना और उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी एवं घरेलू निवेश का अधिक प्रवाह आकर्षित करेंगे जिससे अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के सृजन और रोजगार के अवसरों के सृजन का मार्ग प्रशस्त होगा।

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन;
- माल एवं सेवाओं के निर्यात का संवर्धन;
- घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश संवर्धन;
- रोजगार के अवसरों का सृजन; और
- आधारभूत सुविधाओं का विकास।

विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2006 में संशोधन

विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2006 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं:

- जैव प्रौद्योगिकी तथा रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल निर्धारित करना;
- मुक्त व्यापार भंडार क्षेत्र (एफ टी डब्ल्यू जेड) के लिए न्यूनतम प्रसंस्करण क्षेत्रफल निर्धारित करना;
- सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने एवं इसके विस्तार से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का समावेशन;
- कम से कम 5 साल की पट्टा अवधि का प्रावधान, जबकि पिछले प्रावधान के अनुसार अनुमोदन पत्र की वैधता समाप्त होने के साथ ही पट्टा अवधि समाप्त हो जाती है।
- अनेक उत्पादों वाले विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अपेक्षित क्षेत्रफल की ऊपरी सीमा को 5000 हेक्टेयर के रूप में निर्धारित करना तथा राज्य सरकारों को इससे कम सीमा निर्धारित करने का विकल्प प्रदान करना;
- अनेक उत्पादों वाले विशेष आर्थिक क्षेत्रों तथा क्षेत्र विशिष्ट एस ई जेड के लिए समान रूप से न्यूनतम प्रसंस्करण क्षेत्र को 50 प्रतिशत पर संशोधित करना;
- विशेष आर्थिक क्षेत्र के आवेदन पत्र में भूमि के प्रकार का उल्लेख होना चाहिए;
- विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास को माल की आपूर्ति के लिए ड्यूटी ड्राबैक के बदले में भारतीय रुपए के विरुद्ध ड्यूटी की प्रतिपूर्ति;
- विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए “खाली जमीन” को परिभाषित किया गया है;

- सटे हुए विद्यमान अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों को एक साथ मिलाना, भले ही परिणामी विशेष आर्थिक क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 5000 हेक्टेयर से अधिक हो जाए;
- शक्तियां प्रदान करने तथा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए असंख्य अन्य संशोधन;
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों के अबाध कार्यकरण के लिए एस ई जेड प्राधिकरण नियमावली 2009 बनाई गई है तथा तदनुसार एस ई जेड प्राधिकरण स्थापित किया गया है।
- विकासकों को सुगमता प्रदान करने तथा बेहतर प्रशासनिक दक्षता के लिए विकास आयुक्त के माध्यम से एस ई जेड स्थापित करने के प्रस्ताव भेजना।
- विद्युत के उत्पादन, वितरण एवं पारेषण के लिए सभी विद्यमान विधान / नियमों सहित। नियम 5 के तहत निर्धारित न्यूनतम निर्मित क्षेत्र के निर्माण के लिए 10 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है।
- एक नया प्रावधान शामिल किया गया है जिसके अनुसार एस ई जेड अधिसूचित एवं क्रियाशील हो जाने पर अनुमोदन पत्र की वैधता तब तक बनी रहेगी जब तक एस ई जेड अधिसूचित बने रहेंगे।
- अबाध कार्यकरण के लिए विभिन्न फार्म एवं प्रक्रियाएं विहित की गई हैं।
- सभी विकासकों एवं यूनिटों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे प्रयोक्ताओं के संबंध में बेहतर सुगमता तथा बेहतर निगरानी के लिए आन लाइन प्रणाली का उपयोग करेंगे।
- देश के शहरों को वर्गीकृत किया गया है।
- देश के छोटे शहरों में आई टी / आई टी ई एस एस ई जेड को प्रोत्साहित करना।
- विद्यमान एस ई जेड में क्षेत्रफल संबंधी किसी न्यूनतम आवश्यकता के बगैर एफ टी डब्ल्यू जेड स्थापित करने की अनुमति प्रदान करना।
- अनुमोदन बोर्ड के पूर्वानुमोदन से भारत से बाहर किसी स्थान से विशेष आर्थिक क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासक या विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी यूनिट द्वारा निषिद्ध वस्तुओं के आयात का मार्ग प्रशस्त करना।
- अनुबंध की क्रम संख्या 3 के कालम 3 में उल्लिखित “परिधान” शब्द के स्थान पर “टेक्स टाइल तथा टेक्सटाइल की वस्तुएं” शब्द रखने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली 2006 के अनुबंध 2 को संशोधित किया गया है।
- यूनिट के अनुमति पत्र की वैधता को चौथे वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड को समर्थ बनाना।
- एस ई जेड के सह विकासक के अनुमोदन पत्र की वैधता को विकासक के अनुमोदन पत्र की वैधता के साथ समाप्त होने का प्रावधान किया गया है।
- एस ई जेड नियमावली 2006 में निम्नलिखित संशोधन 12 अगस्त 2013 को अधिसूचित किए गए :
 - ❖ विभिन्न श्रेणियों में एस ई जेड स्थापित करने के लिए क्षेत्रफल संबंधी आवश्यकता को घटाकर आधा कर दिया गया है।
 - ❖ अधिक लोच प्रदान करने तथा विभिन्न श्रेणियों के बीच आने वाले मध्यवर्ती आकार के भूमि क्षेत्रों की समस्याओं के निदान के लिए भूमि संबंधी न्यूनतम मापदंड के लिए ग्रेडेड स्केल शुरू किया गया है।
 - ❖ समान / संबद्ध क्षेत्रों को शामिल करने के लिए क्षेत्रों की श्रेणियों के लिए ब्राड बैंडिंग के सेक्टरल प्रावधान लागू किए गए हैं।
 - ❖ आई टी तथा आई टी ई एस एस ई जेड - भूमि संबंधी न्यूनतम मापदंड को हटा दिया गया है।
 - ❖ बाहर निकल जाने की स्थिति में एस
- एन पी ए में अवसररचना के दोहरे प्रयोग की अधिसूचना जारी की गई है और 2 जनवरी 2015 को प्रकाशित की गई है। यह एस ई जेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सामाजिक एवं वाणिज्य अवसररचना तथा अन्य सुविधाओं के सृजन को सुगम बनाएगी।
- अधिसूचना दिनांक 8 अप्रैल 2015 के माध्यम से एस ई जेड में पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आई एफ एस सी) स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- कालम 4 की क्रम संख्या 3 में “38 हेक्टेयर” नामक अंक एवं शब्द को “20 हेक्टेयर” नामक अंक एवं शब्द से प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचना दिनांक 17 जुलाई 2015 के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली 2006 के अनुबंध 2 को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है।
- सभी पिछले दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हुए, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जेड) में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिए विद्युत दिशानिर्देश 16 फरवरी 2016 को जारी किए गए हैं।

- एस ई जेड नियमावली 2006 में नियम 47 (5) और नियम 79 शामिल करने के लिए संशोधन की अधिसूचना 8 अगस्त 2016 को जारी एवं प्रकाशित की गई है। एस ई जेड नियमावली 2006 में लेखा परीक्षा, मांग, रिफंड, न्याय निर्णयन, समीक्षा और अपील के लिए प्रावधानों को शामिल करने तथा बेहतर प्रशासनिक दक्षता के लिए और अनुमोदित प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए कारगर कदम उठाने के लिए यह संशोधन जारी किया गया है।
- एस ई जेड नियमावली 2006 के सैद्धांतिक नियम में नया नियम 2(1)(जेडजी) एवं 22(1)(अ) को शामिल करने के लिए संशोधन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है ताकि एस ई जेड नियमावली 2006 के तहत एस ई जेड विकासकों, सह विकासकों तथा यूनितों को पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ई ओ यू एवं एस ई जेड निर्यात संवर्धन परिषद (ई पी सी ई एस) को शक्ति प्रदान की जा सके।
- एस ई जेड अधिनियम 2005 की धारा 20, 21 और 22 के तहत जांच एजेंसियों को अधिसूचित करने वाले संशोधन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
- एस ई जेड में आई टी / आई टी ई एस के अधिकृत कर्मचारियों को घर या एस ई जेड यूनिट से बाहर किसी स्थान से काम करने की अनुमति प्रदान करते हुए अनुदेश संख्या 85 जारी किया गया है।
- एस ई जेड विकासकों को भारतीय रुपए में माल की आपूर्ति के लिए ड्यूटी ड्रा बैक के बदले में ड्यूटी की प्रतिपूर्ति के लिए प्रक्रिया के संबंध में अनुदेश संख्या 9 को संशोधित करने के लिए अनुदेश संख्या 86 जारी किया गया है।
- एस ई जेड यूनिटों द्वारा वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट दाखिल करने की समय

सीमा को संशोधित करने की अधिसूचना जारी की गई है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र गठित करने के लिए प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति

विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित होने पर केंद्र सरकार द्वारा कांडला (गुजरात), सांताक्रूज (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल), नोएडा (उत्तर प्रदेश), चेन्नई (तमिलनाडु), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) एवं विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में गठित किए सात निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ई पी जेड) को विशेष आर्थिक क्षेत्र में घोषित किया गया। सूरत में निजी क्षेत्र में गठित अन्य निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र को भी विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित किया गया। इनके अलावा, 2000-2005 की अवधि के दौरान, राज्य सरकारों / निजी क्षेत्र द्वारा राज्यों में 11 और विशेष आर्थिक क्षेत्र गठित किए गए - पश्चिम बंगाल (2), गुजरात (2), मध्य प्रदेश (1), उत्तर प्रदेश (1), राजस्थान (1) एवं तमिलनाडु (4)। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के लागू हो जाने के बाद 10 फरवरी, 2006 को विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए 423 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें 354 विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं तथा प्रचालन के विभिन्न चरणों पर हैं। कुल 222 विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात कर रहे हैं।

हालांकि कतिपय राज्यों में कुछ संकेंद्रण है, यह तथ्य कि अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्र 19 राज्यों एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हैं, दर्शाता है कि ये किसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। 09 अक्टूबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों का राज्यवार वितरण सारणी 7.1 में दिया गया है। अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित औपचारिक रूप से अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में शामिल भू-क्षेत्रफल 50208.11 हेक्टेयर के आसपास है।

सारणी: 7.1
अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्रों का राज्यवार वितरण

(09 अक्टूबर, 2017 तक
की स्थिति के अनुसार)

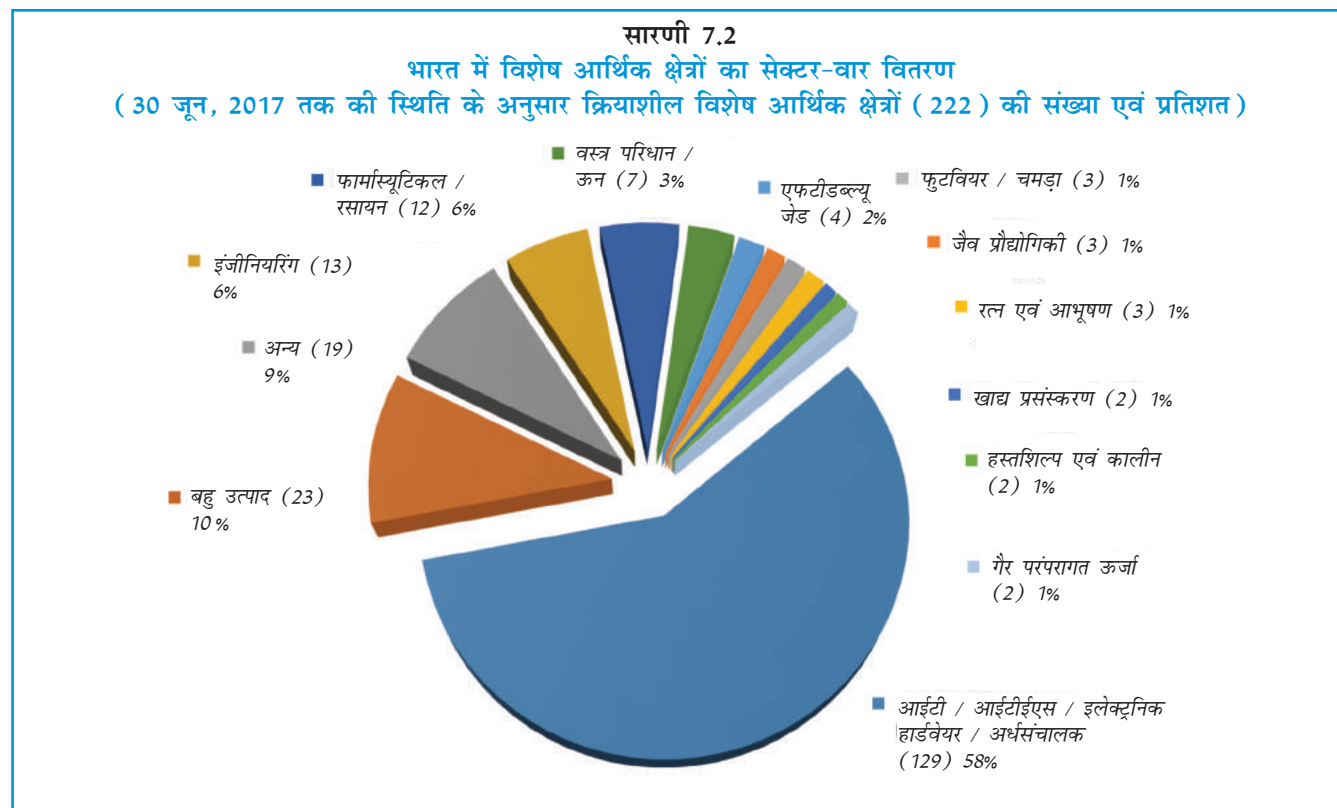
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	औपचारिक अनुमोदन	सैद्धांतिक अनुमोदन	अधिसूचित एस ई जेड	निर्यात करने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (केंद्र सरकार+राज्य सरकार/निजी एस ई जेड + एस ई जेड अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित एस ई जेड)
आंध्र प्रदेश	29	4	25	20
चंडीगढ़	2	0	2	2
छत्तीसगढ़	2	1	1	1
दिल्ली	2	0	0	0
गोवा	7	0	3	0
गुजरात	28	4	24	19
हरियाणा	24	3	20	7
झारखंड	1	0	1	0
कर्नाटक	62	0	51	26
केरल	29	0	25	19
मध्य प्रदेश	10	0	5	4
महाराष्ट्र	57	11	50	28
मणिपुर	1	0	1	0
नागालैंड	2	0	2	0
ओडिशा	7	0	5	4
पुदुचेरी	1	1	0	0
पंजाब	5	0	3	3
राजस्थान	9	1	8	4
तमिलनाडु	50	3	47	36
तेलंगाना	64	0	57	30
उत्तर प्रदेश	24	1	19	12
पश्चिम बंगाल	7	2	5	7
कुल योग	423	31	354	222

स्रोत: वाणिज्य विभाग

अब तक जितने एस ई जेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है उनमें से अधिकांश (84 प्रतिशत) आई टी / आई टी ई एस, हार्डवेयर आदि, वस्त्र एवं परिधान (ऊन सहित), फार्मा एवं रसायन, बायोटेक, इंजीनियरिंग एवं बहु-उत्पाद के 6 प्रमुख क्षेत्रों में हैं। आईटी / आईटीईएस / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर / सेमी कंडक्टर से संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र एकल सबसे महत्वपूर्ण घटक है जिसका कुल औपचारिक अनुमोदनों में अनुपात लगभग 58 प्रतिशत है,

जिसके बाद बहुउत्पाद में विशेष आर्थिक क्षेत्रों का स्थान है। अब तक जिन 423 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है उनमें से एक तिहाई से अधिक अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र के चरण पर पहुंच गए हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों का सेक्टर-वार ब्यौरा नीचे आरेख में दिया गया है:



विशेष आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार, निवेश और निर्यात

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सृजित रोजगार एवं निवेश का ब्यौरा बॉक्स 7.1 और बॉक्स 7.2 में दिया गया है।

बॉक्स 7.1
विशेष आर्थिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रोजगार
(30 जून, 2017 तक की स्थिति के अनुसार)

- भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र 17,78,851 से अधिक व्यक्तियों को सीधा रोजगार प्रदान करते हैं;
- फरवरी, 2006 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के लागू होने के बाद छोटी अवधि में विशेष आर्थिक क्षेत्रों द्वारा सृजित अवसरों से 16,44,147 लोगों को रोजगार मिला है।

बॉक्स 7.2
विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश

- विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कुल निवेश 4,33,142 करोड़ रुपए है।
- फरवरी, 2006 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के लागू होने के बाद से विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश की राशि 4,05,690 करोड़ रुपए है।

निर्यात निष्पादन

30 जून, 2017 तक की स्थिति के अनुसार अर्थात् वर्तमान वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में, विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निर्यात लगभग 1,35,248 करोड़ रुपए है। पिछले 7 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान क्रियाशील विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निर्यात का ब्यौरा सारणी 7.3 में दिया गया है।

सारणी 7.3
पिछले 8 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान क्रियाशील विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निर्यात का ब्यौरा

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)	(पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत)
2009-2010	2,20,711	121.40
2010-2011	3,15,868	43.11
2011-2012	3,64,478	15.39
2012-2013	476,159	31.00
2013-2014	494,077	4.00
2014-2015	463,770	-6.13 प्रतिशत
2015-2016	467,337	-0.77 प्रतिशत
2016-2017	523,637	12.05 प्रतिशत
2017-2018 (30 जून, 2017 तक की स्थिति के अनुसार)	1,35,248	15.39 प्रतिशत

स्रोत: वाणिज्य विभाग (एस ई जेड प्रभाग)

एस ई जेड नीति सुधार की पहल

हालांकि उपर्युक्त उपलब्धियाँ किसी भी रूप में नगण्य नहीं हैं, सेक्टर के व्यापक विश्लेषात्मक आकलन से इस आवश्यकता का पता चला है कि एस ई जेड नीति एवं प्रचालनात्मक रूपरेखा के कुछ पहलुओं पर संभवतः फिर से विचार करने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए संभावित सुधार हो कि एस ई जेड नीति के निर्धारित बेहतर ढंग से प्राप्त हो सकें।

एस ई जेड का भौगोलिक वितरण मुख्यतः रूप से 7 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में सीमित है। इन राज्यों में अब तक स्थापित एस ई जेड के लगभग 75 प्रतिशत हैं। इसके अलावा, अधिकांश स्थापित एस ई जेड, विशेष रूप से आई टी / आई टी ई एस एसईजेड प्रमुख शहरी क्षेत्रों में एवं आसपास स्थापित हुए हैं। एस ई जेड का सेक्टर-वार प्रसार यह भी दर्शाता है कि विनिर्माण एस ई जेड सुस्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं हैं। भूमि की उपलब्धता दिनोंदिन कठिन हो जाने के कारण बहु उत्पाद एस ई जेड की स्थापना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है क्योंकि इसके लिए कम से कम 1000 हेक्टेयर सटी हुई एवं खाली भूमि की जरूरत होती है। एफ टी डब्ल्यू जेड से संबंधित प्रचालनात्मक मुद्दों, सी एस टी, सेवा कर आदि के रिफंड की प्रक्रिया पर भी अधिक विवर्धन की जरूरत है।

इन सरोकारों को दूर करने के लिए, राज्य सरकारों के प्रधान सचिवों (उद्योग) के साथ बैठकों के बाद तथा आंचलिक विकास आयुक्त के तत्वावधान में आउटरिच सेमिनार आयोजित करके हितधारकों से इनपुट प्राप्त हुए हैं। नैसर्गिक, एसोचैम, भारतीय उद्योग परिसंघ तथा सी आई आई आदि जैसे व्यापार संघों से भी इनपुट प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में आगे की कार्रवाई चल रही है।

एस ई जेड अधिनियम एवं नियमावली के फरवरी, 2006 में अधिसूचित होने के बाद लगभग 10 वर्ष की छोटी सी अवधि में 423 एस ई जेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिनमें से 354 एस ई जेड अधिसूचित किए गए हैं। एस ई जेड में कुल 17,78,851 व्यक्तियों को प्रदान किए गए रोजगार में से कुल मिलाकर 16,44,147 व्यक्ति फरवरी, 2006 जब एस ई जेड अधिनियम लागू हुआ था, के बाद सृजित वृद्धि संबंधी रोजगार है। यह अवसरचक्रा की गतिविधियों के लिए डवलपर्स द्वारा सृजित किए गए लाखों मानव दिवसों के अलावा है। एस ई जेड से वास्तविक निर्यात 2015-16 में 4,67,337 करोड़ रुपए से बढ़कर 2016-17 में 5,23,637 करोड़ रुपए हो गया है जो 12.05 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। 30 जून, 2017 तक की स्थिति के अनुसार अर्थात् वर्तमान वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में, विशेष आर्थिक क्षेत्रों से कुल स्थूल निर्यात लगभग 1,35,248 करोड़ रुपए है। 30 जून, 2017 तक एस ई जेड में कुल निवेश लगभग 4,33,142 करोड़ रुपए है जिसमें एस ई जेड अधिनियम, 2005 के बाद स्थापित नवअधिसूचित एस ई जेड में 4,05,690 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस समय कुल 222 विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात कर रहे हैं। इसमें से 129 आई टी / आई टी ई एस, 23 बहु उत्पाद और 70 अन्य सेक्टर विशिष्ट एस ई जेड हैं। एस ई जेड में कुल 4,643 यूनिटें स्थापित की गई हैं।

निर्यात उन्मुख यूनिटें (ई ओ यू)

मुख्य रूप से अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का सृजन करके निर्यात में तेजी लाने के उद्देश्य से निर्यात उन्मुख यूनिट (ई ओ यू) स्कीम 1981 के पूर्वार्ध में शुरू की गई। यह 1960 के दशक में शुरू की गई मुक्त व्यापार क्षेत्र / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ई पी जेड) स्कीम की पूरक स्कीम के रूप में शुरू की गई, जिसमें लोकेशन संबंधी प्रतिबंधों की वजह से अधिक यूनिटें नहीं आई थी। यह एसईजेड (तत्कालीन ई पी जेड) जैसी उत्पादन व्यवस्था अपनाता है परंतु लोकेशन की दृष्टि से व्यापक विकल्प प्रदान करता है।

ऐसी यूनिटों को निर्यात उन्मुख यूनिट (ई ओ यू) कहा जाता है जो निर्यात-आयात नीति के अनुसार डीटीए में अनुमत बिक्री को छोड़कर अपने माल एवं सेवाओं के संपूर्ण उत्पादन के निर्यात का वचन देती हैं। निर्यात उन्मुख यूनिटें संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंधित विकास आयुक्त अर्थात् वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती हैं।

निर्यात उन्मुख यूनिटें विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी) के अध्याय-6 के प्रावधानों एवं इसकी प्रक्रियाओं द्वारा अभिशासित होते हैं, जिनका उल्लेख प्रक्रिया हैंडबुक (एच बी पी) में किया गया है। उक्त अध्याय-6 के प्रावधानों तथा इसकी प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई एच टी पी), साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस टी पी) और जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बी टी पी) पर भी लागू किया गया है। इसलिए यह स्कीम निर्यात उन्मुख यूनिट /

एसटीपी / ईएचटीपी / बीटीपी के लिए है तथा सामान्य रूप में इसे निर्यात उन्मुख यूनिट स्कीम कहा जाता है।

30 सितंबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार, निर्यात उन्मुख यूनिट स्कीम के तहत 1832 यूनिटें प्रचालन कर रही हैं। निर्यात उन्मुख यूनिटों का राज्यवार वितरण नीचे सारणी में दिया गया है:

क्रियाशील निर्यात उन्मुख यूनिटों का राज्यवार वितरण	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	30 सितंबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार क्रियाशील निर्यात उन्मुख यूनिटें
आंध्र प्रदेश	76
तेलंगाना	165
पश्चिम बंगाल	45
झारखंड	2
ओडिशा	1
मेघालय	1
गुजरात	177
केरल	83
कर्नाटक	376
तमिलनाडु	416
पांडिचेरी	12
महाराष्ट्र	225
गोवा, दमन एवं दीव	37
दादर एवं नागर हवेली	16
दिल्ली	12
हरियाणा	55
उत्तर प्रदेश	55
पंजाब	7
राजस्थान	55
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू एवं कश्मीर	2
चंडीगढ़	2
उत्तराखण्ड	1
मध्य प्रदेश	7
कुल	1832

निर्यात उन्मुख यूनिट द्वारा निर्यात निष्पादन (करोड़ रुपए में)	
वर्ष	ईओयू निर्यात
2012-13	92089.80
2013-14	82072.71
2014-15	98803.29
2015-16	97493.23
2016-17	74771.89
2017-18	36591.90
(30 सितंबर, 2017 तक)	

*टिप्पणी: अन्तिम क्योंकि कुछ यूनिटों से ए पी आर और क्यू, पी आर अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

2017-18 के दौरान (30 सितंबर, 2017 तक) निर्यात उन्मुख यूनिटों से निर्यात का मूल्य 36591.90 करोड़ रुपए है जबकि 2016-17 के दौरान इसका मूल्य 74771.89 करोड़ रुपए था।

निर्यात उन्मुख यूनिटें मुख्य रूप से वस्त्र एवं यार्न, खाद्य प्रसंस्करण, रत्ना एवं आभूषण, कंप्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स, रसायन, प्लास्टिक, ग्रेनाइट एवं खनिज / अयस्क के क्षेत्रों में हैं। ■

विशिष्ट एजेंसियां

वाणिज्य विभाग कई जिंस बोर्डों, विकास प्राधिकरणों, संस्थागत व्यापार सुविधाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों का संचालन करता है जो विशिष्ट एजेंसियां हैं और विशिष्ट क्षेत्रों को संभालती हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:



बागान क्षेत्र

बागान क्षेत्र के तहत चाय, मसाले, कॉफी और रबर शामिल हैं तथा यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उद्योग तथा इससे जुड़ी गतिविधियों में भारी संख्या में लोगों को जीविका प्रदान करता है तथा यह उस क्षेत्र के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकीय अनोखेपन का संरक्षण करता है जहां इसकी खेती होती है। यह पर्यावरणीय दृष्टि से संपोषणीय विकास के लिए प्रमुख क्षेत्र है जो ज्यादातर पारिस्थितिकी की दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों में संकेन्द्रित है। वस्तुओं का व्यापार एवं निर्यात निरंतर बढ़ रहा है तथा प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग, आला विपणन के माध्यम से प्रति यूनिट मूल्य वसूली बढ़ रही है तथा जैविक उत्पादों पर बल दिया जा रहा है। वर्तमान वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :

- ई-स्पाइस बाजार जो इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के साथ मिलकर मसाला बोर्ड द्वारा एक डिजिटल प्लेटफार्म है, का उद्देश्य मसालों की तलाश करना तथा मसालों की खेती करने वाले किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करना है।
- मसालों तथा इसके मूल्यवर्धित उत्पादों की प्रामाणिकता और गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मसाला बोर्ड ने कोच्चि और दिल्ली में “स्पाइसेस इंडिया” के नाम से सिग्नेचर स्टाल स्थापित किए हैं।
- मसाला बोर्ड ने बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए छोटे और सीमांत मसाला उत्पादकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मसाला किसान उत्पादक कंपनियों (एसएफपीसी) के गठन की प्रक्रिया शुरू की।
- आपूर्ति शृंखला के दोनों हाशियों के बीच प्रभावी बाजार सहलग्नता का सृजन करने के लिए मसालों के क्र्रेताओं और विक्रेताओं के बीच सीधी अंतःक्रिया को सुगम बनाने के लिए 2017 के दौरान गुवाहाटी, ईटानगर, कोटा, हैदराबाद, विजयवाड़ा और ऊंझा में क्र्रेता - विक्रेता बैठकों का आयोजन किया गया।
- “फ्लेवर ऑफ इंडिया - कॉफी कप अवार्ड प्रतियोगिता 2017” का अंतिम कप सत्र “एस सी ए ई विश्व कॉफी सम्मेलन 2017” से पूर्व 11 और 12 जून 2017 को बुडापेस्ट, हंगरी, में आयोजित किया गया।
- भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल के अनुरूप कॉफी बोर्ड ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम शुरू किया तथा प्रायोगिक आधार पर 6550 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड उर्वरकों का विवेकपूर्ण प्रयोग करने, पोषक तत्वों की कमी को दूर करने तथा संपोषणीय उपज प्राप्त करने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में समर्थ बनाते हैं।
- काफी उत्पादकों के लाभ के लिए एक अनूठा वेब पोर्टल www.indiacoffeesoils.net शुरू किया गया है जिसका नाम क्षेमम (कप्पी मृदा स्वास्थ्य निगरानी एवं प्रबंधन) है।
- रबर बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शीत रोधी क्लोन आरआरआईआई 2018 (जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ही क्लोन है) जारी किया।
- दक्षिण भारत में रबर का उत्पादन करने वाले किसी स्थान के लिए उर्वरक की सिफारिश प्राप्त करने हेतु रबर उत्पादकों के लिए रबर बोर्ड ने रबर

मृदा सूचना प्रणाली (रबएसआईएस) विकसित की जो एक आनलाइन प्रणाली है।

- मार्च 2017 में आरआरआईआई के हीरक जयंती के अवसर पर उन्नत आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना के लिए वाणिज्य सचिव द्वारा एक नए प्रयोगशाला ब्लॉक का उद्घाटन किया गया।
- रबर बोर्ड ने रबर रोपण एवं औद्योगिक क्षेत्र में पुनः कौशल / कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल अंतराल तथा कुशल जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत “पूर्व अधिगम पर मान्यता” कार्यक्रम की कौशल विकास परियोजना शुरू की।
- अच्छी चाय की खेती एवं विनिर्माण के लिए पादप संरक्षण संहिता (पीपीसी) सभी चाय बागानों में शुरू की गई जो उत्पादकों / विनिर्माताओं को यह अधिदेश देती है कि वे जो चाय विनिर्मित या आपूर्त करते हैं उसकी गुणवत्ता का बचन पत्र प्रदान करें। पादप संरक्षण संहिता का संस्करण 9.0 हाल ही में जारी किया गया है।

चाय बोर्ड

भारत काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत के 15 राज्यों में चाय की खेती होती है जिसमें से असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चाय के कुल उत्पादन का लगभग 97 प्रतिशत उत्पादन होता है। त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और कर्नाटक ऐसे परंपरागत राज्य हैं जहां थोड़ी मात्रा में चाय की खेती होती है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम ऐसे गैर परंपरागत राज्य हैं जिन्होंने हाल के वर्षों में भारत के चाय मानचित्र पर अपनी जगह बनाई है। दार्जिलिंग, असम, नीलगिरि और कांगड़ा में पैदा होने वाली चाय अपनी अनोखी गुणवत्ता के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। कुल उत्पादन का औसतन 18 प्रतिशत निर्यात किया जाता है तथा शेष 82 प्रतिशत की खपत देश के अंदर होती है। बहुमूल्य विदेशी मुद्रा लाने के अलावा चाय उद्योग चाय पैदा करने वाले राज्यों के लिए राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। चाय उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एक मिलियन से अधिक श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है जिनमें से काफी अधिक संख्या में महिलाएं हैं। इसके अलावा चाय उद्योग से संबद्ध सहायक गतिविधियों से 6 मिलियन से अधिक व्यक्ति अपनी जीविका अर्जित करते हैं।

उत्पादन: 2017-18 (अप्रैल - अगस्त) के दौरान चाय का संचयी उत्पादन 677.81 मिलियन किलो पर पहुंच गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में 50.32 मिलियन किलो (8.02 प्रतिशत) अधिक है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के उत्पादन में वर्तमान अवधि के दौरान क्रमशः 27.75 मिलियन किलो (5.21 प्रतिशत) और 22.57 मिलियन किलो (23.89 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

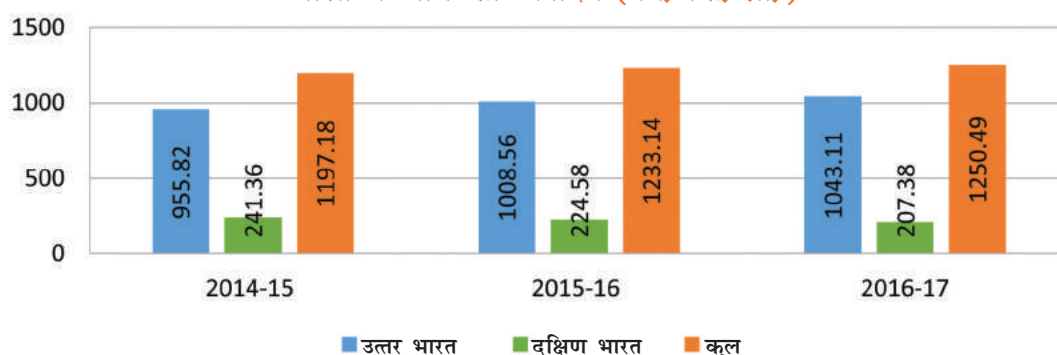
पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान भारत में चाय का उत्पादन

(मिलियन किलो में)

वर्ष	उत्तर भारत	दक्षिण भारत	अखिल भारत
2015-16	1008.56	224.58	1233.14
2016-17	1043.11	207.38	1250.49

स्रोत: चाय बोर्ड

भारत में चाय का उत्पादन (मि. कि. ग्रा.)



निर्यात: अप्रैल से अगस्त 2017-18 के दौरान 1636.93 करोड़ रुपए के एफओबी मूल्य के साथ अनंतिम चाय निर्यात 82.72 मिलियन किलो था, जबकि पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि के दौरान 1707.87 करोड़ रुपए के एफओबी मूल्य के साथ 82.37 मिलियन किलो चाय का निर्यात किया गया। वर्तमान अवधि के दौरान अमरीकी डालर में मूल्य की वसूली 254.26 मिलियन थी, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 254.94 मिलियन अमरीकी डालर था।

पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान भारत से चाय का निर्यात

वर्ष	मात्रा (मिलियन किलो में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)	इकाई मूल्य (प्रति किलो रुपए में)	मूल्यम (मिलियन अमरीकी डालर में)	इकाई मूल्य (प्रति किलो रुपए में)
2015-16	232.92	4493.10	192.90	686.67	2.95
2016-17	227.63	4632.50	203.51	690.73	3.03
(स्रोत: चाय बोर्ड)					

मुख्य रूप से ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, यूके, कजाकिस्तान, श्रीलंका और चीन को चाय के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई।

आयात: वर्तमान वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल - अगस्त) के दौरान 124.35 करोड़ रुपए के सी आई एफ मूल्य के साथ अनंतिम आयात 8.30 मिलियन किलो था, जबकि पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में यह 135.07 करोड़ रुपए के सी आई एफ मूल्य के साथ 10.42 मिलियन किलो था। वर्तमान अवधि के दौरान अमरीकी डालर में आयात का मूल्य 19.32 मिलियन था, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 20.16 मिलियन अमरीकी डालर था।

कीमतें: वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल - अगस्त) के दौरान पिछले साल की समतुल्य अवधि की तुलना में नीलामी की अखिल भारतीय कीमतों में प्रति किलो 3.52 रुपए (2.51 प्रतिशत) की गिरावट आई। उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के लिए नीलामी की कीमतों में क्रमशः 0.13 रुपए (0.08 प्रतिशत) प्रति किलो और 8.36 (8.23 प्रतिशत) रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई।

सार्वजनिक नीलामियों में बेची गई प्रति किग्रा चाय की औसत कीमत (प्रति किग्रा रुपए में)

अवधि	उत्तर भारत	दक्षिण भारत	अखिल भारत
2015-16	142.91	85.64	127.62
2016-17	141.37	106.12	133.51
(स्रोत: चाय बोर्ड)			

चाय का विकास : चाय अधिनियम के तहत चाय बोर्ड को जो महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं उनमें से एक के तहत चाय का उत्पादन तथा बागानों की उत्पादगता बढ़ाने वाली विकास स्कीमें तैयार करना और कार्यान्वित करना, चाय प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा मूल्य अभिवृद्धि की सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना तथा छोटे चाय उत्पादकों के बीच सहकारिता के प्रयासों को प्रोत्साहित करना शामिल है। कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित योजनागत स्कीमों के माध्यम से उपर्युक्त गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिन गति.

विधियों के लिए सहायता प्रदान की जाती है उनमें शामिल हैं - चाय की पुरानी झाड़ियों को उखाड़ना और पुनः रोपण / जीर्णोद्धार, सिंचाई की सुविधाओं का सृजन, खेती का यंत्रीकरण, संगठित एवं छोटी जोतों में नए रोपण, स्वयं सहायता समूहों / उत्पादक समूहों के रूप में छोटे उत्पादकों का समूह बनाना, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, अध्ययन दौरे, चाय प्रसंस्करण के कारखानों का आधुनिकीकरण, मूल्य अभिवृद्धि, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, आर्थोडॉक्स एवं ग्रीन टी के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपाय।

प्रमुख घटकों के लिए 2017-18 के दौरान 30 सितंबर 2017 तक भौतिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

कंपोनेंट	गतिविधियां	2017-18 के लिए लक्ष्य	30 सितंबर, 2017 तक उपलब्धियां
पीडीएस	पुनः रोपण एवं रोपण का प्रतिस्थापन (हेक्टेयर में)	2700	511.84
	जीर्णोद्धार के लिए छंटाई (हेक्टेयर में)	800	58.18
	नया रोपण (हेक्टेयर में)	---	51.50
	सिंचाई (हेक्टेयर में)	8500	58.17
	फील्ड की यंत्रीकरण (संख्या)	35	14
क्यूयूपीडी	कारखाना आधुनिकीकरण (यूनिट)	2	1
	मूल्य अभिवृद्धि (यूनिट)	5	4
	गुणवत्ता प्रमाण पत्र (यूनिट)	100	--
	आर्थोडॉक्स उत्पादन सब्सिडी (मिलियन किलो में)	60	20



लघु उत्पादक विकास निदेशालय: लघु उत्पादक विकास निदेशालय अनन्य रूप से चाय पैदा करने वाले राज्यों में छोटे उत्पादकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में स्थापित किए गए कार्यालयों के माध्यम से लघु चाय उत्पादकों की आवश्यकताएं पूरी कर रहा है। निदेशालय द्वारा निष्पादित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में से एक सर्वोत्तम फील्ड प्रथाओं, जैविक खेती, मूल्य श्रृंखला अपनाने के लिए सामूहिकीकरण आदि पर लघु चाय उत्पादकों के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण का आयोजन करना है। छोटे उत्पादकों के लिए अध्ययन दौरों का भी आयोजन किया जाता है ताकि जानकारी प्राप्त करने और अपनाए जा रहे बेहतर उद्यम एवं प्रथाओं को अपनाने में उनकी मदद की जा सके। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 30 सितंबर 2017 तक 18658 लाभार्थियों को शामिल करते हुए छोटे चाय उत्पादकों के लिए कुल 935 कार्यशालाओं / प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया।

श्रम कल्याण: चाय अधिनियम, 1953 के अधिदेशों के अनुसार, कार्य करने की बेहतर स्थितियां प्राप्त करने के लिए कल्याणकारी उपायों को सहायता प्रदान करना तथा श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के लिए सुविधाओं एवं प्रोत्साहनों में सुधार चाय बोर्ड के प्रमुख उद्देश्यों एवं कार्यों में से एक है। चाय बागान के मजदूरों पर आश्रित विकलांग व्यक्तियों / हृदय रोग के विशेष मामलों तथा कैंसर के रोगियों, चिकित्सा उपकरणों, शैक्षिक वृत्तिका, यूनीफार्म / पुस्तक अनुदान आदि / नेहरू पुरस्कार, भारत स्काउट एण्ड गाइड की गतिविधियों, इस योजना के तहत नए कौशल प्राप्त करने के लिए मजदूरों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 2.63 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

चाय विकास पर अन्य प्रमुख पहलें

- छोटे उत्पादकों की सूची बनाने तथा उनको स्मार्ट कार्ड प्रदान करने की कवायद चल रही है। आज तक 159695 उत्पादकों की सूची तैयार की गई है तथा 110857 कार्ड जारी किए गए हैं।
- भारत के चाय बोर्ड द्वारा “चाय पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तथा उपशमनकारी उपाय” पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया तथा चाय बागान एटलस का विमोचन किया गया। “चाय बागान एटलस – दूरसवेदी डाटा पर आधारित” हाई रिजोल्यूशन के सेटलाइट डाटा का प्रयोग करके संपूर्ण उत्तर बंगाल एवं असम के सभी चाय उत्पादक क्षेत्रों की चाय जोआईएस – एमआईएस परियोजना के तहत परिणामों में से एक है।

चाय संवर्धन: चाय बोर्ड के प्रमुख कार्यों में से एक संवर्धन की गतिविधियों को संचालित करना है जिनका उद्देश्य लक्षित बाजारों में भारतीय चाय के बाजार शेयर को बढ़ाने तथा घरेलू उपभोग को भी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय चाय की अनेक किस्मों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर वैश्विक बाजार में भारत को अच्छी चाय का अग्रणी आपूर्तिकर्ता बनाना है। चयनित देशों पर विशेष ध्यान दिया गया जहां निर्यात बढ़ाने की अधिक संभावना है। आज तक की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- **व्यापार सुगमता के उपाय:** ईरान के साथ व्यापार से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे कि जीएमपी पंजीकरण तथा निर्यात के लिए इसका नवीकरण, ईरान में लाइसेंस जारी करने वाले बैंकों को केन्द्रीय ईरानी बैंक द्वारा आईएनआर न जारी करने का मुद्दा दस्तावेजों को वैध बनाने के लिए नई दिल्ली के अलावा मुंबई और हैदराबाद में ईरान के वाणिज्य दूतावासों का समावेशन आदि को तेहरान में भारतीय दूतावास के सक्रिय सहयोग से कारगर एवं सार्थक ढंग से दूर किया गया।
- “समर फैंसी फूड शो न्यूयॉर्क” 25 से 27 जून, 2017 में भागीदारी भारतीय चाय बोर्ड ने 12 निर्यातकों के साथ भाग लिया तथा चुनिंदा भारतीय चायों (दार्जिलिंग ब्लैक, दार्जिलिंग ग्रीन, असम, नीलगिरि, मसाला चाय तथा सिक्किम) के नमूने प्रस्तुत किए गए। शिष्टमंडल में 9 अन्य चाय निर्यातक कंपनियां तथा अन्य हितधारक भी शामिल थे। भारतीय चाय बोर्ड, भारतीय वाणिज्य दूतावास, न्यूयॉर्क तथा यूएस चाय संघ द्वारा संयुक्त रूप से एक क्रेता - विक्रेता वार्ता का आयोजन किया गया तथा चाय का जायका लेने के सत्र का भी आयोजन किया गया।
- **चिली को चाय व्यापार शिष्टमंडल:** 29 और 30 जून 2017 के दौरान भारतीय चाय उद्योग के 21 हितधारकों का एक शिष्टमंडल चिली भेजा गया। चिली लगभग 21 मिलियन किलो चाय का बाजार है परंतु यहां भारतीय चाय की बिक्री नगण्य है। अर्जेंटीना और श्रीलंका मुख्य आपूर्तिकर्ता हैं। अतः चिली को भारतीय चाय के निर्यात की संभावना का पता लगाने के उद्देश्य से एक शिष्टमंडल चिली भेजना उपयुक्त समझा गया। भारतीय निर्यातकों तथा चिली के आयातकों के बीच चाय व्यापार को सुगम बनाने

की संभावना पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण क्रेताओं के साथ अनेक बैठकों की गईं। भारत - चिली चाय व्यापार को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता के लिए अनुरोध के एजेंडा के साथ सेंटियागो चैंबर ऑफ़ कामर्स में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने भी मदद करने का वादा किया तथा सुझाव दिया कि भारत के चाय बागानों का दौरा करने के लिए चिली के प्रमुख क्रेताओं को आमंत्रित किया जा सकता है जहां व्यवसाय बैठकों एवं साझेदारी वार्ता का आयोजन किया जा सकता है। भारतीय निर्यातकों तथा चिली के आयातकों के बीच बातचीत तथा संभावित कारोबारी सौदों के लिए क्रेता - विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया। दर्शकों को भारतीय चाय पर एक संवर्धनात्मक फिल्म दिखाई गई जिसमें विभिन्न प्रकार की चाय तथा चाय बागानों को प्रदर्शित किया गया और इसके बाद कुछ चुनिंदा भारतीय चायों के लिए चाय जायका सत्र का आयोजन किया गया।

- **“वर्ल्ड फूड मास्को 2017” में भागीदारी:** पिछले 20 वर्षों से वर्ल्ड फूड मास्को खाद्य एवं पेय उद्योग के लिए एक प्रमुख मिलन बिंदु तथा रूसी बाजार के लिए उत्पादों के एक जीवंत स्रोत के रूप में विकसित हुआ है। चाय बोर्ड ने भारतीय चाय मंडप का आयोजन करके इस प्रतिष्ठित व्यापार प्रदर्शनी में भाग लिया तथा इसके लिए प्रदर्शनी में इतना अधिक स्थान लिया गया जो पहले कभी नहीं लिया गया था। भारतीय चाय बोर्ड के मंडप के माध्यम से प्रदर्शनी में 16 प्रख्यात निर्यातकों ने भाग लिया। व्यापार से संबंधी पूछताछ की संख्या बहुत उत्साहवर्धक थी। सबसे अधिक व्यापारिक पूछताछ असम चाय के लिए थी जिसके बाद दार्जिलिंग चाय का स्थान था।

एक क्रेता - विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया जहां सभी प्रमुख चाय कंपनियां, रिटेल चेन, मास्को फूड सिटी के प्रतिनिधि, विदेशी राजनयिक तथा सरकारी प्रतिनिधि मौजूद थे। यह कार्यक्रम सीआईएस क्षेत्र से निर्यातकों और आयातकों के बीच कारोबारी नेटवर्क में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ।

- **कोलोन, जर्मनी में “अनुगा 2017” में भागीदारी:** 6 निर्यातकों ने विभिन्न पैकेट साइज में कंपनी के ब्रांडों के तहत फ्लेवर्ड एवं ब्लेंडेड चाय की रेंजों को एक साथ प्रदर्शित किया। लिक्विड टी के नमूने लिए गए। भागीदारी का प्रमुख परिणाम अनेक व्यवसाय लीड का सृजन तथा 6 निर्यातकों द्वारा व्यवसाय के अवसरों का पता लगाना और उनके संभावित क्रेताओं के साथ गहन विचार विमर्श के लिए स्वाभाविक परिणाम था।

इस अवसर पर आईबीएफ द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य, चाय, कॉफी, चावल, डेयरी की मदों आदि को शामिल करते हुए एक सर्वसमावेशी “इंडिया ब्रांडिंग कवायद” शुरू की गई।

चाय पार्क पर पहलें: चाय पार्क स्थापित करने की पहल का उद्देश्य निवेश के गंतव्य के रूप में भारत को प्रमोट करना और भारत में मालगोदाम, मिश्रण, पैकेजिंग एवं लेबलिंग की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैश्विक चाय ब्रांडों को भारत की ओर आकर्षित करके विनिर्माण केन्द्र के रूप में भारत को स्थापित करना है क्योंकि भारत में कार्यबल, अवसंरचना, कच्ची सामग्री तथा अन्य सुविधाओं का एक विशाल भंडार है। दुबई मल्टी माडल कमोडिटी सेंटर (डी एम सी सी) टी सेंटर, जेबेल अली फ्री जोन, दुबई की तर्ज पर उपयुक्त स्थानों पर लागत आधार पर प्रयोग के लिए सामान्य सुविधाओं के लिए अवसंरचना के साथ एकीकृत चाय पार्क की स्थापना के लिए समुचित बल दिया गया है। बेहतर यूनिट निर्यात मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से सार्थक ढंग से निर्यात बाजारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तर्कसंगत कीमतों पर भारतीय निर्यातकों द्वारा भी इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। धमरा बंदरगाह, ओडिशा के निकट पूर्वी क्षेत्र में एक संभावित स्थान की पहचान की गई है तथा आज तक निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- परियोजना पर संकल्पना नोट तैयार कर लिया गया है
- स्थल पर सुविधाओं की जांच करने के लिए चाय बोर्ड के अधिकारियों तथा चाय उद्योग के सदस्यों द्वारा बंदरगाह के अन्वेषणात्मक दौरे किए गए हैं
- चाय उद्योग द्वारा के संभावित उपयोग के बारे में एक संभाव्यता अध्ययन संचालित करने के लिए उपयुक्त शर्तों एवं संदर्भों के साथ चाय उद्योग के सदस्यों, चाय बोर्ड के अधिकारियों, जहाजरानी, कोंकॉर के अधिकारियों आदि को शामिल करके एक समिति गठित करने की दिशा में प्रयास चल रहे हैं।

अनुसंधान: भारतीय चाय बोर्ड मुख्य रूप से चाय अनुसंधान के संस्थानों अर्थात दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (डीटीआर एण्ड डीसी),

चाय अनुसंधान संघ (टीआरए), जोरहट, असम और यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउदर्न इंडिया - चाय अनुसंधान प्रतिष्ठान (यूपीएसआई-टीआरएफ) बलपैर, तमिलनाडु तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (क्यूसीएल), सिलीगुड़ी के माध्यम से भारतीय चाय उद्योग के लिए अनुसंधान सहायता प्रदान कर रहा है। चाय बोर्ड हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर चाय अनुसंधान के क्षेत्रों की प्राथमिकता निर्धारित करता है तथा सुनिश्चित करता है कि अनुसंधान के परिणामों से हितधारकों को अवगत कराया जाता है। टीआरए और यूपीएसआई-टीआरए अपने अपने अंचलों में विभिन्न चाय बागान क्षेत्रों में अपने सलाहकार केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से विस्तार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये संस्थान बुनियादी एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान कर रहे हैं। चाय बोर्ड कतिपय चिह्नित मर्दानों पर उनके प्रशासनिक व्यय के कुछ भाग के लिए टीआरए और यूपीएसआई-टीआरए को सहायता अनुदान प्रदान कर रहा है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्ट्रेस टालरेंट टी कल्टिवर के यंत्रीकरण, विकास के लिए पादप सुधार, जिनोम सिक्वेंसिंग और छंटाई करने एवं तोड़ने जैसे प्रचालनों के यंत्रीकरण तथा चाय की गुणवत्ता, के पहलुओं पर अनुसंधान पर अधिक बल दिया गया। विभिन्न विनियामक पहलुओं जैसे कि कीटनाशकों का एमआरएल, पादप संरक्षण संस्था (पीपीसी) का कार्यान्वयन आदि पर बल दिया गया ताकि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों विनियामक मानकों का अनुपालन किया जा सके।

सितंबर 2017 तक अनुसंधान के क्षेत्र में संचालित गतिविधियों / उपलब्धियों का व्यौरा नीचे प्रस्तुत किया गया है :

- यांत्रिक लुनाई पर टीआरए में कावासाकी परियोजना के परिणामों ने यह दर्शाया कि मशीन और कैंची से लगातार तुड़ाई से हाथ से तुड़ाई की तुलना में 1.6 प्रतिशत कम फसल और 4.5 प्रतिशत लब्धि प्राप्त हुई। तथापि, जहां जुलाई से सितंबर तक मशीन से तुड़ाई प्रतिबंधित थी, हाथ से तुड़ाई की तुलना में मशीन से तोड़े गए प्लांटों में लब्धि में 4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। जुलाई में कैंची से तुड़ाई (जुलाई - सितंबर) से टूटी और कटी पत्तियों का सर्वाधिक प्रतिशत (23) प्रतिशत प्राप्त हुआ और मशीन लगातार तुड़ाई से 22 प्रतिशत एवं कैंची से लगातार तुड़ाई से 19 प्रतिशत प्राप्त हुआ। यह भी पाया गया कि यंत्रीकृत लुनाई के प्रत्येक चक्र के बाद कम छंटी गई झाड़ियों जिन पर 2 प्रतिशत यूरिया का छिड़काव किया गया, ने संचयी लब्धि में लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
- जेनेटिक और बायो इंजीनियरिंग के माध्यम से सूखारोधी चाय के विकास में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए टीआरए में अंतर्गृह परियोजना (सूखा बर्दाश्त करने के लिए जेनो टाइप की स्क्रीनिंग - प्लांट फिजियोलॉजी एण्ड ब्रीडिंग) के तहत नियंत्रण के रूप में टीवी1, टीवी20, टीवी25 के साथ जर्म प्लाज्म रिजर्व ब्लाक नंबर 2 (एनबीए) से चयनित 9 जर्म प्लाज्म का आणविक चित्रण किया जा रहा है। नियंत्रण के रूप में टीवी1, टीवी20 और टीवी25 के साथ 9 नमूनों से डीएनए लिया गया। सूखा बर्दाश्त करने के लिए जर्म प्लाज्म की स्क्रीनिंग करने हेतु 2 अत्यधिक पोलिमोर्फिक आईएसएसआर प्राइमर का प्रयोग किया गया। इसके अलावा स्क्रीनिंग के लिए 6 अन्य आईएसएसआर प्राइमर का मानकीकरण किया जा रहा है।
- टीआरए में जल तनाव की स्थितियों में रखकर जीन की अभिव्यक्ति पर भी अध्ययन किया गए। 10 क्लोन (टीवी21, टीवी26, टी.3/3, टीवी25, टीवी7, विमटल, सीपी1, कूमसांग 29, पैनीटोला 126 तथा हातीखुली 311) से आरएनए लिए गए और सीडीएनए तैयार किया गए। पहले निकाले गए 4 कंट्रोल और स्ट्रेश सैंपल (कूम 29 और टीवी7 से तैयार सीडीएनए को कैटलेस जीन के लिए पाइमर प्रेरक का उपयोग करके मात्रात्मक आरटी - पीटीआर के अधीन किया गया तथा कंट्रोल एवं स्ट्रेस के नमूनों के बीच अभिव्यक्ति में अंतर पाया गया।
- यूपीएसआई - टीआरएफ में “गैर रासायनिक विधियों का समावेशन” पर परियोजना के तहत टी मास्कीटो बग (टीएमबी) के नियंत्रण के लिए अनामलाई के चाय बागानों में से एक में 30 फेरोमोन ट्रैप लगाए गए। माह के दौरान कुल 240 टी मास्कीटो बग पकड़े गए। शॉट होल बोरर कंट्रोल के लिए एकीकृत फसल प्रबंधन (आईसीएम) ब्लाक में 45 कैरोमोन ट्रैप लगाए गए तथा माह के दौरान कुल 309 एसएचबी शॉट होल बोरर पकड़े गए।
- चाय में फसल की उत्पादकता पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अनामलाई के सदस्य चाय बागानों में से एक में समर्थ (अर्थात् ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट तथा ट्रायकोटानोल का मिक्चर) पर एक नया प्रायोजित फील्ड परीक्षण शुरू किया गया।
- डीटीआर एण्डो डीसी में 0.25 प्रतिशत, 0.5 प्रतिशत, 1 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की दर से आर्टीमेशिया के एथानोल एक्सट्रैक्ट ने ट्रीटमेंट के 96 घंटों के अंदर एडल्ट रेड स्पाइडर माइट के मरने की विविध

दरों का प्रदर्शन किया जो 52 से 100 प्रतिशत के बीच थी। इसी तरह ट्रीटमेंट के 96 घंटे बाद उपर्युक्त डोज से चाय की शोधित पत्तियों पर अंडे देने की औसत संख्या 51 से 0 के बीच थी जबकि यह संख्या अशोधित नियंत्रण के लिए 73 थी।

- गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला ने 13 एनबीएल प्रत्यायित एफएसएसआई पैरामीटर के अलावा अतिरिक्त 20 पैरामीटरों (7 कीटनाशक अवशिष्ट, 4 हैवी मेटल अवशिष्ट, 9 गुणवत्ता पैरामीटर) के लिए प्रत्यायन प्राप्त किया।

विनियामक मुद्दे तथा प्रौद्योगिकीय सहायता: चाय बोर्ड का अनुसंधान निदेशालय कीटनाशक अवशिष्ट के एमआरएल के नियतन, प्रकृति के अनुरूप फ्लेवर, टी बैग में स्टेपल पिन का मुद्दा आदि पर एफएसएसआई के साथ चाय के विनियामक मुद्दों पर काम कर रहा है। यह भारत - यूरोपीय संघ एसपीएस / टीबीटी के संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक में प्रोपैराइट एवं एंथ्रोक्वूनोन के मुद्दे को प्रदर्शित करने का भी प्रयास कर रहा है। इस प्रभाग ने सेमिनार / कार्यशाला के दौरान टैरिफ से भिन्न बाधाओं तथा चाय की गुणवत्ता पर हितधारकों में ज्ञान के प्रसार के लिए भी सहायता प्रदान की है।

- **एमआरएल का नियतन:** एमआरएल में संशोधन के लिए सीआईबी एण्ड आरसी तथा एफएसएसआई को कीटनाशकों के 2 जीएपी डाटा प्रस्तुति किए गए।
- चाय बोर्ड द्वारा हितधारकों के परामर्श से वैज्ञानिक औचित्य के साथ कीटनाशक अवशिष्ट पर एफएसएसआई द्वारा प्रारूप अधिसूचना का जवाब प्रस्तुत किया गया।
- **पादप संरक्षण संहिता:** भारतीय चाय बोर्ड के पास भारतीय चाय उद्योग के लिए भारत में चाय बागानों में पादप संरक्षण फार्मुलेशन (पी पी एफ) के सुरक्षित प्रयोग के लिए एक व्यापक दिशानिर्देश है जिसका नाम “पादप संरक्षण संहिता” है। हाल ही में पादप संरक्षण संहिता के संस्करण 9.0 का विमोचन किया गया है।
- 12 और 13 अगस्त 2017 के दौरान कोलंबो, श्रीलंका में चाय अंतर्संघीय बैठक पर एफएओ आईजीजी का आयोजन किया गया जिसमें चाय बोर्ड ने भाग लिया। सत्र के दौरान अवशिष्ट कीटनाशकों, चाय व्याार एवं गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन आदि के संबंध में चाय का उत्पादन / आयात करने वाले देशों के बीच वैज्ञानिक सूचना का आदान प्रदान किया गया।
- **एसपीएस / टीबीटी से जुड़े मुद्दे:** विभिन्न देशों द्वारा जारी की गई एसपीएस / टीबीटी अधिसूचनाओं को 72 जवाब भेजे गए।

काँफी

मुख्य रूप से परंपरागत क्षेत्रों अर्थात् कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में लगभग 4.49 लाख हेक्टेयर में काँफी की खेती होती है जो कुल उत्पादन का लगभग 97 प्रतिशत उत्पादन करते हैं। कुछ हद तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के गैर परंपरागत क्षेत्रों में तथा उत्तर पूर्वी राज्यों अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर में भी थोड़ी मात्रा में काँफी की खेती होती है जहां जनजातियों के विकास और वनरोपण पर मुख्य बल होता है। देश में लगभग 3.53 लाख काँफी होल्डिंग हैं जिसमें से लगभग 3.50 लाख होल्डिंग (99 प्रतिशत) लघु उत्पादक श्रेणी (10 हेक्टेयर तक) में आते हैं और कुल होल्डिंग का शेष 1 प्रतिशत 10 हेक्टेयर से अधिक होल्डिंग साइज के साथ बड़ा उत्पादक श्रेणी में आता है।

काँफी उत्पादन: 2016-17 के लिए अंतिम फसल के अनुमानों को 3,12,000 मीट्रिक टन के रूप में रखा गया है जिसमें 1,05,95,000 मीट्रिक टन अरेबिका और 2,17,000 मीट्रिक टन रोबस्टा शामिल है। वर्ष 2017-18 के लिए कॉपलों के बाद के फसल अनुमानों को 3,50,400 मीट्रिक टन रखा गया है जिसमें अरेबिका का 1,03,100 मीट्रिक टन और रोबस्टा का 2,47,300 मीट्रिक टन शामिल है।

उत्पादकता: वर्ष 2016-17 के लिए फसल के अनुमानित उत्पादन के आधार पर काँफी की समग्र उत्पादकता 761 किलो प्रति हेक्टेयर थी। अरेबिका की उत्पादकता 786 किलो प्रति हेक्टेयर थी, जबकि रोबस्टा की उत्पादकता 1012 किलो प्रति हेक्टेयर थी। जहां तक परंपरागत इलाकों का संबंध है, 2016-17 के लिए समग्र उत्पादकता 874 किलो प्रति हेक्टेयर थी, जिसमें अरेबिका की उत्पादकता 643 किलो प्रति हेक्टेयर और रोबस्टा की उत्पादकता 1016 किलो प्रति हेक्टेयर थी।

काँफी का निर्यात: काँफी मुख्य रूप से निर्यात उन्मुख वस्तु है तथा इस समय 75 प्रतिशत काँफी का निर्यात हो रहा है, जबकि शेष काँफी का उपभोग घरेलू स्तर पर हो रहा है। 2017-18 के दौरान (30 सितंबर 2017 तक) भारत

ने 2,08,175 मीट्रिक टन कॉफी का निर्यात किया है जिसका मूल्य 346.35 करोड़ रुपए है, जबकि 2017-18 के लिए 3,20,000 मीट्रिक टन कॉफी का निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है।

मूल्य वर्धित कॉफी का निर्यात: वर्ष 2017-18 के दौरान (30 सितंबर 2017 तक) मूल्य वर्धित कॉफी के निर्यात की कुल मात्रा 54,689 मीट्रिक टन पर पहुंच गई है जिसका मूल्य 965.52 करोड़ रुपए है।

निर्यात संवर्धन के उपाय: कॉफी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई निर्यात संवर्धन योजना में बहुत दूर के गंतव्यों, अर्थात् यू एस ए, कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और नार्वे को “इंडिया ब्रांड” के रूप में रिटेल पैक में मूल्य वर्धित कॉफी के निर्यात के लिए 3 रुपए प्रति किलो की दर से प्रोत्साहन प्रदान करना और अधिक मूल्य की ग्रीन कॉफी के निर्यात के लिए 2 रुपए प्रति किलो की दर से प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है। 2017-18 के दौरान (सितंबर 2017 तक की स्थिति के अनुसार) बोर्ड ने 7 समुद्रपारीय प्रदर्शनियों में भाग लिया है तथा एक क्रेता - विक्रेता बैठक का आयोजन किया है।

फ्लेवर ऑफ इंडिया - फाइन कप अवार्ड - 2017: भारतीय कॉफी बोर्ड बढ़िया गुणवत्ता की कॉफी के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष फ्लेवर ऑफ इंडिया - फाइन कप अवार्ड प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत से बढ़िया कॉफी का प्रदर्शन करने में सफल रहा है।

“फ्लेवर ऑफ इंडिया - फाइन कप अवार्ड प्रतियोगिता 2017” का अंतिम कप सत्र “एस सी ए ई विश्व कॉफी सम्मेलन 2017” से पूर्व 11 और 12 जून 2017 को बुडापेस्ट, हंगरी, में आयोजित किया गया। फ्लेवर ऑफ इंडिया के अंतिम कप सत्र में 9 अंतर्राष्ट्रीय जूरी सदस्यों की टीम ने भाग लिया तथा कप प्रतियोगिता के अंतिम चरण में पहुंचने वाले कॉफी के नमूनों का आकलन किया।

फ्लेवर ऑफ इंडिया - कप प्रतियोगिता 2017 के लिए फाइन कप अवार्ड मैसर्स गौरी एस्टेट, येरकौड द्वारा बेस्ट अरेबिका के लिए; पोअब्सी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, पलक्काड द्वारा बेस्टी स्पेशियलिटी अरेबिका के लिए, चुराकुलम कॉफी स्टेट, वांदीपेरियार द्वारा बेस्टल रोबुस्टा के लिए और बाद्रा केर्कीकूडाह एस्टेट द्वारा बेस्ट स्पेशियलिटी रोबुस्टा के लिए जीता गया।



फ्लेवर ऑफ इंडिया फाइन कप अवार्ड - कप प्रतियोगिता 2017 के कार्यक्रम

- 1-3: कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु में ग्रीन कॉफी के नमूनों का भौतिक मूल्यांकन
- 4: कॉफी गुणवत्ता प्रभाग, कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु में प्रीजुरी कप
- 5-6: कॉफी गुणवत्ता प्रभाग, कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु में नेशनल जूरी कप
- 7-8: होटल एक्सपो कांग्रेस, बुडापेस्ट, हंगरी में इंटरनेशनल जूरी कप

घरेलू संवर्धन: स्पष्ट है कि भारत में कॉफी क्षेत्र में दीर्घ अवधि की संपोषणीयता प्राप्त करने के लिए रोबुस्ट के घरेलू बाजार का विकास महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में मूल्य सृजित करने के अलावा रोबुस्टा की मांग कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतार चढ़ाव के विरुद्ध उत्पादकों के लिए बफर का निर्माण करने में मदद करती है।

इस संदर्भ में जेनरिक मास मीडिया अभियानों जैसे कि टी वी अभियान और प्रिंट मीडिया अभियान के माध्यम से प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में कॉफी पीने के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव आम जनता को शिक्षित करने हेतु पुस्तिकाओं, पत्रिकाओं के रूप में कॉफी / प्योर कॉफी का सेवन करने के बारे में जागरूकता फैलाकर कॉफी के घरेलू बाजार के विकास में सहायता करने के लिए कॉफी बोर्ड द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं / कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। 2017-18 के दौरान सितंबर 2017 तक बोर्ड ने कॉफी पीने के गैर परंपरागत क्षेत्रों में पेय के रूप में कॉफी को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड ने 9 घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लिया जबकि लक्ष्य 24 प्रदर्शनियों में भाग लेने का है।

उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए पहलें: कापी शास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं हैं, के माध्यम से कॉफी की रोस्टिंग एवं ब्रीविंग में हितधारकों एवं उद्यमियों की क्षमता का निर्माण करने के लिए बोर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है। 2017-18 के दौरान सितंबर 2017 तक 8 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे 154 प्रतिभागी लाभान्वित हुए। कॉफी बोर्ड द्वारा कॉफी गुणवत्ता प्रबंधन में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह डिप्लोमा कॉफी गुणवत्ता मूल्यांकन के क्षेत्र में पेशेवर जनशक्ति के विकास में मदद करता है। चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के लिए 12 छात्रों को नामांकित किया गया है।

कीमते: भारत में कॉफी की कीमतें ज्यादातर अरेबिका के लिए न्यूयार्क एक्सेचेंज (एन वाई बी ओ टी) जिसका नाम बदलकर आई सी ई रखा गया है, और रोबुस्टा के लिए लंदन एक्सचेंज (एल आई एफ एफ ई) द्वारा प्रभावित होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉफी की कीमतों में अस्थिरता है तथा इसमें उतार - चढ़ाव की प्रवृत्ति होती है। वर्ष 2000 से 2004 तक जारी लंबे कॉफी संकट के बाद 2005 से कॉफी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में सुधार होना शुरू हुआ। 2009 से आई सी ओ संकेतक कीमतों में सुधार अधिक उल्लेखनीय था जो अप्रैल 2011 में अरेबिका कॉफी के लिए प्रति पाउंड 300.12 यू एस सेंट और मई 2011 में रोबुस्टा कॉफी के लिए प्रति पाउंड 121.98 यू एस सेंट पर पहुंच गई। तथापि तब से कॉफी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मिलीजुली रुझान देखने को मिली है।

2017-18 के दौरान अप्रैल से अक्टूबर तक वैश्विक स्तर पर कॉफी की कीमतों में गिरावट का रुझान प्रदर्शित किया है परंतु अरेबिका कॉफी के लिए 147.92 अमेरिकी सेंट प्रति पाउंड और रोबुस्टा कॉफी के लिए 101.56 अमेरिकी सेंट प्रति पाउंड की औसत कीमत के साथ 2016-17 की रुझान बरकरार रही।

अनुसंधान

- हवाईट स्टेम बोरेर प्रबंधन के लिए कारगर उपायों पर अनुसंधान को प्राथमिकता दी गई है तथा अन्य राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक पहलें जारी हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु (आईआईएससी) के साथ एक संयुक्त कार्यक्रम में अल्ट्रासाउंड सेंसिंग का उपयोग करने वाले एक उपकरण का विकास किया गया है तथा एक्सरे इमेजिंग के साथ वैध किया गया है। कीटों की पहचान के लिए एक्सरे इमेजिंग और 1एमएचजेड ट्रांसफार्मर के साथ रिटेक्स सिस्टम के साथ आशाजनक लीड प्राप्त हुई है।
- राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केन्द्र (एनसीबीएस), बेंगलुरु के साथ सहयोगात्मक अध्ययनों में कॉफी के हवाईट स्टेम बोरेर की इकोलॉजी और इथोलॉजी को वैध किया गया है। अरेबिका और रोबुस्टा के पौधों पर कीटों के अलग अलग रिस्पांस स्थापित किए गए हैं।
- मैसर्स टाटा केमिकल्स इनोवेशन सेंटर, पुणे द्वारा आपूर्ति किए गए केमिकल मोलक्यूल के आधार पर नए सिलिका के साथ स्थापित किया है कि कॉफी के हवाईट स्टेम बोरेर के विरुद्ध सीसीएस 03 का निष्पादन स्टेम की 10 प्रतिशत लाइन कोटिंग की पिछली सिफारिश के समकक्ष है।
- स्टेम रैपिंग ट्रायल में प्राप्त आशावान लीड को और आगे बढ़ाया गया है

तथा फील्ड की स्थितियों में कीटों के विरुद्ध लंबे समय तक संरक्षण के लिए और लागत को कम करने के लिए भी गनी स्ट्रिप के स्थान पर नान चुवेन फैब्रिक सामग्री का प्रयोग किया गया है।

- हवाईट स्टेम बोरेर को सहन करने वाली नस्ल में एक उल्लेखनीय लीड प्राप्त हुई है और फील्ड से प्राप्त डाटा और व्यवस्थित बायो विश्लेषण के आधार पर हवाईट स्टेम बोरेर को सहन करने वाली एक इंटरसेप्टिक हाइब्रिड अर्थात् एस.4595 की पहचान की गई है।
- जैसा कि कॉफी के कुछ बागानों में जाइंट अप्रीकन स्नेल (जीएस) के पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है, इस स्नेल के फैलाव पर लगाम लगाने के लिए कॉफी के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए व्यापक सर्वेक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए हैं।
- तीन आशावान अरेबिका जेनोटाइप अर्थात् एस.4814, एस.4817 और एस. 5146 के साथ 15 विस्तारित ट्रायल प्लॉट स्थापित किए गए जिनमें श्रेष्ठ विशेषताएं हैं जैसे कि कॉफी की पत्तियों में जंग लगने के रोग को सबसे अधिक सहन करने की क्षमता, अधिक उपज तथा अच्छी गुणवत्ता और विभिन्न स्थानों में फील्ड निष्पादन की निगरानी की गई है।
- रोबोस्टा के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से क्लोन के फार्म पर उत्पादन पर फोकस के साथ रोबोस्टा के क्लोन के उत्पादन की गतिविधि जारी है। अग्रतर मल्टीप्लीकेशन के लिए वुड गार्डन तैयार करने के लिए उत्पादकों को एलीट रोबुस्टा के लगभग 53,000 क्लोन की आपूर्ति की गई। 10 स्थानों पर क्लोन का फार्म पर उत्पादन शुरू किया गया है तथा कर्नाटक और केरल क्षेत्रों को शामिल करते हुए प्रौद्योगिकी के कुल 16 प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है।
- भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल के अनुरूप कॉफी बोर्ड ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम शुरू किया तथा प्रायोगिक आधार पर 6550 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड उर्वरकों का विवेकपूर्ण प्रयोग करने, पोषक तत्वों की कमी को दूर करने तथा संपोषणीय उपज प्राप्त करने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में समर्थ बनाते हैं।
- काफी उत्पादकों के लाभ के लिए एक अनूठा वेब पोर्टल www.indiacoffeesoils.net शुरू किया गया है जिसका नाम क्षेमम (कम्पी मृदा स्वास्थ्य निगरानी एवं प्रबंधन) है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में किए गए कार्यकलाप: कॉफी बोर्ड ने जनजातीय विकास एवं वनरोपण पर मुख्य बल के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी (2016-17) के अंतर्गत वर्तमान क्षेत्र 7501 हेक्टेयर है जिसमें 10486 कॉफी जोत क्षेत्र के साथ अरेबिका का 5904 हेक्टेयर और रोबुस्टा का 1598 हेक्टेयर शामिल है। यद्यपि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिक वर्षा कॉफी की खेती में रुकावट पैदा करने वाला कारक नहीं है, सर्दी के महीनों में कम तापमान उत्पादकता बढ़ाने में मदद नहीं करता है। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी का उत्पादन विभिन्न कारकों की वजह से अभी भी कम है जिसमें संस्तुत इनपुटों का प्रयोग न किया जाना, रख रखाव न किया जाना तथा कम पादप घनत्व आदि शामिल हैं।

रबर बोर्ड

रबर बोर्ड, रबर अधिनियम, 1947 की धारा (4) के तहत गठित एक सांविधिक संगठन है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। बोर्ड प्राकृतिक रबर (एनआर) से संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार, प्रशिक्षण एवं विनियामक कार्यों का संचालन करता है। बोर्ड रबर पर सांख्यिकी का संग्रहण भी करता है, रबर के विपणन का संवर्धन करता है तथा असंगठित बागानों में श्रम कल्याण की गतिविधियों का संचालन करता है।

उत्पादन: इस समय भारत ने वैश्विक उत्पादन में 5 प्रतिशत का योगदान देकर प्राकृतिक रबर के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 6वां स्थान प्राप्त किया है। 2016-17 के अंत में देश में रबर की खेती का कुल क्षेत्रफल 8,18,000 हेक्टेयर था। 2016-17 के दौरान 445000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल से देश ने 691000 टन प्राकृतिक रबर का उत्पादन किया जो एक साल पहले के 562000 टन के उत्पादन से 23 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान अनंतिम रूप से 321,000 टन प्राकृतिक रबर के उत्पादन का अनुमान है जो पिछले वर्ष की समान अवधि के उत्पादन से 5.2 प्रतिशत अधिक है। अनटैप्ड क्षेत्र का शेयर 2015-16 में 30 प्रतिशत से घटकर 2016-17 24 प्रतिशत रह गया और औसत वार्षिक उत्पादकता 1437 किलो प्रति हेक्टेयर

से बढ़कर 1553 किलो प्रति हेक्टेयर हो गई। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बोर्ड द्वारा शुरू किए गए उपायों, रबर की अपेक्षाकृत अधिक कीमतों तथा प्रति किलो 150 रुपये की कीमत सुनिश्चित करने के लिए केरल सरकार की रबर उत्पादन प्रोत्साहन योजना (आरपीआईएस) के जारी रहने आदि के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। 2016-17 के दौरान रबर के उत्पादन में 13 प्रतिशत और कुल क्षेत्रफल में 23 प्रतिशत के योगदान के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र ने देश के प्राकृतिक रबर क्षेत्र में अपना महत्व बढ़ाना जारी रखा।

उपभोग: जहां तक प्राकृतिक रबर की खपत का संबंध है, 8.2 प्रतिशत की वैश्विक मांग के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। 2016-17 के दौरान देश में रबर के उत्पादों का विनिर्माण करने वाले उद्योग में 10.44 लाख टन प्राकृतिक रबर की खपत की जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है (आटो टायर विनिर्माण क्षेत्र में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि और सामान्य रबर माल क्षेत्र में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि)। अप्रैल से सितंबर 2017 के लिए अंतिम रूप से अनुमानित खपत 527,380 टन है जो पिछले वर्ष के दौरान इसी अवधि की तुलना में 1.8 प्रतिशत अधिक है।

आयात और निर्यात: प्राकृतिक रबर का आयात 2008-09 से निरंतर बढ़ रहा है तथा यह 2015-16 में 458374 टन पर पहुंच गया। तथापि 2016-17 में पहली बार प्राकृतिक रबर के आयात में 7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई तथा 426188 टन का आयात किया गया। अनुमान है कि अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान देश ने कुल 224,793 टन प्राकृतिक रबर का आयात किया है जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 250,416 टन का आयात किया गया था जो 10.2 प्रतिशत गिरावट को दर्शाता है। भारत ने 2016-17 के दौरान 20,920 टन प्राकृतिक रबर का निर्यात किया। अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान कुल 4,175 टन प्राकृतिक रबर का निर्यात किया गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 525 टन का निर्यात किया गया था।

सारणी 1 में पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा सितंबर तक वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय प्राकृतिक रबर के प्रमुख पैरामीटरों में रुझानों का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

प्राकृतिक रबर क्षेत्र का प्रमुख निष्पादन						
	उत्पादन		खपत		आयात (टन में)	निर्यात (टन में)
	मात्रा (टन में)	वृद्धि (प्रतिशत में)	मात्रा (टन में)	वृद्धि (प्रतिशत में)		
2014-15	6,45,000	-16.7	1020,910	4.0	4,42,130	1,002
2015-16	5,62,000	-12.9	9,94,415	-2.6	4,58,374	865
2016-17	6,91,000	23.0	1044,075	5.0	4,26,188	20,920
अप्रैल - सितंबर 2017 (अंतिम)	3,21,000		527,380		2,24,793	4,175

सारणी 2 : घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मासिक औसत कीमतें (प्रति किलो रुपये में)				
माह	2016-17		2017-18	
	घरेलू कीमतें (कोट्टायम में आर एस एस-4)	अंतर्राष्ट्रीय कीमतें (बैंकाक में आर एस एस-3)	घरेलू कीमतें (कोट्टायम में आर एस एस-4)	अंतर्राष्ट्रीय कीमतें (बैंकाक में आर एस एस-3)
अप्रैल	130.62	114.16	143.39	146.25
मई	130.76	112.31	130.73	141.65
जून	133.75	105.56	122.38	116.27
जुलाई	141.77	117.88	133.00	113.15
अगस्त	138.50	113.05	130.63	117.75
सितंबर	121.42	108.14	134.24	119.77
अक्टूबर	116.92	112.53		
नवंबर	122.14	126.77		
दिसंबर	133.70	151.05		
जनवरी	146.66	176.54		
फरवरी	159.42	184.51		
मार्च	150.24	158.89		
औसत	135.49	131.78		

बाजार तथा कीमतों की रुझानें: नवंबर 2016 के अंत से रबर की कीमतों में अनेक कारकों की वजह से सुधार हो रहा है जैसे कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि की रुझान, यूएस के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में सुधार, दक्षिण थाईलैंड में लगातार बाढ़ के कारण आपूर्ति से जुड़े सरोकार, चीन के युआन और जापान के येन के विरुद्ध अमेरिकी डालर का मजबूत होना आदि। तथापि, मुख्य रूप से थाईलैंड से आपूर्ति में रिकवरी, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट तथा टोकोम एवं शंघाई प्यूचर में गिरावट की रुझानों के कारण अप्रैल 2017 से अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू स्तर पर प्राकृतिक रबर की कीमतों का स्तर अपेक्षाकृत कम था। जुलाई 2017 में रबर की घरेलू कीमतों में थोड़े समय के लिए रिकवरी देखी गई परंतु माह के अंत में कीमतें पुनः घट गई। इसके बाद घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबर की कीमतें कुछ हद तक अस्थिर रहने के साथ कमोबेश एकतरफा बनी रहीं। नवंबर 2016 से नीचे रहने के बाद जून 2017 तक रबर की घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से ऊपर उठ गई। सारणी 2 घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिब्ड स्मोक्ड शीट (आरएसएस) की तुलनीय ग्रेडों की औसत मासिक कीमतें दर्शाती है।

अनुसंधान: भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान (आर आर आई आई) और रबर का उत्पादन करने वाले देश के विभिन्न राज्यों में स्थित इसके क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों ने अनुसंधान के निम्नलिखित क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है:

- प्राकृतिक रबर क्षेत्र को परीक्षण सुविधा तथा परामर्श एवं सलाह सेवाएं प्रदान की गई।
- केरल के रोग संभावी कासरगोड क्षेत्र तथा कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में कोरिनेसपोरा पत्ती रोग पर कार्यबल ने आकलन पूरा किया। पाया गया है कि इस रोग की गंभीरता पिछले साल की तुलना में कम थी तथा क्लोन आरआरआईआई 105 में रोग की गंभीरता अधिक थी तथा क्लोन आरआरआईआई 414 और आरआरआईआई 430 में कम थी।
- विभिन्न एलडब्ल्यूई राज्यों में रबर के विश्लेषण की उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया। रबर की खेती के लिए अपेक्षित जलवायु संबंधी न्यूनतम कारकों की दृष्टि से विश्लेषण किए गए कुल 285 जिलों में से 29, 75 और 145 जिलों को क्रमशः ढ10, ढ20 और ढ30 प्रतिशत की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सका।
- “रोग प्रतिरोधकता के जेनेटिक निर्धारण के विश्लेषण तथा रबर के पौधों में प्रतिरोधक नस्लों के लिए डीएनए मार्कर आधारित चयन उपकरणों के विकास के लिए मात्रात्मक ट्रेट लोसी (क्यूटीएल) मानचित्रण” नामक परियोजना के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार से 45 लाख रुपये का वित्तपोषण प्राप्त किया गया।

केन्द्रीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला तथा केन्द्रीय वुड परीक्षण प्रयोगशाला (एन ए बी एल प्रत्यायित): लैटेक्स, ड्राई रबर, पानी, निस्सार तथा रसायनों का विश्लेषण किया गया तथा ग्राहकों को टेस्ट रिपोर्टें प्रदान की गई। अप्रैल से सितंबर 2017 तक केन्द्रीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला ने 21 निरीक्षणों का संचालन किया तथा 2040 अनापत्ति प्रमाण पत्रों के माध्यम से प्राकृतिक रबर के 2.09 लाख टन आयात को क्लियर किया। केन्द्रीय वुड परीक्षण प्रयोगशाला ने एन ए बी एल प्रमाण पत्र के प्रत्यायन के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान की।

विकास, विस्तार और प्रशिक्षण: बोर्ड का रबर उत्पादन विभाग बुनियादी स्तर पर प्रौद्योगिकी के अंतरण को कारगर ढंग से सुगम बनाता है जिसके लिए बोर्ड का एक खूबसूरत विस्तार नेटवर्क है जिसमें 158 फील्ड स्टेशन शामिल हैं जो ग्राम स्तर पर काम करते हैं तथा उनकी निगरानी 46 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है। शुरू की गई गतिविधियों में शामिल हैं - प्रशिक्षण और जन अभियान के आयोजन द्वारा अच्छी गुणवत्ता की रोपण सामग्री पैदा करना और वितरण करना, प्रौद्योगिकी का अंतरण करना, छोटे किसानों की रबर उत्पादक समितियों (आर पी एस) और स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी) का गठन करना, संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय के लाभ के लिए पहले से उगाए गए ब्लाक रोपण का अनुकरण करना और सामुदायिक प्रोसेसिंग केंद्रों की स्थापना द्वारा प्रोसेसिंग के लिए अवसरचना को सुदृढ़ करना।

रबर प्रशिक्षण संस्थान (आर टी आई): रबर प्रशिक्षण संस्थान (आर टी आई) ने किसानों, प्रोसेसरों, उत्पाद विनिर्माताओं, रबर उत्पादक समितियों (आर पी एस) के नेताओं, छात्रों तथा रबर बोर्ड के अधिकारियों की बदलती

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए और आयोजित किए। रबर प्रशिक्षण संस्थान ने अप्रैल से सितंबर 2017 की अवधि के दौरान 136 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिससे 2,207 प्रतिभागी लाभान्वित हुए।

श्रम कल्याणकारी योजना: बोर्ड ने अप्रैल से सितंबर 2017 की अवधि के दौरान कार्यान्वित विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं के तहत 7,987 लाभार्थियों को कुल 57.87 लाख रुपये की राशि का वितरण किया।

उपकर: रबर पर उपकर के संबंध में रबर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 1 के खंड (ख) तथा धारा 12 को कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 2017 द्वारा निरस्त कर दिया गया और इसलिए जीएसटी लागू होने की तिथि अर्थात् 1 जुलाई से रबर पर कोई उपकर नहीं है। प्राकृतिक रबर पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत है। 2017 की अप्रैल से जून की तिमाही के लिए उपकर संग्रहीत किया गया। बोर्ड ने जून 2017 तक 80.00 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध सितंबर 2017 तक प्राकृतिक रबर पर उपकर के रूप में अनुमानतः 86.50 करोड़ की राशि का संग्रहण किया है। इसके अलावा उपकर के विलंब से भुगतान पर ब्याज के रूप में अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान 0.17 करोड़ रुपये की राशि संग्रहीत की गई। सितंबर 2017 के अंत में 3,955 लाइसेंसी विनिर्माता, 7,933 लाइसेंसी डीलर तथा 107 लाइसेंसी प्रोसेसर हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान रबर पर निम्नलिखित अंतर सरकारी कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया :

1. 27 और 28 अप्रैल 2017 को मेलाका, मलेशिया में 'रोड में प्राकृतिक रबर' पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार
2. 23 से 25 मई 2017 के दौरान हाट याई, थाईलैंड में प्राकृतिक रबर की कीमतों की स्थिरता पर एनआरपीसी विशेषज्ञ समूह की चौथी बैठक
3. 26 से 30 सितंबर 2017 तक हाइक्यू, चीन में सीएटीएस के रबर अनुसंधान केन्द्र में रबर जेनोमिक्स और मोलकुलर जेनोमिक पर आईआरआरडीबी कार्यशाला
4. 26 से 30 सितंबर 2017 तक हाइक्यू, चीन में सीएटीएस के रबर अनुसंधान केन्द्र में रबर जेनोमिक्स और मोलकुलर जेनोमिक पर आईआरआरडीबी कार्यशाला

नई पहलें:

- **आनलाइन फर्टीलाइजर रेकमेंडेशन एण्ड एंड्रायड ऐप (रुबएसआईएस):** रबर उत्पादकों के लिए उर्वरक की सिफारिश करने वाली यह अत्यंत उपयोगी आनलाइन प्रणाली रबर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा मोबाइल फोन पर प्रयोग के लिए एक एंड्रायड ऐप के रूप में भी उपलब्ध है। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने जनवरी 2017 में दिल्ली में रुबएसआईएस का विमोचन किया। यह ऐसी प्रणाली है जिसे पहली बार विश्व में विकसित किया गया है तथा भारत में किसी फसल के लिए विकसित की गई पहली प्रणाली है।
- **अंतर्राष्ट्रीय क्लोन म्यूजियम:** 2014 से 2016 के बीच अंतर्राष्ट्रीय रबर अनुसंधान एवं विकास बोर्ड (आईआरआरडीबी) के बहुपक्षीय क्लोन विनिमय कार्यक्रम के तहत 11 भिन्न भिन्न देशों से रोग सहन करने वाले तथा अधिक उपज प्रदान करने वाले 44 हाइब्रिड क्लोन का आयात किया गया तथा आरआरआईआई में एक क्लोन म्यूजियम का गठन किया गया। मार्च 2017 में वाणिज्य सचिव श्रीमती रीता तेवतिया ने इसका उद्घाटन किया।
- **उन्नत आपविक जीवविज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र:** मार्च 2017 में आरआरआईआई के हीरक जयंती के अवसर पर उन्नत आपविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना के लिए वाणिज्य सचिव श्रीमती रीता तेवतिया द्वारा एक नए प्रयोगशाला ब्लाक का उद्घाटन किया गया।
- **जीएम रबर:** राज्य में जीएम रबर का फील्ड परीक्षण शुरू करने के लिए असम सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई।
- **सांस्कृतिक प्रथाओं के पैकेज पर फोकस के साथ 2017 के लिए रबर बोर्ड के वार्षिक जन संपर्क कार्यक्रम “टोटल प्लांटेशन एक्सलेंस” का संचालन किया गया जो उत्पादकता में वृद्धि करके, उत्पादन की लागत कम करके और गुणवत्ता में सुधार लाकर रबर की खेती की लाभप्रदता में सुधार ला सकती हैं। 811 बैठकों का आयोजन किया गया जिनसे**

लगभग 50000 रबर उत्पादक लाभान्वित हुए।

- **रबर उत्पादों के विनिर्माण पर राष्ट्रीय रबर सम्मेलन:** 28 और 29 जुलाई 2017 को आरआरआईआई, कोट्टायम में केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (केएसआईडीसी) के साथ मिलकर रबर बोर्ड द्वारा एक दो दिवसीय राष्ट्रीय रबर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका विषय “रबर के उत्पादों का विनिर्माण : दक्षताओं में वृद्धि करना” था। सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों से लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो रक्षा क्षेत्र सहित रबर उद्योग मूल्य श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- बोर्ड ने स्माल होल्डर शीट रबर की गुणवत्ता पर समिति (सीक्यूएसएसआर) का गठन किया। कोटिपरक शीट रबर, अनुवेदनीयता और ब्रांडिंग तथा कौशल विकास से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए समिति के तहत तीन कार्य समूहों का गठन किया गया।
- बोर्ड ने एनएबीएल के प्राधिकारियों द्वारा संचालित डेस्कटाप निगरानी लेखा परीक्षा की सफल समाप्ति के बाद वर्ष 2017-18 के लिए (जून 2018 तक) केन्द्रीय लकड़ी परीक्षण प्रयोगशाला को जारी रखने के लिए एनएबीएल से प्रत्यायन प्राप्त किया।
- बोर्ड ने मई / जून 2017 के दौरान रबर क्षेत्र के हितधारकों के लाभ के लिए कोट्टायम, नीलांबर और चादायामंगलम में जीएसटी पर जागरूकता अभियानों का आयोजन किया। बोर्ड ने “वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा आरपीएस क्षेत्र पर इसके प्रभाव” पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल विकास कार्यक्रम:** रबर बोर्ड ने रबर रोपण एवं औद्योगिक क्षेत्र में पुनः कौशल / कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल अंतराल तथा कुशल जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत “पूर्व अधिगम पर मान्यता” कार्यक्रम की कौशल विकास परियोजना शुरू की। अप्रैल से सितंबर 2017 तक केरल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं असम में बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में 555 बैचों को प्रशिक्षण दिया गया जिससे 17483 लैटेक्स हार्वेस्ट / प्रोसेसिंग तकनीशियन लाभान्वित हुए।
- **मोबाइल ऐप:** बोर्ड ने 4 फीचर्स के साथ अपनी ई-गवर्नेंस पहल के अंग के रूप में एक मोबाइल ऐप का विकास किया।
 1. **अलर्ट:** नवीनतम घटनाओं जैसे कि कार्यक्रमों, योजनाओं, अभियानों, श्रम कल्याण के उपायों, प्रशिक्षण, रोग की पहचान एवं रोकथाम आदि की घोषणाएं।
 2. **बाजार मूल्य:** भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रबर की कीमतें प्राप्त करने के लिए।
 3. **सांस्कृतिक एडवाइजरी:** देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मासिक कृषि प्रचालन।
 4. **संपर्क का ब्यौरा:** नजदीकी कार्यालयों एवं सुविधाओं के लोकेशन।

अभिसरण कार्यक्रम: राज्य सरकारों के साथ मिलकर अभिसरण परियोजनाओं का निर्माण करने और लागू करने की दिशा में प्रयास किए गए। कार्यान्वयन के अधीन कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस प्रकार हैं :

- केरल में रबर के तरुण बागानों में फलों एवं सब्जियों की इंटर क्रॉपिंग तथा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कुडुंबाश्री परियोजना के तहत टैपर बैंक।
- ओडिशा में मनरेगा के तहत सामूहिक प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना, इंटर क्रॉपिंग तथा मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता।
- अरुणाचल प्रदेश में शीट रोलर की आपूर्ति
- त्रिपुरा में मनरेगा के तहत प्रायोगिक आधार पर वर्षा जल संचयन तथा कौशल विकास मिशन के तहत अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम।

मसाला बोर्ड

मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत 26 फरवरी 1987 को एक सांविधिक निकाय के रूप में मसाला बोर्ड का गठन किया गया। मसाला बोर्ड इलायची के अनुसंधान, विकास, विपणन तथा मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के तहत यथा अनुसूचित 52 मसालों के निर्यात के संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड के कार्यों में छोटी एवं बड़ी इलायची के लिए विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, मसालों के निर्यात विकास एवं संवर्धन, निर्यात के विनियमन के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तथा निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना शामिल है। बोर्ड मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र (सी आर ई एस) जारी करने वाला

प्राधिकरण है तथा इलायची के डीलरों एवं नीलामीकर्ताओं को लाइसेंस जारी करता है। बोर्ड विभिन्न कार्यक्रम एवं परियोजनाएं चला रहा है जैसे कि मसालों के प्रसंस्करण में अवसंरचना सुधार के लिए सहायता प्रदान करना, मसालों के औषधीय गुणों पर अध्ययन एवं अनुसंधान में मदद करना और प्रोत्साहित करना, नए उत्पादों का विकास करना, मसालों के प्रसंस्करण, वर्गीकरण एवं पैकेजिंग में सुधार लाना; मसाला पाकों की स्थापना करना; निर्यात के लिए मसालों की कीमतों को स्थिर करने की दिशा में प्रयास करना और मसाला एवं मसाला उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के लिए निर्यात की गुणवत्ता का नियंत्रण करना और उन्नयन करना (जिसमें क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना शामिल है)।

निर्यात: वैश्विक स्तर पर कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद भारतीय मसाला निर्यात 2016-17 के दौरान भी वृद्धि की अपनी रुझान को बनाए रखने में समर्थ रहा है। इस अवधि के दौरान भारत से मसालों के निर्यात में मात्रा एवं आय दोनों ही दृष्टि से रिकार्ड स्थापित किया। 2016-17 के दौरान देश से कुल 9,47,790 टन मसालों एवं मसाला उत्पादों का निर्यात किया गया है जिनका मूल्य 17664.61 करोड़ रुपये (2633.30 मिलियन अमरीकी डॉलर) है, जबकि 2015-16 में कुल 8,43,255 टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया गया जिनका मूल्य 16238.23 करोड़ रुपये (2482.83 मिलियन अमरीकी डॉलर) था जो मात्रा की दृष्टि से 12 प्रतिशत तथा रुपये में मूल्य की दृष्टि से 9 प्रतिशत और डॉलर में मूल्य की दृष्टि से 6 प्रतिशत अधिक है।

अप्रैल से जून 2017 के दौरान देश से 4589 करोड़ रुपये (711.20 मिलियन अमरीकी डॉलर) मूल्य के कुल 306990 टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया गया है जबकि अप्रैल से जून 2016 में 4482.13 करोड़ रुपये (670.17 मिलियन अमरीकी डॉलर) मूल्य के 227938 टन मसालों एवं मसाला उत्पादों का निर्यात किया गया था जो मात्रा में 35 प्रतिशत की वृद्धि तथा रुपये में मूल्य की दृष्टि से 2 प्रतिशत डॉलर में मूल्य की दृष्टि से 6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

आयात: भारत मूल्य अभिवृद्धि करके फिर से निर्यात के लिए मुख्य रूप से काली मिर्च, हल्दी, अदरक आदि जैसे मसालों का आयात करता है तथा भारत में उत्पादन पर्याप्त न होने के कारण घरेलू खपत में प्रयोग के लिए लौंग, दालचीनी, चक्र फूल, खसखस आदि जैसे मसालों का आयात करता है। 2016-17 के दौरान 2,03,225 टन मसालों का आयात किया गया जिसका मूल्य 4606.93 करोड़ रुपये (686.78 मिलियन अमरीकी डॉलर) था।

इलायची का उत्पादन: 2016-17 के दौरान भारत में बड़ी इलायची का अनुमानित उत्पादन 19625 मीट्रिक टन है जबकि 2015-16 के दौरान 23890 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ जो 17.85 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है जिसका कारण मुख्य रूप से सूखा / लंबे समय तक बारिश न होना तथा इलायची की खेती वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से केरल के इडुक्की जिले में तापमान का अधिक होना है। 2016-17 के दौरान भारत में बड़ी इलायची का अनुमानित उत्पादन 2015-16 के दौरान 5315 मीट्रिक टन के विरुद्ध 5623 मीट्रिक टन है जो बोर्ड द्वारा बड़ी इलायची के लिए विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन तथा जलवायु की अनुकूल स्थितियों के कारण उत्पादन में 5.79 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

योजनागत स्कीमें

निर्यात उन्मुख उत्पादन: इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य छोटी एवं बड़ी इलायची की उत्पादकता एवं उत्पादन में सुधार लाना तथा निर्यात के लिए उत्तम कोटि के मसालों का उत्पादन करना है। 2017-18 के दौरान पुनः रोपण योजना के तहत छोटी इलायची के लगभग 520 हेक्टेयर तथा बड़ी इलायची के 1000 हेक्टेयर को शामिल करने की परिकल्पना है।

मसालों का निर्यात विकास एवं संवर्धन: मसाला प्रसंस्करण में उच्च अंतिम मूल्यावर्धन और गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैज्ञानिक सुविधा को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड की बाजार विकास गतिविधियां प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया उन्नयन पर केंद्रित रहती हैं। प्रमुख बल वाले क्षेत्र अवसंरचना विकास, मसालों के नए प्रयोग पर अनुसंधान और नया उत्पाद विकास, भारतीय मसाला ब्रांड का विदेशों में संवर्धन, सामान्य सफाई के लिए अवसंरचना की स्थापना, प्रमुख मसाला उत्पादन/ विपणन

केंद्रों में ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग, भंडारण सुविधाएं (मसाला पार्क), जैविक मसालों/ जी आई मसालों का संवर्धन आदि हैं। उत्तर पूर्व में उद्यमियों के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया गया है। मसाला बोर्ड पूरे भारत में फैले अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मसाला उद्योग को सुगमता प्रदान कर रहा है।

निर्यात उन्मुख अनुसंधान: भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान मुख्य रूप से छोटी एवं बड़ी इलायची में फसल सुधार, जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन अध्ययन, कीट एवं बीमारी नियंत्रण, कृषि यंत्रीकरण की संभाव्यता तथा फसल एवं फसलोत्तर अध्ययनों पर अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करता है। रिपोर्टोधीन अवधि के दौरान, अखिल भारतीय कोआर्डिनेट अनुसंधान परियोजना (ए आई सी आर पी - मसाले) और भिन्न अनांखी स्थिरता (डी यू एस) कार्यक्रमों के तहत फसल सुधार के लिए परीक्षण जारी रहे। छोटी इलायची के अक्सेशन एकत्र किए गए और जर्मप्लाज्म संरक्षणशाला में शामिल किए गए। छोटी इलायची के 9 कृषक किस्मों (भूमि नस्ल) तथा सूखा सह्य एवं थ्रिप सह्य लाइनों का मूल्यांकन करने के लिए ट्रायल शुरू किए गए। काली मिर्च तथा वनीला मल्टीप्लीकेशन कार्यक्रम जारी रहे।

जैव नियंत्रण के उपायों के अंग के रूप में 114460 ईपीएन (एंटीमो पैथोजेनिक नेमाटोड) का उत्पादन किया गया तथा इलायची में रूट ग्रब के नियंत्रण के लिए जरूरतमंद किसानों को आपूर्ति किया गया। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट के साथ मिलकर केरल राज्य आयोजन बोर्ड द्वारा वित्त पोषित आईसीआरआई माइलाडूमपारा में इडुक्कीट जिले के लिए काली मिर्च में एकीकृत विल्ट रोग प्रबंधन का विकास करने के लिए क्षेत्र व्यापी एकीकृत कीट प्रबंधन (ए डब्ल्यू आई पी एम) के तहत चलाई जा रही परियोजना पूरी हो गई। फंगीसाइड होसिटिल - एआई 80 डब्ल्यू पी पी के छिड़काव के ट्रायल से यह पाया गया कि इससे छोटी इलायची में फाइटोफथोरा संक्रमण की घटनाएं कम होती हैं। बायो एजेंट जैसे कि सिडोमोनस फ्लोरसेंस (1204 एल) और त्रिचोडर्मा हर्जिनम (626 एल) का उत्पादन किया गया तथा किसानों को इनका वितरण किया गया। किसानों से प्राप्त जैविक खाद के नमूनों (10) का सीएफयू विश्लेषण जैसी सेवाएं संपन्न की गई। छोटी इलायची में रोग प्रबंधन पर 242 किसानों को वैज्ञानिक सलाह प्रदान की गई जो सलाह लेने के लिए प्रभाग में आए थे। इस अवधि के दौरान इडुक्की जिले में बायो कंट्रोल एजेंट के उत्पादन पर 9 स्पाइस क्लीनिक तथा 4 हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का आयोजन किया गया।

स्पाइस क्लीनिक, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कार्यक्रम, बायो कंट्रोल एजेंट की आपूर्ति, रोपण की कोटिपरक सामग्री तथा मौसम की भविष्यवाणी संबंधी सूचना जैसे प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रम के माध्यम से अनुसंधान की उपलब्धियां किसानों / हितधारकों तक पहुंचाई गई। रोग विश्लेषण, मृदा परीक्षण सेवा, मास मल्टीप्लीकेशन तथा जैव कंट्रोल एजेंटों की आपूर्ति सहित इलायची तथा मसाला की अन्य फसलों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सलाहकार सेवाएं प्रदान की गई। इस अवधि के दौरान फील्ड सलाह सेवा के तहत वैज्ञानिकों ने 68 बागानों का दौरा किया तथा काली मिर्च एवं छोटी इलायची के लिए एकीकृत रोग प्रबंधन पर किसानों को स्थल पर सलाह सेवाएं प्रदान की। आईसीआरआई, आरआरएस, टडोंग में बड़ी इलायची पर अनुसंधान कार्यक्रम जारी रहे।

गुणवत्ता सुधार: मसाला बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं मसाला उद्योग को विश्लेषणात्मक सेवा प्रदान करती हैं तथा अनिवार्य परीक्षण एवं प्रमाणन के माध्यम से देश से निर्यात होने वाले मसालों एवं मसाला उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रित करती हैं। अप्रैल से सितंबर 2017 की अवधि के दौरान प्रयोगशाला ने मिर्च एवं मिर्च उत्पादों आदि में माइकोटाक्सिन, अवशिष्ट कीटनाशकों, गैर कानूनी डाई सहित विभिन्न पैरामीटरों के लिए 41,990 नमूनों का विश्लेषण किया। 2016-17 के दौरान प्रयोगशाला द्वारा 1,06,811 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

मसाला बोर्ड मसालों के निर्यात कंसाइनमेंट के लिए सूक्ष्म जैविक पैरामीटरों की व्यापक जांच को लागू करने के लिए सूक्ष्म जैविक विश्लेषण के लिए एक उत्कृष्ट प्रयोगशाला केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। बोर्ड की प्रयोगशालाओं में विश्लेषण की त्वरित एवं आधुनिक तकनीकें इंस्टाल की गई हैं जैसे कि आर टी पी सी आर, बी आई डी ए एस सिस्टम, एम ए एल डी आई - टी ओ एफ सिस्टम आदि जिन्हें 2015 में आवंटित एस

एस आई डी ई स्कीम के तहत खरीदा गया है तथा सभी उपकरण मानकीकरण के अधीन हैं। चुनिंदा मसालों पर सालमोनेला संदूषण के क्लियरेंस के लिए वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान अनिवार्य निरीक्षण को भी लागू किया जाएगा ताकि सालमोनेला संदूषण की वजह से यू एस पोर्ट पर कंसाइनमेंट को रोकना न जाए।

एम आई डी एच / आर के वी वाई परियोजनाएं: राष्ट्र स्तरीय एजेंसी के रूप में मसाला बोर्ड ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम आई डी एच), कृषि मंत्रालय के तहत 2017-18 के दौरान 200 लाख रुपये की कुल वित्तीय सहायता से मसालों के फसलोत्तर सुधार को लागू करने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है। बोर्ड आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मसालों के विकास के लिए भी कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है।

मसाला विकास एजेंसियां (एस डी ए): विभिन्न राज्य / केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा मसालों के विकास से जुड़ी गतिविधियों में सामंजस्य तथा अभिसरण स्थापित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा मसालों का उत्पादन करने वाले देश के प्रमुख राज्यों / क्षेत्रों में 11 मसाला विकास एजेंसियां (एस डी ए) स्थापित की गई हैं, जो कर्नाटक में हावेरी, तमिलनाडु में एरोडे, आंध्र प्रदेश में गुंटूर, राजस्थान में जोधपुर, गुजरात में ऊंझा, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, सिक्किम में गंगटोक, असम में गुवाहाटी, मध्य प्रदेश में गुना, महाराष्ट्र में मुंबई और तेलंगाना में वारंगल में स्थित हैं। मसाला विकास एजेंसियों का कार्य क्षेत्र में मसालों की गुणवत्ता, उत्पादन, घरेलू विपणन तथा निर्यात से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम तैयार करना है। मसाला विकास एजेंसियां उत्पादन, फसलोत्तर प्रचालन, गुणवत्ता आदि से संबंधित राज्य / क्षेत्र विशिष्ट समस्याओं का समाधान करके मसालों के उत्पादन, विकास एवं निर्यात में तेजी लाने में मददगार होंगी। एस डी ए बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसार कदम उठाए गए हैं।

केसर उत्पादन और निर्यात विकास एजेंसी (स्पेडा): जम्मू एवं कश्मीर में केसर के अनुसंधान, विकास, घरेलू विपणन एवं निर्यात संवर्धन के समन्वय को प्रोत्साहित करने के लिए श्रीनगर में भारत सरकार द्वारा केसर उत्पादन एवं निर्यात विकास एजेंसी (स्पेडा) का गठन किया गया है। बोर्ड ने 2017-18 के दौरान केसर के उत्पादन और संवर्धन पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने के लिए शेर-ए-कश्मीर विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, कश्मीर को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

अनुदान प्रबंधन प्रणाली (जी एम एस): बोर्ड आवेदनों, निरीक्षण रिपोर्टों तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों के तहत किसानों के बैंक खातों में सब्सिडी के भुगतान को दर्ज करने के लिए अनुदान प्रबंधन प्रणाली (जी एम एस) लागू कर रहा है जो एक आनलाइन साफ्टवेयर है। बोर्ड की स्कीमों का लाभ लेने के लिए साफ्टवेयर में आधार को अनिवार्य कर दिया गया है।

मसाला पार्क: भारत में मसालों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में बोर्ड द्वारा मसाला पार्कों का विकास किया जाता है ताकि किसान अपने उत्पाद के लिए बेहतर कीमत प्राप्त कर सकें। किसान सफाई, श्रेणीकरण और स्टीम स्टेरिलाइजेशन के लिए साझा आधारभूत सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और इस प्रकार अधिक मूल्य प्राप्त होगा। ये पार्क इलाके में पैदा होने वाले मसालों की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए वैज्ञानिक पैकिंग एवं भंडारण तथा गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला की सुविधाएं प्रदान करते हैं। बोर्ड ने मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और गुना में; केरल में पुट्टादी में; राजस्थान में जोधपुर में; तमिलनाडु में शिवगंगा में; और आंध्र प्रदेश में गुंटूर में मसाला पार्क स्थापित किए थे तथा राजस्थान में कोटा में और उत्तर प्रदेश में राय बरेली में भी मसाला पार्कों की स्थापना पूरी कर ली है।

मसालों तथा खाद्य जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति: जुलाई 2013 के दौरान एफ ए ओ मुख्यालय, रोम में कोडेक्स एलीमेंट्रियस कमीशन के 36वें सत्र में मसालों तथा खाद्य जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति (सी सी एस सी एच) को अनुमोदित किया गया। सी सी एस सी एच का सचिवालय मसाला बोर्ड में काम कर रहा है। कोचीन, केरल में 11 से 14 फरवरी 2014 के दौरान सी सी एस सी एच की पहली बैठक के सफल आयोजन के बाद गोवा में 14 से 18 सितंबर 2015 के दौरान सी सी एस सी एच की दूसरी

बैठक बुलाई गई। तीसरी बैठक चेन्नई में 6 से 10 फरवरी 2017 के दौरान हुई।

ई-स्पाइस बाजार: ई-स्पाइस बाजार जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के साथ मिलकर मसाला बोर्ड द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, का उद्देश्य मसालों की तलाश करना तथा मसालों की खेती करने वाले किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करना है। इस समय यह परियोजना तेलंगाना के वारंगल एवं खम्मम जिलों तथा आंध्र प्रदेश के गुंटूर एवं प्रकाशम जिलों पर केन्द्रित है। 2016-17 की अवधि के दौरान परियोजना के तहत 52745 किसानों को शामिल किया गया जिसमें से 11138 किसान हल्दी की खेती करने वाले हैं और 41607 किसान मिर्च की खेती करने वाले हैं। किसानों को ग्लोबल लोकेशन नंबर आवंटित किए जाते हैं। वेब पोर्टल : www.espicebazaar.com अब काम करने लगा है।

बागान फसलों के लिए राजस्व बीमा स्कीम (आर आई एस पी सी)

सभी राज्यों में बागान फसलों के लिए राजस्व बीमा स्कीम बागान फसलों अर्थात् चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू एवं मसालों के उत्पादकों के लिए 2003 से 2013 तक वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित मूल्य स्थिरता निधि (पी एस एफ) स्कीम का एक परिष्कृत एवं संशोधित रूप है। इस स्कीम के अन्तर्गत, 435.55 करोड़ रुपए का कॉरपस (भारत सरकार का अंशदान - 432.88 करोड़ रुपए और प्रवेश शुल्क के लिए उत्पादकों का अंशदान - 2.67 करोड़ रुपए) सृजित किया गया तथा भारत सरकार के लोक लेखा में रखा गया। कॉरपस फंड पर व्याज आय से स्कीम कार्यान्वित की गई। ये दोनों योजनाएं 30 सितंबर 2013 को बंद हो गईं। इसके बाद एक संशोधित मूल्य स्थिरकरण निधि योजना तैयार की गई जिस पर सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में 04 जून, 2014 को आयोजित बैठक में विचार किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बागान फसलों के छोटे उत्पादकों के लिए एक संशोधित बीमा प्रीमियम छूट योजना लागू करने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा पीएसएफ कारपस में उपलब्ध निधि का प्रयोग किया जा सकता है। तदनुसार वाणिज्य विभाग ने मौसम के जोखिमों तथा मौसम के प्रतिकूल पैरामीटरों के कारण उपज में नुकसान से उत्पन्न कीमतों, कीटों के हमलों आदि तथा अंतर्राष्ट्रीय / घरेलू कीमतों में गिरावट से उत्पन्न आय की क्षति से जुड़े दोहरे जोखिमों से फसल बीमा तंत्र के माध्यम से उनकी रक्षा करने के लिए 10 हेक्टेयर तक की जोत वाले कॉफी, चाय, रबर और इलायची के छोटे उत्पादकों के लिए वाणिज्य विभाग ने एक बीमा आधारित प्रायोगिक योजना को अनुमोदित और प्रचालित किया ताकि उनकी संपोषणीयता सुनिश्चित हो सके।

एक फसल चक्र के लिए 7 राज्यों के 9 जिलों में कार्यान्वयन के लिए प्रायोगिक आधार पर आरआईएसपीसी का अनुमोदन किया गया है जिसका दो वर्षों में विस्तार हो सकता है। आरआईएसपीसी के तहत बीमा प्रीमियम छूट रबर, चाय, कॉफी (रोबुस्टा एवं अरेबिका), तंबाकू तथा इलायची (छोटी एवं बड़ी) के छोटे उत्पादकों के लिए उपलब्ध है। बड़े उत्पादक भी बिमांकिक प्रीमियम का भुगतान करके इस योजना में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे प्रीमियम सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं। मुख्य रूप से कृषि / ग्रामीण बीमा व्यवसाय में शामिल चुनिंदा बीमा कंपनियों के माध्यम से वस्तु बोर्डों द्वारा प्रायोगिक योजना कार्यान्वित की जानी है। प्रायोगिक योजना से 7 राज्यों अर्थात् कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम के लगभग 2.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को शामिल करते हुए चयनित 9 जिलों के लगभग 1.82 लाख छोटे उत्पादकों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।

प्रायोगिक योजना 168.77 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ अनुमोदित की गई है जिसे केन्द्र सरकार (वस्तु बोर्डों के माध्यम से), संबंधित राज्य सरकारों तथा उत्पादकों द्वारा 75:15:10 के अनुपात में साझा किया जाएगा। भारत सरकार के लोक लेखाओं में निहित पी एस एफ कारपस में उपलब्ध निधियों से प्रीमियम में भारत सरकार के शेर को

वहन किया जाएगा। योजना के परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद अन्य बागान जिलों में योजना का विस्तार करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए)

दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए) का गठन किया गया। नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ प्राधिकरण का मुखिया अध्यक्ष है तथा एपिडा पिछले 31 वर्षों से कृषि निर्यात समुदाय की सेवा कर रहा है। देश के विभिन्न भागों में स्थित निर्यातकों तक पहुंचने के उद्देश्य से एपिडा ने मुंबई, बंगलौर, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में 5 क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को ए पी ई डी ए अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध 14 कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद समूहों के विकास एवं निर्यात संवर्धन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एपिडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में बासमती चावल को शामिल किया गया है। इसके अलावा ए पी ई डी ए को चीनी के आयात की निगरानी करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एपिडा जैविक निर्यातों के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत प्रमाणन निकायों के सचिवालय के रूप में भी काम करता है। निर्यात के लिए “जैविक उत्पादों” को तभी प्रमाणित करना होता है जब “राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन पी ओ पी)” में निर्धारित मानकों के अनुसार उनका उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकिंग होती है।

ए पी ई डी ए कृषि उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के लिए अवसरचना एवं गुणवत्ता के उन्नयन के अलावा बाजार विकास के काम में भी सक्रिय ढंग से लगा हुआ है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में ए पी ई डी ए ‘ए पी ई डी ए की कृषि निर्यात संवर्धन स्कीम’ नामक अपनी योजनागत स्कीम के तहत स्कीम के उपघटकों - बाजार विकास, अवसरचना विकास और गुणवत्ता विकास के तहत पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कृषि निर्यात संवर्धन स्कीम

परिणाम एवं प्रदेयताएं

कृषि क्षेत्र में अनूठे लाभों के बावजूद कृषि और खाद्य उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भारत का शेर कम है तथा इसमें वृद्धि की संभावना है। भारत कृषि निर्यात में 9वें स्थान पर है तथा विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2015 में कृषि उत्पादों के वैश्विक निर्यात का मूल्य 1590 बिलियन डालर था तथा इसमें भारत का शेर 2.2 प्रतिशत था और निर्यातकों को प्रदान की गई लगातार सहायता के कारण 2009 में 1.52 प्रतिशत की तुलना में इसने उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से निर्यात के लिए कृषि एवं खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला अवसरचना का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन के लिए 2016-17 के लिए कृषि मंत्रालय के अनुसार दूसरा अनुमान लगभग क्रमशः 52.85 मिलियन टन और 175.20 मिलियन टन है। तथापि, फसलोत्तर हैंडलिंग, परिवहन एवं भंडारण के लिए आधारभूत सुविधाओं के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण काफी मात्रा में उत्पाद नष्ट हो जाता है। अतः पिछले एक दशक में फसलोत्तर हैंडलिंग, वितरण एवं विपणन की सुविधाओं के उन्नयन के लिए शुरू किए गए प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता होगी ताकि ताजे उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहे जिससे नष्ट होने का स्तर कम हो सकता है।

भारत का एपिडा उत्पादों का निर्यात मात्रा मीट्रिक टन में; मूल्य करोड़ रुपए तथा अमरीकी डालर में											
मिल उत्पाद	2015-16			2016-17			2017-18 (अप्रैल - जुलाई)			2015-16 की तुलना में 2016-17 में वृद्धि का प्रतिशत	
	मात्रा	रूपए	डालर	मात्रा	रूपए	डालर	मात्रा	रूपए	डालर	रूपए	डालर
बासमती चावल	4045796	22718	3478	4000472	21605	3230	1559396	10136	1573	-4.90	-7.12
भैंस का मांस	1314473	26685	4069	1330660	26308	3934	373870	7326	1137	-1.41	-3.33
गैर बासमती चावल	6366586	15129	2315	6820773	17145	2564	2419066	6396	992	13.33	10.76
ग्वार गम	325251	3234	497	423286	3132	468	177498	1429	222	-3.16	-5.77
अनाज से बनी वस्तुएं	314645	3341	511	340872	3573	534	110578	1143	177	6.92	4.61
अन्य प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां	320733	2900	443	351835	3116	466	118840	1066	165	7.44	5.25
मूंगफली	537888	4046	616	726536	5457	813	126697	968	150	34.87	32.07
विविध प्रीपेरेशंस	354905	2593	396	283265	2570	385	95575	895	139	-0.89	-3.00
ताजी प्याज	1201245	2747	420	2415757	3107	464	635822	767	119	13.07	10.57
अन्य ताजी सब्जियां	699600	2120	324	1002397	2815	421	245300	724	112	32.83	29.91
अल्कोहलिक पेय	239128	2005	306	231332	2001	299	81200	673	104	-0.22	-2.40
अन्य ताजे फल	308261	1538	234	409939	1859	278	118313	579	90	20.85	18.51
दालें	251644	1603	244	124884	1140	171	53512	541	84	-28.88	-29.93
जैगरी एवं कांफेक्शनरी	292212	1289	197	298076	1472	220	81655	434	67	14.15	11.78
ताजे अंगूर	156218	1551	232	232941	2088	314	50070	419	65	34.62	35.35
भेड़ / बकरी का मांस	21636	834	128	22060	871	130	9321	360	56	4.46	1.87
ताजे आम	36329	317	50	53177	446	67	42520	335	52	40.51	35.75
सूखी एवं परिरक्षित सब्जियां	66190	914	139	87280	1089	163	30767	333	52	19.07	16.79
कोको उत्पाद	32634	1267	193	25700	1090	163	8986	329	51	-13.97	-15.53
मक्का	650103	1090	167	569297	1030	154	162533	274	42	-5.47	-8.06
फलों एवं सब्जियों के बीज	10926	494	75	11638	527	79	2387	267	41	6.86	4.92
मिल उत्पाद	416079	1078	165	256605	818	122	81157	263	41	-24.18	-26.02
डेयरी उत्पाद	33377	754	115	39398	910	136	11275	261	41	20.72	18.24
ककड़ी एवं खीरा (निर्मित एवं परिरक्षित)	202927	999	152	180821	943	141	48691	260	40	-5.65	-7.30
प्राकृतिक शहद	38177	706	109	45538	563	84	19168	245	38	-20.21	-22.41
आम की लुग्दी	128866	796	121	135621	865	129	26522	171	26	8.64	6.60
गेहूँ	618020	979	152	265909	448	67	99909	167	26	-54.18	-55.58
पुष्पोत्पादन	22519	479	73	22086	549	82	6989	165	26	14.46	12.11
पोल्ट्री उत्पाद	659304	769	117	449527	532	80	128525	155	24	-30.84	-32.29
अन्य अनाज	264974	517	80	168642	396	59	36984	97	15	-23.47	-25.59
कैसिइन	5898	216	33	6215	241	36	680	28	4	11.64	8.88
पशु आवरण	206	17	3	173	14	2	831	23	4	-18.68	-20.69
ऐल्ब्यूमन (अंडा एवं दूध)	1934	150	23	1706	88	13	546	22	3	-41.31	-42.55
अखरोट	3292	118	18	2191	55	8	563	19	3	-53.13	-53.88
प्रसंस्कृत मांस	280.92	6.18	0.96	140.90	4.58	0.69	37.40	1.38	0.21	-25.89	-28.13
अन्य मांस	0.10	0.00	0.00	78.51	0.91	0.14	7.01	0.18	0.03	100.00	100.00
कुल	19942257	106002	16196	21336829	108867	16278	6965789	37270	5782	2.70	0.51

स्रोत: डी जी सी आई एस

निर्यात संवर्धन की पहलें

- होर्टीनेट तथा बासमती राइस नेट में किसानों के पंजीकरण के लिए फार्मर कनेक्ट मोबाइल ऐप का विकास एवं कार्यान्वयन।
- 11 सब्जियों की अनुवेदनीयता के लिए आनलाइन किसान पंजीकरण माड्यूल का विकास किया गया। होर्टीनेट अनुवेदन प्रणाली के तहत प्रत्येक राज्य के तहसील / तालुक स्तर तक किसानों के पंजीकरण का विस्तार हो रहा है।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय की नई अधिसूचना संख्या 28/2015-2020 दिनांक 15 सितंबर 2017 के अनुसार दालों के निर्यात के लिए बगैर कागज के आरसीएसी जारी करने की प्रणाली का विकास किया गया है तथा हितधारकों के लिए लागू किया गया है।
- 1 से 6 अक्टूबर 2017 तक कर्पास, युगांडा में ताजे फलों एवं सब्जियों पर आयोजित कोडेक्स समिति के 20वें सत्र में अपेडा ने भाग लिया और भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व किया।
- 3 से 7 अप्रैल 2017 तक फूड रियोजेनेरियो, ब्राजील में संदूषकों पर कोडेक्स समिति के 11वें सत्र में अपेडा ने भाग लिया और भारतीय शिष्ट मंडल का प्रतिनिधित्व किया।
- यूएसए को आम का निर्यात पिछले साल के 767.38 मीट्रिक टन की तुलना में बढ़कर 1055.062 मीट्रिक टन हो गया है।
- दक्षिण कोरिया ने जून 2016 में आम के लिए बाजार पहुंच प्रदान की। 2017 में आम के निर्यात के सीजन के दौरान आन साइट क्लियरेंस कार्यक्रम के लिए क्यूकआईए के 2 निरीक्षकों को चार वीएचटी सुविधाओं में तैनात किया गया। 2017 में आम के सीजन के दौरान दक्षिण कोरिया को 66 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया गया। दक्षिण कोरिया में सियोल और बुसान में 25 से 27 मई 2017 के दौरान एक आम संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- भारत से ईरान को एचडब्ल्यूटी शोधित आम के निर्यात के लिए एचडब्ल्यूटी सुविधाओं का सत्यापन करने के लिए ईरान के दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने 21 से 28 अप्रैल 2017 तक भारत का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान शिष्टमंडल ने 5 सुविधाओं अर्थात् भारत के पश्चिमी भागों 4 और उत्तरी भागों से एक को अनुमोदित किया। भारत से ईरान को 22.79 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया गया।
- कनाडा को अंगूर के निर्यात के लिए बाजार पहुंच प्राप्त कर ली गई है तथा अंगूर के पिछले सीजन में 14 कंटेनरों का निर्यात किया गया।
- विदर्भ क्षेत्र से मैसर्स आईएनआई फार्मर्स, मुंबई द्वारा दुबई को समुद्री शिपमेंट के माध्यम से केले की जी-9 वैराइटी अर्थात् कर्वेडिश ड्वार्फ का निर्यात किया गया। यह अकोला क्षेत्र में अपेडा, मुंबई द्वारा आयोजित आउटरीच कार्यक्रम का परिणाम था। विदर्भ क्षेत्र से नियमित आधार पर केले के निर्यात को बढ़ावा देने और स्थिर करने के लिए अपेडा द्वारा प्रयास किए गए हैं।
- आईसीएआर - एनआरसी के माध्यम से बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची उत्पादकों एवं हितधारकों के लिए लीची पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- भारतीय पैकेजिंग संस्थान के माध्यम से फलों और सब्जियों को ताजा रखने के लिए पैकेजिंग के मानक विकसित किए गए हैं।
- अपेडा ने कागज रहित प्रोसेसिंग की पहल शुरू की तथा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से मूंगफली एवं मूंगफली के उत्पादों के लिए निर्यात प्रमाण पत्र (सीओई) का आनलाइन निर्गम लागू किया। इस प्रकार अपेडा ने अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान 8696 निर्यात प्रमाण पत्र जारी किए हैं। इस बात का उल्लेख करना असंगत है कि निर्यात प्रमाण पत्र की कागज रहित प्रोसेसिंग लागू किए जाने से लगभग 90 प्रतिशत निर्यात प्रमाण पत्र उसी दिन जारी किए गए।
- अपेडा ने मूंगफली एवं मूंगफली उत्पादों (पीपीपी) यूनिट पंजीकरण प्रणाली की कागज रहित फाइलिंग, प्रोसेसिंग एवं प्रमाणन को भी लागू किया। निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण एवं सिफारिश के बाद तथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके अपेडा ने 36 पीपीपी यूनिट पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए। हालांकि 15 प्रमाण पत्र यूनिटों के अनुरोध के अनुसार यूनिट पंजीकरण में संशोधन के बाद जारी किए गए।
- वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की सार्वजनिक नोटिस संख्या 24/2015-2020 दिनांक 29 सितंबर 2017 के अनुसार अपेडा को परिशिष्ट 2 ग (जीएसपी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत एजेंसियां) के क्रमांक 17 पर और परिशिष्ट 2 ड. (उत्पत्ति प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने के लिए अधिकृत एजेंसियों की सूची) के

- क्रमांक 15 (दिल्ली) पर, जीएसपी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एफटीपी 2015-20 के आयात-निर्यात फार्म एवं परिशिष्ट तथा उत्पत्ति प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने के लिए शामिल किया गया है।
- अपेडा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है जो मानव खाद्य के लिए निवारक नियंत्रण (पीसीएचएफ) के तहत खाद्य सुरक्षा निवारक नियंत्रण गठबंधन (एफएसपीसीए) पर यूएसए को निर्यात कर रहे हैं या निर्यात करने के इच्छुक हैं।
- 19 यूनिटों के फील्ड सत्यापन के लिए सितंबर 2016 में एक्यूएसआईक्यू, चीन के दल ने भारत का दौरा किया तथा बाद में नवंबर 2016 में चीन को बासमती चावल के निर्यात के लिए चावल की 14 स्थापनाओं को अनुमोदन से अवगत कराया है। प्रोटोकाल में संशोधन के लिए एक्यूएसआईक्यू तथा एनपीपीओ, भारत के बीच तकनीकी चर्चा के बाद चीन को गैर बासमती चावल के निर्यात में सुधार होने की संभावना है।
- 2017-18 के दौरान कीटनाशकों के विवेकपूर्ण प्रयोग के बारे में किसानों और निर्यातकों को शिक्षित करने के लिए अपेडा ने एआईआरईए, केवीके तथा राज्य कृषि विभागों के साथ मिलकर बीईडीएफ के माध्यम से 15 फील्ड कार्यशालाओं का आयोजन किया।
- एनपीओपी के मानकों के तहत जैविक मशरूम, जैविक सीवीड, जलीय पौधों की नई उत्पाद श्रेणियों तथा ग्रीन हाउस के फसल उत्पादन का समावेशन।
- पशुधन के मानकों में संशोधन तथा गुण प्रमाण पत्र का समावेशन।
- जैविक दालों के लिए आरसीएसी का आवेदन करने और जारी करने के लिए आनलाइन माड्यूल का विकास किया गया है तथा जैविक उत्पादों के लिए आरसीएसी के निर्गम को सरल बनाने के लिए लागू किया गया है।
- मांस प्रसंस्करण संयंत्रों के निरीक्षण एवं अनुमोदन के लिए 13 अगस्त 2017 से 24 अगस्त 2017 तक मलेशिया के शिष्टमंडल का दौरा। शिष्टमंडल ने पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 9 संयंत्रों का दौरा किया। शिष्टमंडल के रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मलेशिया के शिष्टमंडल द्वारा मांस के संयंत्रों के निरीक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
- मांस के संयंत्रों के निरीक्षण एवं अनुमोदन के लिए अंगोला के शिष्टमंडल का 28 अप्रैल से 5 मई 2017 तक दौरा। शिष्टमंडल ने मांस के 8 संयंत्रों को अनुमोदन प्रदान किया है।

2017-18 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले और संवर्धन कार्यक्रम:

बाजारों का सृजन करने तथा उनका दोहन करने और ब्रांड इमेज में वृद्धि करने के लिए अपेडा अपने उत्पादों के लिए विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियां तैयार करता है और डिलीवर करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, वस्तु विशिष्ट संवर्धनात्मक अभियान, प्रचार के माध्यम से ब्रांड संवर्धन तथा आयातक - निर्यातक बैठकों का आयोजन इस संबंध में प्रमुख गतिविधियों में से कुछ हैं। अपेडा द्वारा पूरी दुनिया में प्रमुख व्यापार मेलों में भारतीय बासमती चावल, भारतीय फलों, भारतीय बीयर, भारतीय मदिरा, भारतीय कढ़ी तथा भारतीय नाश्तों के लिए संवर्धनात्मक अभियान पहले ही शुरू किए जा चुके हैं।

वर्तमान वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान अपेडा भारतीय खाद्य उत्पादों पर 9 अंतर्राष्ट्रीय मेलों तथा 3 जेनरिक / ब्रांड संवर्धन कार्यक्रमों में भाग ले चुका है / भाग लेगा अर्थात् भारतीय मदिरा निर्जलीकृत उत्पाद, एथनिक प्रोडक्ट्स, पल्प तथा सिरिली प्रेपरेशन एवं चावल।

तंबाकू बोर्ड

तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के प्रावधानों के अधीन गुंटूर, आंध्र प्रदेश में मुख्यालय के साथ 1 जनवरी 1976 को तंबाकू बोर्ड का गठन किया गया। तंबाकू बोर्ड का अध्यक्ष इसका मुखिया है। तंबाकू बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं:

- भारत एवं विदेशों में मांग के अनुरूप वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन एवं संसाधन को विनियमित करना।
- वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादकों, डीलरों एवं निर्यातकों (पैकर सहित) तथा वर्जीनिया तंबाकू उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए उपयोगी सूचनाओं का प्रचार प्रसार करना।
- उत्पादकों के स्तर पर तंबाकू की ग्रेडिंग को प्रोत्साहित करना।
- वर्जीनिया तंबाकू की बिक्री के लिए नीलामी प्लेटफार्म स्थापित करना।

तथा नीलामीकर्ता के रूप में काम करना।

- विद्यमान बाजारों का रखरखाव एवं सुधार तथा भारत के बाहर नए बाजारों का विकास।
- भारत में तथा भारत के बाहर भी वर्जीनिया तंबाकू के बाजार पर लगातार नजर रखना और इसके लिए उचित एवं लाभप्रद कीमत का सुनिश्चय करना।
- भारत सरकार के अनुमोदन से उत्पादकों से उस समय वर्जीनिया तंबाकू की खरीद करना जब उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए।

भारत में एफ सी वी तंबाकू का उत्पादन: पिछले 10 वर्षों में एफ सी वी तंबाकू के उत्पादन में वर्ष दर वर्ष उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ये उतार चढ़ाव उपज तथा आपूर्ति में मूल्य के लोच की दृष्टि से बाजार की गतिकी पर मौसम के प्रभाव को दर्शाते हैं। 2007-08 से 2016-17 की अवधि के दौरान एफसीवी तंबाकू के उत्पादन में -2.13 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक विकास दर (सी ए जी आर) दर्ज की गई है।

अनुमान है कि 2017-18 में एफसीवी तंबाकू का उत्पादन 239.05 मिलियन किलो होगा, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 204.07 मिलियन किलो का उत्पादन हुआ था। कर्नाटक में एफ सी वी तंबाकू का अनुमानित उत्पादन 103.05 मिलियन किलो है तथा आंध्र प्रदेश में इसका अनुमानित उत्पादन 136.00 मिलियन किलो है। 2016-17 के दौरान एफ सी वी तंबाकू की खेती लगभग 1.37 लाख हेक्टेयर में हुई। 2017-18 में कर्नाटक में 0.81 लाख हेक्टेयर में एफ सी वी तंबाकू की खेती हुई तथा आंध्र प्रदेश में रोपण का कार्य अभी चल रहा है।

एफसीवी तंबाकू के उत्पादन का विनियमन

तंबाकू बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक भारतीय तंबाकू के लिए मांग से मेल खाने के लिए वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन को विनियमित करना है ताकि उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित एवं लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति प्रत्येक वर्ष फसल के आकार को निर्धारित करके और वाणिज्यिक मालियों, तम्बाकू उत्पादकों और खलिहान संचालकों का पंजीकरण करके की जाती है। तंबाकू बोर्ड विभिन्न कारकों जैसे कि घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग एवं आपूर्ति की स्थितियाँ, विभिन्न प्रकार की एफ सी वी तंबाकू की विपणयता, कैरीओवर स्टॉक, सिगरेट उत्पादन एवं खपत की रुझानों आदि को ध्यान में रखते हुए एफ सी वी तंबाकू के फसल आकार के बारे में निर्णय लेता है।

एफ सी वी फसल उत्पादन नीति

2017-18 के दौरान तंबाकू बोर्ड ने पिछले वर्ष के दौरान 225 मिलियन किलो के नियत लक्ष्य के विरुद्ध भारत में एफ सी वी तंबाकू की खेती के लिए 235 मिलियन किलो का लक्ष्य निर्धारित किया था। तम्बाकू बोर्ड ने 2017-18 फसल के मौसम के लिए कर्नाटक में 99 मिलियन किलो का फसल आकार निर्धारित किया है, जबकि 2016-17 के फसली मौसम के

दौरान 95 मिलियन किलो का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए बोर्ड ने पिछले साल के दौरान 130 मिलियन किलो के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 136 मिलियन किलो के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उत्पादकों के लिए मृदा जांच सेवाएं

तंबाकू बोर्ड तंबाकू की खेती के लिए प्रयुक्त सिंचित जल तथा मिट्टी की उपयुक्तता तथा तंबाकू की खेती के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उर्वरकों की मात्रा के बारे में उत्पादकों को सलाह देने के लिए उत्पादकों के खेतों से एकत्र किए गए मिट्टी एवं पानी के नमूनों का मुफ्त में विश्लेषण करता है। 2017-18 के फसली मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश में एकत्र किए गए मिट्टी के 2300 नमूनों और पानी के 625 नमूनों का तंबाकू बोर्ड के ऑगले स्थित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया तथा विश्लेषण के परिणामों के आधार पर मिट्टी की उपयुक्तता तथा डाले जाने वाले उर्वरकों की मात्रा के बारे में उत्पादकों को सलाह दी गई। इसी तरह कर्नाटक में मिट्टी के 4,200 नमूनों का विश्लेषण किया गया तथा उत्पादकों को उपयुक्त ढंग से सलाह दी गई। उपर्युक्त, के अलावा 2017-18 के फसली मौसम के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्वों - लौह, जिंक, खनिज और कैल्सियम के लिए आंध्र प्रदेश में मिट्टी के 974 नमूनों और कर्नाटक में मिट्टी के 180 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

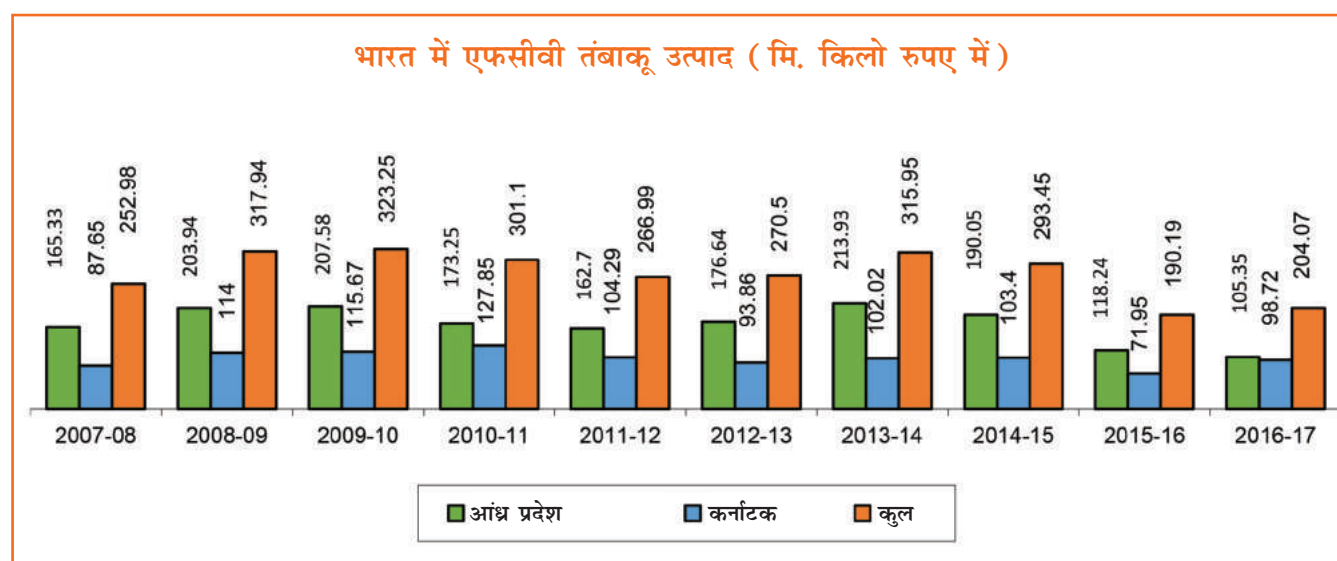
विस्तार एवं विकास की गतिविधियाँ:

तंबाकू बोर्ड तंबाकू की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ हद तक सब्सिडी प्रदान करके प्रतिस्पर्धी कीमतों पर इनपुट की आपूर्ति के माध्यम से किसानों को सहायता एवं विस्तार सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करता है और इस प्रकार कृषक समुदाय की मदद कर रहा है। अतः हर साल बोर्ड इनपुट की आपूर्ति के माध्यम से अपनी स्वयं की निधियों से विस्तार एवं विकास की विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करता है तथा फसल विकास के हर चरण पर किसानों को प्रशिक्षण देता है।

तंबाकू की नीलामी:

1984 में कर्नाटक में पहली बार एफ सी वी तंबाकू की बिक्री के लिए नीलामी की पद्धति अपनाई गई और इसके बाद 1985 में आंध्र प्रदेश द्वारा यह पद्धति अपनाई गई।

आंध्र प्रदेश में 2016-17 के फसल सीजन में 1 अप्रैल 2017 से 9 अक्टूबर 2017 के दौरान 133.70 रुपए प्रति किलो के औसत मूल्य पर कुल 102.46 मिलियन किलो तंबाकू का विपणन किया गया (नीलामी के माध्यम से बिक्री 9 अगस्त 2017 को समाप्त हुई)। कर्नाटक में 2017-18 के फसल सीजन में 8 सितंबर 2017 से 12 अक्टूबर 2017 के दौरान 139.14 रुपए प्रति किलो के औसत मूल्य पर कुल 11.50 मिलियन किलो तंबाकू का विपणन किया गया (नीलामी के माध्यम से बिक्री 8 सितंबर 2017 को समाप्त हुई)। अनुमान है कि सीजन के शुरू में कुल अनुमानित उत्पादन 130.05 मिलियन किलो है, जबकि बोर्ड द्वारा 99 मिलियन किलो उत्पादन



का लक्ष्य रखा गया है।

उत्पादक कल्याण निधि की पहलें:

तंबाकू बोर्ड वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से 2009-10 में तंबाकू बोर्ड उत्पादक कल्याण स्कीम स्थापित करके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा में लगभग 89000 तंबाकू उत्पादकों एवं परिवारों का समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों को कार्यान्वित कर रहा है।

कल्याणकारी स्कीम मृत्यु अनुदान एवं लड़कियों की शादी, आश्रित बच्चों की शिक्षा, बड़ी बीमारियों / दुर्घटना के मामलों जिनके लिए सर्जरी की जरूरत है, के लिए उपचार तथा प्राकृतिक आपदाओं / आग लगने की घटनाओं से क्षतिग्रस्त बर्न की मरम्मत के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम की शुरुआत से लेकर अब तक तंबाकू बोर्ड द्वारा अनुदान एवं ऋण के रूप में 11992 उत्पादकों को वित्तीय राहत प्रदान की गई है। 8596 लाभार्थियों को 27.14 करोड़ रुपए मूल्य के अनुदानों संस्वीकृत किए गए तथा 3396 उत्पादकों को 6.14 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण संस्वीकृत किए गए।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आज तक की स्थिति के अनुसार, अनुदान के रूप में 4.94 करोड़ रुपए तथा ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 0.94 करोड़ रुपए यानी कुल 5.88 करोड़ रुपए का वितरण किया गया। वर्ष 2017-18 के लिए आज तक की स्थिति के अनुसार प्रदान किए गए अनुदानों / ब्याज मुक्त ऋणों का योजनावार ब्यौरा निम्नानुसार है :

विपणन तथा निर्यात

2016-17 के दौरान 231800 मीट्रिक टन तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों का निर्यात किया गया जिनका मूल्य 5975.08 करोड़ रुपए (891.91 मिलियन अमरीकी डालर) था, जबकि 2015-16 में 6058.13 करोड़ रुपए (925.33 मिलियन अमरीकी डालर) मूल्य के 243418 मीट्रिक टन तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों का निर्यात किया गया था।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के निर्यात में मात्रा, रुपए में मूल्य और अमरीकी डालर में मूल्य की दृष्टि से पिछले वर्ष के दौरान किए गए निर्यात की तुलना में क्रमशः 5 प्रतिशत, 1 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय मेला / प्रदर्शनी में भागीदारी

तंबाकू बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के ब्रांड की छवि निर्मित करने तथा निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 5

और 6 दिसंबर 2017 को आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू प्रदर्शनी “वर्ल्डस टोबैको मिडिल ईस्ट 2017” में भाग ले रहा है।

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस)

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण के अधीन वाणिज्य विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है। कोलकाता में इसका कार्यालय स्थित है तथा इसके मुख्या महानिदेशक होते हैं। इसे नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, व्यापारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अपेक्षित व्यापार सांख्यिकी एवं विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक सूचना का संग्रहण करने, संकलन करने और प्रसार करने का कार्य सौंपा गया है। यह भारत की विदेश व्यापार सांख्यिकी के संकलन एवं प्रसार के लिए आई एस ओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश में पहला बड़ा डाटा प्रसंस्करण संगठन है जिसे इस वर्ष के दौरान आईएसओ 9001 : 2015 में अपग्रेड किया गया है।

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय में प्राप्त डाटा

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय कोई अंतर्राष्ट्रीय जीएस व्यापार होने की स्थिति में सृजित प्रशासनिक डाटा के अंग के रूप में विभिन्न सीमा शुल्क कार्यालयों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जेड) से दैनिक व्यापार विवरणी (डी टी आर) के रूप में बुनियादी डाटा प्राप्त करता है। सीमा शुल्क प्राधिकारी तीन अलग - अलग माध्यमों अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज (ई डी आई), गैर ई डी आई एवं दस्ती रूप में ये डी टी आर भेजते हैं। इंडियन कस्टम ई डी आई गेटवे (आइसगेट) के माध्यम से ई डी आई डाटा हर रोज ऑन-लाइन भेजा जाता है। शेष बंदरगाहों से मासिक जीएस व्यापार डाटा ईमेल या सीडी के माध्यम से या दस्ती रूप में टंकित / हस्तलिखित कागजी अनुसूचियों के माध्यम से भेजा जाता है। एनएसडीएल के माध्यम से दैनिक आधार पर विशेष आर्थिक क्षेत्रों से डीटीआर प्राप्त किया जा रहा है। प्राप्त कच्चे डाटा को डी जी सी आई एस अधुनातन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रोसेस और संकलित करता है।

2013-14 से 2015-16 के दौरान डाटा की मात्रा एवं डीटीआर के प्रकार के अनुसार प्रतिशत योगदान

डीजीसीआईएस में प्रोसेस किए जा रहे रिकार्डों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। 2000-01 में 39.00 लाख रिकार्ड प्रोसेस किए गए जबकि 2016-17 में यह संख्या बढ़कर 186.73 लाख हो गई। अक्टूबर, 2017 तक, लगभग 115.42 लाख रिकार्डों को प्रोसेस किया जा चुका है। पिछले 3 वर्षों के दौरान, प्रोसेस किए गए रिकार्डों की संख्या, लेनदेन के प्रकार तथा मूल्य के अनुसार रिकार्डों का वितरण नीचे सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी: 1 2015-16 से 2017-18 तक प्रोसेस किए गए रिकार्डों की संख्या			
वर्ष	निर्यात	आयात	कुल
2015 -16	9740368	8015898	17756266
2016 -17	10482527	8190493	18673020
2017-18* (अक्टूबर 2017 तक)	5262231	6279708	11541939
*2017-18 के आंकड़े अनंतिम हैं			

सारणी: 2 रिकार्डों के प्रकार के अनुसार प्रोसेस किए गए रिकार्डों का प्रतिशत									
वर्ष	निर्यात			आयात			कुल		
	ई डी आई	गैर ई डी आई	दस्ती	ई डी आई	गैर ई डी आई	दस्ती	ई डी आई	गैर ई डी आई	दस्ती
2015 -16	89.99	9.12	0.89	94.05	5.85	0.10	91.83	7.64	0.53
2016 -17	90.31	9.13	0.56	94.08	5.88	0.04	91.96	7.71	0.33
अप्रैल - अक्टूबर 2017*	92.78	7.00	0.22	94.60	5.39	0.01	93.61	6.27	0.12
*2017-18 के आंकड़े अनंतिम हैं									

सारणी: 3 व्यापार के मूल्य में विभिन्न प्रकार के लेनदेन के योगदान का प्रतिशत

वर्ष	निर्यात			आयात			कुल		
	ई डी आई	गैर ई डी आई	दस्ती	ई डी आई	गैर ई डी आई	दस्ती	ई डी आई	गैर ई डी आई	दस्ती
2015 -16	76.74	23.10	0.16	80.85	18.91	0.24	79.17	20.62	0.21
2016 -17	79.79	20.10	0.11	80.53	19.30	0.17	80.22	19.64	0.14
अप्रैल - अक्टूबर 2017*	83.47	16.49	0.04	86.76	13.16	0.08	85.47	14.47	0.06
*2017-18 के आंकड़े अंतिम हैं									

विदेश व्यापार डाटा का निर्गम

डी जी सी आई एस ने अपनी विज्ञप्तियों में समय की दृष्टि से पीछे रहने की अवधि काफी कम कर दी है तथा अपने प्रमुख हितधारकों के सुझावों के आधार पर अधिक प्रयोक्तानुकूल ढंग से प्रसार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। निदेशालय द्वारा संकलित किए गए विदेश व्यापार के आंकड़ों का निम्नलिखित के माध्यम से प्रचार किया जाता है (प) अगले माह के पखवाड़े के अंदर वाणिज्य विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक प्रेस विज्ञप्ति, (पप) प्रधान वस्तुवार डाटा अब माह के अंदर उपलब्ध है और (पपप) 8 डिजिट वाली मर्चें के लिए डाटा दो माह के अंदर उपलब्ध है। ऑनलाइन डाटा प्रसार के लिए वेब आधारित मॉड्यूल अर्थात् विदेश व्यापार प्रसार पोर्टल (एफ डी डी पी) स्थापित किया गया है जिससे अंतिम एवं अंतिम दोनों प्रकार के डाटा सेट सीधे प्राप्त किए जा सकते हैं।

नई पहलों का क्षेत्र:

डी जी सी आई एस को देश में सेवा व्यापार से संबंधित सांख्यिकी के संकलन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के भुगतान संतुलन मैनुअल के तहत यथा निर्धारित मानक वर्गीकरण का अनुसरण करके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित सेवाओं / व्यापार पर सांख्यिकी साझेदार देश और डिलीवरी के माध्यम के आधार पर सेवा व्यापार डाटा के अलग अलग स्तर की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है।

डीजीसीआईएस के महानिदेशक की अध्यक्षता में वाणिज्य विभाग द्वारा गठित तकनीकी समूह ने साझेदार देश तथा प्रदायगी की विधि के अनुसार सभी महत्वपूर्ण सेवा श्रेणियों का पूरी तरह शामिल किया जाना सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर अलग से सर्वेक्षण संचालित करने की सिफारिश की। प्रायोगिक अध्ययनों के अलावा डीजीसीआईएस ने अब तक संदर्भ अवधि के रूप में 2015-16 के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के निर्यात पर एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण का आयोजन किया है। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट अप्रैल 2017 में जारी की गई है।

इस समय आईसीटी समर्थित सेवाओं के निर्यात पर एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण चल रहा है तथा उम्मीद है कि मार्च 2018 के अंत तक रिपोर्ट जारी हो जाएगी। (प) शिक्षा सेवा, (पप) बीमा सेवा के निर्यात पर सर्वेक्षण तथा (पपप) स्वास्थ्य सेवाओं पर आवर्तक सर्वेक्षण (संदर्भ अवधि 2016-17) के नवंबर / दिसंबर 2017 के दौरान शुरू होने की संभावना है, जिसकी रिपोर्ट जून 2018 के अंत तक जारी की जानी है।

सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम)

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अप्रैल 2017 को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के संगठनों द्वारा अपेक्षित माल एवं सेवाओं के प्रापण के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी के रूप में राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल के रूप में एक विशेष प्रयोजन वाहन के गठन के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया जिसे सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम एसपीवी) कहा जाएगा। जीईएम एसपीवी के गठन को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 2017 तक आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय को बंद करने के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया। बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई तथा आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के पूरे भारत में स्थित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / निदेशालयों को बंद कर दिया गया। आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय की बंदी को 31 अक्टूबर 2017 को प्रभावी किया गया।

तदनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 17 मई 2017 को 100 प्रतिशत

सरकारी स्वामित्व, लाभ न कमाने वाली कंपनी के रूप में एक सरकारी ई-मार्केट प्लेस कंपनी का निगमन किया गया जिसका पंजीकृत कार्यालय जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली में है।

इस कंपनी के प्राथमिक उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- सरकारी एजेंसियों जिसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य, सरकारों के मंत्रालय / विभाग, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्वायत्त संस्थाएं, सांविधिक एवं संवैधानिक निकाय आदि शामिल हैं, द्वारा प्रापण में पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रतियोगितात्मकता और दक्षता को बढ़ावा देना।
- प्रौद्योगिकी चालित ई-मार्केट प्लेस का विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण करना जिसका प्रयोग सरकारी एजेंसियों द्वारा विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रापण और पारदर्शी एवं दक्ष ढंग से मर्चों के निस्तारण के लिए किया जा सकता है।

उपयुक्त के अलावा कंपनी विभिन्न उद्देश्यों को भी पूरा करती है जैसे कि:

- आसानी से सुगम्य, पारदर्शी, त्वरित एवं दक्ष प्रौद्योगिकी समर्थित प्लेटफार्म प्रदान करके वाणिज्य एवं व्यापार को बढ़ावा देना,
- विकास का अनुरक्षण तथा सभी हितधारकों को सार्वजनिक प्रापण से संबंधित सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार की आधारभूत सुविधा प्रदान करना,
- सरकारी एजेंसियों को कोटिपरक अनुसंधान, सलाह, परामर्श एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध से संबंधित सेवाएं / सहायता प्रदान करना,
- अपना माल एवं सेवाएं प्रदान करने में वेंडरों एवं सेवा प्रदाताओं की मदद करना।

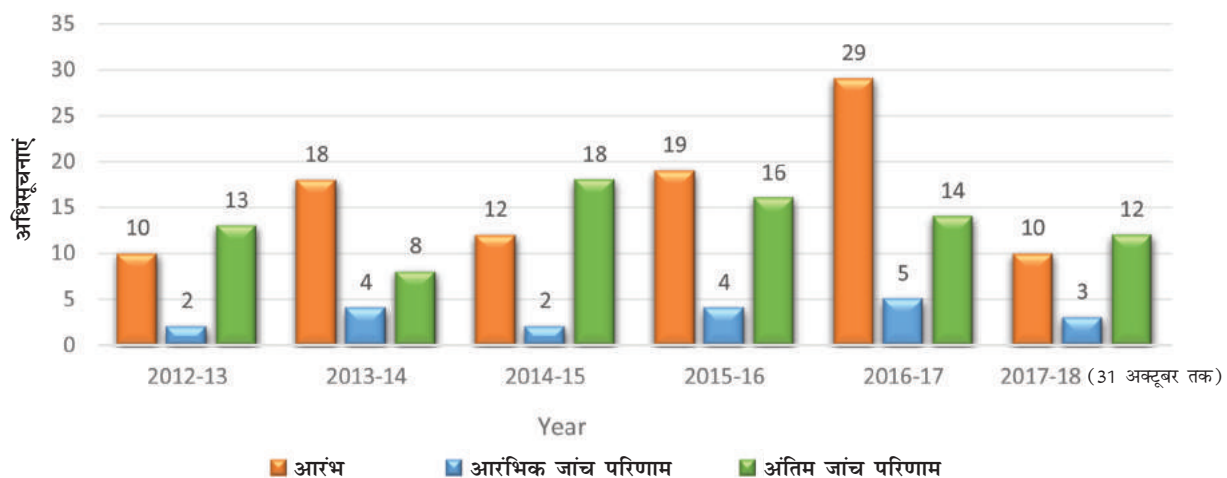
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी जी ए डी)

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय का गठन अप्रैल, 1998 में हुआ तथा भारत सरकार में अपर सचिव के स्तर के नामोहिष्ट प्राधिकारी इसके अध्यक्ष हैं जिनको लागत निर्धारण के मुद्दों पर प्रधान सलाहकार (लागत) और संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी द्वारा सलाह प्रदान की जाती है। इसके अलावा पाटन रोधी, सब्सिडी रोधी, पाटन रोधी शुल्क जांच की तरकीब आदि जैसी विभिन्न जांचों के संचालन के लिए विविधतापूर्ण अनुभव वाले जांच एवं लागत अधिकारी हैं। यह निदेशालय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के तहत जांच करने तथा अपेक्षा के अनुसार अभिचिह्नित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क / प्रतिकार शुल्क की राशि के बारे में सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है, जो घरेलू उद्योग को नुकसान से बचाने के लिए पर्याप्त होगा।

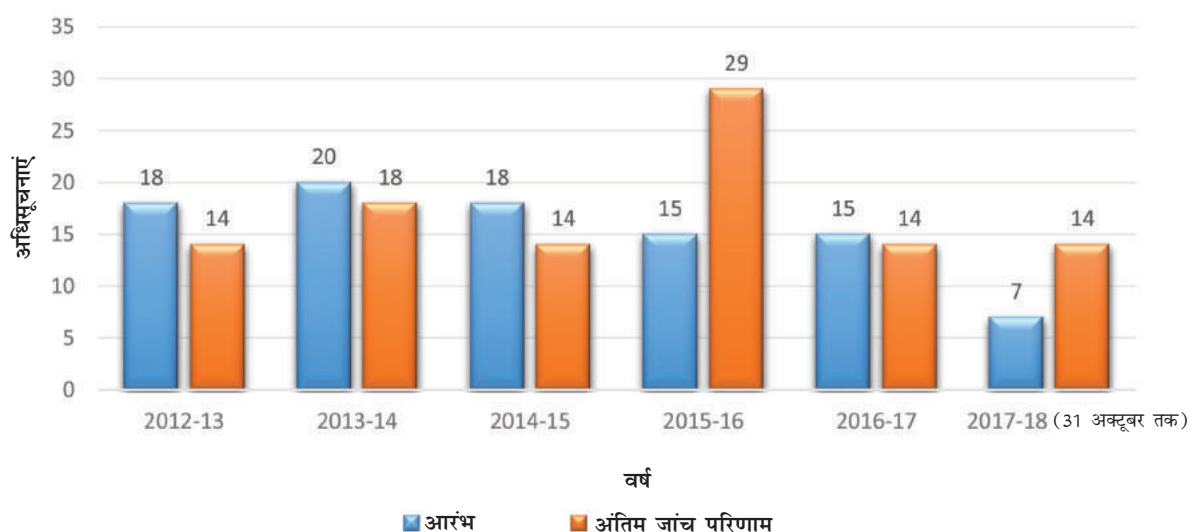
1 अप्रैल 2016 से 31 अक्टूबर 2017 की अवधि के दौरान डी जी ए डी ने 17 पाटन रोधी जांच शुरू की (जिसमें नई जांच एवं समीक्षा दोनों शामिल हैं), 3 अन्वेषणों में प्रारंभिक निष्कर्ष और 26 पाटन रोधी अन्वेषणों में अंतिम निष्कर्ष जारी किए।

वर्ष 2012-13 से 2017-18 के लिए (अक्टूबर 2017 तक) पाटन रोधी जांचों का ब्यौरा नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है :-

नई पाटनरोधी जांच

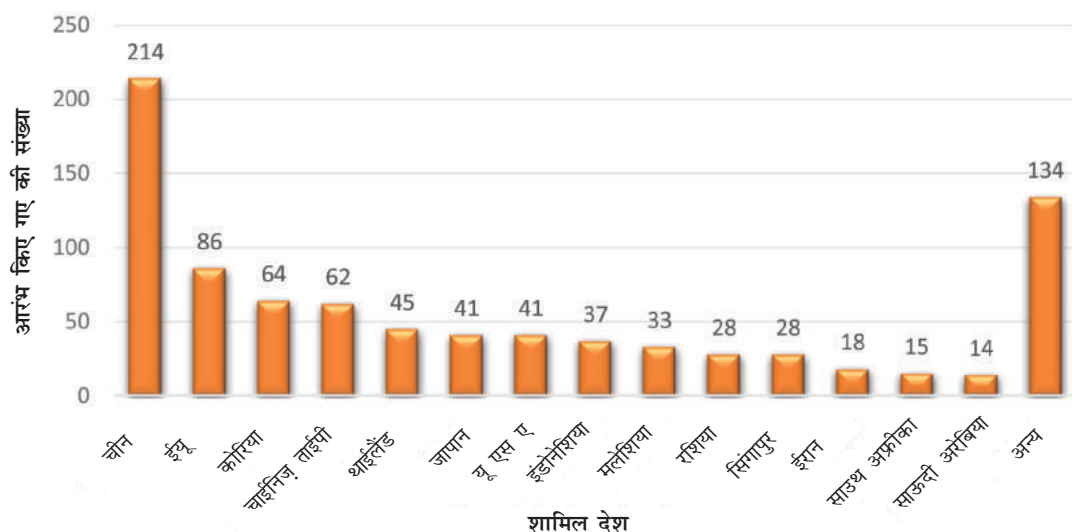


पाटनरोधी जांचों की समीक्षा



वर्ष 1992 से 31 अक्टूबर, 2017 तक भारत द्वारा 377 उत्पादों में पाटनरोधी अन्वेषण शुरू किए गए हैं। इन अन्वेषणों में जिन देशों का नाम प्रमुखता से आया वे चीन, यूरोपीय संघ, ताइवान, कोरिया, जापान, यूएसए, सिंगापुर, रूस आदि हैं। उत्पादों की जिन श्रेणियों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया उनमें मुख्य रूप से रसायन एवं पेट्रो-रसायन, फार्मास्यूटिकल, फाइबर / यार्न, इस्पात एवं अन्य धातुएं तथा उपभोक्ता माल शामिल हैं। 377 उत्पादों का देशवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

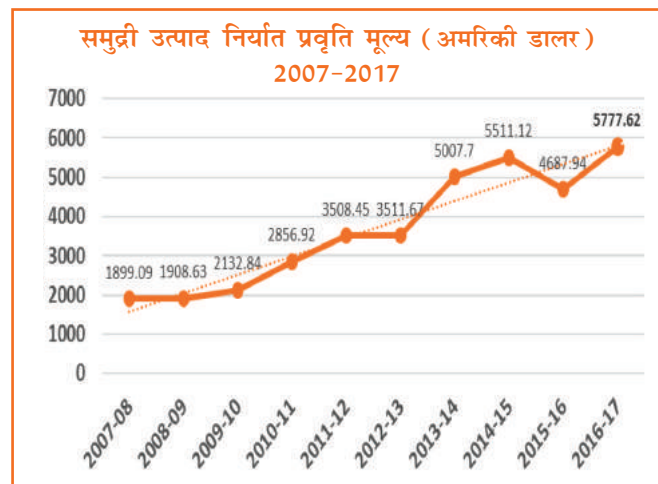
दिनांक 31.10.2017 की स्थिति के अनुसार डीजीएडी द्वारा आरंभ की गई देश-वार जांच की संख्या



समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए)

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय के रूप में काम करने वाले समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

निर्यात निष्पादन: पिछले अनेक वर्षों से भारत से समुद्री एवं मत्स्यपालन निर्यात में निरंतर वृद्धि हुई है और 2016-17 में 5.78 बिलियन अमरीकी डालर के आंकड़े पर पहुंच गया है जो अब तक का सर्वाधिक निर्यात है।



निर्यात निष्पादन			
निर्यात का ब्यौरा	2016-17	2015-16	वृद्धि (प्रतिशत में)
टनों में मात्रा	1134948	945892	19.99 प्रतिशत
मूल्य रु लाख में करोड़ रूपए में	37871	30421	24.49 प्रतिशत
मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में	5778	4688	23.24 प्रतिशत
इकाई मूल्य (अमरीकी डालर में प्रति किग्रा)	5.09	4.96	2.71 प्रतिशत

अप्रैल से सितंबर 2017 के लिए निर्यात के अनंतिम आंकड़े: समुद्री उत्पादों के निर्यात ने पिछले साल की समान अवधि के दौरान किए गए निर्यात की तुलना में मात्रा की दृष्टि से 11 प्रतिशत, रूपए में मूल्य की दृष्टि से 4.33 प्रतिशत और अमरीकी डालर में आय की दृष्टि से 8.56 प्रतिशत की वृद्धि का प्रदर्शन किया है। तथापि, प्रति यूनिट की मूल्य की वसूली 5.67 अमरीकी डालर प्रति किलो से घटकर 5.80 अमरीकी डालर प्रति किलो रह गई जो पिछले साल की तुलना में लगभग 2.19 प्रतिशत कम है। यह गिरावट मुख्य रूप से सीफूड, विशेष रूप से श्रिंप एवं फिश की आपूर्ति में वृद्धि के कारण आई। सूखी एवं जिंदा मत्स्यों के यूनिट मूल्य में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। निर्यात बास्केट में फ्रोजन श्रिंप निर्यात की प्रधान मद बना रहा तथा अमरीकी डालर में मूल्य की दृष्टि से विदेशी मुद्रा के अर्जन में इसका योगदान 75.68 प्रतिशत था जिसके बाद फ्रोजन फिश का स्थान है। फ्रोजन फिश के निर्यात में 13.40 प्रतिशत की वृद्धि का प्रदर्शन किया तथा सूखी मत्स्यों के निर्यात ने अमरीकी डालर में मूल्य की दृष्टि से 42.76 प्रतिशत की वृद्धि का प्रदर्शन किया है। इस अवधि के दौरान 35.46 प्रतिशत के शेयर के साथ विदेशी मुद्रा के अर्जन में यूएसए निर्यात का प्रधान बाजार बना रहा तथा अमरीकी डालर में मूल्य की दृष्टि से निर्यात में 16.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दक्षिण पूर्व एशिया जो भारतीय समुद्री उत्पादों के लिए दूसरा प्रमुख बाजार है, का शेयर विदेशी मुद्रा के अर्जन की दृष्टि से 31.52 प्रतिशत था तथा अमरीकी डालर में मूल्य की दृष्टि से दक्षिण पूर्व एशिया को निर्यात में 25.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारतीय समुद्री उत्पादों के लिए यूरोपीय संघ (ईयू), जापान, मध्य पूर्व तथा चीन अन्य प्रमुख बाजार हैं। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ तथा जापान को निर्यात ने गिरावट की रुझान का प्रदर्शन किया।

बल दिए जाने वाले क्षेत्र: देश से समुद्री उत्पादों के संवर्धित निर्यात को सुकर करने के लिए, एमपीडा निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिक जोर दे रहा है:-

- जलीय कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किस्मों में वृद्धि के लिए कृषि

प्रथाओं को वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण शेल फिश और फिन फिश पालने के क्षेत्र में कदम रखना।

- फार्मा तथा हैचरी के पंजीकरण के माध्यम से मत्स्यपालन की अनुवेदनीयता स्थापित करना।
- मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात के लिए प्रसंस्करण संयंत्र एवं कोल्ड, चेन की सुविधाओं सहित अधुनातन आधारभूत सुविधाएं स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करना।
- पूरे देश में एंटीबायोटिक के अवशिष्ट रहित निर्यात के लिए परिष्कृत अवशिष्ट नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना करके तथा एंजाइम संबंध इम्यूनोसारबेंट विश्लेषण (ईएलआईएसए) प्रयोगशालाओं का प्रचालन करके अच्छे सीफूड का उत्पादन सुनिश्चित करना। फसल पूर्व परीक्षण तथा एन आर सी पी लैब परीक्षण भी कंप्यूटरीकृत है।



- संकट विश्लेषण नाजुक नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी) का कार्यान्वयन और एचएसीसीपी के लिए उद्योग की सहायता करना।
- अंतर्राष्ट्रीय सीफूड शो में भागीदारी, सह ब्रांडिंग, विदेशों में प्रचार के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों अर्थात इंडिया इंटरनेशनल सीफूड (आईआईएसएस) और अक्वा अक्वेरिया इंडिया (एएआई) आदि के आयोजन के माध्यम से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय सीफूड को प्रमोट करना।

उत्पादन एवं निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

- सीफूड के संपोषणीय उत्पादन के लिए समुद्री तट पर बसे देश के सभी समुद्री राज्यों में मछलीपालन के विकास के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- चेन्नई में अक्वेटिक क्वेरेंटाइन फेसिलिटी (एक्यूवएफ) के माध्यम से खेती के लिए डिजीज फ्री क्वालिटी एसपीएफएल वननामेई श्रिंप सीड का उत्पादन और जैव सुरक्षित स्थिति में उत्पादन तथा ब्रूड स्टॉक की आपूर्ति।
- जलीय कृषि कल्याण समितियों को प्रोत्साहित करना तथा सामान्य सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके श्रिंप की संपोषणीय खेती के लिए प्रथा संहिता अपनाना।
- फील्ड प्रदर्शन के माध्यम से प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना तथा क़ैब की खेती, अनुवांशिक रूप से सभी परिष्कृत नर फिश टिलापिया की खेती, कोबिया की खेती, सी बास की खेती, अधिक स्वास्थ्य वर्धक टाइगर श्रिंप की खेती आदि के लिए वित्तीय सहायता।
- श्रिंप / स्कैंपी हैचरी, पॉलीमरेस चेन रिएक्शन (पीसीआर) नैदानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना, निस्सार शोधन प्रणाली (ईटीएस) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- एंटीबायोटिक्स के मिलने के कारण अस्वीकृतियों पर लगाम लगाने के लिए मपेडा फार्मा और हैचरी के पंजीकरण के माध्यम से मछलीपालन के संस्थान की अनुवेदनीयता पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। 1.35 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल को शामिल करते हुए कुल 49186 अक्वा फार्मा का पंजीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त 132 श्रिंप हैचरीज भी पंजीकृत की गई जिसमें से 101 हैचरीज पर जियोटैग लगाए गए हैं।
- कोटिपरक सीड का सुनिश्चय करने के लिए गुणवत्ता विश्लेषण के लिए उत्पादन यूनिटों से फीड के नमूने एकत्र करना तथा हैचरी की निगरानी करना। उभरने वाले रोगाणुओं के विश्लेषण के लिए एनएबीएल प्रत्यायित

केन्द्रीय मछलीपालन रोगहर प्रयोगशाला (सीएपीएल)।

- निर्यात संवर्धन के उपायों में शामिल हैं - दो वर्ष में एक बार अक्वा कल्चर और ओर्नामेंटल फिश क्षेत्र पर बल देते हुए अक्वा अक्वेरिया इंडिया नामक अंतर्राष्ट्रीय शो, विदेशी क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो का आयोजन करना, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में निर्यातकों के साथ व्यापक स्तर पर भाग लेना, व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए निर्यातकों के साथ शिफ्टमंडलों को नए बाजारों में ले जाना, व्यापार वार्ता, क्रेता - विक्रेता बैठक आदि।



- अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पाद का प्रचार करना मपेडा की शीर्ष प्राथमिकता है। निर्यातकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लेने के अलावा मपेडा नवीनतम सूचना का प्रसार करने के लिए देश भर के हितधारकों से संबंधित सीफूड उद्योग के समूचे दायरे को शामिल करते हुए एक मासिक पत्रिका 'मपेडा न्यूज लेटर' भी निकालता है। साप्ताहिक प्रकाशन 'प्राइम' के माध्यम से विभिन्न बाजारों में सीफूड की सभी मदों के लिए सांकेतिक कीमतों का प्रसार किया जाता है। ब्लैक टाइगर, एल. वन्नामेई जैसी कल्चर्ड श्रिंप की प्रजातियों की कीमतें मोबाइल से मिस्ड कॉल पर एसएमएस के माध्यम से आम जनता को बताई जाती हैं।
- समुद्री उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी एवं अवसररचना उन्नयन योजना (टीआईयूएसएमपी) के तहत प्रोसेसिंग अवसररचना, कोल्ड चेन विकास (सीसीडी), मछली पकड़ने वाले वेजल के बोर्ड पर इंसुलेटेड फिश बोर्ड लगाने, मछली पकड़ने वाले वेजन के बोर्ड पर रेडियो टेलीफोन लगाने आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- सक्षम प्राधिकारी होने के कारण मपेडा यूरोपीय संघ के बाजार को सीफूड के निर्यात के लिए कैच सर्टीफिकेट की वैधता जारी करता है, यूएसए को निर्यात के लिए डीएस 2031 प्रमाण पत्र जारी करता है तथा विभिन्न बाजारों को टूना तथा स्वाईड फिश के निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय अटलांटिक टूना संरक्षण आयोग (आईसीसीएटी) द्वारा जारी किए गए स्वाईड फिश सांख्यिकीय दस्तावेजों की वैधता जारी करता है।
- हितधारकों एवं प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, उदाहरण के लिए इनफोफिश, मलेशिया के साथ मिलकर मपेडा ने कोच्चि, विशाखापट्टनम और मुंबई में 'सीफूड की मूल्य अभिवृद्धि पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम' आयोजित किया है। इसके अलावा सीफूड एचएससीसीपी (बेसिक) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करता है तथा एचएससीसीपी अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करता है।
- कारोबार करने को सरल बनाने तथा भारतीय निर्यातों से जुड़ी अड़चनों को दूर करने के लिए मपेडा प्रमुख बाजारों में व्यापार से जुड़ी सेनेटरी और फाइटो सेनेटरी / तकनीकी बाधाओं की अधिसूचनाओं तथा पाटनरोधी शुल्कों पर नियमित इनपुट प्रदान करता है। विभिन्न व्यापार करारों के तहत उत्पाद विशिष्ट नियमों, टैरिफ की दरों में छूट तथा उत्पत्ति के नियमों पर भी इनपुट प्रदान किया जाता है। एमईआईएस के लाभों के लिए समुद्री एचएस लाइनों को शामिल करने हेतु विदेश व्यापार महानिदेशालय तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को सिफारिश करना। मपेडा आयात पर प्रतिबंध के मुद्दों तथा अन्य अड़चनों पर संबंधित देशों के अपने समकक्षों के साथ या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से कार्रवाई करता है, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय अनिवार्य विनिर्देशन विनियामक (एनआरसीएस), दक्षिण अफ्रीका द्वारा अस्वीकृतियों में हस्तक्षेप।

- राजीव गांधी मत्स्यपालन केन्द्र (आरजीसीए) विभिन्न प्रजाति विशिष्ट परियोजनाओं को लागू करके नवाचारी विधियों के माध्यम से मछलीपालन की नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास की अगुवाई करता है। आरजीसीए की विभिन्न परियोजनाओं के परिणामों में शामिल हैं - सी बास हैचरी परियोजना के तहत 20.03 लाख सीड की आपूर्ति, मैंग्रोव क्रेब हैचरी परियोजना के तहत 5.6 लाख सीड की आपूर्ति, मरीन फिनिश हैचरी परियोजना के तहत 2.3 लाख पंपानो सीड की आपूर्ति, अर्टेमिया परियोजना के तहत 300 किलो बायोमास तथा 65 किलो ड्राई अर्टेमिया सिस्ट की आपूर्ति, एल वन्नामेई बीएमसी परियोजना के तहत ब्रूड स्टॉक के 9130 पेयर की आपूर्ति, एक्वएफ के माध्यम से 1 लाख से अधिक ब्रूड स्टॉक तथा एल वन्नामेई के पीएलएस के 70000 स्टॉक का संगरोधन, कृषक मत्स्यपालन प्रदर्शन फार्म परियोजना को 1.28 लाख क्रेबलेट तथा 4720 सी बास फिंगलिंग्स की आपूर्ति तथा टिलापिया परियोजना के तहत 9.5 लाख सीड की आपूर्ति। इन परियोजनाओं के माध्यम से आरजीसीए ने 2015-16 में 1802 लाख रुपए राजस्व सृजित किया है, 2016-17 में 2166 लाख रुपए का राजस्व सृजित किया है, और 2017-18 में (25 नवंबर 2017 तक) 1245 लाख रुपए का राजस्व सृजित किया है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में टाइगर श्रिंप परियोजना के प्रदर्शन से जी 7 फेमिली के 22 फेमिली का सफल उत्पादन हुआ। आरजीसीए ने 17 प्रौद्योगिकी अंतरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया तथा आनुवंशिक प्रयोगशाला ने विभिन्न फिन फिश तथा शेल फिश के 27 पार्शियल जीन सिक्वेंस की पहचान की।
- राष्ट्रीय संपोषणीय मछलीपालन केन्द्र का नेटवर्क (एनएसीएसए) जो मपेडा द्वारा प्रमोट की गई सोसाइटी है, कल्चर फिशरी, गुणवत्ता उन्नयन, लघु स्तरीय श्रिंप उत्पादकों की क्षमता निर्माण, बेहतर प्रबंधन प्रथाओं, फसल आयोजना आदि के लिए विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों में सहायक की भूमिका निभाता है तथा संपोषणीय मछलीपालन को सहायता प्रदान करना जारी रखा है।
- मछली गुणवत्ता प्रबंधन एवं संपोषणीय फिशिंग नेटवर्क (नेटफिश) मपेडा के तत्वावधान में एक सोसाइटी है जो 2007 से भारत के सभी तटवर्ती राज्यों में चयनित बंदरगाहों तथा लैंडिंग केन्द्रों में तथा आसपास के क्षेत्रों में कारगर विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। नेटफिश मछुआरा सोसाइटियों, संघों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ नेटवर्किंग करके बुनियादी स्तर पर समुद्री फिशरी संसाधनों के परिरक्षण तथा मछली गुणवत्ता प्रबंधन में क्षमता निर्माण में सहायक है। नेटफिश द्वारा कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जैसे कि सफाई कार्यक्रम, जन संचार कार्यक्रम, स्कूली बच्चों के लिए कार्यक्रम, घर घर कार्यक्रम आदि। इस वित्त वर्ष के दौरान आजीविका में सुधार लाने वाले कार्यक्रमों के संचालन पर बल दिया जा रहा है जिसमें हाइजेनिक ड्राई फिश का उत्पादन, मूल्यवर्धित फिशरी उत्पादों का उत्पादन, स्क्वेयर मेश काड इंड को लोकप्रिय बनाना, जीपीएस हैंडलिंग, समुद्री सुरक्षा, व्यावसायिक छात्र प्रशिक्षण, टूना प्रोसेसिंग आदि शामिल हैं। नेटफिश द्वारा अप्रैल से अक्टूबर 2017 तक कुल मिलाकर 880 विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिससे लगभग 29500 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।
- यूरोपीय संघ / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कैप्टिव / स्वतंत्र पूर्व प्रसंस्करण केन्द्र निर्मित करने / जीर्णोद्धार करने तथा प्रसंस्करण केन्द्रों में लघु प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए प्रोसेसर को मदद करना। मपेडा यूरोपीय संघ द्वारा रैपिड एलर्ट नोटिफिकेशन, यूएस एफडीए द्वारा आयात अस्वीकृति, जापानी मानकों का उल्लंघन आदि पर समय से जांच की कार्रवाई करता है तथा प्रोसेसर को सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देता है ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। कोच्चि, भीमावरम और नेल्लोर में स्थित चार गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के माध्यम से मछलीपालन के उत्पादों के लिए राष्ट्रीय अवशिष्ट नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) को लागू करता है। वाणिज्यिक नमूनों की जांच के लिए भुवनेश्वर स्थित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में स्थापित 11 ईएलआईएसए प्रयोगशालाओं में नमूनों का विश्लेषण किया गया। कोच्चि स्थित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशिष्ट की निगरानी (एमपीआरएनएल) परियोजना की निगरानी भी कर रहा है तथा भारत के समुद्री राज्यों से अंतर्देशीय मछलियों एवं क्रस्टेशियन के नमूनों का विश्लेषण करता है।
- मपेडा का कामकाज ज्यादातर ई-प्लेटफार्म में परिवर्तित हो गया है तथा भुगतानों का संवितरण, आवेदनों के लिए पंजीकरण, शुल्क का भुगतान तथा विभिन्न प्रमाण पत्रों का निर्गम आनलाइन होता है। ई-ऑफिस को

सफलता के साथ कार्यान्वित किया गया है तथा वित्तीय लेखांकन, पेंशन, पेंशन, कार्मिक, जीपीएफ, स्टोर, इनवेंटरी आदि सहित सभी गतिविधियां कंप्यूटरीकृत हैं।

- शुरू की गई नई पहलों में शामिल हैं - टिलापिया के भंडारण के लिए आत्मानिर्भरता परियोजना स्थापित करना (मार्च 2017) जिसका उद्देश्य केरल के लिए अच्छा फिश फिंगरलिंग एवं श्रिंप सीड उपलब्धि कराना है।
- अक्टूबर 2017 में इसकी उपलब्धियों के इनाम स्वरूप भारतीडासन विश्वविद्यालय, त्रिचुरापल्ली, तमिलनाडु ने आरजीसीए को अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करने के लिए एक प्रत्यायित केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की।

व्यापार सुगमता संस्थाएं

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई आई एफ टी)

विदेश व्यापार एवं संबद्ध अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर बल के साथ 2 मई, 1963 को भारत सरकार द्वारा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई आई एफ टी) का गठन किया गया। 53 वर्षों में संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए अपने अकादमिक गतिविधियों के दायरे और आयाम का विस्तार किया है। आज, भारत में एवं विदेशों में भी इसके ज्ञान एवं संसाधन आधार, समृद्ध विरासत तथा पुराने विद्यार्थियों के मजबूत नेटवर्क के लिए संस्थान को बड़े पैमाने पर पहचान प्राप्त है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) द्वारा संस्थान को मई, 2002 में "सम विश्वविद्यालय" का दर्जा दिया गया जिससे यह डिग्री प्रदान करने और अपना स्वयं का डाक्टोरल कार्यक्रम शुरू करने में समर्थ हुआ।

राष्ट्रीय आकलन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने 2015 में 3.53 के समग्र सीजीपीए स्कोलर सहित सर्वोच्च ग्रेड 'ए' के साथ भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को प्रत्यायित किया। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ए ए सी एस बी प्रत्यायन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है तथा ए ए सी एस बी द्वारा आई एस ई आर को स्वीकार कर लिया गया है।

वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ इस संस्थान के घनिष्ठ एवं स्थायी संबंध हैं तथा इसने भारत में और विदेशों में भी अग्रणी औद्योगिक एवं व्यापारिक घरानों तथा शैक्षिक संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित किया है। इन संबंधों ने अनुसंधान एवं प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों का विस्तार करने तथा समग्र ढंग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने में संस्थान की मदद की है।

प्रबंधन बोर्ड संस्थान की प्रधान कार्यपालक संस्था है। प्रबंधन बोर्ड के 11 सदस्य हैं तथा संस्थान के निदेशक इसके मुखिया हैं।

सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार इस संस्थान के अध्यक्ष हैं। संस्थान का निदेशक संस्थान का प्रधान कार्यपालक है और संस्थान के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करता है।

शैक्षिक

संस्थान के पांच शैक्षिक प्रभाग हैं अर्थात् स्नातक अध्ययन प्रभाग (जीएसडी), अनुसंधान प्रभाग, प्रबंधन विकास कार्यक्रम प्रभाग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं क्षमता विकास प्रभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय परियोजना प्रभाग और इसके तीन केन्द्र हैं अर्थात् डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र, एमएसएमई अध्ययन केन्द्र और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी व्यापार केन्द्र (सीआईटीटी)। प्रत्येक प्रभाग एवं केन्द्र विशिष्ट क्षेत्र में दक्षता विकास की आवश्यकता को पूरा करता है तथा संस्थान के समग्र विकास में अपना योगदान देता है।

संस्थान अनेक कार्यक्रमों का संचालन करता है जिसमें शामिल हैं - दो वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय), दो वर्षीय एवं छमाही सप्ताहंत एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय) डिग्री कार्यक्रम, तीन कार्यपालक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम आदि। संस्थान के दो फ्लैगशिप कार्यक्रमों - दो वर्षीय एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय) डिग्री कार्यक्रम ने वर्ष के दौरान 350 सीटों के लिए आवेदन करने वाले 61967 से अधिक आवेदकों के साथ उत्साहवर्धक रिस्पांस प्राप्त किया। आईआईएफटी भारत में ऐसे कुछ प्रबंधन संस्थानों में से एक है जो अलग से तथा अकेले प्रवेश परीक्षा का संचालन करते हैं। अन्य कार्यक्रमों को भी कारपोरेट तथा सरकारी क्षेत्र दोनों में

हाथोंहाथ लिया गया है।

किसी व्यवसाय विद्यालय के लिए मुख्य बाजार परावर्तक उसका नियोजन है। तीन छात्रों के लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक की आकर्षक सर्वोच्च पैकेज के साथ वर्ष 2015-17 के 258 छात्रों के अब तक के सबसे बड़े बैच के लिए अंतिम नियोजन का आयोजन करके आईआईएफटी ने देश के एलीट व्यवसाय विद्यालयों में से एक के रूप में अपनी साख को सुदृढ़ किया है। अंतर्राष्ट्रीय नियोजन में 6 छात्रों को 75 लाख रुपए प्रतिवर्ष (एलपीए) से अधिक का पैकेज प्राप्त हुआ है। बैच के छात्रों की संख्या में वृद्धि के बावजूद 26 लाख रुपए के एलपीए के सर्वाधिक घरेलू सीटीसी के साथ 18.41 लाख रुपए के एलपीए के साथ औसत पैकेज में वृद्धि की रुझान भी बनी हुई है। स्थानीय तथा वैश्विक परिदृश्य में ब्लैक स्वान की घटनाओं की चुनौतियों के बावजूद प्लेसमेंट के लिए 94 कंपनियों ने आईआईएफटी के कैंपस का दौरा किया। समर इंटरशिप तथा कारपोरेट कंपटीशन से प्लेसमेंट पूर्व ऑफर में भी वृद्धि की रुझान थी तथा पिछले साल 64 की तुलना में आईआईएफटी के छात्रों को 74 पीपीओ का प्रस्ताव दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट आईआईएफटी की हमेशा से स्ट्रेंथ रही है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा 20 अंतर्राष्ट्रीय ऑफर के साथ आईआईएफटी ने अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट में 33 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अपनी स्ट्रेंथ को साबित किया है।

आईआईएफटी 2016-18 के बैच के 288 छात्रों के अब तक के सबसे बड़े बैच के लिए सबसे तेजी से समर प्लेसमेंट पूरा करने वाला व्यवसाय स्कूल था। 33 नए रिक्रूट ने छात्रों को प्रस्ताव दिया। पिछले साल के 1.10 लाख रुपए की तुलना में औसत स्टाइपेंड 1.24 लाख रुपए था। बैच के 69 प्रतिशत छात्रों को छः अंकों में स्टाइपेंड की पेशकश की गई। टाटा ग्रुप (टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाइटन, टाटा इंटरनेशनल एवं टी सी एस) द्वारा कुल 16 प्रस्ताव दिए गए। 14 अंतर्राष्ट्रीय भूमिकाओं की पेशकश की गई। ओईसीडी (पेरिस) और डब्ल्यूटीओ (जेनेवा) ने केवल आईआईएफटी के छात्रों को हायर करना जारी रखा। गोल्डमैन सच्स, जी एस के सी एच, सन फार्मा आदि जैसे अग्रणी ब्रांडों ने छात्रों के लिए नई भूमिकाओं की पेशकश की है जैसे कि खजाना, कारपोरेट वित्त, व्यवसाय रणनीति। एचयूएल, आईटीसी, गोल्डमैन, सच्स, जेपी मॉर्गन, नेस्ले, गोदरेज, कोलगेट पामोलिव, मैरिको, शेल, डाबर, बेन, डिलोइट, जे एण्ड जे फार्मा, गूगल, अमेजोन, सिटीबैंक, एक्सिस बैंक तथा ऐसे ही कुछ और शीर्ष ब्रांडों ने आईआईएफटी के छात्रों की भर्ती की है।

आईआईएफटी के छात्रों ने 39 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर संस्थान का नाम रोशन किया है। प्रबंधन के छात्रों की प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने के लिए अग्रणी संगठनों तथा प्रमुख व्यवसाय विद्यालयों द्वारा केस स्टडी कौशल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आईआईएफटी के छात्रों द्वारा जीते गए ऐसे कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कार इस प्रकार हैं - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित आरबीआई नीति चुनौती, सीएफए द्वारा आयोजित सीएफए अनुसंधान चुनौती, महिंद्रा ग्रुप द्वारा आयोजित महिंद्रा वार रूम, एचयूएल द्वारा आयोजित कार्प डियम, लौरियल द्वारा आयोजित लौरियल ब्रैंडस्टार्म, यस बैंक द्वारा आयोजित एस बैंक ट्रांसफार्मेशन सीरीज, आईआईएम बंगलौर द्वारा आयोजित ऑप्टिमस, एक्सएलआरआई द्वारा आयोजित फिनालॉग, आईआईटी कानपुर द्वारा आयोजित बिजक्रीटी आदि।

अनुसंधान

आईआईएफटी के अनुसंधान प्रभाग समय समय पर समकालीन विषयों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता है। संस्थान ने राज्य सरकारों तथा कारपोरेट क्षेत्र के लिए 2016-17 के दौरान 5 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की थी।

संस्थान ने अपने कोलकाता परिसर में दिसंबर 2016 के दौरान 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त में अनुभवजन्य मुद्दे (ईआईआईटीएफ)' पर अपने पांचवें अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया। शैक्षिक संस्थाओं तथा नीति अनुसंधान समुदाय से सम्मेलन को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला तथा भारत तथा विदेशों से विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के विद्वानों द्वारा कुल 101 पेपर प्रस्तुत किए गए।

पीएचडी कार्यक्रम

संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले पीएचडी कार्यक्रम की बहुत प्रतिष्ठा है। लिखित परीक्षा तथा वाइवा सह साक्षात्कार के आधार पर 2016 में पीएचडी

कार्यक्रम के लिए 15 उम्मीदवारों का पंजीकरण किया गया है। 28 जुलाई 2017 को आयोजित 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में 9 छात्रों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। आज तक आईआईएफटी द्वारा पीएचडी की 29 डिग्री प्रदान की गई है।

प्रबंध विकास कार्यक्रम (एमडीपी) - संस्थान वित्त, निर्यात एवं व्यापार प्रचालन, रणनीति प्रबंधन, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं साफ्टवेयर प्रबंधन, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर), ई-गवर्नेंस, विशेष आर्थिक क्षेत्रों का प्रबंधन, डालर - रुपए का मूल्यन आदि जैसे क्षेत्रों में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। आईआईएफटी आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस तथा आईटीएस अधिकारियों के लिए भी कार्यक्रम संचालित करता है। इसके अलावा एमडीपी प्रभाग ने व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी) योजना के तहत आईटीआई के प्रधानाचार्यों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया है। 2016-17 के दौरान आईआईएफटी द्वारा निर्यात - आयात व्यवसाय पर 9 आनलाइन कार्यक्रम संचालित किए गए तथा निर्यात बंधु योजना के तहत पूरे देश में 353 निर्यातकों एवं उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आईआईएफटी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा कारपोरेट से सरकारी अधिकारियों, कार्यपालकों के लिए 9 मुक्त कार्यक्रम, 21 प्रायोजित कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। इसके अलावा संस्थान ने लंबी अवधि के तीन आनलाइन कार्यक्रम भी संचालित किए हैं : (प) एनआईआईटी के साथ एक वर्षीय ईपीजीडीआईबीएस (आनलाइन) (प) ह्यूघेस के साथ एक वर्षीय ईपीजीडीआईबी-वीएसएटी (आनलाइन), (पप) प्रतिभा छोर के साथ एक वर्षीय पीजीसीपीबीएम (दूसरा बैच), (पअ) चार माह का सीपीईआईएम (आईआईएफटी के अपने आनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ)। संस्थान द्वारा संचालित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों से कुल 1246 प्रतिभागियों को लाभ हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं क्षमता विकास (आईसीसीडी) प्रभाग संयुक्त प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रमों को संभव बनाने के लिए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों / संस्थाओं के साथ शैक्षिक संबंध स्थापित करके संस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में, आई आई एफ टी ने विश्वभर में 24 विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ सहयोग किया है। इन विश्वविद्यालयों / संस्थानों में से 13 यूरोप में, 5 एशिया में और 6 विश्व के अन्य भागों में हैं। छात्र एवं संकाय विनिमय इन संस्थाओं के साथ शैक्षिक सहयोग का एक अभिन्न अंग है।

छात्र विनिमय कार्यक्रम के तहत शैक्षिक वर्ष जुलाई 2016 से मार्च 2017 के दौरान फ्रांस, स्पेन, इटली के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं से 18 छात्र आईआईएफटी आए। छात्र विनिमय कार्यक्रम के तहत दिल्ली कैंपस में 22 छात्रों तथा कोलकाता कैंपस से 14 छात्रों ने जनवरी से मार्च 2017 के दौरान फ्रांस फिनलैंड, जर्मनी, स्पेन, वार्सिलोना के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का दौरा किया।

प्रतिष्ठित घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त करके संस्थान ने शैक्षिक सहयोग को और सुदृढ़ किया। विभिन्न देशों के विदेशी शिष्टमंडलों, शिक्षाविदों तथा नीति निर्माताओं के लिए प्रभाग अंतःक्रियात्मक सूचना सत्रों का आयोजन करता है, जो संस्थान आते हैं तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सम्मेलनों में संकाय की भागीदारी को सुगम भी बनाता है।

2016-17 में हस्ताक्षर किया गया नया एमओयू

संस्थान ने छात्रों / संकाय सदस्यों के आदान प्रदान तथा अन्य शैक्षिक गतिविधियों के लिए 27 अक्टूबर 2016 को फ्लोरिडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, यू एस ए के साथ एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किया है।

अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से आगंतुक

- आईआईएफटी ने अतिथि व्याख्यान के लिए 3 मार्च 2017 को रुटगर्स व्यवसाय विश्वविद्यालय, यूएसए से प्रोफेसर फरोक जे कट्टेक्टर को आमंत्रित किया।
- भारत के सामाजिक - सांस्कृतिक - आर्थिक कारकों को समझने के उद्देश्य से ब्राडले विश्वविद्यालय, यूएसए से एक 15 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 6 अक्टूबर 2017 को आईआईएफटी का दौरा किया। डॉ. राजेश अय्यर, एसोसिएट प्रोफेसर टीम लीडर थे।

संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय परियोजना प्रभाग अल्प अवधि एवं दीर्घ अवधि के कार्यक्रमों जैसे कि अफ्रीका में क्षमता निर्माण कार्यक्रम तथा दारेस्लम,

तंजानिया में एमबीए (आईबी) के माध्यम से विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं में क्षमता का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही संकेन्द्रित अनुसंधान के माध्यम से प्रभाग विकासशील देशों के साथ भारत के व्यापार एवं निवेश के अवसरों का विश्लेषण करता है। यह प्रभाग भारत का विदेश व्यापार बढ़ाने पर विभिन्न व्यापार निकायों के साथ भी निकटता से काम करता है।

वर्ष 2009 से संस्थान 2015-16 के दौरान अफ्रीका के 33 देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय पर 36 कार्यपालक विकास कार्यक्रमों का सफल संचालन किया है। 12 छात्रों के पंजीकरण के साथ आईएफएम, तंजानिया में 10 जुलाई 2017 को एमबीए (आईबी) के बैच 2017-18 का उद्घाटन किया गया।

आईआईएफटी ने 24 अप्रैल 2017 को आईआईएफटी, नई दिल्ली में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम (सीएलएमवी) देशों के प्रतिनिधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीडीआईटी) की शुरुआत की। म्यांमार से 18, वियतनाम से 15, लाओस से 9 तथा कंबोडिया से 2 प्रतिभागी हैं।

आईआईएफटी ने 'इजराइल मुक्त व्यापार करार तथा माल क्षेत्र में भारत के लिए वार्ता के बिंदु' पर अध्ययन रिपोर्ट तैयार किया और सितंबर 2017 में वाणिज्य विभाग को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

विदेश मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में अफ्रीकी देशों में क्षमता निर्माण के 40 कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आईआईएफटी को 20 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की है। निम्नलिखित 2 ईडीपी का आयोजन किया गया :

क्र. सं.	देश का नाम	ईडीपी की तिथि	साझेदार संगठन
1	लुआंडा, अंगोला	19-22 सितंबर, 2017	अजेनिका पैरा ए प्रोमोकाओ डू इनवेस्टीमेंटो एक्सपोर्टेकोस डी अंगोला (एफियेक्स)
2	कैरो, मिस्र	1 से 5 अक्टूबर, 2017	विदेश व्यापार प्रशिक्षण केन्द्र (एफटीटीसी)

पुस्तकालय

विदेश व्यापार पुस्तकालय अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय एवं आर्थिक परिवेश पर एक ज्ञान बैंक एवं संसाधन केन्द्र है तथा यह अपने पाठकों के लिए उनके संदर्भ के लिए ई-फार्म के रूप में और मुद्रित रूप में भी सुगम्य है। इसने विशिष्ट प्रकाशनों, रिपोर्टों, डाटाबेस, ई-जर्नल, प्रिंट जर्नल, लेख आदि के अपने संग्रह में वृद्धि करने का प्रयास जारी रखा तथा अपने आपको नियमित रूप से अपडेट करता है। डब्ल्यूटीओ संसाधन केन्द्र अनन्य रूप से विश्व व्यापार संगठन तथा संबंधित मुद्दों पर समृद्ध सूचना प्रदान करता है। इसके अलावा, पुस्तकालय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, आईटीसी / अंकटाड / विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, भारत सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों, निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों तथा अन्य व्यापार संवर्धनों से प्रकाशन के माध्यम से अपने आपको निरंतर समृद्ध करता है।

पुस्तकालय ई-ब्रेरी नामक अपने वर्चुअल संसाधनों के साथ समृद्ध है जो 24 घंटे सुगम्य है। ये संसाधन लाइसेंसी डाटाबेसों जैसे कि एप्सको, प्रोक्वेस्ट, एमिराल्ड, ब्लैकवेल, सीएमआईई, जसटोर, आईएसआई इमर्जिंग मार्केट, इंडिया स्टैट, वर्ल्ड ट्रेड आनलाइन, आईएमएफ डाटाबेस, ओईसीडी आनलाइन, वर्ल्ड ट्रेड एटलस, साइंस डायरेक्ट तथा अनेक अन्य डाटाबेस के माध्यम से उपलब्ध हैं। नवीनतम घटना इंटरनेट पर वेब ओपीसीसी जिसमें पाठक ई-बुक्स, लेख अक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं।

प्रकाशन

विभिन्न ब्रोशर, प्रास्पेक्टस एवं फोल्डर के अलावा संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यवसाय, विश्व व्यापार संगठन, सामान्य प्रबंधन, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी तथा व्यापार आदि से संबंधित महत्वपूर्ण एवं समकालीन मुद्दों पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए निम्नलिखित तिमाही पत्रिकाओं / पेपर सीरीज / ई-न्यूज लेटर का प्रकाशन जारी रखा:

- फारेन ट्रेड रिव्यू
- फोकस डब्ल्यूटीओ

3. वर्किंग पेपर सीरीज
4. टेक-एन-ट्रेड-ई-न्यूजलेटर

वर्ष के दौरान आईआईएफटी के संकाय सदस्यों के विभिन्न लेख अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपे। इसके अलावा संकाय सदस्यों ने पुस्तकों में अध्यायों तथा समाचार पत्रों में लेखों का योगदान करने के अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भी भाग लिया।

कंप्यूटर केन्द्र

संस्थान में एक सुसज्जित कंप्यूटर केन्द्र है जो केवल छात्रों के लिए उनके प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की गतिविधियों के लिए है। कंप्यूटर केन्द्र छात्रों के लिए 24 घंटे खुला रहता है तथा यहां सभी आईटी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस केन्द्र में संकाय सदस्यों द्वारा आकलन की आनलाइन गतिविधियों के संचालन का भी प्रावधान है। डेस्कटॉप अल्पीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट लिंक कम्प्युनिकेशन, ओरेकल, वीबी, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, जावा, एसपीएसएस, ई-व्यू, एसएस आदि के साथ पूर्णतया सपोर्टेड हैं। सीएमआईई से इंडिया ट्रेड एण्ड प्रोवेस डाटाबेस भी संस्थान के नेटवर्क पर उपलब्ध हैं। इंटरनेट की अपनी आवश्यकताओं के लिए आईआईएफटी लोड बैलेंसिंग मोड पर दो अलग आईएसपी से 125 एमबीपीएस की लीज्ड लाइन प्राप्त करता है। आंतरिक बैठकों आदि के लिए आईआईएफटी दिल्ली एवं कोलकाता को कनेक्ट करने के अलावा आईआईएफटी प्लेसमेंट, प्रशिक्षण, अनुसंधान आदि की गतिविधियों के लिए भी वीडियो कान्फ्रेंस की सुविधा का प्रयोग करता है। शिक्षण कक्षों को एलसीडी प्रोजेक्टर एवं पीसी से पर्याप्त रूप से लैस किया गया है।

आई आई एफ टी के केन्द्र

1. **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रौद्योगिकी केन्द्र:** संस्थान में सी आई टी टी प्रौद्योगिकी व्यापार में भारत की क्षमता को साकार करने तथा इनमें से कुछ संस्थानिक जटिलताओं का समाधान करने के उद्देश्य से प्रचालन करता है। केन्द्र एफ डी आई तथा प्रौद्योगिकी अंतरण, प्रौद्योगिकी वित्त पोषण तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में शोध परियोजनाएं संचालित करता है।
2. **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम एस एम ई) केन्द्र:** अध्ययनों का उद्देश्य ऐसी गतिविधियां संचालित करके एम एस एम ई क्षेत्र को निरंतर सहायता प्रदान करना है जिनको मोटे तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन, व्यापक सूचना केन्द्र के माध्यम से व्यवसाय आसूचना सेवाएं प्रदान करना तथा देश के अंदर और बाहर भी अन्य संबंधित एवं संबद्ध संस्थाओं और संगठनों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरक के रूप में काम करना आदि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन, व्यापार प्रचालन तथा संभार तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुद्दे, प्रलेखन तथा व्यापार सुगमता के उपाय, प्रवेश स्तरीय रणनीतियां आदि।
3. **विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केन्द्र:** डब्ल्यू टी ओ अध्ययन केन्द्र द्वारा शुरू की गई गतिविधियों का उद्देश्य तीन विस्तृत उद्देश्यों को प्राप्त करना है : (प) भारत के व्यापार वार्ताकारों और नीति निर्माताओं को विश्व व्यापार संगठन और संबंधित बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में प्रभावी रूप से भाग लेने में सहायता करना; (पप) आउटरीच और प्रसार गतिविधियों के माध्यम से पणधारकों के बीच प्रमुख व्यापार के मुद्दों की समझ को बढ़ाना; और (पपप) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व व्यापार संगठन और अन्य व्यापार संबंधी मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए भारत के भीतर और अन्य विकासशील देशों में क्षमता निर्माण करना।

आई आई एफ टी कैम्पस कोलकाता

आईआईएफटी ने किराए के भवन में 2006 में अपना कोलकाता कैम्पस शुरू किया। वाणिज्य विभाग, भारत सरकार से वित्तीय सहायता से कोलकाता में नए कैम्पस का निर्माण किया गया है तथा शैक्षिक सत्र 2015-16 नए कैम्पस से शुरू हुआ है। दो वर्ष की एम बी ए पूर्णकालिक एवं छमाही सप्ताहांत कार्यक्रमों के अलावा कोलकाता कैम्पस विभिन्न कार्यपालक कार्यक्रमों की पेशकश करता है तथा शोध परियोजनाएं अपने हाथ में लेता है।

कोलकाता कैम्पस का पुस्तकालय परंपरागत प्रकार के संसाधनों तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं वर्चुअल सूचना के साथ क्रमिक रूप से बढ़ रहा है। इसमें प्रबंधन तथा इससे जुड़े आयामों के क्षेत्र में 3500 से अधिक पुस्तकें एवं सीडी तथा 70 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रिंटेड जर्नल शामिल हैं। आनलाइन पब्लिक अक्सेस कैटलॉग तथा बारकोडेड सर्कुलेशन सिस्टम की

सुविधा के साथ संग्रह पूरी तरह स्वचालित है।

आईआईएफटी कोलकाता की कंप्यूटर लैब छात्रों के अक्सेस के लिए कंप्यूटरों से अच्छी तरह लैस है। कैम्पस में छात्रों के लिए वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। लिबसिस, प्रोवेस, इंडिया ट्रेड आदि जैसी सेवाएं स्थानीय स्तर पर प्रदान की जाती हैं जबकि अन्य वेब सेवाओं को आईआईएफटी कोलकाता में एनएलडी लाइन पर सुगम बनाया जा रहा है।

भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आई आई पी)

भारतीय पैकेजिंग संस्थान पैकेजिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना प्रमुख पैकेजिंग एवं संबद्ध उद्योगों और वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में 14 मई, 1966 को की गई। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य नवाचारी पैकेज डिजाइन एवं विकास के रूप में निर्यात को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय स्तर पर पैकेजिंग के मानकों का उन्नयन करना भी है। संस्थान का प्रधान कार्यालय मुंबई में है और इसकी शाखाएं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद और अहमदाबाद में स्थित हैं। संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि विश्व पैकेजिंग संगठन (डब्ल्यू पी ओ) और एशियाई पैकेजिंग परिसंघ (ए पी एफ) के साथ उत्कृष्ट संबंध स्थापित किए हैं।

संस्थान का मुख्य कार्य पैकेजिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं शिक्षा तथा अनुसंधान एवं विकास है। शैक्षिक गतिविधियों के तहत संस्थान विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्यक्रम संचालित कर रहा है। आज तक 10000 से अधिक कार्मिकों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पैकेजिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया गया है। पिछले 33 सालों से संस्था द्वारा दो वर्षीय पी जी डी पी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। 3500 से अधिक छात्रों ने अर्हता प्राप्त की है तथा अग्रणी एफएमसीजी कंपनियों ने भारत में और विदेशों में भी काम कर रहे हैं। संस्थान की प्रयोगशालाएं आईएसओ / आईसी 17025:2005 तथा भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार एनएबीएल द्वारा अनुमोदित भी हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की एस आई आर ओ स्कीम के तहत प्रयोगशालाओं को मान्यता प्राप्त है।

अनुसंधान एवं विकास के तहत संस्थान के तीन प्रकोष्ठ हैं अर्थात् पैकेजिंग सामग्रियों तथा पैकेजों का परीक्षण एवं प्रमाणन, परामर्श एवं परियोजनाएं तथा परीक्षण के तहत अनुसंधान एवं विकास, मुंबई स्थित इसके प्रधान कार्यालय में संस्थान के पास अच्छी तरह सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं तथा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद एवं अहमदाबाद स्थित शाखाओं में भी प्रयोगशालाएं हैं।

संस्थान के शासी निकाय में कुल 33 सदस्य हैं जिसमें से 21 सदस्य पैकेजिंग सामग्री, पैकेजिंग मशीनरी तथा प्रयोक्ता उद्योगों के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा शेष 12 सदस्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा वस्तु बोर्डों द्वारा नामित किए जाते हैं। निदेशक संस्थान के मुखिया तथा प्रधान कार्यपालक अधिकारी हैं जो संगठन के समग्र प्रभारी हैं।

निर्यात संवर्धन के उपाय

संस्थान निर्यात के लिए हानिकार माल के लिए पैकेजों की गुणवत्ता के लिए जांच रिपोर्टें जारी करने तथा यूएन प्रमाण पत्र भी जारी करने के रूप में निर्यातकों के लिए सुगमता प्रदाता के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा संस्थान वस्तुओं के निर्यात के लिए पैकेजिंग सामग्रियों एवं पैकेजों के तकनीकी विनिर्देशनों का निर्माण करके वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने में भी शामिल है। इसके अलावा संस्थान एमएसएमई क्षेत्र के लिए पूरे देश में “निर्यात के लिए पैकेजिंग” पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का भी आयोजन करता है जिनको एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। इसी तरह संस्थान “हथकरघा की वस्तुओं के निर्यात के लिए पैकेजिंग” पर विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है जो हथकरघा एवं हस्तशिल्प निदेशालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विधिवत रूप से प्रायोजित होते हैं।

पैकेजिंग के विकास के लिए नई पहलें

हाल के दिनों में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने संस्थान के कामकाज की समीक्षा की है तथा अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में संस्थान की उपलब्धता विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए 21 निर्यात संवर्धन परिषदों,

7 वस्तु बोर्डों तथा 7 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ एक स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी) का भी गठन किया है। संस्थान को तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् निर्यात योग्य वस्तुओं के लिए पैकेजिंग के मानकों का निर्माण करके निर्यात संवर्धन, पैकेजिंग प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन में बीटेक एवं एमटेक कार्यक्रम शुरू करके पैकेजिंग शिक्षा के उन्नयन में अपनी गतिविधियों पर बल देने की सलाह दी गई है। स्थायी सलाहकार समिति ने भी संस्थान को अगले 10 वर्षों की अवधि में 500 निर्यात योग्य वस्तुओं अर्थात् हर साल 50 उत्पादों के लिए पैकेजिंग के मानक तैयार करने की सलाह दी है।

अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं तथा विकलांग व्यक्तियों का कल्याण संस्थान में महिला कर्मचारियों की संख्या 18 है, जबकि पुरुष कर्मचारियों की संख्या 65 है। संस्थान ने विभिन्न रिक्त पदों के लिए अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के लिए अन्य भर्ती अभियान संचालित किया है। संस्था अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए पैकेजिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीपी) में दाखिले के लिए आरक्षण नीति का भी पालन करता है।

राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एन सी टी आई)

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत कंपनी के रूप में 31 मार्च 1995 को राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एन सी टी आई) का निगमन हुआ। कंपनी ने मार्च 1991 से काम करना शुरू किया। अपने कार्यों के प्रशासन के लिए इसका एक निदेशक मंडल है, जिसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी), भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई आई एफ टी), तथा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के प्रतिनिधि शामिल हैं। अन्य प्रतिनिधि भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ) तथा अन्य निर्यात संवर्धन परिषदों / शीर्ष निकायों से हैं। आईटीपीओ तथा एन आई सी कंपनी के सह प्रवर्तक हैं तथा कंपनी के इक्विटी अंशदान में कार्पस फंड के रूप में 4 करोड़ रूपए (2 करोड़ रूपए प्रत्येक) की राशि का योगदान दिया है।

शुरुआत के समय से संचालित की गई प्रमुख गतिविधियां:

- व्यापार डाटा आधारित अनुसंधान और विश्लेषण -2/4/6/8/ अंकों का एच एस वर्गीकरण
- भारत/ लक्ष्य देश
- 9/10 अंक स्तर
- फोकस बाजार: फोकस उत्पाद - निर्यात संभावना अध्ययन
- भारत के विभिन्न पी टी ए/ एफ टी ए (मौजूदा और भावी) के तहत इच्छा सूचियों / प्रस्ताव सूचियों का चित्रण/ मूल्यांकन वाणिज्य विभाग को व्यापार डाटा विश्लेषण में सहायता
- भारत - आसियान एफ टी ए
- पूर्वी एवं मध्य यूरोप के देशों को निर्यात की उच्च संभावना वाली टैरिफ लाइनों की पहचान करना।
- भारत - कनाडा मुक्त व्यापार करार - भारत की इच्छा सूची के लिए संभावित मदों की पहचान तथा व्यापार डाटा का विश्लेषण आईटीपीओ को वेब एवं डाटा बेस सहायता विभिन्न मेलों के लिए आनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम का विकास
- वर्चुअल ट्रेड पोर्टल का विकास एवं अनुरक्षण
- आई टी पी ओ की आर टी आई वेबसाइट, सभी मेला विशिष्ट वेबसाइट कारपोरेट का विकास
- आई टी पी ओ के लिए सेक्टर विशिष्ट डाटा बेस तथा प्रतिभागी फीडबैक सर्वेक्षण का सृजन
- आई टी पी ओ द्वारा आयोजित विभिन्न मेलों के लिए सेक्टर विशिष्ट डाटा बेस तथा प्रतिभागी फीडबैक सर्वेक्षण का संकलन एवं संग्रहण।
- प्रमोटरों ने अब वर्ष 2017-18 में संगठन को बंद करने का निर्णय लिया है।

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफ डी डी आई)

फुटवियर तथा संबद्ध उत्पाद उद्योगों के विकास एवं संवर्धन के लिए वर्ष 19986 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) की स्थापना की गई।

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान एक अग्रणी संस्थान है जो फुटवियर, लेदर एवं संबद्ध उद्योग में 'वन स्टॉप समाधान प्रदाता' के रूप में

काम कर रहा है। 1986 में अपनी शुरुआत के समय से फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान फुटवियर, लेदर, फैशन, रिटेल एवं प्रबंधन के क्षेत्रों में कौशल अंतराल को पाटकर भारतीय उद्योग को सुगमता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान अपनी विशिष्ट पाठ्यचर्या के साथ कुशल जनशक्ति, अधुनातन प्रयोगशालाओं, विश्व स्तरीय अवसरचना तथा अनुभवी संकाय की मांग को पूरा करके इस्तेमाल न की गई प्रतिभा एवं उद्योग तथा इसके वैश्विक समकक्षों के बीच कड़ी के रूप में काम कर रहा है।

संस्थान जिसे फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान अधिनियम 2017 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा प्राप्त है, देश के विभिन्न भागों में अच्छी तरह डिजाइन किए गए कैपसों के साथ नोएडा, फुर्सतगंज, चेन्नई, कोलकाता, रोहतक, छिंदवाड़ा, गुना, जोधपुर, अंकलेश्वोर, बनूर, पटना और हैदराबाद में स्थित है तथा उद्योग को प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध करा रहा है।

वैश्विक स्तर पर संस्थान बहुत विख्यात है तथा निम्नलिखित दीर्घावधिक कार्यक्रमों का संचालन करता है:

क्र. सं.	स्नातक डिग्री कार्यक्रम (अवधि - 4 वर्ष)	मास्टर डिग्री कार्यक्रम (अवधि - 2 वर्ष)
1	फुटवियर डिजाइन एवं उत्पादन	फुटवियर डिजाइन एवं उत्पादन
2	रिटेल एवं फैशन मार्केटाइजिंग	रिटेल एवं फैशन मार्केटाइजिंग
3	लेदर गुड्स एवं असेसरीज डिजाइन	क्रिएटिव डिजाइन कैड / कैम
4	फैशन डिजाइन	

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान, नोएडा के पास प्रतिष्ठित प्रमाणन जैसे कि आईएसओ 9001, आईएसओ 14000 तथा आईएसओ 17025 (अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण केन्द्र के लिए) और साट्रा - यूके जैसे अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रत्यायन है। इसके अलावा संस्थान ने समय समय पर शीर्ष प्रबंधन एवं फैशन डिजाइन संस्थाओं जैसे कि एल डी टी नागोल्ड, जर्मनी, ए आर एस सुतोरिया, इटली, थामस बाटा विश्वविद्यालय (टी बी यू), चेक गणराज्य एवं नार्थम्पटन विश्वविद्यालय, यूके के साथ शैक्षिक गठबंधन किया है, जिससे कैपस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण का सुनिश्चय होता है तथा यह छात्र / संकाय विनिमय कार्यक्रम की संभावना प्रदान करता है ताकि भूमंडलीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए वे सुसज्जित हो सकें।

कार्यस्थल के गतिशील परिवेश, अनोखी एवं नवाचारी अंतर्वस्तु एवं प्रदायगी तंत्र तथा उद्योग / शैक्षिक संस्थाओं में विश्व व्यापी स्तर पर उच्च स्वीकृति के लिए अपनी प्रासंगिकता के कारण प्रशिक्षण एवं परामर्श के क्षेत्र में संस्थान को उल्लेखनीय वैश्विक पहचान मिली हुई है। इसने राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर दिया है तथा बंगलादेश, श्रीलंका जैसे एशियाई देशों तथा इथोपिया, बोत्सवाना, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका आदि जैसे अनेक अफ्रीकी देशों में प्रशिक्षण एवं परामर्श के क्षेत्र में अपने लिए एक आला स्थान का सृजन किया है।

संस्थान का प्रमुख बहुराष्ट्रीय एवं भारतीय कंपनियों में अपने सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लगभग 100 प्रतिशत प्लेसमेंट का अचूक रिकार्ड है। फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान के पुराने छात्रों में कुछ विख्यात कंपनियों के उपाध्यक्ष एवं सी ई ओ शामिल हैं। फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान के छात्र पूरी दुनिया में यू एस ए, यू के, जर्मनी, हांगकांग, मिश्र, चीन, सिंगापुर, यू के, मध्य पूर्व, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया आदि जैसे देशों में नियोजित हैं।

वर्ष के दौरान शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम / इवेंट:

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया गया है। फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान विधेयक जुलाई 2017 में संसद द्वारा पारित किया गया। 5 अक्टूबर 2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान अधिनियम 2017 के प्रावधान 16 अक्टूबर 2017 से प्रभावी हुए हैं। इससे फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं की सूची में शामिल हो गया है।

छात्रों का प्लेसमेंट:

2016-17 बैच के प्लेसमेंट में फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान से प्रतिभागों को चुनने के लिए आपस में होड़ करते हुए असंख्य मल्टी नेशनल तथा कारपोरेट दिखे। मार्च 2017 से नोएडा कैम्पस में प्लेसमेंट के लिए एक केन्द्रीकृत अभियान चलाया गया।

बाटा, स्केचर्स, रिलायंस ब्रांड्स, लैंडमार्क, मदुरा आदित्य बिड़ला, अरमानी, जेनेसिस लज्जरी ग्रुप, एवीटी, वीकेसी, सुपरहाउस, फ्यूचर ग्रुप, पिडिलाइट, खादिस, रिलायंस फुटप्रिंट्स, अरविंद ब्रांड्स, नाइक आदि जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां इस साल भर्ती करने वाली प्रमुख कंपनियां थीं।

नियोजन संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान ने नियोजन संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम (पीएलएसडीपी) के तहत जनवरी 2009 से मार्च 2017 तक आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के 5.35 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का रिकार्ड स्थापित किया है। इन प्रशिक्षणार्थियों में से 4,30,928 (80.50 प्रतिशत) प्रशिक्षणार्थियों को पहली बार विभिन्न फुटवियर कंपनियों में नियोजित भी किया गया है।

अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान ने 1,45,164 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया है और उनमें से 1,16,772 प्रशिक्षणार्थियों को आगरा, चंडीगढ़, दिल्ली / एनसीआर, कानपुर, कोलकाता तथा रानीपेट स्थित मुख्य ओटीसी सहित देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने प्रशिक्षण केन्द्रों / उप केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न फुटवियर कंपनियों में नियोजित किया गया है।

एकीकृत चमड़ा क्षेत्र विकास (आई डी एल एस) उप स्कीम:

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी आई पी पी), भारत सरकार की एकीकृत चमड़ा क्षेत्र विकास (आई डी एल एस) स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान, नोएडा में एक परियोजना कार्यान्वयन यूनिट (पी आई यू) स्थापित की गई है।

एफ डी डी आई, योजना के प्रारंभ होने के बाद से आई डी एल एस के तहत चमड़े की वस्तुओं और वस्त्रों, काठी, चमड़े के फुटवियर और फुटवियर घटक इकाइयों के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान को आई डी एल एस स्कीम के तहत संस्वीकृत अनुदान को वितरित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान ने 1 अप्रैल 2012 से विभिन्न राज्यों में विभिन्न यूनिटों से 769 आवेदनों को प्रोसेस किया है। आईडीएलएस योजना के तहत इन यूनिटों से कुल निवेश लगभग 870.56 करोड़ रुपए है तथा अनुदान की पात्र राशि लगभग 207.65 करोड़ रुपए है। इन 769 आवेदनों में से 507 आवेदनों को अनुमोदित किया गया। सवितरण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान ने 2014 से पूरे देश में 310 यूनिटों को आईडीएलएस अनुदान का सवितरण किया है।

भारतीय हीरा संस्थान (आई डी आई)

हीरा, रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने पर बल के साथ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत तथा बाम्बे सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1950 के तहत भी 1978 में भारतीय हीरा संस्थान (आई डी आई) स्थापित किया गया। आई डी आई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है तथा यह रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की एक परियोजना है। आई डी आई हीरा विनिर्माण, हीरा ग्रेडिंग, आभूषण डिजाइनिंग एवं आभूषण निर्माण के क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा स्तरीय कार्यक्रमों का संचालन करता है, इस प्रकार जेमोलोजी एक छत के नीचे रत्न एवं आभूषण शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल कर रहा है। जीजेईपीसी द्वारा पुनः कौशल प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए ज्ञान प्रदाता के रूप में संस्थान गुजरात के भीतरी भागों में 315 लघु / मध्यम डायमंड / ज्वैलरी विनिर्माताओं को कौशल प्रदान करता है / अपग्रेड करता है। आई डी आई को उद्योग आयुक्तालय, गुजरात सरकार द्वारा एंकर संस्थान - रत्न एवं आभूषण के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है।

संस्थान का रत्न विज्ञान प्रयोगशाला डायमंड, रत्न, पत्थर एवं आभूषण के परीक्षण एवं पहचान के काम में लगा हुआ है तथा यह डायमंड ग्रेडिंग, रत्न पत्थर पहचान एवं आभूषण गुणवत्ता रिपोर्ट भी जारी करता है। संस्थान की हीरा वर्गीकरण प्रयोगशाला को 0.10 कैरेट तथा इससे अधिक कैरेट के डायमंड के प्रमाणन / वर्गीकरण के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अध्याय 4 के अनुसार डी जी एफ टी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिकृत किया गया है। भारतीय हीरा संस्थान डायमंड के छोटे / मझोले विनिर्माताओं / हीरा व्यापारियों / जौहरियों को सस्ती दरों पर डायमंड स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने काटरगम कैम्पस में हीरा अनुवेदन एवं संसाधन केन्द्र (डी डी आर सी) का भी प्रचालन करता है। भारतीय हीरा संस्थान हीरा व्यापार के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए “सिंथेटिक डायमंड की पहचान” पर विभिन्न कार्यशालाओं / सेमिनारों का भी आयोजन करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ)

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ) भारत की एक प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी है जो व्यापार एवं उद्योग जगत को अनेक तरह की सेवाएं प्रदान करता है तथा भारत के व्यापार में वृद्धि के लिए प्रेरक के रूप में काम करता है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन धारा 8 की कंपनी है तथा इसके मुख्य कारपोरेट उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- भारत में और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का आयोजन करके और उनमें भाग लेकर भारत के विदेशी एवं घरेलू व्यापार को प्रोत्साहित; कारोबारी शिफ्टमंडलों की यात्राओं का आदान - प्रदान करना और समन्वय करना तथा विशिष्ट क्षेत्रों / बाजारों में व्यापार की सुगमता के लिए आवश्यकता आधारित अनुसंधान करना;
- भारत में और विदेशों में बाजार प्राप्त करने में छोटे एवं मध्यम उद्यम की सहायता एवं मदद करना;
- व्यापार सूचना का प्रसार करना और ई-वाणिज्य / व्यापार को सुगम बनाना;
- भारत में और विदेशों में मेलों, प्रदर्शनियों एवं सम्मेलनों के संबंध में या सिलसिले में माल एवं सेवाओं में व्यापार के संवर्धन को सुगम बनाना;
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सम्मेलन एवं व्यापार प्रदर्शनी जैसे व्यापार संवर्धन कार्यक्रमों के आयोजन में समर्थ बनाने के लिए कोटिपरक भौतिक अवसंरचना, सेवा एवं प्रबंधन का विकास करना; और
- भारत के घरेलू एवं विदेशी व्यापार के संवर्धन में राज्य सरकारों, अन्य सरकारी व्यापार संवर्धन एजेंसियों, व्यापार एवं उद्योग संघों की भागीदारी एवं सहायता प्राप्त करना।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में इसके मुख्यालय और चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ; आई टी पी ओ भारत और विदेशों में इसके कार्यक्रमों में देश के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन की अवसंरचना क्षमता एवं सेवा प्रदायगी में सुधार एवं वृद्धि के लिए निम्नालिखित महत्वपूर्ण पहलें शुरू की गई हैं :

ई-इनेबल्ड / ग्राहक अनुकूल उपाय

- भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के घरेलू कार्यक्रमों में स्थान की आनलाइन बुकिंग प्रणाली
- आईआईटीएफ तथा नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर के लिए टिकटों की आनलाइन बुकिंग लागू की गई
- जेम्सी / ई-टेंडरिंग से ई-प्रोक्योरमेंट शुरू किया गया
- ई-पेमेंट / ई-रिफंड को क्रियाशील बनाया गया
- सभी एसी प्रदर्शनी हालों में वाईफाई की सुविधा
- भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के घरेलू मेलों में मोबाइल ऐप्प शुरू किए गए
- बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए 7 नए टेलीकाम टावर लगाए गए
- भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का व्यसापक मोबाइल ऐप्प अंतिम चरणों में है
- तीसरे पक्षकार के कार्यक्रमों के दौरान हेल्प डेस्क को लागू करना
- स्टार्टअप के लिए भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत डिस्काउंट

- प्रतिभागियों / आयोजकों के साथ नियमित बातचीत
- तीसरे पक्षकार के कार्यक्रमों के लिए स्थान की आनलाइन बुकिंग पर काम चल रहा है

प्रगति मैदान के पुनर्विकास की योजना

आई टी पी ओ को वैश्विक एम आई सी ई उद्योग में दृढ़ता के साथ स्थापित करने के लिए आई टी पी ओ प्रगति मैदान, नई दिल्ली में एक विश्व स्तरीय आइकानिक एकीकृत प्रदर्शनी सह सम्मेलन केन्द्र (आई ई सी सी) स्थापित करने की प्रक्रिया में है। नया परिसर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित एक वैश्विक महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखने वाले भारत के तुल्यकालन में “नए भारत” का प्रतीक होगा।

प्रस्तावित केन्द्र में सम्मेलन की विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी जिससे राष्ट्रों के बीच भारत का आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक महत्व बढ़ेगा। प्रस्तावित अवसंरचना का उद्देश्य एन सी आर में एम आई सी ई (बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन, कार्यक्रम) के लिए अपेक्षाओं में अंतराल को पाटना है। उम्मीद है कि यह देश के विदेशी मुद्रा अर्जन तथा दिल्ली के सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र के राजस्व में योगदान देगा।

परियोजना प्रस्ताव में शामिल हैं : चरण 1 में प्रदर्शनी के लिए 1,51,687 वर्गमीटर क्षेत्रफल सहित 3,82,188 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल का विकास। सम्मेलन केन्द्र विश्व, में सर्वश्रेष्ठ केन्द्रों के समकक्ष अधुनातन आधारभूत सुविधाओं से लैस होगा तथा इसमें सिंगल फार्मेट में 7000 की पैक्स सिटिंग सुविधा (3000 पैक्स क्षमता के प्लेनरी हाल, 4000 पैक्स के फंक्शनल हाल के साथ) और इसके अलावा विभिन्न सहायक सुविधाएं जैसे कि बैठक हाल, लांज, सेवा एवं लगभग 4800 यात्री कार यूनिट (पी सी यू) के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग स्पेस होगा। परिसर तक आने और जाने की सुविधा में सुधार तथा प्रगति मैदान में और आसपास यातायात को भीड़भाड़ से मुक्त करने के लिए आईसीसीसी परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में व्यापक यातायात सुधारों को भी अनुमोदित किया गया है। आईसीसीसी परियोजना तथा यातायात सुधार दोनों के लिए सभी क्लियरेंस / अनुमोदन रिकार्ड समय में प्राप्त किए गए हैं।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 2254 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जनवरी 2017 में आईसीसीसी परियोजना को मंजूरी प्रदान की। वाणिज्य विभाग द्वारा 2596.25 करोड़ रुपए के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी प्रदान की गई है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन अपने मुक्त भंडार में से 1200 करोड़ रुपए का उपयोग परियोजना के वित्त पोषण के लिए करेगा तथा परियोजना लागत की शेष राशि के लिए संस्थाओं से ऋण लेगा अथवा होटल के लिए भूमि का मौद्रिकरण करेगा। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) इस परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में कर रहा है। ग्लोबल बिडिंग के आधार पर 2149.93 करोड़ रुपए की लागत पर आईसीसीसी परियोजना शप्पूरजी पलोनजी को सौंप दी गई है। प्रगति मैदान परिसर में और आसपास यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के उपायों पर कार्य को 777 करोड़ रुपए की लागत पर एल एण्ड टी को सौंपा गया है।

आईसीसीसी परियोजना तथा यातायात हस्तक्षेप पर कार्य 24 माह के अंदर अगस्त 2019 तक पूरे किए जाने हैं।

वित्तीय विशेषताएं

वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने प्रचालनों से 263.14 करोड़ रुपए के रिकार्ड राजस्व का अर्जन किया जो पिछले 5 वर्षों के दौरान सबसे अधिक है। वर्ष के दौरान भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा सृजित की गई कुल आय 388.97 करोड़ रुपए थी, जबकि पिछले वर्ष में 375.56 करोड़ रुपए की आय हुई थी (इंड-एस के अनुसार रिकार्ड)। कंपनी का उत्कृष्ट निष्पादन अब तक की सर्वाधिक आय अर्थात् 388.97 करोड़ रुपए में प्रतिबिंबित होती है जो शुरुआत से लेकर अब तक भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा सृजित सबसे अधिक आय है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने पिछले वर्ष में 164.13 करोड़ रुपए (इंड-एस के अनुसार रिकार्ड) की तुलना में 168.99 करोड़ रुपए के सरप्लस का अर्जन किया जो अन्य व्यापक आय पर विचार करने के बाद निवल आय है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैंग) से “शून्य” टिप्पणियां प्राप्त की हैं।

सितंबर, 2017 तक भारत में मेले, विदेशों में मेले और तीसरे पक्षकार के मेले के संबंध में संचयी वित्तीय आंकड़े (आय) नीचे दिए गए हैं:

(लाख रुपए में)	
भारत में मेले	1150.52 करोड़ रुपए
विदेश में मेले	2270.07 करोड़ रुपए
तीसरे पक्षकार के मेले	3582.87 करोड़ रुपए
कुल	7003.46 करोड़ रुपए

भारत में मेले

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ) ने 1 अप्रैल, 2017 से 30 सितंबर, 2016 की अवधि के दौरान कई विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबल मेला, दिल्ली

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबल मेला (आई आई एफ एफ) का तीसरा संस्करण भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा 4 से 6 अगस्त 2017 के दौरान आयोजित किया गया। भारत सरकार में माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री संतोष गंगवार ने मेले का उद्घाटन किया। आईआईएफएफ दिल्ली 2017 5800 वर्गमीटर क्षेत्रफल में फैला था। प्रदर्शकों की संख्या 240 थी जिसमें 100 विदेशी प्रदर्शक (चीन, इटली और ताइवान से) थे। लगभग 10000 व्यवसाय आगंतुकों ने मेला का दौरा किया जिसमें से 68 आगंतुक 16 देशों से विदेशी व्यवसाय आगंतुक थे। ये आगंतुक बंगलादेश, चीन, कोलंबिया, इथोपिया, कीनिया, कुवैत, लीबिया, नेपाल, नाइजरिया, कतर, स्पेन, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, यूके एवं यूएसए थे।

दिल्ली पुस्तक मेला तथा लेखन सामग्री, कार्यालय स्वचलन तथा कारोपोरेट उपहार मेला, दिल्ली

23वां दिल्ली पुस्तक मेला, 19वां लेखन सामग्री मेला, तीसरा कार्यालय स्वचालन मेला और तीसरा कारपोरेट उपहार मेला 2017 26 अगस्त से 3 सितंबर 2017 के दौरान आयोजित जुड़वे इवेंट थे। लगभग 3711 वर्गमीटर के निवल क्षेत्रफल में दोनों इवेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। 9 दिवसीय कार्यक्रम एवं शो में 167 कंपनियों ने भाग लिया था जिसमें लगभग 2 लाख आगंतुक आए थे।

विदेशों में मेले

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) ने 2017-18 के दौरान अनन्य भारत शो सहित 29 समुद्रपारीय व्यापार शो में भारत की राष्ट्र स्तरीय भागीदारी और वैश्विक स्तर पर इसकी उपस्थिति बढ़ाने का प्रस्ताव किया।

अप्रैल 2017 से सितंबर 2017 की अवधि के दौरान भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने 16 विदेशी कार्यक्रमों में भागीदारी का सफल आयोजन किया है जिसमें 2 मिनी इंडिया शो अर्थात् 10 जून से 30 सितंबर 2017 तक ओसाका (जापान) में आईएचएफ एवं आईजीएफ और अस्ताना (कजाकिस्तान) में एक एक्सपो 2017 शामिल हैं।

10 जून से 10 सितंबर 2017 तक अस्ताना (कजाकिस्तान) में भारतीय मंडप का उद्घाटन 10 जून 2017 को संयुक्त रूप से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और कजाकिस्तान में भारत के राजदूत द्वारा किया गया। इस एक्सपो का विषय “भावी ऊर्जा” था जिसमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के समाधानों पर जोर दिया गया, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सुरक्षित परमाणु ऊर्जा। “भावी ऊर्जा” ने “जीवन में ऊर्जा” कोरिडोर में आगंतुकों को ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया था। भारतीय ऐतिहासिक वास्तुशिल्प के माध्यम से डिजाइन किए गए कोरिडोर ने स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ट्रांसफर, पर्यटन, योग, आयुर्वेद और संस्कृति के अनुभव के साथ प्रौद्योगिकी और स्मार्ट इंडिया के माध्यम से ऊर्जा के नए प्रस्तावों को प्रस्तुत किया था। भारतीय मंडप उन शीर्ष पांच मंडपों में शामिल था जहां सबसे अधिक आगंतुक आए। यद्यपि अस्ताना की आबादी केवल 1 मिलियन के आसपास है, भारतीय मंडप में हर रोज औसतन 10000-12000 दर्शक आते थे। भारतीय मंडप का सबसे रोचक भाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा भारतीय ऊर्जा संसाधन संस्थान द्वारा डिजाइन किए गए एवं प्रदर्शित किए गए माडल थे। इन माडलों ने विज्ञान एवं

प्रौद्योगिकी के ताकतवर रूपों के साथ देशज प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित किया। माननीय हरित ऊर्जा मंत्री, मलेशिया सरकार के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने भारतीय मंडप का दौरा किया था। शो को देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक आ रहे थे। ओमान इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, सुरीनाम, रूस और संयुक्त अरब अमीरात से कारोबारी शिष्टमंडलों ने भी भारतीय मंडप का दौरा किया था तथा इसकी भरपूर सराहना की थी। टेरी के वैज्ञानिकों के एक शिष्टमंडल ने एक्सपो के विषय पर सम्मेलन में बहुत आकर्षक प्रस्तुतियां दी थी। आईसीसीआर, दिल्ली से 10 सदस्यीय राजस्थानी सांस्कृतिक मंडली ने 24 से 30 जून 2017 तक भारतीय मंडप के सांस्कृतिक मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन किया था। अस्टाना में भारतीय मंडप में आयोजित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को सोशल नेटवर्किंग के विभिन्न प्लेटफार्मों पर अपलोड किया गया। एक्सपो ग्राउंड में “नेशनल डे स्टेज (एनडीएस)” नामक अर्ध खुले थिएटर में 15 अगस्त 2017 को भारतीय दूतावास, अस्टाना तथा भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा राष्ट्रीय दिवस समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय मंडप को 115 प्रतिभागी देशों तथा 28 अंतर्राष्ट्रीय निगमों में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा “विषय विकास श्रेणी” में कांस्य पदक प्रदान किया गया।

क्षेत्रीय व्यापार केंद्र

आई टी पी ओ, राज्यों की राजधानियों/ प्रमुख शहरों में निर्यात अवसरंचना के निर्माण के लिए क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केंद्र (आर टी पी सी) की स्थापना में राज्य सरकारों को सहायता भी प्रदान कर रहा है।

- चेन्नई में तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन (टी एन टी पी ओ)। टीएनटीपीओ की विस्तार योजना के लिए एनटीटीपीओ बोर्ड ने 15708 वर्गमीटर के क्षेत्रफल के साथ एक मल्टी पर्पज (प्रदर्शनी / सम्मेलन) हाल के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। विस्तार के बाद 31063 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल में सम्मेलन के लिए 2 हाल तथा प्रदर्शनी के लिए 4 हाल उपलब्ध हो जाएंगे। अनुमानित लागत 289 करोड़ रुपए है।
- बेंगलुरु में कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन (के टी पी ओ)। कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन (केपीटीओ) के विस्तार के लिए केटीपीओ ने 5000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल के साथ एक मल्टी पर्पज (सम्मेलन / प्रदर्शनी) हाल के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। विस्तार के बाद 11,871 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल में सम्मेलन के लिए 2 हाल तथा प्रदर्शनी के लिए 2 हाल उपलब्ध हो जाएंगे। अनुमानित लागत 40 करोड़ रुपए है।
- केरल औद्योगिक अवसरंचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) ने भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के साथ मिलकर कोच्चि के निकट कक्कनाड में एक प्रदर्शनी केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है। परियोजना के पहले चरण की अनुमानित लागत 159.90 करोड़ रुपए है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का बोर्ड पहले ही इस परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपए (स्वयं की निधियों से 15 करोड़ रुपए तथा टीआईईएस अनुदान से 15 करोड़ रुपए) के पूंजी अंशदान को मंजूरी प्रदान कर चुका है।
- जम्मू एवं कश्मीर : जम्मू एण्ड कश्मीर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (सिकोप) जो जम्मू एवं कश्मीर सरकार का एक उपक्रम है, ने टीआईईएस योजना के तहत भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन तथा ईपीसीएच के सहयोग से पंपोर (जम्मू एवं कश्मीर) में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र (आईटीसी) स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। सिकोप द्वारा इस परियोजना के लिए पहल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के माध्यम से की गई है। भारत सरकार की वित्तीय सहायता से जम्मू एवं कश्मीर सरकार, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और ईपीसीएच द्वारा धारित की जाने वाली इक्विटी के माध्यम से इस परियोजना को जेकेटीपीओ द्वारा कार्यान्वित कराने का प्रस्ताव है। परियोजना की लागत 47.92 करोड़ रुपए है। सिकोप से 51 प्रतिशत, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन से 44 प्रतिशत और ईपीसीएच से 5 प्रतिशत के अनुपात में 5 करोड़ रुपए के पूंजीगत अंशदान के साथ इसके संयुक्त प्रमोटर्स अर्थात् भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और ईपीसीएच के माध्यम से सिकोप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र का निर्माण किया जाएगा।

प्रशासन तथा मानव संसाधन विकास

इस अवधि के दौरान सितंबर 2017 तक 7 अधिकारियों / कर्मचारियों की नियुक्ति की गई तथा 41 अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रोत्साहन आश्वासन करियर प्रगति योजना (आईएसीपीएस) के तहत निजी अपग्रेडेशन प्रदान किया गया। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन में आरक्षण से संबंधित दिशानिर्देशों का

अनुपालन किया गया। अजा / अजजा / अपिव के हितों की देखभाल करने के लिए संपर्क अधिकारी मनोनीत किए गए हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों / सेवाओं में आरक्षण के संबंध में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में निहित प्रावधानों का भी पालन किया गया।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिक्रिया) अधिनियम, 2013 के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

भारत सरकार की आरक्षण नीति

अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में नियुक्ति / पदोन्नति में आरक्षण पर भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन किया गया। 17 अप्रैल 2017 को डॉ. बी आर अंबेडकर का जन्म दिन भी मनाया गया तथा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।

कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

वर्ष 2017-18 के लिए सीएसआर पहल के तहत सामाजिक रूप से जिम्मेदार प्रतिबद्ध संगठन के रूप में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन स्वेच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखने की उम्मीद कर रहा है। सीएसआर समिति ने स्वच्छ भारत कोष, भारत सरकार तथा निर्मल गंगा कोष, भारत सरकार में कुल मिलाकर 2.44 करोड़ रुपए का योगदान देने की सिफारिश की है। इसके अलावा गैरियाट्रिक सेवाओं में 25 एकल महिलाओं के 2 बैच में प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए 10 लाख रुपए के प्रस्ताव की भी सिफारिश की गई है। अनेक अन्य प्रस्ताव जांच एवं विचार के अधीन हैं।

एमएमटीसी लिमिटेड

मुख्य रूप से खनिजों एवं अयस्कों के निर्यात तथा अलौह धातुओं के आयात का काम करने के लिए 1963 में एक स्वतंत्र संस्थो के रूप में एम एम टी सी से लिमिटेड का गठन किया गया। पिछले कुछ वर्षों में, राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा विभिन्न वस्तुओं का आयात एवं निर्यात सहित कारोबार के नए अवसरों को ध्यान में रखते हुए एम एम टी सी ने व्यवसाय के अपने क्षेत्र का विस्तार किया है। उर्वरक, इस्पात, हीरा, बुलियन, कृषि आदि जैसी वस्तुओं को उत्तरोत्तर कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल किया गया।

लौह अयस्को, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क / कंसंट्रेट तथा यूरिया के आयात के लिए उत्प्रेरक एजेंसियों के रूप में काम करने के अलावा एमएमटीसी सोना और चांदी के आयात, संप्रभु भारत के सोने के सिक्कों की बिक्री, दालों के आयात, कृषि उत्पादों, उर्वरकों, कोयला, इस्पात, अलौह धातुओं, पिंग आयरन आदि जैसी अन्य वस्तुओं में व्यापार तथा एनआईएनएल, एमएमटीसी पीएएमपी, एफटीडब्ल्यूजेड आदि जैसे व्यापार संबद्ध संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए नामित एजेंसियों में से एक के रूप में काम करता है।

पिछले कुछ वर्षों में एमएमटीसी भारत में अपना विकास करके सबसे बड़े व्यापार संगठनों में से एक बन गया है तथा अपने आधार का विस्तार करने एवं व्यवसाय की नई संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए अवसरों का उपयोग करने तथा प्रगति के लिए रणनीतिक विविधता के मंत्र का पालन कर रहा है। यह अपनी स्वयं की प्रमुख दक्षताओं के साथ उनको मिश्रित करके और तालमेल स्थापित करके, इस प्रकार विकास के नए केन्द्रों का सृजन करके और व्यापार आयोजक एवं सूत्रधार के रूप में अपनी भूमिका का विस्तार करके नए अवसरों का पता लगाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। संयुक्त उद्यम एवं पी पी पी रूट के माध्यम से अपनी भावी संपोषणीयता बढ़ाने के लिए व्यापार से संबंधित अवसरंचना परियोजनाओं में निवेश करके कंपनी ने मूल्य को कई गुना बढ़ाने वाली विभिन्न पहलों में भाग लिया है। इसने उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त उद्यम में 1.1 मिलियन टन के एक स्टील प्लांट, एक विश्व स्तरीय सोना / चांदी रिफाइनरी, कांडला में मुक्त व्यापार मालगोदाम क्षेत्र (एफ टी डब्ल्यू जेड) की स्थापना आदि में निवेश किया है।

सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) एमएमटीसी की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है तथा इसे 1 मिलियन अमरीकी डालर की शेयर पूंजी के साथ सिंगापुर के कानूनों के तहत अक्टूबर 1994 निगमित किया गया। शुरुआत से ही कंपनी वस्तु व्यापार में लगी है

तथा सिंगपुर में अपने आपको विश्वसनीय एवं प्रतिष्ठित व्यापार कंपनी के रूप में स्थापित किया है।

नई पहलें:

क) मेक इन इंडिया:

भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल की तर्ज पर एम एम टी सी द्वारा निम्नलिखित पहलें की गईं:

- नवंबर 2015 में भारत के पहले संप्रभु गोल्ड क्वान - इंडिया गोल्ड क्वान (आई जी सी) का शुभारंभ। एम एम टी सी ने आई जी सी का विपणन शुरू कर दिया है जिसका अनावरण भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। सिक्के 5 ग्राम, 10 ग्राम तथा 20 ग्राम में भारत सरकार के मुंबई और कोलकाता स्थित टकसालों में ढाले जाते हैं। 2016-17 के दौरान आई जी सी बिक्री का कुल टर्नओवर 129.10 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पूरे भारत में सिक्कों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एमएमटीसी ने 7 बैंकों की 400 शाखाओं के माध्यम से आईजीसी की बिक्री के लिए उनके साथ अनुबंध किया है। सोने के भारतीय सिक्कों की बिक्री के लिए विस्तार नेटवर्क का और विस्तार करने की दिशा में प्रयास चल रहे हैं।
- वर्ष 2016-17 के दौरान एम एम टी सी - पैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पैप स्विटजरलैंड के साथ गोल्ड / सिल्वर रिफाइनिंग एवं मिडिलियन विनिर्माण के लिए संयुक्त उद्यम ने 24 करोड़ रुपए का टर्नओवर तथा 14.93 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ हासिल किया। एम एम टी सी - पैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गोल्ड और सिल्वर के लिए भारत का पहला एल बी ए प्रत्यायित रिफाइन बना। 2016-17 के दौरान एम एम टी सी ने एम पी आई पी एल द्वारा निर्मित गोल्ड बार की घरेलू बाजार में बिक्री की तथा 792 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल किया।
- ढेर सारे प्रयासों एवं अनुग्रहों के बाद एनआईएनएल स्टील प्लांट (एमएमटीसी तथा उड़ीसा सरकार का संयुक्त उद्यम) उड़ीसा राज्य में 874.24 हेक्टेयर जिसमें खनन योग्य 92 मिलियन टन भंडार हैं, के लिए उड़ीसा सरकार के साथ कैप्टिव आधार पर लौह अयस्क खनन पट्टा पर हस्ताक्षर कर सका। उम्मीद है कि जून 2018 तक खदानों से लौह अयस्क का उत्पादन शुरू हो जाएगा। एनआईएनएल ने काल तार पिच प्लांट की स्थापना के लिए नालको के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ख) स्वच्छ भारत:

2016-17 के दौरान एम एम टी सी के निदेशक मंडल ने स्वच्छ भारत अभियान की सहायता के लिए सी एस आर की गतिविधियों के संचालन के लिए 33.50 लाख रुपए की राशि आवंटित की। कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए आवंटित निधियों का प्रयोग सरकारी विद्यालयों में स्वच्छता एवं पेयजल की सुविधाओं का सृजन करने, ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप लगाने, निर्मल गंगा अभियान आदि के लिए किया गया।

ग) डिजिटल इंडिया:

भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के कार्यान्वयन के अंग के रूप में 2016-17 में एम एम टी सी की ई आर पी प्रणाली का उन्नयन / विद्यमान ई आर पी प्रणाली (जिसे 2002 में लागू किया गया) की खामियों को दूर करने के लिए एक नए संस्करण में माइग्रेशन किया गया। इसके अलावा ई-पेमेंट और भीम सहित एम एम टी सी में 100 प्रतिशत ई-टेंडर का अनुसरण किया जा रहा है।

घ) विविधता:

एमएमटीसी ने नए क्षेत्रों में कदम रखने तथा निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से दो नए प्रभागों का सृजन किया है जिनके नाम इस प्रकार हैं :

- एसएमई पर फोकस के साथ इंजीनियरिंग माल एवं संबद्ध उत्पाद।
- औषधि, फार्मास्यूटिकल एवं रसायन

ड) स्वच्छ ऊर्जा:

एम एम टी सी ने 68.75 करोड़ रुपए की लागत से कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ में 15 मेगावाट क्षमता की एक पवन चक्की परियोजना स्थापित की है। यह परियोजना सफलतापूर्वक चल रही है तथा कर्नाटक राज्य की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के कुछ भाग को पूरा करके क्षेत्र के विकास में योगदान दे रही है। एम एम टी सी उक्त पवन चक्की परियोजना के विस्तार की

संभावनाओं का पता लगा रही है।

च) व्यापार से संबंधित अवसरचना:

दोतरफा व्यापार के संवर्धन को सुगम बनाने के लिए आई एल एण्ड एफ एस आई आई डी सी के सहयोग से एम एम टी सी द्वारा प्रमोट किए गए एस पी वी ने कांडला में मुक्त व्यापार एवं माल गोदाम क्षेत्र तथा हल्दिया में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब स्थापित करने की पहल शुरू की है।

मार्च 2016 में कांडला एफटीडब्ल्यूजेड में 2.75 एकड़ भूमि के 2 प्लॉट पर दिए गए हैं तथा प्लॉटों को पट्टे पर देने के लिए अन्य यूनिटों के साथ बातचीत चल रही है।

छ) उत्तर पूर्वी राज्यों को विपणन सहायता:

उत्तर पूर्वी राज्यों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एम एम टी सी ने गुवाहाटी, असम में अपना कार्यालय खोला है तथा शेष भारत में विपणन के लिए अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची जैसी वस्तुओं को खरीदना शुरू कर दिया है और इनके निर्यात की संभावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है।

ज) आयातित दलहनों का सरकारी बफर स्टॉक:

दलहनों की फुटकर कीमतों को स्थिर रखने के उद्देश्य से सरकार ने घरेलू प्रापण तथा आयात दोनों के माध्यम से दलहनों का बफर स्टॉक तैयार करने की पहल की है। जनवरी 2016 से तूर, उड़द, मसूर, देशी चना सहित 3.5 लाख टन से अधिक दलहन के लिए विभिन्न देशों से एम एम टी सी द्वारा पहले ही आयातित की जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य बफर स्टॉक सृजित करने के लिए 2 मिलियन टन दालों का आयात करना है। एम एम टी सी को सरकार की ओर से विभिन्न दालों का आयात करने के लिए सरकार द्वारा नामित किया गया है।

वित्तीय निष्पादन

एम एम टी सी को व्यापक रूप से भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंपनियों में एक और देश में "प्रमुख व्यापार प्रतिष्ठान" दर्जे से पुरस्कृत होने वाले पहले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में जाना जाता है। यह निर्यात के लिए विदेशी बाजारों का पता लगाने और घरेलू जरूरतों के लिए सामग्री जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल है। थोक कार्यों पर ध्यान देने के साथ, एम एम टी सी के पास मुख्य रूप से छह प्रमुख जिंस समूह हैं अर्थात् खनिज, कीमती धातु, कोयला, उर्वरक, कृषि जिंस और धातु।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 30 सितंबर 2017 को समाप्त छमाही के लिए एमएमटीसी ने 9897 करोड़ रुपए का कारोबार किया है और 143 करोड़ रुपए का व्यापार लाभ कमाया है।

सहायक कंपनी

एम एम टी सी ट्रांसनेशनल प्रा. लि. सिंगपुर (एम टी पी एल) एम एम टी सी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। 2016-17 के दौरान इसने 113.17 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के माल की बिक्री की है तथा 15.40 मिलियन अमरीकी डालर के निवल मूल्य के साथ 0.04 मिलियन अमरीकी डालर का निवल लाभ कमाया है।

अवसरचना विकास

नीलांचल इस्पात निगम लि. (एनआईएनएल)

नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) ओडिशा सरकार तथा अन्यो के साथ संयुक्त रूप से 1.1 मिलियन टन क्षमता का एक लोहा एवं इस्पात संयंत्र, 0.8 मिलियन टन का एक कोक ओवन और कैप्टिव पावर प्लांट के साथ उपोत्पाद यूनिट है।

बुनियादी आक्सीजन भट्टी, आक्सीजन प्लांट तथा एसएमएस के साथ इस्पात के उत्पादन के लिए परियोजना के चरण 2 को संस्थापित किया गया है तथा इस्पात के बिलेट का उत्पादन प्रायोगिक आधार पर किया गया। 2016-17 के दौरान एनआईएनएल ने 1,268.73 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त किया। ढेर सारे प्रयासों एवं अनुग्रहों के बाद एनआईएनएल स्टील प्लांट (एमएमटीसी तथा उड़ीसा सरकार का संयुक्त उद्यम) उड़ीसा राज्य में 874.24 हेक्टेयर जिसमें खनन योग्य 92 मिलियन टन भंडार हैं, के लिए उड़ीसा सरकार के साथ कैप्टिव आधार पर लौह अयस्को खनन पट्टा पर हस्ताक्षर कर सका। उम्मीद है कि जून 2018 तक खदानों से लौह अयस्को का उत्पादन

शुरू हो जाएगा। एनआईएनएल ने काल तार पिच प्लांट की स्थापना के लिए नालको के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अन्य परियोजनाएं

विविधता के लक्ष्य के साथ तथा व्यापार के अपने विद्यमान प्रचालनों में मूल्य वृद्धि करने के उद्देश्य से सार्वजनिक - निजी साझेदारी मार्ग का अनुसरण करके कंपनी द्वारा विभिन्न सामरिक पहलें की गई हैं। एम एम टी सी द्वारा शुरू की गई पहलें इस प्रकार हैं :

1. स्विटजरलैंड के पैप के साथ मिलकर गोल्ड / सिल्वर रिफाइनरी तथा मेडालियन विनिर्माण की सबसे आधुनिक यूनिटों में से एक - एम एम टी सी पैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
2. इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आइसेक्स) में 9.55 प्रतिशत होल्डिंग। आइसेक्स ने ब्रेन क्रूड तथा डब्ल्यूटीआई क्रूड के लिए संविदाओं में व्यापार के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के अलावा डायमंड संविदाएं लांच करने के लिए सेबी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।
3. वर्ष 2016-17 के दौरान कांडला एफटीडब्ल्यूजेड के चरण 1 को चालू कर दिया है जो एमएमटीसी तथा आईएल एण्ड एफएस लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम परियोजना है।

कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

2016-17 के दौरान एम एम टी सी के निदेशक मंडल ने सी एस आर की गतिविधियों के लिए 81.41 लाख रुपए की राशि आवंटित की।

कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत 2016-17 के दौरान आवंटित निधियों का प्रयोग मुख्य रूप से स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल गंगा अभियान, स्किल इंडिया मिशन, स्वास्थ्य देखरेख एवं योग के संवर्धन तथा स्पोर्ट्स / पैरा स्पोर्ट्स के संवर्धन के लिए किया गया। इसके अलावा एमएमटीसी ने विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों तथा सहायक उपकरणों के वितरण में सहायता की।

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस टी सी)

मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार करने तथा देश से निर्यात को विकसित करने में निजी व्यापार एवं उद्योग के प्रयासों को संपूरित करने के लिए 18 मई, 1956 को एसटीसी का गठन किया गया। तब से एस टी सी ने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने व्यापक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं (जैसे कि गेहूँ, दलहन, चीनी, खाद्य तेल आदि) तथा औद्योगिक कच्चे माल का भारत में आयात करने की व्यवस्था की है तथा भारत से काफी संख्या में मर्चों के निर्यात को विकसित करने में भी काफी योगदान दिया है। थोक कृषि वस्तुओं के निर्यात / आयात को संभालना एसटीसी की प्रमुख ताकत है। पिछले वर्षों में, एस टी सी ने स्टील, लौह अयस्क, रक्तचंदन के निर्यात और सर्राफा, हाइड्रोकार्बन, खनिज, धातु, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल आदि के आयात का कार्य भी आरंभ कर दिया है। एस टी सी आज ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी स्तर के व्यापार सौदे की योजना बनाने और उसे पूरा करने में सक्षम है।

2015-16, 2016-17 और अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान एसटीसी का समग्र निष्पादन एवं पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि के लिए आंकड़े और

पूर्ण वर्ष 2017-18 के लिए अनुमान नीचे दिए गए हैं:

निष्पादन: 2016-17

कंपनी का कुल कारोबार वर्ष 2015-16 में 10479 करोड़ रुपए से घटकर 2016-17 में 7752 करोड़ रुपए रह गया। कारोबार में गिरावट मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से आई (प) ईरान को स्टील की प्लेटों / सिक्कों के निर्यात के लिए संविदा का नवीकरण न होना (पप) भारत सरकार द्वारा यूरिया के आयात के लिए कम आवंटन और (पपप) सोने के आयात में कटौती।

निर्यात: वर्ष के दौरान कंपनी का निर्यात 2015-16 में 1111 करोड़ रुपए से गिरकर 789 करोड़ रुपए रह गया। मुख्य रूप से ईरान को स्टील की प्लेटों / सिक्कों के निर्यात से संबंधित संविदा का नवीकरण न होने के कारण यह गिरावट दर्ज की गई जो 2015-16 में 1040 करोड़ रुपए से घटकर 2016-17 के दौरान मात्र 102 करोड़ रुपए रह गया। तथापि वर्ष के दौरान कंपनी ने पहली बार ईरानी रेलवे के साथ किए गए करार के विरुद्ध ईरान को 576 करोड़ रुपए के मूल्य की स्टील रेल का निर्यात किया है।

कंपनी ने मिश्र को लगभग 20000 मीट्रिक टन चावल का भी निर्यात किया जिसका मूल्य 41 करोड़ रुपए था। उपर्युक्त के अलावा कंपनी ने ईरान को 24 करोड़ रुपए के कृषि रसायनों तथा चीन को 46 करोड़ रुपए के रेड सैंडर का निर्यात किया।

आयात: वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने पिछले साल की समतुल्य अवधि के दौरान 8735 करोड़ रुपए के आयात टर्नओवर के विरुद्ध 6382 करोड़ रुपए का आयात टर्नओवर प्राप्त किया। आयात के कारोबार में गिरावट मुख्य रूप से यूरिया और बुलियन के कम आयात के कारण हुई।

हाल के वर्षों में कंपनी का बुलियन का आयात सोने के आयात से संबंधित सरकार नीतियों में बार बार परिवर्तन, देश में गोल्ड डोर बार के आयात में उछाल तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में समतुल्यता के कारण निरंतर घट रहा है। हालांकि, बुलियन आयात की एकल सबसे बड़ी मद बना रहा, इसका टर्न ओवर 2015-16 में 4,711 करोड़ रुपए से घटकर 2016-17 में 4,272 करोड़ रुपए रह गया।

वर्ष के दौरान 13.64 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आयात करने के लिए भारत सरकार द्वारा कंपनी को अधिकृत किया गया। आयात के लिए जो मात्रा आवंटित की गई है वह घरेलू स्तर पर अधिक उत्पादन तथा कम मांग के कारण पिछले साल की तुलना में कम है। तदनुसार कंपनी ने पिछले साल में 3795 करोड़ रुपए के 20 लाख मीट्रिक टन यूरिया के आयात के विरुद्ध 2016-17 के दौरान 2048 करोड़ रुपए के लगभग 14.06 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आयात किया। कंपनी ने 53 करोड़ रुपए के खाद्य तेलों का आयात किया तथा लघु प्रसंस्करण / पैकेजिंग यूनिटों को बेचा।

घरेलू बिक्री: कंपनी की घरेलू बिक्री की राशि 581 करोड़ रुपए थी तथा यह पिछले सात वर्षों में दूसरी सर्वोत्तम बिक्री है।

कंपनी ने भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड (बी ओ आर एल) को आयातित कोयले की आपूर्ति करना जारी रखा तथा 2015-16 में 215 करोड़

---अप्रैल से सितंबर---					करोड़ रुपए में
	2015-16	2016-17	अनंतिम		2017-18
	वास्तविक	वास्तविक	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष के अनुमान	
निर्यात	1111	789	84	125	600
आयात	8735	6382	2339	6215	10000
घरेलू	633	581	361	160	400
कुल टर्नओवर	10479	7752	2784	6500	11000
कर पूर्व लाभ	31.40	22.70	(148.37)	19.88	13.85*
*: अप्रैल से जून 2017 की अवधि के लिए					

मूल्य की आपूर्ति के विरुद्ध वर्ष 2016-17 के दौरान 46 करोड़ मूल्य के कोयले की बिक्री की। वर्ष के दौरान कंपनी ने मैसर्स मालावार सीमेंट लिमिटेड को 7408 मीट्रिक टन कोयले की भी आपूर्ति की जिसका मूल्य 6 करोड़ था।

कंपनी ने विभिन्न राज्य एजेंसियों अर्थात् तमिलनाडु स्टेट सिविल सप्लाय कारपोरेशन लिमिटेड (टीएनएससीएससी), आर्मी परचेज अर्गनाइजेशन (एपीओ), केरल स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड (केएससीएससीएल) आदि को आपूर्ति के लिए कुल 25543 मीट्रिक टन दलहन के लिए सविदा की।

वर्ष के दौरान टीएनएससीएससी को 210 करोड़ मूल्य के दलहनों की आपूर्ति की गई जबकि पिछले वर्ष के दौरान 108 करोड़ मूल्य के दलहनों की आपूर्ति की गई थी। अन्य राज्य एजेंसियों को आपूर्ति से 42 करोड़ का कारोबार प्राप्त हुआ था।

कंपनी ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्यों में तंबाकू उत्पादकों / किसानों को उर्वरकों का वितरण करना जारी रखा। 2016-17 में भी एसटीसी ने विभिन्न तंबाकू उत्पादकों / किसानों को 26992 मीट्रिक टन उर्वरक की आपूर्ति की। इससे वर्ष के दौरान 75 करोड़ रुपये का कारोबार प्राप्त हुआ था।

कंपनी ने मसाला बोर्ड से लाइसेंस के तहत इलायची की नीलामी का संचालन जारी रखा। प्रचालनों के तहत सीधे उत्पादकों से इलायची का संग्रहण करना तथा बोडिनायकनूर, तमिलनाडु में ई-आक्शन प्लेटफार्म पर व्यापारियों को पूल में शामिल इलायची की नीलामी करना शामिल है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 49 नीलामियों का आयोजन किया तथा 1238.41 मीट्रिक टन इलायची की बिक्री की जिससे पिछले वर्ष में 104 करोड़ के विरुद्ध 120 करोड़ रुपये का कारोबार प्राप्त हुआ।

लाभप्रदता: कंपनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान 18 करोड़ के निवल लाभ के विरुद्ध वर्ष 2016-17 के दौरान 166 करोड़ की निवल हानि सूचना दी है। घाटा मुख्य रूप से विवेकपूर्ण उपाय के रूप में संदिग्ध ऋणों के संबंध में 44 करोड़ के प्रावधान एवं राइट ऑफ (राइट बैक का निवल) के कारण हुआ।

निष्पादन: अप्रैल से सितंबर 2017 : अप्रैल से सितंबर, 2017 के दौरान, कंपनी ने लगभग 6500 करोड़ (अंतिम) का टर्नओवर प्राप्त किया तथा यह पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि के दौरान प्राप्त किए गए 2784 करोड़ के टर्नओवर की तुलना में दो गुना से अधिक था। कारोबार में वृद्धि अधिक आयात एवं निर्यात के कारण हुई।

निर्यात: अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान कंपनी का लगभग 125 करोड़ का निर्यात कारोबार (अंतिम) पिछले साल की समतुल्य अवधि में 84 करोड़ के निर्यात की तुलना में बहुत अधिक है। वर्ष के दौरान कंपनी ने ईरानी रेलवे के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के विरुद्ध ईरान को 124 करोड़ के मूल्य की स्टील रेल का निर्यात किया है। कंपनी ने थोड़ी मात्रा में ईरान को कृषि के लिए कीटनाशकों का भी निर्यात किया।

आयात: कंपनी ने अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान लगभग 6215 करोड़ (अंतिम) का आयात कारोबार प्राप्त किया जबकि पिछले साल की समतुल्य अवधि के दौरान 2339 करोड़ का आयात किया गया था। आयात के कारोबार में वृद्धि सोने / चांदी का अधिक मात्रा में आयात के कारण हुई जिससे पिछले साल की समतुल्य अवधि के दौरान 239 करोड़ के विरुद्ध 6215 करोड़ का बिक्री मूल्य प्राप्त हुआ।

भारत सरकार से एसटीसी को आयात के लिए कोई प्राधिकार प्राप्त न होने के कारण अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान यूरिया का कोई भी आयात नहीं किया गया जबकि पिछले साल की समतुल्य अवधि के दौरान 2048 करोड़ मूल्य की यूरिया का आयात किया गया था।

घरेलू बिक्री: अप्रैल से सितंबर, 2017 के दौरान कंपनी द्वारा घरेलू बिक्री का मूल्य लगभग 160 करोड़ (अंतिम) था। कंपनी ने तंबाकू बोर्ड के साथ किए गए करार के तहत तंबाकू उत्पादकों को उर्वरकों की आपूर्ति करना

जारी रखा तथा 75 करोड़ मूल्य के उर्वरकों की बिक्री की। कंपनी ने मसाला बोर्ड से लाइसेंस के तहत इलायची की नीलामी का संचालन करना भी जारी रखा तथा 40 करोड़ मूल्य की इलायची की बिक्री की।

अप्रैल से सितंबर 2017 के दौरान कंपनी ने तमिलनाडु स्टेट सिविल सप्लाय कारपोरेशन लिमिटेड (टीएनएससीएससी) को 15 करोड़ मूल्य के दलहनों की आपूर्ति की तथा कम सल्फर वाले कोयले की आपूर्ति के लिए उनके साथ की गई एक सविदा के तहत मैसर्स बोरल के लिए 18 करोड़ मूल्य के कोयले का आयात किया।

लाभप्रदता: अप्रैल से जून 2017 के दौरान कंपनी का कर पूर्व लाभ 13.85 करोड़ था।

अनुमान: 2017-18 (पूर्ण वर्ष) : कंपनी पूर्ण वर्ष 2017-18 के दौरान 11 हजार का टर्नओवर प्राप्त करने की उम्मीद रखती है जिसमें 600 करोड़ मूल्य का निर्यात, 10000 करोड़ रुपये मूल्य का आयात और 400 करोड़ मूल्य की घरेलू बिक्री शामिल है।

एस टी सी एल लिमिटेड

एस टी सी एल को मूल रूप से कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अक्टूबर 1982 में एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में "इलायची व्यापार निगम लिमिटेड" के नाम और शैली में निगमित किया गया था।

नाम में परिवर्तन के फलस्वरूप कंपनी ने अपने विपणन आधार को विस्तृत करने तथा इलायची के अलावा मसालों की अन्य श्रेणियों को शामिल करने के उद्देश्य से अगस्ती 1987 से स्पाइसेज ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से निगमन का नया प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

इसके बाद, एस टी सी एल 14 सितम्बर, 1999 से भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड की एक सहायक कंपनी बन गई और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा धारित शेषों को भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया।

व्यापार की गतिविधियों में विविधता के कारण कंपनी का नाम फिर से परिवर्तित किया गया है तथा इसका नाम स्पाइस ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड से बदलकर एस टी सी एल लिमिटेड हो गया है तथा 13 अगस्त, 2004 से एस टी सी एल लिमिटेड के नाम से निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

निष्पादन: कोई कारोबारी गतिविधि नहीं है और इसलिए कोई टर्नओवर भी नहीं है क्योंकि कंपनी बंद होने की प्रक्रिया में है। तथापि, कंपनी सभी प्रशासनिक मुद्दों को देख रही है तथा लंबित कानूनी मामले एवं रिकवरी की प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं। कंपनी को वर्ष 2016-17 के लिए एम ओ यू करने से छूट प्रदान की गई।

कंपनी की वास्तविक उपलब्धि का व्यौरा नीचे दिया गया है :

	करोड़ रुपये में	
विवरण	2015-16 लेखा परीक्षित	2016-17 लेखा परीक्षित
सकल बिक्री	शून्य	शून्य
पी बी टी	-480.7	-562.77

कंपनी की वर्तमान स्थिति: वर्ष 2008-09 से कंपनी घाटे में चल रही है तथा 31 मार्च 2017 तक की स्थिति के अनुसार इसका निवल ऋणात्मक मूल्य 3,911.89 करोड़ रुपये है।

उपर्युक्त के मद्देनजर 13 अगस्त 2013 को आयोजित अपनी बैठक में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी को बंद करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की थी। तदनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 443 (क) के तहत कंपनी को बंद करने के लिए कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में 26 नवंबर 2013 को संख्या 272/2013 के माध्यम से वाइंड अप याचिका दाखिल की है तथा निस्तारण के लिए याचिका लंबित है। ■

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं विकलांगों के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम



वाणिज्य विभाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा अन्य कल्याणकारी उपायों से संबंधित भारत सरकार के निर्देशों के समुचित कार्यान्वयन के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं वस्तु बोर्डों के साथ संपर्क स्थापित करता है।

वाणिज्य विभाग में संपर्क अधिकारी - उप सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ काम कर रहा है। संपर्क अधिकारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायतों के शीघ्रता से निस्तारण का सुनिश्चित करते हैं तथा इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आरक्षित श्रेणियों को ग्राह्य विभिन्न लाभ विभाग के सहायक संगठनों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

31 अक्टूबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार वाणिज्य विभाग (सम्यक) तथा इसके सहायक संगठनों में सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों / विकलांग व्यक्तियों की संख्या अनुबंध 'क' में दी गई है। इस विभाग से संबंध विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों का विवरण आने वाले पैराओं में दिया गया है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

1) पीईसी लिमिटेड

पीईसी के अंदर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सभी सरकारी निर्देशों / अनुदेशों का विधिवत रूप से अनुपालन किया जाता है। स्टाफ संवर्ग के लिए पीईसी में एक समय वेतनमान पदोन्नति स्कीम मौजूद है। अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की अर्हक अवधि में पदोन्नति के प्रत्येक चरण पर एक साल की छूट प्रदान की जाती है। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर का अनुरक्षण किया जा रहा है। आज तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2) मसाला बोर्ड

मसाला बोर्ड ने कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल के लिए तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समितियों का गठन किया है।

3) एमएमटीसी लिमिटेड

31 अक्टूबर, 2017 की स्थिति के अनुसार एमएमटीसी में कुल 1174 कर्मचारी (बोर्ड स्तर के कार्यपालकों एवं एमआईसीए कर्मचारियों सहित) थे, जिसमें से 246 (20.95 प्रतिशत) कर्मचारी अनुसूचित जाति, 110 (9.36 प्रतिशत) कर्मचारी अनुसूचित जनजाति और 116 (9.88 प्रतिशत) कर्मचारी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के थे। कुल जनशक्ति में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व 20.87 प्रतिशत (245 कर्मचारी) है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ तथा संपर्क अधिकारी

कंपनी में एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ मौजूद है। कारपोरेट कार्यालय में एक महाप्रबंधक को मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है तथा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ताकि आरक्षण तथा उनको ग्राह्य अन्य रियायतों से संबंधित सरकारी निर्देशों के आदेशों एवं अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

छूट एवं रियायतें

सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली छूट / रियायतें इस प्रकार हैं :

- क) आयु में 5 साल तक की छूट;
- ख) लिखित परीक्षा में अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट;
- ग) टंकण एवं आशुलिपि की परीक्षाओं में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रति मिनट 5 शब्द तक की छूट प्रदान की जाती है; और
- घ) नियमों के तहत निर्धारित सीमा तक निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं में अंकों के प्रतिशत में छूट दी जाती है।

जहां तक विभागीय पदोन्नति का संबंध है, निम्न लिखित रियायतें दी जाती हैं:

- क) कर्मचारी संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा में अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत की छूट,

- ख) कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए टंकण की परीक्षा में 5 शब्द प्रति मिनट तक की छूट,
- ग) वरिष्ठता सह उपयुक्तता के तहत कर्मचारी संवर्ग के अंदर पदोन्नति के लिए अर्हक अवधि में एक साल की छूट।
- घ) वरिष्ठता सह उपयुक्तता के तहत कर्मचारी संवर्ग के अंदर पदोन्नति के लिए अर्हक अवधि में एक साल की छूट।

सीधी भर्ती एवं विभागीय पदोन्नति के लिए सभी चयन समितियों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि को नामित किया जाता है।

प्रशिक्षण

उनके प्रकार्यात्मक एवं सॉफ्ट कौशलों को बढ़ाने के उद्देश्य से, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को समय - समय पर विभिन्न अंतर्गृह प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा संचालित कार्यक्रमों में भी नामित किया गया।

क्वार्टर का आबंटन

क्वार्टर के आवंटन में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को 'ख' श्रेणी के आवास के मामले में 10 प्रतिशत तक तथा 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के आवास के संबंध में 5 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान किया जाता है।

बैठकें

कंपनी ने "सुगठित बैठक स्कीम" लागू की है जिसमें सेवा मामलों तथा कल्याण के उपायों पर चर्चा करने एवं इनसे जुड़े मुद्दों का समाधान करने आवधिक आधार पर प्रबंधन कर्मचारियों के विभिन्न प्रतिनिधि निकायों के साथ बैठक करता है। इस दर्शन की तर्ज पर कंपनी के सभी कार्यालयों में मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन अजा / अजजा कल्याण संघों तथा मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन अजा / अजजा संघों के परिसंघ के साथ आवधिक बैठक बुलाई जाती हैं।

4) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार:

1. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए भर्ती के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।
2. सरकारी कंपनी में भर्ती एवं पदोन्नति के लिए आरक्षण पर प्रशिक्षण के लिए अजा / अजजा संघ के प्रतिनिधियों को नामित किया जाता है।
3. अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों से संबंधित मामलों को देखने के लिए अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
4. भारत सरकार के नियमों के अनुसार भर्ती एवं पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किया जाता है।
5. उम्मीदवारों / कर्मचारियों की भर्ती / पदोन्नति के लिए गठित पैनेलों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कम से कम एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार:

1. अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाता है।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित मामलों को देखने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है। भर्ती के पैनेलों में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाता है।

5) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन में आरक्षण से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया। अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की देखभाल करने के लिए संपर्क अधिकारी का मनोनयन किया गया है। इन श्रेणियों के उम्मीदवारों के हितों की देखभाल करने के लिए विभागीय पदोन्नति / चयन समिति की प्रत्येक बैठक में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के उपयुक्त स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया है।

6) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और

महिला कर्मचारियों के समग्र कल्याण एवं विकास को ध्यान में रखते हुए अनुकूल परिवेश का सृजन करके बहुआयामी दृष्टिकोण का अनुपालन कर रहा है।

(7) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में सभी सरकारी निर्देशों एवं अनुदेशों का नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा विधिवत रूप से अनुपालन किया जाता है। कुल 68 कर्मचारियों के विरुद्ध नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 13, 3 और 11 है।

(8) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एस टी सी) ऑफ इंडिया लिमिटेड

01 जनवरी, 2017 से 31 अक्टूबर, 2017 की अवधि में, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में कुल 100 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उक्त अवधि के दौरान प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिलाएं
प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की संख्या	27	04	21	37

(9) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा संपर्क अधिकारियों के निदेश के अनुसार यह निदेशालय उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी को मांग प्रस्तुत करता है।

(10) चेन्नई विशेष आर्थिक क्षेत्र

जहां तक पदों को भरने का संबंध है, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के रोस्टर का कड़ाई से पालन किया गया है। शिकायतों से निपटने के लिए इस कार्यालय द्वारा एक शिकायत समिति का गठन किया गया है तथा कार्यस्थल में महिलाओं के उत्पीड़न से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार समिति गठित के लिए व्यापक प्रचार भी किया गया है।

(11) विशाखपत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 'संपर्क अधिकारी' की नियुक्ति की गई है। विशाखपत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र ने अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए 'संपर्क अधिकारी' के रूप में जेडीसी की नियुक्ति की है।

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण के अधिकार और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 यह निर्बंधित करता है कि सरकार के अधीन पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए - प्रत्येक विकलांगता अर्थात् (1) अंधे और कमजोर दृष्टि (वी एच), (2) बधिर (एच एच), और (3) लोकोमोटर विकलांगता या प्रमस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्तियों के लिए 1 प्रतिशत पदों का आरक्षण।

विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश हैं ताकि विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त कार्य स्थल को सुगम बनाया जा सके। 31 अक्टूबर, 2016 तक की स्थिति के अनुसार वाणिज्य विभाग (सम्यक) तथा इसके सहायक संगठनों में विभिन्न श्रेणियों में विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुबंध 'ख' में दिया गया है।

1) पीईसी लिमिटेड

पीईसी में विकलांग व्यक्तियों के संबंध में सभी सरकारी निर्देशों / अनुदेशों का विधिवत रूप से अनुपालन किया जाता है। कर्मचारी संवर्ग के लिए पीईसी में एक समय वेतनमान पदोन्नति स्कीम मौजूद है। विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति की अर्हक अवधि में पदोन्नति के प्रत्येक चरण पर एक साल की छूट प्रदान की जाती है। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर का अनुरक्षण किया जा रहा है। आज तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2) मसाला बोर्ड

मसाला बोर्ड ने विकलांग व्यक्तियों से संबंधित आरक्षण के मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी मनोनीत किया है। वाणिज्य विभाग के अनुमोदन से समूह 'क' के लिए 1 पद अधिसूचित किया गया है जिसे प्रोसेस किया जा रहा है।

3) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

सरकार के मानदंडों के अनुसार, सभी ग्रेडों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण कुल संख्या का 3 प्रतिशत है। वर्तमान में कर्मचारियों की कुल संख्या 87 है जिसमें से 2 कर्मचारी शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी से हैं। अपेडा ने विकलांग व्यक्तियों के कल्याण का पूरा ध्यान रखा है। कार्यालय के अंदर आने और जाने के लिए अपेडा ने एक कर्मचारी को मोटर चालित हवेली चेर प्रदान किया है। इसके अलावा, उनको नियमों के अनुसार सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब तक उनसे एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

4) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

- विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को ऐसे पदों पर स्थानांतरित किया जाता है जो विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों के उपयुक्त होते हैं।
- भर्ती एवं पदोन्नति की परीक्षाओं में उनके लिए लेखक की अनुमति है।
- विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों को वरीयतः कार्यालयों में भूतल पर तैनात किया जाता है।
- विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के लिए सरकार की आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया जाता है।
- विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित मामलों को देखने के लिए विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

5) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड विकलांग कर्मचारियों के समग्र कल्याण एवं विकास को ध्यान में रखते हुए अनुकूल परिवेश का सृजन करके बहुआयामी दृष्टिकोण का अनुपालन कर रहा है।

6) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एस टी सी) ऑफ इंडिया लिमिटेड

01 जनवरी, 2017 से 31 अक्टूबर, 2017 की अवधि के दौरान विकलांग श्रेणी के 03 कर्मचारियों ने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

7) एमएमटीसी लिमिटेड

- कार्यालय परिसर में आना और जाना सुगम बनाने के उद्देश्य से विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप की व्यवस्था की गई है। चलने-फिरने में असमर्थ कर्मचारियों को हवेली चेर प्रदान किया गया है ताकि उनका कार्यालय परिसर में आसानी से आना और जाना हो सके।
- विकलांग कर्मचारियों की विकलांगता को ध्यान में रखकर उनकी तैनाती की जाती है ताकि वे अपना काम दक्षता के साथ पूरा कर सकें।
- कार्यालय भवनों में श्रव्य सिगनल हैं जो फ्लोर की घोषणा करते हैं। इनमें से कुछ में ब्रेल पद्धति में फ्लोर पहचान बटन लगे हैं।

8) कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र

आरक्षण के लिए रोस्टर का कड़ाई से पालन किया गया है।

9) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

इस कार्यालय में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा भर्ती के संबंध में जारी किए गए निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन किया गया है तथा समूह 'ग' श्रेणी में ओर्थोपेडिक दृष्टि से विकलांग व्यक्ति का एक पद आरक्षित किया गया है तथा उसे समावेशन / स्थानांतरण द्वारा 07 नवंबर, 2106 को भरा गया है।

महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम

वाणिज्य विभाग में एक स्वतंत्र महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसके कार्य मोटेतौर पर निम्नलिखित हैं :

- महिलाओं के कल्याण से संबंधित मुद्दों के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- वाणिज्य विभाग की योजनागत स्कीमों तथा अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा करना और महिलाओं के कल्याण, विकास एवं सशक्तीकरण से जुड़े पहलुओं का सुनिश्चित करना।

- ग) राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति की तर्ज पर महिलाओं के समग्र विकास के लिए विभाग से संबंधित कार्य योजनाएं तैयार करना।
घ) महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के साथ जागरूकता सप्ताह मनाना।
ड.) इस विषय से संबंधित अन्य अनुषांगिक मामले।

1) पी ई सी लिमिटेड

पीईसी लिमिटेड एक छोटा संगठन है जिसमें 31 अक्टूबर, 2016 तक की स्थिति के अनुसार कुल 120 कर्मचारी हैं जिसमें से 27 महिलाएं हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) के प्रावधानों के अनुपालन में, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण और प्रतितोष के लिए पीईसी में एक आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पीईसी में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष के लिए एक व्यापक नीति अपनाई गई है। वर्ष के दौरान, किसी भी कर्मचारी से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

एपिडा ने कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में महिला अधिकारियों को भी शामिल किया गया है।

3) एमएमटीसी लिमिटेड

क) एमएमटीसी में महिला कल्याण से जुड़े कार्य राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति के विस्तृत दिशानिर्देशों तथा सार्वजनिक क्षेत्र में महिला मंच (डब्ल्यू आई पी एस) के उद्देश्यों से चुने जाते हैं। एमएमटीसी इस मंच में अपने महिला कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। एमएमटीसी के एक महाप्रबंधक, जो महिला अधिकारी है, डब्ल्यूआईपीएस अपेक्स के महासचिव हैं। अनेक अन्य महिलाएं डब्ल्यू आईपीएस की सदस्य हैं।

ख) कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी एक सक्रिय शिकायत समिति है। यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए महिला कर्मचारी शिकायत समिति से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। समय - समय पर महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। घनिष्ठ निगरानी के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की मासिक रिपोर्ट भी प्राप्त की जाती है।

ग) एमएमटीसी द्वारा कार्य एवं व्यवहार के संबंध में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं के अच्छे प्रतिनिधित्व का सुनिश्चय किया जाता है।

4) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

1. महिला दिवस पर महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।
2. डब्ल्यूआईपीएस द्वारा संचालित कार्यक्रमों / सेमिनारों / कार्यशालाओं के लिए महिला कर्मचारियों को मनोनीत किया जाता है।
3. कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न पर एक समिति का गठन किया गया है।
4. भर्ती के लिए गठित पैनलों में महिला सदस्यों की नियुक्ति पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाता है।

5) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और इस संबंध में वाणिज्य विभाग को हर माह रिपोर्टें भेजी जा रही हैं।

6) चाय बोर्ड

चाय बोर्ड महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने की प्रक्रिया में है जहां जरूरत के अनुसार उनकी बहुमूल्य राय एवं सलाह के लिए सदस्य के रूप में बाहरी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा रहा है।

7) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसरण में, एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है जिसका प्रमुख एक महिला अधिकारी हैं तथा 2 महिला सदस्य हैं जिसमें एक महिला एनजीओ सदस्य शामिल है।

8) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

महिलाओं के मामले में, महिलाओं के मामलों को देखने के लिए एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

9) कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र

इस कार्यालय ने महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है तथा अपने सभी कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार करता है, चाहे वे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के हों या महिला हों।

10) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

अनुबंध 'क'

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार)	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो कलेक्टर वर्ष 2017 के अंत में भरी नहीं गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
वाणिज्य विभाग (मुकम्मल)	समूह 'क'	133	-	15	-	3	-	8	-	-	
	समूह 'ख'	195	-	29	-	8	-	23	-	-	
	समूह 'ग'	168	1	47	-	21	-	24	-	-	
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	समूह 'च' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
वाणिज्य विभाग के अधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय											
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी जी एफ टी) का कार्यालय, नई दिल्ली	समूह 'क'	137	9	20	1	8	शून्य	14	0	शून्य	
	समूह 'ख'	353	24	59	05	29	04	13	शून्य	5	
	समूह 'ग'	449	शून्य	117	शून्य	29	शून्य	33	शून्य	17	
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	232	शून्य	73	शून्य	19	शून्य	16	शून्य	3	
	समूह 'च' (केवल सफाई कर्मचारी)	3	शून्य	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	
वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस), कोलकाता	समूह 'क'	23	-	1	-	-	-	4	-	-	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित
	समूह 'ख'	182	-	48	-	15	-	1	-	-	भर्ती नियम के अनुसार अर्हक सेवा पूरी न करने के कारण अनुसूचित जनजाति के लिए 1 (एक) पद खाली पड़ा है।
	समूह 'ग'	102	5	12	1	8	-	34	1 (अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में नियुक्त किया गया है)	डाटा प्रोसेसिंग सहायक (अनुसूचित जाति-11, अनुसूचित जनजाति-4, अन्य पिछड़ा वर्ग-4, अनारक्षित-29) और अवर श्रेणी लिपिक (अनुसूचित जाति-2, अनुसूचित जनजाति-1, अन्य पिछड़ा वर्ग-2, अनारक्षित पद) के 48 पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग को नया मांग पत्र पहले ही भेजा जा चुका है।	
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	39	-	10	-	2	-	1	-	-	अनुसूचित जनजाति के 1 पद के लिए कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजी गई है
	समूह 'च' (केवल सफाई कर्मचारी)	3	शून्य	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार)	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति के दौरान भर्ती किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति और आरक्षित स्थितियों की संख्या जो कलेक्टर वर्ष 2017 के अंत में भरी नहीं गई हैं		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोचीन	समूह 'क'	03	शून्य	01	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य
	समूह 'ख'	25	शून्य	03	शून्य	01	शून्य	07	शून्य	शून्य
	समूह 'ग'	26	शून्य	06	शून्य	01	शून्य	12	शून्य	शून्य
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एम ई पी जेड, चेन्नई	समूह 'क'	5	1	0	0	0	0	3	1	शून्य
	समूह 'ख'	57	6	9	2	2	0	9	2	शून्य
	समूह 'ग'	36	0	18	0	0	0	10	0	शून्य
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, कांडला	समूह 'क'	4	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ख'	8	शून्य	शून्य	शून्य	2	शून्य	1	शून्य	शून्य
	समूह 'ग'	38	शून्य	4	शून्य	शून्य	शून्य	4	शून्य	शून्य
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	37	शून्य	10	शून्य	6	शून्य	10	शून्य	शून्य
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	2	शून्य	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशाखापत्तनम	समूह 'क'	4	1	1	-	-	-	1	-	एन ए
	समूह 'ख'	12	4	1	-	-	-	-	-	एन ए
	समूह 'ग'	18	-	5	-	2	-	7	-	एन ए
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	शून्य

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार)	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	शून्य
	समूह 'क'	2	शून्य	2	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ख'	23	शून्य	02	शून्य	02	शून्य	01	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ग'	10	शून्य	04	शून्य	-	शून्य	01	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एस ई ई पी जेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुंबई	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'क'	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'ख'	15 (14 प्रतिनियुक्ति पर + 1)	1 (तदर्थ आधार पर)	3	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'ख'	20 (19 प्रतिनियुक्ति आधार पर + 1)	1	-	-	2	-	-	1	-	-
	समूह 'ग'	61 (60 +1 प्रतिनियुक्ति आधार पर)	-	15	15	3	3	3	19	-	प्रवर श्रेणी लिपिक: 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति अवर श्रेणी लिपिक: 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति
इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र, इंदौर	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'क'	3	3	शून्य	शून्य	1	1	1	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ख'	17	17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ग'	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र, इंदौर	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'क'	3	3	शून्य	शून्य	1	1	1	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ख'	17	17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ग'	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार)	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति और आरक्षित जाति के लिए जो कलेक्टर वर्ष 2017 के अंत में भरी नहीं गई है				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा	समूह 'क'	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'ख'	22	-	3	-	-	--	-	-	-
	समूह 'ग'	41	-	10	-	3	-	11	-	-
	समूह 'घ'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (क)		2020	72	44.3	24	135	8	214	4	30
वाणिज्य विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय एवं वस्तु बोर्ड										
कॉफी बोर्ड, बंगलौर	समूह 'क'	89	शून्य	13	शून्य	7	शून्य	21	शून्य	3
	समूह 'ख'	187	शून्य	33	शून्य	13	शून्य	25	शून्य	12
	समूह 'ग'	524	शून्य	96	शून्य	30	शून्य	74	शून्य	53
	समूह 'घ'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मसाला बोर्ड, कोचीन	समूह 'क'	94	शून्य	12	शून्य	8	शून्य	24	शून्य	शून्य
	समूह 'ख'	133	शून्य	17	शून्य	14	शून्य	40	शून्य	शून्य
	समूह 'ग'	197	शून्य	30	शून्य	20	शून्य	68	शून्य	शून्य
	समूह 'घ'	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रबर बोर्ड, कट्टायम	समूह 'क'	302	-	34	-	19	-	55	-	--
	समूह 'ख'	616	-	75	-	41	-	97	-	--
	समूह 'ग'	589	-	86	-	59	-	182	-	-

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार)	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति और आरक्षित स्थितियों की संख्या जो कलेक्टर वर्ष 2017 के अंत में भरी नहीं गई हैं		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
तेवाकू बोर्ड, गुडूर	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	1	-	1	-	-	-	-	-	--	
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	समूह 'क'	91	0	19	0	7	0	4	0	0	
	समूह 'ख'	112	0	24	0	8	0	24	0	0	
	समूह 'ग'	328	0	56	0	17	0	75	0	0	
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0		0	0	0	0	
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	चाय बोर्ड, कोलकाता	समूह 'क'	69	36	9	5	4	1	16	11	0
		समूह 'ख'	147	76	26	11	5	5	31	29	11
		समूह 'ग'	278	199	49	40	18	17	23	21	10
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	
	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए), नई दिल्ली	समूह 'क'	25	0	5	0	1	0	1	0	1
		समूह 'ख'	31	0	6	0	1	0	4	0	1
		समूह 'ग'	31	0	4	0	3	0	6	0	8
समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार)	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति और आरक्षित स्थितियों की संख्या जो कलेक्टर वर्ष 2017 के अंत में भरी नहीं गई हैं		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद् (ई आई सी), नई दिल्ली	समूह 'क'	113 (1 प्रतिनियुक्ति पर)	11	19	3	5	-	21	1	-
	समूह 'ख'	35	3	5	1	5	-	8	-	-
	समूह 'ग'	180	5	26	1	3	-	26	1	-
	समूह 'घ'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'च' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'क'	71	7 (4 - सीधी भर्ती, 3 - प्रतिनियुक्ति पर)	13	2	8	1	25	2 (प्रतिनियुक्ति पर)	-
	समूह 'ख'	98	1	22	-	8	1	28	-	अनुसूचित जाति - 3, अनुसूचित जनजाति - 2 (मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पदों की सभी भर्ती प्रक्रिया को प्रास्थगित कर दिया गया)
	समूह 'ग'	79	-	12	-	4	-	33	-	अनुसूचित जाति-3 (मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पदों की सभी भर्ती प्रक्रिया को प्रास्थगित कर दिया गया)
	समूह 'घ'	25	-	5	-	5	-	6	-	-
समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (ख)		4445	338	697	63	313	25	917	65	107
वाणिज्यिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम										
भारतीय राज्य व्यापार निगम (एस टी सी), नई दिल्ली	समूह 'क'	427	7	101	0	23	0	42	2	01 जनवरी, 2016 से 31 अक्टूबर, 2016 तक की अवधि के लिए 31 अक्टूबर, 2016 की स्थिति के अनुरूप पिछले साल के विवरण के अनुसार, अनुसूचित जाति के 02 पद तथा अनुसूचित जनजाति का 01 पद खाली था तथा वे स्क्रोनिंग प्रक्रिया के अधीन थे। स्क्रोनिंग प्रक्रिया के दौरान अनुसूचित जाति के केवल 1 उम्मीदवार ने पात्रता के मापदंडों को पूरा किया तथा उसका चयन किया गया और प्रस्ताव पत्र जारी किया गया परंतु उसने ज्वाइन नहीं किया। अतः अनुसूचित जाति के 02 आरक्षित पदों तथा अनुसूचित जनजाति के 01 को भरा नहीं जा सका, जिनको भावी भर्ती प्रक्रिया में भरा जाएगा।
	समूह 'ख'	-	-	-	-	-	-	-	-	01 जनवरी, 2017 से 31 अक्टूबर, 2017 की अवधि के दौरान भर्ती की कोई नई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई।

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार)	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	समूह 'ख'	102	0	14	0	10	0	8	0	0	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थितियों की संख्या जो कलेक्टर वर्ष 2017 के अंत में भरी नहीं गई है।
	समूह 'ग'	97	0	42	0	11	0	6	0	0	
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन (एम एम टी सी) लिमिटेड, नई दिल्ली	समूह 'क'	464	10	91	0	36	0	36	4	4	
	समूह 'ख'	468	-	94	-	58	-	20	-	-	
	समूह 'ग'	106	-	17	-	6	-	28	-	-	
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	136	-	44	-	10	-	32	-	-	
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ), नई दिल्ली	समूह 'क'	140	-	27	-	05	-	13	-	-	
	समूह 'ख'	68	-	14	-	04	-	01	-	-	
	समूह 'ग'	223	09	48	5	05	-	20	04	04	1 (अनुसूचित जनजाति)
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	290	-	68	-	03	-	10	-	-	
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	49	-	47	-	-	-	-	-	-	
प्रोजेक्ट्स एंड इन्फ्रामैट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (पी ई सी) लिमिटेड, नई दिल्ली	समूह 'क'	107 (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 2 निदेशक तथा मुख्यक सतर्कता अधिकारी सहित)	4 (तीन ने मार्च, 2017 में जॉइन्ट किया है)	21	-	6	-	18	01	04	
	समूह 'ख'	10	-	02	-	01	-	02	-	-	
	समूह 'ग'	03	-	01	-	01	-	-	-	-	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार)	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थलों की संख्या जो कलेक्टर वर्ष 2017 के अंत में भरी नहीं गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया (ई सी जी सी) लिमिटेड, मुंबई	समूह 'क'	256	शून्य	40	शून्य	14	शून्य	37	शून्य	शून्य
	समूह 'ख'	331	28	59	2	25	1	70	6	शून्य
	समूह 'ग'	22	शून्य	8	शून्य	3	शून्य	1	शून्य	शून्य
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	9	शून्य	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप जोड़ (ग)		3308	58	740	7	221	1	344	17	5
कुल योग = (वाणिज्यिक विभाग+क+ख+ग)		10269	469	1971	94	701	34	1530	86	142

अनुबंध (ख)

सहायक कंपनी का नाम संगठन	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार)	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	दृष्टि विकलांग कर्मचारियों की संख्या	अस्थि विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अस्थि विकलांग उम्मीदवारों की संख्या	श्रवण विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए श्रवण विकलांग उम्मीदवारों की संख्या	विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो 31 अक्टूबर, 2017 तक फि स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई है (आरक्षित रिक्तियों के भरे न जाने के कारण)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
वाणिज्य विभाग (सम्यक)	समूह 'क'	133	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'ख'	195	-	2	-	2	-	2	-
	समूह 'ग'	164	-	2	-	1	-	-	1
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'च' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-
वाणिज्य विभाग के अधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय									
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी जी एफ टी) का कार्यालय, नई दिल्ली	समूह 'क'	137	9	शून्य	शून्य	02	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ख'	353	24	1	शून्य	3	शून्य	3	शून्य
	समूह 'ग'	460	शून्य	1	शून्य	8	शून्य	शून्य	5
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	232	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'च' (केवल सफाई कर्मचारी)	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस), कोलकाता	समूह 'क'	23	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित	-	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित	-	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित	
	समूह 'ख'	182	-	-	-	3	-	-	समूह 'ख' के सभी पद पदोन्नति के पद हैं तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।
	समूह 'ग'	102	5	-	-	2	-	-	विकलांग श्रेणी के 2 उम्मीदवारों (डी पी ए पद के लिए 1 और एल डी सी पद के लिए 1 विकलांग व्यक्ति) के लिए कर्मचारी चयन आयोग को मांग पहले ही भेज दी गई है।
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	39	-	1	-	-	-	-	विकलांग श्रेणी के 1 उम्मीदवार के लिए कर्मचारी चयन आयोग को मांग पहले ही भेज दी गई है।
	समूह 'च' (केवल सफाई कर्मचारी)		छठवें सी पी सी की सिफारिश के अनुसार, समूह शघ के सभी कर्मचारियों को समूह शग (एम टी एस) के रूप में माना जाता है।						

सहायक कंपनी का नाम संगठन	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार)	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	दृष्टि विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अस्थि विकलांग उम्मीदवारों की संख्या	अस्थि विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अस्थि विकलांग उम्मीदवारों की संख्या	श्रवण विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए श्रवण विकलांग उम्मीदवारों की संख्या	विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो 31 अक्टूबर, 2017 तक कि स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई है (आरक्षित रिक्तियों के भरे न जाने के कारण)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोचीन	समूह 'क'	03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ख'	25	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ग'	26	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'घ'	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एम ई पी जेड, चेन्नई	समूह 'घ'	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'क'	5	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ख'	57	6	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ग'	36	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, कांडला	समूह 'घ'	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'घ'	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'क'	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशाखापत्तनम	समूह 'ख'	8	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ग'	38	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'घ'	37	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'घ'	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशाखापत्तनम	(केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'क'	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ख'	12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ग'	18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'घ'	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशाखापत्तनम	(सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'क'	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ख'	12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ग'	18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'घ'	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

महायुक्त कंपनी का नाम संगठन	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार)	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	वृष्टि विकास कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अस्थि विकास उम्मीदवारों की संख्या	अस्थि विकास कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अस्थि विकास उम्मीदवारों की संख्या	श्रवण विकास कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए श्रवण विकास उम्मीदवारों की संख्या	विकास व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो 31 अक्टूबर, 2017 तक कि स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई है (आरक्षित रिक्तियों के भरे न जाने के कारण)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता	समूह 'क' (केवल सफाई कर्मचारी)	2	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ख'	23	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ग'	10	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'च' (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एस ई ई पी जेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुंबई	समूह 'क' 6 (प्रतिनियुक्ति आधार पर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'ख' 15 (14 प्रतिनियुक्ति पर + 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'ख' 20 (19 प्रतिनियुक्ति (अग्रजपत्रित) आधार पर + 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'ग' 61 (60 + 1 प्रतिनियुक्ति आधार पर)	61	-	-	-	-	-	-	-	1 अवर श्रेणी लिपिक (एचएच)
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र, इंदौर	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'क' 3	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ख' 17	17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ग' शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सहायक कंपनी का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार)	कलेडर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	दृष्टि विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेडर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अस्थि विकलांग उम्मीदवारों की संख्या	अस्थि विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेडर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अस्थि विकलांग उम्मीदवारों की संख्या	श्रवण विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेडर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए श्रवण विकलांग उम्मीदवारों की संख्या	विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो 31 अक्टूबर, 2017 तक कि स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई है (आरक्षित रिक्तियों के भरे न जाने के कारण)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा	समूह 'क'	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'ख'	22	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'ग'	41	-	-	-	-	1	-	-	-
	समूह 'घ'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'च' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'च' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (क)		2030	126	3	शून्य	23	1	3	0	9
वाणिज्य विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय एवं वस्तु बोर्ड										
कॉफी बोर्ड, बंगलौर	समूह 'क'	89	शून्य	-	शून्य	1	शून्य	-	शून्य	शून्य
	समूह 'ख'	187	शून्य	2	शून्य	3	शून्य	1	शून्य	शून्य
	समूह 'ग'	524	शून्य	3	शून्य	4	शून्य	3	शून्य	शून्य
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मसाला बोर्ड, कोचीन	समूह 'क'	94	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1
	समूह 'ख'	133	शून्य	शून्य	शून्य	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ग'	197	शून्य	3	शून्य	3	शून्य	2	शून्य	शून्य
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रबर बोर्ड, कट्टायम	समूह 'क'	302	-	-	-	1	-	-	-	-
	समूह 'ख'	616	-	2	-	8	-	2	-	-
	समूह 'ग'	589	-	2	-	10	-	2	-	-

सहायक कंपनी का नाम संगठन	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार)	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	दृष्टि विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों की संख्या	अस्थि विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अस्थि विकलांग उम्मीदवारों की संख्या	श्रवण विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए श्रवण विकलांग उम्मीदवारों की संख्या	विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो 31 अक्टूबर, 2017 तक कि स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई है (आरक्षित रिक्तियों के भरे न जाने के कारण)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
तंबाकू बोर्ड, गुडूर	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'क'	91	0	0	0	0	0	0	0	1
	समूह 'ख'	112	0	0	0	7	0	0	0	0
	समूह 'ग'	328	0	2	0	10	0	1	0	0
चाय बोर्ड, कोलकाता	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	समूह 'क'	69	36	0	0	0	0	0	0	1
	समूह 'ख'	147	76	0	0	0	0	0	0	0
	समूह 'ग'	287	199	0	0	3	0	0	0	0
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एफडीपी), नई दिल्ली	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
	समूह 'क'	25	0	0	0	01	0	0	0	0
	समूह 'ख'	31	0	0	0	0	0	0	0	01
	समूह 'ग'	31	0	0	0	01	0	0	0	0

(क) पहली अधिसूचना के जवाब में 96 आवेदन प्राप्त हुए परंतु केवल एक आवेदक पात्र है।
तथापि वह उपस्थित नहीं हुआ।
(ख) दूसरी अधिसूचना के जवाब में 11 आवेदन प्राप्त हुए परंतु एक भी आवेदक पात्र नहीं है।
(ग) विकलांग - एचएच श्रेणी का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है जबकि विकलांगता की अन्य श्रेणी का उम्मीदवार उपलब्ध है। अतः बोर्ड ने मंत्रालय को एक पत्र प्रस्तुत किया है।

सहायक कंपनी का नाम संगठन	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार)	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	दृष्टि विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों की संख्या	अस्थि विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अस्थि विकलांग उम्मीदवारों की संख्या	श्रवण विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए श्रवण विकलांग उम्मीदवारों की संख्या	विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो 31 अक्टूबर, 2017 तक कि स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई है (आरक्षित रिक्तियों के भरे न जाने के कारण)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
भारतीय न्याय निरीक्षण परिषद (ई आई सी), नई दिल्ली	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	समूह 'क'	113 (1 प्रतिनियुक्ति पर)	11	-	-	2	-	-	-	-
	समूह 'ख'	35	3	-	-	2	-	-	-	-
	समूह 'ग'	180	5	-	-	2	-	1	-	-
भारतीय न्याय निरीक्षण परिषद (ई आई सी), नई दिल्ली	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'क'	71	7 (4 - सीधी भर्ती, 3 - प्रतिनियुक्ति पर)	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'ख'	98	1	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'ग'	79	-	2	-	-	-	-	-	1 (एचएच)
भारतीय राज्य व्यापार निगम (एस टी सी), नई दिल्ली	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'क'	427	7	2	1	8	0	1	0	0
	समूह 'ख'	427	7	2	1	8	0	1	0	0
	समूह 'ग'	427	7	2	1	8	0	1	0	0
उप जोड़ (ख)	4454	338	16	62	शून्य	12	शून्य	5	शून्य	5
वाणिज्यिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम										
भारतीय राज्य व्यापार निगम (एस टी सी), नई दिल्ली	समूह 'क'	427	7	2	1	8	0	1	0	0
01 जनवरी, 2016 से 31 अक्टूबर, 2016 तक की अवधि के लिए, 31 अक्टूबर, 2016 की स्थिति के अनुरूप पिछले साल के विवरण के अनुसार, अनुसूचित जाति के 02 पद तथा अनुसूचित जनजाति का 01 पद खाली था तथा वे स्क्रोनिंग प्रक्रिया के अधीन थे। स्क्रोनिंग प्रक्रिया के दौरान अनुसूचित जाति के केवल 1 उम्मीदवार ने पात्रता के मापदंडों को पूरा किया तथा उसका चयन किया गया और प्रस्ताव पत्र जारी किया गया परंतु उसने जॉइन										

सहायक कंपनी का नाम संगठन	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार)	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	दृष्टि विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अस्थि विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अस्थि विकलांग उम्मीदवारों की संख्या	श्रवण विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए श्रवण विकलांग उम्मीदवारों की संख्या	विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो 31 अक्टूबर, 2017 तक कि स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई है (आरक्षित रिक्तियों के भरे न जाने के कारण)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन (एम एम टी सी) लिमिटेड, नई दिल्ली	समूह 'ख'	102	0	1	0	1	0	0	0	नहीं किया। अतः अनुसूचित जाति के 02 आरक्षित पदों तथा अनुसूचित जनजाति के 01 को भरा नहीं जा सका, जिनको भावी भर्ती प्रक्रिया में भरा जाएगा। 01 जनवरी, 2017 से 31 अक्टूबर, 2017 की अवधि के दौरान भर्ती की कोई नई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। संगठन की नीति के अनुसार अनुकंपा आधार पर की गई नियुक्तियों को छोड़कर पिछले लगभग 21 वर्षों से स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में समूह 'ख' और 'ग' में कोई भर्ती नहीं हुई है।
	समूह 'ग'	97	0	0	0	1	0	0	0	
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	समूह 'क'	464	10	1	0	9	0	3	0	1
	समूह 'ख'	468	-	1	0	8	0	0	0	0
भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ), नई दिल्ली	समूह 'ग'	106	-	0	0	1	0	0	0	0
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	136	-	0	0	0	0	0	0	0
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	समूह 'क'	148	-	-	-	-	-	01	-	01 (एचएच)
	समूह 'ख'	68	-	-	-	-	-	-	-	
	समूह 'ग'	223	09	-	-	04	-	02	-	01 (वीएच)
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	290	-	02	-	02	-	-	-	
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	49	-	-	-	01	-	-	-	

सहायक कंपनी का नाम संगठन	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार)	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	दृष्टि विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों की संख्या	अस्थि विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए अस्थि विकलांग उम्मीदवारों की संख्या	श्रवण विकलांग कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर वर्ष 2017 के दौरान भर्ती किए गए श्रवण विकलांग उम्मीदवारों की संख्या	विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो 31 अक्टूबर, 2017 तक कि स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई है (आरक्षित रिक्तियों के भरे न जाने के कारण)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
प्रोजेक्ट्स एंड इन्विस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (पी ई सी) लिमिटेड, नई दिल्ली	समूह 'क'	107 (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 2 निदेशक तथा मुख्यक सतर्कता अधिकारी सहित)	4 (तीन ने मार्च, 2017 में जॉविइन किया है)	01	-	02	-	-	-	-
	समूह 'ख'	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'ग'	03	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'घ'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एसआईपीएंड क्रैडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया (ई सी जी सी) लिमिटेड, मुंबई	समूह 'क'	256	शून्य	2	शून्य	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'ख'	331	28	2	शून्य	3	शून्य	1	1	शून्य
	समूह 'ग'	22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'घ'	9	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'घ' (सफाईकर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप जोड़ (ग)		3316	58	13	1	43	शून्य	8	1	6
कुल योग = (वाणिज्यिक विभाग+क+ख+ग)		10292	522	36	1	131	1	23	3	21



पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता तथा संबद्ध गतिविधियां

नागरिक चार्टर

वाणिज्य विभाग व्यापार जगत एवं आम जनता के साथ अपने संव्यवहार में निष्ठा और विवेक, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ तथा शिष्टाचार एवं समझ से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों को सभी सेवाएं एवं प्रतिबद्धताएं सबसे प्रभावी एवं कारगर ढंग से प्रदान की जाएंगी।

वाणिज्य विभाग सार्वजनिक लाभ को अधिकतम करने के लिए विदेश व्यापार नीति की प्रतिक्रियाएं विकसित करने का प्रयास करेगा तथा भूमंडलीकृत एवं उदारीकृत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लागू नियमों के तहत विभिन्न अपेक्षाओं को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने ग्राहक समूहों से निरंतर परामर्श करेंगे और विभाग के लिए संगत कानून एवं प्रतिक्रियाओं में सभी परिवर्तनों का समय पर प्रचार करेंगे।

लोक शिकायत

लोक शिकायत प्रकोष्ठ त्वरित निवारण के लिए वाणिज्य विभाग और इसके अधीन कार्यालयों के विभागीय स्टाफ की सार्वजनिक शिकायतों, समस्याओं की निगरानी का काम देखता है। गेट नंबर 14, उद्योग भवन, नई दिल्ली में सूचना एवं सुविधा काउंटर पर एक शिकायत पेटी रखी गई है।

सतर्कता प्रकोष्ठ

प्रभाग प्रमुख के रूप में संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी (जेएस एवं सीवीओ) के साथ विभाग में सतर्कता अनुभाग निम्नलिखित कार्य करता है:

- आचरण नियमावली का कार्यान्वयन
- वार्षिक संपत्ति विवरणियों की प्रोसेसिंग
- सतर्कता संबंधी गतिविधियों पर मुख्य सतर्कता आयोग को मुख्य सतर्कता अधिकारी की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- कार्मिक विभाग को एक समेकित तिमाही रिपोर्ट भेजने के लिए सतर्कता मामलों की तिमाही सांख्यिकीय रिपोर्ट संकलित करना

- आचरण नियमावली के प्रावधान के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान करने से संबंधित कार्य

सतर्कता अनुभाग निम्नलिखित गतिविधियों को भी संभालता है:

- संवेदनशील कार्यालयों का नियमित एवं औचक निरीक्षण करना
- ऐसी प्रक्रियाओं जिनके बारे में लगता है कि उनसे भ्रष्टाचार या कदाचार की गुंजाइश है, और विभाग एवं इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में भ्रष्टाचार एवं कदाचारों को रोकने, उनका पता लगाने के लिए अन्य उपाय शुरू करने तथा भ्रष्ट आचरण के लिए दंड देने की प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा उनको सरल एवं कारगर बनाना
- विभाग में अवांछनीय व्यक्तियों की विजिट / गतिविधियों पर नजर रखना
- “संदिग्ध निष्ठा” वाले अधिकारियों की सूची / सहमत सूची तैयार करना और गैर संवेदनशील क्षेत्रों में उनकी तैनाती करना

वाणिज्य विभाग का सतर्कता अनुभाग भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारियों तथा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा वस्तु बोर्डों में काम करने वाले बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों के अनुशासनिक मामलों को देखता है, जबकि विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा वस्तु बोर्डों के गैर बोर्ड स्तरीय कर्मचारियों के मामलों की देखरेख संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी / संगठन प्रमुखों द्वारा की जाती है।

संबंधित प्रशासनिक प्रभागों / संगठनों से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्टों के आधार पर व्यक्तियों तथा सी बी आई / सी वी सी / पी एम ओ आदि जैसे अन्य संगठनों से प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है। यदि आवश्यक होता है, तो शिकायत के गुण-दोष की जांच पड़ताल करने के लिए प्रारंभिक जांच की जाती है। यदि शिकायत में कोई सच्चाई होती है, तो नियमित विभागीय कार्रवाई की जाती है।

क्र. सं.	सेवाएं / लेनदेन	अधिकतम समय सीमा
1	बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए अनुमोदन	यह एक गैर योजनेतर स्कीम है जिसका वित्त वर्ष 2017-18 से एमएआई में विलय हो गया है।
2	एमएआई स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए अनुमोदन	ई एंड एमडीए प्रभाग में प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 3 माह
3	निर्यात व्यापार अवसरचना स्कीम (टी आई ई एस) के तहत परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए अनुमोदन	3 माह* (*पूर्ण दस्तावेजों की उपलब्धता तथा निधियों की उपलब्धता के अधीन)
4	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड) स्थापित करने के लिए अनुमोदन	क. राज्य सरकार की सिफारिशों तथा पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के अंदर मामलों को अनुमोदन बोर्ड (बी ओ ए) के समक्ष रखना, ख. सुरक्षा क्लीयरेंस के अधीन, अनुमोदन बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से 20 दिन के अंदर मंजूरी पत्र जारी करना
5	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 क. सूचना प्रदान करना या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निर्दिष्ट किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करना ख. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत की गई अपीलों का निस्तारण	क. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर ख. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर
लोक शिकायत तंत्र		
6	लोक शिकायतों का समाधान	60 दिन (पूर्ण ब्यौरों की प्राप्ति तथा शिकायत पर अंतिम निर्णय लेने वाले प्राधिकारी से प्रत्युत्तर की प्राप्ति के अधीन)। (*यदि अधिक समय लगने की संभावना होती है, तो शिकायतकर्ता को 60 दिन के अंदर अंतरिम जवाब के माध्यम से सूचित किया जाता है)।
7	विदेश व्यापार महानिदेशालय आदि द्वारा पारित किए गए सांविधिक आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलों पर अपील समिति द्वारा कार्रवाई करने के लिए	3 माह के अंदर टिप्पणी : यह अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों से पूर्ण ब्यौरों / दस्तावेजों की प्राप्ति के अधीन है।

वर्ष 2017-18 के दौरान (17 अप्रैल से 22 अक्टूबर 2017 तक), लगभग 124 अन्वेषण / जांच की गई तथा जांच की इन कार्यवाहियों के आधार पर संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा वस्तु बोर्डों एवं वाणिज्यिक विभाग में 21 मामलों में छोटे / बड़े दंड लगाए गए।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों में जागरूकता सृजित करने के लिए 30 अक्टूबर 2017 से 4 नवंबर 2017 की अवधि के दौरान कार्यशालाओं / संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन, शपथ ग्रहण, पंफलेट का निर्गम आदि के माध्यम से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

सूचना का अधिकार (आर टी आई)

वाणिज्य विभाग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है तथा सभी आवश्यक प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को अपनी वेबसाइट पर डाला है। इस समय विभाग ने निदेशक / उप सचिव स्तर के 36 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी पी आई ओ) तथा 16 प्रथम अपीली प्राधिकारी (एफ ए ए) हैं, जो अपर सचिव / संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल प्रथम अपील (अपीलों) की सुनवाई करते हैं एवं निस्तारण करते हैं।

इसके अलावा, वाणिज्य विभाग के क्षेत्राधिकार में 31 लोक प्राधिकारी (पी ए) हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए इन सभी लोक प्राधिकारियों के अपने स्वयं के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीली प्राधिकारी हैं।

अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 की अवधि के दौरान, इस विभाग के विभिन्न केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों / अपीली प्राधिकारियों द्वारा 967 आर टी आई अवेदनों का निस्तारण किया गया तथा 494 आवेदन अन्य लोक प्राधिकारियों को हस्तांतरित किए गए। इसी अवधि के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 118 अपीलों का भी निस्तारण किया गया।

अप्रैल, 2017 से सितंबर, 2017 की अवधि के दौरान, इस विभाग के विभिन्न केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों द्वारा 456 अवेदनों का निस्तारण किया गया तथा 199 आवेदन अन्य लोक प्राधिकारियों को हस्तांतरित किए गए। इसी अवधि के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 32 अपीलों का निस्तारण किया गया।

राजभाषा

वाणिज्य विभाग का हिंदी अनुभाग विभाग में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के प्रचार-प्रसार के लिए जिम्मेदार है। हिंदी अनुभाग राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई नीतियों, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा भारत के माननीय राष्ट्रपति को की गई सिफारिशों, राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए निदेशों को लागू करता है। वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

हिंदी प्रोत्साहन योजना: पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी हिंदी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना लागू की गई। इस योजना के तहत, वर्ष में न्यूनतम 20000 शब्द लिखने वाले हिंदी भाषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा वर्ष में न्यूनतम 10000 शब्द लिखने वाले अहिंदी भाषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 5000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान, हिंदी में अपना काम करने के लिए 52 हिंदी भाषी और 5 अहिंदी भाषी अधिकारियों / कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किया गया।

हिंदी पखवाड़ा: पिछले वर्षों की परंपरा का अनुसरण करते हुए, वाणिज्य विभाग में इस साल 01 से 15 सितंबर के दौरान हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। पांच प्रतियोगिताओं अर्थात् हिंदी में निबंध लेखन, हिंदी में प्रारूपण, हिंदी टंकण, राजभाषा का ज्ञान तथा हिंदी में अनुवाद एवं श्रुतलेखन का आयोजन किया गया जिसमें विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक: वर्ष 2016-17 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की गई। विभाग में राजभाषा के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैठकों का आयोजन किया जाता है तथा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं।

संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण: वर्ष 2016-17 के दौरान वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने कुल 12 संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया तथा कार्यालयों को समझाया गया कि हिंदी में काम करते समय आने वाली समस्याओं से कैसे निपटा जाता है।

हिंदी सलाहकार समिति का गठन: हिंदी सलाहकार समिति के गठन की प्रक्रिया चल रही है। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद हिंदी सलाहकार समिति के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी।

ई-गवर्नेंस

विभाग ने रोजमर्रा के अपने कामकाज एवं प्रक्रियाओं, सेवाओं की प्रदायगी, देश के व्यापार डाटाबेस के प्रबंधन और सूचना के प्रसार में आईसीटी के प्रयोग के साथ ई-गवर्नेंस के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा है। विभाग की वेबसाइट: <http://commerce.gov.in> सूचना के प्रसार का मुख्य स्रोत है। विभाग के कामकाज, विभिन्न गतिविधियों, घटनाओं तथा विभाग द्वारा शुरू की गई व्यापार वार्ता एवं देश के व्यापार पर अपडेट्स के बारे में नवीनतम सूचना प्रदान करने के लिए इसे नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है।

वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) और वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) क्रियाशील हैं तथा विभाग के लिए 24 * 7 ईमेल, इंटरनेट / इंटरनेट प्रचालन के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) द्वारा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है। विभाग के कर्मचारियों एवं आंतरिक प्रयोक्ताओं को ई-गवर्नेंस एवं कार्यालय आटोमेशन के विभिन्न अप्लीकेशन के लिए एकल खिड़की अक्सेस प्रदान करने के लिए एक इंटरनेट पोर्टल क्रियाशील है तथा एन आई सी द्वारा इसका अनुरक्षण किया जा रहा है।

विभाग में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठकों का आयोजन करने के लिए लागत प्रभावी उपायों में से एक के रूप में निकनेट पर वीडियो कान्फरेंस का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। पिछले वर्ष ऐसी 48 बैठकों का आयोजन किया गया।

ई-गवर्नेंस की प्रमुख पहलों में से एक के रूप में तथा कम कागज वाले परिवेश का सृजन करने के लिए, ई-ऑफिस सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड, छुट्टी प्रबंधन एवं दौरा प्रबंधन, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली जैसे इसके अन्य घटकों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक फाइल / पावती मूवमेंट के लिए सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। मौजूदा फाइलों का डिजिटलीकरण किया गया है तथा ई-ऑफिस सिस्टम में एकीकृत किया गया है।

विदेश स्थित भारतीय मिशन / पोस्टों में वाणिज्यिक प्रकोष्ठ

विदेश स्थित भारतीय मिशनों / पोस्टों में 66 औपचारिक वाणिज्यिक प्रकोष्ठ काम कर रहे हैं जो वाणिज्य विभाग के बजट से वित्त पोषित हैं। यूनिट के रूप में काम करने वाले ये वाणिज्यिक प्रकोष्ठ भारतीय मिशनों से संबद्ध हैं। इनमें विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा में भारतीय स्थाई मिशन तथा ब्रुसेल्स में विभाग का मिशन शामिल हैं। इसके अलावा, वाणिज्यिक एवं आर्थिक कार्य करने के लिए या व्यापार संवर्धन की गतिविधियां संचालित करने के लिए स्थानीय विपणन सहायक नियुक्त करने के लिए 40 अन्य भारतीय मिशनों को वाणिज्यिक बजट प्रदान किया गया है।

विदेश स्थित हमारे मिशनों के वाणिज्यिक प्रकोष्ठ संबंधित मेजबान देश के साथ भारत के व्यापार से संबंधित विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने में वाणिज्य विभाग के विस्तार केंद्र के रूप में काम करते हैं। इसके तहत निम्नालिखित शामिल हैं:

- 1) सूचना एवं विपणन आसूचना जिसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, आर्थिक एवं निवेश सूचना का संग्रहण एवं पारेषण; आर्थिक, वाणिज्यिक एवं व्यापार नीति की घटनाओं की निगरानी; दोनों देशों में सरकार के स्तर पर तथा कारोबारी समुदायों के स्तर पर द्विपक्षीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों की निगरानी; बाजार अनुसंधान, सर्वेक्षण तथा चल रहे व्यापार का समालोचनात्मक विश्लेषण शामिल है;
- 2) व्यापार एवं निवेश संवर्धन जिसमें अन्य बातों के साथ व्यापार एवं निवेश से संबंधित पूछताछ के जवाब देना, माल व्यापार का संवर्धन, निवेश एवं संयुक्त उद्यमों का संवर्धन तथा व्यापार से संबंधित विवादों के समाधान में सहायता प्रदान करना शामिल है।
- 3) व्यापार एवं आर्थिक चर्चा जिसमें अन्य बातों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक एवं

वाणिज्यिक संबंध पर अनुवर्ती कार्रवाई, परियोजना निर्यात एवं सेवाओं का संवर्धन, ब्रांड / बाजार संवर्धन, भारत के व्यापार एवं निवेश पर बल के साथ बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय संस्थाओं से संबंधित नई रूझानों का विश्लेषण आदि शामिल हैं।

इन वाणिज्यिक प्रकोष्ठों को सुदृढ़ करने तथा उनकी गतिविधियों में वृद्धि करने के लिए इन कार्यालयों के लिए बजटीय आवंटन को समय-समय पर बढ़ाया गया है। वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान में 121.35 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को बढ़ाकर 2017-18 के बजट अनुमान में 172.54 करोड़ रुपये किया गया है।

समय - समय पर वाणिज्यिक प्रकोष्ठों के कामकाज की समीक्षा की जाती है। प्रमुख बाजारों में देश के वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने तथा स्थान विशिष्ट

एवं आवश्यकता आधारित जनशक्ति तैनात करने के लिए वाणिज्यिक प्रकोष्ठों के सुदृढ़ीकरण की कवायद चल रही है। वाणिज्य विभाग वाणिज्यिक प्रतिनिधियों / व्यापार आयुक्त द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए एक मूल्यांकन रूपरेखा तथा विदेश स्थित मिशन / पोस्टों द्वारा वाणिज्य विभाग को डाटा भेजने के लिए एक वेब आधारित प्रणाली तैयार कर रहा है जिसमें वाणिज्यिक प्रकोष्ठों के लिए रिपोर्टिंग का संशोधित प्रोफार्मा विचाराधीन है / अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते परिदृश्य में वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की क्षमता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग विदेश मंत्रालय (एम ई ए) के अधीन विदेश सेवा संस्थान (एफ एस आई), नई दिल्ली में क्षमता निर्माण सत्रों का आयोजन कर रहा है। साथ ही वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के लिए विदेश सेवा संस्थान के माध्यम से समय-समय पर क्षेत्रवार प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करने की भी योजना बनाई गई है। ■

अनुबंध 2

2017 की विभिन्न रिपोर्टों में लेखा परीक्षा की टिप्पणियों का सारांश

क्र. सं.	पैरा/रिपोर्ट संख्या	पैरा/स्थिति का सार	लेखा परीक्षा की टिप्पणियां
1	2017 का 1 4.1.1 से 4.1.5	विभिन्न तिथियों वाले स्क्रिप (लाइसेंस) का पुनः पंजीकरण करके ड्यूटी क्रेडिट का उपयोग स्थिति: कैंग ने टिप्पणियों दिनांक के माध्यम से डीआरआई से संशोधित टिप्पणियों के साथ कतिपय मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग की है। इनपुट के लिए 23 नवंबर, 2017 को मामला ईडीआई को संदर्भित किया गया। जवाब की प्रतीक्षा है।	किसी अधिसूचना के माध्यम से किसी निर्यात संवर्धन योजना के तहत इनपुट एवं पूंजी माल के आयात के लिए सीमा शुल्क ऐसे छूटप्राप्त माल के निर्यातक निर्धारित निर्यात बाध्यता (ईओ) को पूरा करने तथा निर्धारित शर्तों की अनुपालन करने के लिए निर्यात करते हैं तथा ऐसा न होने पर ड्यूटी की पूर्ण दर लगाई जा सकती है। रिकार्डों (अप्रैल 2014 से मार्च 2016) की परीक्षण जांच के दौरान, ऐसे 35 मामले नोटिस किए गए हैं जिनमें कुल 461.66 करोड़ रुपए का राजस्व अंतर्ग्रस्त है जहां निर्यात बाध्यताओं / शर्तों को पूरा किए बिना शुल्क में छूट प्राप्त की गई। इनमें से 13 मामलों पर आगे के पैराओं में चर्चा की गई है तथा 22 ऐसे मामलों का उल्लेख किया गया है जो विभाग द्वारा स्वीकार किए गए हैं तथा वसूली की गई है / वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है।
2	2017 का 1 4.5.1	एसएफआईएस ड्यूटी क्रेडिट की गलत मंजूरी स्थिति: कैंग को संशोधित एटीएन 28 नवंबर, 2017 को भेजा गया।	
3	2017 का 1 4.5.2	अपात्र माल को एसएचआईएस ड्यूटी क्रेडिट की मंजूरी स्थिति: कैंग को संशोधित एटीएन 29 नवंबर, 2017 को भेजा गया।	
4	2017 का 12 7.1	लेखा परीक्षा द्वारा अंतिम एटीएन अनुमोदित किया गया। अंतिम एटीएन एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अनुभाग के पास पड़ा है।	एपिडा की निगरानी असरदार न होने के कारण आशयित प्रयोजन के लिए अनुदान का उपयोग नहीं हो सका। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त निधियों पर संदेय ब्याज के लिए एपिडा को 1.77 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि कि मसाला बोर्ड के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में ब्याज लगाने के लिए कोई समान उपबंध शामिल नहीं किया गया।

विभिन्न रिपोर्टों में दी गई लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर स्थिति/की गई कार्रवाई

क्र. सं.	वर्ष	पैरा संख्या/पीए रिपोर्ट जिन पर लेखा परीक्षा द्वारा विवक्षा के बाद लोक लेखा समिति को एटीएन प्रस्तुत किए गए हैं	पैरा/पीए रिपोर्टों का ब्यौरा जिन पर एटीएन लंबित हैं				
			ऐसे एटीएन की संख्या जो मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजे गए हैं	ऐसे एटीएन की संख्या जो लेखा परीक्षा के पास लंबित हैं	ऐसे एटीएन की संख्या जो भेजे गए लेकिन टिप्पणियों के साथ लौटा दिए गए और मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुत किए जाने की लेखा परीक्षा द्वारा प्रतीक्षा की जा रही है	निगरानी प्रकोष्ठ/पीएसी शाखा (लोक सभा) को भेज दिया गया है	अन्य कारणों से लंबित एटीएन की संख्याएं
1	2008	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के मुद्दे		1	--	--	--
2	2009	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के मुद्दे		1	--	--	--
3	2010	वाणिज्यिक	--	--	--	--	3
4	2012	वाणिज्यिक	--	--	--	--	1
5	2013	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	1	--	--	1
		वाणिज्यिक	--	--	--	--	1
6	2014	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क		2	--	--	--
7	2015	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	1	2	--	--
		सिविल	--	--	--	--	1
		वाणिज्यिक	--	--	2	--	--
8	2016	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क		3	--	--	--
		वाणिज्यिक	--	--	1	--	--
9	2017	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क		1	3	--	--
		सिविल	--	1	--	--	--
		वाणिज्यिक	--	--	1	--	--
		पी ए सी	--	--	--	--	--
		कुल - 27	--	11	9		7

सिविल पैरा की सूची

क्र. सं.	पैरा संख्या और रिपोर्ट	पैरा का सार	पैरा की स्थिति
सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के मुद्दे - निर्यात उन्मुख यूनिट/विशेष आर्थिक क्षेत्र			
1	रिपोर्ट संख्याब 2013 को 8	सीएसटी की प्रतिपूर्ति	रिपोर्ट में जारी 35 पैरा में से 23 पैरा पर कैंग ने कोई टिप्पणी नहीं की है तथा 2 पैरा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित हैं। कैंग को शेष 10 पैरा पर संशोधित टिप्पणियां 10 नवंबर, 2017 को भेजी गई हैं।
2	2014 का 21	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड)	रिपोर्ट में जारी 79 पैरा में से 31 पैरा पर कैंग ने कोई टिप्पणी नहीं की है तथा 9 पैरा राजस्व विभाग से संबंधित हैं। कैंग को शेष 39 पैरा पर संशोधित टिप्पणियां 16 नवंबर, 2017 को भेजी गई हैं।
सिविल पैरा की स्थिति - निर्यात निरीक्षण परिषद/एपिडा			
1	2015 का 18 2.2	सेवा कर का संग्रह नहीं होने के कारण परिहार्य व्यय	केंद्रीय बिक्री कर अधिकरण के पास विचाराधीन है।
2	2017 का 12 7.1	एपिडा की निगरानी असरदार न होने के कारण आशयित प्रयोजन के लिए अनुदान का उपयोग नहीं हो सका। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त निधियों पर संदेय ब्याज के लिए एपिडा को 1.77 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि मसाला बोर्ड के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में ब्याज लगाने के लिए कोई समान उपबंध शामिल नहीं किया गया।	लेखा परीक्षा द्वारा अंतिम एटीएन अनुमोदित किया गया। अंतिम एटीएन एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अनुभाग के पास पड़ा है।
सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के मुद्दे - विदेश व्यापार महानिदेशालय			
1	2008 का सीए 6 (अध्याय IV)	केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क	कैंग ने 25 उप पैराओं पर 05 अक्टूबर, 2017 को संशोधित एटीएन की मांग की है। आरए से इनकी मांग की गई है। अनेक आरए ने जवाब भेजा है तथा कैंग को संशोधित एटीएन 24 नवंबर, 2017 को भेजा गया है।
2	2009-10 का पीए 15	अध्यामय 71 के तहत वस्तुओं का आयात	13 सितंबर, 2017 को विदेश व्यापार महानिदेशालय के जवाब के संदर्भ में, 26 सितंबर, 2017 को एपीएमएस पोर्टल पर अपनी टिप्पणियों के माध्यम से कैंग ने कुछ उप पैराओं को क्लियर किया तथा उप पैरा संख्या 3.6, 4.4, 4.7, 4.8.1 एवं 4.8.2 के संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई की मांग की। कैंग को संशोधित एटीएन 09 अक्टूबर, 2017 को भेजा गया।
3	2013 का पीए 8 (अध्याय I)	मानित निर्यात ड्राबैक स्कीम	29 सितंबर, 2017 को कैंग ने पैरा 1.1 से 1.12 को छोड़ दिया था तथा विचाराधीन होने के कारण पैरा 3.74 एवं 3.56 से 3.65 पर एटीएन पर कोई टिप्पणी भी नहीं की। परंतु पैरा 3.1 से 3.93 के संबंध में एटीएन की मांग की है। उसे नीति 6 से प्राप्त किया गया तथा 26 अक्टूबर, 2017 को कैंग को भेजा गया। विचाराधीन।
4	2014 का 12 (2.4 से 2.19)	प्रचार के उपाय (फोकस उत्पाद स्कीम)	कैंग ने अपनी कोई टिप्पणी नहीं की है तथा 23 अक्टूबर, 2017 को अन्य पैराओं के संबंध में सूचना की मांग की है। 10 नवंबर, 2017 को जवाब भेजा गया।
5	2015 का 8 (7.19.2)	ट्रैवल एजेंट के माध्यम से भारतीय रुपए / विदेशी मुद्रा में अर्जन पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की गलत मंजूरी	कैंग ने 22 नवंबर, 2017 को अतिरिक्त सूचना की मांग की है। 22 नवंबर, 2017 को संबंधित आरए से जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। पुणे और जयपुर से सूचना प्राप्त हो गई है। मुंबई और गोवा से सूचना की प्रतीक्षा है। ईमेल से 01 दिसंबर, 2017 और 08 दिसंबर, 2017 को अनुस्मारक भेजे गए।
6	2015 का 8 (7.20 से 7.23)	अतिथि सत्कार क्षेत्र द्वारा निवल विदेशी मुद्रा अर्जन की प्राप्ति	कैंग ने पत्र दिनांक 07 दिसंबर, 2017 के माध्यम से केवल पैरा 7.20 को क्लियर किया है। अन्य पैराओं के संबंध में, कैंग से पोर्टल पर पत्र 01 दिसंबर, 2017 के माध्यम से मामलों को साझा करने के लिए कहा जा चुका है। कैंग से जवाब की प्रतीक्षा है।

क्र. सं.	पैरा संख्या और रिपोर्ट	पैरा का सार	पैरा की स्थिति
सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के मुद्दे - विदेश व्यापार महानिदेशालय			
7	2015 का 8 (पैरा 8)	विदेश व्यापार महानिदेशालय की ईडीआई लेखा परीक्षा प्रणाली की लेखा परीक्षा	20 नवंबर, 2017 को भेजे गए जवाब के माध्यम से कैंग ने कुछ पैराओं को क्लियर कर दिया है तथा अन्य पैराओं पर स्थिति / संशोधित एटीएन की मांग की है। 22 नवंबर, 2017 को यह मामला ईडीआई को भेजा गया। 28 नवंबर, 2017 को ईमेल से ईडीआई से प्राप्त संशोधित एटीएन सही नहीं थे तथा उन पर हस्ताक्षर भी नहीं किए गए थे। 01 दिसंबर, 2017 को ईडीआई से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तत्काल संदर्भ के लिए 3 प्रारूप एटीएन बनाए गए तथा 07 दिसंबर, 2017 को ईडीआई को भेजे गए।
8	2016 का 5 (पैरा 5.2)	गलत डी ई पी बी क्रेडिट रेट का प्रयोग करने की वजह से अधिक डी ई पी बी क्रेडिट	कैंग को संशोधित एटीएन 21 नवंबर, 2017 को भेजा गया।
9	2016 का 5 (पैरा 5.3)	अग्रिम प्राधिकार का गलत उन्मोचन (क्षेत्रीय डीजीएफटी, कोलकाता)	16 अक्टूबर, 2017 को एपीएमएस पोर्टल पर अपने नोट के माध्यम से कैंग ने लेखा परीक्षा की टिप्पणियों पर विशिष्ट जवाब की मांग की। संशोधित एटीएन 10 नवंबर, 2017 को भेजा गया।
10	2016 का 5 5.5	आवेदन की अवधि के बाद प्रदान की गई सेवाओं के लिए एस एच आई एस ड्यूटी क्रेडिट का प्रदान किया जाना	कैंग ने 29 नवंबर, 2017 को अतिरिक्त सूचना की मांग की है। यह सूचना 29 नवंबर, 2017 को आरए से मंगाई गई तथा 01 दिसंबर, 2017 को जवाब प्राप्त हुआ तथा 01 दिसंबर, 2017 को ही कैंग को भेज दिया गया।
11	2016 का 5 5.6	पहले ही जीरो ड्यूटी ईपीसीजी जारी की चुकी कंपनियों को एसएचआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का प्रदान किया जाना और विलोमतः	कैंग ने अतिरिक्त सूचना / संशोधित एटीएन की मांग की। संशोधित जवाब 23 नवंबर, 2017 को कैंग को भेज दिया गया।
12	2017 का 1 4.1.1 से 4.1.5	विभिन्न तिथियों वाले स्क्रिप (लाइसेंस) का पुनः पंजीकरण करके ड्यूटी क्रेडिट का उपयोग	कैंग ने टिप्पणियों दिनांक 20 नवंबर, 2017 के माध्यम से डीआरआई से संशोधित टिप्पणियों के साथ कतिपय मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग की है। इनपुट के लिए 23 नवंबर, 2017 को मामला ईडीआई को संदर्भित किया गया। जवाब की प्रतीक्षा है।
13	2017 का 1 4.5.1	एसएचआईएस ड्यूटी क्रेडिट की गलत मंजूरी	कैंग ने 22 नवंबर, 2017 को अतिरिक्त सूचना की मांग की थी। 23 नवंबर, 2017 को आरए चेन्नई से सूचना मांगी गई। संशोधित एटीएन प्राप्त हो गया है तथा कैंग को 28 नवंबर, 2017 को भेज दिया गया।
14	2017 का 1 4.5.2	अपात्र माल को एसएचआईएस ड्यूटी क्रेडिट की मंजूरी	कैंग ने 29 नवंबर, 2017 को संशोधित एटीएन की मांग की है तथा बेस रसायनों के संबंध में इनपुट / स्पष्टीकरण / अधिसूचना की मांग की है। 29 नवंबर, 2017 को मामला नीति 3 अनुभाग को संदर्भित किया गया। जवाब की प्रतीक्षा है।
सी एंड एजी (वाणिज्यिक) के बकाया पैराग्राफों की सूची - एफटी (एसटी)			
1	4.3.1 (2010 का 9)	एसटीसीएल लिमिटेड से संबंधित व्यवसाय सहयोगियों के साथ सविदा करने और कार्यान्वित करने में आंतरिक नियंत्रणों की व्यवस्था करने में विफलता	लेखा परीक्षा कार्यालय ने मंत्रालय द्वारा भेजे गए एटीएन पर विवक्षा अभ्युक्तियां भेजी हैं। लेखा परीक्षा कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक जून 2012 के माध्यम से कहा है कि चूंकि मामला विचाराधीन प्रकृति का है, इसलिए अंतिम निर्णय तक एटीएन को रोक कर रखा जाए। वाणिज्य विभाग ने दिनांक 2 जुलाई, 2012 के पत्र द्वारा और 2 मई, 2013 के अनुस्मारक द्वारा मामलों के शीघ्रनिपटन के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाने के लिए एसटीसीएल को निर्देश दिया है। पत्र दिनांक 27 जून, 2016 के माध्यम से लेखा परीक्षा को इस मामले में अद्यतन स्थिति के बारे में सूचित किया गया है। स्थाई लेखा परीक्षा समिति की 6वीं बैठक की सिफारिश के अनुसार, पत्र दिनांक 2 सितंबर, 2016 के माध्यम से एसटीसीएल से मामले को जल्दी से अंतिम रूप देने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से उठाने का अनुरोध किया गया है। लेखा परीक्षा को अद्यतनीकृत वर्तमान स्थिति रिपोर्ट 18 जुलाई, 2017 को भेजी गई।
2	13.2.1 (2010 का 24) पीईसी / एसटीसी / एमएमटीसी	छुट्टी नकदीकरण के गलत विनियमन के कारण अधिक व्यय	दिनांक 06 मई, 2013 की संशोधित एटीएन लेखा परीक्षा की ओर से इन विवक्षा अभ्युक्तियों के साथ वापस कर दी गई है कि "सुधारात्मक कार्रवाई के डीपीई के निर्देश और इस तथ्य के मद्देनजर कि पीईसी, एसटीसी, और एमएमटीसी द्वारा अब तक कोई वसूली नहीं की गई है, इसलिए पैरा रखा

क्र. सं. पैरा संख्या और रिपोर्ट पैरा का सार			पैरा की स्थिति
सी एंड एजी (वाणिज्यिक) के बकाया पैराग्राफों की सूची - एफटी (एसटी)			
			जाए।" एमएमटीसी ने 27 मई, 2013 को सूचित किया है कि मौजूदा कर्मचारियों से रिकवरी आईडी अधिनियम 1947 के तहत धारा के उल्लंघन को लागू किए जाने के कारण आस्थगित कर दी गई है जो कि एमएमटीसी कर्मचारी यूनियन द्वारा मई 2013 में एमएमटीसी के प्रबंधन के खिलाफ क्षेत्रीय श्रम आयोग के समक्ष दायर की गई है जिसका निपटान लंबित है। एसटीसी, पीईसी और एमएमटीसी से प्राप्त नए एटीएन विवक्षा के लिए 23 अक्टूबर, 2017 को आईएफडी / वाणिज्य विभाग को भेजे गए हैं।
3	4.1 (2011-12 का सीए 3)	लौह अयस्क व्यवसाय क्षेत्र - एसटीसीएल लिमिटेड	लेखा परीक्षा कार्यालय ने मंत्रालय द्वारा भेजे गए एटीएन पर विवक्षा अभ्युक्तियां भेजी हैं। लेखा परीक्षा कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक 28 मई, 2012 के माध्यम से कहा है कि चूंकि मामला विचाराधीन प्रकृति है इसलिए अंतिम निर्णय होने तक एटीएन को रोक कर रखा जाए। वाणिज्य विभाग ने पत्र दिनांक 2 जुलाई, 2012 और 02 मई, 2013 के अनुस्माकरक के माध्यम से मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाने के लिए एसटीसीएल को निदेश दिया है। पत्र दिनांक 27 जून, 2016 के माध्यम से लेखा परीक्षा को इस मामले में अद्यतन स्थिति के बारे में सूचित किया गया है। स्थाई लेखा परीक्षा समिति की 6वीं बैठक की सिफारिश के अनुसार, पत्र दिनांक 2 सितंबर, 2016 के माध्यम से एसटीसीएल से मामले को जल्दी से अंतिम रूप देने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से उठाने का अनुरोध किया गया है। लेखा परीक्षा को अद्यतनीकृत वर्तमान स्थिति रिपोर्ट 18 जुलाई, 2017 को भेजी गई।
4	4.1 (2012 का 8) - 13 (नया परिवर्धन)	एक व्यवसाय सहयोगी को निधियां जारी करने में अनियमितता	एसटीसीएल ने संशोधित एटीएन प्रस्तुत किया जो 25 मार्च, 2013 को लेखा परीक्षा कार्यालय को अंग्रेषित किए गए। लेखा परीक्षा ने कहा है कि चूंकि मामले विचाराधीन हैं और धनराशि अभी वसूल की जानी है इसलिए प्रस्ताव है कि मामले में अंतिम निर्णय होने तक एटीएन को रोक कर रखा जाए। वाणिज्य विभाग ने एसटीसीएल को निदेश दिया है कि वे मामले को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाएं। पत्र दिनांक 27 जून, 2016 के माध्यम से लेखा परीक्षा को इस मामले में अद्यतन स्थिति के बारे में सूचित किया गया है। स्थाई लेखा परीक्षा समिति की 6वीं बैठक की सिफारिश के अनुसार, पत्र दिनांक 2 सितंबर, 2016 के माध्यम से एसटीसीएल से मामले को जल्दी से अंतिम रूप देने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से उठाने का अनुरोध किया गया है। लेखा परीक्षा को अद्यतनीकृत वर्तमान स्थिति रिपोर्ट 18 जुलाई, 2017 को भेजी गई।
5	4.3 (2015 का 21)	अफ्रीकी देशों को चावल के निर्यात के लिए भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाना	एमएमटीसी, एसटीसी तथा पीईसी एवं सतर्कता प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए इनपुट के आधार पर लेखा परीक्षा की विवक्षा अभ्युक्तियों पर वाणिज्य विभाग की कृत कार्यवाई रिपोर्ट विवक्षा के लिए लेखा परीक्षा को 19 जुलाई, 2017 को भेजी गई है। लेखा परीक्षा ने पत्र दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 के माध्यम से पैरा को छोड़ने की सलाह दी है, लोक सभा सचिवालय को अपेक्षित मात्रा में प्रतियां भेजने की कार्यवाई की जा रही है।
6	4.1 (2015 का 21)	तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कृषि वस्तुओं के व्यापार से जुड़ी गतिविधियां	एमएमटीसी, एसटीसी तथा पीईसी द्वारा प्रस्तुत किए गए इनपुट के आधार पर लेखा परीक्षा की विवक्षा अभ्युक्तियों पर 10 नवंबर, 2016 को प्राप्त कृत कार्यवाई रिपोर्ट विवक्षा के लिए लेखा परीक्षा को 19 जुलाई, 2017 को भेजी गई है। पत्र दिनांक 17 नवंबर, 2017 के माध्यम से लेखा परीक्षा की और अभ्युक्तियां प्राप्त हुई हैं तथा वे जांच के अधीन हैं।
7	4.1 (2017 का 9)	वित्त पोषण के अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण देय राशियों की वसूली नहीं हो सकी	विवक्षा के लिए कृत कार्यवाई रिपोर्ट 19 जुलाई, 2017 को लेखा परीक्षा को भेजी गई। लेखा परीक्षा ने पत्र दिनांक 10 नवंबर, 2017 के माध्यम से पैरा पर और कोई अभ्युक्ति नहीं की है, लोक सभा सचिवालय को अपेक्षित मात्रा में प्रतियां भेजने की कार्यवाई की जा रही है।

क्र. सं.	पैरा संख्या और रिपोर्ट	पैरा का सार	पैरा की स्थिति
सी एंड एजी (वाणिज्यिक) के बकाया पैराग्राफों की सूची - एमएमटीसी			
1	4.2.1 (2010 का 9)	जिंक के निपटान में विलंब के कारण 2.14 करोड़ रुपए की हानि।	इस विभाग ने पत्र दिनांक 11 दिसंबर, 2012 के माध्यम से लेखा परीक्षा को एटीएन भेजा था तथा सूचित किया था कि यह मामला विचाराधीन है और पत्र दिनांक 01 मार्च, 2013 के माध्यम कैंग कार्यालय ने सूचित किया कि इस पैरा पर आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तदनुसार, एमएमटीसी से इस मामले में पुनः अद्यतन सूचना देने के लिए अनुरोध किया गया है। वर्तमान स्थिति: मुद्दों का निर्माण करने के लिए 06 सितंबर, 2017 को मामला सूचीबद्ध किया गया। 06 सितंबर, 2017 को न्यायालय ने इस बात का उल्लेख किया कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दाखिल किए गए दो आवेदन निस्तारण के लिए अभी भी लंबित हैं तथा उक्त आवेदन के निस्तारण के लिए अब 15 नवंबर, 2017 की तिथि निर्धारित की गई है। एमएमटीसी से मामले की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। अब न्यायालय ने मामले को 08 फरवरी, 2018 के लिए आस्थागित कर दिया है तथा एमएमटीसी से सभी मूल फाइलें दिखाने का अनुरोध किया है ताकि प्रतिवादी संख्या 2 को शेंकी सर्विसेज से कनेक्ट किया जा सके।
सी एंड एजी (वाणिज्यिक) के बकाया पैराग्राफों की सूची - ईसीजीसी			
1	4.1 (2016 का 15)	आईटी समाधान प्रणाली को लागू करने में विफलता की वजह से निधियों का अवरूद्ध किया जाना	कैंग से प्राप्त संशोधित टिप्पणियां ईसीजीसी को भेज दी गई हैं। जवाब की प्रतीक्षा है।





वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन, रफी अहमद किदवई मार्ग
नई दिल्ली